

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारत में आर्थिक नियोजन

(Economic Planning in India)

लेखकगण

डॉ० के० सी० भंडारी, एम० कॉम०, पी-एच० डी०,
भूतपूर्व सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, हालकर कालेज, इन्दौर ;
भूतपूर्व अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, माधव कालेज, उज्जैन ,
भूतपूर्व अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, महारानी लक्ष्मीबाई कालेज, खालियर ,
प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, शाजापुर, (मध्य प्रदेश)

तथा

एस० पी० जौहरी, एम० कॉम०,
व्यारयाता, वाणिज्य विभाग,
महारानी लक्ष्मीबाई कालेज, खालियर ।

लक्ष्मी नारायण अग्रवाल

प्रकाशक व पुस्तक विक्रेता, आगसा ।

मूल्य रु० १०)

मूल्य : दस रुपया
द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण
१९६२

मुद्रक मॉडर्न प्रेस, आगरा ।
प्रकाशक : लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा ।

प्रस्तावना

[द्वितीय संस्करण]

भारत में आर्थिक नियोजन के द्वितीय संस्करण को पाठकों के सम्मुख रखने हुये अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। प्रस्तुत संस्करण में समस्त अध्यायों को पर्याप्त रूप से संशोधित किया गया है एवं भाषा सम्बन्धी जटिलता एवं असुद्धता को पूर्णतया हटाने की कोशिश की गयी है। इसके उपरान्त अर्ध-विकसित राष्ट्रों की समस्याओं का इस संस्करण में अधिक विस्तृत वर्णन किया गया है। विदेशों के आर्थिक नियोजन के संचालन एवं कार्यक्रम को दो अतिरिक्त अध्यायों में लिखा गया है। भारत की दसवर्षीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था की सफलताओं के वर्णन का भी समावेश किये जाने की पूर्ण चेष्टा की गयी है। हमें अत्यन्त प्रसन्नता है कि प्रथम संस्करण कुछ ही महीनों में समाप्त हो गया और हमें पूर्ण आशा है कि यह संस्करण अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य के क्षेत्र में अपने विषय पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। आर्थिक नियोजन में दिलचस्पी लेने वाली जनता के लिये भी यह ग्रन्थ अत्यन्त लोकप्रिय बनेगा, ऐसी हमारी धारणा है।

द्वितीय संस्करण की रचना में हमारे विद्यार्थी श्री मुरारीलाल गुप्ता एवं श्री जी० डी० बसल ने जो सहायता दी है, इसके लिये हम उनके आभारी हैं।

गणराज्य दिवस,
दिनांक २६ जनवरी, १९६२।

—डॉ० के० सी० भण्डारी
एस० पी० जौहरी

विषय-सूची

भाग १—नियोजन के सिद्धान्त

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
१—विषय प्रवेश		१-२८

नियोजन का परिचय, नियोजन का प्रारम्भ, नियोजन की विचार-धारा का महत्व, नियोजन एवं सरकारी हस्तक्षेप; नियोजन के अन्त-गंत स्वतन्त्रता, नियोजन एवं अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना ।

२—नियोजन की परिभाषा एवं उद्देश्य	२९-४६
----------------------------------	-------

परिभाषा, नियोजन के तत्व, नियोजन के उद्देश्य—आर्थिक उद्देश्य, आय की समानता, अवसर की समानता, अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, अविकसित एवं प्रथम विकसित क्षेत्रों का विकास, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य अन्य उद्देश्य ।

३—नियोजन के प्रकार	४७-७७
--------------------	-------

नियोजन की भिन्नता के लक्षण, नियोजन के प्रकार, समाजवादी नियोजन, साम्यवादी नियोजन, पूँजीवादी नियोजन, प्रजातान्त्रिक नियोजन, तानाशाही नियोजन, माँधीवादी नियोजन, गतिशील बनाम स्थिर नियोजन, निकट भविष्य बनाम सुदूर भविष्य के लिये नियोजन, कार्य-प्रधान बनाम निर्माण प्रधान नियोजन, भौतिक बनाम वित्तीय नियोजन, राष्ट्रीय बनाम अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन ।

४—नियोजन के सिद्धान्त तथा व्यवस्था	७८-९५
------------------------------------	-------

नियोजन के सिद्धान्त—राष्ट्रीय सुरक्षा, साधनों का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा, सामान्य जनता के जीवन स्तर में वृद्धि, योजना की विभिन्न अवस्थायें एवं संचालन-व्यवस्था—साह्य एकत्रित करना तथा नियोजन काल में राष्ट्रीय आय का अनुमान, राष्ट्रीय आय का विनियोजन, उपभोग एवं सामा-

जिक हित में वितरण योजना के कार्यक्रमों का निश्चयीकरण, उपलब्ध साधना का वितरण, योजना की विज्ञप्ति, योजना को कार्यान्वित करना, योजना के संचालन तथा प्रगति का निरीक्षण भारत में नियोजन की व्यवस्था, भारतीय योजना आयोग के काय ।

५—अर्थ विकसित राष्ट्र एव नियोजन [१]

६६-१४६

अर्थ विकसित राष्ट्रों का परिचय, अर्थ विकसित क्षेत्रों के लक्षण—राष्ट्रीय एव प्रतिव्यक्ति आय का कम होना, पौष्टिक भोजन का सामान्य स्तर से कम होना, जनसमुदाय की सामान्य आय का कम होना, जनसंख्या का घनत्व अधिक होना, उद्योगों में कृषि की प्रमुखता, तांत्रिक ज्ञान की कमी, यान्त्रिक शक्ति की न्यूनता, अर्थ विकसित राष्ट्रों की समस्याएँ—तांत्रिक ज्ञान की समस्या, पूँजी निर्माण—अर्थ-विनियोजन पर प्रभाव डालने वाला घटक, पूँजी निर्माण की अवस्थाएँ—प्रथम अवस्था—बचत—एच्छिक आन्तरिक बचत, राजकीय बचत, मुद्रा प्रसार द्वारा बचत, विदेशी मुद्रा की बचत, द्वितीय अवस्था, वित्तीय क्रियाशीलता, तृतीय अवस्था विनियोजन—प्रारम्भिक आय तथा विनियोजन का सम्बन्ध अटस्य बेरोजगारी तथा विनियोजन प्राथमिकताओं की समस्या—परिचय, समस्या के दो पहलू—अर्थ साधना की उपलब्धि अर्थ साधना का वितरण—क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ, उत्पादन अथवा वितरण का प्राथमिकता विनियोजन अथवा उपभोग की प्राथमिकता, कृषि अथवा उद्योग का प्राथमिकता, सामाजिक प्राथमिकताएँ, सामाजिक बाधाएँ एव सामाजिक पूँजी की समस्या ।

६—अर्थ विकसित राष्ट्र एव नियोजन [२]

१५०-१७४

भूमि प्रबन्ध में सुधार की समस्या, राजकीय सत्ता की अस्थिरता, सरकारी प्रबन्ध के दोष, नियोजन के प्रति जागरूकता, बेरोजगारी की समस्या, क्षेत्र के चयन की समस्या—निजी अथवा सावजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र का संगठन एव प्रबन्ध, विभागीय व्यवस्था, सीमित दायित्व वाली सरकारी कम्पनियाँ, लोक निगम, सहकारी समितियाँ, रूप परिवर्तित निजी व्यवसाय, अर्थ विकसित राष्ट्रों में नियोजन की सफलता हेतु आवश्यक तत्व—विद्वत्शक्ति, राजनीतिक स्थिरता, पर्याप्त वित्तीय साधन, सांख्यिकीय ज्ञान, प्राथमिकता एव लक्ष्य-निर्धारण, राष्ट्रीय चरित्र, जनता का सहयोग, शासन सम्बन्धी कार्यक्षमता ।

भाग २—विदेशो मे आर्थिक नियोजन

७—विदेशो मे आर्थिक नियोजन [१] १७७-२०६

रूस मे आर्थिक नियोजन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पाँचवी, छठी एव सातवी पञ्चवर्षीय योजना, रूसी नियोजित अर्थ-व्यवस्था की व्यवस्था एव संगठन—सामुदायिक निर्णय एव साधनों का बंट-वारा, समाजवादी उत्पादन, मूल्य निर्धारण, व्यापार, नियोजन का संगठन, उद्योगो का संगठन एव प्रबन्ध, कृषि क्षेत्र का संगठन एवं प्रबन्ध, कोलखोज, सोवखोज, मशीन ट्रैक्टर स्टेशन, मट्रस, श्रमिक सघ ।

८—विदेशो मे आर्थिक नियोजन [२] २०७-२४२

चीन में आर्थिक नियोजन नाजो जर्मनी में आर्थिक नियोजन, ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन, संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक नियोजन, इन्डोनेशिया में आर्थिक नियोजन, सीलोन में आर्थिक नियोजन, बर्मा में आर्थिक नियोजन फिलीपाइन्स में आर्थिक नियोजन, पाकिस्तान में आर्थिक नियोजन, संयुक्त अरब गणराज्य में आर्थिक नियोजन ।

भाग ३—भारत मे आर्थिक नियोजन

९—भारत मे नियोजन का इतिहास २४५-२८७

राष्ट्रीय योजना समिति—उद्योग, कृषि, वस्त्रों योजना—उद्देश्य, मान्यताएँ, उद्योग, कृषि, यातायात के साधन, शिक्षा, अर्थ प्रबन्धन, सामाजिक व्यवस्था, योजना के दोष जन योजना—उद्देश्य, कृषि, औद्योगिक विकास, यातायात, अर्थ प्रबन्धन, आलोचना, विश्वेसरैया योजना—उद्देश्य एव कार्यक्रम, गाँधीवादी योजना—मूल सिद्धान्त, उद्देश्य, कृषि, ग्रामाण उद्योग, आधारभूत उद्योग, अर्थ प्रबन्धन, आलोचना, द्वितीय महासमरोपरान्त भारत मे नियोजन का इतिहास—सलाहकार योजना मण्डल, अन्तरिम सरकार की नीतियाँ, औद्योगिक नीति प्रस्ताव, सन् १९४८, औद्योगिक विकास एव नियमन अधिनियम, सन् १९५१, कोलम्बो योजना—उद्देश्य एव कार्यक्रम ।

१०—प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २८८-३३४

प्रथम योजना के प्रारम्भ मे अर्थ-व्यवस्था का स्वरूप, भारत में नियोजन का प्रकार, प्रजातांत्रिक नियोजन की सफलता, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था, योजना की प्राथमिकताएँ, योजना का व्यय, अर्थ

प्रगल्भन, हीनार्थ प्रगल्भन, योजना के लक्ष्य एवं प्रगति—कृषि, सामुदायिक विकास योजनाएँ, औद्योगिक प्रगति, यातायात एवं संचार, समाज सेवाएँ, उपभोग एवं विनियोजन, मूल्यों की प्रवृत्ति, योजना की सफलताएँ ।

११—द्वितीय पंचवर्षीय योजना [१] ३३५--३७१

प्रारम्भिक समाजवादी प्रणाली का समाज, उद्देश्य, योजना का व्यय एवं प्राथमिकताएँ, अर्थ प्रणाली, योजना के लक्ष्य एवं कार्यक्रम, कृषि एवं सामुदायिक विकास सिंचाई एवं शक्ति, औद्योगिक एवं खनिज विकास यातायात एवं संचार, समाज सेवाएँ ।

१२—द्वितीय पंचवर्षीय योजना [२] ३७२--४१७

योजना की आधारभूत नीतियाँ औद्योगिक नीति, १९५६, केन्द्रीय सरकार का प्रत्यक्ष प्राधिकार क्षेत्र राज्य तथा व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यक्तिगत उद्योग के क्षेत्र १९६० एवं १९५६ की औद्योगिक नीतियाँ का तुलनात्मक अध्ययन तथा ग्रहण उद्योग नीति राजस्व की नीति, श्रम नीति एवं कार्यक्रम, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति । प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का तुलनात्मक अध्ययन ।

१३—तृतीय पंचवर्षीय योजना ४१८-५१२

स्वयं संपूर्ण अवस्था, स्वयं संपूर्ण विकास की आवश्यक शर्तें, भारत में स्वयं संपूर्ण विकास, तृतीय योजना के उद्देश्य, तृतीय योजना का व्यय विनियोजन एवं प्राथमिकताएँ तृतीय योजना के कार्यक्रम एवं लक्ष्य—कृषि एवं सामुदायिक विकास सिंचाई एवं शक्ति, उद्योग एवं खनिज, वृद्ध उद्योग, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ, खनिज विकास, यातायात एवं संचार, रेल यातायात, सड़क यातायात, जहाजी यातायात, हवाई यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य मर्दाने, तृतीय योजना के अर्थ साधन—चानू भाय से बचत, रेलों से अनुदान, सरकारी व्यवसायों का आधुनिकीकरण, लघु बचत, प्राविधिक निधि आदि, विदेशी सहायता, हीनार्थ प्रगल्भन, तृतीय योजना में विदेशी विनियम की आवश्यकता एवं साधन, अनुचित क्षेत्रीय विकास, तृतीय योजना की आधारभूत नीतियाँ—समाजवादी समाज, रोजगार नीति एवं कार्यक्रम, मूल्य-नियमन नीति, श्रम नीति विनियोजन का प्रसार, तृतीय योजना का सफलतार्थ आवश्यक परिस्थितियाँ ।

१४—भारत में नियोजित अर्थ-व्यवस्था के दस वर्ष एवं ५१३-५२६
जन-जीवन

कृषि; उद्योग; खनिज; ग्रामीण एवं लघु उद्योग; शक्ति; यातायात
एव संचार; समाज सेवायें, रोजगार; भारतीय समाज के जीवन-स्तर
के आधार पर वर्गीकरण—

(अ) ग्रामीण जन-समाज; (ब) नागरिक समाज ।

विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न ५३१-५३७

सहायक ग्रन्थ

५३६-५४१

तालिका विवरण

	पृष्ठ
१ मसार म राष्ट्रीय आय का वितरण (१८५१)	१००
२ आघारभूत सुविधाओं की उपलब्धि	१०३
३ रूस म पूँजी विनियोग (प्रथम योजना काल)	१८०
४ चतुर्थ योजना म लक्ष्या का पूर्ति	१८७
५ पाँचवी योजना के लक्ष्या का पूर्ति	१८८
६ सोवियत अर्थ-व्यवस्था की वार्षिक उन्नति दर	१९०
७ चीन की प्रथम योजना म विनियोजन	२११
८ चीन की प्रथम योजना म पूँजीगत विनियोजन	२११
९ चीन की प्रथम योजना के प्रथम उत्पादन लक्ष्य	२१२
१० चीन की द्वितीय योजना क उत्पादन लक्ष्य	२१५
११ चीन की सन् १९५८ वष का योजना क लक्ष्य एवं प्रगति	२१६
१२ सीलोन क प्रथम योजना का व्यय	२३१
१३ सीलोन की द्वितीय योजना का व्यय	२३२
१४ फिलीपाइन की योजना म विनियोजन	२३६
१५ पाकिस्तान की द्वितीय योजना का व्यय	२३८
१६ राष्ट्रीय आय म वृद्धि (चम्बर योजना काल म)	२५१
१७ कृषि विकास हेतु पूँजी की आवश्यकता	२५२
१८ चम्बर योजना का व्यय	२५४
१९ चम्बर योजना के अर्थ साधन	२५४
२० जन योजना का कृषि विकास पर व्यय	२६१
२१ जन योजना मे यातायात पर व्यय	२ २
२२ जन-योजना का व्यय	२६५
२३ जन-योजना का अर्थ प्रबन्धन	-६३
२४ विश्वेस्वरम्या योजना का व्यय	२६६
२५ गाँधीवादी योजना म कृषि विकास पर व्यय	२६९
२६ गाँधीवादी योजना का व्यय	२७०
२७ गाँधीवादी योजना के अर्थ साधन	२७१

५६.	गृह एवं लघु उद्योगों की निर्धारित राशि का विभाजन	०६७
५७.	द्वितीय योजना में अतिरिक्त रोजगार अवसर	३८५
५८.	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कृषि-उत्पादन-सम्बन्धी दोहराये गये लक्ष्य	३९४
५९.	द्वितीय योजना का दोहराया गया व्यय-अनुमान	३९६
६०.	द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों का व्यय	३९८
६१.	द्वितीय योजना का अनुमानित व्यय (१९५६-६१)	३९९
६२.	द्वितीय योजना का अर्थ-प्रवर्धन (१९५६-६०)	३९९
६३.	द्वितीय-योजना के अर्थ-साधनों की उपलब्धि का अनुमान (१९५६-६१)	४००
६४.	चालू शोधन-शेष (Current Balance of Payment)	४०१
६५.	शोधन-शेष की कमी की वित्तीय-व्यवस्था	४०२
६६.	द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में कृषि-प्रगति	४०६
६७.	कृषि उत्पादन के निर्देशांक (Index No.) की प्रगति	४०६
६८.	द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में औद्योगिक प्रगति	४०७
६९.	द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में औद्योगिक निर्देशांक की प्रगति	४०७
७०.	द्वितीय योजना काल में औद्योगिक क्षेत्र के नवीन विनियोजन	४०९
७१.	द्वितीय योजना काल में सरकारी परियोजनाओं की प्रगति	४०८-४०९
		के बीच में
७२.	द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में राष्ट्रीय एवं प्रति-व्यक्ति आय	४०९
७३.	द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में विभिन्न व्यवसायों से प्राप्त राष्ट्रीय आय	४११
७४.	थोक मूल्य-निर्देशांक (आधार वर्ष १९५२-५३ = १००)	४१०
७५.	उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक (आधार १९४९-५० = १००)	४१२
७६.	योजना के अन्त तक विभिन्न लक्ष्यों की सम्भावित प्राप्ति	४१३
७७.	तृतीय योजना का सरकारी क्षेत्र का व्यय	४३०
७८.	तृतीय योजना के विभिन्न कार्यक्रमों की अनुमानित लागत	४३१
७९.	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में राज्यो एवं धूनियन क्षेत्र का सरकारी व्यय	४३३
८०.	द्वितीय एवं तृतीय योजना में विनियोजन	४३५

८१	कृषि उत्पादन पर व्यय	४३७
८२	तृतीय योजना में कृषि उत्पादन लक्ष्य	४३६
८३	तृतीय योजना में विभिन्न राज्यों के उत्पादन लक्ष्य	४४० ४४१
८४	विभिन्न प्रकार की इकाइयों की क्षति उत्पादन क्षमता	४४४
८५	ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का निर्धारित व्यय	४४६
८६	तृतीय योजना के औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य	४५१
८७	औद्योगिक उत्पादन के निर्देशांक (आधार १९५० ५१ = १००)	४५३
८८	तृतीय योजना में खनिज विकास के लक्ष्य	४५३
८९	तृतीय योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का व्यय	४५८
९०	द्वितीय एवं तृतीय योजना के अर्थ-साधना के अनुमान	४६२
९१	राष्ट्रीय आय एवं कर प्रतिशत	४७०
९२	तृतीय योजना के कार्यक्रमों की विदेशी विनिमय की आवश्यकताएँ	४७१
९३	तृतीय योजना की विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं का प्रवर्धन	४७२
९४	कृषि के अतिरिक्त अर्थ क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर	४८०
९५	प्रति व्यक्ति पूँजी विनियोजन की विभिन्न उद्योगों में आवश्यकता	४८३
९६	प्रथम एवं द्वितीय योजना काल में मूल्यों के परिवर्तन थोक मूल्य निर्देशांक (आधार १९५० ५३ = १००)	४९४
९७	प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय एवं विनियोजन	५१४
९८	विकास के सूचक	५१६



भाग १

नियोजन के सिद्धान्त

अध्याय १

विषय प्रवेश

[नियोजन का परिचय, नियोजन का प्रारम्भ, नियोजन की विचारधारा का महत्व, नियोजन एवं सरकारी हस्तक्षेप, नियोजन के अन्तर्गत स्वतन्त्रता, नियोजित एवं अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना]

नियोजन का परिचय

आधुनिक युग अतिशय तीव्र प्रतियोगिता का युग, यन्त्रों के प्रयोग द्वारा अत्यधिक निर्माण का युग, विज्ञान के प्रगति एवं विकास के लहराते यौवन का युग, अन्तर्महाद्वीपीय प्रेक्षणास्त्रों का युग, कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से प्रकृति-विजय का युग, विध्वंसकारी अणु एवं उद्‌जन बमों का युग, मानव की सम्पत्ता की रक्षा एवं शान्ति के लिए विलखते-तडफते प्राणों का युग—जीवन के हर क्षेत्र में, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक दिशा में नियोजन का युग है। विश्व का जो परिवर्तित रूप आज मानवता का विकराल आनन प्रस्तुत कर रहा है, वह नियोजन का वरदान है। विश्व की आर्थिक-व्यवस्था की घमनियों में अर्थ नहीं, नियोजन प्रवाहित है। वास्तव में प्रकृति स्वयं इतनी नियोजित है कि मनीषियों एवं विद्वानों ने अधिक-सी अनियमितता को भूकम्प तथा यदाकदा प्रलय की भयावह संज्ञाएँ प्रदान कर दी हैं। चाहे मानव प्रकृति पर कितनी भी विजय प्राप्त करे, वह रहेगा प्रकृति का दास ही, किन्तु एक बुद्धिमान दास, प्रकृति का सच्चा सपूत जिसने योजना या नियोजित-व्यवस्था को अपने जीवन का अंग ही नहीं अपितु जीवन ही मान लिया है। आज प्रश्न यह नहीं है कि नियोजन कहाँ-कहाँ होता है, प्रस्तुत प्रश्न यह है कि नियोजन कहाँ नहीं होता।

आचार्य अपने विद्यार्थियों को किसी विषय के अध्ययन करने के तरीके बताते समय व्यवस्थित अध्ययन को अधिक महत्व देता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपनी आय को—जो सीमित है, विभिन्न इच्छाओं की जो असीमित हैं—पूर्ति पर व्यय करने से पूर्व अपने मस्तिष्क में कुछ विचारों को जन्म देता है जो नियोजन का प्रारूप हैं। इस नियोजन में ज्ञात व अज्ञात सभी कठिनाइयों और

सुविधाओं को ध्यानावस्थित कर आय को विभिन्न व्ययों पर वितरित करना होता है। आय का वितरण, आय की सीमा और इच्छाओं की निस्सीमता के कारण, इच्छाओं की तीव्रता अथवा प्रमुखता के आधार पर होना चाहिए अन्यथा अत्यावश्यक इच्छाओं की अनूति और कम आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति अवश्य-म्भावी है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को मानसिक उद्वेग तथा शारीरिक कष्ट हो सकता है। साथ ही अधिक आय को व्यवस्थित रूप से तथा चतुरता से व्यय न करने से साधना का दुरुपयोग होना है जो दीर्घकाल में कष्टदायक सिद्ध होता है। इस प्रकार नियोजन द्वारा सम्भाव्य परिस्थिति के प्रादुर्भाव के पूर्व ही उसकी निवारण व्यवस्था की जाती है। “कठिनाइयों की वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उनके भार एवं तीव्रता को कम करने के लिये की गयी पूर्व व्यवस्था ही नियोजन है।”

जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम की शरण लेता है, ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र को भी अपने सर्वांगीण विकास के लिए नियोजन की सहायता लेनी पड़ती है। “नियोजक को नियोजन के उद्देश्य बताना, उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीति निर्धारित करना और विभिन्न निपटारों को, जो कि चुने हुए लक्ष्यों की ओर प्रगति करने के लिए वाञ्छनीय हैं, निश्चित करना आवश्यक है। यह लक्ष्य ऐसे वर्ग-रहित समाज की स्थापना करना हो सकता है जिसमें वस्तुओं का उचित वितरण हो, साधनों का अप्रयय न हो, युद्ध के लिए साधनों का एकत्रीकरण अथवा स्वाधिकार वर्गों को सहायता प्रदान करना हो सकता है।”

नियोजन का प्रारम्भ

यह कहता अतिशयोक्ति न होगा कि नियोजन का जो विस्तृत क्षेत्र आज हमारे सम्मुख उपस्थित है, उसकी आयु ५० वर्ष से अधिक नहीं है। आधुनिक युग में सत्तार के सभी राष्ट्रों में नियोजन किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इस में नियोजन की आदर्शपरक सफलताओं के पूर्व नियोजन का उपयोग केवल सीमित उद्देश्यों के लिए ही किया जाता था, विशेषकर युद्ध के समय में, युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण हेतु तथा प्राकृतिक सवटों के निवारणार्थ।

1. “Planners necessarily have to suggest objectives, policies to achieve them, and various checks to assure that progress is being made towards the selected goal. This goal may be a class-less society with fair distribution of goods and non wastage of resources or it may be a mobilisation of resources for war and for favouring the privileged class.”

(Seymour E. Harris, *Economic Planning*, p 13)

आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए नियोजन का प्रयोग द्वांन्ति-काल मे सर्वप्रथम रूस द्वारा ही किया गया । योरोपीय देशो मे "स्वतन्त्र साहस" (Free Enterprise) का बोलबाता था । योरोपीय तथा अमेरिकी देशो मे "स्वतन्त्र साहस" की नीतियो (Laissez Faire Policies) द्वारा उत्पादन म वृद्धि भी हुई थी । स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था मे उत्पादन तथा उपभोग पर शासकीय नियन्त्रण अत्यन्त सीमित होता है तथा सरकार विपणन, उत्पादन तथा उपभोग पर अदृश्य नियन्त्रण रखता है अथवा माँग तथा पूर्ति के नियमो के अनुसार अर्थ-व्यवस्था संचालित की जाती है । रूस ने नियोजित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना की और पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की तुलना म अधिक उत्पादन के लक्ष्यो को अत्यन्त न्यून अवधि मे प्राप्त कर ससार के अर्थशास्त्रियो का ध्यान नियोजन की ओर आकृष्ट किया ।

सन् १९२८ ई० के पश्चात् रूस ने लगातार तीन पंचवर्षीय योजनाओ की घोषणा की और इन योजनाओ द्वारा रूस के उत्पादन मे आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, जबकि अमेरिकी, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी अर्थ-व्यवस्था मे मूल्यो के उतार-चढाव की उपस्थिति ने उत्पादन को सीमाबद्ध कर रखा था । "जिज्ञासु मस्तिष्को ने पश्चिम के स्थान पर पूर्व की ओर देखना प्रारम्भ कर दिया । रूस की उत्पादन तथा औद्योगीकरण के क्षेत्र मे सफलताएँ महत्वपूर्ण थीं । कभी भी किसी देश ने इतने कम समय म पिछड़ हुए कृषिप्रधान राष्ट्र को एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति मे परिवर्तित होने का अनुभव नहीं किया था ।"^१

आर्थिक नियोजन की विचारधारा का महत्व—आर्थिक नियोजन की विचारधारा मे अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो पर सरकारी अधिकार एवं नियन्त्रण निहित रहता है और इसके द्वारा जानबूझ कर निर्धारित हिये गये लक्ष्यो की पूर्ति सम्भव होती है । इस विचारधारा को चीसवी चताब्दी में निम्नलिखित घटको ने पुष्टि प्रदान की है —

(१) विवेकपूर्ण विचारधारा (Rationalized outlook)—इसके प्रादुर्भाव स विवेक एव विज्ञान की तुला पर ठीक उतरने वाले विचारो को स्विकृति प्रदान करने की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ । वैज्ञानिको एक तार्किक विश्लेषणों ने ऐसे

1. "inquiring minds began to look eastward rather than westward as they had in the twenties Russian successes were striking nevertheless in the rise of output of productivity and in the rate of industrialisation No country had ever experienced so rapid a transformation from a backward agricultural state to a modern industrialized power " (S. E. Harris, *Economic Planning*, pp 14-15)

राज्य की स्थापना को महत्व दिया जो कि एक मशीन के समान निरन्तर देश के साधनों का अधिकतर सतोंप के लिये उपयोग कर सके। देश के उत्पादक साधनों को इस प्रकार संगठित किया जा सके कि जिससे समाज का अधिकतर हिता हो। वास्तव में विवेकीकरण जब देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को आच्छादित कर लेता है तो इस व्यवस्था को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। विवेकीकरण से प्रतिस्पर्धा के दोषों को दूर किया जाता है और उत्पादन अनुमानित माँग के अनुसार ही किया जाता है। ठीक इसी प्रकार नियोजन द्वारा आर्थिक-व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिये उत्पादन नियोजन के लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। विवेकीकरण द्वारा श्रमिकों में अधिकतम कार्यक्षमता उत्पन्न होती है। कच्चे माल, मशीनों तथा श्रम के अपव्यय को रोका जा सकता है। आर्थिक नियोजन द्वारा भी प्रतिस्पर्धीय अर्थ-व्यवस्था के अपव्यय को रोका जाता है। विवेकीकरण के समय ही आर्थिक नियोजन में नवीनतम मशीनों के उपभोग तथा अधिकतम तांत्रिक कार्यक्षमता को महत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार विवेकीकरण की विचारधारा में आर्थिक नियोजन के विचार को पुष्टि प्रदान की है।

(२) समाजवादी विचारधारा—इसके विस्तार में आर्थिक नियोजन के विस्तार एवं विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है और आधुनिक युग में आर्थिक नियोजन समाजवाद का अभिन्न अंग बन गया है। यद्यपि समाजवाद की विचारधारा मार्क्स द्वारा चौथी शताब्दी (B C) में प्रस्तुत की गयी परन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक यह केवल सिद्धान्त मात्र ही समझी जाती थी।

समाजवाद ने अब व्यावहारिक राजनीति का रूप ग्रहण किया है, और इसे आधुनिक युग में सभी राष्ट्रों में मान्यता प्राप्त होने लगी है। "समाजवाद समाज के ऐसे आर्थिक संगठन को कहते हैं जिसमें उत्पादन के भौतिक साधनों पर समस्त समाज का अधिकार होता है और जिनका संचालन ऐसे संगठनों द्वारा जो समाज के प्रतिनिधि हों और समाज के प्रति उत्तरदायी हों, एक सामान्य योजना के अनुसार किया जाता है। इसमें समाज के समस्त सदस्यों को समाजीकृत एवं नियोजित उत्पादन के लाभों में समान हिता प्राप्त करने का अधिकार होता है।"^१ इस परिभाषा में समाजवाद के सामाजिक पहलू को विशेष

1. Socialism is an economic organization of Society in which the material means of production are owned by the whole community and operated by organs representative of and responsible to the community according to a general plan, all members of the community being entitled to benefits from the results of such socialised planned

महत्व दिया गया है जिसके द्वारा देश की राष्ट्रीय आय के समान वितरण का आयोजन किया जाता है। ऐसी व्यवस्था में उत्पादक साधनों का केन्द्रीय अधिकारी के निश्चयों के अनुसार किया जाता है। सन् १८७५ से १९२५ तक समाजवाद का अर्थ उत्पादन के साधनों पर सामाजिक अधिकार समझा जाता था परन्तु अब इसे नियन्त्रित उत्पादन कहा जाता है।

समाजवाद के निम्नलिखित तीन मुख्य अंग हैं—

- (१) उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार।
- (२) आर्थिक नियोजन।
- (३) समानता।

समानता में तीन घटकों को सम्मिलित किया जाता है (अ) धन के वितरण में समानता (ब) आर्थिक अवसरों की समानता (स) आर्थिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि की समानता।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही समाजवाद का महत्व बढ़ने लगा और समाजवाद के साथ-साथ आर्थिक नियोजन भी दिखाने लगे। जर्मनी के १९१९ के चुनाव में समाजवादी पक्षों की शक्ति बढ़ती हुई प्रतीत हुई और The National Socialist German Labour Party जो १९२३ में स्थापित की गयी थी १९३३ के चुनाव में विजयी हुई। इसी प्रकार ब्रिटेन में १९२४ के चुनाव में Labour Party को लगभग एक तिहाई वोट प्राप्त हुये। १९३५ में Labour Party के वोटों की संख्या और भी बढ़ गयी और १९४५ में समाजवादियों ने बहुमत से अपनी सरकार बनायी। ब्रिटेन की लेबर सरकार ने युद्धकाल के विस्तृत सरकारी नियन्त्रणों को जारी रखना उचित समझा और इस प्रकार आर्थिक नियोजन के सिद्धान्तों को मान्यता प्राप्त हुई। सन् १९३६ में फ्रांस में भी लगभग ३ डिप्युटीज (Deputies) समाजवादी थे। रूस में भी समाजवादो एव साम्यवादी का विकसित रूप प्रस्तुत किया है। इटली, बल्गेरिया, आस्ट्रेलिया, हंगरी, जेकोस्लोवेकिया, नावें, पोलेन्ड आदि अन्य देशों में भी समाजवाद के प्रति झुकाव है। पूर्व में भारत, चीन सहित अरब गणराज्य आदि देशों में भी समाजवाद एव समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना के प्रयत्न जारी हैं। इस प्रकार समाजवाद की विचारधारा के व्यापक महत्व ही जाने से आर्थिक नियोजन की विचारधारा को पुष्टि प्राप्त हुई है।

(३) राजनैतिक अथवा राष्ट्रीय विचारधारा—नियोजन द्वारा साधनों

production on the basis of equal rights.”

(Dickinson, *Economics of Socialism*, p 11.)

एक लक्ष्यो में समन्वय सुविधापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। इसमें निश्चित लक्ष्यो की प्राप्ति के लिये समन्वित प्रयास सम्भव होते हैं। इसके द्वारा आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण सम्भव होता है। राजनीतिज्ञ एक राष्ट्रवादी इसका उपयोग अपने राजनैतिक उद्देश्यो की पूर्ति के लिये कर सकते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में कुछ राजनैतिक उद्देश्यो की पूर्ति सदैव निहित होती है। राष्ट्र की सुरक्षा का प्रबन्ध नियोजित अर्थ-व्यवस्था में अत्यधिक सुलभ होता है, इसलिये युद्धकाल में आर्थिक नियन्त्रणों एक शक्तियों के केन्द्रीकरण का उपयोग होता है जो आर्थिक नियोजन के मुख्य अंग है। हिटलर ने जर्मनी में नियोजित अर्थ व्यवस्था का संचालन इस प्रकार किया कि विभिन्न राष्ट्रों पर साम्राज्य स्थापित कर सके। सवटकाल में नियोजन के अत्यधिक महत्त्व प्राप्त हुआ और आर्थिक नियोजन का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, यह सवटकाल की ही देन है। प्रारम्भ में आर्थिक नियन्त्रण सवटकाल की एक तात्रिकता थी परन्तु अब इस तात्रिकता का उपयोग आर्थिक नियोजन के नाम में दान्तिकाल में आर्थिक विकास के लिये किया जाने लगा है।

इस प्रकार राष्ट्रवादिया, राजनीतिज्ञो तथा वैज्ञानिको न आर्थिक नियोजन की कला को ऐसी तात्रिकता के रूप में महत्त्व प्रदान किया जिसके द्वारा राष्ट्र के उपलब्ध एक सम्भावित साधनो में अधिकतर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। समाजवादियो के दूसरी ओर इस तात्रिकता को सामाजिक एक आर्थिक समानता स्थापित करने का मुख्य दन्ध बताया।

सन् १९३० से १९४० के आर्थिक नियोजन का महत्त्व राष्ट्रीय विचारधारा के कारण बड़ा जगमग सन् १९५० से १९६० तक वैज्ञानिक एवं तात्रिक विचारधाराओ का जोर रहा। इस विचारधारा ने प्रजातात्रिक देशो की विशेषरूप से प्रभावित किया जिसने कारण प्रजातात्रिक देशो में आर्थिक नियोजन को स्थान प्राप्त हुआ है।

(४) प्रथम एक द्वितीय महायुद्ध—प्रथम एक द्वितीय महायुद्धो के विध्वंस के कारण अधिकतर राष्ट्रों को अपनी अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई। युद्ध में वह देश ही विजयी हो सकता है जो अपनी अर्थ व्यवस्था नियोजित ढंग से संचालित करता और राज्य की इच्छानुसार राष्ट्र के समस्त साधनो को युद्ध में विजय प्राप्त सम्बन्धी कार्यक्रमो में लगाया जा सके। युद्धकाल में वस्तुओ और सेवाओ की पूर्ति शीघ्रताशीघ्र करने की आवश्यकता होती है।

इन आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रतिस्पर्धी अर्थ-व्यवस्था में आवश्यक समायोजन दीर्घकाल में ही सम्भव होते हैं जबकि नियोजित अर्थ-व्यवस्था को राज्य जिस ओर

चाहे शीघ्र ही प्रवाहित कर सकता है। इस प्रकार युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उचित समय के अन्दर की जा सकती है। युद्धकाल में निजी व्यवसायों को जोखिम की मात्रा अत्यधिक होती है और वह नवीन उद्योगों एवं व्यवसायों की स्थापना करने तथा पुराने व्यवसायों का विस्तार करने की जो जोखिम होती है, उसे सुलभता से घपने ऊपर लेने की तैयार नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना अनिवार्य हो जाता है जिसे नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सुलभतापूर्वक किया जा सकता है।

(५) आर्थिक कठिनाइयाँ (Economic Crisis)—आर्थिक उच्चावचान में पूंजीवाद की विशेषता द्वारा उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करने हेतु राजकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। जर्मनी में सन् १९२९ की मन्दी के पश्चात् जर्मन अर्थ-व्यवस्था को बड़ी क्षति पहुँची। इसका निवारण करने के लिये जर्मन सरकार ने मुद्रा सङ्कुचन (Deflationary Policy) का अनुसरण किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में रूजवेल्ट सरकार को सन् १९३३ की मन्दी का सामना करते समय यह ज्ञात हो गया कि यह मन्दी अनियोजित अर्थ-व्यवस्था का परिणाम है और इसीलिये राज्य ने अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता लाने के हेतु बहुत सी कामवाहियों का अनुसरण किया। मुद्रा स्फोति, मुद्रा प्रसार, मन्दी, मूल्यों की वृद्धि आदि की कठिनाइयों को दूर करने एवं उनकी उपस्थिति को रोकने के लिये आर्थिक नियोजन एक शक्तिशाली अस्त्र का रूप ग्रहण कर सकता है।

(६) एकाधिकार (Monopoly)—सन् १९२९ की विश्व-व्यापी मन्दी के पश्चात् सप्तर भर में सामूहिककरण का दौरा दौरा हुआ। व्यवसायों ने यह विचार किया कि मन्दी का सबसे बड़ा कारण उनकी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है और इस प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिये प्रत्यास (Trusts), पायण्ड (Cartels), एकीकरण (Amalgamation) आदि का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता लाने के हेतु एकाधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति सामान्य हो गयी। परन्तु इस निजी एकाधिकार की प्रवृत्ति का आधार केवल व्यवसायों का हित और ग्राहक-उपभोक्ता तथा सामान्य जनता के हितों को कोई स्थान नहीं था। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न देशों की सरकारों ने इस एकाधिकार की प्रवृत्ति का पूर्ण लाभ उठाने के हेतु इसे सामान्य जनहित का एक औजार बना लिया और विभिन्न देशों में अर्थ-व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में सरकारी एकाधिकार स्थापित किये जाने लगे जिनका अन्तिम लक्ष्य केवल लाभो-पार्जन न होकर सामान्य जनता का हित था। सरकारी एकाधिकार आर्थिक

नियोजन का मुख्य अंग होने के कारण आर्थिक नियोजन के विस्तार में सहायक सिद्ध हुआ। जर्मनी में सरकारी हस्तक्षेप में नियन्त्रण की आधारशिला निजी पापंदो (Private Cartels) ने डाली थी।

(७) तांत्रिक प्रगति—(Technological Advancement)—तांत्रिक प्रगति के फलस्वरूप अधिक उत्पादन, श्रमिकों की वास्तविक आय में वृद्धि तथा पूंजी-निर्माण की गति में वृद्धि होती है। रोजगार, वचान वृद्धि एवं विनियोजन में भी वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। इस प्रकार प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था के लाभों को सभी वर्गों तक पहुँचाने के लिये अर्थ-व्यवस्था पर सामाजिक नियन्त्रण आवश्यक होता है। प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था का दिन प्रतिदिन समायोजन करना अत्यन्त आवश्यक होता है जिसे एक केन्द्रीय अधिकारी ही कर सकता है। उन्नतिशील अर्थ-व्यवस्था पर सरकारी नियन्त्रण न होने के फल-स्वरूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन, निजी सामूहिककरणों का प्रादुर्भाव आदि का भय रहता है। अर्ध-विकसित राष्ट्रों में नवीन व्यवसायों की स्थापना के हेतु पूंजी उपलब्ध करना भी कठिन होता है क्योंकि इन देशों में पूंजी शर्मीली होती है। इस परिस्थिति में बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित की जा सकती हैं।

(८) राजकीय वित्त (Public Finance)—प्रथम महायुद्ध काल में सरकारों के सुरक्षा व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई और नवीन करों को लगाया गया तथा पुराने करों की दर में वृद्धि हुई।

युद्धकाल में सरकारी व्यय, कर एवं सरकारी ऋण (Public Debt) में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जा युद्ध के पश्चात् भी जारी रखी गई। सरकारों के उत्तरदायित्व बढ गये और जो पहिले निजी आवश्यकताएँ ममभी जाती थी, उन्हें सामाजिक आवश्यकताएँ समझा जाने लगा जिनके प्रति सरकार का उत्तरदायित्व बढ गया। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए यह आवश्यक हो गया कि सरकारी आय में भी निरन्तर वृद्धि की जाय। इस विधि को द्वितीय महायुद्ध में और अधिक प्रोत्साहन मिला जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न अंगों पर राज्य नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप करने लगा। सरकारी आय एवं व्यय में वृद्धि के अनुसार सरकारी कार्यवाहियों में वृद्धि स्वाभाविक थी, यी.। सरकारी कार्यवाहियों में वृद्धि होने का तात्पर्य हुआ—सरकारी क्षेत्र का विस्तार तथा निजी क्षेत्र का संकुचन—इस प्रकार सरकार का अर्थ-व्यवस्था पर नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप बढता रहा जिसका फल आर्थिक नियोजन का संचालन हुआ। राजकीय ऋण के विस्तार से देश की मुद्रा, साख एवं पूंजी के

क्षेत्र में सगठनात्मक (Structural) परिवर्तन हो जाते हैं। जब मुद्रा एवं साख का प्रसार होता है तो मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ जाता है जिसे रोकने के लिये सरकारी हस्तक्षेप एवं नियन्त्रण आवश्यक होता है। मुद्रा-प्रसार होने पर सरकार के मूल्यों, मजदूरी, उत्पादन, उपभोग, बैंक की कार्यवाहियों तथा प्रतिभूति के बाजारों पर नियन्त्रण करना अत्यन्त आवश्यक होता है। मन्दी काल में सरकारी आय-व्यय भी कम हो जाते हैं जिससे मूल्यों में और कमी आ जाती है और बेरोजगार की गम्भीरता बढ़ती जाती है। ऐसी परिस्थिति में सरकारी व्यय में वृद्धि करना आवश्यक होता है क्योंकि सरकारी व्यय में वृद्धि होने पर ही मूल्यों में स्थिरता एवं रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। जब सरकारी काम में वृद्धि करने का उत्तरदायित्व सरकार ले लेती है तो दीर्घकालीन वज्र बनाने तथा दीर्घकालीन नियोजन की आवश्यकता होती है।

(९) जनसंख्या की वृद्धि—अर्ध-विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि तथा जीवनस्तर में कमी—यह दो लक्षण सामान्य रूप से पाये जाते हैं। जनसंख्या की अधिक वृद्धि को रोकने के हेतु परिवार-नियोजन का उपयोग किया जा सकता है परन्तु परिवार नियोजन आर्थिक पुनर्निर्माण की अनुपस्थिति में निरर्थक समझा जाता है। सभी अर्ध-विकसित राष्ट्रों में अब यह मान्यता है कि over-population की समस्या का निवारण शीघ्र आर्थिक विकास द्वारा ही सम्भव है। आर्थिक विकास एक राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत ही सुगमतापूर्वक हो सकता है।

(१०) पूँजी की कमी—अर्ध-विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास हेतु पर्याप्त पूँजी उपलब्ध नहीं होती है। अनियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं उपभोग स्वतंत्र होते हैं और उपभोक्ता अपने उपभोग की वस्तुएँ खरीदने के पश्चात् ही बचत की बात का विचार कर सकता है, प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त न्यून होने के कारण अर्ध-विकसित राष्ट्रों में पर्याप्त उपभोग सामग्री क्य करना ही सम्भव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में आन्तरिक बचत की मात्रा अत्यन्त कम होती है। इसे बढ़ाने के लिये अनिवार्य बचत की आवश्यकता होती है जो नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सम्भव हो सकती है।

(११) पूँजीवाद के दोष—पूँजीवाद मूल्य एवं लाभ भी एक पद्धति है जिसमें व्यक्ति को उत्पादन के सम्बन्ध में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यह एक ऐसा सगठन होता है जिसमें प्रतिस्पर्धा एवं स्वतंत्रता की प्रधानता होती है। पूँजीवाद में निजी लाभ के हेतु उत्पादन किया जाता है और उत्पादन के साधन निजी

अधिकार में रहते हैं। उत्पादन-कार्य मजदूरी पर रखे गये श्रम द्वारा किया जाता है और उत्पादित वस्तु पर पूंजीपति का अधिकार होता है। इस व्यवस्था में आर्थिक निश्चय किसी केन्द्रिय अधिकारी द्वारा नहीं किये जाते अपितु व्यापारी व्यक्तिगत रूप से आर्थिक निश्चय करता है। जीवनस्तर एवं भौतिक सम्पन्नता का अनुमान व्यक्तिगत दृष्टिकोण से लगाया जाता है। समस्त आर्थिक क्रियाओं का आधार व्यक्तिगत लाभ अथवा हित होता है। पूंजीवाद में उत्पादन के समस्त घटकों की तुलना में पूंजी को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है।

श्रम को एक वस्तु के सामान ही समझा जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इससे बाजार में क्रय विक्रय किया जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन समस्त जनसमुदायों के हाथों से निकल कर एक छोटे से वर्ग के अधिकार में चले जाते हैं। तेजी एवं मन्दी की निरन्तर उपस्थिति पूंजीवादी व्यवस्था की मुख्य देन है जिसमें बेरोजगारी एवं अर्द्ध-विकसित बेरोजगारी सदैव गम्भीर समस्या बनी रहती है। सशर के आर्थिक इतिहास में पूंजीवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। आदम स्मिथ ने यह सिद्ध किया कि अधिक कार्यक्षमता पूर्ण प्रतिस्पर्धा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने राजकीय हस्तक्षेप को सर्वथा व्यर्थ बताया। पूंजीवादी व्यवस्था में बाजारी की भी प्रगति हुई, मांग में वृद्धि हुई, औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में क्रान्ति हुई और यातायात एवं संचार का विकास हुआ। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति भी पूंजीवाद की ही देन थी। वेब्स ने पूंजीवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है—“पूंजीवाद अथवा पूंजीवादी व्यवस्था अथवा पूंजीवादी सम्पत्ता का अर्थ उद्योग के विकास एवं वैधानिक संगठन की उस अवस्था से है जिसमें कि श्रमिकों का समुदाय उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता है तथा ऐसे पारित्रमिक अर्जित करने वालों में परिणत कर दिया जाता है कि इनका जीवन निर्वाह तथा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य राष्ट्र के उन कतिपय व्यक्तियों की शब्दा पर निर्भर होता है जो भूमि, यंत्र एवं श्रम-शक्ति के स्वामी हैं तथा जो अपने वैधानिक स्वामित्व के द्वारा उनके प्रबन्ध का नियंत्रण करते हैं तथा वे ये सब कार्य अपने निजी एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं।”^१

1. "By the term 'Capitalism' or the 'Capitalistic System' or as we prefer the 'Capitalist Civilization', we mean the particular stage in the development of industry and legal institutions in which bulk of the workers find themselves divorced from the ownership of the instruments of production in

उपर्युक्त परिभाषा का विश्लेषणात्मक अध्ययन पूँजीवाद के सात मुख्य लक्षणों की ओर इंगित करता है, जो निम्न प्रकार हैं —

(१) पूँजीवाद में उत्पादन के साधन (मनुष्य को छोड़कर) तथा सम्पत्ति निजी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने प्रयत्नों द्वारा उन्हें प्राप्त करने, उपयोग करने तथा अपने उत्तराधिकारियों को मृत्युपरान्त देने की स्वतन्त्रता एवं अधिकार होता है।

(२) प्रत्येक उपभोक्ता अपने उपभोगार्थं किसी भी वस्तु को चुनने, अपनी आय को स्वेच्छानुसार व्यय करने तथा विनियोजित करने को पूर्ण स्वतन्त्र होता है।

(३) पूँजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है अर्थात् वह साहस, प्रसविदा तथा निजी सम्पत्ति के मनोवाञ्छित उपयोग में पूर्ण स्वतन्त्र होता है।

(४) पूँजीवादी व्यवस्था आर्थिक समानता को कोई महत्त्व नहीं देती। परिणामस्वरूप समाज तीन विभिन्न वर्गों—सम्पन्न, मध्यमवर्गीय तथा निर्धन में विभक्त हो जाता है। इन वर्गों में सदा पारस्परिक सन्ध होना स्वाभाविक है।

(५) पूँजीवादी व्यवस्था में स्वतन्त्र साहस एवं पूरा प्रतियोगिता को महत्त्व दिया जाता है। उत्पादन उपभोक्ताओं को इच्छानुसार व्यक्तिगत लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता है तथा सरकार आर्थिक क्रियाओं में न्यूनान्यून हस्तक्षेप करती है। उत्पादकों की उत्पादकों से, विक्रेताओं की विक्रेताओं से, उपभोक्ताओं की उपभोक्ताओं से तथा श्रमजीवियों की श्रमजीवियों से सदैव पारस्परिक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। इस प्रकार प्रतियोगिता सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का आधार स्तम्भ होती है।

(६) पूँजीवादी व्यवस्था का मुख्य लक्षण व्यक्तिगत लाभ की भावना है। साहसी अपने निजी लाभ का सर्वोच्च महत्त्व देता है तथा किसी व्यवसाय की स्थापना एवं विस्तार करने से पूर्व यह विचार करता है कि उसे कम से कम

such a way as to pass into the position of wage earners whose subsistence, security and personal freedom seem dependent on the will of a relatively small proportion of the nation, namely those who own and through their legal ownership control the organisation of the land, the machinery and the labour force of the community and do so with the object of making themselves individual and private gains"—Webbs

त्याग करने से किस व्यवसाय में अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित का उसके व्यक्तिगत हित के समक्ष कोई मूल्य नहीं होता है।

(७) पूँजीवादी व्यवस्था में, उत्पादन के साधनों में, सर्वोपरि स्थान पूँजी को प्राप्त है। जो व्यक्ति व्यवसाय में धन एवं पूँजी लगाता है, वही उसका नियन्त्रक भी होता है अर्थात् धर्म, भूमि, साहस आदि सभी अन्य घटक पूँजी के आधीन हो जाते हैं।

पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में बहुत सी आर्थिक एवं सामाजिक दुर्गुणों का सामंजस्य होता है। इसका कारण है, उत्पादन तथा वितरण पर प्रभावशील, शासकीय नियन्त्रण की शिथिलता। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के दुर्गुणों में नियोजन के महत्व में वृद्धि की है। पूँजीवाद के मुख्य दोष निम्न प्रकार हैं —

(१) आर्थिक अस्थिरता (Economic Instability)—उच्चावचान, तेजी, मन्दी, आदि पूँजी की मुख्य देन है। अनियोजित पूँजीवाद में उच्चावचान की उपस्थिति के तीन मुख्य कारण हैं —

(अ) कच्चे माल की पूर्ति पर प्रभाव डालने वाले अनिश्चित कारण (Unforeseen Causes)

(ब) माँग और पूर्ति में अपूर्ण समायोजन और

(स) मूल्यों में आर्थिक कारणों से परिवर्तन।

जब उत्पादन सम्बन्धी निश्चयों को व्यापारी व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो इन निश्चयों में त्रुटि रहना स्वाभाविक ही होता है।

व्यापारी व्यक्तिगत रूप से केवल एक अत्यन्त सकुचित क्षेत्र को विचाराधीन करके निरर्थक कर सकता है। उसे अपने अन्य साथी व्यापारियों के निर्णयों का भी पता नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन सम्बन्धी अनुमान सदैव माँग की तुलना में कम अथवा अधिक रहते हैं। माँग एवं पूर्ति सदैव पारस्परिक समायोजन करने का प्रयत्न तो करते हैं परन्तु यह समायोजन कभी ही नहीं पाता है। इसी कारण पूँजीवाद में अधिक उत्पादन तथा कम उत्पादन की समस्या सदैव उपस्थित रहती है। माँग एवं पूर्ति में समायोजन होने के कारण ही मन्दी एवं तेजी आती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था का प्रभाव मूल्यों पर पड़ता रहता है जिससे मूल्यों में सामान्यतः स्थिरता नहीं आ पाती है। मूल्यों में स्थिरता न होने पर समस्त आर्थिक क्रियाएँ अस्थिर हो जाती हैं।

(२) आर्थिक विषमता—अनियोजित पूँजीवाद में धन, आय, एवं अवसर का असमान वितरण होता है। राष्ट्रीय धन एवं आय का बड़ा भाग

जनसमुदाय के एक छोटे से वर्ग के हाथ में होता है और जनसमुदाय का बहुत बड़ा भाग निर्धन रहता है। धन अथवा पूँजी को अर्थ-व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। पूँजीपति वर्ग उत्पादन के घटको, आय के साधनों, एव रोजगार के अवसरों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है जिससे फलस्वरूप धनवान के धन में निरन्तर वृद्धि होती है और निर्धरता सदैव बढ़ती रहती है। व्यापारी वर्ग एकाधिकार प्राप्त करने के हेतु पारस्परिक समझौते कर लेते हैं और उत्पादन को सीमित इसलिये रखते हैं कि मूल्यों में वृद्धि करके अधिक लाभोपार्जन किया जा सके। इस प्रकार उत्पादन के घटको का अधिक्य होने लगे भी अधिक उत्पादन नहीं किया जाता है और अधिकता के वातावरण में लोग भूखे रहते हैं। पूँजीपति सदैव ऐसे व्यवसायों का विस्तार एव विकास करता है जिनमें अधिक लाभ उपार्जन करके व्यक्तिगत हित हो सके। सामाजिक हित को व्यापारी वर्ग व्यक्तिगत हित के पश्चात् स्थान देता है। आय की विषमता का मुख्य कारण उत्तराधिकार का विधान तथा दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली होने हैं। उत्तराधिकार के विधान के अनुसार निजी सम्पत्ति पिता से पुत्र को, पुत्र के बिना किसी परिश्रम से ही प्राप्त होती है और पुत्र के हाथों में उत्पादन के घटको का सञ्चय हो जाता है जिससे वह और अधिक धनोपार्जन कर सकता है। दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में भी केवल धनी वर्ग ही अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सकता है क्योंकि उच्च शिक्षा की लागत इतनी अधिक रहती है जो कि धनी वर्ग ही सहन कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में भी धनोपार्जन की योग्यता भी केवल धनी वर्ग को ही प्राप्त होती है और रोजगार के अवसर इसी धनी वर्ग को प्राप्त होने हैं। इस प्रकार धन एव अवसर की विषमता के कारण आय की विषमता सदैव बनी रहती है।

(३) अकुशलता (Inefficiency)—पूँजीवाद में व्यवसायी सदैव अपने लाभ के लिये उत्पादन करता है। वह बिलासता की वस्तुओं के उत्पादन को अधिक महत्त्व देता है क्योंकि इनमें अधिक लाभोपार्जन किया जा सकता है। समाज-कल्याण के हेतु उत्पादन निजी व्यवसायियों द्वारा नहीं किया जाता है। उत्पादन का प्रकार सदैव मूल्यों पर आधारित रहता है। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसका उत्पादन बढ़ाया जाता है और मूल्य कम होने पर उत्पादन कम करने का प्रयत्न किया जाता है। बारबरा वूटन (Barbara Wooten) के मतानुसार पूँजीवादी व्यवस्था को एक विवेकपूर्ण व्यवस्था कहना उचित नहीं है क्योंकि इस व्यवस्था में बहुतायत के वातावरण में भी लाखों लोग भूखे रहते हैं, लाखों को बेरोजगार तथा निर्धनता का भय

प्रकार जिन देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की वे आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक आदि सभी दृष्टियों से पिछड़े हुए थे। इन राष्ट्रों के निवासियों का जीवनस्तर दयनीय था। स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारों का यह कर्तव्य हो गया कि वे इस पिछड़ी, अविकसित एवं कठिन परिस्थितियों से राष्ट्र को मुक्ति दिलावें। इन राष्ट्रों में साधनों तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की न्यूनता थी। भावी साधनों (Potential Resources) की खोज एवं उपभोग करना अत्यन्त आवश्यक था। यह कार्य-सम्पादन नियोजन द्वारा ही न्यूनानि्यून अवधि में सम्भव था। अब एशिया के सभी राष्ट्रों में विकास की और सखर गति से एक दौड़ हो रही है। भारत और चीन इस दौड़ में सबसे आगे हैं। ये सभी राष्ट्र नियोजन द्वारा सीमित साधनों से अधिकतम लाभ उठाने में प्रयत्नशील हैं।

आज के युग का लोकतन्त्र केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता तक ही सीमित नहीं। "आधुनिक युग के लोकतन्त्र में समान व्यवहार के नियमों का अनुसरण करना तथा एक राष्ट्र के अधिकतम लोगों को जीवन के समस्त क्षेत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करना, कुछ सीमित शक्तियों के साथ जो जनसमुदाय के हित में हैं, सम्मिलित होता है। इसलिए लोकतन्त्र को अर्थ-व्यवस्था के ढाँचे में हेर-फेर करने के लिए निरन्तर कार्यरत रहना पड़ना है, जिससे न केवल समान अवसर ही प्रदान किया जा सके प्रत्युत अधिकतम जनसंख्या के अधिकतम हित के दृष्टिकोण से भी वह न्यायोचित प्रतीत हो।"¹

यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि नियोजन का महत्व लोकतन्त्र तक ही सीमित है। आज के युग में सभी राजनीतिक विचारधाराओं में आर्थिक तथा सामाजिक समानता को मान्यता प्राप्त है। साम्यवादी तथा समाजवादी तो विशेषतः इन दो मूल उद्देश्यों की प्रमुखता देते हैं। तानाशाही में भी इन उद्देश्यों को स्थान प्राप्त है किन्तु इसके साथ अनन्य शासक (Dictator) के सम्मान तथा शक्ति की ओर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है। आर्थिक

1. "Democracy in the modern age has come to be associated with a pursuit of equality of opportunity and full fledged freedom of action to the majority of the people of a country in all walks of life, with due limitations imposed upon them in their own interest. Democracy constantly works to bring about the requisite changes in the structure of economy so as not only to afford equality of opportunity but also to justify from the point of view of the greatest good of the largest number of population."

(V. Vithal Babu, *Towards Planning*, p. 16.)

तथा सामाजिक समानता नियोजन के माध्यम से ही कम से कम समय में प्राप्त की जा सकती है। पाकिस्तान भी नियोजन द्वारा आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है, जहाँ एक रूप में तानाशाही शासन-व्यवस्था है।

आर्थिक नियोजन एवं सरकारी हस्तक्षेप—सरकारी हस्तक्षेप का तात्पर्य अर्थ-व्यवस्था के किसी एक अथवा एक से अधिक क्षेत्रों में जानबूझ कर हस्तक्षेप करने से है। स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को सरकारी नियमन के अधीन आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, संरक्षक कर (Protection Duties), मूल्य नियन्त्रण एवं राजस्व, कोटा निर्धारित करना, किसी विशेष वस्तु के व्यापार के लिए आज्ञापत्र जारी करना आदि। इस प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप के दो मुख्य लक्षण होने हैं। प्रथम अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में स्वतन्त्रता बनी रहती है और विपणि-व्यवस्था सरकारी हस्तक्षेप से उत्पन्न हुये सुधारों से प्रभावित होती है। द्वितीय लक्षण यह है कि देश की विभिन्न स्वतन्त्र आर्थिक इकाइयों की कार्यवाहियों में समन्वय उत्पन्न नहीं होता है। इस व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप द्वारा राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर सरकारी नियन्त्रण नहीं होता है। दूसरी ओर आर्थिक नियोजन में राज्य जानबूझ कर समन्वित प्रयास करता है कि समस्त अर्थ-व्यवस्था का संचालन निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सके। राजकीय हस्तक्षेप नियोजन का अभिन्न अंग है। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर समन्वित राजकीय हस्तक्षेप किया जाता है। इसीलिये यह कहना उचित है कि हर प्रकार के नियोजन में सरकारी हस्तक्षेप निहित होता है परन्तु अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक सरकारी हस्तक्षेप को आर्थिक नियोजन नहीं कहा जा सकता है। जब सरकारी हस्तक्षेप समन्वित रूप से किया जाय तथा इसके द्वारा अर्थ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्र प्रभावित होते हों तो उसे आर्थिक नियोजन कह सकते हैं। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था के संचालन की तीन विधियाँ हो जाती हैं। प्रथम स्वतन्त्र व्यापार (Laissez Faire), द्वितीय स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था में यदाकदा सरकारी हस्तक्षेप और द्वितीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था। जब सरकारी हस्तक्षेप का इतना विस्तार किया जाय कि वह समस्त अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने लगे और इसके द्वारा पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति निश्चित काल में हो सके तो इस सरकारी हस्तक्षेप को आर्थिक नियोजन कह सकते हैं। प्रारम्भ में संसार के समस्त राष्ट्र स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था के अनुयायी थे। प्रथम एवं द्वितीय महा-युद्ध में सरकारी हस्तक्षेप अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों पर आच्छादित हुआ और आधुनिक काल में यह सरकारी हस्तक्षेप आर्थिक नियोजन का स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है।

आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत स्वतंत्रता

आर्थिक नियोजन में राजकीय नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप सर्वत्र निहित होता है और इसलिए स्वतन्त्रता के पक्षपाती विद्वानों ने आर्थिक नियोजन को गुलामी अथवा दासता का मार्ग बताया है। ऐसे पक्षपाती विद्वानों में प्रो० हेयक को सर्वप्रथम स्थान दिया जा सकता है। स्वतन्त्रता शब्द का अर्थ प्रयत्न-प्रयत्न समुदाय एवं व्यक्ति प्रयत्न-प्रयत्न रूप से लेते हैं। केनेथ ई बोल्डिंग ने लिखा है—“स्वतंत्रता” शब्द एक झगड़े वाला शब्द है। इससे गहरी भावनाएँ एवं इच्छायें जागृत होती हैं और कुछ ऐसा, स्पष्ट आवाहन होता है जो मानव हृदय को अत्यधिक मूल्यवान् होता है। परन्तु इसकी मूल शक्ति कुछ अर्थों में इसकी अस्पष्टता पर निर्भर होती है। इसका अर्थ विभिन्न लोगों को भिन्न-भिन्न होता है। जब अमेरिकन लोग स्वतन्त्र विश्व की बात करते हैं, जब हिटलर ने Freiheit को अपना नारा बनाया, जब सेन्ट पॉल ने भगवान की सेवा को पूर्ण स्वतंत्रता बताया, जब रूजवेल्ट और चर्चिल ने चार स्वतंत्रताओं की घोषणा की और जब साम्यवादी यह दावा करते हैं कि उनका समाज ही केवल स्वतन्त्र समाज है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक-एक ही शब्द के बहुत से अर्थ हैं। यह अस्पष्टता एवं झगडा दोनों का ही कारण है।^१ इस अस्पष्टता के कारण आधुनिक काल में स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ साधारणतः समझ से बाहर हो गया है।

वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ चयन करने का अधिकार है। चयन करने के बहुत प्रकार हैं जिनके मुख्य रूपों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है —

- (१) सांस्कृतिक स्वतंत्रता (Cultural freedom)
- (२) नागरिक स्वतंत्रता (Civil freedom)
- (३) आर्थिक स्वतंत्रता (Economic freedom)
- (४) राजनीतिक स्वतंत्रता (Political freedom)

1. Freedom is a fighting word. It arouses deep emotions and desires and clearly evokes something that is very precious to the human heart. Its very power, however, depends in parts on its vagueness. It means very different things to different people. When Americans speak of free world, when Hitler used 'Freiheit', as one of his slogans, when St Paul wrote that in His service is perfect freedom, when Roosevelt and Churchill promulgated the 'four freedoms' and when Communist claim that theirs is only free society, it is obvious that the one word covers a multitude of meanings. This is source both of confusion and conflict".

(Kenneth E. Boulding, *Principles of Economic Policy*.)

सामान्यतः यह विचार किया जाता है कि नियोजित अथवा व्यवस्था में इन सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं को नियंत्रित कर दिया जाता है।


(१) सांस्कृतिक स्वतंत्रता—इसके अंतर्गत विचार व्यक्त करने तथा धर्म सम्बन्धी स्वतंत्रताएँ सम्मिलित होती हैं। सांस्कृतिक स्वतंत्रता का आर्थिक नियोजन से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में इन स्वतंत्रताओं की उपस्थिति की मात्रा राज्य के राजनीतिक गठन पर निर्भर रहती है। यह कहना भी उचित नहीं है कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण किये बिना आर्थिक नियोजन सफल नहीं हो सकता है। राज्य यदि यह चाहता है कि राष्ट्र में समान सभ्यता का अनुसरण हो जिससे आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमों को सुनिश्चितपूर्वक संचालित किया जा सके तो जनसमुदाय को एक विनाश सभ्यता का अनुसरण करने के लिये बाध्य किया जा सकता है। परन्तु यह जब ही सम्भव हो सकता है, जबकि देश में प्रजातान्त्रिक सरकार न हो। प्रजातान्त्रिक राज्य में धर्म एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर सख्ता रोक नहीं लगायी जा सकती है क्योंकि सरकार को सदैव जनसमुदाय की इच्छाओं को विचाराधीन करना होता है अथवा सरकारी सत्ता एक दल से दूसरे दल के हाथ में चली जाती है। तानाशाही राज्य में सांस्कृतिक स्वतंत्रता को बड़ी मात्रा तक सीमित कर दिया जाता है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता राजनीतिक गठन से प्रभावित होती है न कि आर्थिक नियोजन के अनुसरण से।

(२) नागरिक स्वतंत्रता—इसके अंतर्गत विभिन्न धर्म सम्बन्धी एवं वैधानिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है। इन अधिकारों का विनाश रूप से उन नागरिकों से सम्बन्ध होता है जो कि विधान द्वारा किसी अपराध के लिए अपराधी ठहराये गए हों अथवा ठहराये जानें। आर्थिक नियोजन के संचालन के लिए नागरिक स्वतंत्रता पर अनुचित लगानों की कार्य आवश्यकता नहीं पड़ती है और आर्थिक नियोजन एवं नागरिक स्वतंत्रता एक साथ रह सकते हैं। वास्तव में नागरिक स्वतंत्रता सत्ताधारी व्यक्तियों की विचारधाराओं पर निर्भर रहती है। एक डिक्टटर सदैव नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करता है जबकि प्रजातान्त्रिक ढाँचे में नागरिक स्वतंत्रता को विशेष महत्त्व दिया जाता है।

(३) आर्थिक स्वतंत्रता—आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ बड़ा विवादपूर्ण रहा है। पूँजीवादी आर्थिक स्वतंत्रता में उपभोक्ता को अपनी इच्छानुसार उपभोग की वस्तुएँ अथवा धन की स्वतंत्रता तथा उत्पादक को अपने निजी लाभ के आधार पर उत्पादन कार्य करने की स्वतंत्रता को सम्मिलित करते हैं। दूसरी ओर समाजवादी आर्थिक स्वतंत्रता से अर्थ आर्थिक सुरक्षा बताते

है। "स्वतन्त्रता का आधुनिक विचारधारा बहुत कुल्लभिन्न है। इसका अर्थ असुरक्षा इच्छा, अस्वच्छता, रोग, अज्ञान, तथा शिथिलता से मुक्ति है। स्वतन्त्रता की पुरानी विचारधारा सर्वथा भिन्न थी। इसका अर्थ इच्छानुसार चाहे जितने घण्टे कार्य करने की स्वतन्त्रता, बच्चों को कारखाने तथा खेतों पर भेजने, भूखे रखने योग्य ही भजदूरी देने, एकाधिकार मूल्य लगाने, लाभदायक मूल्य प्राप्त न होने पर खराब वस्तुओं को बेचने, स्वप्न से परे धन एकत्रित करना तथा इस धन को दूसरों को निर्धन एवं दरिद्र बनाने के लिये उपयोग करने की स्वतन्त्रता समझा जाता था।"५

आर्थिक स्वतंत्रता को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है —



1. The modern conception of freedom is very much different— it is the conception of freedom from insecurity from want, disease squalor, ignorance and idleness. The old conception of freedom was quite different. It referred to freedom to work as many hours as one choses, to send children to factories and farms, to pay starvation wages, to charge monopoly prices, to sell wretched goods when remunerative prices are not to be had, to amass undreamt wealth and to parade it shamelessly to despoil and beggar those one can”

(G D. Karwal, *Economic Freedom and Economic Planning*, p. 152.)

उपभोक्ता बाजार में बिक्री के लिए उपस्थित वस्तुओं में से अपने लिये वस्तुओं का चयन करता है। जिन वस्तुओं की माँग अधिक होती है, उनका उत्पादन उत्पादक अधिक मात्रा में करता है। वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने पर मूल्य कम हो जाता है और उत्पादन कम होने पर मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार वस्तुओं की माँग बढ़ने पर मूल्य बढ़ता है और उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किये जाते हैं। माँग कम होने पर उस वस्तु का मूल्य कम हो जाता है और उत्पादक का लाभ भी कम होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादक को उस वस्तु के उत्पादन में रुचि कम हो जाती है और उत्पादन गिरने लगता है। प्रतिस्पर्धीय अर्थ-व्यवस्था को इस अवस्था को उपभोक्ता का प्रभुत्व कहते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन उपभोक्ता के चयन एवं माँग पर निर्भर नहीं होता है। नियोजन अधिकारी प्राथमिकतानुसार यह निश्चय करता है कि किन-किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाय ? उपभोक्ता का प्रभुत्व तभी प्रभावशाली हो सकता है जबकि उसके पास पर्याप्त क्रय शक्ति हो। किसी वस्तु की माँग करने के लिए पर्याप्त क्रय-शक्ति होना भी आवश्यक होता है। जब क्रय-शक्ति का सचय कुछ चुने हुए लोगों के हाथ में हो, तो अर्थ-व्यवस्था के एक बड़े भाग पर इस चुने हुए वर्ग का ही प्रभुत्व हो जायगा। जनसाधारण जिसके पास धन का अभाव है, न तो प्रभावशाली माँग प्रस्तुत कर सकेगी और न उसकी आवश्यकतानुसार उत्पादन ही किया जायगा। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता का प्रभुत्व जब ही प्रभावशाली माना जा सकता है, जब समस्त समाज के पास क्रय-शक्ति का पर्याप्त सचय हो। जनसाधारण को क्रय-शक्ति उपलब्ध कराने हेतु ही आर्थिक नियोजन द्वारा धन, अवसर, आय आदि के समान वितरण का आयोजन किया जाता है। जनसाधारण के हाथों में अधिक क्रय-शक्ति पहुँचाने में उसमें उत्पादन पर नियन्त्रण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। फिर भी इतना कहना सर्वथा सत्य होगा कि आर्थिक नियोजन द्वारा पूँजीवादी वर्ग के प्रभुत्व को ठेस पहुँचती है और वह उत्पादन की क्रियाओं को प्रभावित करने में असमर्थ हो जाता है।

वचन करने की स्वतन्त्रता—वचन करने का मुख्य उद्देश्य भविष्य में अधिक उपयोग करने का आयोजन करना होता है। उपभोक्ता वर्तमान उपयोग को कम करके वचन करता है और उसका विनियोजन कर देता है जिससे भविष्य में उसे व्याज की अथवा लाभांश को प्रतिरिक्त आय हो सके और वह अधिक उपभोग कर सके। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में वचन को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जाता है और विनियोजन की उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। विनियोजन करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति अपने विनियोजन की सुरक्षा चाहता है जो कि दृढ़ अर्थ-व्यवस्था में ही सम्भव होती है। प्रतिस्पर्धीय अर्थ-व्यवस्था में जहाँ कि उच्चावचन अत्यधिक होते हैं, विनियोजन को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता

है। नियोजन अर्थ-व्यवस्था में बचत एवं विनियोजन—दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है और अर्थ-व्यवस्था को मन्दी एवं तेजी के दबाव से बचाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में बचत करने की सुरक्षा भी उपलब्ध होती है।

उत्पादक की स्वतंत्रता—(अ) रोजगार के चयन की स्वतंत्रता—नियोजन के अन्तर्गत श्रमिकों को किन्हीं व्यवसायों में कार्य करने के लिये आदेश दिया जा सकता है अथवा उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। आदेश द्वारा जो व्यवसायों में रोजगार दिलाये जाते हैं, वे प्रभावशाली तो अवश्य होते हैं परन्तु रोजगार चयन करने की स्वतन्त्रता पर अकुश लग जाता है। प्रोत्साहन द्वारा किन्हीं विशेष व्यवसायों में रोजगार प्राप्त कराने से लोगों में उस रोजगार के प्रति रुचि रहती है और रोजगार चयन करने की स्वतन्त्रता बनी रहती है। रोजगार चयन करने की स्वतन्त्रता को सीमित करने हेतु प्रायः दो प्रकार के अकुश लगाये जाते हैं—आर्थिक एवं वैधानिक। आर्थिक अकुशों के अन्तर्गत राज्य ऐसे व्यवसायों को जिनमें रोजगार बढ़ाना चाहता है, आर्थिक एवं अन्य सहायता प्रदान करता है, कच्चे माल को उपलब्ध कराता है, बिजली आदि की सुविधाएँ प्रदान कराता है। इसके विपरीत वे व्यवसाय जिनमें रोजगार कम करने की आवश्यकता समझी जाय, उनको राज्य कोई विशेष सुविधाएँ प्रदान नहीं करता है। वैधानिक अकुशों में दो तत्त्व सम्मिलित होते हैं—प्रथम अपने व्यवसाय का चयन करने की स्वतन्त्रता पर वैधानिक अकुश और द्वितीय किसी कार्य अथवा नौकरी को छोड़ने अथवा स्वीकार न करने पर वैधानिक अकुश। जब किसी व्यवसाय में लोगों की आवश्यकता हो और प्रोत्साहन द्वारा उस व्यवसाय में लोग न आते हों तो वैधानिक अकुशों द्वारा लोगों को उस व्यवसाय के रोजगार को स्वीकार कराया जाता है। ऐसी कठोर कार्यवाही युद्ध-काल में ही आवश्यक होती है क्योंकि प्रत्येक कार्य शीघ्रतापूर्वक करने की आवश्यकता होती है और प्रोत्साहन विधियों में समय नष्ट नहीं किया जा सकता है।

आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत वास्तव में रोजगार चयन करने की स्वतन्त्रता में वृद्धि होती है परन्तु प्रत्यक्ष रूप से इस स्वतन्त्रता को सीमाबद्ध कर दिया जाता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत उन व्यवसायों के द्वारा नवीन श्रमिकों को लेना बन्द कर दिया जाता है जिनमें पहले से ही श्रम का आधिक्य होता है। इस प्रकार लोगों को उस विशेष व्यवसाय अथवा कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की स्वतन्त्रता पर अकुश लग जाता है। परन्तु यह अकुश आर्थिक कठिनाइयों से बचने के लिए किये जाते हैं। यदि ऐसे अकुश न लगाये जाय तो सम्पूर्ण रोजगार की स्थिति छिन्न-भिन्न हो जाती है। वास्तव में नियोजित अर्थ-व्यवस्था का लक्ष्य पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना होता है और

नवीन रोजगार के अवसर बड़ी मात्रा में उत्पन्न किये जाते हैं । इस प्रकार लोगों को रोजगार के एक बड़े समूह में चयन करने की स्वतन्त्रता मिलती है । अर्थ-व्यवस्था के केवल एक बहुत छोटे क्षेत्र के लिये ही अकुश लगाये जाते हैं और शेष रोजगार चयन करने के अवसरों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है ।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में रोजगार के कार्यालयों (Employment Exchanges) को विशेष स्थान दिया जाता है । समस्त रिक्त स्थानों की इन दफ्तरो को सूचना देना अनिवार्य होता है । ऐसी परिस्थिति में रिक्त स्थानों की सूचना अधिक से अधिक लोगों को मिल जाती है और वे रोजगार चयन करने के अधिकार का अधिक प्रभावशाली उपयोग कर सकते हैं । अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रायः भय बना रहता है कि एक रोजगार छोड़ने पर दूसरे रोजगार का मिलना कठिन होगा और दीर्घकाल तक बेरोजगार रहने का अवसर आ सकता है । ऐसी परिस्थिति में वर्मचारी अपने पुराने रोजगार को प्रतिकूल दशाओं में भी अपनाए रहते हैं और अच्छे रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की जोखिम नहीं लेते । नियोजित अर्थ-व्यवस्था में एक ओर पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने हेतु नवीन अवसर उत्पन्न किए जाते हैं तो दूसरी ओर बेरोजगारी के विह्वल बीमों का प्रवन्ध भी किया जाता है । ऐसी परिस्थिति में लोगों को अच्छे रोजगार के चयन के अधिक अवसर उपलब्ध होने हैं ।

(ब) सामूहिक सौदे की स्वतन्त्रता—नियोजित अर्थ-व्यवस्था में श्रम संघों का कार्य किसी विशेष व्यवसाय के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करना ही नहीं होता है । इनके कार्य हैं—श्रमिकों को अधिक मजदूरी प्राप्त करने के स्थान पर योजना के निर्माण में सहायता करना, श्रम की उत्पादकता बढ़ाना, श्रमिकों के पारिश्रमिक को नियमित करना और यह देखना कि श्रमिकों को मजदूरी उनके कार्य के अनुसार मिलती है । उत्पादित वस्तु के गुण (Quality) सुधारना तथा उत्पादन लागत कम करना, सामाजिक शोभा का संचालन करना झगड़ों के फंसले में महयोग देना आदि आदि । उनके समस्त कार्य राष्ट्रीय हित से सम्बन्धित होते हैं । जब श्रम संघों का यह सब कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो यह कहना उचित नहीं होगा कि उनकी स्वतन्त्रताओं को सीमित कर दिया जाता है । दूसरी ओर आधुनिक युग में नियोजित एवं अनियोजित सभी अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में सुलह (Conciliation) एवं अनिवार्य पंच फंसला (Compulsory Arbitration) द्वारा मजदूरी निर्धारित होती है । ऐसी परिस्थिति में सामूहिक सौदे की परम्परागत स्वतन्त्रता के कोई मानी नहीं रह जाते हैं ।

साहस की स्वतन्त्रता—यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं है कि नियो-

जित अर्थ-व्यवस्था में निजी क्षेत्र को सर्वथा समाप्त कर दिया जाता है। संसार के बहुत से देशों में आर्थिक नियोजन का संचालन होते हुए भी निजी क्षेत्र कार्य करता है। वास्तव में नियोजित अर्थ-व्यवस्था में निजी क्षेत्र को नियन्त्रित एवं नियमित कर दिया जाता है। निजी क्षेत्र को नियमित करने की प्रथा आधुनिक युग में अनियोजित युग में अर्थ-व्यवस्था में भी है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में भी हम देखने हैं कि सरकारी क्षेत्र द्वारा जनोपयोगी उद्योगों का संचालन किया जाता है। दूसरी ओर नियोजित अर्थ-व्यवस्था में भी निजी क्षेत्र को कार्य करने का अवसर दिया जाता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में निजी व्यवसाय सरकारी क्षेत्र के सहायक होने है और जब तक सरकारी एवं निजी क्षेत्र में प्रभावशाली समन्वय नहीं होता, योजना का सफल होना सम्भव नहीं होता। इस प्रकार नियोजित अर्थ-व्यवस्था एवं साहस की स्वतंत्रता साथ-साथ रह तो सकती है परन्तु निजी साहस को नियमबद्ध अवश्य कर दिया जाता है।

(४) राजनीतिक स्वतंत्रता (Political Freedom)—राजनीतिक स्वतंत्रता के अन्तर्गत सरकार की आलोचना करने का अधिकार, विरोधी दल बनाने का अधिकार, जनसाधारण का सरकार बदलने का अधिकार आदि सम्मिलित होते हैं। वास्तव में इन अधिकारों का नियोजन से किसी प्रकार प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता और न इनकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति नियोजन के संचालन को प्रभावित ही करती है। प्रोफेसर हेयक एव उनके साथियों की धारणा कि नियोजन द्वारा देश में तानाशाही का प्रादुर्भाव होता है, उचित प्रतीत नहीं होती। राजनीतिक तानाशाही आर्थिक नियोजन द्वारा नहीं उत्पन्न होती है और न नियोजन के संचालन हेतु तानाशाही आवश्यक ही होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता को सीमाबद्ध करना सत्ताधारी लोगों पर निर्भर रहता है। यदि सरकार में तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हों तो राजनीतिक स्वतंत्रता पर अकुश लगाया स्वाभाविक है। आर्थिक नियोजन का संचालन प्रजातांत्रिक ढाँचे में भी उतना ही सफल हो सकता है, जितना तानाशाही ढाँचे में। दूसरी ओर यह कहना भी उचित नहीं कि प्रजातान्त्रिक ढाँचे में दीर्घकालीन कार्यक्रम नहीं बनाये जा सकते हैं क्योंकि सरकार के बदलने पर पहली सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाता है। वास्तव में योजना में अधिकतर कार्यक्रम सामान्य हित के लिए होते हैं और विरोधी दल की सरकार बनने पर भी उन कार्यक्रमों को निरस्त करना उचित नहीं समझा जाता है। उनके संचालन की विधियाँ भले ही बदल जाँय परन्तु बड़े कार्यक्रम अवश्य चालू रखे जाते हैं। कभी-कभी सैद्धान्तिक मतभेद के कारण कुछ कार्य निरस्त भी किए जा सकते हैं परन्तु निरस्त होने के भय

से नियोजन का संचालन न किया जाय अथवा विरोधी दल को ही नष्ट कर दिया जाय, इन दोनों में से एक भी कार्य उचित न होगा। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक शक्तियों का केन्द्रीयकरण सरकार के हाथ में हो जाता है, जिनका उपयोग सामान्य हित के लिए किया जाता है। आर्थिक शक्तियों के साथ राजनीतिक शक्तियों का संचय करना सदैव अनिवार्य नहीं होता है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में धन का संचय एक छोटे वर्ग के हाथ में होता है जो देश की राजनीति को भी प्रभावित करता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में धन के केन्द्रीयकरण को रोका जाता है और धनी को राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर कम मिलता है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन का राजनीतिक स्वतंत्रता से प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता है।

नियोजित एवं अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना

आधुनिक युग में नियोजित अर्थ-व्यवस्था अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना में अधिक विवेकपूर्ण एवं उचित समझी जाती है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में निश्चित लक्ष्य कम समय में तथा उचित रीतियों द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी कारण नियोजित अर्थ-व्यवस्था को अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

नियोजित अर्थ व्यवस्था में कार्यक्रम विस्तृत दृष्टिकोण से निश्चित किये जाते हैं। नियोजन अधिकारी नियोजन के लक्ष्य तथा कार्यक्रम निश्चित करते समय किसी विशेष क्षेत्र, वर्ग अथवा समुदाय को और ही अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करता अपितु समस्त राष्ट्र की आवश्यकताओं लक्ष्यों के निर्धारण का केन्द्र-बिन्दु होती है। "अनियोजित तथा उद्योगों की प्रतियोगी व्यवस्था का मूल तत्व यह है कि उत्पात्ति तथा विनियोजन के विषय में निश्चय करने वाले व्यक्ति नेत्रहीन होते हैं। वे किसी एक वस्तु की उत्पात्ति के इतने थोड़े अंश पर प्रभुत्व रखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र की अल्प मात्रा को ही विचार में रख सकते हैं। उनको अपने निश्चय के परिणामों का ज्ञान न तो होता ही है और न हो ही सकता है। वे सामाजिक प्रतिघातों को भी ध्यान में नहीं रखते।"¹

1. "It is essence of an unplanned and competitive arrangement of industry that persons who take decisions about output and investment should be blind. They control such a small fraction of the output of a single commodity and therefore take into account such a small part of the industrial field that they are not and cannot be aware of the consequences of their own actions. They are not aware of economic results. They do not even consider social repercussions" (E. F. M. Durbin, *Problems of Economic Planning*, p. 30)

नियोजित व्यवस्था में वित्तीय साधनों तथा उत्पादन में समन्वय स्थापित करना सरल होता है। "पूँजीवादी समाज का महत्वपूर्ण लक्षण निरन्तर मदी एवं सम्पन्नता की अस्थिरता है तथा अर्थशास्त्रियों में वास्तविक सहमति है कि औद्योगिक व्यवहारों में अधिक हेर फेर माल नीति तथा उत्पादन के अनुचित प्रवर्ध के कारण होते हैं।" अनियोजित अर्थ व्यवस्था में जनता की वचत अर्थात् आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता है तथा विनियोजन जो कि नये उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है, में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है और न कोई सस्था ही वचन को तुरन्त विनियोजित करने की व्यवस्था पर ध्यान देती है। निजी अधिरोपण सस्याएं दूसरी ओर विनियोजन की राशि में वृद्धि कर देती हैं जबकि वास्तविक वचन की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती। इन कारणों के परिणामस्वरूप पूँजीवाद के सम्पूर्ण इतिहास में बेरोजगारी तथा मदी का विषम स्थान है। नियोजित व्यवस्था में वित्तीय धन का एक अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है जो देश की समस्त वचत तथा विनियोजन का उपयोग राष्ट्र के हित में कर सकता है। साथ ही वह निजी हितों के प्रभाव को इन क्षत्रों में पृथक् रख सकता है।

नियोजित तथा वेदित व्यवस्था में उत्पादन के विभिन्न घटकों को उत्पादन क्षेत्र में उचित स्थान दिया जा सकता है क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत हित का कोई महत्व नहीं रहता और इस प्रकार उत्पादन घटकों में समन्वय बना रहता है तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। श्रमिका को उद्योगों के प्रवर्ध में भाग लेने का अधिकार तथा उन्हें पारिश्रमिक के अतिरिक्त लाभान्श देकर श्रमिका में उत्पादन के प्रति रूचि का प्रादुर्भाव किया जा सकता है।

नियोजित व्यवस्था द्वारा राष्ट्र का आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। फर्डिनैंड ज्युग (Ferdynand Zweig) के अनुसार नियोजित अर्थ व्यवस्था के कार्यप्रणाली का संचालन निश्चित सामाजिक अथवा राजनीतिक उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, जिससे इन उद्देश्यों का पूर्ण में सुनिश्चितता होती है। दूसरी ओर अनियोजित अर्थ व्यवस्था में अपन प्रयत्न-पृथक् नियम गुण एवं

1 'The constant recurrence of depression and the instability of prosperity is one of the most marked features of capitalistic society and there is a virtual unanimity among economists that the wide movements of industrial activity are traceable to the mismanagement of relation between credit policy and production' (E. F. M. Durbın *Problems of Economic Planning*, p 52)

मान्यताएं होती हैं जिससे इसमें निश्चित उद्देश्य निर्धारित करके राष्ट्र के समस्त साधनों को इन उद्देश्यों की पूर्ति की ओर आकर्षित करना सम्भव नहीं होता है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था एक रूप में स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था होती है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता को विशेष महत्त्व प्राप्त होता है। इस व्यवस्था में उत्पादन एवं विनियोजन के लक्ष्य व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर पृथक् रूपेण निश्चित किये जाते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन एवं विनियोजित सम्बन्धी लक्ष्य नियोजन के उद्देश्यों जैसे पुद्ब, आर्थिक विकास आदि के आधार पर निर्धारित होने हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पृथक्-पृथक् निश्चयों के स्थान पर सामूहिक निश्चय को ही मान्यता प्राप्त होनी है जिससे लक्ष्यों की पूर्ति एवं तदनुसार आर्थिक विकास सुलभ होता है।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्राथमिकताओं (Priorities) का विशेष स्थान होता है। परिस्थिति के अनुसार तीव्रतम कठिनाइयों के निवारण का आयोजन सर्वप्रथम किया जाता है। ऐसी समस्याएं जो राष्ट्र के जीवन का प्रमुख अंग हो तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती हों, उनके उन्मूलनार्थ साधनों का अधिक भाग आवंटित किया जा सकता है। इस प्रकार आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिकताओं की एक सूची का निर्माण किया जा सकता है। उसे दृष्टिगत करके अर्थ-व्यवस्था का संचालन तथा संगठन किया जा सकता है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार प्राथमिकताओं की सूची बनाना सम्भव नहीं है और किसी राष्ट्र में इस प्रकार न तो अर्थ-व्यवस्था में ही सुधार किये जा सकते हैं और न उस अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक तथा सामाजिक बुराइयों को ही दूर किया जाना सम्भव है।

अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन उपभोक्ताओं की माँग के आधीन रहता है। उद्योगपति तथा उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी बाजार में अधिक माँग होती है। इस प्रकार उपभोक्ता की इच्छाओं को उप-सदा ही उत्पादन पर लगी रहती है। साधनों का वितरण भी उद्योगपति उप-भोक्ताओं की आवश्यकतानुसार करता है। उपभोक्ताओं की माँग असंगठित होती है जिसमें राष्ट्रीय हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित का प्रभुत्व होता है। उपभोक्ता अपनी माँग करते समय अपनी माँगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य प्रभावों से अनभिज्ञ होते हैं और इस प्रकार राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन अथवा विकास करना कठिन होता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता की स्वतन्त्रता को सीमित कर दिया जाता है तथा राष्ट्र के साधनों का वितरण राष्ट्रीय हितों के अनुसार किया जाना है। उत्पादन उपभोक्ता द्वारा

नहीं प्रस्तुत नियोजन के कार्यक्रम द्वारा संचालित होता है। इस प्रकार अधिकाधिक साधनों को पूंजीगत सम्पत्तियों के उत्पादन में लगाया जा सकता है और अर्थ-व्यवस्था को शीघ्र ही विवास के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है।

निष्कर्ष यह है कि अनियोजित अर्थ-व्यवस्था एक आकस्मिक अर्थ व्यवस्था होती है, जबकि नियोजित अर्थ व्यवस्था एक विचारपूर्ण (Deliberate) व्यवस्था है जिसमें अर्थ व्यवस्था के उद्देश्य विचारपूर्वक निश्चित करने इसका संचालन किया जाता है। इस प्रकार नियोजित अर्थ-व्यवस्था अधिक सफल और विवेकपूर्ण प्रतीत होती है। अनियोजित अर्थ व्यवस्था में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत पहल (Initiative) तथा निश्चयो की शीघ्रता तथा परिवर्तनशीलता को विशेष अक्षर प्रदान किया जाता है। दूसरी ओर नियोजन में व्यवस्थित समन्वय, वैज्ञानिक तथा तान्त्रिक ज्ञान के विवेकपूर्ण उपयोग तथा माँग और पूर्ति में समन्वय करना ताकि उचित जीवन स्तर का आयोजन हो सके आदि उद्देश्य सम्मिलित होते हैं।

अध्याय २

नियोजन की परिभाषा एवं उद्देश्य

[परिभाषा, नियोजन के तत्व; नियोजन के उद्देश्य—
आर्थिक उद्देश्य, आय की समानता, अवसर की समानता,
अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, अविकसित एवं
अर्धविकसित क्षेत्रों का विकास, सामाजिक उद्देश्य,
राजनीतिक उद्देश्य, अन्य उद्देश्य]

परिभाषा

नियोजन का शाब्दिक अर्थ पहले से व्यवस्था करना है। किन्हीं परिस्थितियों के उपस्थित होने के पूर्व उनको लिए व्यवस्था करना नियोजन का मूल अर्थ है। भविष्य में उपस्थित होने वाली ज्ञात एवं अज्ञात परन्तु अनुमानित कठिनाइयों के विरुद्ध उचित प्रवन्ध करना एक बुद्धिमत्तापूर्ण एवं विवेकपूर्ण कार्य है। जिस प्रकार एक व्यक्ति भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए अपने साधनों का विश्लेषण करके उनको विभिन्न व्ययों में विवेकपूर्ण रीति से वितरण करता है तथा कठिनाइयों की तीव्रतानुसार प्राथमिकता निश्चित कर साधनों का आवंटन करता है, ठीक इसी प्रकार एक राष्ट्र को भी अपने साधनों का विवेकपूर्ण आवंटन करना चाहिये जिससे भविष्य में ज्ञात व अज्ञात परन्तु सम्भावित घटनाओं के विरुद्ध आयोजन किया जा सके। एक राष्ट्र को अपने नागरिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिये उत्पादन में वृद्धि करना, साधनों का इस प्रकार आवंटन करना कि उनसे अधिक से अधिक समाज का हित हो सके, उत्पादन का उचित वितरण तथा वैज्ञानिक ज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग करना आदि सभी आवश्यक कार्य होने हैं। इस प्रकार नियोजन आवश्यकरूपेण एक विवेकपूर्ण व्यवस्था कही जा सकती है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम हित लक्षित होता है।

नियोजन के साथ जब हम 'आर्थिक' शब्द जोड़ देने हैं तो अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। प्रत्युत इस विवेकपूर्ण व्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को विराप स्थान दिया जाता है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन एक विवेकपूर्ण

व्यवस्था होती है जिसमें अर्थ-व्यवस्था पर नियोजन अधिकारी द्वारा उचित नियन्त्रण रखा जाता है तथा जिसके द्वारा समाज में आर्थिक सामाजिक समानता का प्रादुर्भाव होता है।

एल० लॉरिन के अनुसार, "आर्थिक नियोजन का अर्थ एक ऐसे आर्थिक संगठन से है जिसमें समस्त पृथक् पृथक् औद्योगिक संस्थाओं को एक समन्वित इकाई के रूप में संचालित किया जाता है और जिसके द्वारा निश्चित अवधि में जनता का जीवन स्तर उन्नत करने के लिये सभी उपलब्ध साधनों का नियन्त्रित उपयोग होता है।"^१ लॉरिन की इस परिभाषा के अनुसार नियोजन में कुछ निश्चित लक्ष्य उनकी पूर्ति हेतु दत्त के समस्त उपलब्ध साधनों को पूर्ण जानकारी एवं उनके अधिकतम प्रभावी उपयोग के लिए सुव्यवस्थित और नियन्त्रित कार्यक्रम होना चाहिए।

एच० डी० डिविन्सन के अनुसार नियोजन एक ऐसी व्यवस्था का स्वरूप है जो विशेषकर उत्पादन तथा वितरण से सम्बन्धित होती है। इसके अनुसार "क्या और कितना उत्पादन किया जाय, कहाँ, कैसे और कब उसका उत्पादन किया जाय तथा उसका बंटवारा किसको किया जाय—के विषय में निश्चित अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण व्यवस्था की व्यापक परीक्षा के पश्चात् सचेत तथा महत्वपूर्ण निर्णय करने को आर्थिक नियोजन कहते हैं।"^२ इस परिभाषा के विश्लेषणात्मक अध्ययन से प्रतीत होता है कि आर्थिक नियोजन उत्पादन तथा वितरण का संगठित रूप है जिसका संगठन नियोजन अधिकारी द्वारा किया जाता है। परन्तु नियोजन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निश्चित समय का होना भी आवश्यक है। इस परिभाषा में समय घटक को कोई स्थान नहीं दिया गया है।

प्रोफेसर एस० ई० हैरिस के अनुसार, "नियोजन का अर्थ प्राय तथा मूल्य

1. "A system of economic organisation in which all individual and separate plants, enterprises and industries are treated as co-ordinated single whole for the purpose of utilising all available resources to achieve the maximum satisfaction of the needs of people within a given interval of time."

—L. Lorwin

2. "Planning is the making of major economic decisions—what and how much is to be produced, how, when and where it is to be produced and to whom it is to be allocated by the conscious decisions of a determined authority on the basis of a comprehensive survey of the system as a whole."

(H D Dickinson, *Economic of Socialism*, p. 14)

के सदर्थ में निश्चित उद्देश्यों के आधार पर नियोजन अधिकारी द्वारा साधनों का आवंटन है।^१

साधारण शब्दों में प्रो० हैरिस के अनुसार नियोजन अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये लक्ष्यों के आधार पर साधनों के वितरण को नियोजन कहते हैं। इस परिभाषा के तीन मुख्य तत्व हैं —

- (१) लक्ष्यों का उचितरूपेण निश्चय,
- (२) नियोजन अधिकारी तथा
- (३) साधनों का वितरण।

लक्ष्यों का निश्चित करना नियोजन की सर्वप्रथम अवस्था है। ये लक्ष्य प्राप्त उन्नति को मापन तथा निश्चित करने में सहायक होने हैं। नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है और नियोजन की सफलता प्राप्त-उन्नति के पूर्व निश्चित लक्ष्यों से तुलना द्वारा ज्ञात की जाती है। ये लक्ष्य इस प्रकार नियोजन की सफलता परीक्षण हेतु वायु-भार-मापक यन्त्र (Barometer) का कार्य करते हैं।

नियोजन अधिकारी का तात्पर्य यहाँ दो बातों से है, प्रथम नियोजन का सगठन तथा द्वितीय नियोजन को जन-समर्थन। नियोजन अधिकारी नियोजन की समस्त व्यवस्था का सगठन करके उसे संचालित करता है। नियोजन अधिकारी को राष्ट्र के साधनों पर नियन्त्रण करने का अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है, साथ ही उन साधनों के उपयोग तथा वितरण पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। प्रजातांत्रिक नियोजन में यह अधिकार केवल सरकार द्वारा ही नहीं दिये जा सकते, जनता का सहयोग तथा समर्थन भी आवश्यक है। जनता के सहयोग से नियोजन अधिकारी का कार्य भार भी कम हो जाता है। तानाशाही नियोजन में जनता का सहयोग शक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है।

साधनों के वितरण में चार क्रियाएँ सम्मिलित हैं —

(१) राष्ट्र में वितरणार्थ क्या-क्या साधन उपलब्ध हैं? इस सम्बन्ध में राष्ट्र के वास्तविक तथा सम्भावी (Potential) साधनों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।

(२) नियोजन अधिकारी को उन साधनों की प्राप्ति एवं वितरण पर

1. "Planning generally substitutes allocation according to goals determined by authority for allocation of resources in response to price and income movement"

(S. E. Harris, *Economic Planning*, p. 26.)

शक्तियों तथा भौतिक साधनों का समाज के अधिकतम हित के लिए उपयोग करना सम्मिलित है। राष्ट्र के लिए नियोजन आय-व्यय पत्रक के निर्माणार्थ राष्ट्र के वर्तमान तथा सम्भाव्य आर्थिक साधनों, जनसंख्या के समान परिवर्तन तथा सम्यता की सामान्य स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। इस व्यापक ज्ञान की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्तियों तथा भौतिक साधनों का परीक्षण तथा उनके विभिन्न उपयोगों की सूची का निर्माण आवश्यक है, ताकि कथित साधनों में सर्वोत्तम सम्भव उपयोग द्वारा उत्पादन तथा लोक जीवन स्तर में वृद्धि की जा सके। प्रत्येक नियोजन की अवधि निश्चित होती है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है। राष्ट्र की सम्पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था को नवीन तथा विवेकपूर्ण विधियों से सगठित करना एवं निवासियों में नूतन जीवन-संचार करना नियोजन का प्रमुख कार्य है। ससार की परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन लाना नियोजन का उद्देश्य होना चाहिए।

डा० डाल्टन ने आर्थिक नियोजन को परिभाषित करते हुए कहा है—
 “आर्थिक नियोजन विस्तृत दृष्टिकोण से वह क्रिया है, जिसमें वृहद् साधनों पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति जानबूझ कर आर्थिक क्रियाओं को निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालित करते हैं”। इस परिभाषा में नियोजन के तीन लक्षणों की विवेचना की गयी है — (१) नियोजन का तात्पर्य योजना अधिकारी के आदेशों के अनुसार अथ व्यवस्था को संचालित करना है। (२) ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके नियन्त्रण में राष्ट्र के अधिकतर साधन रहते हैं। डा० डाल्टन का तात्पर्य यहाँ राज्य से है। (३) निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अर्थ-व्यवस्था का संचालन किया जाता है।

श्रीमती बारबरा वूटन के अनुसार आर्थिक नियोजन का मुख्य लक्षण जानबूझ कर आर्थिक प्राथमिकताओं का चयन करना है। उन्होंने कहा है—
 “क्या मैं इस रुपये को रोटी पर व्यय करूँ अथवा अपनी माता की जन्म तिथि के अवसर पर शुभकामनाओं का तार भजने पर ? क्या मैं मकान क़ायम कर लूँ अथवा किराये पर ले लूँ ? क्या इस भूमि को जोत कर खेती की जाय अथवा उस पर भवन बनाया जाय ? प्रत्येक अस्तु अतीमित मात्रा में

1 Economic Planning in the widest sense is the deliberate direction of persons in charge of large resources of economic activity towards chosen ends”

(Dr Dalton, *Practical Socialism for Great Britain.*)

उत्पन्न करना असम्भव है, इसीलिये प्राथमिकता निर्धारित करना तथा चयन करना आवश्यक है”^१।

चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण करने की दो विधियाँ हो सकती हैं। प्रथम जानबूझ कर प्राथमिकताएँ निर्धारित करना और द्वितीय प्राथमिकताओं को स्वतः बाजार तंत्रिकताओं (Market Mechanism) द्वारा निर्धारित होने देना। जब यह प्राथमिकताएँ जानपूछकर निर्धारित की जायँ तो उसे आर्थिक नियोजन कहना चाहिये। श्रीमती बारबरा वूटन ने अपनी दूसरी पुस्तक 'Plan or No Plan' में आर्थिक नियोजन को इसी आधार पर इस प्रकार परिभाषित किया है—“आर्थिक नियोजन वह विधि है जिसमें बाजार तंत्रिकताओं को जानबूझ कर इस उद्देश्य से नियन्त्रित किया जाता है कि ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जो बाजार तंत्रिकताओं को स्वतंत्र छोड़ने पर उत्पन्न हुई व्यवस्था से भिन्न हो”^२। आर्थिक नियोजन में प्राथमिकताएँ निर्धारित करने का उद्देश्य निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है। एक प्रतिस्पर्धीय अर्थ-व्यवस्था में किसी भी वस्तु के उत्पादन लक्ष्य निश्चित समय में पूरा करना सम्भव इसलिये नहीं होता कि इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु जानबूझ कर कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। दूसरे शब्दों में इस लक्ष्य की पूर्ति अवसर पर छोड़ दी जाती है। परन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य लक्ष्य निर्धारित करके उनकी निश्चित काल में पूर्ति हेतु व्यवस्था करता है। जब तक लक्ष्यों की पूर्ति का काम निश्चित न किया जाय, आर्थिक नियोजन का अर्थ अस्पष्ट रहेगा। इसलिये लक्ष्यों की पूर्ति का निश्चित काल होना भी आवश्यक है।

हरमैन लेवी ने आर्थिक नियोजन की परिभाषा निम्न प्रकार दी है—
“आर्थिक नियोजन का अर्थ माँग और पूर्ति में अच्छा सन्तुलन प्राप्त करने से है। यह सन्तुलन स्वतः संचालित, अदृश्य तथा अनियन्त्रित घटकों द्वारा

1. Shall I spend this rupee on bread or send a greeting telegram to my mother on her birthday? shall I buy a house or rent one? Shall this field be ploughed and cultivated or built on? Since it is impossible to produce everything in indefinite quantities there must be choice and priority”.

(Mrs. Barbara Wooton, *Freedom under Planning*, p 12.)

2. “Economic Planning is a system in which the market mechanism is deliberately manipulated with the object of producing a pattern other than that which would have resulted with its own spontaneous activity”.

(Barbara Wooton, *Plan or No Plan*, pp. 47-49.)

निर्धारित होने के लिये नहीं छोड़ा जाता बल्कि उत्पादन अथवा वितरण अथवा दोनों पर विचारपूर्वक एवं जानबूझ कर नियन्त्रण करके निर्धारित किया जाता है^१। इस परिभाषा में नियोजन को माँग और पूर्ति में अनुकूल संतुलन उत्पन्न करने की कला का स्वरूप दिया गया है। वास्तव में नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति जब ही सम्भव हो सकती है जबकि माँग एवं पूर्ति का संतुलन नियोजन अधिकारी के कार्यक्रमों के अनुकूल किया जा सके।

कार्ल लैंडौर (Carl Landauer) के अनुसार—“आर्थिक नियोजन का अर्थ उस सामजस्य से है जो विपणन द्वारा स्वतः प्राप्त करने की बजाय समाज के किसी संगठन द्वारा जानबूझ कर किये गये प्रयास से प्राप्त किया जाता है। इसलिये नियोजन एक सामूहिक प्रकार की क्रिया है और इसमें व्यक्तियों की क्रियाओं को समाज द्वारा नियन्त्रित किया जाता है”^२। इस परिभाषा में नियोजन को एक सामूहिक क्रिया बताया गया है क्योंकि राज्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में इस क्रिया का संचालन करता है। जब अर्थ व्यवस्था के समस्त अंगों में राज्य द्वारा इस प्रकार सामजस्य स्थापित किया जाता है कि निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति निश्चित काल में हो सके तो इस क्रिया को आर्थिक नियोजन कहना चाहिये।

ज्युग (Zweig) के मतानुसार—‘आर्थिक नियोजन समस्त अर्थ-व्यवस्था पर केन्द्रीय नियन्त्रण की व्यवस्था है चाहे वह केन्द्रीय नियन्त्रण किसी भी उद्देश्य तथा किन्हीं भी विधियों द्वारा किया जाय’। इस परिभाषा में आर्थिक नियोजन के तीन लक्षण सम्मिलित हैं—

(अ) राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का केन्द्रीयकरण—अर्थ-व्यवस्था के केन्द्रीयकरण से तात्पर्य अधिकार के केन्द्रीयकरण, उत्पादन के केन्द्रीयकरण अथवा नियन्त्रण के केन्द्रीयकरण से है। आर्थिक नियोजन में केन्द्रीयकरण सदैव निहित

1. Economic Planning means securing a better balance between demand and supply by a conscious and thoughtful control either of production or distribution or of both rather than leave this balance to be affected by automatically working, invisible and uncontrolled force”. (Herman Levy, *New Industrial System*)
2. Planning means coordination through a conscious effort instead of the automatic coordination which takes place in the market and that conscious effort is to be made by an organ of society. Therefore Planning is an activity of collective character and its regulation of the activities of individuals by the Community.” (Carl Landauer, *Theory of National Economic Planning*, p 12)

रहता है। केन्द्रीय अर्थ व्यवस्था में नियोजन का अर्थानत अथवा नहीं अर्थानत की समस्या नहीं होती है। स व्यवस्था में तो केवल यह निर्णय करना होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की योजना सर्वश्रेष्ठ रहेगी। केन्द्रीयकरण अर्थ-व्यवस्था को नियोजन की धारण जाना है।

(ब) राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का निर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियंत्रण—स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के नियंत्रण की स्थिति नहीं होता है। इस व्यवस्था में आर्थिक निर्णय स्वतंत्र संचालित मार्ग और पूर्ति के घटका पर आधारित होते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक निर्णय अर्थ साधना में जानबूझ कर नियंत्रण करके लिए गए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था मूल्य तंत्रिता (Price Mechanism) को बाईं स्थिति नहीं देती। वास्तव में नियोजित अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों का संचालन नियोजित अधिकारी द्वारा किया जाता है जबकि बाजार व्यवस्था में मूल्यों का संचालन बाजार की मांग पूर्ति आदि घटका द्वारा किया जाता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन का चयन व्यवसाय का चयन विनिमय का चयन अर्थात् एव विनियोजन का चयन तथा उपभोग का चयन व्यवसायों अथवा उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों द्वारा नहीं किया जाता है। यह चयन नियोजित अधिकारी द्वारा नियोजन के उद्देश्य के अनुसार किये जाते हैं। इस प्रकार नियोजित अर्थ व्यवस्था में चयन (Choose) करने का अधिकार का नियंत्रण किया जाता है। इस नियंत्रण की मात्रा विभिन्न राष्ट्रों में परिस्थितियों के अनुसार भिन्न रहती है।

(स) आर्थिक नियोजन में राष्ट्रीय जीवन की सम्पूर्ण व्यवस्था होती है—आर्थिक नियोजन द्वारा राष्ट्रीय जीवन के समस्त क्षेत्रों का सम्बन्ध में योजनाएँ बनायी जाती हैं। समस्त राष्ट्र को एक इकाई मानकर कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं। आर्थिक नियोजन का सफलतायुक्त अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सामंजस्य होना अति आवश्यक होता है।

राष्ट्रीय योजना समिति (National Planning Committee) ने जिसकी स्थापना परिषद जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में १९३७ में की गयी थी आर्थिक नियोजन की परिभाषा निम्न प्रकार की है—

‘प्रजातान्त्रिक ढाँच में नियोजन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह उपभोग, उत्पादन, विनियोजन व्यापार, आय वितरण के स्वार्थरहित (disinterested) विचारों का तान्त्रिक समन्वय है जो कि राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा निर्धारित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राप्त किया जाय।

इस परिभाषा में इस बात पर जोर दिया गया है कि लक्ष्यों का निर्धारण जनसमुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाय और उनकी पूर्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को समन्वित कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिये।

नियोजन के तत्व

उपयुक्त समस्त परिभाषाओं को विश्लेषणात्मक सूक्ष्म अध्ययन निष्कर्ष के रूप में अधोलिखित नियोजन के आवश्यक तत्वों को प्रस्तुत करता है—

(१) नियोजित अर्थ-व्यवस्था आर्थिक संगठन की एक पद्धति है।

(२) आर्थिक नियोजन में राष्ट्रीय साधनों का तात्त्विक समन्वय (Technical co-ordination) होता है।

(३) नियोजन में साधनों का विवरण प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।

(४) नियोजन के संचालनार्थ एक योग्य एवं उचित अधिकारी होना चाहिए जो साधनों का परीक्षण करे, लक्ष्य निर्धारित करे तथा लक्ष्यों की पूर्ति के ढंग निकाले।

(५) नियोजन में राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित उद्देश्य निश्चित होने चाहिए।

(६) लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक निश्चित अवधि होनी चाहिए।

(७) राष्ट्र के वर्तमान तथा सम्भाव्य साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग—उत्पादन को अधिकतम स्तर पर लाने के लिए किया जाना चाहिए।

(८) नियोजन को जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए तथा उसके संचालन में लोक-सहयोग का उचित स्थान होना चाहिए।

उपयुक्त तत्वों की आधारशिला पर एक सूक्ष्म एवं एकीकृत परिभाषा नियोजन स्तम्भ का भार इस प्रकार सह सकती है कि “नियोजन अर्थ-व्यवस्था, लोक सहयोग एवं लोक समर्थन प्राप्त, ऐसे संगठन को कहते हैं जिसमें नियोजन अधिकारी द्वारा पूर्व निश्चित आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की निश्चित अवधि में पूर्ति करने के हेतु राष्ट्रीय वर्तमान एवं सम्भाव्य साधनों का प्राथमिकताओं के अनुसार तात्त्विक, विवेकपूर्ण एवं समन्वित उपयोग किया जाता है।”

नियोजन के उद्देश्य

नियोजन के तत्वों में यह स्पष्ट है कि इसमें लक्ष्यों का एक क्रम सम्मिलित होता है जो उद्देश्यों की आधारशिला पर निर्मित होता है, नियोजन का संचालन एवं कार्यक्रम उसके उद्देश्यों के आधीन होता है। कोई भी कार्यक्रम, व्यवस्था अथवा निर्माण कार्य नियोजन है अथवा नहीं, इसका ज्ञान उस कार्यक्रम, व्यवस्था

अथवा निर्माण-कार्य के उद्देश्यों के निरीक्षण द्वारा ही सम्भव है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को अधोलिखित चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

(१) आर्थिक उद्देश्य—जिसमें आर्थिक समानता, अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार तथा अधिकतम एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का विकास करना सम्मिलित है,

- (२) सामाजिक उद्देश्य,
- (३) राजनीतिक उद्देश्य, तथा
- (४) अन्य उद्देश्य।

(१) आर्थिक उद्देश्य—आय की समानता—आर्थिक नियोजन में आर्थिक उद्देश्य का प्रभुत्व होता है, अन्य उद्देश्य आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के अधीन होते हैं। आर्थिक समानता में, जिसे आर्थिक सुरक्षा भी कहा जा सकता है, राष्ट्रीय आय तथा अवसरों का समान वितरण निहित है। यद्यपि आय की समानता का उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त करना असम्भव है क्योंकि लोगों के कार्य में भिन्नता होती है और एक उत्पत्तिशील समाज में कार्यानुसार आय-वितरण आवश्यक है अन्यथा कार्य के प्रति प्रोत्साहन एवं रुचि समाप्त हो जायगी। आय के समान वितरणार्थ राष्ट्रीय आय तथा सम्पत्ति दोनों का ही पुनर्वितरण करना आवश्यक है, क्योंकि आय की असमानता का प्रमुख कारण व्यक्तिगत प्रयास नहीं बल्कि सम्पत्ति का असमान वितरण है।

सरकार आय का पुनर्वितरण करो द्वारा कर सकती है। सम्पन्न समुदाय से अधिक कर-भार द्वारा प्राप्त कर आय को निर्धन वर्ग को सस्ती सेवाएँ, उदाहरणार्थ चिकित्सा सम्बन्धी सेवाएँ, शिक्षा, सामाजिक बीमा, सस्ते भवन, सस्ते खाद्य पदार्थ आदि उपलब्ध कराने पर व्यय किया जा सकता है। दूसरी ओर राज्य मजदूरी के स्तर पर नियन्त्रण करके श्रमिकों को कार्यानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान कराके साहसी का लाभ कम कर सकता है। किन्तु इस कृत्य के पूर्व साहसी के प्रलोभन (Inducement) को भी दृष्टिगत करना होगा। जिसके कारण वह उद्योग चलाता है, यदि साहसी का लाभ अधिक पारिश्रमिक देने के कारण कम हो जायगा, तो वह अपने साधनों को अन्य कार्यों तथा उद्योगों में लगा देगा तथा उसके समक्ष सामाजिक हित महत्त्वहीन हो जायगा। आय की असमानता को दूर करने के लिए मूल्य नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध (Rationing) का भी उपयोग किया जा सकता है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर सरकारी नियन्त्रण होने से सम्पन्न लोग विपन्न लोगों की हितार्थ ही उनका समान उपयोग कर सकेंगे। परन्तु मूल्य नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध की सफलता चोरबाजार की सम्भावनाओं के कारण सदैव सन्देहपूर्ण रहती है।

अवसर की समानता

अवसर की समानता का तात्पर्य राष्ट्र के समस्त नागरिकों को जीविकोपार्जन के समान अवसर प्रदान करने का है। अवसर की समानता प्रदान करने के लिए सम्पत्ति तथा कुशलता का समान वितरण होना आवश्यक है क्योंकि ये दो घटक ही आय के प्रधान साधन हैं। "कुशलता की न्यूनता के कारण ही कार्य के पारिश्रमिक में असमानता पायी जाती है। खनिक से अधिक डाक्टर आय उपाजित करता है क्योंकि डाक्टरों की माँग की तुलना में पूर्ति न्यून है जबकि खनिकों की पूर्ति माँग की अपेक्षा अधिक है। यदि समाज का प्रत्येक शिशु बिना अधिक व्यय के डाक्टर बन सके, तो डाक्टरों की घरेलू सेवकों की भाँति कोई कमी नहीं रहेगी तथा ये डाक्टर फिर इतनी आय उपाजित नहीं कर सकेंगे। अतः करारोपण से पूर्व आय की असमानता के निवारणार्थ हमें अवसर की समानता में वृद्धि करनी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्ति शिक्षा प्रणाली में सुधार द्वारा की जा सकती है। समस्त समाजवादियों का उद्देश्य होता है कि समस्त बच्चों को उनकी योग्यतानुसार शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाया जाय तथा शिक्षा और बच्चों के पालकों की आय में कोई सम्बन्ध न हो। यदि ऐसी स्थिति वास्तव में प्राप्त हो सके तो विभिन्न व्यवसायों की आय की असमानता स्वतः ही कम हो जायगी।"¹

सम्पत्ति का समान वितरण करना आय में समानता लाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। सम्पत्ति में असमानता का मुख्य कारण उत्तराधिकार का विधान है। व्यक्तिगत धनोपार्जन का अधिकांश पैतृक सम्पत्ति से प्राप्त होता है। धनिकों को जो आर्थिक सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, वह उसकी व्यक्तिगत योग्यता तथा

1. "It is the shortage of skills which explains the differences in remuneration for work. Doctors earn more than miners because in relation to the demand for doctors there is much greater shortage of doctors than there is of miners. If every child in the community could become a doctor at no cost, doctors would not be as scarce, as domestic servants, and would not earn much more. In order, therefore, to even out earnings from work before taxation, what we have to do is to increase equality of opportunity. The key to this is of course, the educational system. All socialists aim at enabling all children to have whatever education their abilities fit them for without reference to the incomes of their parents, and if this state of affairs can really be achieved, differences between the incomes of different professions will be very greatly reduced" (W. Arthur Lewis, *The Principles of Economic Planning*, p. 36)

कुशलता के कारण नहीं अपितु उसके सम्पत्तिवान् परिवार में जन्म लेने के कारण है। उनकी स्थिति उत्तरोत्तर सुदृढ़ होती जाती है क्योंकि धनवान् अपनी पुंजी में बचत द्वारा वृद्धि कर सकते हैं तथा अधिक आयदाता व्यवसायों में सुविधापूर्वक विनियोग कर सकते हैं। इस प्रकार उत्तराधिकार विधान द्वारा सम्पत्ति तथा आय की असमानता में वृद्धि होती है। सम्पत्ति का पुनर्वितरण सरकार द्वारा कर तथा क्षतिपूर्ति के माध्यम से अपहरण करके किया जा सकता है किन्तु सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण से उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सम्पत्ति के स्वामियों को क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है जो सम्पत्ति के स्थान पर अधिक आय दाता सिद्ध होती है। तानाशाही नियोजन में यह कार्य-सम्पादन क्षति द्वारा सम्भव है किन्तु प्रजातान्त्रिक नियोजन में इस उद्देश्य की पूर्ण मृत्यु कर उत्तराधिकार कर आदि द्वारा शनैः शनैः सम्भव है।

अधिकतम उत्पादन

अधिकतम उत्पादन नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है। जनसमुदाय के जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिए उत्पादन के समस्त क्षेत्रों—कृषि, उद्योग, खनिज आदि में उन्नति करना आवश्यक है। अधिकतम उत्पादन हेतु निम्न कार्य करना आवश्यक है —

(अ) राष्ट्रीय सम्भावी साधना एवं जन शक्ति का शोषण तथा उचित उपयोग।

(आ) उत्पादन के साधनों का पुन विवेकपूर्ण तथा वैज्ञानिक वितरण। जो साधन ऐसे उद्योगों में लगे हों जिनसे समाज का अधिकतम हित न होता हो, उन्हें पुन वितरित करना भी आवश्यक होगा।

(इ) नवीनतम तान्त्रिक ज्ञान, कुशल धर्म तथा योग्य साहसी का उचित उपयोग करके राष्ट्रीय साधना से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना।

(ई) श्रमिकों एवं प्रवन्ध के सम्बन्धों में सुधार किया जाय जिससे श्रमिक वारखानों को अपना मान कर कार्य कर सकें। पारस्परिक अन्धे सम्बन्ध होने से श्रमिक अधिक परिश्रम से कार्य करते हैं। बेरोजगार के भय को दूर करने हेतु पूर्ण रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिये। श्रमिकों को प्रवन्ध में सहयोग देना का अवसर देना भी आवश्यक होता है।

(उ) क्षतिपूर्ण एवं हानिकारक प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाने हेतु उत्पादित वस्तुओं का प्रभावीकरण करना चाहिये।

(ऊ) बड़ पैमाने के उत्पादन की मित-व्ययता का लाभ उठाने हेतु स्थापित एकाधिकार अथवा किन्हीं विशेष कारणों से अस्थायी रूप से बने हुए एकाधिकार पर मूल्य, साम एवं विक्रय की शर्तों के सम्बन्ध में राज्य को नियन्त्रण रखना चाहिये।

(ए) नवीन उद्योगो (Infant Industries) को प्रोत्साहन देने हेतु आयात कर तथा अर्थ सहायता का आयोजन किया जाना चाहिये ।

(ऐ) देश में मौद्रिक स्थिरता का वातावरण होने पर उत्पादन को अधिकतम सीमा तक ले जाया जा सकता है । मुद्रा स्फीति एवं सकुचन दोनों ही उत्पादन की वृद्धि में रोक लगाते हैं ।

(ओ) अधिक मात्रा में विनियोजन का आयोजन किया जाना चाहिये । विनियोजन की वृद्धि हेतु एन्ड्रक घरेलू बचत, विदेशी मुद्रा की बचत मुद्रा प्रसार द्वारा बचत तथा सरकारी बचत आदि सभी में वृद्धि होनी चाहिये ।

(औ) विवेकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबन्ध की विभिन्न विधियों को समस्त उद्योगों पर लागू किया जाना चाहिये ।

जनसाधारण के जीवन स्तर में वृद्धि करने हेतु आर्थिक नियोजन द्वारा सभी प्रकार के उद्योगों—कृषि, खनिज, निर्माण, उद्योग आदि के उत्पादन में वृद्धि करने का आयोजन करना मुख्य उद्देश्य होता है ।

पूर्ण रोजगार

पूर्ण रोजगार द्वारा राष्ट्र के समस्त कार्य करने योग्य नागरिक को रोजगार का प्रबन्ध करना भी आवश्यक है । पूर्ण रोजगार का आयोजन किये बिना आर्थिक समानता तथा अधिकतम उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति भी सम्भव नहीं है । श्रम उत्पादन का प्रमुख एवं क्रियाशील घटक है और जब तक उत्पादन के समस्त साधनों का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जायगा, तब तक अधिकतम उत्पादन बिन्दु का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता । दूसरी ओर जब तक पूर्ण रोजगार का प्रबन्ध नहीं होगा, बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक समानता का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता । आर्थिक समानता में वृद्धि के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्या का भी निवारण स्वतः होता जायगा । अतः राष्ट्र की समस्त उपलब्ध शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का पूर्ण उपयोग एवं शोषण होना चाहिए । बेरोजगार तथा आंशिक रोजगार से समाज की आय तथा क्रय-शक्ति में कमी आती है जो उपभोक्ता तथा निर्माण दोनों ही उद्योगों को क्षतिकारक होता है ।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों में नियोजन का मुख्य उद्देश्य देश के पिछड़े प्रदेशों का औद्योगीकरण करना होता है । अर्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में या तो पूर्ण रोजगार के आधार पर कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं या फिर कार्यक्रमों द्वारा रोजगार में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है । विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में मन्दी काल एवं आर्थिक स्थिरता के वातावरण में नियोजन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना होता है । ऐसी परिस्थिति में रोजगार की

वृद्धि हेतु विशेष कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं क्योंकि अर्थ-व्यवस्था का विकास होने पर भी इन अर्थ व्यवस्थाओं में बेरोजगार उपस्थित रहता है। पूर्णतः नियोजित अर्थ व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था एक सर्वमान्य घटक होता है और इसे नियोजन के मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं होता है। यहाँ विकास की योजना का अर्थ बेरोजगार की वृद्धि से होता है। परन्तु प्रजातान्त्रिक समाजवादी राष्ट्रों में जहाँ पूर्णतः नियोजित अर्थ व्यवस्था नहीं होती, नियोजन की प्रत्येक योजना में रोजगार को स्थान होता है और नियोजन के उद्देश्यों में एक उद्देश्य पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना भी होता है।

अविकसित एवं अर्ध विकसित क्षेत्रों का विकास

सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन स्तर में समानता के स्थापित करने के हेतु राष्ट्र के अविकसित तथा अर्ध-विकसित क्षेत्रों को राष्ट्र के अन्य उन्नत क्षेत्रों के सम्यक् करना भी नियोजन का एक प्रमुख ध्येय है। दलित क्षेत्रों की उन्नति द्वारा ही सम्पूर्ण देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। अविकसित क्षेत्रों के विकास हेतु राष्ट्र के उपलब्ध तथा सम्भाव्य साधनों का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण करना अत्यावश्यक है। व्यक्तिगत साहसी अविकसित क्षेत्रों में विनियोग करने से डरते हैं, अतः राज्य को इस क्षेत्र में अग्रसर होकर औद्योगीकरण का अनुसरण करना चाहिए। 'नियोजन में केवल पिछड़े क्षेत्रों का ही विकास आवश्यक नहीं होता बल्कि उन्नत क्षेत्रों का साथ ही साथ विकास आवश्यक है जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके जनसमूह के जीवन-स्तर में उन्नति की जा सके। यद्यपि नियोजन पिछड़ेपन से सम्बन्धित है, तथापि यह विचारधारा न्यायसंगत नहीं है कि नियोजन का मुख्य उद्देश्य उन पिछड़े क्षेत्रों में सुधार करना ही है।'^१

(२) सामाजिक उद्देश्य—आर्थिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्य का मूलधार अधिकतम जनता को अधिकतम सन्तुष्टि प्रदान करना है। इस उद्देश्य को एक अन्य सजा 'सामाजिक सुरक्षा' भी दी जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत समाज के समस्त अंगों का उनके कार्य तथा सेवानुसार न्यायोचित

1. "Planning necessitates the development of not only the backward areas but also the forward areas so as to increase the aggregate national dividend of the country, with a view to raise to standard of living of masses. Though Planning is connected with backwardness still it can be justifiably argued that the main objective of Planning is to correct the mal adjustment in those backward areas."

(V. Vithal Babu, *Towards Planning*, p. 24.)

पारिश्रमिक दिया जाता है। श्रमिक वर्ग तथा उद्योगपति दोनों को ही उत्पत्ति का उचित अंश मिलना चाहिए। श्रमिक वर्ग का उचित तथा वास्तविक पारिश्रमिक इतना आवश्यक होना चाहिए ताकि वह अपने परिवार का अपनी योग्यता तथा स्थिति के अनुसार भरण पोषण कर सके। इसके अतिरिक्त श्रमिक वर्ग को सामाजिक बीमा का लाभ भी प्राप्त होना चाहिए। बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था आदि ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें श्रमिकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की समस्त समस्याओं तथा कठिनाइयों से श्रमिक स्वतन्त्र होना चाहिए।

उद्योगपति को दूसरी ओर लाभ में से उचित भाग उसकी जोखिम तथा कार्यानुसार मिलना चाहिये जिससे उद्योगों के प्रति उसका प्रलोभन एवं रुचि नष्ट न हो सके। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में साहसी का भाग कम आवश्यक हो जायगा, फिर भी यह कमी इतनी अधिक न हो कि साहसी के प्रोत्साहन के लिये हानिकारक हो। आर्थिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्यों में एक वर्गरहित समाज की स्थापना करना भी सम्मिलित है, ऐसे वर्ग, जातियाँ तथा समुदाय जिन्हें समाज में समान स्थान प्राप्त न हो, उन्हें समानता के स्तर पर लाना भी आवश्यक है। समाज के आर्थिक वर्ग अर्थात् धनवान तथा निर्धन के वर्ग-भेद को आर्थिक समानता द्वारा नष्ट किया जाता है। सामाजिक वर्गों की समाप्ति हेतु पिछड़ी जातियों तथा समुदायों की शिक्षा में सुविधाएँ देकर, शासकीय सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान कर तथा सामाजिक रूढ़िवादी तथा हीन नियमों को विधान द्वारा बर्जित कर अन्य सम्मान प्राप्त जातियों तथा समुदायों के समान स्तर पर लाना भी नियोजन का उद्देश्य होना है।

(३) राजनीतिक उद्देश्य—कल-युग में आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्र की राजनीतिक सत्ता की रक्षा, शक्ति तथा सम्मान में वृद्धि करना भी है। रूस में नियोजन के मुख्य उद्देश्य आर्थिक तथा सामाजिक समानता होते हुये भी राष्ट्र सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। राष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता की उपस्थिति में ही अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता सम्भव है तथा निश्चित नीतियों तथा कार्यक्रम को सुगमता एवं सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है। अतएव राष्ट्रीय साधनों, उद्योगों तथा कृषि का संगठन इस प्रकार किया जाता है कि सम्भावी युद्ध के भय से देश की रक्षा की जा सके।

आधुनिक युग में शीत-युद्ध का बोलबाला है, जिसकी पृष्ठभूमि में साम्राज्यवाद का स्थान आर्थिक प्रभुत्व ने ले लिया है। सत्तार के सभी बड़े राष्ट्र बाजारों

तथा विपमताओं में कमी करना है। विपमताओं को कमी को हमें आर्थिक एवं सामाजिक दोनों ही प्रकार का उद्देश्य मानना चाहिये। विपमताओं को कमी हेतु प्रथम योजना में जो कार्यवाही की गयी, उनमें से मुख्य हैं- कम्पनी विधान में सुधार करके औद्योगिक इकाइयों पर पूंजीपतियों के अधिकार एवं नियन्त्रण को सीमित करना इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके जनसाधारण की बचत को जन-कल्याण के लिये उपयोग करना, आधारभूत उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत चलाना, सहकारी क्षेत्र का विकास, सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का संचालन, जायदाद कर, पूंजीगत लाभों पर कर तथा अन्य कर सम्बन्धी सुधार, समाज-कल्याण के कार्यक्रम तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि आदि।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय में २५% वृद्धि, शीघ्र औद्योगीकरण, रोजगार के अवसर में वृद्धि तथा विपमताओं में कमी है। परन्तु इन सभी आर्थिक उद्देश्यों का अन्तिम लक्ष्य देश को कल्याणकारी राज्य (Welfare State) में परिवर्तित करना था जिसमें जनसाधारण को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय का आश्वासन हो सके। इस योजना का अन्तिम लक्ष्य देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना था जो कि समाजवादी समाज की स्थापना के लिये अनुकूल हो। योजना में समाज कल्याण हेतु शिक्षा के प्रसार, सामुदायिक विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा के विकास, चित्रित की सुविधाओं में वृद्धि आदि का आयोजन किया गया था जिसमें समस्त नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में पर्याप्त सुधार हो सके। योजना में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की विशेष महत्त्व दिया गया। यद्यपि योजना में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था नहीं की गयी, फिर भी रोजगार में वृद्धि करना योजना का एक मुख्य उद्देश्य मान लिया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य हैं— राष्ट्रीय आय में २५% से ३०% तक वृद्धि, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता एवं कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि, औद्योगीकरण की प्रगति हेतु आधारभूत उद्योगों का विस्तार, रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना तथा आय-धन एवं आर्थिक सत्ता को विपमताओं में कमी। वास्तव में यह समस्त उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास से सम्बन्धित हैं। परन्तु तृतीय योजना का अन्तिम लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर एक और कदम बढ़ाना है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपनी आर्थिक एवं अन्य नीतियों द्वारा समाज के निर्दल वर्गों के उत्थान में सहायक हो जिससे यह वर्ग अन्य वर्गों के समान हो सके। योजना में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत सहकारी

संस्थाओं को विशेष महत्व दिया गया है। सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रजातान्त्रिक विधियों द्वारा सामाजिक स्थिरता एवं आर्थिक विकास सम्भव होता है। भूमि-सुधार, कृषि-भूमि की अधिकतम मात्रा निर्धारित करना, सिंचाई-सुविधायें, पिछड़ी जातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम, ६ से ११ वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, पीने के जल का ग्रामीण-क्षेत्रों में प्रवन्ध, रोगों का उन्मूलन, स्त्री एवं शिशु कल्याण हेतु समाज सेवा की संस्थाओं की स्थापना, सामुदायिक विकास योजनाओं का विस्तार आदि समस्त ऐसी कार्यवाहियाँ हैं जिनके द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विषमता कम करने में सहायता मिलेगी। योजना के समस्त क्षेत्रों के सन्तुलित विकास का भी आयोजन है।

भारतीय योजनाओं के राजनीतिक उद्देश्य देश की सुरक्षा करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु देश में आधारभूत उद्योगो-लोहा एवं इस्पात, रासायनिक एवं इन्जीनियरिंग उद्योगों की स्थापना, विकास एवं विस्तार करने का आयोजन किया गया है। भारतीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था की विशेषता यह है कि सत्तारूढ दल अपने निजी राजनीतिक हितों की पूर्ति योजनाओं द्वारा नहीं करता है। भारतीय नियोजन के अन्तर्गत देश में राजनीतिक स्वतन्त्रता पर कोई अंकुश नहीं लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त देश में आर्थिक साधनों का भी उपयोग राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु नहीं किया जाता है। प्रजातान्त्रिक राज्य में किसी दल के निरन्तर सत्तारूढ रहने के लिये जनसाधारण में उस दल के प्रति विश्वास एवं सद्भावना उत्पन्न करना आवश्यक होता है। यह विश्वास एवं सद्भावना जनसाधारण को आधारभूत अनिवार्यताएँ उपलब्ध कराके किया जाता है। सत्तारूढ दल अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने हेतु अधिकतम जन-समाज के अधिकतम सन्तोष का योजनाओं द्वारा आयोजन कर सकता है। भारत की योजनाओं द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है।



अध्याय ३

नियोजन के प्रकार

[नियोजन की भिन्नता के लक्षण, नियोजन के प्रकार, समाजवादी नियोजन, साम्यवादी नियोजन, पूंजीवादी नियोजन, प्रजातांत्रिक नियोजन, तानाशाही नियोजन, गांधीवादी नियोजन, गतिशील बनाम स्थिर नियोजन, निकट-भविष्य बनाम सुदूर भविष्य के लिए नियोजन, कार्य-प्रधान बनाम निर्माण-प्रधान नियोजन, भौतिक बनाम वित्तीय नियोजन, राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय नियोजन, अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन]

आधुनिक युग के जटिल आर्थिक संगठन में नियोजन के अनेक प्रकार हो गये हैं। राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति (Political Set-up) के अनुसार ही नियोजन का प्रकार निश्चित किया जाता है। एक साम्यवादी सरकार देश में साम्यवादी-नियोजित व्यवस्था के लिए कार्यवाही करती है, जबकि समाजवादी सरकार में समाजवादी नियोजन का महत्व है, तथापि लगभग समस्त प्रकार के नियोजन के मूल उद्देश्य समान होते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति हेतु जो तरीके अपनाये जाते हैं, केवल उनमें भिन्नता होती है। सभी प्रकार के नियोजन में सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रमुख उद्देश्य समझे जाते हैं और राष्ट्र के, इन दोनों मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोजन के प्रकार के अनुसार, समस्त साधनों का उपयोग किया जाता है। तानाशाही नियोजन में आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा का आयोजन केवल एक साधन मात्र होता है, जिसके द्वारा अनन्य शासक की शक्तियों तथा सम्मान में वृद्धि प्राप्त की जाती है।

नियोजन की भिन्नता के लक्षण

विभिन्न प्रकार के नियोजनों के अन्तर का निम्नलिखित गुणों के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है —

(१) राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था पर राजकीय नियन्त्रण की सीमा अर्थात् राजकीय तथा निजी क्षेत्र का आर्थिक व्यवस्था में स्थान।

(२) नियोजन की कार्य संचालन विधि—केन्द्रीय नियंत्रण द्वारा अथवा प्रलोभन द्वारा—केन्द्रीय नियंत्रण विधि में सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय नियोजन अधिकारी राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था का संचालन करता है और इस प्रकार सरकार के हाथों में आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों ही शक्तियाँ का सम्पूर्ण सचय हो जाता है। इस व्यवस्था में अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है और व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रताओं—साहस, प्रसविदा सम्पत्ति तथा धन के उपयोगी सम्पत्ति—को केन्द्रीय अधिकारी के अधीन कर दिया जाता है। दूसरी ओर प्रलोभन विधि में केन्द्रीय अधिकारी उत्पादन वितरण एवं वित्त योजना सम्बन्धी तथ्यों की पूर्ति के लिये प्रलोभन विधियाँ का उपयोग करता है। अर्थ व्यवस्था पर बड़े नियंत्रण का अभाव रहता है। निजी साहस को भी अधिकतर क्षेत्रों में फस्य करन का अवसर प्रदान किया जाता है। सरकार लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आज्ञा (Directions) के स्थान पर विपणि व्यवस्था में, धाय, मूल्य वर व्यवस्था एवं तटवर नीति (Fiscal Policy) में हस्तक्षेप करती है साथ ही जनसमुदाय को योजना के उद्देश्य समझा कर उन्हें योजना की सफलता के हेतु कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यद्यपि प्रलोभन विधि में केन्द्रीय नियंत्रण एवं केन्द्रीय नियंत्रण विधि में प्रलोभन का उपयोग होता है तथापि जब विपणि व्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केन्द्रीयकरण राज्य के हाथों में बड़ी सीमा तक होता है तो उस केन्द्रीय नियंत्रण विधि कहा जा सकता है। दूसरी ओर जब योजना संचालन के लिए केन्द्रीय नियंत्रण का प्रत्यक्ष उपयोग केवल सीमित रूप में किया जाता है, तब इस विधि को प्रलोभन विधि कहा जा सकता है।

(३) अर्थ-व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्थान।

(४) नियोजन के लक्ष्य तथा उनका पूर्ति काय।

(५) उत्पादन के साधनों तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति पर राजकीय नियंत्रण प्राप्त करन की विधि—बल द्वारा, उचित मुद्रावजा देकर अथवा कर द्वारा धीरे धीरे अपहरण करके।

(६) नियोजन के राजनीतिक उद्देश्य, विदेशी व्यापार तथा विदेशी विनियोजन।

नियोजन के प्रकार

उपरोक्त गुणों के आधार पर नियोजन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं —

(१) समाजवादी नियोजन (Socialistic Planning)

(२) साम्यवादी नियोजन (Communist Planning)

नियोजन के प्रकार

- (३) पूंजीवादी नियोजन (Capitalistic Planning)
- (४) पञ्जातान्त्रिक नियोजन (Democratic Planning)
- (५) तानाशाही नियोजन (Fascist Planning).
- (६) गांधीवादी नियोजन अथवा सर्वोदयो नियोजन (Gandhian Planning or Sarvodaya Planning)

अब हम उपयुक्त नियोजन के प्रकारों का पृथक्-पृथक् अध्ययन करेंगे।

समाजवादी नियोजन

आर्थिक नियोजन वास्तव में समाजवाद का एक अभिन्न अंग है। सैद्धान्तिक रूप से हम भले ही यह विचार कर सकते हैं कि समाजवाद एवं आर्थिक नियोजन में कुछ अन्तर है परन्तु व्यवहारिक रूप से इन दोनों का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि आर्थिक नियोजन की अनुपस्थिति में समाजवाद को विचारधारा को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता है। समाजवाद के अन्तर्गत राज्य को ऐसी विधियों का उपयोग करना होता है कि अर्थ-व्यवस्था को समाजवादी लक्ष्यों की ओर अग्रसर किया जा सके। सरकार द्वारा जब इन विधियों का उपयोग किया जाता है तो इसका रूप सरकारी नियोजन बन जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक समानता का आयोजन करने हेतु सरकार को निर्जीव व्यवसाय, सन्पत्ति एवं प्रतिस्पर्धा पर नियन्त्रण करके देश के आर्थिक साधनों का इस प्रकार उपयोग करना होता है कि आर्थिक विकास के लाभ समस्त समाज को प्राप्त हो सकें। राज्य द्वारा इस कार्यवाही को किये जाने से अर्थ-व्यवस्था का संचालन स्वतंत्र बाजार पद्धति से बदलकर केन्द्रीय व्यवस्था हो जाता है जो कि आर्थिक नियोजन का स्वरूप होता है।

समाजवादी नियोजन के अन्तर्गत समाज के पूर्ण आर्थिक साधनों एवं श्रम शक्ति का प्रयोग समस्त समाज के लिए किया जाता है। उत्पादन का लक्ष्य समस्त समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करना होता है न कि व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना। समाजवाद के अन्तर्गत मानवीय श्रम का उपयोग पूंजी संप्रदाय के लिए नहीं किया जाता है अपितु सगृहीत पूंजी मानवीय श्रम के उत्थान एवं आराम के लिए प्रयोग की जाती है। केन्द्रीय नियन्त्रण होने पर अर्थ-व्यवस्था से निरर्थक प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन हो जाता है और अपव्यय को कम किया जा सकता है। समाजवादी नियोजन में भारी उत्पादक उद्योगों का आधार उपभोक्ता उद्योग नहीं होते हैं। भारी उद्योगों के विकास को केन्द्रीय अधिकारी सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं।

समाजवाद का वास्तविक स्वरूप आधुनिक युग में केवल एक सिद्धान्त मात्र है क्योंकि इसके मूल उद्देश्यो—आर्थिक एवं सामाजिक समानता—की पूर्ति के लिए बहुत से तरीके अपनाये जाने लगे हैं। समाजवादी नियोजन में केन्द्रीय नियन्त्रण का विशेष महत्व होता है; सरकारी क्षेत्र को विकसित तथा निजी क्षेत्र को सकुचित किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादन तथा विवरण कार्य पर सरकार द्वारा धीरे-धीरे नियन्त्रण प्राप्त किया जाता है। मूल तथा आधारभूत उद्योगो, जैसे यातायात शक्ति, युद्ध-सामग्री-निर्माण, लोहा तथा इस्पात, रसायन तथा इन्जीनियरिंग आदि आदि का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। भूमि को भी शासन अपने अधिकार में कर लेता है। इस प्रकार राज्य प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन क्षेत्र का संचालन करता है। राष्ट्र के अधिक से अधिक साधनो को पूंजीगत वस्तुओ के उद्योगो में विनियोजित किया जाता है। उद्योगो का प्रबन्ध नियमो द्वारा होता है जिनमें मजदूर वर्ग के प्रतिनिधियो को भी स्थान दिया जाता है। वित्तीय मामलो पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय तथा अन्य अधिकोपो का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। दीर्घकालीन विनियोजन नीति को—बीमा का राष्ट्रीयकरण, वित्तीय निगमो की स्थापना तथा अन्य बचत योजनाओ द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निजी सम्पत्ति का अपहरण मूल्य तथा उत्तराधिकार कर द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार पूर्णतः समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादक तथा उपभोक्ता की स्वतन्त्रता को कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं होता। सरकार नियोजन के लक्ष्य अधिक ऊंचे निश्चित करती है और उनकी पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनो का अधिकाल भाग पूंजीगत वस्तुओ के उद्योगो में विनियोजित करती है; उपभोक्ता वस्तुओ (Consumer goods) का उत्पादन, देश की बढ़ती हुई आवश्यकता की तुलना में कम रहता है। ऐसी अवस्था में उपभोक्ता को राशनिंग तथा मूल्य नियंत्रण द्वारा वस्तुएं सीमित मात्रा में उपलब्ध होती हैं, साथ ही उत्पादन भी सरकार की नीति के अनुसार ही किया जाता है। साधनो का आवंटन पूर्व-निश्चित उत्पादन-संश्लेषो के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता को अपनी इच्छानुसार वस्तुएं त्रय करने तथा उत्पादको को उपभोक्ता की मांग के अनुसार उत्पादन करने की स्वतन्त्रता नहीं होती है।

परन्तु समाजवादी इस मनोवैज्ञानिक स्वतन्त्रता को विशेष महत्व नहीं देते हैं। उनके लिए स्वतन्त्रता का अर्थ जनसमूह की इच्छाओ, बीमारी, अज्ञानता, बेकारी तथा असुरक्षा से स्वतन्त्रता प्रदान करना है। इन सभी कठिनाइयो से स्वतन्त्रता समाजवादी नियोजन द्वारा शीघ्र तथा अधिक मात्रा में

प्राप्त की जा सकती है। समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखना कठिन होता है क्योंकि नियोजन के दीर्घकालीन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। एक पक्ष की सरकार जो दीर्घकालीन नियोजन का कार्यक्रम बनाती है, उसकी पूर्ति के लिए उस पक्ष की सरकार का बना रहना आवश्यक होता है, अन्यथा नवीन सरकार घाने पर पूर्व के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाना स्वाभाविक है। यदि विपक्षी दल नियोजन के मूल उद्देश्यों से सहमत हो और अपनी आलोचना इन उद्देश्यों की सीमा तक ही सीमित रखता हो तब राजनीतिक स्वतन्त्रता बनाये रखने में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि विपक्षी सरकार बनने पर नियोजन के कार्यक्रम रद्द किये जाने की सम्भावना नहीं होती है। परन्तु जब विपक्षी दल नियोजन के मूल उद्देश्यों से सहमत न हो तब उसकी स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण रखना आवश्यक होता है। परन्तु समाजवादी नियोजन का संचालन-विभिन्न संस्थाओं तथा निगमों द्वारा किया जाता है और ये निगम लोकसभा के विधानों द्वारा सगठित किये जाते हैं। विपक्षी सरकार बनने पर भी इन संस्थाओं का विघटन करना सम्भव नहीं होता। इस प्रकार राजनीतिक स्वतन्त्रता पर कोई विशेष अकुश रखने की आवश्यकता नहीं होती है।

समाजवादी नियोजन के अभिलाषी तथ्यों की पूर्ति के लिए जनसमूह को प्रारम्भिक अवस्था में अधिक त्याग और कठिनाई उठानी पड़ती है; क्योंकि उपभोक्ता की स्वतन्त्रता तथा निजी स्वामित्व को सीमित कर दिया जाता है। विदेशी व्यापार भी सरकारी निगमों द्वारा संचालित तथा नियन्त्रित होता है और समय-समय पर सरकार की विदेशी व्यापार नीति घोषित की जाती है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं के आयात तथा उपभोग की वस्तुओं के निर्यात पर जोर दिया जाता है। नियोजन की वित्तीय सहायता केवल अन्य राष्ट्रों की सरकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ही प्राप्त हो पाती है, क्योंकि विदेशी पूंजीपति राष्ट्रीयकरण तथा अपहरण के भय से समाजवादी देशों में विनियोजन करना एक अच्छा एवं हितकर नहीं समझते हैं।

समाजवादी नियोजन के केन्द्रीय नियन्त्रण में समस्त नीतियाँ तथा आदेश सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्मित तथा संचालित किये जाते हैं। ये कर्मचारी शासकीय सिद्धान्तों की जटिलता को और विशेष ध्यान देते हैं। सरकारी नियम दृढ़ होने हैं जिनमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता है। सरकारी कर्मचारियों में आत्मबल (Initiative) तथा नये कार्य

प्रारम्भ करने के लिए रति का अभाव होता है। इसीलिए जोरिम के कार्यों में वे उचित एवं सफ़्त नीति निर्धारण में कामयाब नहीं होते। सरकारी नीतियों में इस प्रकार नोकरशाही (Beurocratic feelings) की छाव लगी रहती है जिससे नि जाता का सहयोग प्राप्त नहीं होता, उत्पादन कार्य में शिथिलता आती है तथा साधनों का अप्रत्यय होता है।

साम्यवादी नियोजन

साम्यवादी नियोजन (Communitistic Planning) समाजवादी नियोजन का कठोर स्वरूप होता है, जिसमें धन, दत्ताव, सौन्वीकरण तथा कठोरता का विनाश स्यात् होता है। साम्यवादी नियोजन पूर्णतः केन्द्रित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था पर पूर्ण राजकीय नियन्त्रण द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त करना होता है। इसमें शक्तियों का कठोर केन्द्रीयकरण होता है और सौन्वीकरण का अवस्था ना छाव सुदूर लगी रहती है। स्वतः में इस प्रकार के नियोजन का सफ़्ततापूर्वक प्रयोग किया गया है। स्वतः में आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीयकरण हुआ है और नियोजन लगी कार्य-प्रणाली में संचालित किया गया है, जहाँ नियमन, नियन्त्रण और सौन्वीकरण की भी पूर्ण सत्ता केन्द्रीय अधिकारी को ही समर्पित रहती है। इस प्रकार साम्यवादी दशों में नियमित रूप में आयोजित अर्थ-व्यवस्था का अनुशीलन होता है।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था का सर्वप्रथम संचालन रूस में ही हुआ, जहाँ अर्थ-व्यवस्था का समाजीकरण करने का भरमग्न प्रयत्न किया गया है और विपणि तान्त्रिकता (Market Mechanism) तथा स्वतन्त्र साह्य को नियमित रूप में पूर्णतः दत्ता दिया गया है। नावियत नियोजन शीघ्र और आश्चर्यजनक विधाता में विद्वान् रमा है, इसलिये राष्ट्र के अर्थिक से अर्थिक साधनों को पूर्णतः वस्तुपूर्वक धनान् शक्ति उद्यागा में विनियोजित किया जाता है। उपभोक्ता-उद्योगों को विनाश सुनिधाएँ प्रदान नहीं की जाती हैं जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की शून्यता का कारण जनगमूह का अधिन कठिनार्थ का सामना करना पड़ता है। नियोजन की दिन प्रति दिन प्रगति का और ध्यान दिया जाता है और नियोजन को गहन बनाने का लिए अधिन से अधिन त्याग, कठिनार्थ का सामना तथा कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस व्यवस्था में मानव-जीवन कठोरतापूर्ण तथा सौन्वीकरण की अवस्था में ढल जाता है।

“सावियत संघ में आर्थिक नियोजन उच्चतम शक्ति की विनियमित स्थिति पर पहुँच गया है। इससे स्पष्टतः पूर्णतः साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिस्थापन होता है।

पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक साधनों का आवंटन मूल्य तथा आय से निश्चित होता है तथा यह उपभोक्ता की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित होता है और इसमें निश्चय बहुत से व्यापारियों द्वारा किये जाते हैं। (रूस में) राज्य अपने गौसप्लान (Gosplan) द्वारा उत्पादन की रूपरेखा निश्चित करता है जिसके मुख्य निश्चयों को समाज के महत्वपूर्ण उद्देश्यों अथवा पोलिटब्यूरो (Politburo) पर आधारित किया जाता है। वास्तव में दुर्लभ साधनों का आवंटन निर्मित वस्तुओं से प्राप्त होने वाले मूल्य के आधार पर न करके नियोजन की प्रमुखताओं के अनुसार किया जाता है। प्रबन्धकों तथा श्रमिकों को पारिश्रमिक मुद्रा में मिलता है। यह पारिश्रमिक प्राप्त परिणामों तथा श्रमिकों की आवश्यक पूर्ति को बनाये रखने के लिए न्यूनतम मजदूरी पर आधारित होता है। मुद्रा में भ्रम ताने होते हुए भी श्रमिकों को उपभोक्ता-चुनाव का अधिकार सीमित होता है। दूसरी ओर नियोजक उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में समायोजन चुनाव अनुसार करता है। स्पष्ट योजना बनाने वाले एकमात्र उपभोक्ता की माँगों पर विश्वास नहीं करते हैं। वे राष्ट्रीय दुर्लभ साधनों को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में केवल इसलिए नहीं लगाते कि उपभोक्ता उन वस्तुओं को प्राथमिकता प्रदान करता है और न ही नियोजक प्रतिबन्धित आयात को उपभोक्ता की इच्छानुसार परिवर्तित करते हैं।¹

- 1 "In the U S S R the economic plan has reached its highest state of development. It is obviously a substitute for that allocation of economic resources which in a capitalist system is determined by prices and incomes and related in turn to consumer's sovereignty and decisions made by innumerable businessmen. The state through its Gosplan determines the outlines of production plan bearing its principal decisions upon the broad objectives of the society or the Politburo. Obviously they will allocate scarce resources in accordance with the priorities of the Plan, not primarily according to the prices bid for the finished products. Managers and workers will receive compensation in currency, the compensation will vary with results attained and wages required to elicit the necessary supply of labour. Payments in money will enable the workers to exercise a limited consumers' choice, the planners in turn readjusting output of consumer goods in accordance with the selections made. Obviously, architects of the plan will not rely exclusively on the dictates of the consumers. They will not divert scarce domestic resource from essentials to non-essentials merely because consumers express a preference for the latter, nor will they divert restricted imports."

इस प्रकार नियोजन द्वारा पूर्णतः समाजवादी समाज की स्थापना की जाती है जिसमें निजी क्षेत्र का कोई स्थान नहीं होता। अर्थ-व्यवस्था पर पूर्ण रूप से राज्य का नियंत्रण रहता है और शक्तियों का केन्द्रीयकरण उत्कृष्ट होता है। निजी सम्पत्ति का अपहरण बल द्वारा तथा करों द्वारा किया जाता है। राष्ट्र के समस्त उद्योग राज्य के अधीन होते हैं। देशी तथा विदेशी व्यापार भी राज्य अथवा राज्य द्वारा नियन्त्रित सस्थाओं द्वारा किया जाता है। "निजी क्षेत्र को, जिसे आवश्यक रूप से समाज विरुद्ध समझा जाता है, कठोर विधियों द्वारा अन्ततः समाप्त कर दिया जाता है, केवल सीमित, प्रतिबन्धित तथा अस्थायी रूप से आर्थिक विकास में स्थान दिया जाता है। यह स्थान समाजवाद में परिवर्तित होने तक केवल इसलिए दिया जाता है क्योंकि समाजवाद अनायास क्रियान्वित नहीं किया जा सकता और क्योंकि निजी साहस अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को समाजवाद के योग्य बनाने में व्यावहारिक विधियाँ उपस्थित करता है।"¹

साम्यवादी नियोजन में लोकतन्त्रीय स्वतन्त्रता का समन्वय नहीं होता क्योंकि लोकतन्त्र में शक्तियों के विकेंद्रीकरण को महत्व प्राप्त है जबकि साम्यवादी नियोजन शक्तियों के कठोर केन्द्रीय नियन्त्रण का अन्य रूप है। आर्थिक स्वतन्त्रता को अत्यन्त सीमित कर दिया जाता है और राजनीतिक स्वतन्त्रता को लुप्त प्रायः। साम्यवादी राष्ट्रों में विपक्षी दल एवं स्वप्न मात्र है। राज्य के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को बल द्वारा कुचल दिया जाता है।

इस प्रकार दीर्घकालीन आयोजन—जिनके लक्ष्य अत्यधिक अवाक्षापूर्ण होते हैं—को सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया जाता है। जनता में भय की स्थिति रहती है, अतः राज्य द्वारा बनाया गया प्रत्येक कार्यक्रम सफल होता है। लक्ष्यों की पूर्ति वरम समय में होती है क्योंकि जनसाधारण को कठिनाइयों को दृष्टिगत नहीं किया जाता। तात्पर्य यह है कि साम्यवादी नियोजन समाजवादी नियोजन का उग्र, उत्कृष्ट एवं कठोर स्वरूप होता है।

1. "Private enterprise, being regarded as fundamentally anti-social and eventually doomed to extinction by exorable processes of history, is given only a limited and strictly temporary role in economic development. During the 'Transition to Socialism' it has its part to play, but only because Socialism cannot be introduced over night, and because private enterprise may offer the most practical method of raising certain sectors of economy to a level where they become ripe for socialisation" (A. H. Hanson, *Public Enterprise and Economic Development*, p 14)

पूँजीवादी नियोजन

वास्तव में यह कहना उचित ही है कि शुद्ध पूँजीवाद में जो कि मूल्य एवं निजी लाभ पर आधारित होता है, आर्थिक नियोजन का संचालन असम्भव है। नियोजन के अन्तर्गत देश की उत्पादन क्रियाओं का जानबूझ कर निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य द्वारा संचालन किया जाता है जबकि पूँजीवाद उत्पादक की पूर्ण स्वतन्त्रता को मान्यता देता है। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों में समन्वय जब ही हो सकता है जबकि पूँजीवाद के शुद्ध स्वरूप में कुछ परिवर्तन कर दिए जायें। वास्तव में नियोजित पूँजीवाद होने पर पूँजीवाद का स्वरूप नष्ट हो जाता है। जैसे ही अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों पर राजकीय नियन्त्रण होता है, पूँजीवाद अपना वास्तविक स्वरूप खोने लगता है। नियोजन एक सामूहिक क्रिया है जो अर्थ-व्यवस्था के समस्त अंगों को आच्छादित करती है और जिसे राज्य द्वारा किया गया संगठित एवं समन्वित प्रयास कहा जा सकता है। पूँजीवाद में अर्थ-व्यवस्था कुछ अंगों पर राजकीय नियन्त्रण प्राप्त करके नियोजन का प्रारम्भ होता है और धीरे धीरे इस नियन्त्रण का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर पड़ने लगता है जिससे पूँजीवाद का स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तित होता जाता है।

आधुनिक युग में पूँजीवादी राष्ट्रों में भी नियोजन (Capitalistic Planning) ने महत्व प्राप्त कर लिया है। इसमें केन्द्रीय व्यवस्था को सीमित तथा अस्थायी स्थान प्राप्त होना है। प्रारम्भिक अवस्था में पिछड़े हुए राष्ट्रों में राज्य को उद्योगों की स्थापना तथा विकास में प्रत्यक्ष रूपसे भाग लेना पड़ता है क्योंकि निजी साहस दुर्बल एवं उम्र समय जोखिम ले सकने के अयोग्य होता है। जैसे-जैसे निजी साहस का विकास होना जाता है, राज्य उद्योगों को निजी साहस के हाथ में सौंपता जाता है। जापान में राज्य ने आरम्भभूत सेवाओं के उद्योगों के अतिरिक्त जेप ममस्त उद्योगों के प्रवर्तक का कार्य सम्पादन किया है। जब वे उद्योग हड़तापूर्वक स्थापित हो गये एवं लाभोपार्जन करने लगे, तब उन्हें निजी साहसियों के हाथ बेच दिया गया। दूसरी ओर मैक्सिको में राज्य की दृष्टि में निजी साहस को ही प्रारम्भ में ही सुदृढ समझा जाता है और केवल आर्थिक तथा अन्य सहायता देने की आवश्यकता ही समझी गयी है। इन परिस्थितियों में राज्य साहसियों का काम स्वयं करने के स्थान पर निजी साहस को आवश्यक सहायता प्रदान करके विकास-हेतु प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार पूँजीवादी देशों में निजी साहस के सुदृढ होने तक ही राजकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है।

पूँजीवादी नियोजन में विपरिण की स्थिति में हेर-फेर करके नियोजन के

विकास अथवा राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिये हो सकता है। अर्थ व्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम सरकार इसलिये संचालित करती है ताकि अर्थ-व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे। फ्रांस की मोनेट योजना (Monnet Plan) का सम्बन्ध मुख्य रूप से औद्योगिक सामग्री के नवीनीकरण से था। इसी प्रकार अर्जेन्टाइना की सरकार ने महायुद्ध-पदचातु जनसंख्या वृद्धि की योजना संचालित की थी। परन्तु आधुनिक युग में अर्थ-व्यवस्थाएँ इतनी जटिल एवं परस्पर निर्भरता पर आधारित हैं कि अर्थ-व्यवस्था के एक क्षेत्र के विकास से अन्य क्षेत्रों का प्रभावित होना अवश्यभावो है। ऐसी परिस्थिति में विकास की किसी विशेष क्षेत्र में सम्बन्ध रखने वाली योजनाएँ सफल होना कठिन होता है।

दूसरी ओर सम्पूर्ण नियोजन वा अर्थ एक ऐसी समन्वित योजना से होता है जिसके द्वारा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का विकास होता हो। यह पहले ही बताया गया है कि पूंजीवादी नियोजन के अन्तर्गत देश के आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन नहीं किये जाने हैं। पूंजीवाद में विकास सम्बन्धी योजना राज्य द्वारा बनायी जाती है और इस योजना को कार्यान्वित करने का कार्य अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पक्षों को दे दिया जाता है। राज्य द्वारा योजना के क्रियान्वित कराने हेतु कोई दबाव उपयोग में नहीं लाया जाता है। राज्य अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा निजी साहसियों को योजना कार्यान्वित करने हेतु प्रोत्साहित करती है। राज्य केवल अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में ही निजी उत्पादकों को आज्ञायें देती है। ब्रिटेन की लेबर सरकार द्वारा जो १९४५-५१ के काल में योजना संचालित की गयी, उसे सम्पूर्ण विकास की योजना कह सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन की अधिकतर आर्थिक कार्यवाहियाँ राज्य के नियंत्रण के बाहर थी। राज्य ने आज्ञायें केवल कुछ ही वस्तुओं के उत्पादकों को दी।

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का पूंजीवाद के अन्तर्गत सम्पूर्ण नियोजन कहा जा सकता है क्योंकि इस योजना द्वारा राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे में कोई परिवर्तन करने का आयोजन नहीं किया गया।

प्रजातान्त्रिक नियोजन

प्रजातान्त्रिक नियोजन (Democratic Planning) एक ऐसी व्यवस्था को कहा जा सकता है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद का सम्मिश्रण होता है। जब समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोकतान्त्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है, तब उस व्यवस्था को प्रजातान्त्रिक नियोजन कह सकते हैं।

प्रजातान्त्रिक नियोजन में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विशेष महत्व है। प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा भारतीय समाजवाद पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि "समाजवाद का मतलब यह है कि राज्य में हर आदमी को तरक्की करने के लिए बराबर मौका मिलना चाहिए। मैं हरगिज इस बात को पतन्द नहीं करता कि राज्य हर चीज पर नियन्त्रण रखे, क्योंकि मैं इन्सान की व्यक्तिगत आजादी को अहमियत देता हूँ। मैं उस उग्र किस्म के राज्य समाजवाद को पसन्द नहीं करता जिसमें सारी ताकत राज्य के हाथों में होती है और देश के करीब-करीब सभी कामों पर उसी की हुकूमत हो। राजनीतिक दृष्टि से राज्य बहुत ताकतवर है। अगर आप उसे आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ताकतवर बना देंगे तो वह सत्ता का, अधिकार का केन्द्र बन जायगा जिसमें इन्सान की आजादी राज्य के मनमानेपन की गुलाम बन जायेगी।"^१ इस प्रकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ओर अग्रसर होना भी आवश्यक है। पूर्णतः समाजवादी तथा साम्यवादी व्यवस्था में सत्ता के केन्द्रीयकरण की वृद्धि की जाती है परन्तु लोकतान्त्रिक नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोका जाता है। दूसरी ओर आर्थिक आयों के मूलतत्त्व—राष्ट्र के भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय साधनों का पूर्णतम तथा विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए यथेच्छाकारिता तथा प्रति-योगिता प्रधान अर्थ व्यवस्था को खुली छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें शोषण का तत्व प्रधान होता है और मानवीय सम्पदा की बहुत अधिक बर्बादी होती है। 'जिसे ग्राम तौर पर स्वतन्त्र बाजार और स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था कहते हैं, वह आखिर में चलकर 'योग्यतम के ही अस्तित्व' के सिद्धान्त के मुताबिक तीव्रतम और गलाघोट प्रतियोगिता को जन्म देती है। इसलिए अब पूँजीवादी देशों में भी यह मान लिया गया है कि स्वतन्त्र उद्यम और यथेच्छा-कारिता की प्रणाली बेकार और पुरानी हो चुकी है और उस पर राज्य का नियन्त्रण और नियम लागू होना चाहिए। अगर हम यह सोचते हैं कि आयोजन और लोकतन्त्र का मेल नहीं बैठता तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि लोकतन्त्रीय सविधान के भीतर राष्ट्रीय साधनों का उपयोग नहीं हो सकता। असल बात यह है कि असली आयोजन, जो व्यक्ति और समाज दोनों के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, केवल लोकतन्त्रीय प्रणाली के भीतर ही सम्भव है।"^२

१ श्री जवाहरलाल नेहरू "हमारा समाजवाद" (आर्थिक समीक्षा, १६ मार्च, १९५७, पृष्ठ ४)।

२ श्री श्रीमन्नारायण (सदस्य योजना कमिशन) "आयोजन और लोकतन्त्र" (आर्थिक समीक्षा, ५ अक्टूबर, १९५८, पृष्ठ ६)।

प्रजातांत्रिक नियोजन में केवल पुनर्दृष्ट व्ययमात्रों तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। जिन व्यवसायों तथा उद्योगों का राज्य संपन्नतापूर्वक बर्खास्तकारी रीतियों के अनुसार चलाने योग्य होना है, उनका राष्ट्रीयकरण उचित मुद्रावृद्धि देने के पश्चात् किया जाता है। नियोजन के लक्ष्य साधारणतः उपभोक्ता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जाते हैं। विदेशी सहायता का इस प्रकार के नियोजन में विनाश महत्व होता है। विदेशी सरकारों तथा पूंजापतियों से पूंजी प्राप्त होती है, क्योंकि इन द्वारा उद्योगों के प्रवर्धन का कोई भय नहीं होता।

नौकरशाही में राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुर्लभ भाग किया जाता है जिसका प्रभाव नियोजन के कार्यक्रम पर भी पड़ता है। विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा कभी-कभी विनाशकारी कार्यक्रम भी संचालित होने रहते हैं, जो समस्त बर्खास्तकारी कार्यक्रमों के मुगम संचालन में बाधा पहुँचाते हैं तथा नियोजन अधिनियमों का सिद्धि कठिन प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार विकास की गति कुछ मन्द हो जाती है और राष्ट्र के साधनों का अपव्यय भी होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती सहायकारी संस्थाओं तथा ग्रामीण प्रबन्धक संस्थाओं की स्थापना की जाती है। प्रारम्भिक अवस्था में सत्ता हाथ में आने पर उसका दुर्लभयोग अवश्यभावों है। सरकारी क्षेत्र में पंचायतियों को इस नवीन स्थिति में अपनी सत्ता क्षतिग्रस्त होती प्रतीत होती है, अतः वे सरकारी नियमों के जाल को और कठोर बनाने का यत्न करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय होता है।

तानाशाही नियोजन

प्रा० हेमकान्त अग्रणी पुस्तक *The Road to Serfdom* (दास्ता का माग) में नियोजन की आलोचना से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि आर्थिक नियोजन से राजनीतिक तानाशाही का प्रादुर्भाव होता है। इनके विचार में राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार साहस की आर्थिक स्वतंत्रता रहा है और जब साहस की स्वतंत्रता पर अनुसंधान लगाये जाते हैं तो राजनीतिक तानाशाही का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक हो जाता है। हमारे नियोजन की मांग है कि एक योजना के अनुसार समस्त आर्थिक विभागों का केन्द्रीय संचालन किया जाय और इस योजना में विनाश उद्देश्यों की विनाश प्रकार से पूर्ति करने हेतु समाज के साधनों को जान बूझ कर उपयोग करने के तरीके निर्धारित किये

जायें”¹ प्रो० हेयक के विचार में यूरोप के कुछ देशों में तानाशाही का मुख्य कारण आर्थिक नियोजन के सिद्धान्तों का अनुसरण था। उनके विचारों में आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत किसी भी देश में विधान का शासन (Rule of Law) सम्भव नहीं हो सकता।

आर्थिक नियोजन के सम्बद्ध में प्रकट किये गये उपर्युक्त सभी विचारों का आधुनिक काल में खरडन हो गया है। आर्थिक नियोजन अब केवल एक विकास का औजार मात्र है जिसका उपयोग समाजवादी, साम्यवादी, प्रजातान्त्रिक एवं तानाशाही सभी प्रकार की सरकारें कर सकती हैं। इन सभीवादों की मान्यताएँ एक-दूसरे से भिन्न होने के कारण इस औजार का उपयोग भी भिन्न-भिन्न विधियों एवं प्रथक-प्रथक फल प्राप्ति हेतु किया जाता है। यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं होगा कि आर्थिक नियोजन तानाशाही को बढ़ावा देता है। वास्तव में प्रो० हेयक ने आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत ऐसे समाज का विचार किया था जिसमें राज्य द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं पर कठोर नियन्त्रण कर दिया जाता है, जिसमें साधनों के उपयोग का निश्चय राज्य द्वारा निर्धारित कठोर सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है, जहाँ उपभोग के लिये उपभोग की वस्तुएँ राज्य द्वारा निर्धारित होती हैं, जहाँ श्रमिकों को विशेष स्थान तथा विशेष प्रकार के गृहों में रहने की आज्ञा दी जाती है, जहाँ श्रमिकों को राज्य की इच्छानुसार अपरिवर्तनीय मजदूरी पर काम करना होता है, जहाँ श्रमिक सघों का समापन कर दिया जाता है, आदि। प्रो० डॉबिन ने इन विचारों का खरडन करते हुए बताया कि आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक निश्चय निजी साहसियों के स्थान पर जनसमुदाय के प्रतिनिधियों अथवा जन-अधिकारी द्वारा किये जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये जन-अधिकारी उपभोग एवं उत्पादन के कठोर कार्यक्रम जो अपरिवर्तनीय सिद्धान्तों पर आधारित जनता पर लादें। दूसरी ओर नियोजित अर्थ-व्यवस्था में मनमाना शासन नहीं किया जाता है। प्रत्येक नियोजित अर्थ-व्यवस्था में विधान के अनुसार शासन होता है। विधान इतना परिवर्तनीय अवश्य नहीं होता कि इसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन न किए जा सकें। नियोजित अर्थ-व्यवस्था एक गतिशील समाज का निर्माण करता है और गतिशील समाज में परिवर्तनों के अनुकूल

1. What our planners demand is a central direction to all economic activity according to a single plan, laying down how the resources of society should be consciously directed to serve particular ends in a particular way”.

(Prof. Hayek, *The Road of Serfdom* p. 26.)

विधान में परिवर्तन करना भी आवश्यक होता है। विधान के परिवर्तन को मनमानापन कहना उचित नहीं है।

उपयुक्त विवाद से यह स्पष्ट है कि नियोजन का अन्तिम स्वरूप तानाशाही नहीं होता है। परन्तु ऐसे राष्ट्रों में जहाँ तानाशाही शासन हो, नियोजन अर्थ-व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है।

राष्ट्र में तानाशाही सरकार होने पर ही तानाशाही नियोजन (Fascist Planning) का प्रश्न उठता है। तानाशाही नियोजन में सत्ता का केन्द्रीय-करण जनता की प्रतिनिधि सरकार में न होकर अनन्य शासक (Dictator) में होता है। राष्ट्र के समस्त साधनों का डिक्टटर की इच्छानुसार उपयोग में लाया जाता है। सरकार की समस्त क्रियाओं का उद्देश्य डिक्टटर की सत्ता, शक्ति और सम्मान में वृद्धि करना होता है। आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता भी डिक्टटर की इच्छानुसार नियन्त्रित होती है। इस प्रकार राष्ट्र में सैन्यीकरण की स्थिति की स्थापना हो जाती है। तानाशाही नियोजन में निजी क्षेत्र का ही विकास सरकारी नियमन तथा नियन्त्रण द्वारा किया जाता है। जन-समुदाय के जीवन-स्तर को सुधारन के लिए सरकारी नीतियों को शक्ति द्वारा अनिवार्य किया जाता है। राष्ट्र भर में भय की छाप लगी रहती है, फलतः कठोर बाध्यबाह्य करना सुगम एवं सुविधाजनक होता है। आवश्यक सेवाओं तथा आधारभूत उद्योगों का अपहरण भी किया जाता है। सरकारी कार्यक्रम को संचालित करने के हेतु निजी सम्पत्ति का शक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। इस प्रकार तानाशाही नियोजन में राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन में वृद्धि अवश्य की जाती है किन्तु उसका समान वितरण नहीं किया जाता या यो कहे कि प्रायः ऐसा नहीं होता। धनिक-वर्ग उसी स्थिति पर आरुढ़ रहते हैं, निर्धन यद्यपि निर्धन रहते हैं तथापि कतिपय सुविधाएँ उन्हें उपलब्ध की जाती हैं। साम्यवादी नियोजन की भाँति इसकी सफलता भी कभी-कभी आश्चर्यजनक होती है परन्तु मानवीय तत्वों को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता जिसमें कि मानवीय व्यक्तिगत स्वतन्त्रता त्रिलकुल लुप्त हो जाती है। सरकार में आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों सत्ता निहित होती है, और व्यक्ति सरकार का दास-भात्र बनकर रह जाता है। इस प्रकार का नियोजन आकस्मिक सफटों जैसे युद्ध, प्राकृतिक सफट, मंदों आदि का मुकाबला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। द्वितीय महायुद्ध काल में जर्मनी में तानाशाही अर्थ-व्यवस्था का आयोजन किया गया था। आधुनिक युग में पाकिस्तान की तानाशाही सरकार भी निर्धारित आयोजन द्वारा आर्थिक विवास कर रही है।

सर्वोदय नियोजन अथवा गांधीवादी नियोजन

सर्वोदय नियोजन की विचारधारा भारत में उदय हुई है और इसके सिद्धान्त भारत की परिस्थितियों के अनुकूल ही निर्धारित किये गये हैं। गांधीवादी अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर सर्वोदय नियोजन का निर्माण किया गया है। सर्वोदय उस व्यवस्था को कहा जाना है जिसमें समस्त समाज का अधिकतम कल्याण आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण द्वारा किया जाता है। गांधीजी सर्वेव यह विचार प्रकट करते थे कि स्वराज्य के द्वारा भारत के प्रत्येक ग्राम एवं भोपड़ी में स्वतन्त्रता की लहर दौड़नी चाहिये। भारत सस्कृति के अनुकूल नियोजन का संचालन करने हेतु हमें पश्चिमवादी तथा साम्यवादी देशों की नकल करना उचित नहीं है। हमें अपनी प्राचीन सस्कृति तथा अन्य देशों के अनुभवों का अध्ययन करके ऐसी आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को खोज निकालना चाहिये जो हमारे समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो।

सर्वोदय एक नये अहिंसक समाज का निर्माण करना चाहता है और इस समाज के निर्माण हेतु जिन योजनावद्ध कार्यक्रमों का संचालन करना आवश्यक हो, उन्हें सर्वोदय नियोजन कह सकते हैं। ३० जनवरी १९५० को सर्वोदय योजना के सिद्धान्त सर्वप्रथम प्रकाशित किये गये। इन सिद्धान्तों की विशेष बातें इस प्रकार थीं—

(१) ज़पि भूमि पर वास्तविक अधिकार जोत करने वाले का होगा, भूमि का पुन वितरण भूमि के समान वितरण के लिए किया जायेगा, भूमि की आर्थिक इकाइयों को सहकारी फार्मों में सामूहिकृत किया जायेगा तथा जोत करने वाले का कोई भी शोषण नहीं कर सकेगा।

(२) आय एवं धन का न्यायोचित एवं समान वितरण किया जायेगा तथा न्यूनतम और अधिकतम आय भी निर्धारित कर दी जायेगी।

(३) भारत में स्थित विदेशी व्यवसायों को देश से हटने को कहा जाय, अथवा उनसे उनके संगठन, प्रबंध एवं उद्देश्य परिवर्तन करने को कहा जाय, अथवा उन्हें राजकीय अधिकार के अन्तर्गत चलाया जाय।

(४) केन्द्रित उद्योगों पर समाज का अधिकार होगा जिनका संचालन स्वतंत्र निगमों अथवा सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाय तथा विकेन्द्रित उद्योगों में उत्पादन के यंत्रों पर व्यक्तिगत अथवा सहकारी संस्थाओं के अन्तर्गत सामूहिक अधिकार होगा।

(५) ऐसी वित्त-व्यवस्था की स्थापना करना हमारा उद्देश्य होना चाहिये जिसमें सगृहीत राजकीय वित्त (Public Revenue) का ५०% ग्रामीण

पचायता द्वारा व्यय किया जाय तथा शेष ५०% अन्य उच्च संस्थाओं के प्रशासन पर व्यय किया जाय।

सन् १९५५ में इन सिद्धान्तों को दोहराने की आवश्यकता समझी गयी क्योंकि इस बीच बहुत सी घटनाएँ हो गईं। भूदान यज्ञ की सफलताएँ एवं सर्वोदय के आदर्शों के प्रति गहन आकर्षण उत्पन्न होने के कारण सब सेना सच ने एक सर्वोदय योजना समिति की नियुक्ति की जिसे काँग्रेस पार्टी एवं भारत सरकार की समाजवादी समाज की विचारधारा एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों एवं लक्ष्यों का अध्ययन करना था तथा सर्वोदयी समाज का लक्ष्य एवं उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिन संस्थाओं का निर्माण करना आवश्यक हो, को स्पष्ट रूप से जन समाज के सम्मुख रखना था। इस समिति में (१) श्री धीरेन्द्र मजूमदार (२) श्री जयप्रकाश नारायण (३) श्री उषला सहज बुद्धे (४) २० श्री धाज (५) श्री सिद्धराज ढड्डा (६) श्री अच्युत पटवर्धन (७) श्री रवीन्द्र वर्मा (८) श्री नारायण देसाई (९) श्री शंकरराव देव (संयोजक) सम्मिलित थे।

उपरोक्त समिति ने अपना रिपोर्ट में बताया कि सर्वोदयी व्यवस्था अनिश्चितताएँ एवं कठोर व्यवस्था नहीं है जिसके आकार पर जोर नहीं बनाया जा सकता हो। यह तो एक विकसित आदर्श है जिसके द्वारा मानव मानव के सम्बन्धों और हमारी संस्थाओं के वर्तमान रूप में परिवर्तन करके उन्हें सत्य और अहिंसा से अनुप्राणित कर सकता है। इसे कट्टरवाद अथवा जड़-पन्थ समझना कदाचित्त उचित न होगा। समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया—

(१) सर्वोदय समाज के आधारभूत सिद्धान्त क्या हैं ?

(२) सर्वोदयी समाज-व्यवस्था स्थापित करने के लिए कौन-कौन से उपाय और कार्यक्रम हो सकते हैं तथा समाज को किन-किन अवस्थाओं में से इसके लिए गुजरना होगा ?

सर्वोदय नियोजन का लक्ष्य सर्वोदयी समाज-व्यवस्था की स्थापना करना है। सर्वोदय का अर्थ है सर्वांगीण उत्थिति। 'सर्वोदय' मानता है कि समाज के अन्दर व्यक्तियों और संस्थाओं के सम्बन्धों का आधार सत्य और अहिंसा होना चाहिए। उसका यह भी विश्वास है कि समाज में सब व्यक्ति समान और स्वतन्त्र हैं और इनके बीच कोई चिरस्थायी सम्बन्ध हो सकता है और इनको एक साथ रख सकता है तो वह प्रेम और सहयोग ही है न कि चला और जार-जवरदस्ती। मनुष्य के भीतर ठोस प्रतिपादिता और लड़ाई की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देकर समाज में

प्रेम और सहयोग न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न उसका नंबर्न किया जा सकता है। सर्वोदयी समाज ऐसे वातावरण में पैदा नहीं हो सकता, जहाँ बुल्म के यत्र पूर्णता को पहुँचा दिए गए हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ या मुनाफा कमाने का लोभ इतना बलवान बन गया है कि उसने प्रेम और भ्रान्तभाव का दबा दिया हो और समानता की भावना को नष्ट कर दिया हो। सर्वोदय का ऐसी समाज रचना कायम करनी है जिसके अन्दर सत्याग्रहो द्वारा सत्ता का प्रयोग अनावश्यक बना दिया जायेगा, क्योंकि यह भी तो बल-प्रयोग का एक प्रतीक ही है, अथवा सत्ता के प्रयोग को इतना घटा दिया जायेगा कि जो हमारा अहिंसा की यात्रा में एकदम अनिवार्य हो।^१

सर्वोदय व्यवस्था में बल के प्रयोग को स्थान नहीं है। यह माना गया है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने पर मनुष्य अपने आप इतना नयम कर लेगा कि वह बिना किसी बाहरी दबाव के भी समान के हिन को करेगा। ज्यों-ज्यों मनुष्य इन समयों की सीटियों का चन्ना जाएगा, राज्य सत्ता का उपयोग घटता जाएगा और वह सत्ता समाज सेवा सम्बन्धी सत्याग्रहो के हाथों में पहुँच जायगी जिनको इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इनकी क्रियाविधि का आधार बल प्रयोग के स्थान पर प्रेम, सहयोग, समझाना-बुझाना और प्रत्यक्ष समाज हिन होगा। सर्वोदय समाज की स्थापना करने के लिये द्विमुखीय उपाय करने होंगे। एक ओर तो वर्तमान राजनीतिक एवं आर्थिक सत्याग्रहो के हाथों में सत्ता केन्द्रित है, उसका विकेन्द्रीयकरण करना होगा और दूसरी ओर जनता को सत्याग्रह और बला की शिक्षा दी जायेगी।

सर्वोदय योजना-समिति में सर्वोदयी योजना के लक्ष्य निम्न प्रकार स्पष्ट किये हैं —

(१) समाज के प्रत्येक सदस्य को पूरे समय तथा पैट भरने योग्य काम देना— इस लक्ष्य को पूर्ण हेतु समाज के समस्त आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन करने होंगे। तभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकेंगी कि प्रत्येक स्त्री-पुरुष अपनी रजि के अनुसार कार्य का चुनाव करके खुनी-खुनी कार्य कर सकें। यह काम एक ओर समाज की भौतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ण करे तथा दूसरी ओर उन काम से जान अथवा अनजान में शरीर के स्वास्थ्य, दौडिक एवं मानसिक विज्ञान की प्रतिक्षा मिलती रहे। ऐन काम अथवा पत्रों में आवश्यक बुनालना प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी समाज व्यक्ति को दे तथा काम करने के

१. सर्वोदय संयोजन—अखिल भारतीय सर्व सेवा सघ संकाशन, पृष्ठ ४६-४७

भोजार तथा साधन प्राप्त करने में भी समाज उसकी सहायता करे। समाज का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अनुकूलताएं उत्पन्न करे कि व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य अथवा पेशे का चयन कर सके। वह कार्य उसे पूरे समय मिलता रहे, वह पेट भर रोजी दे सके, उसे अपनी बुद्धि के विकास तथा अपनी शक्तियों का पूरा-पूरा उपयोग करने का अवसर मिल सके। सर्वोदयी योजना में पूरा काम और रोजी के लक्ष्य के आधार पर उद्योग प्रणाली में परिवर्तन करने होंगे ताकि ऐसे उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ायी जा सके जो अधिक से अधिक लोगों को काम दे सकने की क्षमता रखते हों। बेकारी को मिटाने हेतु यंत्रों की अपेक्षा अधिक से अधिक श्रमिकों को काम देना होगा। उद्योगों का पुनसंगठन करना होगा तथा अधिक से अधिक मनुष्यों को कार्य देने की शक्ति रखने वाले उद्योगों के यंत्रों में आवश्यक सुधार करने होंगे जिनसे वह कम से कम समय में अधिक और अच्छा उत्पादन दे सके। सर्वोदय समाज विकेंद्रीकरण पर आधारित है और इसमें उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित नहीं होंगे। कोई किसी को रोजी नहीं देगा। सब अपनी रोजी कमायेंगे। जिन उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों का स्वामित्व नहीं हो सकता है, उन पर सहकारी संस्थाओं, ग्राम संस्थाओं तथा राज्य का स्वामित्व होगा।

(२) यह निश्चित कर लेना है कि समाज के प्रत्येक सदस्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय जिससे कि वह अपने व्यक्तित्व का पूरा-पूरा विकास कर सके और समाज की उन्नति में भी उचित योगदान दे सके—खादी बोर्ड के प्रकाशन "ठैठ नीचे से निर्माण" के अनुसार भारत में लोगों का स्वभाव ऐसा बन गया है कि साधारण परिवार की अन्न, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सन् १९५५ के मूल्य निर्देशक के अनुसार वार्षिक आय ३०००) रुपये तक होनी चाहिये। परन्तु देश में "श्रीसत मनुष्य की वार्षिक आय १३२०) रुपये है जिनकी आय ३६००) रुपये से ऊपर है, ऐसे परिवार देश में केवल ५९२ लाख हैं। यह हमारे देश की आबादी का केवल ७.४ प्रतिशत है। इसलिये योजना इतना उत्पादन बढ़ाने और सेवाएं उपलब्ध करने का यत्न करेगी कि यह ६२.६% आबादी ७.४% के से जीवन मान को प्राप्त हो सके। इसके लिये अभी ऋण-शक्ति बढ़ानी होगी। सर्वोदयी योजना में सर्वप्रथम उन ६२.६ प्रतिशत की ओर ध्यान दिया जाना होगा जिनकी आय ३६००) रुपये से कम है। ऑल इंडिया खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, बम्बई द्वारा प्रकाशित 'बिल्डिंग फ्रॉम विलो' के अनुसार परिवारों का उनकी आय के अनुसार वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है—

परिवारों का वर्गीकरण

वार्षिक व्यय (रूपयों में)	परिवार (लाखों में)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
६००) तक	१६३.२	२०.४
६००) से १२००)	२४६.६	३१.२
१२००) से १८००)	१६८.८	२१.१
१८००) से २४००)	८३.२	१०.४
२४००) से ३६००)	७६.२	९.५
३६००) से ऊपर	५६.२	७.४
	<u>८००.२</u>	<u>१००.०</u>

(३) जीवन को प्राथमिक आवश्यकताओं के विषय में यह प्रयत्न हो सके कि प्रत्येक प्रदेश स्वावलम्बी हो—जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक साधनों की बहुतायत होगी, वहाँ प्राथमिक आवश्यकताओं—अन्न, वस्त्र, मकान प्राथमिक शिक्षा तथा साधारण रोगों की चिकित्सा के सम्बन्ध में सर्वप्रथम स्वावलम्बन निर्माण किया जायगा। जिन प्रदेशों में प्राकृतिक अनुकूलताओं की न्यूनता होगी, वहाँ कमी वाले गाँवों के ऐसे ग्राम मण्डल बना दिये जायेंगे जो सहयोग, विनिमय और सबकी उपज को एकत्रित करके अपनी न्यूनता को पूर्ण कर लेंगे। जहाँ यह भी सम्भव न हो, वहाँ वे गाँव या क्षेत्र विशेष अपने साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके तथा अन्य ग्राम उद्योगों की व्यवस्था करके शेष बची की पूर्ति उस प्रदेश की योजना में से कर सकेंगे।

स्वावलम्बन के लक्ष्य की पूर्ण हेतु कोई कड़ी भौगोलिक सीमाएँ नहीं खींच दी जायेंगी। स्वावलम्बी इकाइयाँ ऐसी अनेक वस्तुओं के बारे में एक-दूसरे की पूर्ति कर दिया करेंगी जो जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएँ न हों। प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ण हेतु अन्य प्रदेशों पर निर्भर रहने से परावलम्बी प्रदेशों की जनता के स्वाभिमान को भी हानि पहुँचती है और आवश्यकता पूर्ति करने वाले प्रदेश उसके साथ भेदभाव का वर्तन एवं शोषण करने लगते हैं।

(४) यह भी निश्चय करना होगा कि उत्पादन के साधन और क्रियाएँ ऐसी न हों जो प्रकृति का शोषण निर्मम बन कर कर डालें। उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं, साधनों एवं पद्धतियों का उपयोग करते समय केवल तत्कालीन हित एवं लाभ को ही दृष्टिगत करना उचित न होगा। प्राकृतिक सम्पत्तियों का शोषण करते समय आने वाली पीढ़ियों की कठिनाइयों पर विचार करना उचित होगा। किसी ऐसी प्राकृतिक सम्पत्ति का जिसकी पूर्ण होने की सम्भावना न हो,

शोषण जब ही किया जाना चाहिये जबकि इसके द्वारा समस्त मानव समाज का सदैव के लिये हित साधन सम्भव होता हो।

उपयुक्त लक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि सर्वोदयी योजना में सर्वप्रथम सबसे अधिक ध्यान सबसे कम आय वाले परिवारों की दशा सुधारने पर दिया जायेगा और यह प्रयत्न किया जायेगा कि एक निश्चित बाल में उनकी आय उनसे ऊपर की सीढ़ी वाले लोगों के बराबर हो जाय। फिर इन दो सम्मिलित वर्गों की ओर ध्यान दिया जायेगा। उनकी आय उनसे ऊपर वाली श्रेणी के बराबर करने का यत्न किया जायेगा। इस प्रकार करते-करते एक उचित अवधि के भीतर सबको ३०००) रुपया वार्षिक आय तक लाने का यत्न किया जायेगा। इस प्रकार सर्वप्रथम ६००) ६० वार्षिक आय से कम आय वाली श्रेणी की उन्नति के लिए प्रयत्न किये जायेंगे। परन्तु इसका तात्पर्य यह न होगा कि अन्य श्रेणियों के लिए बुद्ध भी नहीं किया जायेगा। नीचे के स्तरों की वास्तविक आय बढ़ाने के लिये उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाना ही पर्याप्त न होगा अपितु उत्पादन इस प्रकार बढ़ाने के यत्न किये जायेंगे कि सबसे नीचे के स्तर वाले परिवारों को आवश्यक मात्रा में आवश्यक वस्तुएँ मिल सकें और उनका जीवन मान ऊँचा हो सके। इस प्रकार उत्पादन और रोजगारी साथ साथ बढ़ते जायेंगे और इनका मेल न्यायपूर्ण बँटवारे के साथ बँठा दिया जाता रहेगा।

उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सर्वोदयी योजना जो बेकारी को पूर्णरूपेण मिटाना चाहती है और उद्योगों का सगठन विकेन्द्रीयकरण के सिद्धान्तों के आधार पर करना चाहती है, धन प्रधान नहीं, धर्म प्रधान होगी। वह प्रत्यक्ष इकाई ग्राम परिवार तथा औद्योगिक परिवार के रूप में सर्वोदय नगरों की व्यवस्था होगी। सर्वोदय समाज के विचार के जन्मदाता महात्मा गाँधी ने २८ जुलाई १९४६ को 'हरिजन' में इस समाज की रूपरेखा इस प्रकार स्पष्ट की—

“यह समाज अनगिनत गाँवों का बना होगा। उसका ढाँचा एक के ऊपर एक के ढग का नहीं बल्कि लहरों की तरह एक के बाद एक जैसे घेरे की (वतुल की) शकल में होगा। जीवन भीनार की शकल में नहीं होगा, जहाँ ऊपर की सकुचित छोटी नीचे के चौड़े पाये पर भार डालकर खड़ी रहे, वहाँ तो जीवन समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक घेरे की शकल में होगा, जिसका केन्द्र व्यक्ति होगा। व्यक्ति गाँव के लिये और गाँव समूह के लिये मर मिटने को हमेशा तैयार रहेगा। इस तरह अन्त में सारा समाज ऐसे व्यक्तियों का बन जायेगा जो ग्रहकार पाकर भी कभी किसी पर हावी नहीं होंगे बल्कि सदा विनीत रहेंगे और उस समुद्र के गौरव के हिस्सेदार बनें, जिसके वे अविभाज्य अंग हैं।”

“इसलिये सबके बाहर का घेरा अपनी शक्ति का उपयोग भीतर वालो को कुचलने मे नहीं करेगा, बल्कि भीतर वाला सबको ताकत पहुँचायेगा और स्वयं उनसे बल ग्रहण करेगा। युक्लिड की परिभाषा का बिन्दु भले ही मनुष्य को खींच न सके तो भी उसका शाश्वत मूल्य तो है ही। इसी तरह मेरे इस चित्र का भी मानव जाति के जीवित रहने के लिये अपना मूल्य है। इस तस्वीर के आदर्श तक पूरी तरह पहुँचना सम्भव नहीं है, फिर भी भारत की जिन्दगी का बैसा मकसद होना चाहिये। हमें क्या चाहिये, इसका सही चित्र तो हमारे पास होना ही चाहिये तभी तो हम उसके करीब पहुँचेंगे। यदि कभी भारत के प्रत्येक गाँव में एक-एक गणतंत्र स्थापित हुआ तो मेरा दावा है कि मैं इस चित्र को सच्चाई सिद्ध कर सकूँगा, जिसमें सबसे आखिरी और सबसे पहला दोनों बराबर होंगे या दूसरे शब्दों में कहे तो न कोई पहला होगा न आखिरी।”

विभिन्न प्रकार के नियोजन विभिन्न राष्ट्रों की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त होते हैं। वास्तव में किसी भी राष्ट्र के नियोजन का प्रकार वहाँ की सरकार के राजनीतिक ढाँचे पर बड़ी सीमा तक निर्भर होता है। साम्यवादी सरकार की स्थापना के साथ-साथ साम्यवादी नियोजन को भी मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अन्य प्रकार के नियोजन भी राष्ट्रों द्वारा अपनाये गये राजनीतिक वादों पर निर्भर रहते हैं। राजनीतिक विचारधाराओं के अनिरीक्त देश की संस्कृति, जनसमुदाय का स्वभाव एवं आर्थिक स्थिति, रोजगार की स्थिति भौगोलिक परिस्थितियों तथा ऐतिहासिक विचारधाराओं, शिक्षा एवं तान्त्रिक प्रशिक्षण के विस्तार आदि का प्रभाव भी नियोजन के प्रकार पर पड़ता है। भारत में लोकतन्त्रीय सरकार की स्थापना के साथ प्रजातान्त्रिक नियोजन को मान्यता प्राप्त हुई। भारत की योजनाओं को लोकतन्त्रीय राज्य-व्यवस्था में सफल बनाने के लिए प्रजातान्त्रिक नियोजन ही उपयुक्त है। भारत में योजनाओं की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि आर्थिक नियोजन एवं लोकतन्त्र में स्वाभाविक बँध नहीं है और यह विचारधारा कि प्रजातन्त्र में आर्थिक नियोजन की सफलताएँ सदैहास्यद होती हैं, सर्वथा निराधार सिद्ध हो गयी है।

उपयुक्त नियोजन के प्रकार बिस्तृत दृष्टिकोण के, जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण को विशेष महत्त्व दिया गया है, आधार पर निर्धारित किये गये हैं। इसके विपरीत नियोजन का वर्गीकरण उसके किसी एक विशेष गुण के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं—

(१) गतिशील बनाम स्थिर नियोजन (Dynamic vs. Static Planning)—नियोजन का तात्पर्य केवल प्राथमिकताओं के आधार पर लक्ष्य एवं विनियोजन करना ही नहीं होना चाहिए। वास्तव में नियोजन एक सतत विधि

सम्भव नहीं होता है। उदाहरणार्थ, भारत में पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय एवं विनियोजन को कमश बढ़ाकर ३० हजार करोड़ रुपये एवं २१ से २२ हजार करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य योजना का दीर्घकालीन उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति हेतु तृतीय योजना के कार्यक्रमों का विवरण प्रकाशित कर दिया गया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय को बढ़ा कर १७ हजार करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है। तृतीय योजना के अन्त होते ही उस समय की परिस्थितियों के अनुसार एवं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को दृष्टिगत करने हुए चतुर्थ योजना के कार्यक्रमों को निर्धारित किया जायगा। अब यह भी अनुभव किया जाने लगा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रमों को वार्षिक कार्यक्रमों में विभक्त किया जाना चाहिए। फलस्वरूप वार्षिक प्रगति आँकी जा सके और उस प्रगति के अनुसार आगामी वर्ष के कार्यक्रमों में हेरफेर किया जा सके।

(३) कार्य-प्रधान बनाम निर्माण प्रधान नियोजन (Functional vs Structural Planning)—कार्य-प्रधान नियोजन उस कार्यक्रम को कहते हैं जिसमें वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक प्रारूप के अन्तर्गत ही नियोजन के कार्यक्रमों का संचालन करके आर्थिक कठिनाइयों का निवारण किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में सस्यनीय परिवर्तन नहीं किए जाते। एक नवीन संस्थानीय आकार वा प्रादुर्भाव नहीं होता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों को कम साधनों एवं तान्त्रिक विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जा सकता है। परन्तु यह नियोजन चतुर्मुखी विकास एवं जनसमुदाय में नवीन जीवन-संचारण हेतु अनुपयुक्त है। इसमें तो केवल विशय समस्याओं का वितरण होता है एवं अर्थ-व्यवस्था की विशिष्ट दुर्बलताओं को कम किया जाता है।

दूसरी ओर निर्माण सम्बन्धी नियोजन में सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था में सस्यनीय परिवर्तन द्वारा एक नवीन व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा समाज में सवतांमुखी विकास और नवीन जीवन-संचार होता है। निर्माण-सम्बन्धी नियोजन में उत्पादन की नवीनतम विधियों का प्रयोग किया जाता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना को सर्वथा कार्य सम्बन्धी नियोजन कहा जा सकता है क्योंकि इस योजना के कार्यक्रमों को इस प्रकार निर्धारित किया गया था कि तत्कालीन उत्पादन-व्यवस्था में न्यूनान्यून हेर फेर द्वारा उत्पादन-वृद्धि की जा सके। इस योजना में आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में समायोजन करने को विशेष महत्त्व दिया गया था क्योंकि द्वितीय महायुद्ध एवं देश के विभाजन से पहुँची क्षति की पूर्ति आवश्यक थी। फिर भी इस योजना में कुछ क्षेत्रों में सस्यनीय परिवर्तन हुए हैं। इन क्षेत्रों में भूमि-प्रबन्ध सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। द्वितीय योजना में एक नवीन अर्थ-व्यवस्था के

निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) का विस्तार एवं विस्तार करके उत्पादन के क्षेत्र में सस्थनीय परिवर्तन किए गए हैं। तृतीय योजना में सहकारी कृषि, उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक महत्व, समाज सेवाओं के कार्यक्रमों एवं सामुदायिक विकास आदि द्वारा सस्थनीय परिवर्तनों को और भी अधिक महत्व दिया गया है। इसलिये इन दोनों योजनाओं को निर्माण प्रधान योजना कहा जा सकता है।

अर्थ वितरित राष्ट्रों में निर्माण-प्रधान योजना को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे द्वारा एक नवीन व्यवस्था का निर्माण होता है और पुरानी व्यवस्था में जिसकी प्रभावशीलता समाप्त हो चुकी है, बड़े-बड़े सुधार कर दिये जाते हैं। रूस एवं चीन में नियोजन का स्वरूप निर्माण-प्रधान है। चीनी नियोजन द्वारा चीन की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को समाजवादी अर्थ व्यवस्था में परिवर्तित किया गया है। इसी प्रकार रूसी नियोजन के प्रारम्भिक काल में नियोजन का स्वरूप निर्माण प्रधान था और इसने द्वारा समाज के ढाँचे में परिवर्तन किये गये।

वास्तव में निर्माण-प्रधान नियोजन का अधिक प्रभावशाली माना जा सकता है। इसने द्वारा ही धन एवं आय का समान वितरण तथा अवसर एवं धन में वृद्धि की जा सकती है। किसी राष्ट्र की निर्धनता का समाप्त करन हेतु धन एवं आय का समान वितरण तथा अधिकतम उत्पादन दोनों ही आवश्यक हैं, और इन दोनों का आयोजन अर्थ-व्यवस्था में सस्थनीय परिवर्तन द्वारा ही किया जा सकता है। वास्तव में कार्य प्रधान एवं निर्माण प्रधान नियोजन में कोई विशेष अंतर नहीं है। निर्माण-प्रधान नियोजन भी कुछ समय पश्चात् कार्य-प्रधान नियोजन का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। निर्माण-प्रधान योजना के संचालन के कुछ वर्षों पश्चात् अर्थ व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था में आवश्यक सस्थनीय परिवर्तन हो जाते हैं और फिर बड़े पैमाने पर व्यवस्था में सस्थनीय परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी परिस्थितियों में निर्माण-प्रधान योजना कार्य प्रधान योजना बन जाती है। रूसी नियोजन ने अरु कार्य-प्रधान नियोजन का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। इसी प्रकार कुछ वर्षों पश्चात् चीनी एवं भारतीय नियोजन भी कार्य-प्रधान नियोजन बन जायेंगे।

(४) भौतिक बनाम वित्तीय नियोजन (Physical vs Financial Planning)—जब नियोजन का कार्यक्रम निर्धारित करते समय उपलब्ध वास्तविक साधनों को दृष्टिगत किया जाता है तो इसे भौतिक नियोजन कहते हैं। योजना के कार्यक्रम पूर्ण होने पर उत्पन्न हुई पूंति एवं माँग के सम्बन्ध में

अनुमान लगाने का कार्य भी भौतिक नियोजन का अंग होता है। इतना ही नहीं योजना बनाते समय केवल प्रथम योजनाओं के लिये साधनों की आवश्यकताओं को ही दृष्टिगत करना पर्याप्त नहीं होता है, प्रत्युत समस्त विकास कार्यक्रमों के आवश्यक वास्तविक साधनों का निर्धारण भी जरूरी होता है। योजना के द्वारा अर्थ-व्यवस्था के वर्तमान सतुलन को छिन्न-भिन्न करके नवीन सतुलन का निर्माण किया जाता है। नवीन सतुलन स्थापित करने से पूर्व आवश्यक सामग्री, यंत्र, श्रम आदि की उपलब्धि को दृष्टिगत करना आवश्यक होगा। यदि कुछ सामग्री विदेशों से आयात करना हो तो यह भी आंकना पडेगा कि कथित सामग्री प्राप्त की जा सकती है अथवा नहीं और साथ ही क्या इस सामग्री में आयात के बोधनार्थ देना में निर्यात योग्य अतिरिक्त वस्तुएँ उपलब्ध हैं या नहीं। इस प्रकार योजना के कार्यक्रमों की भौतिक साधनों सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं उपलब्धि के अध्ययन तथा निश्चयों को भौतिक नियोजन कहते हैं।

दूसरी ओर, वित्तीय नियोजन में योजना के कार्यक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं को आँका जाता है एवं उनका प्रबन्ध किया जाता है। विनियोजन का प्रकार निश्चित करके विभिन्न मदों पर व्यय होने वाली राशियाँ निश्चित की जाती हैं। विकास-व्यय द्वारा मूल्यों एवं मौद्रिक आय पर पडने वाले प्रभाव का अनुमान लगाकर माँग एवं पूर्ति के अनुमान लगाये जाते हैं। बजट सम्बन्धी नीतियों द्वारा मूल्य, आय एवं उपभोग पर नियंत्रण किया जाता है। इन सभी कार्यों को वित्तीय नियोजन में सम्मिलित किया जाता है। किसी भी योजना को सफल बनाने के लिये भौतिक एवं वित्तीय—दोनों ही विचारधाराएँ एवं अनुमान आवश्यक हैं। योजना में इन दोनों विचारधाराओं को पृथक्-पृथक् नहीं किया जा सकता। यह अवश्य है कि किसी योजना में वित्तीय विचारधाराओं को और किसी में भौतिक विचारधाराओं को महत्व प्रदान किया जाता है। वित्तीय साधनों में राज्य वृद्धि कर सकता है किन्तु इनकी वृद्धि कुछ लाभदायक नहीं होगी, जब तक कि वास्तविक भौतिक साधनों में वृद्धि न हो। दूसरी ओर यदि भौतिक साधनों को ही अधिक महत्व दिया जाय तो वित्तीय-व्यवस्था के श्रमकों का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस प्रकार वित्तीय नियोजन एवं भौतिक नियोजन एक-दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों का समन्वित उपयोग आवश्यक होता है।

योजना बनाने के पूर्व योजना बमोसन को भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक होता है। इन भौतिक लक्ष्यों में पारस्परिक समन्वय होना भी अत्यन्त आवश्यक है। एक उद्योग का निर्मित माल दूसरे उद्योग के लिये कच्चा माल होता है। ऐसी परिस्थिति में दोनों उद्योगों के लक्ष्यों में समन्वय होना अनिवार्य

है अन्यथा विकास छिन्न भिन्न हो जायेगा। प्रत्येक उद्योग के लिये आवश्यक सामग्री एवं कच्चे माल की मात्रा तथा उसके द्वारा निर्मित माल की माँग निर्धारित करना योजना अधिकारी का मुख्य कर्तव्य होता है। इस प्रकार विभिन्न उद्योगों की कच्चे माल, क्रय एवं सामग्री सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा को निर्धारित करने को नियोजन का भौतिक स्वरूप कहते हैं। जब इन भौतिक लक्ष्यों एवं निश्चयों को वित्तीय स्वरूप दिया जाता है तो उसे नियोजन का वित्तीय स्वरूप कहते हैं।

क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय योजना (Regional vs National Planning)—बड़े-बड़े राष्ट्रों में जहाँ के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक साधनों एवं लक्षणा के सामाजिक वातावरण एवं रीति रिवाजों तथा इन क्षेत्रों के प्रथक प्रथक हितों में समानता नहीं होती है तो क्षेत्रीय विकेन्द्रीयकरण की आवश्यकता होती है और प्रत्येक क्षेत्र के लिये राष्ट्रीय नियोजित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथक प्रथक क्षेत्रीय योजनाएँ बनायीं एवं संचालित की जाती हैं। वास्तव में विकेन्द्रीत योजना का ही दूसरा नाम क्षेत्रीय नियोजन है। भारत की विभिन्न राज्यों की प्रथक प्रथक योजनाओं का क्षेत्रीय नियोजन कहा जा सकता है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय अधिकारियों का नियोजन के निर्माण, संचालन एवं निरीक्षण सम्बन्धी अधिकार दे दिये जाते हैं। इस प्रकार की योजनाएँ राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत बनायी जाती हैं और उन पर अन्तिम नियन्त्रण योजना अधिकारियों का ही होता है। सयुक्त अरब गणराज्य में भी राष्ट्रीय विकास योजना के अन्तर्गत मिश्र एवं सीरिया प्रदेश के विकास के लिये प्रथम योजना बनायी गयी है। इन दोनों ही क्षेत्रों के आर्थिक साधनों एवं विकास की स्थिति में बहुत अन्तर है। प्रत्येक बड़े राष्ट्र में जो बड़े क्षेत्र में फैले ही क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता होती है। क्षेत्रीय नियोजन का उद्देश्य क्षेत्र के साधकों का उचित उपयोग करके क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों के स्तर पर लाना होता है। परन्तु इस प्रकार के नियोजन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि विभिन्न क्षेत्र अपने आप में आत्म निर्भर बनने का प्रयत्न करें तथा अन्य क्षेत्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के स्थान पर अपने ही विकास के लिये प्रयत्नशील रहे। क्षेत्रीय नियोजन का वास्तविक उद्देश्य उपलब्ध साधनों का अधिकतम कार्यशील उपभोग करना तथा समस्त क्षेत्रों में आर्थिक समतुलन उत्पन्न करना होता है।

राष्ट्रीय नियोजन के अन्तर्गत राष्ट्र की समस्त राजनीतिक सीमाओं में सम्मिलित क्षेत्रों को एक इकाई मानकर विकास के आयोजन किये जाते हैं। जब

समस्त राष्ट्र के साधनों एवं आवश्यकताओं को एक साथ दृष्टिगत करके योजना बनायी जाती है तो उसे राष्ट्रीय नियोजन कहा जाता है। वास्तव में आर्थिक नियोजन का वास्तविक अर्थ राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन समझना चाहिये। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत भी समस्त राष्ट्र के विकास के लिये योजना बनायी जाती है। राष्ट्रीय नियोजन को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु इसे क्षेत्रीय योजनाओं में विभाजित किया जा सकता है। भारत की योजनाओं को राष्ट्रीय योजना कहना उचित होगा। इनके अन्तर्गत समस्त राष्ट्र के साधनों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत किया जाता है परन्तु इनकी प्रभावशीलता बढ़ाने एवं सन्तुलित क्षेत्रीय विकास करने हेतु हमारी योजनाओं को राज्यों की योजनाओं में विभाजित कर दिया जाता है। कम क्षत्र वाले राष्ट्रों में राष्ट्रीय योजना को क्षेत्रीय योजना में विभाजित करना आवश्यक नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में योजना का उद्देश्य राष्ट्र के उत्पादन में वृद्धि करना होता है और देश के समस्त क्षेत्रों का सन्तुलित विकास करने के लिये विशेष प्रयास सम्भव नहीं होने हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन—अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन उस व्यवस्था को कह सकते हैं जिसमें एक से अधिक देशों के साधनों का उपयोग सामूहिक रूप से समस्त सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया जाता है। वास्तव में इसके अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रों के साधनों का एकीकरण (Pooling) होता है। इस प्रकार के नियोजन का संचालन किसी बड़े साम्राज्य में ही सम्भव हो सकता है जहाँ कि कई राष्ट्र किसी एक राष्ट्र के आधीन हों। विभिन्न राष्ट्रों की प्रथक-प्रथक आर्थिक समस्याएँ एवं साधन होते हैं और अधिकतर स्वतन्त्र राष्ट्र कभी भी अपने समस्त साधनों का एक एकीकरण करके विकास को और अग्रसर होना स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह विकास व्यवहारिक दृष्टिकोण में भी सम्भव नहीं हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन का ढीला स्वरूप ही व्यवहारिक हो सकता है जिसमें एक से अधिक राष्ट्र जो कि स्वतन्त्र हों और जिनका राजनीतिक अस्तित्व एक दूसरे से प्रथक हो, अपनी अर्थ-व्यवस्था के कुछ घटकों को एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के नियन्त्रण में रखना स्वीकार कर लेते हैं।

वास्तव में आर्थिक मामलों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को भी अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन का स्वरूप मानना चाहिये। **General Agreement on Trade and Tariffs—Gatt** के अन्तर्गत यह आयोजन किया गया कि किसी भी सदस्य देश में किसी अन्य देश में उत्पादित किसी वस्तु को जब कोई लाभ व सर्वाधिकार (Privilege) आदि दिया जाय तो अन्य सदस्य देशों के उत्पादन को भी वही लाभ एवं सर्वाधिकार प्राप्त होगा जो कि सर्वाधिक

पक्ष प्राप्त (favoured) राष्ट्र को दिया गया है। इस प्रकार के समझौते से राष्ट्रीय नियोजन को इनके अनुसार बनाना आवश्यक होता है और वही वही राष्ट्रीय नियोजन में बड़ी कठिनाईयाँ पड़ जाती है। भारत इस समझौते का सदस्य है। फरवरी १९५४ में विदेशी मुद्रा की कठिनाई उपस्थित होने पर भारत को यह आवश्यक हो गया कि वह विदेशों को दी गयी रियायतों को बंद कर दे और भारत सरकार को इस वायवाही के लिये समझौते के अधिकारियों से विशय आज्ञा प्राप्त करनी पड़ी।

अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अन्तर्गत यूरोपियन कमन मार्केट का उल्लेख करना आवश्यक है। २५ मार्च १९५७ को रोम की संधि के अन्तर्गत योरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community) की स्थापना का आयोजन किया गया। इस समुदाय में ६ यूरोपीय देश बेल्जियम फ्रांस फडल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इटली लक्जमबर्ग तथा नीदरलैंड्स सम्मिलित हुए। इसकी स्थापना १ जनवरी १९५८ को हुई और इसके अन्तर्गत सदस्य देशों की आर्थिक क्रियाओं के समन्वित विकास, अधिवा आर्थिक स्थिरता तथा जीवन स्तर में वृद्धि का उद्देश्य रखा गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदस्य देशों को निम्नलिखित वायवाहियाँ करनी थी—

१ सदस्य देशों के पारस्परिक आयात एवं निर्यात पर से कर एवं उनकी यात्रा पर लगाये प्रतिबन्धों को हटाना तथा व्यक्तियों सेवाओं एवं पूंजी के आने जान को रोकने को भी लागू न करना।

२ सामान्य वृद्धि एवं यातायात की नीतियों का संचालन।

३ सामान्य बाजार (Common Market) में प्रतिस्पर्ध जीवित रखने के लिये व्यवस्था करना।

४ सामान्य विदेशी वाणिज्य नीति अपनाना जो कि सामान्य बाजार (Common Market) के बाहर के देशों से व्यापार करने पर लागू की जानी थी। इन वायवाहियों के अतिरिक्त एक यूरोपीय विनियोजन बंध की स्थापना की जानी थी जिसे समुदाय के आर्थिक विस्तार का वाय करना था। रोजगार एवं जीवन स्तर में वृद्धि करने हेतु एक यूरोपीय विशय फण्ड का आयोजन भी किया जाना था। इस समझौते के अनुसार सदस्य देशों के पारस्परिक आयात एवं निर्यात पर से प्रतिबन्ध एवं कर हटान तथा अन्य देशों से व्यापार करने की सामान्य नीति अपनाने का वाय १२ वर्षों में किया जाना है।

ब्रिटेन न भी इस Common Market में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की है। परन्तु British Commonwealth के राष्ट्र इसका विरोध

कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जो इंग्लैण्ड के बाजार से सुविधायें प्राप्त होती हैं, वे सब बन्द हो जायेंगी। भारत के १९६०-६१ के समस्त निर्यात ६३५ करोड़ में लगभग २०० करोड़ ब्रिटेन को भेजा गया। इस प्रकार भारत के लिये ब्रिटेन के बाजार का अत्यधिक महत्व है। ब्रिटेन के Common Market में सम्मिलित होने पर भारत को ब्रिटेन को भेजे जाने वाले अपने निर्यात पर उतना कर आदि देना होगा जितना कि वह यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सदस्य-देशों को भेजे जाने वाले निर्यात पर देता है। इस प्रकार भारत की वस्तुओं का मूल्य ब्रिटेन के बाजार में बढ़ जायेगा और भारत को अपने निर्यात बढ़ाने का अवसर न मिल सकेगा।

इन अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अतिरिक्त कोलम्बो योजना जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा जीवन-स्तर ऊपर उठाना है, को भी अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन कहना उचित होगा। इस योजना का विवरण अगले अध्यायो में दिया गया है।



अध्याय ४

नियोजन के सिद्धान्त तथा व्यवस्था

(नियोजन के सिद्धान्त—राष्ट्रीय सुरक्षा, साधनों का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, सामाजिक न्याय और सुरक्षा, सामान्य जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि, योजना की विभिन्न अवस्थाएँ एवं संचालन-व्यवस्था—साध्य एकत्रित करना तथा नियोजन काल में राष्ट्रीय आय का अनुमान, राष्ट्रीय आय का विनियोजन, उपभोग एवं सामाजिक हित में वितरण, योजना के कार्यक्रमों का निश्चयीकरण उपलब्ध साधनों का वितरण, योजना की विज्ञप्ति, योजना को कार्यान्वित करना, योजना के संचालन तथा प्रगति का निरीक्षण, भारत में नियोजन की व्यवस्था, भारतीय योजना आयोग के कार्य)

नियोजन के सिद्धान्त

निर्धारित अर्थ-व्यवस्था में पूरे निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु सम्भाव्य साधनों का शोषण करना आवश्यक होता है। पूँजीवाद, समाजवाद तथा साम्यवाद के सिद्धांत के अनुसार ही इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोजन किया जाता है। इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि कम से कम समय में उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, साथ ही सफलता में बाधक तत्वों से बचाव रखा जा सके। राष्ट्र चाहे किसी भी ढंग का परिपालन करता है। नियोजन के कार्यक्रम निम्नांकित सिद्धांतों के आधार पर ही निर्धारित किये जाते हैं—

(१) राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security)—जब तक राष्ट्र में सुरक्षा की भावना न हो वहाँ भी नियोजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता। योजना के दीर्घकालीन कार्यक्रमों के संचालनार्थ राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता होती है और राजनीतिक स्थिरता तभी सम्भव है

जबकि राष्ट्र को पड़ोसी राष्ट्रों की ओर से आक्रमण आदि का भय न हो। नियोजन द्वारा राज्य को आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाया जाता है किन्तु यह स्थिरता राष्ट्रीय सुरक्षा की अनुपस्थिति में अल्पकालीन हो सकती है। यदि राष्ट्र की अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय साधनों का अधिक भाग व्यय करना पड़े तो आर्थिक विकास को पर्याप्त साधन उपलब्ध होना असम्भव है। नियोजन की सफलता के लिए राष्ट्र को इतना शक्तिशाली बनाना अनिवार्य है कि अन्य दूसरे राष्ट्रों से किसी प्रकार का भय न हो। १९वीं शताब्दी में राष्ट्र की सुरक्षा के लिये खाद्य सामग्री को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि वही देश युद्ध में सफल होता था जो अपनी सेना को पर्याप्त खाद्य-सामग्री अधिक काल तक प्रदान कर सकता था परन्तु आधुनिक युग में यन्त्र, उद्योग, यातायात एवं संचार तथा खनिज का महत्त्व अधिक हो गया है। आज के युद्ध में मनुष्य नहीं प्रत्युत अस्त्र शस्त्र अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः आज वही देश युद्ध-विजयी है जिसके पास संगठित उद्योग, लोहा एवं इस्पात का पर्याप्त उत्पादन तथा शक्ति के साधनों—कोयला, पेट्रोलियम तथा विद्युत् शक्ति की पर्याप्त एवं सुगम उपलब्धि है। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नियोजन द्वारा राष्ट्र के उद्योगों को शक्तिशाली, सुसंगठित एवं पर्याप्त बनाना आवश्यक है।

(२) साधनों का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग (Proper and Rational Utilization of Resources)—नियोजन द्वारा ऐसी व्यवस्था का संगठन किया जाय कि राष्ट्र के साधनों—वर्तमान तथा सम्भावित—का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके। जब तक राष्ट्र के साधनों का सुनिश्चित उद्देश्यों के आधार पर उपयोग नहीं किया जाता, नियोजन को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। एक ओर सम्भावी साधनों का उपयोग किया जाय तथा दूसरी ओर वर्तमान उत्पादन के साधनों के उपयोग में आवश्यक समायोजन किया जाय, ताकि इनका उपयोग उत्पादन के उस क्षेत्र से हटा कर जिसको नियोजन अधिकारी ने महत्त्व नहीं दिया है, ऐसे क्षेत्र में किया जाय जिसे नियोजन-कार्यक्रमों में स्थान प्राप्त है। साधनों की कमी होने पर उनका उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए अर्थात् उनके द्वारा उत्पादन के साधनों को बढ़ावा देने, पूँजी निर्माण करने और नियोजन बढ़ाने में सहायता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उत्पादन के साधनों को उपभोग के क्षेत्र से हटाकर विनियोजन के क्षेत्र में लाना आवश्यक होना है।

(३) सामाजिक न्याय और सुरक्षा (Social and Rational Security)—नियोजन द्वारा सामाजिक हित को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता

है। साम्यवादी नियोजन में व्यक्तिगत हित का सामाजिक हित के सबंध में प्राथम्यता दी जाती है। परन्तु प्रजातान्त्रिक नियोजन में सामाजिक तथा व्यक्तिगत हित में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। सामाजिक हित के लिए प्राथम्यता समानता का उचित प्रायोजन किया जाता चाहिए। आय की समानता तथा प्रवृत्तियों की समानता इनके दो महत्वपूर्ण अंग हैं। पूरा रोजगार का प्रबंध करना भी नितान्त आवश्यक है। जयंत राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यतानुसार कार्य करने की अवसर मिलनी चाहिए, प्राथमिक समानता के उद्देश्य का पूर्ति नहीं होता है। सामाजिक न्याय का अर्थ जनसमुदाय के स्वास्थ्य तथा श्रद्धा आदि का भी उचित प्रायोजन होना आवश्यक है।

(४) सामान्य जनता का जीवन-स्तर में वृद्धि (Raising of Standard of Living)—उत्पादन की वृद्धि के साथ जनता में अधिक उपभोग की प्रवृत्ति जाग्रत करना भी आवश्यक है। जीवन-स्तर में वृद्धि हेतु उपभोग में वृद्धि की जानी चाहिए। इसमें विशेष आवश्यकता की आवश्यकता प्राथमिक वृद्धि आवश्यक है साथ ही उपभोग्य वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जाता है। प्रायोजन का प्रत्येक कार्यक्रम जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिए सहायक होना चाहिए।

नियोजन की व्यवस्था में विशेष कोई निश्चित सिद्धांत नहीं बनाये जा सकते हैं क्योंकि इन व्यवस्था का ढाँचा बहुत कुछ राष्ट्र की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति पर निर्भर होता है। प्रजातान्त्रिक ढाँचे की उपस्थिति में शक्तियों के विवेकीयकरण के आधार पर नियोजन की व्यवस्था की जाती है। दूसरी ओर साम्यवादी राष्ट्रीय नियोजन अधिकारी के हाथ में शक्तियों का केन्द्रीयकरण होता है। इससे अतिरिक्त नियोजन के अर्थ और विद्यते द्वारा संचालित किया जाय यह राष्ट्र की औद्योगिक तथा आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर होता है। उद्योग के क्षेत्र में विद्यते राष्ट्र में अधिक उत्पादन पर नियंत्रण रखने उपभोग में वृद्धि तथा विदेशी व्यापार की उन्नति के आधार पर नियोजन की व्यवस्था की जाती है। अर्थ विद्यते तथा अर्थव्यवस्था में राष्ट्र में नियोजन की व्यवस्था निश्चित करने के लिए अधिक उत्पादन तथा उचित वितरण का विचार रखा जाता है।

योजना की विभिन्न अवस्थाएँ (Various Stages of the Plan)

नियोजन के कार्यक्रम को अपने जन्म से निर्वाण तक एक विद्यते अवधि को पूरा करना पड़ता है। उस अवधि के अंतर्गत उक्त विभिन्न प्राप्ति तथा विभिन्न स्थितियाँ एवं अवस्थाएँ का पार करना होता है। मुख्य अवस्थाएँ निम्न प्रकार निश्चित की जा सकती हैं—

(१) साध्य एवत्रित करना तथा नियोजन-काल में राष्ट्रीय आय का अनुमान करना;

(२) राष्ट्रीय आय का विनियोजन, उपभोग तथा समाज कल्याण हेतु वितरण;

(३) योजना के कार्यक्रम एवं लक्ष्यो को निश्चित करना;

(४) उपलब्ध अर्थ-साधनो का आवटन;

(५) प्रस्तावित योजना को विज्ञप्ति;

(६) योजना को कार्यान्वित करना; एवं

(७) योजना के कार्य, संचालन तथा प्रगति का निरीक्षण करना ।



उपरोक्त अवस्थाओ के सुगम, सुचारु एवं उचित संचालन की आवश्यकता उनकी ही तीव्र है, जितनी स्वयं कार्यक्रम के लक्ष्यो को सफल प्राप्ति की। लक्ष्यो की सफलता संचालन-व्यवस्था की कार्यक्षमता एवं आचरण पर पूर्णतया निर्भर है। योजना-कार्यक्रम वह रथ है जो हर अवस्था में वाहक की अनिवार्यता का अनुभव एक अनिवार्यता के रूप में करता है। संचालन-व्यवस्था राष्ट्र के राजनीतिक ढाँचे पर निर्भर करती है। यह सर्वमान्य सत्य है कि संचालन-व्यवस्था कार्यक्रम को सुचारु एवं सफलतापूर्वक संचालन हेतु योग्य एवं पर्याप्त होनी चाहिये। लोकतन्त्रीय शासन-व्यवस्था में संचालन-व्यवस्था निम्न चार्ट से स्पष्ट है—

योजना की संचालन-व्यवस्था (Machinery of Planning)

जनसमुदाय

लोकसभा

मन्त्रिमण्डल तथा योजना-मन्त्री

(राष्ट्रीय विनियोजन परिपद → राष्ट्रीय योजना परिपद → आर्थिक निरीक्षण आयोग)

योजना आयोग

विभिन्न उत्पादन के
स्रोतों से सम्बन्धित
विकास परिपदें

सरकारी विभाग
एवं
निगम

उद्योगपति, व्यापारी,
व्यवसायी तथा
उनकी संस्थाएँ

समाज-
कल्याण सम्बन्धी
संस्थाएँ

उपरोक्त चित्र लोकतन्त्रीय शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत निर्मित संचालन-

की ओर इंगित करता है। अन्य तन्त्रों की रचना एवं प्रकृति के अनुसार संचालन-व्यवस्था भी अपना स्वरूप परिवर्तित करती रहती है। अब हम विभिन्न योजना-अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे।

(१) सांख्य एकत्रित करना तथा नियोजन काल में राष्ट्रीय आय का अनुमान—यह योजना की सर्वप्रथम अवस्था है। सांख्य-एकत्रीकरण योजना आयोग द्वारा किया जा सकता है। कोई भी योजना विश्वसनीय सांख्य तथा तत्वों के आधार पर ही बनायी जा सकती है। अर्द्ध-विकसित देशों में सांख्य एकत्रित करने तथा उनका विश्लेषण करने का कोई सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं होता। अधिकांश सांख्य पक्षपात के दृष्टिकोण से एकत्रित की जाती है, जिसको किसी भी रूप में विश्वसनीय कहना अतिशयोक्ति होगी। योजना के उद्देश्य, प्राथमिकताएँ, लक्ष्य, अर्थ-प्रबन्ध आदि सभी को निश्चित करने के लिये सांख्य की आवश्यकता होती है।

योजना कमीशन द्वारा ये सूचनाएँ प्रबन्ध-सम्बन्धी अधिकारियों (Administrative Officers) को सहायता से एकत्रित की जाती हैं क्योंकि विशेष सांख्यिक संस्थाएँ स्थापित करने तथा उनके द्वारा आवश्यक सूचना एकत्रित करने में अत्यधिक समय व्यतीत होता है। योजना कमीशन अपने विशेषज्ञों द्वारा भी सांख्य-एकत्रीकरण एवं विश्लेषण का कार्य सम्पादन करा सकता है। प्रत्येक विशेष क्षेत्र के विशेष उद्योगों के लिए पृथक्-पृथक् समितियाँ नियुक्त की जा सकती हैं। उन्हें नियोजन के लिये सम्बन्धित उद्योगों से आवश्यक सूचनाएँ एकत्रित करने तथा योजनाविधि में इन उद्योगों के नियोजित कार्यक्रमों की व्यवस्था पर नियन्त्रण रखने का कार्य सौंपा जा सकता है।

इस प्रकार समस्त सरकारी विभागों, निजी औद्योगिक संस्थाओं तथा समितियों, व्यापार संस्थाओं (Trade Agencies) एवं सेवा संस्थाओं (Service Agencies) से सूचना एकत्र करके योजना आयोग को इस सूचना का विश्लेषण, व्याख्या तथा आलोचनात्मक अध्ययन अपने प्राविधिक विशेषज्ञों द्वारा करना चाहिये। ये विशेषज्ञ इस सूचना के आधार पर भविष्य के उत्पादन तथा उपभोग की प्रवृत्तियों का भी अनुमान लगायें और इस प्रकार समस्त अनुभवों के आधार पर योजना काल में उपार्जित होने वाली राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाय।

(२) राष्ट्रीय आय का विनियोजन, उपभोग तथा समाज कल्याण हेतु वितरण—अनुमानित राष्ट्रीय आय की राशि निश्चित करने के उपरान्त योजना आयोग द्वारा नीति सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है। राष्ट्र

की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के अनुसार योजना के लक्ष्यो एव उद्देश्यो को निश्चित किया जाता है। राष्ट्रीय आय को तीन तालिकाओं— विनियोग, उपभोग तथा समाज कल्याण में विभाजित किया जाता है। विनियोग की राशि निश्चित करते समय राष्ट्र की आर्थिक नीतियों के आधार पर यह निश्चय किया जाना भी आवश्यक है कि इस राशि का कितना भाग निजी तथा सरकारी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाय। यद्यपि उपभोग की राशि निर्धारित करते समय जन-समुदाय के वर्तमान जीवन-स्तर को आधार मानना चाहिए, तथापि आर्थिक विकास की प्रगति हेतु साधनों का उपभोग के क्षेत्र से विनियोजन के क्षेत्र में लाना आवश्यक होता है। किन्तु यदि जन-समुदाय का जीवन-स्तर अत्यन्त निम्न हो तो उनके उपभोग को अधिक कम नहीं किया जा सकता। अतः विनियोजन के लिए अर्थ आन्तरिक साधनों से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होगा। दूसरी ओर यह जानना भी आवश्यक होगा कि देश के सविधानानुसार जनसाधारण से कितना त्याग अपेक्षित है तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को उन्हीं के उत्थान के लिए किस सीमा तक नियन्त्रित किया जा सकता है। तदुपरान्त समाज-कल्याण हेतु कितनी राशि व्यय की जा सकती है, इसका निर्धारण राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर रहता है। इस सम्बन्ध में राष्ट्र के पिछड़े वर्गों, अविकसित क्षेत्रों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था, गृह स्थिति तथा धन-कल्याण आदि की आवश्यकताओं को आधार माना जाता है।

विनियोजन, उपभोग तथा समाज-कल्याण तीनों एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं। विनियोजन तथा उपभोग तो इतने धनिष्ठता से सम्बद्ध हैं कि इन पर व्यय होने वाली राशि निश्चित करने के लिए दोनों का एक साथ अध्ययन करना पड़ेगा। उपभोग की तालिका बनाने के लिए योजनावधि में जीवन-स्तर में कितनी वृद्धि की जायगी, इसका निश्चय करना आवश्यक है। जीवन स्तर में सम्मिलित किये जाने वाले अंगों के आकार पर ही यह भी निर्धारित करना आवश्यक है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की कितनी परिमाण में आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आवश्यक एकत्रित सूचना के आधार पर यह भी ज्ञात किया जा सकेगा कि इन वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति किस सीमा तक राष्ट्रीय उत्पादन एवं आयात तथा संचयन से की जा सकती है।

इस प्रकार इस तालिका का निर्माण वस्तुओं तथा सेवाओं की न्यूनता धरवा अधिकता ज्ञात करने में सहायक होगा। न्यूनताधिक्य का ज्ञान दो तत्वों को जन्म देगा—

(अ) आयात तथा निर्यात नीति, तथा

(ब) उन उद्योगों के विकास की आवश्यकता की तीव्रता जो आन्तरिक उत्पादन द्वारा उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होंगे।

उत्पादन के साधनों को बढ़ाने के लिए उद्योगों को अध्ययनार्थ दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, ऐसे उद्योग जिनके विकास करने के लिए अल्पकालीन योजनाओं की आवश्यकता हो। साथ ही अर्थ-प्रबन्धन हेतु आन्तरिक साधनों पर निर्भर रहा जा सके। द्वितीय, ऐसे उद्योग जिनके विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाओं तथा पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता हो। आवश्यक सामग्री का देश में उत्पादन कहीं तक हो सकता है, इसका अध्ययन भी आवश्यक होगा। इस प्रकार दीर्घकालीन योजना में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग तथा बड़ी-बड़ी योजनाएँ सम्मिलित की जायेंगी। पूंजीगत वस्तुओं के साथ-साथ उद्योगों की कच्चे माल तथा धम-सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन भी आवश्यक होगा और इस क्षेत्र में भी यह निश्चित करना होगा कि धम तथा कच्चा माल आन्तरिक साधनों द्वारा पूर्ति बढ़ा कर अथवा आयात से कहीं तक प्राप्त किये जा सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक उद्योग के प्रत्येक कच्चे माल के लिए तथा प्रत्येक प्रकार के धम की आवश्यकताओं के लिए बजट भी बनाया जा सकेगा। अर्थ-विकसित तथा अविकसित राष्ट्रों में कृषि का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। भारत जैसे राष्ट्रों में कृषि ही सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की नियंत्रक है। उत्पादन के अन्य क्षेत्रों का विकास भी कृषि के पर्याप्त विकास पर अवलम्बित है। कृषि के उत्थान के लिए योजना में सिंचाई के साधनों में वृद्धि, कृषि के तरीकों का वैज्ञानिकीकरण, उत्तम खाद तथा बीज का आयाजन आदि को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। कृषि से सम्बन्धित सूचना शासकीय कृषि विभागों तथा कृषि मंत्रालयों आदि द्वारा एवजित की जा सकती है। योजना आयोग के अन्तर्गत कृषि विकास परिषद् (*Development Council for Agriculture*) का निर्माण किया जा सकता है। इस परिषद् में विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों, जनता, विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों तथा लोकसभा के प्रतिनिधि होने चाहिए ताकि व्यापक योजनाओं के निर्माण में सुविधा हो तथा इन योजनाओं के लिए जन-सहयोग उपलब्ध हो सके।

इस प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में विकास के लिए वृहद् सूचनाओं, तथ्यों तथा साख्य के आधार पर तैयार किये गये सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में विकास परिषद् (*Development Council*) की स्थापना अपेक्षित है। प्रत्येक उद्योग के लिए पृथक्-पृथक् विकास-परिषद् का निर्माण किया जा

सकता है। इन विकास परिपदों में सम्बन्धित उद्योग में लगे हुए उद्योगपतियों केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों—विशेषकर उन प्रान्तीय सरकारों का जिनमें वह उद्योग स्थापित हो अथवा उस उद्योग की स्थापना सम्मिलित हो, का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इनमें तांत्रिक विशेषज्ञ, लोकसभा के प्रतिनिधि तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि सम्मिलित किये जा सकते हैं। ये विकास परिपदें अपने-अपने क्षेत्र की वर्तमान स्थिति अथवा जितनी भी इकाइयाँ इस उद्योग में हो प्रत्येक का उत्पादन, उत्पादन शक्ति, लागत, विभिन्न उपयोगों के लिए अनुकूलता, उत्पादन में वृद्धि तथा कमी होने पर उन पर प्रभाव, श्रम की उपलब्धि, उसके स्थायी सयंत्र की स्थिति तथा उसके प्रतिस्थापन एवं वृद्धि की आवश्यकता, वर्तमान बाजारों की स्थिति आदि का अध्ययन करेगी। विकास परिपद में इस समस्त सूचना के आधार पर अपने क्षेत्र से सम्बन्धित प्रथम प्रस्तावित योजना का प्रारूप निश्चित करने के लिए उचित अधिकारी होना चाहिए। विकास परिपद यह भी अनुमान लगा सकती है कि योजना काल में उसके क्षेत्र की उत्पादित वस्तुओं की कितनी माँग होगी और इसके आधार पर यह निश्चित किया जा सकेगा कि उत्पादन में कितनी वृद्धि की जाय तथा इस वृद्धि के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जाय।

विकास परिपदों द्वारा निर्मित प्रथम प्रस्तावित योजनाएँ राष्ट्रीय योजना आयोग के पास भेजी जानी चाहिए। योजना आयोग को इन योजनाओं का मिलान उसने विशेषज्ञों द्वारा तैयार आँकड़ों से करना चाहिए। तत्पश्चात् समस्त योजनाएँ योजना आयोग अपनी टिप्पणी सहित अपने उच्च अधिकारियों के पास भेजगा।

योजना आयोग द्वारा योजना के अर्थ प्रवर्धन का भी अध्ययन किया जाता है। कभी-कभी तो विकास-योजनाओं के निर्माण के पूर्व ही उपलब्ध अर्थ-साधनों का अध्ययन करना होता है। अर्थ-साधनों की उपलब्धि की सुगमता एवं परिमाण के अनुसार ही योजना के कार्य-क्रम निर्धारित किये जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में योजना को वित्तीय नियोजन (Financial Planning) का नाम दिया जाता है। परन्तु विकास-योजना के लक्ष्य बहुधा पहले निश्चित किये जाते हैं, तत्पश्चात् अर्थ-साधनों की उपलब्धि का अध्ययन करके उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। योजना आयोग विभिन्न विकास परिपदों से तत्सम्बन्धित उत्पादन के क्षेत्रों की आर्थिक आवश्यकताओं का विवरण प्राप्त करता है तथा केन्द्रीय एवं प्रान्तीय वित्त मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध साधनों का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार अनुमानित अर्थ-साधनों को भी योजना आयोग उच्चाधिकारियों के पास भेज देता है।

समाज कल्याण की योजना बनाने के लिए एक केन्द्रीय समाज-कल्याण-परिषद् (Central Social Welfare Board) का निर्माण किया जा सकता है। यह बोर्ड विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार समितियाँ स्थापित कर सकता है। श्रम हितकारी योजना निर्माण हेतु एक श्रम तथा श्रम हितकारी परिषद् (Labour & Labour Welfare Board) की स्थापना की जा सकती है, जो श्रम के पारिश्रमिक बाँट करने की परिस्थितियों, श्रमिकों के लिए गृह निर्माण, सामाजिक बोमा आदि विषयक आवश्यक मुद्दाव तैयार करे। इस परिषद् में सरकार, उद्योगपति, श्रमिक संस्थाप्रा आदि के प्रतिनिधि होने चाहिए। इस प्रकार समाज-कल्याण की प्रारूप (Draft) योजनाएं योजना आयोग के पास पहुँचनी चाहिए जो लिपिबद्धी सहित उन्हें उच्च अधिकारी के पास भेज दे।

(३) योजना के कार्य क्रमों का निश्चय करना—राष्ट्रीय योजना के कार्य क्रम को अंतिम रूप देने के लिए केवल विशेषज्ञों के विचारों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। हम एक ऐसे राष्ट्रीय अधिकारी की व्यवस्था करनी होगी जिसके पास वर्गीय अधिकारी (Sectional Authorities) द्वारा अपनी अपनी प्रस्तावित योजनाएँ स्वीकृति अथवा सुधार के लिए भजी जा सकें। इस स्थिति में तीन कार्यों में भेद करना आवश्यक है। उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय आवश्यकता का अनुमान लगाना जिसमें वर्गीय अधिकारियों द्वारा लगाये गये अनुमानों पर नियन्त्रण रखा जा सके तथा समस्त उद्योगों के लिये प्रस्तावित राष्ट्रीय योजना की रूपरेखा तैयार करना जिसमें वर्गीय अधिकारियों द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। दूसरा कार्य राष्ट्रीय प्रस्तावित योजना तथा वर्गीय योजनाओं के आधार पर वास्तविक निश्चय करने का है। तत्पश्चात् उत्पादन की राष्ट्रीय योजना तैयार की जानी चाहिए। तीसरा कार्य योजना के संचालन का निरीक्षण करने का है जिससे वर्गीय अधिकारियों के कार्य तथा उनसे एक-दूसरे के सम्बन्धों में अधिकतम कार्य क्षमता का निश्चय हो सके। उपर्युक्त कार्यों के सम्पादन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति होना आवश्यक है। सबसे प्रथम एक केन्द्रीय योजना विभाग का निर्माण आवश्यक है जिसको कि योजना आयोग की सहायता दी जा सकती है। योजना आयोग को, विभिन्न संस्थाओं से जो कि योजना के कार्य क्रम का संचालन करें, सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। योजना आयोग के पास अपने विशेषज्ञ हों जो विभिन्न विकास-परिषदों द्वारा प्रेषित योजनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन कर सकें तथा एक राष्ट्रीय योजना की रूपरेखा तैयार कर सकें। योजना आयोग वास्तव में एक

विशेषज्ञों की सस्था होती है जिसे अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का अधिकार नहीं होता, प्रत्युत् विकास परिषदों द्वारा प्रेषित योजनाओं पर अपने विचार व्यक्त करने तथा सुझावों के साथ अपनी योजनाओं को अन्तिम निश्चय के लिए अन्य उच्च अधिकारियों के पास भेजना होता है।

योजना कार्यक्रमों को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिए केवल विशेषज्ञों के विचारों को ही आधार नहीं बनाया जा सकता। आर्थिक नियोजन का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि पृथक् पृथक् क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों द्वारा पृथक्-पृथक् योजनाएँ बना ली जायँ, प्रत्युत् राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं को योजना के अन्तिम उद्देश्यों के अनुसार परिवर्तित करना भी आवश्यक है। प्रजातान्त्रिक समाज में विशेषज्ञों के हाथ में राष्ट्र की सम्पूर्ण आर्थिक-व्यवस्था को निहित नहीं किया जा सकता। किसी भी निश्चय के पूर्व जनसाधारण के विचारों से अवगत होना भी आवश्यक है, क्योंकि योजना आयोग को केवल एक विशेषज्ञों की सस्था का स्थान प्राप्त होता है। यह सस्था जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है।

योजना का अन्तिम रूप निश्चित करने का कार्य लोकसभा द्वारा सम्पादित किया जाना चाहिए। लेकिन लोकसभा के सम्मुख किसी भी कार्यक्रम का स्वीकृति हेतु प्रस्तुतीकरण मन्त्रिमण्डल द्वारा होना चाहिए। योजना विभाग के मन्त्री को योजना आयोग द्वारा प्रेषित योजनाओं के अध्ययनोपरान्त राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर योजना का अन्तिम रूप देना होता है। इस सब कार्य के लिए योजना मन्त्री के सहयोग के हेतु एक राष्ट्रीय नियोजन अधिकारी अथवा राष्ट्रीय नियोजन परिषद् (National Planning Authority or National Planning Assembly) की व्यवस्था की जा सकती है। इस सभा में विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित विकास परिषदों के क्षेत्रीय प्रतिनिधि लोकसभा के कतिपय सदस्य जिनमें सरकारी तथा विरोधी दोनों पक्षों के सदस्य हों, मन्त्रिमण्डल के सदस्य तथा योजना-आयोग के कुछ विशेषज्ञ तथा सदस्य सम्मिलित किए जा सकते हैं। यह सभा योजना को अन्तिम रूप देगी तथा अन्तिम स्वरूप ही योजना मन्त्री द्वारा लोकसभा को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। "लोकसभा को सर्वोच्च स्वतन्त्र सस्था होने के कारण सर्वोच्च अधिकार रहेगा, यद्यपि व्यवहार में सभा द्वारा किए गये अनुमोदनो का लोकसभा नि सन्देह रह नहीं करेगी।" (लिपसन)

1. "Parliament as the sovereign body would retain an overriding authority, though in practice it would doubtless not ignore the recommendations submitted by the assembly."
(E. Lipson, *A Planned Economy or Free Enterprise*, p. 2.)

इस अवस्था में योजना के विषय में अन्तिम निश्चय करने का कार्य अर्थात् लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य राष्ट्रीय नियोजन परिषद द्वारा किया जाना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य बहुत कुछ देश की आधारभूत नीतियों पर आधारित होता है क्योंकि लक्ष्यों के अनुसार ही अर्थ-साधनों का भी बँटवारा विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। लक्ष्य निर्धारित करने से पूर्व प्राथमिकताओं को भी निश्चित करना आवश्यक होगा। योजना के आधारभूत उद्देश्यों के अनुसार योजना के विभिन्न कार्यक्रमों में प्राथमिकताएँ निश्चित करना आवश्यक होता है। अर्थ विकसित राष्ट्रीय में कृषि विकास, औद्योगिक विकास, रोजगार-व्यवस्था, जीवन स्तर में वृद्धि आदि मुख्य समस्याएँ होती हैं। इन समस्याओं की तीव्रता तथा अर्थ-साधनों की उपलब्धि के अनुसार प्राथमिकताएँ निश्चित की जाती हैं। इसके पश्चात् प्रत्येक उत्पादन तथा समाज बल्याण के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उत्पादन के लक्ष्य निश्चित करने के साथ साथ प्रत्येक का बजट भी तैयार कर लिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक तथा कृषि के क्षेत्र की सम्पूर्णताओं तथा विदेशी व्यापार की स्थिति के अनुसार लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात् अर्थ-साधनों की सम्भावित उपलब्धि के अनुसार लक्ष्यों को अन्तिम रूप देने के पूर्व आवश्यक समायोजन कर लेने चाहिए। कृषि प्रधान अर्थ विकसित देशों में जलवायु की अनिश्चितता को दृष्टिगत करना भी आवश्यक होता है। इसलिए लक्ष्यों को न तो इतना अभिलाषी रखना चाहिए कि जिनकी प्राप्ति सम्भव ही न हो सके तथा सम्पूर्ण योजना, ऐसी परिस्थिति में एक अभिलाषी कार्यक्रम मात्र प्रतीत हो जो जनता का विश्वास प्राप्त न कर सके, और न ही योजना के लक्ष्य इतने कम होना चाहिए कि वास्तविक विकास इन लक्ष्यों की तुलना में बहुत अधिक हो सकता हो। इस दशा में नियोजन व्यवस्था की सजा देना भी अनुचित होगा। लक्ष्यों की तुलना में अत्यधिक अथवा अत्यन्त न्यून सफलता दोनों ही सौंपपूर्ण नियोजन के लक्षण हैं। परन्तु शत प्रतिशत उचित लक्ष्य भी निश्चित करना सम्भव नहीं होता क्योंकि बहुत से घटकों, जैसे कृषि उत्पादन, आयात तथा निर्यात की दशाओं आदि पर नियोजन अधिकारिया का कोई नियन्त्रण नहीं होता है। साथ ही, जिस सूचना तथा साक्ष्य के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, वह भी शत-प्रतिशत सही नहीं हो सकते हैं। यदि हम आर्थिक नीति सूक्ष्म तथा प्रभावशील बनाना चाहते हैं तो साक्ष्य की सत्यता तथा मात्रा में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी।

योजना के लक्ष्य और कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किए जायें कि उसमें आवश्यकतानुसार समय पर परिवर्तन किए जा सकें। प्रतिकूल परिस्थितियों

की उपस्थिति में इस प्रकार परिवर्तन किए जा सकें कि योजना के कार्य-क्रम की पूर्ति पर इन परिस्थितियों का कोई विशेष प्रभाव न पड़े तथा आधारभूत सध्यों की प्राप्ति हो सके। सम्भावना से अधिक अनुकूल परिस्थितियों की उपस्थिति में परिवर्तन इसलिये किये जाते हैं कि इन परिवर्तित परिस्थितियों का अधिकतम हित के लिये उपयोग किया जा सके। योजना के विभिन्न बजट एक-दूसरे से इस प्रकार से सम्बन्धित होते हैं कि एक बजट में परिवर्तन करने पर अन्य समस्त बजटों में समायोजन करना आवश्यक होता है। अतएव योजना के कार्य-क्रम में परिवर्तन करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है।

(४) उपलब्ध साधनों का बँटवारा—राष्ट्रीय योजना परिषद् (National Planning Assembly) को लक्ष्यों के निर्धारण के साथ-साथ उपलब्ध साधनों का उपभोक्ता, उत्पादक तथा पूँजीगत वस्तुओं में विभाजित करना होगा। इसे यह निश्चय करना चाहिए कि उपलब्ध उत्पादन के साधनों में से कितना भाग भविष्यत् उत्पादन के हेतु व्यय किया जाय तथा वे साधन विभिन्न उद्योगों तथा सेवाओं में किस प्रकार वितरित किये जायँ। राष्ट्रीय योजना परिषद् अर्थ साधनों के वितरण के विषय में आधारभूत सिद्धान्त निश्चित कर देगी तथा ये सिद्धान्त लोकसभा द्वारा स्वीकृत होंगे। परन्तु उपलब्ध पूँजी तथा अर्थ-साधनों का निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार वास्तविक आवंटन का कार्य एक राष्ट्रीय विनियोजन परिषद् द्वारा किया जा सकता है। इस संस्था को यह अधिकार नहीं होगा कि वह पूँजी को मात्रा निर्धारित करे अथवा विभिन्न उद्योगों और सेवाओं पर व्यय की जाने वाली राशि निश्चित करे, अपितु यह परिषद् राष्ट्रीय योजना परिषद् द्वारा किये गये निश्चयों को कार्यरूप में परिणत करेगी। यह संस्था पूँजी तथा अर्थ-साधनों के एकत्रीकरण का कार्य-सम्पादन भी कर सकती है। जनता की बचत तथा जनश्रुण को यदि अर्थ-साधनों में विशेष स्थान प्रदत्त है, तो यह संस्था कथित बचत अथवा श्रुण को प्राप्त करने तथा उसका उद्योगों एवं सेवाओं में पुनर्वितरण करने का कार्य कर सकती है।

(५) योजना की विज्ञप्ति—राष्ट्रीय योजना परिषद् द्वारा अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त कर लेने के उपरान्त प्रस्तावित योजना लोकसभा के समक्ष स्वीकृति-हेतु प्रस्तुत की जाती है। इसके साथ ही योजना के प्राकृत्य का जनता के तत्सम्बन्धी विचारों के जानने के लिए विज्ञापन भी आवश्यक होता है ताकि ऐसे विशेषज्ञ उद्योगपति, अर्थशास्त्री, सामान्य जनता तथा सामाजिक, व्यापारिक एवं अन्य संस्थाएँ जो कि प्रत्यक्षरूपेण योजना से सम्बद्ध न हों, उस पर अपने विचार प्रकट कर सकें। प्रजातन्त्र में जन-साधारण के विचारों को विशेष महत्त्व दिया

जाता है और योजना की सफलता जनता के सहयोग पर ही अवलम्बित है। अतः यदि आवश्यक हो तो जन-वाणी के अनुसार लोकसभा योजना के प्रारूप में आवश्यक समायोजन कर सकती है। इस प्रकार योजना का विज्ञापन करने का कार्य योजना-आयोग द्वारा किया जा सकता है जो जनता से प्राप्त आलोचनाओं को अपनी टिप्पणी सहित इन्हें राष्ट्रीय योजना परिषद् के पास भेज सकता है।

(६) योजना को कार्यान्वित करना—योजना की लोकसभा द्वारा स्वीकृति होने के पश्चात् उसे कार्यान्वित करने की अवस्था आती है। इस अवस्था में यदि कोई शिथिलता रह जाती है, तब अच्छी से अच्छी योजना का सफल होना स्वप्न मात्र रह जाता है। वास्तव में यह अवस्था सम्पूर्ण योजना के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा मूल अवस्था होती है। अतएव शासन को इस क्षेत्र में अग्रसर होकर कार्यवाही करनी चाहिए। संचालन कार्य विभिन्न सरकारी विभागों, शासकीय तथा अर्ध-शासकीय निगमों, निजी व्यापारियों तथा उद्योगपतियों, सामाजिक संस्थाओं आदि द्वारा किया जाता है। प्रजातान्त्रिक नियोजन में कार्य-क्षेत्र दो भागों में विभक्त होता है—एक निजी क्षेत्र (Private Sector) तथा दूसरा सरकारी क्षेत्र (Public Sector)। सरकारी क्षेत्र का कार्यक्रम सरकारी विभागों तथा निगमों द्वारा संचालित होता है जबकि निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों को सरकार आवश्यक सहायता प्रदान करती है एवं सरकारी नियमों के अनुसार निजी क्षेत्र को कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित विवास परिषद् अपने उद्योगों के कार्यक्रमों का संचालन करती है तथा आवश्यक नियन्त्रण भी रखती है। योजना आयोग के विशेषज्ञ योजना की प्रगति का अध्ययन करके समय समय पर राष्ट्रीय योजना परिषद् को रिपोर्ट भेजते हैं तथा साथ साथ योजना की प्रगति का प्रकाशन भी आयोग द्वारा किया जाता है। योजना आयोग निरन्तर परिस्थितियों का अध्ययन करता रहता है तथा योजना में सम्भाव्य समायोजन सम्बन्धी सिफारिशें राष्ट्रीय योजना परिषद् के पास भेजता रहता है। योजना मंत्री को भी समय समय पर लोकसभा के समक्ष योजना की प्रगति के विषय में जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

(७) योजना के संचालन तथा प्रगति का निरीक्षण—योजना की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण अवस्था योजना के संचालन का निरीक्षण तथा जाँच पड़ताल होती है। इस हेतु एक विशेष विभाग की स्थापना की जा सकती है जिसे आर्थिक निरीक्षण आयोग (Economic Inspection Commission) की संज्ञा दी जा सकती है। यह संस्था राष्ट्रीय योजना परिषद् के आधीन नहीं होनी चाहिए। इसे योजना के संचालन की आलोचना करने की स्वतन्त्रता रहे तथा

समय-समय पर यह योजना में समायोजन करने के सुझाव भी दे सके । “राष्ट्रीय योजना आयोग की भाँति इस आर्थिक निरीक्षण आयोग की योजना में सम्मिलित विभिन्न उद्योगों तथा सेवाओं से सम्बन्धित तत्वों तथा आंकड़ों की पूर्ण जानकारी से प्रवृत्त होने की आवश्यकता होगी तथा प्रत्येक वर्गीय सस्था को यह अनिवार्य होना आवश्यक होगा कि वह समस्त सम्बन्धित प्रलेख इसके पास भर्जे तथा इस विभाग द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को अपनी पुस्तका का अवलोकन कराये । इस विभाग का यह कार्य होगा कि वह निरन्तर प्रत्येक उत्पादन की शाखा के कार्यक्षमता की आलोचना आर्थिक एवं तांत्रिक दोनों विचार-धाराओं से करे । ... आर्थिक निरीक्षण विभाग का कार्य योजना का कार्य प्रारम्भ होने के साथ प्रारम्भ होगा और यह इस बात का भी निरीक्षण करेगा कि योजना का संचालन कहीं तक प्रभावशील है तथा यह योजना में सुधार करने के लिए अपने सुझाव योजना आयोग तथा राष्ट्रीय योजना परिषद् के पास भजेगा ।”¹

योजना की व्यवस्था तथा संचालन के विषय में कोई भी सर्वमान्य नियम निर्धारित नहीं किये जा सकते । योजना के उद्देश्य, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति राष्ट्र का आकार एवं जनसमुदाय के सामान्य चरित्र के अनुसार योजना की व्यवस्था की जानी चाहिए । भारत जैसे बड़े राष्ट्र में केन्द्रीय व्यवस्था की तुलना में क्षेत्रीय विकेन्द्रीकरण (Regional Decentralisation) अधिक सफल हो सकेगा । क्षेत्रीय सस्थाओं में पारस्परिक समन्वय होना ऐसी व्यवस्था में अत्यन्त आवश्यक होगा जिसके लिए योजना आयोग

1. “Like the National Planning Commission this department of Economic Inspection would need the fullest access to the facts and figures relating to the conduct of the various industries and services included within the Plan, and each sectional body would need to be under obligation to show all relevant documents to it and to give access to its books to inspectors acting under the auspices of the department. It would be the function of the department to be constantly criticising the efficiency of each branch of production both from the financial and from the technical point of view. The task of the department of Economic Inspection would be, taking the National Plan as its starting point, to discover how effectively the plan was being carried out and to make suggestions for its amendment which would trespass for consideration to the National Planning Commission and to the National Planning Authority itself”
(G. D H Cole, Principles of Economic Planning, pp 309-310)

को निरन्तर वायं-रत रहने की आवश्यकता होगी। क्षेत्रीय सस्याओं द्वारा योजना के संचालन में अधिक नियन्त्रण तथा कार्यक्षमता लायी जा सकेगी। राष्ट्र के राजनीतिक संगठन पर क्षेत्रीय व्यवस्था की सफलता निर्भर रहेगी। क्षेत्रीय सस्याओं को यथोचित स्वतन्त्रता दी जा सकती है और इन्हे केन्द्रीय सस्याओं द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करना अनिवार्य किया जा सकता है।

भारत में नियोजन की व्यवस्था—भारतीय नियोजन का संचालन मिश्रित अर्थ-व्यवस्था एवं राजनीतिक प्रजातन्त्र के अन्तर्गत होता है। इसमें सांख्यिक विशेषज्ञों को विशेष स्थान प्राप्त है परन्तु अन्तिम निश्चय विशेषज्ञों द्वारा नहीं किये जाते अपितु सरकारी राजनीतिक अधिकारियों द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों के आधार पर किये जाते हैं। भारत में नियोजन के तीन स्वरूप हैं—

- (१) दीर्घकालीन (Perspective) नियोजन,
- (२) पंचवर्षीय नियोजन,
- (३) वार्षिक नियोजन।

नियोजन के उक्त रूप प्रायः दीर्घकालीन होते हैं। दीर्घकालीन नियोजन के द्वारा दीर्घकालीन लगभग १५ या २० वर्षों तक में जिन जिन लक्ष्यों की पूर्ति की जायेगी के सम्बन्ध में एक सक्षिप्त विवेचना की जाती है। उदाहरणार्थ, १९५५-५६ में भारत में प्रथम दीर्घकालीन योजना बनायी गयी जिसमें बताया गया कि १९७०-७१ में प्रारम्भ होने वाली योजना में अर्थ-व्यवस्था की क्या स्थिति हो जानी चाहिये। इसी दीर्घकालीन चित्र के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम निर्धारित किये गये जिसमें दीर्घकालीन लक्ष्यों तक पहुँचने की प्रथम प्रवस्था द्वितीय योजना में सम्पूर्ण हो जाय। तृतीय योजना बनाने समय १९७५-७६ में प्रारम्भ होने वाली योजना में अर्थ-व्यवस्था की स्थिति का चित्रण किया गया और उसी के आधार पर तृतीय योजना के कार्यक्रम निर्धारित किये गये। पंचवर्षीय योजना नवीनतम सूचनाओं एवं साक्ष्य के आधार पर बनायी जाती है। प्रत्येक वार्षिक योजना पंचवर्षीय योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिये अगला एक कदम होती है।

भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की प्रथम अवस्था है—अगले पाँच वर्षों में माँग और पूर्ति के अनुमान, वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों तथा दीर्घकालीन योजना लक्ष्यों पर लगाया जाना। इस कार्य का सम्पादन योजना आयोग के तांत्रिक विशेषज्ञों द्वारा कुछ आधारभूत आँकड़े (Key Figures) जिन्हे नियन्त्रण आँकड़े भी कहते हैं, तैयार करके किया जाता है। इन नियन्त्रण आँकड़ों

को विचार करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधान मंत्री, केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री, योजना आयोग के सदस्य तथा राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री सम्मिलित हैं। यह देश के सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी हैं। इस परिषद के सुझाव के अनुसार नियन्त्रण आँकड़ों में परिवर्तन करके इन्हें विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है।

इन नियन्त्रण आँकड़ों के आधार पर प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय, प्रत्येक राज्य सरकार और कभी-कभी जिला अधिकारी अपनी-अपनी योजनाएँ बनाते हैं। इन योजनाओं में उच्चाधिकारियों द्वारा समन्वय करने के पश्चात् इन्हें योजना आयोग के पास भेज दिया जाता है। योजना आयोग विभिन्न घटकों में सन्तुलन स्थापित करने का कार्य करता है। माँग पूर्ति, आयात एवं निर्यात, कच्चे माल एवं निर्मित वस्तुओं, उपभोग एवं उत्पादन, वित्तीय एवं भौतिक साधन आदि में सन्तुलन करने का कार्य योजना आयोग का है। इस सन्तुलन-क्रिया के आधार पर प्रस्तावित योजना तैयार हो जाती है जिसका प्रकाशन कर दिया जाता है जिससे इस पर विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक, राजनीतिक एवं सामाजिक सस्थाओं में वाद-विवाद हो सके और राज्य को जनता के विचार प्राप्त हो सके। इन वाद-विवादों को दृष्टिगत करते हुए योजना को अन्तिम स्वरूप दिया जाता है। यह कार्य योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ सलाह करके किया जाता है। योजना के अन्तिम स्वरूप को केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद एवं लोक सभा के सम्मुख अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाता है। इस समस्त विधि से यह स्पष्ट हो जाता है कि तांत्रिक विशेषज्ञ योजना को अन्तिम रूप नहीं देते। इनके द्वारा बनाये गये सुझावों में तांत्रिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर सुधार किये जाते हैं।

भारतीय योजना आयोग के कार्य—भारत में योजना आयोग को प्रशासन सम्बन्धी अधिकार नहीं दिये गये हैं। यह केवल एक सलाहकार सस्था के रूप में कार्य करता है। इसके कार्य निम्न प्रकार हैं—

(१) देश के भौतिक साधनों, पूँजी एवं मानवीय साधनों जिनमें तांत्रिक नियोगी वर्ग (Technical Personnel) भी सम्मिलित है, का अनुमान लगाना तथा यह जाँच करना कि इन साधनों की कमी होने पर इनकी पूर्ति कहाँ तक सम्भव है।

(२) देश के साधनों का सर्वाधिक प्रभावशील उपयोग करने हेतु योजना बनाना ।

(३) प्राथमिकताओं के निर्धारित होने पर योजनाओं की संचालन प्रवस्थाओं को निश्चय करना तथा साधनों का प्रत्येक प्रवस्था को पूर्ति हेतु बंटवारा करना ।

(४) उन घटका को बताना जिनके द्वारा आर्थिक विकास में रुकावट आती हो । वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक दशाओं को दृष्टिगत करते हुये योजना की सफलतायुक्त आवश्यक परिस्थितियों का निर्धारण करना ।

(५) योजना की प्रत्येक प्रवस्था (Stage) के ममस्त पहलुओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु व्यवस्था (Machinery) के प्रकार को निर्धारित करना ।

(६) समय-समय पर योजना की विभिन्न प्रवस्थाओं के संचालन में प्राप्त सफलता को आंकना और इस सफलता के आधार पर नीति एवं कार्यवाहियों में समायोजन करने के लिये सिफारिश करना ।

(७) ऐसी आन्तरिक एवं उद्योगी सिफारिशें करना, जिनसे इनको सौधे मये कर्तव्यों की पूर्ति में सुविधा होती हो अथवा वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, नीतियों, कार्यवाहियों, एवं विकास-कार्यक्रमों पर विचार करके उपयोगी सिफारिशें करना, अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य द्वारा सौधी गयी विशेष समस्याओं का अध्ययन करके सिफारिश करना ।

योजना आयोग के उपयुक्त समस्त कार्यों का प्रकार उपदेशक (Advisory) है । परन्तु जिन मामलों में योजना आयोग को सलाह देने के लिए कहा जाता है अथवा उसे सलाह देना आवश्यक होता है, वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उसकी सलाह को निरस्त करना सम्भव नहीं होता है । इसीलिए योजना आयोग की अधिकतर सलाह को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है परन्तु इन सबका यह तात्पर्य अभी नहीं है कि योजना आयोग को सरकार के केन्द्रीय मंत्रालय के ऊपर का स्थान प्राप्त है । भारत में योजना के कार्यक्रम की प्रगति को आंकना भी योजना आयोग का कर्तव्य है । वास्तव में प्रगति को आंकने का कार्य एक प्रथक सस्था द्वारा किया जाना चाहिये जो कि योजना आयोग के किसी प्रकार आधीन न हो । “प्रगति आंकने का कार्य महत्वपूर्ण है । वास्तव में यह कार्य राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिये । कुछ हद तक यह कार्य उनके द्वारा भी किया जाता है परन्तु योजना आयोग अखिल भारतीय दृष्टिकोण

के साथ इस कार्य को करने के लिये अधिक उपयोगी है। वह सलाह एवं रिपोर्ट कर सकता है कि क्या किया जा रहा है।”



1. "This business of appraisal is therefore of the utmost importance. Naturally it is a business which the State Governments and the Central Government should take up, and to some extent they do it; but the Planning Commission with its All India outlook, is best placed to look into it and to advise and report as to what is being done."
(Prime Minister, Jawahar Lal Nehru, *Problems in the Third Plan*, p. 45)

अर्ध-विकसित राष्ट्र एव नियोजन [१]

[अर्ध-विकसित राष्ट्रों का परिचय, अर्ध-विकसित क्षेत्रों के लक्षण—राष्ट्रीय एव प्रति-व्यक्ति आय का कम होना, पौष्टिक भोजन का सामान्य स्तर से कम होना, जनसमुदाय की सामान्य आयु का कम होना, जनसंख्या का घनत्व अधिक होना, उद्योगों में कृषि की प्रमुखता, तान्त्रिक ज्ञान की कमी, यान्त्रिक शक्ति की न्यूनता, अर्ध-विकसित राष्ट्रों की समस्याएँ—तान्त्रिक ज्ञान की समस्या, पूँजी निर्माण—अर्थ-विनियोजन पर प्रभाव डालने वाले घटक पूँजी निर्माण की अवस्थाएँ—प्रथम अवस्था बचत—एच्छक आन्तरिक बचत, राजकीय बचत, मुद्रा-प्रसार द्वारा प्राप्त बचत (घाटे का अर्थ-प्रबन्धन), विदेशी मुद्रा की बचत, द्वितीय अवस्था विस्तीर्ण क्रियाशीलता, तृतीय अवस्था विनियोजन—प्रारम्भिक, आय तथा विनियोजन का सम्बन्ध, अदृश्य बेरोजगारी तथा विनियोजन प्राथमिकताओं की समस्या—परिचय, समस्या के दो पहलू—अर्थ-साधनों की उपलब्धि, अर्थ-साधनों का वितरण—क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ, उत्पादन अथवा वितरण के प्राथमिकताएँ, वितरण अथवा उपभोग के प्राथमिकताएँ, कृषि अथवा उद्योग के प्राथमिकताएँ, सामाजिक प्राथमिकताएँ, सामाजिक बाधाएँ, एव सामाजिक पूँजी की समस्या]

अर्ध-विकसित राष्ट्रों का परिचय

अर्ध विकसित अवस्था वास्तव में एक तुलनात्मक अवस्था है, अतः इसके कोई विशेष लक्षण निश्चित करना सम्भव नहीं है। आर्थिक एवं सामाजिक मान्यताओं, विकास की सीमाओं, अन्य राष्ट्रों में किए गए विकास की माना तथा गति में परिवर्तन के प्रभाव अर्ध विकसित अवस्था के लक्षणों पर पूर्ण-रूपेण पड़ते हैं। आधुनिक युग में अर्ध-विकसित राष्ट्रों में जीवन स्तर की न्यूनता, अज्ञानता, आधारभूत अनिवार्यताओं, उदाहरणार्थ—भोजन, वस्त्र, गृह आदि की अपर्याप्तता आदि मुख्य लक्षण हैं। भविष्य में इन लक्षणों में परिवर्तन होना अवश्यम्भावी है।

प्रोफेसर पालविया के अनुसार, "प्रति व्यक्ति आय का न्यून स्तर, अज्ञानता की अधिकता तथा परिणामस्वरूप लैटिन अमेरिका, एशिया, मध्यपूर्व, अफ्रीका तथा पूर्व के समीप देशों में अधिवासियों के न्यून जीवन स्तर में सतार की सभाओं तथा मानव समाज के विचारशील वर्ग की विचारधाराओं को आकर्षित किया है। ऐसी शोचनीय दशाओं के साथ-साथ उत्तरी अमरीका तथा पश्चिमी यूरोप के उन्नत जीवन स्तर तथा अनन्य सुविधाओं की उपस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को एक बड़ा खतरा उपस्थित कर दिया है। विकसित क्षेत्रों में भूख की समस्या नहीं है, उत्पादन वृद्धि के मार्ग पर है तथा जनसाधारण शिक्षित ही नहीं अपितु उनके ज्ञान-वर्धन हेतु पुस्तकें उपलब्ध हैं अर्द्धे पुस्तकालय भी हैं, और पशुओं का खाने तथा चिकित्सा का प्रबन्ध अर्ध-विकसित क्षेत्रों में जनसाधारण का उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में अल्प है। अर्ध-विकसित राष्ट्रों में अधिकांश अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य लक्षण हैं, प्रतिदिन दो समय भोजन प्राप्त होना समस्या है तथा उत्पादन तांत्रिक सामग्री की अनुपस्थिति के कारण स्थिर तथा अनियमित है।"¹

- 1 "Low level of income per capita, the appalling ignorance and the resultant low standard of life of the people in Latin America, Asia and Middle East, Africa and Near East have attracted the attention of world assemblies as well as thinking section of mankind in general. Co-existence in these countries side by side with standard of life and comfort in North America and Western European countries is being now regarded as a threat to international peace

"In developed areas problem of starvation is alien, productivity is on a high road of increase and people not only have literacy but have a volume of books and series of well equipped libraries to enrich their knowledge and

सामान्यतः अर्ध-विकसित राष्ट्रों में प्राकृतिक साधनों का बाहुल्य होता है किन्तु उपलब्ध साधनों का भी पूर्णतम उपयोग न होने के कारण इन राष्ट्रों में उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय अत्यन्त कम होते हैं। उत्पत्ति के ढंग प्राचीन तथा शिथिल होते हैं तथा जनसंख्या का भार अधिक होता है। प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त न्यून एवं जीवन-स्तर दयनीय होते हैं। उनकी बचत करने की शक्ति सीमित तथा पूँजी-निर्माण की दर अपर्याप्त होती है। जनता की विचारधारा रुढ़िवादी होती है, धर्म अविवेक तथा अधविश्वास द्वारा प्रतिस्थापित होता है। वर्तमान परिस्थिति में सन्तुष्ट रहने का स्वभाव स्थिर हो जाता है। परिणामतः आय की वृद्धि के जीवन-स्तर में वृद्धि के स्थान पर रुढ़िवादी प्रथाओं पर व्यर्थ व्यय किया जाता है। राष्ट्रीय आय का इतना अधिव्य असमान एवं नुटिपूर्ण वितरण होता है कि कतिपय व्यक्तियों के हाथ में राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग जन्मजात अधिकार की भाँति बना रहता है। यह परिस्थिति अनेक पीढ़ियों की निर्धनता तथा दरिद्रता के कारण उपस्थित होती है।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों में जन-समुदाय के जीवन स्तर में वृद्धि करने के हेतु उत्पादन में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक होता है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि अर्ध-विकसित राष्ट्रों में इतनी उन्नति की जाय कि जन-साधारण को उत्पादक रोजगार (Productive Employment) प्राप्त हो सके। उत्पादक रोजगार का अर्थ ऐसे रोजगार से है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि हो। इन राष्ट्रों के आर्थिक विकास हेतु आन्तरिक बचत में वृद्धि के साथ साथ विदेशी पूँजी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए।

आधुनिक समाज में राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता होते हुए भी अधिकतम तथा न्यूनतम दोनों ही प्रकार के विकसित राष्ट्र हम देखते हैं। वर्तमान युग में विकसित तथा अर्ध-विकसित राष्ट्रों का अन्तर-निरन्तर वृद्धि की ओर अग्रसर है क्योंकि विकसित राष्ट्र अपनी-अपनी उन्नत अर्थ व्यवस्था द्वारा अधिकाधिक प्रगति का आर्जित करते जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर अर्ध-विकसित राष्ट्रों

animals have better food and medical care than human beings in under-developed countries where illiteracy is the rule rather than exception, two square meals a day is a problem and productivity is static or hampered by the absence of technical equipment." (Palvia, *Econometric Model for Development Planning*, p. 2.)

की आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर शोचनीय होती जाती है । अर्ध-विकसित राष्ट्रों में अर्ध-व्यवस्था का रूप इतना छिन्न-भिन्न होता है कि उसका विकास केवल विचारपूर्ण (deliberate) प्रयत्नों द्वारा ही सम्भव है । विकसित राष्ट्रों में अर्ध-व्यवस्था का सगठन इस प्रकार का हो जाता है कि वह स्वतः ही विकासोन्मुख पथ पर चलता रहता है, जिसे स्व-चालित अर्ध-व्यवस्था (Self-sustaining Economy) की सजा प्रदान की जाती है ।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों को एक महत्वपूर्ण सुविधा प्राप्त होती है जिसका लाभ विकसित राष्ट्र नहीं उठा पाने । अर्ध-विकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के अनुभवों का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि प्रारम्भिक अवस्था में इन्हें भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना होता है जिन्हें विकसित राष्ट्र सुलभा चुके हैं । विकसित राष्ट्रों द्वारा अपनाये गये आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय तथा प्रबन्ध सम्बन्धी प्रयोगों का बिना किसी अधिक जोखिम के अर्धविकसित राष्ट्र उपयोग कर सकते हैं । किन्तु यह कार्य इतना सुगम, साधारण तथा सुविधापूर्ण नहीं होता जितना प्रतीत होता है । अर्ध-विकसित राष्ट्रों की जलवायु, वातावरण, जनसंख्या, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, आर्थिक तथा सामाजिक-व्यवस्था आदि परस्पर तथा विकसित राष्ट्रों से इतनी भिन्न होती है कि कोई भी अनुभव, जब तक राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें आवश्यक समायोजन, परिवर्द्धन, परिवर्तन एवं संशोधन नहीं किये जायेंगे, प्रभावशाली एवं पूर्णरूपेण उपयोगी सिद्ध न होगा ।

अर्ध-विकसित क्षेत्रों के लक्षण

विकास एक ऐसी निरन्तर विधि है जो न तो किसी क्षेत्र में पूर्ण कही जा सकती है और न ही यह किसी क्षेत्र में सर्वथा अनुपस्थित होती है । यह विशेष सजा किसी विशेष ढंग, वस्तु अथवा विधि को प्रदत्त नहीं है । विभिन्न क्षेत्रों की उन्नतिशील दशाओं के सामूहिक रूप को विकास कहा जाता है । इसमें विशेषतया उत्पादन-वृद्धि, वस्त्र, गृह, शिक्षा, चिकित्सा तथा जीवन की अन्य सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की कम लागत, कम कठिनाई तथा कम परिश्रम द्वारा उपलब्धि सम्मिलित है । इसके द्वारा जन-समुदाय के भोजन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के स्तर में वृद्धि की जा सकती है । इसकी पृष्ठभूमि में अधिक अवकाश (Leisure) तथा ज्ञान में वृद्धि निहित है ।

अर्ध विकसित राष्ट्रों की अर्ध-व्यवस्था के मुख्य लक्षणों की निम्न प्रकारेण व्याख्या की जा सकती है—

(१) राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का अत्यन्त कम होना—प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न राष्ट्र-निवासियों के जीवन स्तर का अध्ययन

सर्व-सुलभ है। १९५५-५६ के आँकड़ों के अनुसार विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय निम्न प्रकार थी^१—

राष्ट्र	आय (डालरों में)
संयुक्त राज्य अमेरिका	२,०३०
यूनाइटेड किंगडम	६००
रूस	१,०००
चीन गणराज्य	१७०
अन्य अर्ध-विकसित राष्ट्र	८०
भारत	६१
संसार का औसत	३६५


अर्ध-विकसित राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय के न्यून होने का कारण आर्थिक क्रियाओं की शिथिलता है। इन देशों का आर्थिक विकास करने के लिए अर्थ-व्यवस्था में विशेषकर विनियोजन-व्यवस्था में इस प्रकार परिवर्तन किये जायें कि वास्तविक लोक आय लगभग सम्भावित (Potential) स्तर तक पहुँच जाय। संसार में राष्ट्रीय आय का वितरण (संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्रीय आय पर दी गयी रिपोर्ट (१९५१) के अनुसार) इस प्रकार है—

	संसार की जनसंख्या का प्रतिशत	संसार की समस्त राष्ट्रीय आय का प्रतिशत
एशिया	५३	१०.५
अफ्रीका	८.३	२.६
दक्षिणी अमेरिका	४.५	३.५
रूस	८.१	११.०
यूरोप	१६.६	२७.०
उत्तरी अमेरिका	६.०	४३.६
दक्षिणी प्रशान्त महासागर के टापू	५	६.५

(२) पौष्टिक भोजन का सामान्य स्तर से कम होना—राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय न्यून होने के कारण अर्ध-विकसित राष्ट्रों में कैंसेरीज का उपभोग भी अत्यन्त न्यून है। अधिकांश जनसमुदाय मोटे अनाज का उपभोग करता

1. Quoted from C. D. Deshmukh's address to Maharashtra Commercial & Industrial Conference on 17th June, 1960

नियोजन के सिद्धान्त तथा व्यवस्था



है तथा निर्धनता के कारण प्रतिदिन दो समय सुतोपजनक भोजनाभी उन्हें प्राप्त नहीं होता। एशिया में कैंलेरीज का उपभोग न्यूनतम है—यहाँ लगभग २००० कैंलेरीज का उपभोग किया जाता है जबकि उत्तरी अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों में यह उपभोग ३२०० से भी अधिक है।

(३) जन-समुदाय की सामान्य आयु का कम होना—आयु की न्यूनता तथा पोषक भोजन की अपर्याप्तता अर्ध-विकसित राष्ट्रों के अधिवासियों की आयु की न्यूनता के मुख्य कारण हैं। चिकित्सा की सुविधाओं की आवश्यकता तथा कार्य करने की दशाओं की शोचनीयता के कारण लोग पूर्ण जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते तथा अधिकांश जीवन अस्वस्थ दशा में व्यतीत होता है। इसीलिए उनकी कार्य करने की शक्ति तथा कार्यक्षमता भी अत्यन्त न्यून होती है। अर्ध-विकसित राष्ट्रों में विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा सामान्य आयु लगभग आधी होती है।

(४) जन-संख्या का घनत्व अधिक होना—एशिया तथा दक्षिण-पूर्व में जन-संख्या का घनत्व सर्वाधिक है। एशिया की जनसंख्या अमेरिका तथा रूस की तुलना में पाँच गुनी, दक्षिणी अमेरिका की तुलना में आठ गुनी तथा प्रशान्त महासमुद्र के टापुओं की तुलना में चौबीस गुनी है। एशिया में सप्तर की लगभग ५३% जनसंख्या है। इसके अतिरिक्त एशिया में जनसंख्या की वृद्धि दर भी, मृत्यु दर की कमी तथा उत्पत्ति-दर में परिवर्तनहीनता के कारण, अत्यधिक है। मृत्यु-दर की कमी चिकित्सा सम्बन्धी नवीनतम आधिष्कारों के कारण है।

(५) उद्योगों में कृषि की प्रमुखता—अर्ध विकसित राष्ट्रों में कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। इनकी अधिकांश जनसंख्या भूमि से जीविकोपार्जन करती है। किन्तु प्रति व्यक्ति औसत कृषि-उत्पादन इन क्षेत्रों में विकसित क्षेत्रों की तुलना में $\frac{1}{3}$ से भी कम है। अर्ध-विकसित राष्ट्रों में ५०% से ७५% तक जनसंख्या प्राथमिक उद्योगों (Primary Industries) में, जो खाद्यान्न-उत्पादन से सम्बद्ध है, संलग्न है। फिर भी ऐसे अधिकांश राष्ट्रों में खाद्यान्न की न्यूनता की समस्या अत्यन्त गम्भीर है। उद्योगों तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में कार्यवसर (Employment Opportunities) अत्यन्त कम होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि का अधिकांश भाग कृषि में लग जाता है। परिणाम होता है—जनसंख्या का भूमि पर दिन प्रति दिन भार का बढ़ने जाना तथा प्रति एकड़ उत्पादन का कम होने जाना। साथ ही कृषि, मत्स्योद्योग, वनोत्पत्ति आदि में आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का भी उपयोग नहीं के समान होता है।

(६) तान्त्रिक ज्ञान की कमी—अर्ध-विकसित राष्ट्रों का यह एक अत्यन्त

महत्वपूर्ण लक्षण है। मध्य पूर्व में कृषि की उन्हीं विधियों का प्रयोग किया जाता है जो आज से एक सहस्र वर्ष पूर्व प्रयोग की जाती थी। तान्त्रिक ज्ञान (Technical Knowledge) की कमी की समस्या इन राष्ट्रों के विकास पथ पर एक गम्भीर बाधा है। अशिक्षा भी इन राष्ट्रों की पतक सम्पत्ति है। इन राष्ट्रों का शिक्षा स्तर आर्थिक विकास में किसी प्रकार भी सहायक सिद्ध नहीं होता। तान्त्रिक प्रशिक्षण, कृषि की आधुनिक सामान्य विधियों में प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों के ज्ञान की अत्यन्त कमी होती है।

(७) यांत्रिक शक्ति को न्यूनता—किसी भी राष्ट्र के विकास-स्तर की परीक्षा उस राष्ट्र के जन साधारण की यांत्रिक शक्ति (Mechanical Energy) की उपलब्धि से की जा सकती है। सन् १९३६ के अध्ययनानुसार अर्ध विकसित राष्ट्रों, जिनमें प्रति व्यक्ति आय १०० डालर से भी कम थी, में १२ अश्व शक्ति प्रति दिन प्रति व्यक्ति यांत्रिक शक्ति उपलब्ध थी। भारत में यह शक्ति १० अश्व शक्ति प्रति व्यक्ति प्रति दिन थी। परिपक्व एवं उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं में यह संख्या २६६ अश्व शक्ति प्रति दिन प्रति व्यक्ति अर्थात् अर्ध विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा २० गुनी थी। अमेरिका में यह मात्रा ३७६ अश्व शक्ति प्रति व्यक्ति प्रति दिन थी। यांत्रिक शक्ति तथा औद्योगीकरण एक दूसरे से प्रत्यक्षरूपेण सम्बद्ध है। अर्ध विकसित राष्ट्रों में यांत्रिक शक्ति की न्यूनता उनके औद्योगीकरण का प्रमुख कारण है।

(८) पूँजी की कमी—अर्ध विकसित राष्ट्रों में पूँजी के साधनों की अत्यन्त कमी होती है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक घटकों के कारण पूँजी निर्माण की दर अत्यन्त कम होती है। पूँजी की कमी का मुख्य कारण लोगों की न्यून आय एवं उनका स्वभाव होता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सकल राष्ट्रीय आय का केवल ७% विनियोजन किया जाता था जिसमें से भी बहुत बड़ा भाग, भूमि, मूल्यवान् आभूषण, वितरण सम्बन्धी व्यापार, तथा हल्के उपभोक्ता उद्योगों में विनियोजन किया जाता है। पूँजी की अपर्याप्तता के कारण औद्योगीकरण के कार्यक्रमों को द्रुतगति से कार्यान्वित करना सम्भव नहीं होता है।

(९) विदेशी व्यापार का महत्व—अर्ध-विकसित अर्थ व्यवस्था प्रायः विदेशी व्यापार पर निर्भर होती है। देश में उत्पादित होने वाली किसी एक वस्तु अथवा कच्चे माल का निर्यात करके देश के लिए विदेशी विनिमय अर्जित किया जाता है। विदेशी विनिमय कमान के लिये किसी एक वस्तु के निर्यात पर निर्भर रहने से अर्ध व्यवस्था में अन्य क्षेत्रों के उत्पादन के प्रति कम

प्रोत्साहन रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण विदेशी मुद्रा के अर्जन में उच्चावचन होते रहते हैं और अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता नहीं रहती है, तथा निर्यात पर अधिक निर्भरता के कारण आयात करने की सीमान्त प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है, जिससे अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता लाना सम्भव नहीं होता।

(१०) प्रशासन का अकार्यकुशल होना—अर्थ-विकसित राष्ट्री में राष्ट्रीय चरित्र का स्तर प्रायः न्यून होता है जिससे जन-समुदाय में सामान्यतः व्यक्तिगत लाभ को अधिक महत्व दिया जाता है और राष्ट्रीय हित को द्वितीय स्थान प्राप्त होता है। सरकारी शासन पर न्यून राष्ट्रीय चरित्र का प्रभाव पड़ता है और राज्य द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों में आय-व्यय होता है तथा विकास की गति मन्द रहती है।

अर्थ-विकसित एवं विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की तुलना निम्न तालिका में दिये गये आँकड़ों के आधार पर की जा सकती है—

तालिका नं० १—आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि*

	विकसित अर्थ- व्यवस्थाएँ	अर्थ-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ
(१) शक्ति का उपयोग (प्रति व्यक्ति, प्रति दिन (घड़व-शक्ति घण्टों में)	२६६	१'२
(२) वार्षिक माल ढोने की मात्रा (टन मील प्रति घण्टा)	१५१७'०	५८'०
(३) सड़क एवं रेलों की लम्बाई (प्रति १००० वर्ग मील)	४००	१३०
(४) मोटर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन (प्रति १००० व्यक्तियों पर)	१११०	१'०
(५) टेलीफोन का उपयोग (प्रति १००० व्यक्तियों पर)	६००	२०
(६) चिकित्सक (प्रति १००० व्यक्तियों पर)	१'०६	०'१७
(७) प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक (प्रति १००० व्यक्तियों पर)	३६८	१'७६
(८) निरक्षरता का प्रतिशत (१० वर्षों की आयु के ऊपर)	५% से नीचे	७८'०%

1. Source—Department of State, Washington D. C. Point Four, July (1949), pp. 93-102 (Requoted from Employment and Capital Formation by V. V. Bhatt).

अर्ध-विकसित राष्ट्रों की समस्याएं

आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य धार्मिक तथा दलित वर्ग के जीवन में सुधार करना है। जब तक श्रमिक तथा कृषक के जीवन में सुधार तथा आमूल परिवर्तन नहीं किये जायेंगे, सर्वव्यापक शोषण की भावना को, जो विश्व शान्ति में बाधक है, दूर नहीं किया जा सकता। इस शोषण भावना के कारण ही आधुनिक युग में राजनीतिक उत्तेजना (Political Agitation), आन्तरिक असुरक्षा तथा परस्पर दोषारोपण का बोलबाला है। जब तक जन-समुदाय के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन-स्तर को नहीं उठाया जायगा, आधुनिक उत्पादन की विधियों का लाभ उठाया जाना असम्भव है।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों के विशेष एवं आश्चर्यजनक लक्षणों के कारण कतिपय गम्भीर समस्याओं का प्रादुर्भाव होता है जो विकास-मार्ग पर भीषण बाधा उत्पन्न करती हैं। इन राष्ट्रों की प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार हैं—

(१) तांत्रिक ज्ञान की समस्या (Problem of technical knowledge)

(२) पूंजी-निर्माण की समस्या (Problem of capital formation)

(३) प्राथमिकताओं की समस्या (Problem of priorities)

(४) सामाजिक बाधाएं (Social obstacles) एवं सामाजिक पूंजी की समस्या।

(५) भूमि-प्रबन्ध में सुधार की समस्या (Problem of reforms in Land-management)

(६) राजकीय सत्ता में अस्थिरता (Political instability)

(७) सरकारी प्रबन्ध के दोष (Drawbacks in Government management)

(८) नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव (Lack of Plan consciousness)

(१) तान्त्रिक ज्ञान की समस्या—गत दो शताब्दियों में विज्ञान की अत्यधिक उन्नति हुई तथा विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। विज्ञान की सराहनीय उन्नति के कारण अर्ध विकसित एवं विकसित राष्ट्रों के मध्य तान्त्रिक ज्ञान का अन्तर निरन्तर वृद्धि की ओर है। जब तक अर्ध विकसित राष्ट्रों के तान्त्रिक ज्ञान में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किए जाते, यह अन्तर दिन प्रति दिन अधिकाधिक बढ़ता ही जायगा क्योंकि विकसित

राष्ट्र द्रुतगति से तान्त्रिक विकास की ओर अग्रसर है। अर्ध-विकसित राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों के तान्त्रिक अनुभवों का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त है तथा इन्हें कोई भी तान्त्रिक साहस नये सिरे से प्रारम्भ करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु उन अनुभवों का उपयोग करने हेतु विकासोन्मुख प्रबन्ध, व्यवस्था तथा तान्त्रिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जो अर्ध-विकसित राष्ट्रों में प्रशिक्षण-सुविधाओं के अभाव के कारण पर्याप्तरूपेण प्राप्य नहीं। उत्पादकों को आधारभूत शिक्षा तथा तान्त्रिक प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना अत्यन्त आवश्यक है। आधुनिक तान्त्रिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए पर्याप्त पूंजी-विनियोजन भी आवश्यक है किन्तु अर्ध-विकसित राष्ट्रों में पूंजी की अपर्याप्तता स्वाभाविक है।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों को आधुनिक तान्त्रिक विधियों के उपयोग में सर्व-प्रमुख कठिनाई उक्त विधियों के श्रम की बचत को प्रोत्साहित करना है। पश्चिमी विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की कोई समस्या नहीं है। श्रमिकों की न्यूनता है, अतएव ये विधियाँ अत्यधिक लाभदायक एवं सफलतापूर्वक उपयोगी सिद्ध हुई हैं। परन्तु अर्ध-विकसित राष्ट्रों में इसके विपरीत अवस्था होती है। वहाँ बेरोजगारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं गम्भीर समस्या है, जिसकी उपस्थिति में श्रम की बचत करने वाली उत्पादन-विधियों का उपयोग निरर्थक प्रतीत होता है। इन राष्ट्रों में उत्पादन की ऐसी विधियों की आवश्यकता है जिनमें पूंजी की आवश्यकता कम तथा श्रम की आवश्यकता अधिक हो।

तान्त्रिक ज्ञान की समस्या का निवारण केवल विदेशी सहायता द्वारा ही सम्भव है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र तान्त्रिक-ज्ञान की पर्याप्तता की अनुपस्थिति में आर्थिक विकास नहीं कर सकता। अतएव राष्ट्र में तान्त्रिक-ज्ञान-प्रशिक्षण-संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए तथा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विदेशी प्रशिक्षणदाताओं एवं विशेषज्ञों को आमंत्रण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्र के होनहार, मेधावी एवं योग्य युवकों को विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त की सुविधाएँ भी प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही जन-समुदाय में आर्थिक विकास के प्रति जागरण तथा शिक्षा की नीति में आवश्यक समायोजन करना भी वाञ्छनीय है। विकास के प्रारम्भिक काल में इस ओर विशेष कार्यवाही द्वारा इस समस्या को सुलभ किया जा सकता है। तान्त्रिक प्रशिक्षण का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि राष्ट्र की भविष्यत् आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ राष्ट्र में दृढ़ तान्त्रिक आधार भी बन सके।

(२) पूंजी निर्माण की समस्या—विकास का आर्थिक तात्पर्य है, राष्ट्र के पूंजीगत साधनों में पर्याप्त वृद्धि जिसके द्वारा न केवल राष्ट्रीय आय में ही

वृद्धि हो प्रत्युत् प्रति व्यक्ति आय में भी पर्याप्त वृद्धि हो सके। घट विकास की सर्व-प्रथम आवश्यकता पूँजी निर्माण है। अर्ध-विकसित राष्ट्रों में पूँजी का निर्माण अत्यन्त न्यून मात्रा में तथा मध्यम गति से होना है क्योंकि जन-समुदाय में निर्धनता अत्यधिक होती है, कारणवश वे अपनी चालू आय में से बहुत अल्प राशि ही बचा सकते हैं। राष्ट्र की चालू उत्पत्ति तथा आयान के उस भाग को जिसका उपभोग नहीं होना है, पूँजी निर्माण कहा जा सकता है। पूँजीगत साधनों में कल व यंत्र, औजार, सर्कें भवनादि तथा व्यापार में निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में रहने वाली वस्तुएँ तथा स्टॉक सम्मिलित हैं। निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में रहने वाली वस्तुएँ तथा मग्न (Stock) विनियोग के रूप में होत हैं जो अन्ततः भौतिक सम्पत्ति के रूप में भी परिवर्तित हो सकते हैं। हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के माइमन कुज़नेट्स (Simon Kuznets) ने पूँजी निर्माण की दो परिभाषाएँ—एक व्यापक तथा द्वितीय समुचित दी हैं। “यदि प्रति व्यक्ति अथवा प्रति श्रमिक उत्पादन में दीर्घकालीन वृद्धि को आर्थिक विकास समझा जाय, तब पूँजी का इसका मापन कहना उचित होगा तथा पूँजी निर्माण का चालू सम्पत्ति के समस्त उपयोग को—जिम्मे द्वारा यह वृद्धियाँ हा—समझना चाहिए। आय शब्द में आन्तरिक पूँजी निर्माण में केवल दस की निर्माण सामग्री तथा निर्माण अवस्थाओं में रहने वाली वस्तुओं (Inventories) की वृद्धियाँ का ही सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि वह व्यय जा कि उत्पादन में वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिए किये जायें उन्हें छोड़कर अन्य व्यय का भा सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों पर किये जान वाले व्यय जो प्रायः उपभोग में सम्मिलित किये जाते हैं, उदाहरणार्थ, शिक्षा, मनोरंजन तथा भौतिक सुविधाओं की उपनिधि के लिए किये गये व्यय, जिनके द्वारा स्वास्थ्य में वृद्धि तथा व्यक्तिगत उत्पादन-क्षमता में वृद्धि होनी है तथा समाज द्वारा किये गये व समस्त व्यय जा कि राजस्व में लगी हुई आवादी के चरित्र निर्माण के उत्थान के लिए किये जाते हैं, को भी पूँजी निर्माण में सम्मिलित किया जाना चाहिए”¹

1 “If a long term rise in national product per capita or per worker is taken to describe economic growth, it may be desirable to define capital as means and capital formation as all uses of current product that contribute to such rises. In other words domestic capital formation would include not only additions to construction equipment and inventories within the country, but also other expenditures except those necessary to sustain output at existing levels. It would

सुकुचित दृष्टिकोण से, "दबाव द्वारा प्रेरित आर्थिक विकास तथा औद्योगीकरण की अवस्था में पूँजीनिर्माण का अर्थ उन वस्तु व यंत्र तथा निर्माण की अवस्थाओं में रहने वाली वस्तुओं तक सीमित रहता है जो कि प्रत्यक्ष-रूपेण औजार के रूप में उपयोग की जाती हैं।"^१

पूँजी के साधनों को आन्तरिक तथा विदेशी दोनों साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु अर्थशास्त्रियों का सामान्य मत है कि विदेशी सहायता से सुदृढ़ आर्थिक विकास सीमित मात्रा तक हो सकता है। विदेशी अर्थ द्वारा दोहरी अर्थ-व्यवस्था का निर्माण होता है जिसके कारण कभी-कभी अर्थ-व्यवस्था में असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है तथा विदेशी सहायता का प्रवाह रुक जाने पर विकास की गति धीमी ही नहीं अवरुद्ध भी हो जाती है। विदेशी सहायता द्वारा दीर्घकाल तक स्वदेशी अर्थ-साधनों की न्यूनता का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता।

इन समस्त कारणों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आन्तरिक साधनों की अधिकतम वृद्धि का प्रयत्न किया जाना चाहिए और विदेशी सहायता पर केवल थोड़ा समय तक ही निर्भर रहना चाहिये तथा वह निर्भरता अत्यन्त सीमित होनी चाहिए। अर्थ वित्तित राष्ट्रों में वर्तमान बचत का, जितनी मात्रा अत्यल्प होनी है, भी उचित उपयोग नहीं होना। इन राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय का अधिकांश कनिष्ठ वर्गों को प्राप्त होना है और इस वर्ग की आय तथा बचत दोनों ही अत्यधिक होनी हैं। परन्तु इनकी बचत अधिकतर सम्पत्ति क्रय करन, भवनादि का निर्माण करन, व्यापार एवं परिवर्तन में विनियोजित की जाती है। इस प्रकार का विनियोजन राष्ट्रीय हित की दृष्टि में किसी भी प्रकार विवेकपूर्ण तथा महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

include outlays on many items now comprised under consumption e.g. outlay on education, recreation and material luxuries that contribute to the greater health and productivity of individuals and all expenditures by society that serve to raise the morale of the employed population" (Simon Kuznets of John Hopkins University and National Bureau of Economic Research, U.S.A.)

1. "In a narrower sense under conditions of forced economic growth and industrialization, capital formation may be viewed as limited to plant, equipment and inventories that are directly serviceable as tools." (Simon Kuznets of John Hopkins University and National Bureau of Economic Research, U.S.A.)

निर्धन वर्गों की बचत का विनियोजन भी विवेकपूर्वक नहीं होता क्योंकि यह भौतिक सचय अथवा सोना-चाँदी के ऋय का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार न तो घनिक वर्गों की ओर न ही निर्धन वर्गों की बचत का विवेकपूर्वक सदुपयोग होता है तथा उन्हें उत्पादक कार्यों में सलग्न करना कठिन होता है। यह परिस्थिति जन-समुदाय की अज्ञानता तथा वित्तीय और विनियोजन सम्बन्धी समस्याओं की उचित व्यवस्था न होने के कारण और अधिक गम्भीर हो जाती है।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों में उत्पादक उद्योगों में विनियोजन न किया जाना कतिपय कारणों द्वारा प्रभावित होता है। कथित कारणों की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है—

(क) स्वभाव—जन-समुदाय नवीन तथा अपरिचित आर्थिक क्रियाओं के महत्व एवं तीव्रता की तुलना में परिचित एवं प्राचीन चली आ रही आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिकता देते हैं। स्वभाव का निर्माण अनेक कारणों का परिणाम है। स्वभाव का परिवर्तन इन अवस्थाओं में परिवर्तन के पश्चात् ही सम्भव है। रूढ़िवादी तथा पुराने रीति-रिवाजों द्वारा नियंत्रित अर्ध-व्यवस्था में ही लोग अपना कल्याण समझते हैं। तथ्य है, शिक्षा का अभाव, पतृक रुझान, प्रोत्साहन की अनुपस्थिति।

(ख) सीमित माँग—जन-समुदाय की आय अत्यन्त अल्प होने के कारण उनकी ऋय-शक्ति भी अत्यन्त न्यून होती है। साथ ही कृषि तथा ग्रामीण श्रमिक आत्म-निर्भरता पर विश्वास करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को स्थानीय अपर्याप्त उत्पादन द्वारा ही सन्तुष्ट कर लेने के कारण प्रचलित अवस्थाओं से आत्म-सन्तुष्टि की भावना की प्रबलता भी उनमें पायी जाती है। निर्धनता के कारण 'न्यून आवश्यकताएं'—पूर्ण जीवन' उनका ध्येय हो जाता है। इस प्रकार वस्तुओं की नवीन पूर्ति को आवश्यक माँग प्राप्त होना कठिन होता है तथा निम्नी साहसी माँग उत्पन्न करने की जोखिम नहीं उठाना चाहता।

(ग) श्रम की उत्पादन क्षमता का अभाव—अशिक्षा, अज्ञानता, निवास का अस्वास्थ्यकर वातावरण, गतिशीलता का अभाव, निम्न जीवन-स्तर, अपर्याप्त, अक्षय्यक भोजन एवं अन्य अनिवार्यताएँ श्रमिकों की कार्यक्षमता में ह्रास उत्पन्न करती हैं। परिणाम होता है, श्रम की सस्ती एवं सुगम उपलब्धि होने पर भी उत्पत्ति-लागत का अधिक होना।

(घ) आधारभूत सुविधाओं की कमी—घाताघात, संचार, जल की वितरण-व्यवस्था, विद्युत्-शक्ति-प्रदाय, अधिकोषण अथवा साक्ष सुविधाएँ आदि

आधारभूत सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण साहसी का सम्भावित लाभ कम ही रहता है। लाभ की न्यूनता किसी भी उद्योग की ओर पूंजी के आकर्षण को नहीं, अपितु उसकी उदासीनता (Indifference) को जाग्रत करती है।

(ड) योग्य साहसियों की कमी—अर्ध-विकसित राष्ट्रों में साहसी का कार्य अत्यन्त जोखिम पूर्ण होता है क्योंकि वह तथ्यों एवं श्रौंखंडों से सर्वथा अनभिज्ञ रहता है। केवल अनुमानों मात्र पर आधारित कौटं भी उद्यम कल-युग में असफल रहना अवश्यम्भावी है। अनुभव की अनुपस्थिति नये साहसियों की ओर आकर्षण उत्पन्न नहीं करती। यद्यपि अर्ध-विकसित राष्ट्रों में साहसियों को विकसित राष्ट्रों के अनुभवों का लाभ उपलब्ध है परन्तु आधुनिक युग में साहसियों को विभिन्न योग्यताओं तथा अनुभवों की आवश्यकता होती है।

(च) पूंजीगत वस्तुओं की अनुपलब्धि—नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए यन्त्रादि पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो कि देश में उपलब्ध नहीं होती और लगभग समस्त वस्तुएँ विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं। इन वस्तुओं का मूल्य अधिक देना पड़ता है तथा बीमा एवं यातायात-व्यय भी अत्यधिक होता है। साथ ही इन मशीनों को चलाने के लिये निपुण श्रमिक देश में नहीं मिलते, उनके हेतु भी विदेशों का मुँह जोहना होता है। यह मुँहजोही अत्यधिक मंहगी सिद्ध होती है। इन कारणोंवश साहसियों की लागत तथा जोखिम बढ़ जाते हैं। कभी-कभी तो कच्चे माल के लिए आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

(छ) श्रम की उपलब्धि तथा गतिशीलता—यद्यपि जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण श्रम की उपलब्धि पर्याप्त, सुगम एवं सस्ती होती है, किन्तु यह श्रम उद्योगों में कार्य करना पसन्द नहीं करता क्योंकि इसे कारखानों के अस्वास्थ्यकर, सघन एवं दूषित वातावरण में नियमबद्ध एवं अनुशासित परतन्त्र की भाँति कार्य करना होता है तथा उसे अपने परम्परागत एवं स्वच्छन्द निवास स्थानों का परित्याग सचिकर नहीं होता। श्रमिक वर्ग अधिक आय के प्रलोभन पर भी अपने परिवार, ग्रामीण समाज तथा अपने पंतुक एवं परम्परागत व्यवसायों से दूर नहीं होना चाहता। यदि परिस्थितियोंवश उसे उद्योगों में कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा, तब अपने स्वभाव के परिवर्तन हेतु समय-समय पर अपने पुराने व्यवसाय तथा समाज में जाता है और इन प्रकार अर्ध-विकसित राष्ट्रों में औद्योगिक श्रम की महत्वपूर्ण समस्या अनुपस्थित होती है, जिसके कारण श्रम की कार्यक्षमता तथा उत्पादन शक्ति कम रहती है। साहसियों

प्रथम सम्बन्धी बचतियों के कारण भी विनियोजन को प्रारंभ प्रकटित नहीं होता है।

यद्यपि पूंजी-निर्माण एक विधि है जो विनियोजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। किंतु प्रत्येक विनियोजन पूंजी का निर्माण नहीं करता और न प्रत्येक विनियोजन पूंजी निर्माण कहा जा सकता है। केवल वे विनियोग जिनकी विधि पूर्ण होन पर ऐसे पूंजीगत साधनों की वृद्धि हो जिनके द्वारा भविष्यत् भौतिक साधनों की प्राप्ति हो सके यद्यपि इनसे वर्तमान में प्रत्यक्षरूपेण किन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में सहायता न मिलता हो पूंजी निर्माण की श्रेणी में परिगणित किये जाते हैं। पूंजी निर्माण तीन पृथक् किन्तु परम्पराश्रित अवस्थाओं के सम्मिश्रण को कहते हैं। ये अवस्थाएँ इस प्रकार हैं—प्रथम है बचत। बचत वह क्रिया है जिसमें वर्तमान में उपभोग हो सकने योग्य साधनों को उपभोग से पृथक् रखकर भावी उपभोग अथवा अन्य साधनों की पूर्ति हेतु उपयोग करने में सहायता प्राप्त होती है। द्वितीय अवस्था है, वित्तीय क्रियाएँ। इस क्रिया का अन्तर्गत आन्तरिक बचत, विदेशी सहायता तथा विदेशी रूप से उरगत किए गए साधनों का एकत्रित करके विनियोजक के हाथों में हस्तान्तरित करना सम्मिलित है। तृतीय एवं अन्तिम अवस्था है विनियोजन। वह क्रिया जिसमें द्वारा अथ साधनों को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है, विनियोजन कहलाता है। विनियोजन के फलस्वरूप जो पूंजीगत साधन प्राप्त होने हैं, उसे पूंजी कहते हैं तथा इस समस्त विधि का पूंजी निर्माण कहते हैं। पूंजी निर्माण की मात्रा पूर्ववर्तित तीनों क्रियाओं की कार्यक्षमता तथा तीव्रता पर निर्भर रहती है।

प्रथम अवस्था—बचत (Saving—The first stage of Capital Formation)—विषय की गम्भीरता को दृष्टिगत रखने हुए उपरोक्त ताना अवस्थाओं का विश्लेषणात्मक विस्तृत एवं गहन अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है। अतः उन अवस्थाओं का पृथक् पृथक् अध्ययन हम करेंगे। सर्वप्रथम अवस्था बचत है। बचत चार मुख्य वर्गों में विभाजित की जा सकती है—

(अ) ऐच्छिक आन्तरिक बचत (Voluntary Domestic Savings)

(ब) राजकाय बचत (Governmental Savings)

(स) मुद्रा प्रसार द्वारा प्राप्त बचत (Inflationary Savings)

(द) विदेशी बचत (Foreign Savings) ।

वर्ग के लोग अपनी बचत का उपयोग अपने ग्राम के ग्राम पान के क्षेत्रों में किये जाने को अधिक महत्त्व देते हैं। अतः ऐसी समस्याओं का संगठन किया जाना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त बचत का विनियोजन ग्रामीण विकास में ही कर सकें।

द्वितीय पहलू के अन्तर्गत बचत को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए अल्प बचत एकत्रित करने वाली मध्यस्थ समस्याओं—ठेक, डाक विभाग, सहकारी समस्याओं, जीवन बीमा आदि के नमचारियों में ईमानदारी, तत्परता तथा सहायता करने की भावनाओं के स्तर में वृद्धि होना भी आवश्यक है। इन समस्याओं की कार्य करने की विधि इतनी सरल तथा प्रणाली इतनी सुगम्य होनी चाहिए कि बचत जमा करते समय तथा निकालते समय, समय का अपव्यय, कष्ट एवं असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण विकास की योजनाओं के अन्तर्गत कृषक तथा धार्मिक वर्ग को धन के व्यय तथा अपव्यय सम्बन्धी शिक्षा प्रदान की जाय। यह कार्य अत्यन्त कठिन तथापि आवश्यक है क्योंकि ग्रामीणों के रुढ़िवादों, अन्वविश्वासी एवं अशिक्षित चिर स्वभाव को परिवर्तित करना सरल नहीं है। अर्ध विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास के साथ मुद्रा-प्रसार भी एक आवश्यक लक्षण होता है। जनता-जनादन का यह विश्वास प्रदान करना भी आवश्यक है कि मुद्रा का प्रसार अत्यधिक नहीं होगा तथा इस प्रकार उनके विनियोजन तथा व्याज की राशि को न्यून-शक्ति अथवा वास्तविक मूल्य में कोई विशेष कमी नहीं होगी।

(ब) राजकीय बचत—नियोजित अर्थ व्यवस्था में राजकीय बचत विकास की योजनाओं की पूर्ति का एक मुख्य अर्थसाधन है। राजकीय बचत के साधना में कर, राजकीय उद्योगों का लाभ आदि सम्मिलित हैं। कर द्वारा पूँजों के साधनों को प्राप्त करना सरकार के धनी वर्ग पर अधिक करारोपण की क्षमता पर निर्भर रहता है। धनी वर्ग के उन साधनों को जो निष्क्रिय पड़ जाय अथवा जिनका राष्ट्र की दृष्टि से लाभप्रद उपयोग न होता हो, कर के रूप में प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके लिए अधिक आय, सम्पत्ति तथा विलासताओं पर कर लगाये जा सकते हैं। इस करारोपण की आवश्यकता होती है कि आय, सम्पत्ति तथा विलासताओं की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होती रहे। इसके लिए आय-कर को सबसे अधिक महत्त्व दिया जाता है। जापान, मिथ तथा भारत में आय कर सरकारी आय का एक प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण साधन है परन्तु अन्य दक्षिण-पूर्वी, सुदूर पूर्वी तथा अफ्रीकी राष्ट्रों में अब भी आय-कर को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाता है। यद्यपि आय कर आधुनिक समाज-वाद की विचारधाराओं के सबूत अनुकूल साधन है, परन्तु अर्ध-विकसित राष्ट्रों

में प्रबन्ध सम्बन्धी, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से इस कर को पूर्ण महत्व नहीं दिया जाता है।

आय-कर का एकत्र करना एक जटिल कार्य होता है। इसको प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे सगठन की आवश्यकता होती है जिसमें अधिकारी ईमानदार तथा कर-एकत्रीकरण के तौर-तरीकों में निपुण हों। अर्थ-विकसित राष्ट्रों में ऐसे सगठन की उपलब्धि लगभग असम्भव है। कारणवश धनिक वर्ग जो कर बचाने की कला में अधिक निपुण होता है, कर को कपटपूर्ण रीतियों द्वारा बचा लेता है और इस कर की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है। धनी वर्ग राजकीय नीतियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपेण नियन्त्रण रखता है तथा अधिकांश राजनीतिक दल जमींदार, उद्योगपति तथा बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा प्रदत्त दानों के कारण ही प्रगति करते हैं। इस कारण अर्थ-विकसित राष्ट्रों की सरकारें अधिक विकास हेतु धनिक वर्ग पर अधिक करारोपण नहीं कर पातीं।

अप्रत्यक्ष कर—दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं के क्रय विक्रय, उत्पादन, आयात-निर्यात, लाभ-कर तथा सामाजिक बीमा आदि के रूप में लगाये जाते हैं। पूंजीवादी राष्ट्रों में अप्रत्यक्ष करों को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि इसके कारण धनिक वर्ग के पास बचत के साधन उपलब्ध रहते हैं और उनको अपनी पूंजी के विनियोजन के परिणामस्वरूप अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। नियोजित व्यवस्था और विशेषकर साम्यवादी अथवा व्यवस्था में राजकीय बचत को अधिक महत्व दिया जाता है। अतएव कर-भार भी अधिक रहना है। साम्यवादी व्यवस्था में भी अप्रत्यक्ष कर को अधिक महत्व दिया जाता है, परन्तु इसका उद्देश्य व्यक्तिगत बचत को उचित अवसर प्रदान करना नहीं होता है प्रत्युत इसके कारण श्रम, योग्यता तथा उत्तरदायित्व को उचित प्रतिफल प्रदान किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष करों द्वारा अनिवार्य बचन को प्रोत्साहन मिलता है और कर-राशि के समतुल्य उपभोग में कटौती हो जाती है। जो भी अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं पर लगाया जाता है, वह वस्तुओं के विक्रय-मूल्य में जुड़ जाता है और उपभोग की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है।

अन्य कर—कृषक वर्ग की बढ़ती हुई आय में से भी कर-भाग लेना आवश्यक होता है। इस हेतु भूमि तथा अन्य प्रकार की सम्पत्तियों पर करारोपण किया जा सकता है। इस कर में भी क्रमागत वृद्धि होनी चाहिए और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की बचत, जो अधिकांश अनुत्पादक मदों पर व्यय की जाती है, राष्ट्र-निर्माण में सहायक हो सकती है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में कर इस

प्रकार लगाये जायें कि ग्रामीणों के जीवन-स्तर पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े; उनकी आय के परिवर्तन के साथ कर में आवश्यक समायोजन किये जा सकें तथा कर को जमींदार आदि किसी अन्य वर्ग को हस्तान्तरित न कर सकें।

सम्पत्ति कर, सम्पन्नता कर (Betterment Levy), पूँजी-लाभ कर (Capital Profits Tax) तथा उपयोग्य किन्तु सुधार न की गयी भूमि पर कर, आदि ऐसे कर हैं जिनको लोक-हितार्थ लगाया जा सकता है। इसके साथ भूमि-लगान में वृद्धि भी की जा सकती है, जो कि अधिक समय पूर्व निश्चित किये गये होने हैं। परन्तु कृषक वर्ग पर, जिनमें राष्ट्र की अधिकांश जनसंख्या सम्मिलित या सम्बद्ध है, करारोपण करते समय आर्थिक विचारधाराओं को ही ध्यान में न रखा जाय प्रत्युत राजनीतिक कठिनाइयों को भी विचाराधीन करना होगा। जब तक शासन के हाथ इतने सुट्टे न होने कि वह जनसाधारण के विरोध का सामना कर सके और उनसे नियोजन के प्रति योगदान प्राप्त कर सके, तब तक इस प्रकार के कर अकार्यशील एवं प्रभावहीन रहेंगे।

शासकीय उद्योगों का लाभ—शासकीय उद्योगों के लाभ को प्रायः वस्तुओं और सेवाओं के गुणों में वृद्धि करने तथा उनके मूल्य घटाने में उपयोग किया जाता है परन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इन लाभों को आर्थिक-विकास के कार्यक्रमों में विनियोजित किया जा सकता है। अर्थ-विकसित राष्ट्रों में शासकीय क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता है तथा इसके द्वारा केवल आवश्यक सेवाओं अथवा वस्तुओं का उत्पादन तथा नियन्त्रण किया जाता है। शासकीय उद्योगों के लाभ में जन हितार्थ वृद्धि करने के लिए आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार की वृद्धि से उपभोग में अतिव्यय रूपसे कटौती होती है। प्रजातान्त्रिक अर्थ विकसित समाज में इस प्रकार की कार्यवाही करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है क्योंकि जनसाधारण, जिसका जीवन-स्तर पूर्व से ही निम्नतम एवं न्यूनतम है, उपभोग को और अधिक कटौती को सहने के योग्य नहीं होता है। फलस्वरूप उत्कट विरोधी-भावनाएं जाग्रत होती हैं जो दीर्घकाल में तो हानिप्रद होती ही हैं।

(स) मुद्रा-प्रसार द्वारा प्राप्त बचत (घाटे का अर्थ-प्रबन्धन) (Deficit Financing)—कर तथा बचत द्वारा पर्याप्त आर्थिक-साधन प्राप्त होने की दशा में अर्थ-विकसित राष्ट्रों की सरकारें “घाटे की अर्थ-व्यवस्था” (Deficit Financing) द्वारा पूँजी-साधनों में वृद्धि कर सकती हैं। प्रायः घाटे की अर्थ-व्यवस्था का उपयोग मुद्रा के लिए आर्थिक साधन जुटाने तथा मन्दी काल (Depression) में शासकीय व्यय में वृद्धि करके रोजगार के अवसर

बढाने के लिए किया जाता था। आधुनिक युग में इस व्यवस्था का उपयोग राष्ट्रों के आर्थिक विकास हेतु भी किया जाने लगा है। जैसा कि पहले संकेत किया गया है, अर्थ-विकसित राष्ट्रों में ऐच्छिक बचत में पर्याप्त वृद्धि करना सम्भव नहीं होता क्योंकि जनसाधारण की प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त कम होती है तथा स्वभाव रुढ़िवादी होते हैं। दूसरी ओर पूँजी की कमी को विदेशी सहायता द्वारा पूरा किया जा सकता है किन्तु विदेशी पूँजी के साथ अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिबन्ध होते हैं जिसके कारण उसका उपयोग अधिक समय तक नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में राज्य मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके कुले बाजार से साधनों को क्रय करता है और पूँजी के निर्माण में उपयोग करता है। इस प्रकार एक ओर अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा के प्रदाय (Supply) में वृद्धि होती है तथा दूसरी ओर उपभोग के लिए प्राप्त वस्तुओं के उत्पादनार्थ प्राप्त साधनों को पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में सम्बद्ध किया जाता है। फलस्वरूप उपभोक्ता-वस्तुओं की अर्थ-व्यवस्था में कमी हो जाती है। अधिक उपलब्ध साधनों को विकास सम्बन्धी कार्यों में उपयोग किये जाने से लोगों की सामान्य आय में वृद्धि होती है और उनके द्वारा वस्तुओं की माँग अधिक की जाती है। इस प्रकार वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से जनसाधारण अल्प मात्रा में उपभोग कर पाता है। परिणामस्वरूप उनको एक विवशतापूर्ण बचत करने को बाध्य होना पड़ता है। प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में जहाँ के अधिवासी ऐच्छिक बचत तथा अधिक कर-भार वहन करने को तत्पर नहीं होते हैं, वहाँ इस प्रकार विवशतापूर्ण बचत कराना जनहित एवं आर्थिक विकास हेतु अत्यावश्यक है।

राज्य के बजट में विकास तथा अन्य कार्यक्रमों पर व्यय की जाने वाली राशि बचत, आन्तरिक ऋण तथा विदेशी सहायता से प्राप्त साधनों से अधिक होती है। इस अवस्था में स्वयं-उत्पादित अन्तर की पूर्ति मुद्रा-प्रसार द्वारा की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा साधनों को चालू उपभोग से पूँजी-निर्माण की ओर आकर्षित किया जाता है। यद्यपि घाटे के अर्थ-प्रबन्धन द्वारा निष्क्रिय साधनों का लाभप्रद उपयोग प्रत्यक्ष रूपेण नहीं होता है परन्तु आर्थिक विकास के साथ साधनों में उपयोगी क्रियाशीलता आ जाती है।

घाटे का अर्थ प्रबन्धन तथा मुद्रा-स्फीति—मुद्रा-प्रसार द्वारा जो क्रय-शक्ति राज्य को प्राप्त होती है, उसका उपयोग यदि अनुत्पादक, जैसे युद्ध आदि के प्रबन्धन आदि के लिए किया जाता है तब मुद्रा-स्फीति भयानक रूप से अर्थ-व्यवस्था पर छा सकती है और इस प्रकार की मुद्रा स्फीति विकास-मार्ग पर एक अजेय रोड़ा बन सकती है। उपभोक्ता-वस्तुओं की मात्रा में अत्यन्त न्यूनता आ जाती

है, व्यापारी-वर्ग इस अवस्था का लाभ उठाता है और सरकार द्वारा उचित नियंत्रण न रखने पर वस्तुओं के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होती जाती है तथा मुद्रा की क्रय-शक्ति कम होती जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था अत्यन्त अस्थायी होती है तथा शीघ्र ही मुद्रा तथा सरकार में जनता का विश्वास समाप्त हो जाता है और एक भयानक आर्थिक-त्राण्टि होन की सम्भावना सम्मुख आती है।

इसके विपरीत मुद्रा प्रसार द्वारा जब पूंजी-निर्माण किया जाता है, तब मूल्यों में वृद्धि अल्पकालीन होती है क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन तथा उनके द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों की उन्नति तथा उत्पादन में वृद्धि आदि में कुछ समय लग जाता है और इस अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में अवश्य ही वृद्धि होती है क्योंकि "मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त" (Quantity Theory of Money) प्रभावशील होता है। जैसे ही अधिक विनियोजन के द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन वृद्ध-योग्य होता है, मूल्य यथोचित स्तर पर आ जाते हैं। किन्तु इस मध्य-काल में राज्य को अत्यन्त सावधानीपूर्वक अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है अन्यथा व्यापारी तथा घनिक वर्ग इसका लाभ उठा कर एक गम्भीर अवस्था उत्पन्न कर सकते हैं। बढ़ते हुए मूल्यों की परिस्थिति में व्यापारी वर्ग सदैव वास्तविक से अधिक वस्तुओं की कमी प्रदर्शित करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए वस्तुओं का विशेषकर आवश्यक वस्तुओं, जैसे खाद्यान्न, वस्त्रादि का संचय करता है और बाजार में कृत्रिम कमी उत्पन्न कर देता है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के कारण उनकी सहानुभूति में अन्य उपभोक्ता-वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। राज्य की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखना अत्यन्त वाञ्छनीय होता है क्योंकि मूल्यों में वृद्धि होने से योजना के अनुमानित व्यय में वृद्धि हो जाती है। इस हेतु या तो और अधिक अर्थ साधनों का प्रबन्ध करना आवश्यक होता है जो कि पहले से ही अन्य साधनों की अपर्याप्तता या अनुपस्थिति के कारण घाट के अर्थ प्रबन्धन द्वारा प्राप्त किये जा रहे हैं, उसी माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे जिसका वही प्रभाव होगा और यह विपला चक्र अत्यन्त घातक होगा, अथवा अर्थ-संघटने की पर्याप्त उपलब्धि न होने की स्थिति में संशय के लक्ष्यों में कटौती करनी होगी, जिससे विकास की गति अत्यधिक मंद हो जायगी जो कि अन्ततः हानिकारक है। मूल्य-नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक है कि कृत्रिम उत्पादित न्यूनता के कारण जनसाधारण, जिनका जीवन-स्तर अत्यधिक दयनीय होता है, के उपभोग में और कटौती हो जान के कारण उन्हें अधिक कठिनाई का

सामना करना पड़ता है। धनिक वर्ग अधिक धन अपने अधिकार में करता जाता है और ग्राह्य के समान वितरण की अनिवार्यता की पूर्ति के स्थान पर ग्राह्य की असमानता को प्रोत्साहन मिलता है। यह प्रजातांत्रिक समाज के आधारभूत सिद्धान्तों का ही खण्डन करता है।

घाटे के अर्थ-प्रबन्धन का स्वरूप—घाटे की अर्थ-व्यवस्था मुद्रा प्रथवा साख की वृद्धि के रूप में हो सकती है। अर्ध-विकसित राष्ट्रों में प्रायः मुद्रा-प्रसार को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है क्योंकि इन राष्ट्रों में बैंक-पत्र का सामान्य प्रयोग नहीं होता और न ही अधिकोपण-व्यवस्था, द्रव्य-विपणित आदि सुसंगठित होते हैं। साथ ही केन्द्रीय बैंक का नियन्त्रण भी अति न्यून होता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा-प्रसार की आवश्यकता प्रारम्भिक अवस्थाओं में जन-समुदाय के पास ऋण-शक्ति की अपर्याप्तता के कारण भी तीव्रतर होती है। विकसित औद्योगिक राष्ट्रों में साख में वृद्धि द्वारा बजट के घाटे की पूर्ति की जाती है। राज्य ऐसी स्थिति में अधिकोपो से साख प्राप्त कर अपने कार्यक्रमों का अर्थ-प्रबन्धन करता है। अधिकोप से एक निश्चित समय के लिए साख प्राप्त की जाती है। उस निश्चित समयोपरान्त जब यह साख लौटायी जाती है, तब अर्थ-व्यवस्था से अतिरिक्त ऋण-शक्ति भी वापिस हो जाती है। इसके विपरीत अर्थ-व्यवस्था में बढ़ी हुई मुद्रा को वापिस लेना कठिन होता है। मुद्रा-प्रसार के साथ साख का प्रसार भी होता है और इस प्रकार मूल्यों में द्रुगुनी वृद्धि होती है। दूसरी ओर निरन्तर साख-प्रसार के लिए मुद्रा-प्रसार भी आवश्यक है क्योंकि अधिकोपो को अपने जमा (Deposits) के विरुद्ध निश्चित प्रतिशत से द्रव्य-सचय रखना आवश्यक होता है। अधिकोप ऋण अधिकोप-जमा में परिवर्तित होने हैं और इस प्रकार जमा के विरुद्ध निर्धारित सचय हेतु अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार मुद्रा तथा साख-प्रसार दोनों साथ-साथ उपयोग किये जाते हैं।

घाटे के अर्थ-प्रबन्धन की सीमाएँ—उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विकास से सम्बन्धित घाटे के अर्थ-प्रबन्धन द्वारा विवशतापूर्वक बचत होती है तथा प्रत्येक दशा में वर्तमान उपभोग-स्तर में कमी आ जाती है। उपभोग में कमी होने के परिणामस्वरूप जनता में विरोध-भावना जाग्रत होती है तथा निर्धन-वर्ग अपनी अनिवार्यताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ रहता है। अतः राज्य को घाटे के अर्थ-प्रबन्धन का उपयोग अत्यधिक सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा उस पर कतिपय अनिवार्य सीमाओं का भार डाल देना चाहिए। कथित सीमाओं के आरोपण के समय निम्नलिखित तथ्यों को दृष्टिगत करना आवश्यक है—

किस सीमा तक विरोध होगा, इस पर ध्यान देना भी आवश्यक है । यदि सरकार की नीतियाँ प्रभावशील नहीं हुई, तो विकास-सम्बन्धी मुद्रा-प्रसार द्वारा मुद्रा-स्फीति भयानक रूप धारण कर सकती है ।

(ड) राजकीय तथा निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों तथा श्रमिकों के पारिश्रमिक को मुद्रा पर निश्चित करने के ढंग तथा पारिश्रमिक को सीमित रखने की सम्भावना का भी अनुमान लगाना आवश्यक होता है । यदि पारिश्रमिक दर उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर आधारित होती है, तब यह नियन्त्रण रखना कठिन होगा । दूसरी ओर यदि पारिश्रमिक को मूल्यों के अनुसार नहीं बढ़ाया जायगा, तो श्रमिक की कार्यक्षमता तथा उत्पादन-क्षमता को क्षति पहुँचेगी । इन दोनों सीमाओं के मध्य में पारिश्रमिक निर्धारित किया जाना चाहिए । पारिश्रमिक-दर राष्ट्र की श्रमिक-संस्थाओं के संगठन तथा उनकी प्रवृत्तियों और सरकार द्वारा उनकी कार्यवाहियों पर नियन्त्रण रखने की क्षमता से भी प्रभावित होगी ।

(च) वर्तमान मूल्य-स्तर तथा प्रचलित मुद्रा की मात्रा के आधार पर भी यह निश्चय किया जा सकता है कि घाटे के अर्थ-प्रबन्धन का किस सीमा तक उपयोग सम्भाव्य है । यदि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर की तुलना में राष्ट्रीय मूल्य-स्तर कम हो, तब मूल्य में सामान्य वृद्धि से मुद्रा-स्फीति का कोई भय नहीं होगा और मुद्रा का अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार प्रसार किया जा सकता है । विकास-व्यय द्वारा अर्थ-व्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन तथा पूर्ति में वृद्धि के साथ-साथ मुद्रा का प्रसार होना भी आवश्यक होगा ।

उपर्युक्त घटकों की आधार-दिला पर ही विकास-सम्बन्धी मुद्रा-प्रसार की सीमाओं का निर्माण होना चाहिए । उपर्युक्त घटकों के प्रतिक्ल होने की दशा में मुद्रा प्रसार मुद्रा स्फीति का रूप धारण कर सकता है । इसलिए मुद्रा का प्रसार केवल उसी सीमा तक करना चाहिए, जहाँ मुद्रा-स्फीति का भय उपस्थित न हो । वस्तुओं के मूल्यों में कुछ सीमा तक वृद्धि कोई भयसूचक नहीं बल्कि मुद्रा स्फीति की अवस्था उसी समय कही जानी चाहिए जबकि मूल्यों में वृद्धि और अधिक मूल्य वृद्धिकारक हो । ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर पूँजी-निर्माण के स्थान पर पूँजी का उपभोग होना प्रारम्भ हो जाता है तथा किसी भी प्रकार से आर्थिक विकास सम्भव नहीं होता । "जब घाटे का अर्थ-प्रबन्धन मुद्रा-स्फीति की अवस्था का रूप ग्रहण करले, उस समय इसके द्वारा न पूँजी का निर्माण होता है और न आर्थिक विकास ही होता है । घाटे की अर्थ-व्यवस्था

अपने आप में न अच्छी है और न बुरी और न ही घाटे के अर्थ-प्रबन्धन में मुदा-स्फीति स्वभावतः निहित है।¹

साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विकास-व्यय, जो घाटे के अर्थ-प्रबन्धन द्वारा विन्या जाता है एवं अस्थायी रूप से उस अवधि में जो कि अतिरिक्त आय की पुष्टि करने के लिए उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने में उपयोग किया जाता है, मूल्यों में वृद्धि का कारण होता है। यदि विकास-व्यय के अधिकतर भाग के लिए सरकार उत्तरदायी हो तथा वह विकास-कार्यक्रमों को, वज्रट के साधनों को दृष्टिगत न करते हुए, प्रभावों एवं कार्यशील युक्तियों एवं विधियों से संचालित करती है, यदि वह निजी विनियोजन को नियन्त्रित करके निजी पूंजी को अविवेकपूर्ण उत्पादन से रोककर राष्ट्रीय विकास-कार्यों में विनियोग करती है, यदि वह मूल्यों की उच्चतम सीमा निश्चित करती है, यदि वह आवश्यक वस्तुओं आदि के वितरण का प्रबन्ध करके मूल्य-वृद्धि को रोकती है, यदि वह आयात की मात्रा तथा प्रकार पर नियन्त्रण कर सकती है, यदि उसके द्वारा विकास-कार्य युद्ध की आवश्यक परिस्थितियों के समान संचालित किया जाता है, तभी घाटे के अर्थ-प्रबन्धन का उपभोग आर्थिक विकास में सहायक, वाञ्छनीय एवं सहायक सिद्ध होगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि घाटे का अर्थ-प्रबन्धन अनुभवों एवं निपुण तथा कार्यकुशल हाथों में विकास पथ पर अग्रसर-राष्ट्र हेतु बरदान सिद्ध होगा, अन्यथा विकास की चरम सीमा पर पहुँचे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर सकने की क्षमता वाला अभिशाप भी हो सकता है।

(द) विदेशी मुद्रा की बचत—अर्ध विकसित राष्ट्रों के विकास के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पूंजीगत तथा उत्पादक वस्तुओं के अभाव में, जिन्हें अर्ध विकसित राष्ट्रों में निर्मित नहीं किया जाता, आर्थिक-विकास के किसी भी कार्यक्रम का सफल संचालन सम्भव नहीं। जब तक कि लोहा एवं इस्पात, इंजीनियरिंग, यन्त्र एवं कल, भारी रसायन आदि उद्योगों की प्रगति नहीं की जाती, औद्योगीकरण किया जाना असम्भव है। इन

1. "When deficit financing degenerates inflationary finance, it ceases to promote either capital formation or economic development... By itself, deficit financing is neither good nor bad nor is inflation inherent in deficit finance." (Dr V K. R. V. Rao, "Eastern Economist Pamphlet," *Deficit Financing, Capital Formation and Price Behaviour in an Under developed Economy*, p. 16.)

सभी प्रमुख आवाहक उद्योगों के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात का प्रबन्ध विदेशों से किया जाना अनिवार्य है। अर्थ विकसित राष्ट्रों में प्रायः इन्चेमन्ट तथा कृषि-उत्पादन का निर्यात तथा निर्मित उपभोक्ता तथा अन्य वस्तुओं का आयात किया जाता है। यही अर्थ-विकसित राष्ट्रों की सबसे बड़ी आर्थिक दुर्बलता होती है जिसका साम्राज्यवादी राष्ट्र निरन्तर लाभ उठाने हैं तथा अर्थ-विकसित राष्ट्रों के विकास-कार्यों को विफल करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहते हैं। यदि विदेशी व्यापार में अनुकूल परिस्थितियाँ हो तो प्राथमिक वस्तुओं (Primary Goods) के निर्यात आधिक्य द्वारा पूंजी-निर्माण सम्भव है क्योंकि इससे विदेशी पूंजी की प्राप्ति होती है। यदि सरकार अपनी सख्त नीति (Fiscal Policy) द्वारा आवश्यक नियन्त्रण रखे तो यह आधिक्य उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर व्यय नहीं किया जायगा। परन्तु इस प्रकार के आधिक्य से पूंजी निर्माण अल्पान्तर अनिश्चित रहता है। क्योंकि यदि प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात लाभप्रद होता है तो लोग अपने साधनों को माध्यमिक व्यवसायों (Secondary Industries) अर्थात् उद्योगों में विनियोजित नहीं करते और अनुकूल विदेशी व्यापार की दशा में भी देश का औद्योगीकरण सम्भव नहीं होता।

राज्य-नीति एवं विदेशी बचन—प्रत्येक परिस्थिति में यह आवश्यक होता है कि अर्थ विकसित राष्ट्र की सरकार या सख्त नीति द्वारा विदेशी व्यापार से अर्जित विदेशी मुद्रा का नियोजित अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकतानुसार उपयोग प्रतिबन्धित करना चाहिए। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण करना सरकार के लिए आवश्यक है। आयात के नियन्त्रणार्थ प्रशुल्क (Tariffs), बौद्धिक निश्चित करना, अनुमति-पत्र (Licence) निर्गमित (Issue) करना, विदेशी मुद्रा पर नियन्त्रण रखना, मुद्रा-प्रवन्धन करना, राज्य द्वारा आयात पर एकाधिकार (Monopoly) प्राप्त करना आदि शस्त्र उपयोगी सिद्ध हो सके हैं। प्रशुल्क अथवा राजकीय आयात में वृद्धि हेतु तथा अथवा किन्हीं विशेष वस्तुओं के आयात-अवरोध हेतु लगाये जाते हैं। प्रशुल्क दर प्रायः उन वस्तुओं पर ऊँची होती है जिनका उत्पादन राष्ट्र में ही संभव है तथा प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी स्पर्धा हानिकारक होता हो। परन्तु प्रशुल्क का प्रभाव बड़ी सीमा तक नष्ट हो जाता है यदि राष्ट्रीय उत्पादक अधिक मूल्य पर स्वदेशी वस्तुओं का विपणन करते हैं अथवा निर्माण पर उत्पादक कर (Excise Duty) आरोपित किया जाता है। बौद्धिक निश्चित करने के दो उद्देश्य होते हैं—प्रथम किसी विशेष वस्तु की समस्त आयात की मात्रा को सीमित करना तथा द्वितीय इस आयात की मात्रा को विभिन्न निर्यातक राष्ट्रों में वितरित

करना। अनुमति पत्र निर्गमन में शासन अपने किसी अधिकारी को आयात करने की आवश्यकताओं की छानबीन करने तथा निश्चित सीमाओं के अंदर अनुमति पत्र निर्गमित करने के हेतु निपुण कर देता है। इस विधि द्वारा विदेशी मुद्रा की राशिनग योजना भी कार्यान्वित की जाती है। विदेशी मुद्रा के उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए प्रायः केन्द्रीय बैंक को अधिकार दिया जाता है कि समस्त विदेशी व्यवहारों का शोधन (Payment) इसके द्वारा होना चाहिए। यदावदा और प्रायः साम्यवादी राष्ट्रों जैसे रूस में एक शासकीय अधिकारी अथवा संस्था की निपुणता का जाता है जो समस्त विदेशी व्यापार स्वयं देश की आवश्यकतानुसार करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह अधिकारी एक पूर्ण विभाग अथवा सहकार संस्था भी हो सकती है। इस अधिकारी के अधिकार विदेशी व्यापार के साथ-साथ स्वदेशी उत्पादन क्रय विक्रय के नियंत्रण तक विस्तृत होने चाहिए ताकि वह राष्ट्रीय उत्पादन तथा माँग को माशा के आधार पर आयात की मात्रा का निर्धारण कर सके

राजकीय आयात नीतियाँ एवं पूँजी निर्माण—उपरोक्त आयात नियंत्रण की विधियाँ पूँजी निर्माण में निम्नलिखित रूपों में सहायक होती हैं —

(अ) प्रशुल्क तथा अनुज्ञापत्र निर्गमन द्वारा सरकार को अधिक आय प्राप्त होता है जिसका पूँजीगत वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(आ) आयात नियंत्रण द्वारा दो प्रकार के उद्योगों का विकास सम्भव किया जाता है—नवान उद्योग और रक्षा सम्बन्धी तथा आधारभूत उद्योग। इन उद्योगों को संरक्षण प्राप्त होने पर इनमें विनियोजित पूँजी कम जोखिमपूर्ण होती है। सुरक्षा के कारण विनियोजन को प्रोत्साहन मिलता है तथा उद्योगों की ओर आकर्षित होता है। इसके साथ ही संरक्षित उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य प्रशुल्क लगाये जाने के कारण अथवा पूँजी पूर्ति के कारण अधिक होता है तथा प्रारम्भिक अवस्था में स्वदेशी उत्पादन भी समुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा के अभाव में अपनी वस्तुओं का विक्रय अधिक मूल्य पर करते हैं। इस प्रकार इन वस्तुओं का अधिक मूल्य होने के कारण इनका उपभोग कम होता है और लागू अपने साधनों को अर्थ काम में लाता है अथवा बचत के रूप में रखते हैं। दूसरा ओर संरक्षित उद्योगों के विकास में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है एवं श्रमिकों तथा साहसी की आय में वृद्धि होती है। यह आय वृद्धि अधिन उपभाग अथवा अधिक बचत का रूप ग्रहण करती है। अधिक उपभोग भी दीर्घकाल में अधिक विनियोजन का कारण बन जाता है।

(इ) जब संरक्षण पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों को प्रदान किया जाता है तो

थोड़े ही समय में पूँजीगत वस्तुएँ अधिक मात्रा में कम मूल्य पर उपलब्ध होती हैं। परिणामस्वरूप औद्योगिक इकाइयों में वृद्धि तथा नवीन उद्योगों की स्थापना होती है। इस प्रकार जिस सचिव पूँजी का विनियोजन पूँजीगत वस्तुओं की अनुपस्थिति में अभी तक सम्भव नहीं होता था, वह भी क्रियाशील होकर पूँजी-निर्माण का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग बन जाता है।

(ई) आयात को मात्रा सीमित करने से विदेशी व्यापार का अनुकूल शेष (Favourable Balance of Trade) हो जाता है। इस प्रकार अर्जित विदेशी मुद्रा का उपयोग पूँजीगत वस्तुओं के आयात हेतु किया जा सकता है।

(उ) आयात नियन्त्रण द्वारा अनावश्यक विलासिता तथा उपभोग की वस्तुओं के आयात को सीमित किया जाता है। इनके स्थान पर पूँजीगत वस्तुओं तथा ऐसे कच्चे माल के आयात में वृद्धि की जाती है जिनका उत्पादन देश में नहीं होता। इस प्रकार आयात के प्रकार में परिवर्तन से पूँजी निर्माण में सहायता प्राप्त होती है।

(ऊ) विलासिता की वस्तुओं के आयात को सीमित अथवा संवधा प्रकट कर दिया जाता है और इस प्रकार घनिक वर्ग के हाथों की उस क्रय शक्ति का जो कि विलासिता की वस्तुओं पर निरर्थक अपव्यय होती पूँजी निर्माण की ओर आकर्षित किया जा सकता है।

राजकीय निर्यात नीतियाँ एव पूँजी-निर्माण—अब हम तटकर नीति में निर्यात की ओर विचार कर सकते हैं। आधुनिक युग में प्रत्येक देश आयात को कम करने तथा निर्यात की वृद्धि करने को प्रयत्नशील रहता है। निर्यात-नियन्त्रणार्थ निर्यात कर, निर्यात अनुज्ञा पत्र, कोटा निश्चयीकरण आदि विधियाँ का उपयोग किया जाता है। ऐसे उद्योगों का आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो निर्यात योग्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। निर्यात-कर राजकीय आय बढ़ाने तथा विभिन्न प्रकार की निर्यात वस्तुओं के निर्यात में भेदभाव करने के लिए लगाया जाता है। औद्योगिक कच्चे माल जिनका उपयोग राष्ट्रीय उद्योगों में होता है तथा जिनका प्रदाय (Supply) अपर्याप्त हो, उनके निर्यात को प्रतिबन्धित करने के हेतु भी निर्यात-कर लगाये जाते हैं तथा कोटा निश्चित कर दिया जाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्यात पूर्ण निषिद्ध घोषित किया जा सकता है, जो कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आवश्यकता की हो। वस्तुओं के निर्यात के साथ-साथ पूँजी-निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है, अन्यथा पूँजीपति आर्थिक समानता के प्रयत्नों से बचने के लिए पूँजी का विनियोग विदेशों में कर देते हैं, जब कि देश में ही पूँजी की अत्यधिक आवश्यकता

कता होनी है। अधिख निर्यात द्वारा उद्योगों का विनाश सम्भव होता है तथा पूंजीगत वस्तुओं को भी विदेशों से प्राप्त किया जा सकता है। उद्योगों के विकास से जनसमुदाय की आय में वृद्धि होनी है जो अतः उच्च तथा उच्च भाग वृद्धि का कारण बन जाती है। इस प्रकार अधिख निर्यात पूंजी-निर्माण का मूल अंग है।

इस प्रकार उचित तटकर-नीति द्वारा विदेशी व्यापार विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख माध्यम होना है और तटकर-नीति पूंजी निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरी ओर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति विदेशी सहायता द्वारा भी हो सकती है। विदेशी सहायता तीन प्रकार से प्राप्त होती है—निजी ऋण, सरकार द्वारा प्राप्त ऋण तथा समता अंश-पूंजी (Equity Share Capital) में विनियोजन के रूप में।

आधुनिक युग में निजी रूप से विदेशों से ऋण प्राप्त करने की विधि अत्यन्त कम उपयोग की जाती है। विदेशों की पूंजी विपणियाँ (Capital Markets) में पूंजी प्राप्त करने वाले देशों द्वारा बॉन्ड निगमित करके पूंजी प्राप्ति विधि भी अत्यन्त प्राचीन समझी जाती है एवं कम प्रयोग होती है। पूंजीदाता देश की सरकारों को वित्तीय संस्थाओं का उचित चयन करती हैं जो अर्ध-विकसित राष्ट्रों की सरकारों को पूंजी उपलब्ध कराती हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका का आयात निर्यात अधिगण (Import Export Bank of U S A) है। यह संस्था मर्चandise अथवा वस्तुओं की दृष्टिगत कर पूंजी प्रदान करती है और एसी योजनाओं को पूंजी देना हितकर समझती है जिनमें आयोजनाओं की शीघ्र सम्पन्न होना है तथा विनियोजित पूंजी का धावन उन योजनाओं से सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। परन्तु अर्ध-विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता आधारभूत प्रारम्भिक सवाओं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह व्यवस्था आदि को प्रदान की जाती है। इन आधारभूत सवाओं के विनाश से प्रत्यक्ष रूप से धनमान में आय अर्जित नहीं होती है। अतः यही स्थिति ऋण प्रदाय के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण अधिगण (International Bank for Reconstruction and Development) को है। इसका भी पूंजी सहायता का अधिगण महत्त्व देना स्वाभाविक है फिर भी इन दोनों संस्थाओं ने अर्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में बड़ी मात्रा में सहयोग प्रदान किया है।

आधुनिक युग में एक देश की सरकार से दूसरे देश की सरकार के लिए ऋण तथा अनुदान देने की प्रथा अधिख महत्त्वपूर्ण है। अमेरिका अनुसुची

कार्यक्रम (American Point Four Programme) के अन्तर्गत अर्ध-विकसित राष्ट्रों को अमेरिका द्वारा सराहनीय आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। इसी प्रकार साम्राज्यवादी राष्ट्रों—विशेषकर ब्रिटेन द्वारा भी पिछड़े हुए राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि ने भी दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी राष्ट्रों के आर्थिक विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की है।

कुछ समय से अर्ध-विकसित राष्ट्रों की योजनाओं के साधारण अंशों में भी विदेशी पूँजी-विनियोजन करने को अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की विदेशी पूँजी के अनेक लाभ हैं। विदेशी पूँजी-विनियोजन द्वारा अर्ध-विकसित राष्ट्रों में विदेशी व्यावसायिक तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होती है जिससे तांत्रिक ज्ञान का भी हस्तांतरण पिछड़े देशों को हो जाता है। साधारण अंशों पर लाभ वास्तव में उपार्जित हो जाने के उपरान्त ही दिया जाता है। इस प्रकार पूँजी पर दिये जाने वाले लाभ का भार अर्ध-व्यवस्था पर नहीं पड़ता। साथ ही इस प्रकार के विनियोजन के परिणाम-स्वरूप मुद्रा तथा वस्तुओं का आयात होने के कारण मुद्रा-स्फीति के दबाव में भी कमी हो जाती है।

परन्तु इसके विपरीत समता अर्ध-विनियोग प्राप्त करने से देश का अनवरत उत्तरदायित्व (Recurring Liability) बढ़ जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष लाभान्वित के शोधनार्थ विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है जो कि नियमित आधिक्य द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार नियमित-आधिक्य का अधिज्ञान लाभान्वित शोधन में प्रयोग कर लिया जाता है और देश की अपनी पूँजी संवय करने की शक्ति को क्षति पहुँचती है। फिर भी आधुनिक युग में लगभग सभी अर्ध-विकसित राष्ट्र विदेशी पूँजी-विनियोग को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करते हैं क्योंकि राजनीतिक भय कुछ सीमा तक कम हो गया है। अब यह निश्चित रूपेण सर्वमान्य तथ्य है कि अर्ध-विकसित राष्ट्रों के सतुलित बहुमुखी आर्थिक-विकास में विदेशी पूँजी का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

द्वितीय अवस्था—वित्तीय क्रियाशीलता (Financial Activity—The Second Stage of Capital Formation)

अर्ध-विकसित राष्ट्रों में व्यापारी वर्ग ही प्रायः विनियोग-सुविधाओं का उपयोग कर पाते हैं क्योंकि इन्हे वित्तीय विषयों का प्राविधिक ज्ञान होना है तथा दिपरिण की सूचना भी यथासमय प्राप्त होनी रहती है। परन्तु बचत की

क्रिया जनसमुदाय के विभिन्न वर्गों द्वारा की जाती है अन्तर केवल मात्रा का होता है। धनी वर्ग की बचत की राशि व्यक्तिगत एवं सम्पूर्ण दोनों ही रूपों से निधन वर्ग की अपेक्षा अधिक होती है। निधन वर्ग की व्यक्तिगत बचत यद्यपि अत्यन्त 'यून' होती है परन्तु इस वर्ग की जनसंख्या आधिक्य के कारण सम्पूर्ण रूप से बचत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार उन लोगों द्वारा भी बड़ी मात्रा में बचत की जाती है जिनका वित्तीय विषय का ज्ञान नहीं व समान होता है किन्तु यह बचत प्रभावशाली वित्तीय विधान सस्थाओं की साधना तथा सुविधाओं के अभाव में विनियोजन के द्वार तक पहुँचने में अशक्य रहती है और इस प्रकार बचत करने वाला और विनियोजन में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित नहीं होने के कारण बचत राशि का उपयोग पूँजी निर्माण के हेतु नहीं हो पाता। विकसित राष्ट्रों में वित्तीय क्रियाओं की क्रियाशीलता अधिक होती है तथा विभिन्न वित्तीय साधना जैसे अधिकोप व्यवस्था जीवन-बीमा विनियोजन ट्रस्ट आदि द्वारा बचत करने वाला तथा व्यवसाय और उद्योगों के मध्य सम्पर्क स्थापित कर दिया जाता है। ये वित्तीय संस्थाएँ विनियोजन सम्बन्धी सूचनाओं का प्रसार एवं विज्ञापन करती हैं तथा मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का वाह्य करती हैं विनियोजन की सरलता में वृद्धि करती हैं जो कि पूर्ण विनियोजन का जो कि उद्योगपतियों द्वारा बचत करने वाला के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं बचत करने वालों की सुविधा एवं सुरक्षानुसार सुरक्षित सम्पत्ति का रूप प्रदान करती हैं। वायणीय तथा विस्तृत वित्तीय व्यवस्था से व्यापार तथा उद्योगों के अर्थ प्रवर्धन की लागत भी कम पड़ती है साथ ही राष्ट्रीय बचत को औद्योगिक तथा भौगोलिक दृष्टि से अधिकतम गतिशीलता प्राप्त होती है। बचत की गतिशीलता से तात्पर्य है 'यूनानि-यून' जालिम तथा व्यय पर विनियोजन का एक उद्योग अथवा व्यवसाय से अर्थ उद्योग अथवा व्यवसाय में अथवा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हस्तांतरण सम्भव होना। नियोजित अर्थ व्यवस्था में राज्य भी एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था का कार्य सम्पादित करता है। उदाहरणार्थ भारत में डाक विभाग, सामक्रीय कोषालय जीवन बीमा निगम अधिकोप आदि विनियोजन सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

तृतीय अवस्था—विनियोजन (Investment—The Third Stage of Capital Formation)

जिसी व्यक्ति को किसी निश्चित अवधि में बचत दो चरणों पर निर्भर होती है। प्रथम उस निश्चित अवधि में प्राप्त आय तथा द्वितीय उस निश्चित अवधि में सेवान्तर और वस्तुओं पर किया गया व्यय। जब यह अपने व्यय से

अधिक आयोपार्जन करता है, तभी उसकी पूँजी में वृद्धि सम्भव है। आधुनिक काल में लगभग सभी व्यक्तियों को पूँजी के सचयार्थ कतिपय सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। ऐसे भाग्यशाली विरले ही हैं जिनकी आय से पर्याप्त जीवन-स्तर बनाये रखने के पश्चात् भी कुछ बचत हो जाती है। यही सिद्धान्त एक राष्ट्र पर भी सम्यक् रूपेण कार्यान्वित होता है। यदि हम किसी राष्ट्र की एक निश्चित काल की व्यवस्था का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि पूँजोगत वस्तुओं का श्रेय उपभोग अथवा सम्भावी उपभोग को दबा कर ही किया जाता है।

राष्ट्रीय आय में से उपभोग तथा विनियोजन का भाग विनियोजन की लागत (Cost) तथा लाभ (Benefits) का तुलनात्मक अध्ययन निश्चित करता है। विनियोजन की लागत में उन वस्तुओं के त्याग को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो कि विनियोजित आय की राशि से तत्कालीन इच्छाओं की सम्पूर्ति हेतु त्रय की जा सकती थीं। दूसरी ओर विनियोजन के लाभ में उन अतिरिक्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो विनियोग के परिणाम-स्वरूप भविष्य में प्राप्त हो सकें। एक चतुर व्यक्ति आय के विनियोजन-अंश को निश्चित करने के पूर्व विनियोजनार्थ किये गये त्याग तथा उसके परिणामस्वरूप प्राप्य भविष्यत् सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। एक राष्ट्र के लिए भी यही विचारधारा लागू होती है। राष्ट्र के लिए विनियोग की लागत का तात्पर्य उन उपभोग की वस्तुओं से है जो अतिरिक्त विनियोजन न करने की दशा में उत्पादित की जा सकती हो तथा विनियोजन-लाभ का अर्थ उन उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन की सम्भावना से है जिनका उत्पादन अतिरिक्त विनियोजन द्वारा ही भविष्य में किया जा सकता है। आधुनिक जटिल अर्थ-व्यवस्था के युग में बचत करने का निश्चय कुछ विशेष विचारधाराओं, विशेषकर भविष्य की सुरक्षा के लिए किया जाता है तथा विनियोजन का निश्चय कुछ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति मोटरगाड़ी अध्याय बचत करता है जिसे वह बैंक में जमा कर देता है; बैंक उस बचत को ऐसे उद्योगपति को उधार दे देता है जो मोटरगाड़ी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसाय में उस पूँजी को विनियोजित करता है। इस प्रकार बचत तथा विनियोजन करने के उद्देश्यों में गहन अन्तर होता है तथा इस अन्तर के निवारणार्थ वित्तीय सस्थाएँ जैसे अधिकोप, विनियोजन सस्थाएँ, बीमा प्रमण्डल आदि मध्यस्थ का कार्य करती हैं।

आय तथा विनियोजन का सम्बन्ध (Relation Between
Income and Investment)

कीन्स के सिद्धान्त (Keynesian Theory) के अनुसार विनियोजन में

पुनर्स्थापन होना प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार किसी देश में अधिक गति-वृद्धि-सूचक (accelerator) होने पर उसकी पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों तथा सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में उच्चावचन होना अनिवार्य है, जिससे आय और रोजगार की स्थिति में परिवर्तन होने हैं।

किसी भी राष्ट्र के तान्त्रिक ज्ञान के विकासानुकूल ही गति-वृद्धि-सूचक की सीमाएं निश्चित होती हैं। सामान्यतः उन्नतिशील देशों में गति-वृद्धि-सूचक अधिक होती है और अर्ध-विकसित राष्ट्रों में कम। इस प्रकार उन्नत राष्ट्रों में आय में वृद्धि करने तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए अधिक विनियोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि इनमें गति-वृद्धि सूचक अधिक होती है। अर्ध-विकसित राष्ट्रों में, जहाँ उपभोग करने की सीमान्त क्षमता अधिक होती है, समस्त उत्पादन अथवा आय का अत्यल्प भाग विनियोजित होना है और इस प्रकार शुद्ध विनियोजन (Net Investment) में परिवर्तन होने पर रोजगार की स्थिति पर कम प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत सम्पन्न राष्ट्रों में उपभोगेच्छा कम होती है और आय का अधिकांश विनियोजित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में विनियोजन की स्थिति में परिवर्तन होने पर रोजगार पर अल्प प्रभाव पड़ता है।

कोन्स के उपर्युक्त सिद्धान्त उन्नत राष्ट्रों में लागू हो सकते हैं परन्तु अर्ध-विकसित राष्ट्रों की परिस्थितियाँ सर्वथा भिन्न होने के कारण उपर्युक्त सिद्धान्तों को आधार नहीं बनाया जा सकता। कोन्स के सिद्धान्तानुसार अर्ध-विकसित राष्ट्रों में विनियोजन में तुलनात्मक उच्चावचन द्वारा ही पूर्ण रोजगार की स्थिति सम्भव है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही अधिकतम उत्पादन होता है। अर्ध-विकसित राष्ट्रों पर, जहाँ को अर्थ-व्यवस्था कृषि प्रधान होती है, पूंजीगत सामग्री की न्यूनता होती है, तांत्रिक ज्ञान का अद्योत्तर होता है, पारिथमिक पर कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या कम तथा स्वयं एवं परिवार के लिए व्यय करने वाला भी संख्या अधिक होती है, कोन्स के सिद्धान्त पूर्णतः लागू नहीं होते। विनियोजन में वृद्धि होने पर आय तथा रोजगार में वृद्धि होती है परन्तु इस वृद्धि का अधिकांश उपभोग पर व्यय होता है। उपभोग-वृद्धि में भी कृषि-उत्पत्ति का स्थान प्रमुख होता है। कृषि उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार कृषक को अपने उत्पादन का अधिक मूल्य प्राप्त होना है। कृषक इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए अधिक अच्छे अन्नो का उपयोग करने लगता है और इस प्रकार अन्न क्षेत्रों की आवश्यकता-सम्पूर्ति

हेतु कृषि-उत्पादन बाजार में कम उपलब्ध होता है। कृषक के लाभ में वृद्धि होने पर कृषक अपने उत्पादन को एक निश्चित सीमा के पश्चात् माँग के समतुल्य बढ़ा नहीं सकता क्योंकि क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) लागू होता है। साथ ही कृषि-उद्यम अधिकतर प्रकृति की कृपा का याचक है और अनुकूल जलवायु होने पर ही उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि सम्भव है, जब कि प्रतिभूल प्रकृति-दृष्टि समस्त आशाओं पर तुपारापात करने में भी नहीं हिचकती। इसके अतिरिक्त इन देशों के कृषक को आवश्यक तांत्रिक एवं अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होतीं ताकि वह कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकें। इस प्रकार कृषक की आय में वृद्धि होने पर भी तथा कृषि-उत्पादन से अधिक लाभान्वर्जन होने हुए भी कृषि उत्पादन में माँगानुसार वृद्धि नहीं हो पाती है। परिणामस्वरूप न तो रोजगार में वृद्धि होनी है और न वास्तविक विनियोजन में ही कोई सुधार होता है। इस प्रकार विनियोजन की वृद्धि होने पर आय में मौद्रिक दृष्टिकोण (Monetary View-point) से पर्याप्त वृद्धि हो जाती है किन्तु वास्तविक आय ज्या की त्यो रहती है। इसका साथ ही कृषक अपनी अतिरिक्त आय का कुछ भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के उत्पादन पर भी व्यय करते हैं, परन्तु उन क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि कठिन होती है, क्योंकि उपभोग वस्तुओं के उद्योगों की उत्पादन-क्षमता अधिक नहीं होती, कच्चे माल की पूर्ण में अधिक लोच नहीं होती तथा प्रसिद्धि अधिको की कमी होती है। इस प्रकार उपभोग वस्तुओं के उद्योगों की मौद्रिक आय माँग में वृद्धि के कारण बढ़ जाती है किन्तु उसके उत्पादन तथा रोजगार की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार विनियोजन की प्रारम्भिक वृद्धि द्वारा कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के उत्पादन तथा रोजगार स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं होता है।

अदृश्य बेरोजगारी तथा विनियोजन—अर्थ विकसित राष्ट्रों में अन्य व्यवसायों की न्यूनता के कारण कृषि ही प्रमुख व्यवसाय होता है और बढ़ती हुई जनसंख्या कृषि उद्योग में लगती रहती है। इस प्रकार भूमि पर जनसंख्या का भार निरन्तर बढ़ता जाता है। अदृश्य बेरोजगारी में उस जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है जिसको उस व्यवसाय से पृथक् कर देन पर भी उस व्यवसाय के उत्पादन पर काट प्रभाव नहीं पड़ता। भारत जैसे कृषिप्रधान एक घनी जनसंख्या वाला अर्थ विकसित राष्ट्रों में कृषि उद्योग में बहुत बड़ी जनसंख्या केवल इसलिए लगी हुई है कि उसे अन्य व्यवसायों में लाभप्रद रोजगार प्राप्ति के अवसर उपलब्ध नहीं। कृषि उद्योग में लगी हुई जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग यदि उस व्यवसाय से हटा लिया जाय तो भी उस व्यवसाय के उत्पादन

पर कोई प्रभाव नहीं पड़गा। 'अदृश्य बेरोजगार वे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं की जोखिम पर कार्य करते हैं तथा जिन साधनों से वे उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में इनकी संख्या इतनी अधिक है कि यदि उनमें से कुछ अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए हटा लिये जायें तो उस क्षेत्र के, जिसमें से उनको हटाया गया है, उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी, यद्यपि उस क्षेत्र का पुनर्संगठन भी न किया जाय और न ही उनका प्रतिस्थापन पूंजी द्वारा किया गया हो।'¹

यदि कृषि-उद्योग का विकास किया जाय तथा संगठन सम्बन्धी सुधार किये जायें तो अदृश्य बेरोजगार वारोजगार हो जायेंगे। इन बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जानी अनिवार्य होगी। इनको उपभोग अथवा विनियोजन के क्षेत्र में रोजगार दिया जा सकता है। यदि इन्हें विनियोजन के क्षेत्र में लगाया जाय तो इनकी आवश्यकतानुसार उपभोग की वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करना भी आवश्यक होगा, क्योंकि ये अदृश्य बेरोजगार अपने पुराने रोजगार तभी छोड़ते हैं जब कि उनको नये व्यवसायों में अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होता हो। उनके पारिश्रमिक में वृद्धि होने में उनके द्वारा उपभोग की वस्तुओं के हेतु की जान वाली माँग में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार उनकी माँग पूर्ति के लिए उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। यदि उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है तो उनके मूल्यों में वृद्धि हो जायगी और अदृश्य बेरोजगारों को अन्य व्यवसायों में कार्य करने का कोई आकर्षण नहीं होगा और इस प्रकार न तो अदृश्य बेरोजगारों का निवारण ही सम्भव होगा और न कृषि उद्योग में सुधार ही। दूसरी ओर विनियोजन के क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करने पर पूंजीगत सामग्रियों का उपभोग होने के लिए भी उपभोग की वस्तुओं के उद्योग का विकास होना चाहिए अन्यथा विनियोजन का क्षेत्र दीर्घकाल में स्थिर हो जायगा और इसकी लाभोपार्जन शक्ति क्षीण हो जायगी। अर्ध विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास

1 The disguised unemployed are those persons who work on their own account and who are so numerous relatively to the resources with which they work, that if a number of them were withdrawn for work in other sector of the economy the total output of the sector from which they were withdrawn would not be diminished even though no significant reorganisation occurred in this sector and no significant substitution of capital" (U N Committee, *Report on Measures of Economic Development of Under-developed Countries*, p. 7.

का मुख्य उद्देश्य पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होती है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक विनियोजन वा कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए उपभोग तथा विनियोजन दोनों ही क्षेत्रों का विकास होना आवश्यक है। परन्तु शीघ्र आर्थिक विकास हेतु विनियोजन के क्षेत्र का शीघ्र विकास भी अनिवार्य है। साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या की तथा अदृश्य बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होने के उपरान्त उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की सम्पूर्ति करने के लिए उपभोग-क्षेत्र का विकास भी आवश्यक है। साथियों की न्यूनता के कारण दोनों क्षेत्रों का समानान्तर विकास होना सम्भव नहीं होता है और इसलिए उपभोग के क्षेत्र का विकास कुछ समय तक सीमित रूप से किया जाता है और उपभोग की वस्तुओं की माँग पर राज्य द्वारा नियन्त्रण किया जा सकता है। इस प्रकार बाध्य बचत होती है और विनियोजन के साधनों में वृद्धि होती है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि रोजगार तथा विनियोजन में घनिष्ठ सम्बन्ध है और दोनों को एक दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। विनियोजन का विकास निश्चित करने के लिए केवल अतिरिक्त उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन ही पर्याप्त नहीं प्रत्युत बाध्य बचत भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

प्रो० नवर्स (Prof Nurkse) ने अदृश्य बेरोजगारों पर अपने सिद्धान्त स्पष्ट करते हुए बताया है कि कृषक के परिवार में जो अनुत्पादक अदृश्य बेरोजगार सदस्य होते हैं, उनको आधारभूत उपभोग की वस्तुएँ परिवार के समस्त कृषि उत्पादन में से ही दी जाती हैं। इस प्रकार उत्पादक सदस्यों को अपनी उपभोग की आवश्यकताओं का त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार उत्पादक सदस्यों द्वारा अनुत्पादक सदस्यों के भरण पोषणार्थ जो बचत की जाती है, इसे प्रो० नवर्स ने सम्भाव्य बचत (Saving Potential) का नाम दिया है। सम्भाव्य बचत के होते हुए भी इस प्रकार आधारभूत कृषि-क्षेत्र में जन समुदाय की आय अत्यन्त न्यून होती है और सगठित औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माँग कम होती है। ऐसी परिस्थिति में आर्थिक विकास तभी सम्भव हो सकता है जबकि इस सम्भाव्य बचत का उपयोग सगठित औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु किया जाय तथा अदृश्य बेरोजगारों को कृषि के क्षेत्र से हटा कर अन्य क्षेत्र में रोजगार दिया जाय। परन्तु इन अदृश्य बेरोजगारों को ग्रामीण जीवन के प्रति विशेषाकर्षण होता है तथा वे अपने परम्परागत निवास-स्थानों को छोड़ना नहीं चाहते। प्रो० नवर्स ने इसलिए यह सुझाव दिया है कि इन अदृश्य बेरोजगारों की प्रारम्भिक अवस्था में साधारण योजनाओं, जैसे सड़क-निर्माण, बाँध-निर्माण, नहर निर्माण आदि में रोजगार देना चाहिए और

नियोजन-तरह का सफलतापूर्वक सहसहाना निहित है। जड़ का कोई भी अग्र कीट प्रभावित होना अर्थात् लेसमात्र अविद्वेक भी भयकर परिणामों का कारण हो सकता है और नियोजन-वृद्ध के सशक्त तने की कल्पना करना भी निरर्थक हो जायगा, उसका निर्माण तो दूर रहा। सीमित आय वाले एवं अग्रणीत आवश्यकताओं वाले एक व्यक्ति के सम्मुख जो समस्याएँ उपस्थित होती हैं, वे यदि कण बण मिलकर सामूहिक रूप धारण करें तो वही रूप राष्ट्र के समक्ष एक समस्या के समतुल्य होगा क्योंकि राष्ट्र के सम्मुख अधिकतम सामाजिक हित प्रश्नवाचक होता है न कि व्यक्तिगत स्वायत्त सत्वर बहुमुखी आर्थिक विकास उद्देश्य होता है न कि एकांगी उपभोग मात्र भविष्यत् स्वप्न भी साकार करने होते हैं—एकमात्र वर्तमान सन्तुष्टि ही नहीं। एतदर्थं प्रत्येक समस्या का आमूल गहन अध्ययन परिणामों की जानकारी, तीव्रता का अनुमोदन एवं विद्वलेपणात्मक व्याख्या नियोजन एक आवश्यक अंग है।

समस्या के दो पहलू—प्राथमिकता की समस्या का अध्ययन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है प्रथम अथ साधनों की उपलब्धि तथा द्वितीय उपलब्ध अथ साधनों का वितरण।

अर्थ की उपलब्धि पर ही विकास योजनाओं का कार्यान्वित किया जाना निर्भर रहता है, अतः अथ को सधप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। अथ सम्बन्धी प्राथमिकताएँ अथ कृषि उद्योग आदि सम्बन्धी प्राथमिकताओं से भिन्न होती हैं क्योंकि आर्थिक प्राथमिकताओं में राष्ट्र के अथ साधनों को एकत्रित करन की ओर ध्यान दिया जाता है। आर्थिक प्राथमिकताओं के दो पहलू हैं—राजकीय तथा निजी। राजकीय क्षेत्र में केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा अधिकतम अथ साधन प्राप्त करन का प्रयत्न किया जाता है। कर व्यवस्था को पुनर्संगठित किया जाता है जिससे कर को कम से कम छिपाया जा सके तथा उससे क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या को लाया जा सके। अतिरिक्त करारोपण भी सम्भव है ताकि साधनों की कमी को पूरा किया जा सके। कर-वृद्धि तथा नवीन करारोपण के समय कतिपय अपार-भूत तथ्यों को दृष्टिगत करना आवश्यक है। प्रथम कर द्वारा केवल समर्थ एवं उपयुक्त व्यक्तियों पर कर भार पड़ना चाहिए ताकि वे अपना जीवन स्तर बनाये रख सकें। द्वितीय, कर द्वारा जनता में नये व्यवसायों की स्थापना करन तथा अधिक उत्पादन एवं लाभोपाजन के प्रति रुचि में कमी न आये। तृतीय, कर-प्राप्ति के लिए दुराचारी कार्यों को वैधानिक सुरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिए। अन्ततः कर द्वारा धन के समान वितरण की सहायता प्राप्त होनी चाहिए। कर के प्रतिरिक्त राज्य के अन्य आर्थिक साधनों, जैसे जनता से ऋण, मुद्रा-

प्रसार आदि के हेतु भी निश्चय करना आवश्यक होता है। विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न किया जाना आवश्यक होता है। योजना के कार्यक्रमों के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि कितनी विदेशी पूंजी की आवश्यकता होगी और इसको किन किन देशों से उचित शर्तों पर प्राप्त किया जा सकता है।

आधुनिक युग में निजी क्षेत्र को भी नियोजित अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। राजकीय साधन भी निजी क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। जब तक निजी क्षेत्र द्वारा उपभोग को सीमित कर बचत की मात्रा में वृद्धि नहीं की जायगी, तब तक विनियोजन के कार्यक्रमों को मूर्तरूप प्रदान करना असम्भव-सा प्रतीत होता है। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में जनता को विवशतापूर्ण बचत हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।

अर्थ-साधनों का आवंटन—प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक समस्याएँ यद्यपि कुछ सीमा तक समान होती हैं तथापि उनकी तीव्रता प्रत्येक राष्ट्र में भिन्न होती है। समस्या की तीव्रतानुसार ही साधनों का आवंटन किया जाता है। अतएव एक राष्ट्र की निश्चित प्राथमिकताएँ दूसरे राष्ट्र के लिए आवश्यक रूपसे लाभकारी नहीं हो सकती हैं। प्राथमिकता का अर्थ यह कभी भी नहीं समझना चाहिए कि इसमें केवल एक क्षेत्र के विकास को ही महत्त्व दिया जाता है। आर्थिक नियोजन में राष्ट्र के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयत्न किया जाता है परन्तु उन क्षेत्रों को, जिनका विकास होना अत्यावश्यक हो, साधनों का अपेक्षाकृत अधिक भाग मिलना चाहिए और अन्य क्षेत्रों को उनकी तीव्रतानुसार साधनों का वितरण दिया जाना है। साधनों के वितरण के सम्बन्ध में प्राथमिकताओं का अध्ययन निम्नलिखित समूहों में किया जा सकता है—

- (क) क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ (Regional Priorities)
- (ख) उत्पादन अथवा वितरण की प्राथमिकता (Priority either to production or to Distribution)
- (ग) विनियोजन अथवा उपभोग की प्राथमिकता (Priority either to Investment or Consumption)
- (घ) उद्योग अथवा कृषि की प्राथमिकता (Priority either to Agriculture or to Industry)
- (ङ) सामाजिक प्राथमिकताएँ (Social Priorities)

उपरोक्त विभागों का अध्ययन पृथक्-पृथक् किया जाना विषय को सरल बनाने में अति सहायक होगा। हम इन समूहों का विस्तृत किन्तु पृथक्-पृथक् अध्ययन करेंगे।

(ग) विनियोजन अथवा उपभोग को प्राथमिकता—प्रजातान्त्रिक समाज में विनियोजन तथा उपभोग में प्राथमिकता निश्चित करना सबसे कठिन है। जनसमुदाय सर्वत्र वर्तमान सुविधाओं को महत्त्व देता है जबकि नियोजन अधिकारी भविष्यगत हित को अधिक महत्त्व देता है और इसीलिए अधिकतम साधनों को भविष्यगत उपभोग के लिए विनियोजन करना चाहता है। जनसमुदाय को उपभोग कम करके अधिक बचत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही जनसमुदाय का जीवन स्तर न्यूनतम होता है तथा जीवन-निर्वाह मात्र किसी भाँति सम्भव हो पाता है। अतः उपभोग को और कम करना साधारण जनता की बड़ी कठिनाइयों का कारण बन जाता है और प्रारम्भिक काल में इनका जीवन-स्तर और भी दयनीय हो जाता है जिससे राष्ट्रीय सरकार के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है। नियोजन की सफलता हेतु विनियोजन आवश्यक है और विनियोजन के लिए जनता द्वारा उपभोग में कमी करना आवश्यक होता है। नियोजन अधिकारी को इसलिए प्रारम्भिक काल में आन्तरिक बचत तथा विनियोजन के अवसर को विदेशी सहायता द्वारा पूरा करने की आवश्यकता हो जाती है। विनियोजन के कार्य-क्रम के साथ उपभोक्ता-वस्तुओं की पूर्ति में भी वृद्धि करना आवश्यक होता है।

(घ) कृषि अथवा उद्योग को प्राथमिकता—प्रायः सभी अर्थ विकसित राष्ट्रों में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है और इनकी अधिकांश जनसंख्या भूमि से ही अपना जीविकोपार्जन करती है। इसका मुख्य कारण यह है कि अर्थ-विकसित राष्ट्रों में कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों का पर्याप्त विकास नहीं होता। जनसमुदाय को अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में अधिक विकास का समारम्भ करने के लिए नवीन तथा अनिश्चित औद्योगिक तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना आवश्यक होता है, जिससे श्रम को अन्यत्र रोजगार दिया जा सके। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हो। इस हेतु कृषि में लगे हुए श्रमिकों की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि करना और कृषि-विधियों में आवश्यक सुधार एवं कृषि-व्यवसाय का पुनर्संगठन बाह्यनीय होता है। कृषि उत्पादन में इतनी वृद्धि करना आवश्यक होगा कि जिससे कृषकों के जीवन-स्तर में उन्नति के साथ-साथ अन्य व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को पर्याप्त खाद्य एवं अन्य कृषि-उत्पाद प्राप्त होते रहे तथा निर्यात-योग्य कृषि-उत्पादन का निर्यात करके पूँजीगत वस्तुओं के आयात हेतु आवश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। अदृश्य बेरोजगारी का पता तभी चलता है जबकि उसके उत्पादक उपयोग

यदि प्रारम्भिक काल से ही बृहद् उद्योगों की स्थापना की प्राथमिकता दी जानी है परन्तु कृषि के क्षेत्र से हटाये गये अतिरिक्त श्रम को निपुण (Skilled) तथा अर्ध-निपुण (Semi Skilled) श्रम में इतने शीघ्र परिवर्तित किया जाना सम्भव नहीं। साथ ही दृढ औद्योगिक आधार की स्थापना के लिए पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता होती है और इन पूँजीगत वस्तुओं के निर्माण के लिये भी पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। किसी भी अर्ध-विकसित राष्ट्र में पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग इतने विकसित नहीं होते और न अल्पकाल में उनका इतना विकास ही किया जा सकता है कि वे राष्ट्र का औद्योगीकरण करने के लिए आवश्यक पूँजीगत सामग्री प्रदान कर सकें। ऐसी परिस्थिति में पूँजीगत सामग्री का आयात करके ही औद्योगिक उत्थान सम्भव हो सकता है। पूँजीगत सामग्री के आयात का शोधन करने के लिए कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए जिसके निर्यात द्वारा आवश्यकतापुत्रक वैदेशिक मुद्रा अर्जित की जा सके। इसके साथ ही निपुण तथा अर्ध-निपुण श्रमिकों को अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है अतः उनकी उपभोग आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए कृषि का इतना विकास होना आवश्यक होगा कि उसके द्वारा विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में अर्जित की जा सके तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में लगे अन्य श्रमिकों को आवश्यक उपभोग-सामग्री उपलब्ध हो सके। विलासिता की वस्तुओं के आयात को प्रतिबन्धित करके तथा कलात्मक वस्तुओं के निर्यात से पूँजीगत सामग्री का आयात कुछ सीमा तक सम्भव हो सकता है।

दूसरी ओर ऐसे राष्ट्र में जहाँ अतिरिक्त श्रम वर्ष में केवल कुछ ही समय के लिए बेकार रहता हो, उसको लाभप्रद रोजगार का आयोजन करने के लिए स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना आवश्यक होगा। उनको भूमि से स्थायी रूपेण पृथक् नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके कृषि से हटाये जाने पर कृषि-उत्पादन में कमी होने की सम्भावना रहती है। ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास की योजनाओं में इस अतिरिक्त श्रम को कार्य देना उचित होगा। छोटी-छोटी सिंचाई-योजनाओं, दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाने, सहायक भागों का निर्माण करने, अच्छे कृषि औजारों का निर्माण करने, पेय जल का प्रवन्ध करने आदि वम पूँजी की आवश्यकता वाली योजनाओं में अतिरिक्त श्रम को सुविधापूर्वक रोजगार दिया जा सकता है। इस प्रकार इन कार्यक्रमों को अधिक प्राथमिकता देना आवश्यक है। ग्रामीण तथा शूह-उद्योगों का विकास भी मौसमी तथा अदृश्य बेरोजगारों को लाभप्रद कार्य दिलाने में सहायक होता है। इन उद्योगों के विकास हेतु तान्त्रिक प्रशिक्षण, इनके उत्पादन का प्रमाणी-

प्राचीन ग्रन्थशास्त्रियों (Classical Economists) ने औद्योगिक विकास के तीन क्रम निश्चित किये हैं— (१) प्राथमिक कच्चे माल का उत्पादन (२) उनका उपभोग की वस्तुओं में परिवर्तन (३) पूँजीगत सामग्रियों का उत्पादन । अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक (I. B. R. D.) तथा अमेरिकी सरकार ने भी श्रीलंका, मिस्र, कोलम्बिया तथा अन्य ग्रन्थ विकसित राष्ट्रों को छोटे उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करने का सुझाव दिया है । परन्तु आधुनिक युग में केवल प्राथमिक विचारधाराओं के आधार पर ही आर्थिक योजनाओं का निर्माण नहीं होता । योजनाओं में प्राथमिकता निश्चित काले समय राजनीतिक तथा सामाजिक विचारधाराओं को भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है । लघु उद्योगों के विकास को प्राथमिकता मिलना तब अधिक महत्त्वपूर्ण है जबकि राष्ट्र की ग्रन्थ-व्यवस्था में निजी साहस का विशेष स्थान प्राप्त होना है और राज्य केवल इनकी सहायता करने, प्रशिक्षण, संगठन, संरक्षण तथा आधारभूत सेवाओं के आयोजन करने तक ही अपना कार्यक्षेत्र सीमित रखता है । परन्तु निजी क्षेत्र (Private Sector) को विशेष स्थान देने से नियोजन की सफलता सन्देहजनक हो जाती है क्योंकि निजी क्षेत्र सदैव अपने व्यक्तिगत लाभ को अधिक महत्त्व देता है । जब राज्य औद्योगिक क्षेत्र में सन्तुलन भाग लेता है और राजकीय क्षेत्र के विकास तथा वृद्धि को विशेष महत्त्व दिया जाता है, तब वृहद् उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है । वृहद् उद्योगों का प्राथमिकता देने के पूर्व यह भी दख लेना चाहिए कि राज्य की स्वयं की नियोजन सम्बन्धी शक्तियाँ तथा ग्रन्थ-व्यवस्था से निजी क्षेत्र का काम किये जाने पर उद्भूत विरोध को दहन करने की शक्तियाँ कितनी हैं ।

वृहद् उद्योगों में कृषि क्षेत्र के अधिक धन को कार्य देना हेतु कृषि का अधिकतम विकास करना आवश्यक होगा क्योंकि कृषि-उत्पादन से बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है अन्यथा खाद्यान्न विदेशों से आयात करने की आवश्यकता होगी और विदेशों से पूँजीगत सामग्रियों के आयात में बाधा पड़ जायगी । इसके साथ कृषि द्वारा वृहद् उद्योगों के कच्चे माल की पूर्ति भी होनी चाहिए । जब राष्ट्र में खाद्यान्न की न्यूनता हो तो वृहद् उद्योगों की स्थापनायें पूँजीगत सामग्रियों विदेशों द्वारा ही आयात की जा सकती हैं, जिसको खोजने का भार भी अल्प काल में कृषि पर ही पड़ना सम्भव है । भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र में कृषि-उत्पादन में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरक, वैज्ञानिक नवीन कृषि विधियाँ तथा अन्य अन्धे औजारों की आवश्यकता होती है । इन सभी की पूर्ति के लिए उद्योगों की स्थापना आवश्यक है । इस प्रकार कृषि तथा उद्योगों के विकास में

इतना पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है कि किसी भी एक का अन्य की सहायता की अनुपस्थिति में विकास असम्भव है। पूर्णतः आर्थिक विचारधाराओं के आधार पर भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र में कृषि विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

(ड) सामाजिक प्राथमिकताएँ—नियोजन अधिकारियों को योजना के कार्य-क्रम निश्चित करते समय यह निर्धारित करना भी आवश्यक होगा कि साधनों का कितना भाग उत्पादक सामग्री में तथा कितना भाग जनसमुदाय पर विनियोजित किया जाना चाहिए। उत्पादक सामग्री उसी समय हितकर हो सकती है, जब जनसमुदाय को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं गृह सम्बन्धी सुविधाएँ भी आयोजन द्वारा प्रदान की जायँ। अधिकतर यह विचार किया जाता है कि जनसमुदाय के लिए आधारभूत सुविधाओं का आयोजन करने के लिए जो विनियोजन किया जाता है, वह अनुत्पादक होता है। परन्तु प्रोफेसर गुल्ज (Prof. Schultz) जो कि लेटिन अमेरिकी राष्ट्रों के विशेषज्ञ समझे जाते हैं, उनके विचार में जनसमुदाय को उत्पादन का एक घटक समझ कर उनको आधारभूत सुविधाओं का आयोजन करना चाहिए। जनसमुदाय का जीवन-स्तर सुधारने से जनसमुदाय की कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है तथा इन सुविधाओं में विनियोजित राशि से अधिक लाभ प्राप्त होता है जितना कि पूँजोगत सामग्री में विनियोजन द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक जनसमुदाय की उत्पादन शक्ति में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है, कोई भी आर्थिक विकास पूर्ण तथा सफल नहीं कहा जा सकता। भारत जैसे राष्ट्रों में पिछड़ी जातियों के लोगों का सामाजिक सुधार करना आवश्यक होता है। इस प्रकार सामाजिक कार्य-क्रमों को उचित स्थान मिलना आवश्यक होता है।

(४) सामाजिक बाधाएँ एवं सामाजिक पूँजी की समस्या—अर्थ-विकसित राष्ट्रों में सामाजिक संगठन इस प्रकार का होता है कि लोग अपने परम्परागत व्यवसायों में ही कार्य करना अधिक उचित समझते हैं। कुछ व्यवसायों और विशेषकर व्यापार सम्बन्धी व्यवसायों को अच्छा नहीं समझा जाता। जाति-भेद अत्यधिक होता है और प्रत्येक जाति एक विशेष व्यवसाय से ही सम्बन्धित होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति द्वारा अपनाये गये व्यवसाय से अन्य व्यवसाय करना चाहता है तो समाज इसकी आज्ञा नहीं देता और उसकी जाति वाले उसे बुरी दृष्टि से देखते हैं। क्षेत्रीय तथा धार्मिक भेद-भाव भी इतना अधिक होता है कि इसके द्वारा आर्थिक विकास में गम्भीर बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार श्रमिकों में

क्षेत्रीय तथा व्यवसाय सम्बन्धी गतिशीलता का अत्यन्त अभाव होता है। धर्म को अपने परम्परागत निवासस्थान तथा अपनी जाति एव समूह से इतना आकर्षण होता है कि वह समय-समय पर अपने व्यवसाय से अवकाश लेना चाहता है, जिससे वह अपने सम्बन्धियों के साथ रह सके। इससे उद्योगों में अनुपस्थिति की समस्या अत्यधिक गम्भीर होती है। भावी साहसी जो नवीन औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना चाहते हैं तान्त्रिक तथा प्रबन्ध सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करते हैं परन्तु उनके जाति भाई उसे अनादर की दृष्टि से देखते हैं। शारीरिक धर्म तथा हस्तकला का कार्य करना समाज में हेय समझा जाता है। पुस्तकीय ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। जनसमुदाय में बाबूगरी के कामों (White collar Jobs) को अधिक आदर प्राप्त होता है। लोग किसी कार्यालय में लिपिक बनना पसन्द करते हैं किन्तु अधिक पारिवारिक वाले शारीरिक धर्म उनको रूचिकर नहीं होते। राष्ट्रीयता की भावना में इस प्रकार की प्रवृत्ति से कुछ कमी हो जाती है। शिक्षा का प्रसार होने से शिक्षित बेरोजगारों की समस्या इसी प्रवृत्ति के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता जाती है। जनसमुदाय में कोई भी विवेकपूर्ण नवीन परिवर्तन स्वीकार करने की चाह नहीं होती। नियोजन अधिकारियों के अनुमानानुसार कोई भी योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं हो पाती और विकास की प्रगति मद हो जाती है।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों में उपयोग की जाने वाली आर्थिक विकास की विभिन्न विधियों ने कुछ विशेष एव महत्वपूर्ण सामाजिक बाधाओं की जानकारी प्रदान की है। लगभग सभी अर्ध-विकसित राष्ट्रों में समाजवाद के अन्तिम लक्ष्य 'आर्थिक एवं सामाजिक समानता' की प्राप्ति हेतु प्रयास किये जाने लगे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इन देशों में विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग परिस्थित्यानुसार होने लगा है। सामान्यतः यह विश्वास अब दृढ़ हो गया है कि देश को सामाजिक एवं आर्थिक सम्पन्नता के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाना अनिवार्य है। अर्ध-विकसित राष्ट्रों की योजनाओं में आर्थिक एवं सामाजिक दोनों ही प्रकार की उन्नति के लिए आयोजन किये जाते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश आर्थिक कार्यक्रमों को इस योजनाओं में अधिक महत्व दिया जाता है और सामाजिक उन्नति के कार्यक्रमों को आर्थिक कार्यक्रमों का सह-उत्पादक समझा जाता है। इन योजनाओं के सामाजिक कार्यक्रमों में भी समाज की भौतिक सम्पत्तियों जैसे स्कूल, चिकित्सालय, मनोरंजन गृह आदि के बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाता है। नागरिकों की व्यक्तिगत एव सामुदायिक बुराईयों को दूर करके सामाजिक क्रान्ति लाने के प्रति विशेष प्रयास नहीं किये जाते हैं। वास्तव में अर्ध-विकसित राष्ट्रों की सर्वतोमुखी उन्नति के लिये ऐसी सामाजिक

संस्थाओं की अत्यधिक आवश्यकता होती है जो जन साधारण में कर्तव्य-परायणता एवं कर्तव्य के प्रति तत्परता उत्पन्न कर सकें तथा उनमें अपने सामाजिक कर्तव्यों के पूर्ति के लिए जागरूकता उत्पन्न करें। आर्थिक विकास के साथ-साथ इन सामाजिक दोषों में और भी वृद्धि होती जाती है। योजना अधिकारी को इन सामाजिक दोषों को दूर करने के लिये भौतिक सम्पन्नता के समान ही आयोजन करने चाहिए। योजनाओं के सामाजिक उद्देश्यों को आर्थिक उद्देश्यों के समान ही महत्त्व दिया जाना चाहिए। आर्थिक सम्पन्नता सामाजिक सम्पन्नता का केवल एक साधन अथवा अंग है। केवल इस एक अंग को पुष्ट करने से सामाजिक सम्पन्नता सम्भव नहीं हो सकती है। योजनाओं में केवल भौतिक विनियोजन एवं उससे प्राप्त भौतिक उत्पादन को ही दृष्टिगत नहीं करना चाहिए अपितु मानव में किए जाने वाले विनियोजन को भी विशेष महत्त्व दिया जाना चाहिये। भौतिक विनियोजन को अर्थशास्त्री उत्पादक मानते हैं क्योंकि इसके फल शीघ्र ही उपलब्ध हो जाते हैं। परन्तु मानव में होने वाले विनियोजन का फल दीर्घकाल में प्राप्त होता है और इसीलिए इसे कुछ अर्थशास्त्री अनुत्पादक मानते हैं।

प्रत्येक योजना की सफलतायुक्त पूर्ण-निर्माण अत्यन्त आवश्यक होता है। योजना के कार्यक्रम निर्धारित करते समय वित्तीय एवं आर्थिक साधनों को दृष्टिगत करके योजना के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। परन्तु प्रायः राष्ट्र की सामाजिक पूर्णता को दृष्टिगत नहीं किया जाता है। वास्तव में आर्थिक पूर्णता-निर्माण के समान ही सामाजिक पूर्णता-निर्माण की भी आवश्यकता योजना की सफलता के लिए होती है। जनसमुदाय के सामाजिक सचयों को दृष्टिगत किये बिना जिन योजनाओं का निर्माण एवं संचालन किया जाता है, वे कभी पूर्णतः सफल नहीं हो सकती हैं। इनमें राष्ट्र की भौतिक सम्पत्तियों में वृद्धि हो सकती है परन्तु इस वृद्धि के लिए भी अधिक अपव्यय एवं त्याग करना होता है। इनके द्वारा जन साधारण के चरित्र सम्बन्धी गुणों में कोई सुधार सम्भव नहीं हो सकता है।

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता के लिए, उसके विकास की आर्थिक विधियों के अनुसार जन साधारण में नैतिक, शील एवं आध्यात्मिक गुणों की आवश्यकता होती है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्तमान प्रगति पूर्णता-वादी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत हुई है। पूर्णता-वाद की आधार शिला व्यक्तियों एवं वर्गों के अपन हित के लिए कार्य करने की आर्थिक स्वतन्त्रता है। इसके अन्तर्गत प्रारम्भिकता का प्रादुर्भाव उपक्रमियों के समाज

द्वारा हुआ। यह उपनमी नवीनता एवं परिवर्तन की भावना से भरपूर थी। धर्म को अपना कार्य चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इसके लिये उसे जाति तथा भाषा मन्त्रव्यो एवं वैधानिक कोई बाधाएं नहीं थी। जब सपुत्र पूँजी वाली कम्पनियों का जन्म हुआ तो ऐसे विनियोगों के वर्ग की आवश्यकता हुई जो व्यवसायियों को अपनी पूँजी देने और जो व्यवसायियों का विश्वास करते कि व्यवसायी उनके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। यद्यपि इन देशों में भी बहुत सी कुरीतियों, कपट तथा अपूर्णताओं का प्रादुर्भाव औद्योगिक विकास-काल में हुआ परन्तु कुछ ही पीढ़ियों के पश्चात् यह नैतिक बुराइयाँ कम हो गईं और विकास की गति तीव्र हो गई। वास्तव में इन देशों की आर्थिक प्रगति का मुख्य कारण वहाँ का सामान्य नैतिक स्तर है।

अर्थ विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में निम्नलिखित सामान्य लक्षण उपस्थित रहते हैं—

(१) नकल की अर्थ व्यवस्था (Imitation Economy)—अर्थ-विकसित राष्ट्रों का आर्थिक विकास पूर्णतः नकल पर आधारित है। इन देशों में किन्हीं विशेष विधियों का बहुत कम आविष्कार हुआ है और प्रायः मान्य तकनीक, जो कि विकसित राष्ट्रों द्वारा विकास के प्रारम्भिक काल में उपयोग की गयी है और जिनमें बाद में अनुभव के आधार पर परिवर्तन किये गये हैं, का उपयोग किया जाता है। विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विवाद की विधियों को अपनाएँ के साथ वहाँ के सामाजिक सच्यों के स्तर को अपनाएँ सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

(२) अर्थ विकसित राष्ट्रों में निजी व्यवसायियों द्वारा आर्थिक प्रगति के बहुत बड़े कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है और अधिकतर कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित करने होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य-कुशलता सरकारी अधिकारियों की सचाई, ईमानदारी एवं कार्यक्षमता, राजनीतिक नेताओं की सूझ-बूझ तथा जनसमुदाय की सामाजिक जागरूकता एवं सहयोग की भावना पर निर्भर होती है। सामाजिक जागरूकता का अर्थ जिम्मेदारी की भावना तथा सामाजिक जीवन के प्रति रुचि में है। दूसरी ओर निजी साहसियों को भी राजकीय प्रतिबन्धों एवं नियमों के अधीन ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। सरकारी नियमों एवं प्रतिबन्धों की प्रभावशीलता सरकारी अधिकारियों एवं निजी साहसियों के नैतिक स्तर पर निर्भर रहती है।

(३) अर्थ विकसित राष्ट्रों में जन-साधारण अपनी अनिवार्यताओं को पूर्णतः भी नहीं कर पाते हैं। इन राष्ट्रों में विभिन्न वर्गों एवं व्यवसायों के लोगों की

आय में अत्याधिक विषमता होती है। आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में विकास का अधिकतर लाभ समाज के उच्च वर्गों को प्राप्त होता है जो प्रायः सामाजिक दोषों से भरपूर रहते हैं और निम्न वर्गों को आर्थिक सम्पन्नता में बाधाएँ खड़ी करते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक सम्पन्नता के फलस्वरूप जन-साधारण का दृष्टिकोण भौतिक सम्पन्नता की ओर अधिक आकर्षित होने लगता है। जन-साधारण उच्च वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर की नकल करना चाहता है और वह घनोपार्जन को जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मानने लगता है। जन-साधारण घनोपार्जन के लिये निरन्तर प्रयास करता रहता है और इस बात पर कभी ध्यान नहीं देता कि इनके प्रयासों द्वारा क्या सामाजिक परिणाम होते हैं और उनके प्रयासों में कौन-कौन से सामाजिक दोष निहित हैं। ऐसी परिस्थिति में नियोजित अर्थ-व्यवस्था के सफलतार्थ जन साधारण के सामाजिक सचय बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक होता है।

(४) अर्ध-विकसित राष्ट्रों में आर्थिक गतिविधि राजनीतिक गतिविधि पर आधारित होती है। अधिकतर राष्ट्रों में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों का संचालन विदेशी साम्राज्यवाद से मुक्त होने के पश्चात् ही संचालित किया गया है। राष्ट्रीय नेताओं को राजनीतिक सत्ता कठोर त्याग एवं कठिनाई के पश्चात् प्राप्त होती है जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत हित राजनीतिक ढाँचे में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक सचयों में गम्भीरता से कमी होती है जिससे समाज की सामाजिक सम्पन्नता में बाधाएँ खड़ी हो जाती हैं।

उपयुक्त लक्षणों से यह स्पष्ट है कि अर्ध-विकसित राष्ट्रों में सामाजिक पूँजी का निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना कि आर्थिक पूँजी का निर्माण। सामाजिक एवं आर्थिक पूँजी का पर्याप्त सचय होने पर नियोजित अर्थ-व्यवस्था को पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है।

सामाजिक पूँजी की परिभाषा देना अत्यन्त कठिन है। यह बताना कि इसके अन्तर्गत कौन से गुणों को सम्मिलित करना चाहिये, यह भी एक कठिन समस्या है। प्रत्येक देश की सामाजिक-व्यवस्था एवं वातावरण दूसरे राष्ट्रों की तुलना में भिन्न होता है और इसी प्रकार सामाजिक पूँजी की सीमाएँ प्रत्येक राष्ट्र में अलग ही होती हैं। फिर भी विषय का स्पष्ट परिचय देने हेतु निम्न-लिखित पदों को सामाजिक पूँजी में प्रायः सम्मिलित किया जाता है—

(१) आत्मविश्वास, आत्मसयम तथा अवसरों के अनुकूल उन्नति करने की तत्परता।

(२) उन सामाजिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में विश्वास जो कि देश प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

(३) शासन व्यवस्था, राजनीतिक नतृत्व, नियोजन अधिकारी, व्यापारी एवं वे सब जिनका नियोजन के सचानन से सम्बन्ध है उनमें जनता का विश्वास ।

(४) कार्य के प्रति जन साधारण में ईमानदारी, सघाई तथा राष्ट्रीयता की भावना ।

(५) हस्तकौशल एवं शारीरिक कार्य के प्रति जन-साधारण में उदासीनता न होना ।

(६) सद्गकारिता, एकता, सामाजिक समानता एवं सहयोग की भावना ।

(७) किसी व्यवसाय की प्रारम्भिकता का पतृक व्यवसाय पर आधारित न होना ।

(८) शिक्षा का उचित स्तर जिससे समाज एवं देश के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो तथा चरित्र का निर्माण हो, आदि ।

अध विकसित राष्ट्रों की नियोजित अर्थ-व्यवस्था की प्रारम्भिक अवस्था में उपरोक्त सामाजिक घटकों का खोप होता है और जब तक सक्रिय प्रयत्न नहीं किये जायें, सामाजिक कठिनाइयाँ हमारे आर्थिक कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव डालती रहती हैं । ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक है कि सामाजिक सचयों का बढाने के भरसक प्रयत्न किये जायें । यह वास्तव में अध विकसित राष्ट्रों की कठिन समस्या है, जिसका हल अभी तक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता नहीं निवाल पाये हैं । सामाजिक पूंजी के सचयार्थ दीघकालीन एवं अल्प-कालीन दोनों ही प्रकार के कार्यक्रमों को अपनाया जा सकता है । दीघकालीन कार्यक्रमों के अतयत शिक्षा में आवश्यक सुधार करना मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है । शैक्षणिक योग्यता एवं सद्दान्तिक ज्ञान पर अत्याधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिये । विद्यार्थियों में शारीरिक काय के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न हानी चाहिये । धन एवं दशन शास्त्र के प्रारम्भिक सिद्धान्तों को हर प्रकार के अध्ययन की विषय-सामग्री में स्थान देना चाहिये जिससे विद्यार्थियों के शील एवं आदर्श में वृद्धि हो । विद्यार्थियों का अध्ययन काल समाप्त होत ही राज्य को योग्यता-नुसार उनके रोजगार का आयोजन करना चाहिये । अध्ययन काल की गति-विधियों को रोजगार प्रदान करते समय दृष्टिगत रखना चाहिए । इन तरीकों से विद्यार्थी अपने अध्ययन काल में भी तत्परता से कार्य करेंगे । व्यवहारिक ज्ञान को विशेष महत्व दिया जाना चाहिये और उच्च सद्दान्तिक शिक्षा केवल विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के लिये ही दी जानी चाहिये । शिक्षा का प्रभाव निम्न स्तर से सुधारना आवश्यक होता है । शिक्षा के गुणों (Standard) पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये न कि स्कूलों की संख्या पर । शिक्षा क्षेत्र के

इन सब सुधारों का फल दीर्घकाल में प्राप्त हो सकता है। जब नयी विधियों के अन्तर्गत पढ़े हुए विद्यार्थी देश की बागडोर सभालेंगे तो इस शिक्षा का लाभ ज्ञात हो सकेगा। इस मध्यवर्ती काल में कुछ अल्पकालीन कार्यवाहियाँ सामाजिक सचयों की वृद्धि हेतु की जा सकती हैं। ऐसे प्रयास करने चाहिये कि समाजघाती लोग सामाजिक प्रतिष्ठा न बना सकें। यदि वे समाज पर कुप्रभाव डालते हों और अपने सामाजिक दोषों को अपनी आर्थिक सम्पन्नता से छिपाते हों तो ऐसे लोगों को सामाजिक दण्ड देने की पद्धतियों को जन्म देना चाहिये।

अर्ध-विकसित राष्ट्र एवं नियोजन [२]

भूमि-प्रबन्ध में सुधार की समस्या, राजकीय सत्ता की अस्थिरता, सरकारी प्रबन्ध के दोष, नियोजन के प्रति जागरूकता, बेरोजगार की समस्या, क्षेत्र के चयन की समस्या—निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र का संगठन एवं प्रबन्ध, विभागीय व्यवस्था, सीमित दायित्व वाली सरकारी कम्पनियाँ, लोक निगम, सहकारी समितियाँ, रूप परिवर्तित निजी व्यवसाय, अर्ध-विकसित राष्ट्रों में नियोजन की सफलता हेतु आवश्यक तत्व—विश्व शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, पर्याप्त वित्तीय साधन, सांख्यिकीय ज्ञान, प्राथमिकता एवं लक्ष्य निर्धारण, राष्ट्रीय चरित्र, जनता का सहयोग, शासन सम्बन्धी कार्यक्षमता ,

(५) भूमि प्रबन्ध में सुधार की समस्या—अर्ध विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास हेतु कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक होता है क्योंकि इसी के द्वारा पूँजी का आवश्यकतानुसार संचय हो सकता है। जब तक कृषि का उत्पादन इतना नहीं होता कि औद्योगिक ध्रम को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आदि प्राप्त हो सकें, औद्योगिक विकास में निरन्तर बाधाएँ आती रहती हैं। कृषि के विकास की अन्य सुविधाओं के लिए भूमि प्रबन्ध में आवश्यक परिवर्तन करना वाञ्छनीय होता है। रासायनिक खाद, अच्छे बीज, सिंचाई की सुविधाएँ, विपणन की सुविधाएँ आदि के लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि भूमि-प्रबन्ध में भी सुधार किये जायँ।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों में प्रायः अनुपस्थित जमींदार (Absentee Landlords), अधिक लगान (Rack Renting), कृषकों की असुरक्षा आदि की

समस्याएं अत्यन्त गम्भीर होती हैं। यह अत्यावश्यक होता है कि कृषि करने वाले कृषक को भूमि की उपयोग-सम्बन्धी सुरक्षा तथा लगान सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त हो ताकि उसे अधिक उत्पत्ति हेतु प्रोत्साहन मिले। जो वास्तव में कृषि करते हैं, उन्हें अपने उत्पादन का बहुत कम भाग मिलता है और शेष सभी भाग भूमि पर अधिकार रखने वाले जमींदार को चला जाता है। वह भी उस जमींदार को जो भूमि पर कुछ भी कार्य नहीं करता है। कृषि मजदूर भूमि-प्रबन्ध में सुधार करने की माँग करता है और चाहता है कि भूमि उसकी होनी चाहिए जो उस पर कृषि करता है। इस माँग की पूर्ति के बिना कृषि उत्पादन में वृद्धि होना अत्यन्त कठिन होता है। इसके अतिरिक्त जमींदारों के प्रति एक विरोध की भावना जनसमुदाय में जाग्रत रहती है क्योंकि यह अपने धन द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सत्ता बनाये रखने का सदैव प्रयत्न करते रहने हैं। समाजवादी दृष्टिकोण से भी जमींदारों का अस्तित्व अनुसूचित ही समझा जाना है। भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ बहुत-सी भूमि-प्रबन्ध की विधियाँ हैं, भूमि-प्रबन्ध में समानता लाकर सुधार करना अत्यन्त कठिन होता है। जमींदार वर्ग सदैव भूमि-प्रबन्ध के परिवर्तनों का विरोध करता है और ऐसी बाधाएं उत्पन्न करता है कि जिससे तत्कालीन स्थिति से न्यूनतम्यून परिवर्तन हो। राज्य और कृषक के बीच के मध्यस्थों को हटाने के लिए राष्ट्र को अपने अर्थ साधनों को भी देखना पड़ता है क्योंकि क्षतिपूर्ति करने में राज्य के अत्याधिक साधन उपयोग में आ जाते हैं।

(६) राजकीय सत्ता में अस्थिरता—आर्थिक-विकास एक निरन्तर गतिमान विधि है जिसके फल दीर्घकाल में ही प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए आर्थिक नियोजन की सफलताएँ एक स्थायी सरकार की आवश्यकता होती हैं, जिसकी नीतियाँ समान एवं अपरिवर्तित रहे। स्थायी सरकार का तात्पर्य यह है कि सरकार की सत्ता एक ही राजनीतिक दल अथवा उसी समान विचार वाले राजनीतिक दलों के हाथ में दीर्घकाल तक रहनी चाहिए। अर्थ-विकसित राष्ट्रों में योग्य तथा स्थायी सरकार का बना रहना अत्यन्त कठिन होता है। आर्थिक विकास गतिमान होने से तत्कालीन व्यवस्थाओं में भारी परिवर्तन होने हैं, जिसके कारण बहुत से वर्गों को हानि होती है। राष्ट्र के आर्थिक प्रतिफल का वितरण नयी विधियों से होता है और परम्परागत रीति-रिवाजों को शनं शनं समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इन सब कारणों से सरकार की विकास की योजनाएँ ही उसके विरोध का कारण बन जाती हैं और प्रायः विरोध इतना दृढ़ हो जाता है कि सरकार में परिवर्तन होना अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त अर्थ विकसित राष्ट्रों की राजनीति में विदेशी सत्ताएँ भी

सक्रिय भाग लेती हैं, विशेषतः उन देशों की जो विदेशी सत्ताओं के अखाड़े बन जाते हैं। उनकी पारस्परिक मुठभेड़ के कारण अर्ध-विकसित राष्ट्रों की सरकारें परिवर्तित होती रहती हैं। मध्यपूर्व तथा सुदूरपूर्व और लेटिन अमेरिकी राष्ट्रों में इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं।

(७) सरकारी प्रबन्ध के दोष—अर्ध-विकसित राष्ट्रों और विशेषकर उन राज्यों में जहाँ दीर्घकाल तक विदेशियों ने राज्य किया, जनसाधारण का चरित्र उच्चकोटि का नहीं होता है। समस्त सरकारी प्रबन्ध इस प्रकार का होता है जोकि कृषि-प्रधान समाज के लिए उपयुक्त होता है। इस व्यवस्था में प्रबन्धन तथा सत्ता के केन्द्रीयकरण को विशेष महत्व प्राप्त होता है। शासकीय कार्य की गति अत्यन्त धीमी होती है और यह व्यवस्था किसी भी प्रकार विकास-यय विशेषतः औद्योगिक पथ पर अग्रसर राष्ट्र के हित में उपयोगी नहीं होती। इन राष्ट्रों की सरकार को विकास-योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए तथा प्रारम्भिक प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्र की प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर नियन्त्रण रखना होता है तथा उद्योग, कृषि तथा वाणिज्य सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना होता है। साथ ही निजी तथा राजकीय साहस में उचित समन्वय भी स्थापित करना होता है। इन सब कार्यों के लिए अनेक ईमानदार शिक्षित तथा योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। उच्च अधिकारियों में योजना बनाने, उसको कार्यान्वित करने, सामंजस्य स्थापित करने तथा आवश्यक समायोजन करने में भी योग्यता होना आवश्यक होता है। आधुनिक सरकारी शासन में प्रबन्ध (Management) का विशेष स्थान है। शासन का उद्देश्य केवल जीवन को नियन्त्रित करना ही नहीं होता है प्रत्युत् जनसमुदाय के हित का आयोजन करना, शासन की कार्यप्रणाली का प्रमुख अंग होता है। इन परिस्थितियों में शासन का पुराना ढाँचा जो विदेशी सत्ता ने स्थापित किया है, परिवर्तित करना अनिवार्य होता है। इस परिस्थिति में परिवर्तन करना अत्यन्त कठिन होता है क्योंकि नयी व्यवस्था के लिए शासकीय कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। पुराने कर्मचारियों के मस्तिष्क तथा दृष्टिकोण इतने कठोर एवं सन्तुचित हो जाते हैं कि उनमें परिवर्तन लाना असम्भव होता है। वे अपनी रूढ़िवादी विचारधाराओं को सर्वोत्तम समझते हैं। पुराने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त नये कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति की विधियों में भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है जिससे भेद भाव तथा सिफारिश आदि त्रुटियों के प्रभाव को दूर किया जा सके।

यह कहना किसी प्रकार भी उचित न होगा कि अर्ध-विकसित राष्ट्रों में

जनसमुदाय का चरित्र उच्चकोटि का नहीं होता और इनमें ईमानदारी की कमी होती है अथवा उनमें बेईमानी बहन करने की तत्परता होती है। कृषि-प्रधान समाज तथा परम्परागत जीवन में जब आधुनिक विचारधाराओं का सम्मिश्रण होता है, तो इस मध्य काल में राष्ट्रीय चरित्र को क्षति पहुँचती है और नवीन व्यवस्था की स्थापना होने तक सरकारी अधिकारियों में अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति जाग्रत होती है। शासक तथा शासित में एक विशेष व्यक्तिगत भावना का प्रादुर्भाव होता है और यह दोनों ही पक्ष अपने व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हितों से भी अधिक महत्त्व देने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्य को सतर्कता से कार्य करने की आवश्यकता होती है जिससे इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ दीर्घकाल तक चलती रहने के कारण स्थायित्व ग्रहण न कर लें। मध्य काल में अथवा ही इन प्रवृत्तियों से राष्ट्र के अमूल्य साधनों का क्षय होता है जिसकी मात्रा में समुचित राजकीय नियन्त्रण द्वारा कमी की जा सकती है।

(८) नियोजन के प्रति जागरूकता—प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में जन-समुदाय को आर्थिक-विकास की योजनाओं को सफल बनाने के लिए त्याग करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रजातन्त्र में विकास योजनाओं की सफलता के लिए पर्याप्त अर्थ तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि जन-समुदाय अपने उपयोग की आवश्यकताओं को कम करने को तैयार हो। इसके साथ ही योजना के कार्यक्रमों के लिए जनसाधारण के क्रियाशील सहयोग की भी आवश्यकता होती है। अर्थ-विकसित राष्ट्रों में निरक्षरता तथा अज्ञान विस्तृत रूप में होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को राज्य की कार्यवाहियों का ज्ञान नहीं हो पाता, जिसमें देश की अधिकतम जनसंख्या रहती है। जब तक जन-साधारण विकास की आवश्यकताओं, योजना के उद्देश्यों तथा योजना के सफलतार्थ उनके त्याग तथा महत्त्व से अवगत नहीं होगा, तब तक उन्हीं के लाभार्थी निर्मित विकास योजनाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न नहीं हो सकती। अर्थ-विकसित राष्ट्रों के अधिवासियों में परम्परागत जीवन एवं आचार-विचार के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। उनके नवीन उन्नतिशील जीवन को अपनाएँ का महत्त्व समझना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। जनसमुदाय को निरक्षरता के कारण नियोजन सम्बन्धी सूचनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना कठिन होता है और उसमें अधिक व्यय भी होता है।

प्रत्येक नियोजन को विदेशी पूँजी की आवश्यकता होती है। विदेशी पूँजी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होता है कि देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाय जिससे विदेशी पूँजीपति तथा सरकारें अपनी पूँजी का विनियोजन

अत्यन्त सीमित होते हैं और बढ़ती हुई श्रम-शक्ति कृषि पर ही भार बनती जाती है। धीरे-धीरे भूमि पर श्रम का भार इतना अधिक हो जाता है कि यदि उस श्रम का कुछ भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य-व्यवसायो में लगा दिया जाय और श्रम के प्रतिस्थापन हेतु सगठन सम्बन्धी एव तान्त्रिक सुधार भी कृषि में न किये जायें तो भी उत्पादन का स्तर पहले के समान ही रहता है। इस प्रकार वह श्रम जिसको कृषि क्षेत्र से हटाने पर उत्पादन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अट्टस्य बेरोजगार कहलाता है। अट्टस्य बेरोजगार के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में आंशिक बेरोजगार एव कृषि वर्ग के बेरोजगार की समस्या भी होती है। कृषि उद्यम ऐसा उद्यम है जिसे वर्ष भर श्रम की आवश्यकता समान नहीं रहती है। फसल काटने एव बोने समय ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की कमी हो जाती है जबकि शेष समस्त वर्ष में श्रम की रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे लोगों को जो केवल थोड़े समय तक ही रोजगार पाते हैं, आंशिक बेरोजगार कहने हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भी लोग होने हैं जो लघु उद्योगों का संचालन करते हैं। परन्तु पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अपने व्यवसाय बन्द करके बेरोजगार रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अर्ध-विकसित राष्ट्रों में शिक्षित वर्गों में बेरोजगार की समस्या बड़ी गम्भीर होती है। शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी के मुख्य तीन कारण हैं—प्रथम जनसमुदाय में इस विचारधारा का प्रचलन कि किसी व्यक्ति द्वारा शिक्षा में किये गये विनियोजन का प्रतिफल पारिश्रमिक युक्त नौकरी के रूप में मिलना चाहिये। द्वितीय अत्येक शिक्षित व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त विदेशी शिक्षा के लिये उपयुक्त नौकरी चाहता है जिसके फल-स्वरूप कुछ व्यवसायो में सेवाओं का अत्यन्त न्यूनता हो जाती है तथा कुछ में योग्य कर्मचारी उपलब्ध भी नहीं होते। तृतीय शिक्षित बेरोजगारों में सामान्यतः कार्यालय में सेवा करने की प्रवृत्ति पायी जाती है जिससे कार्यालयों की नौकरियों की अत्यन्त कमी प्रतीत होती है।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों में श्रम-शक्ति में प्रतिवर्ष तीव्रता से वृद्धि होती है। इसलिये नियोजन द्वारा इस प्रकार का आयोजन करने की आवश्यकता होती है जिससे वर्तमान बेरोजगार श्रम एव योजना काल में होने वाली श्रम की वृद्धि दोनों को ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। इस प्रकार योजना बनाते समय केवल वर्तमान बेरोजगार का ही अनुभव लगाना पर्याप्त नहीं होता अपितु योजना काल में होने वाली श्रम की वृद्धि का अनुमान भी आवश्यक होना है। इन अनुमानों के लिये योजना अधिकारी को विस्तृत सूचनार्ये एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। इन अनुमानों के आधार पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का आयोजन किया जाना चाहिये। रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिये

अर्थ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के विकास एवं विस्तार की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने का विनियोजन करके ही रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। अधिक विनियोजन करने हेतु अधिक घरेलू बचत एवं विदेशी सहायता प्राप्त होनी चाहिये। आन्तरिक बचत की मात्रा बढ़ाने के लिये, सामान्य उपभोग को कम करना आवश्यक होता है जिससे जनसाधारण के वर्तमान न्यून स्तर पर घुरा प्रभाव पड़ने का भय होता है। दूसरी ओर विनियोजन का प्रकार भी निश्चय करना होता है। रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु औद्योगिक अथवा कृषि क्षेत्र के विकास में अधिक विनियोजन किया जाना चाहिये। देश में खाद्यान्नों की कमी के कारण कृषि विकास को अधिक महत्व देना आवश्यक होता है और इसके लिये कृषि क्षेत्र में अधिक विनियोजन आवश्यक होता है। परन्तु कृषि क्षेत्र में बेरोजगार एवं आंशिक बेरोजगारों की बहुतायत होती है जिन्हें वहाँ से हटाकर ही कृषि व्यवस्था में सुधार सम्भव होता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के बड़े पैमाने के विनियोजन द्वारा रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की जा सकती है। परिणामस्वरूप रोजगार में वृद्धि हेतु औद्योगिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तार आवश्यक होता है। यहाँ भी योजना अधिकारी को कुछ महत्वपूर्ण निश्चय करने होते हैं। औद्योगिक विनियोजन किस प्रकार के उद्योगों, वृहत् अथवा लघु, में किया जाय। बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह पूँजी-प्रधान होते हैं। इस प्रकार वृहत् उद्योगों के विकास में पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाये जा सकते हैं। लघु उद्योगों के विकास द्वारा कम पूँजी के विनियोजन से ही अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जा सकते हैं। परन्तु केवल लघु उद्योगों के विकास से देश को शक्तिशाली एवं अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता है।

आधुनिक युग में वही अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ है जिसमें लोहा, इस्पात, इन्जी-नियरिंग, रसायन, मशीन निर्माण आदि उद्योग उन्नतिशील हैं। लघु उद्योगों एवं कृषि-विकास के लिए बड़े उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार आवश्यक होता है। इस प्रकार योजना अधिकारी को औद्योगिक विनियोजन राशि के सम्बन्ध में बड़े जटिल एवं गम्भीर निश्चय करने होते हैं।

(१०) क्षेत्र के चयन की व्यवस्था—नियोजन के अन्तर्गत नियन्त्रण एवं संगठन की समस्या अधिकार की समस्या से अधिक महत्वपूर्ण होती है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन दोनों ही, निजी एवं सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत किया जा सकता है। पूँजीवादी नियोजन में निजी क्षेत्र को अर्थ-व्यवस्था के लगभग समस्त क्षेत्रों में कार्य करने दिया जाता है परन्तु इस

निजी क्षेत्र पर सरकार का नियन्त्रण होता है। दूसरी ओर साम्यवादी नियोजन के अन्तर्गत नियोजन का संचालन सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र एवं नियन्त्रित निजी क्षेत्र के द्वारा नियोजन का संचालन किया जाता है। अर्ध-विकसित राष्ट्रों में नियोजन का संचालन करने से पूर्व क्षेत्र का चयन करना भी एक समस्या होती है। नियोजन के वृहत विकास कार्यक्रमों के लिए अधिक विनियोजन की आवश्यकता होती है और इनमें अधिक जोखिम निहित होता है। निजी साहसी नवीन जोखिमपूर्ण कार्यों में अपनी पूँजी लगाना अधिक पसन्द नहीं करता है। नियोजन के कार्य क्रमों को सफल बनाने हेतु एक या अधिक उत्पादक परियोजनाएँ संचालन करने की समस्या ही नहीं होती वरन् समस्त जनसमुदाय को नवीन वातावरण के लिये तैयार करना होता है। इन देशों के विभिन्न प्रयासों में समन्वय स्थापित करने का कार्य विपरीत तात्पर्यताओं द्वारा नहीं किया जा सकता और सरकारी क्षेत्र का विस्तार आवश्यक होता है। दूसरी ओर सरकार को निजी क्षेत्र पर प्रभावशील नियन्त्रण रखना सम्भव नहीं होता। निजी क्षेत्र सदैव नियन्त्रणों का विरोध करता है और इस नियन्त्रण की प्रभावशीलता को विफल करने के लिये प्रयत्नशील रहता है। परन्तु निजी क्षेत्र को अर्थ-व्यवस्था में बनाये रखने की आवश्यकता प्रजातांत्रिक ढाँचे के अन्तर्गत पड़ती है। साहस की स्वतन्त्रता प्रजातांत्रिक ढाँचे का एक अंग होती है। ऐसी परिस्थिति में योजना अधिकारी को निजी एवं सरकारी क्षेत्र के कार्य-क्षेत्र को निर्धारित करने की समस्या का निवारण करना होता है। यद्यपि नियोजन के लिए सरकारी क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं होता परन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था के केन्द्रीय नियन्त्रण में सरकारी क्षेत्र की उपस्थिति एवं विस्तार स्वाभाविक हो जाता है। अर्ध विकसित राष्ट्रों की नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रायः शक्ति का आयोजन यातायात, कृषि उत्पादन में सुधार हेतु सिंचाई योजनाएँ, खाद के कारखाने, साल सस्याओं, मार्केटिंग परिषदों, भारी एवं आधारभूत उद्योगों आदि का संचालन सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। हेन्सन ने अर्थिक नियोजन एवं सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए कहा है, "सरकारी क्षेत्र योजना की अनुपस्थिति में कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है, परन्तु एक योजना का सरकारी क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक कागजी योजना रहना सम्भव है।"¹

1. "Public Sector without a plan can achieve something, a plan without public enterprise is likely to remain on paper."

नियोजित अर्थ व्यवस्था में निम्नलिखित कारणों के कारणस्वरूप सरकारी क्षेत्र में व्यवसायों का विस्तार होता है—

(१) यदि नियोजन अधिकांसी समाजवाद का प्रतिपादन करता हो अथवा यह कहता अथवा उचित होगा कि राज्य जब समाजवाद का अनुसरण करता हो तो व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण को अधिन महत्व दिया जाता है। जो साधारण भी समाजवादी सिद्धांतों के अनुकूल अधिन से अधिन व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण को मांग करता है समाजवादी उद्देश्यों अधिन एवं सामाजिक समता को पूर्ण हेतु सरकारी क्षेत्र का विस्तार आवश्यक होता है।

(२) वेम उद्योगों का सरकारी अधिनार में लिया जा सकता है जिनके विनाश हेतु निजी व्यवसायों को निनियोजन करने को मारत हो।

(३) एत व्यवसायों को निरम क श्रीय नियंत्रण आवश्यक एवं अधिन कार्यशील समझा जाता हो सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाता है।

(४) राजनीति अधिन राष्ट्रीय कारणों से कि ही उद्योगों को निजी क्षेत्र में हाथ में श्रोना उचित त समझा जाय तो इन उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में चनाया जाता है। उदाहरणार्थ रक्षा सम्बन्धी उद्योग।

(५) उच्च कारणों का राष्ट्रीयकरण शक्ति भी किया जा सकता है कि उन उद्योगों में श्रमिक निजी पूंजीपति के अधिन रहकर कार्य नहीं करता है। सन् १९१७ के पश्चात् रूस में बहूत से कारणों का राष्ट्रीयकरण इसी पर किया गया।

(६) निजी एकाधिकार सरकारी एकाधिकार को तुलना में अधिन नहीं समझा जाता है। इन्होंने वेम व्यवसायों को जिसे एकाधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है सरकारी क्षेत्र में ले लिया जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय अधिनतर जनोपयोगी सवाधाम सम्मिलित होने हैं जैसे बिजली सप्लाई एवं जल सप्लाई कम्पनियों अधिन।

(७) अधिन प्रशासन के नियमों भी सरकारी क्षेत्र को स्थापना एवं विस्तार को आवश्यकता होती है। सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों से कर वसूली मूल्य नियमन उपभोग वस्तुओं के वितरण आदि में मुविधा होता है। सरकारी उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी नीतियों को अधिन प्रभावशील बनाए के लिये भी सरकारी क्षेत्र के विस्तार को आवश्यकता होती है।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में व्यवसायों के संगठन एवं प्रबंध में विदेशीकरण का आयोजन करना आवश्यक होता है। कभी-कभी राज्य के हाथों में मिलनियम

(Ownership) का केन्द्रीयकरण होने से राजनीतिक सत्ताओं का भी केन्द्रीयकरण हो जाता है और नियोजन की समस्त व्यवस्था पर राजनीतियों का पूर्ण नियन्त्रण हो जाता है। उत्पादन के साधनों पर अधिकारों का कठोर केन्द्रीयकरण होने पर एक लगभग रूढ़ी (Feudal) समाज का निर्माण होता है जिसके अन्तर्गत एकाधिकार पूर्ण पूँजीवाद को शक्तिशाली बनाया जाता है, जिसमें कुछ ही राजनीतिक देश के समस्त साधनों का पोषण अपने निजी हितों के लिए करने लगते हैं। ऐसे पूर्णतः केन्द्रित अधिकार वाले समाज में संगठित रूप में शोषण होन लगता है। इस शोषण को प्रोपेगंडा करने की सत्ता तथा जनसाधारण की अज्ञानता से सुरक्षा प्राप्त होती रहती है। इन कारणों के फलस्वरूप अब यह विचार किया जाने लगा है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था को अधिक उपयोगी एवं सफल बनाने के लिये न केवल निजी साहस और सरकारी साहस उपयुक्त है, अपितु दोनों को ही अर्थ-व्यवस्था में स्थान दिया जाना उचित है।

सरकारी क्षेत्र का संगठन एवं प्रबन्ध—सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों के संगठन का प्रकार चयन करने के हेतु अर्थ विकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के अनुभवों का लाभ उठाते हैं। विकसित राष्ट्रों में व्यवसायों के संगठन के बहुत से प्रकार हैं। इन सब में सरकारी व्यवसायों के लिये उपयुक्त संगठन व्यवस्था का चयन करने की समस्या का निवारण भी योजना अधिकारी को करना होता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रायः निम्न प्रकार की संगठन व्यवस्थाओं का उपयोग होता है—

- १ विभागीय व्यवस्था।
- २ सीमित दायित्व वाली सरकारी कम्पनियाँ।
- ३ वैधानिक अथवा लोक निगम।
- ४ सहकारी समितियाँ।
- ५ रूप परिवर्तित (Modified) निजी व्यवसाय।

(१) विभागीय व्यवस्था (Departmental Organisation)—विभागीय व्यवस्था सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों की परम्परागत व्यवस्था है। इसका उपयोग अर्थ-विकसित एवं विकसित राष्ट्रों—दोनों में ही किया जाता है। प्रारम्भ में इस प्रकार की व्यवस्था का उपयोग केवल जनोपयोगी सेवा सम्बन्धी व्यवसायों के संगठन के लिये किया जाता था। धीरे-धीरे इस प्रकार की व्यवस्था का महत्व सभ्यता के समस्त देशों में बढ़ता गया और जनहित के समस्त उद्योगों जैसे जल विद्युत् शक्ति, गैस, यातायात एवं संचार आदि के संगठन हेतु

किया जाने लगा। विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत लोक एकाधिकार (Public Monopoly) का प्रादुर्भाव होता है और जनहित सम्बन्धी उद्योगों के सगठन हेतु स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को हानिकारक मान कर विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत संचालन किया जाने लगा है। नियोजित अर्थ व्यवस्था जनहित सम्बन्धी उद्योगों में भारी आधारभूत और विभिन्न प्रकार के अर्थ उद्योगों को भी सम्मिलित किया जाने लगा है और कुछ राष्ट्रों में भारी आधारभूत उद्योगों का संचालन विभागीय सगठन के अन्तर्गत होता है। विभागीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं¹—

(१) व्यवसाय के अर्थ का आयोजन सरकारों स्वयं से वार्षिक आवंटन करके किया जाता है और व्यवसाय की समस्त आय और अधिकतर प्राप्ति को सरकारी खजाने में जमा किया जाता है।

(२) व्यवसाय पर अन्य विभागों के समान बजट, बही खाता रखने तथा अकैक्षण सम्बन्धी नियंत्रण लागू होते हैं।

(३) व्यवसाय के स्थायी कर्मचारी सरकारी होते हैं और इनके चयन करने के तरीके तथा सेवा की शर्तें अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान होती हैं।

(४) व्यवसाय का किसी सरकारी विभाग का एक बड़ा कक्ष (Sub-Division) समझा जाता है और यह व्यवसाय उस विभाग के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष रूप से आधीन होता है।

(५) इन व्यवसायों को राज्य से प्राप्त छूटों की उपलब्धि होती है और इन पर बिना सरकार की अनुमति के कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह लक्षण उन्हीं देशों में होता है, जहाँकि उस देश के विधान में इसका आयोजन किया गया हो।

विभागीय व्यवस्था औद्योगिक अथवा व्यापारिक लक्षणा वाले व्यवसायों में राज्य की सत्ता को तो बढ़ा देती है परन्तु प्रारम्भिकता (Initiative) एवं लोचपन (Flexibility) को न्यूनतम स्तर पर ला देती है। यदि किसी व्यवसाय में प्रारम्भिकता एवं लोचपन की अधिक आवश्यकता हो तो विभागीय व्यवस्था उपयुक्त नहीं हो सकती है। विभागीय व्यवस्था ऐसे व्यवसायों के लिये सर्वश्रेष्ठ होती है जिनमें अधिकतर कार्यक्रम कार्यविधि (Routine)

1 United Nations, Some Problems—in the Organisation and Administration of Public Enterprises in the Industrial Field, p 6

के अनुसार कार्य किया जाता है। इस व्यवस्था के दोषों को निम्न प्रकार अंकित किया जा सकता है—

(१) स्थायी कर्मचारी उन्हीं नियमों के आधीन होते हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिसके फलस्वरूप योथ्यता के आधार पर पदोन्नति तथा शीघ्र अनुशासन (Disciplinary) कार्यवाही करना सम्भव नहीं होता है।

(२) विभागों के लिये अर्थ की व्यवस्था करने के तरीके बिलम्बी होते हैं।

(३) नकद प्राप्तियों को सरकारी खाते में जमा करने पर उन्हें बिना सरकार की विशेष आज्ञा के निकाला नहीं जा सकता है।

(४) बहीखाता रखन का तरीका औद्योगिक व्यवसायों के लिये उपयुक्त नहीं होता।

(५) कच्चे माल के क्रय एव उत्पादित वस्तुओं के विक्रय की विधियाँ विभागीय व्यवस्था में दोषपूर्ण एव बिलम्बी होती हैं।

(६) अर्ध विकसित राष्ट्रों में अच्छे, ईमानदार, कार्यकुशल कर्मचारी वर्गों को उपलब्ध कठिन होती है जिसकी अनुपस्थिति में व्यवसायों का संचालन सफलतापूर्वक नहीं हो सकता।

विभागीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ होता है, जन उत्तरदायित्व (Public Accountability)। इस व्यवस्था के अन्तर्गत चलाय जान वाले व्यवसायों का व्यौरा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा इसकी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अन्तिम फैसला करती है। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था में अन्य सरकारी विभागों से सहयोग प्राप्त करना सरल होता है।

(२) सीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ (Limited Liability Companies)—इस प्रकार की सीमित दायित्व वाली कम्पनियों को राजकीय कम्पनियाँ (State Companies) भी कहा जा सकता है। यह कम्पनियाँ देश की कम्पनी के विधान के अन्तर्गत रजिस्टर की जाती हैं। यह अपने पापद अन्तर्नियम (Articles of Association) एवं कम्पनी विधान के आधीन कार्य करती हैं। इनका प्रथम वैधानिक अस्तित्व होता है। इनके लिये अर्थ या पूँजी या तो राज्य द्वारा इनके समस्त अथवा उनका ५०% से अधिक भाग क्रय करके उपलब्ध कराता है। इनके खातों का अन्वेषण या तो इनके द्वारा नियुक्त अन्वेषक द्वारा अथवा ऑडिटर एव कम्प्ट्रोलर जनरल (Auditor and Comptroller General) द्वारा किया जाता है। इनके अन्तर्गत सम्पूर्ण सरकारी व्यवस्था एव मिश्रित

व्यवसाय दोनों ही चलाये जा सकते हैं क्योंकि इनमें सरकार समस्त अश-पूर्जी जुटा सकती है अथवा नियंत्रण प्राप्त करने हेतु पर्याप्त अश पूर्जी अश कर सकती है और शेष अश-पूर्जी निजी व्यवसाय एव सस्थाओं द्वारा अश की जा सकती है। कभी-कभी राज्य निजी साहस के अन्तर्गत चलायी जाने वाली सीमित दायित्व की कम्पनियों पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु पर्याप्त मात्रा में अश-पूर्जी अश कर लेती है और इस प्रकार निजी व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण किये बिना राज्य को इन व्यवसायों पर नियंत्रण एव अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की कम्पनियों के विस्तार के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं—

(१) यदि निजी साहस किसी चालू व्यवसाय के विस्तार करने के लिये तैयार न हो और राज्य इसके विस्तार को राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक समझता हो तो राज्य इस व्यवसाय पर इसकी अश पूर्जी अश करके अधिकार में ले सकता है।

(२) जब किसी पूर्जीगत अथवा उत्पादक वस्तुओं के व्यवसाय के लिये विदेशी पूर्जी एव तांत्रिक विशेषज्ञों की आवश्यकता हो और राज्य किसी विदेशी निजी कम्पनी अथवा साथ के साथ मिलकर इस व्यवसाय की स्थापना करना चाहता हो तो राज्य सीमित दायित्व वाली कम्पनी स्थापित करके इस कार्य को कर सकता है। भारत में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना जर्मनी की क्रुप्स-डेमाग (Krupps-Demag) फर्म के साथ मिलकर राज्य ने स्थापना की है।

(३) यदि किसी नवीन औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करने को निजी साहसी तैयार न हो तो राज्य इस नवीन क्षेत्र में राजकीय कम्पनियों के स्वरूप में व्यवसाय स्थापित कर सकता है जिसके अश कुछ समय पश्चात् निजी साहसी को बेचे जा सकते हैं। लेटिन अमरीकी देशों में राज्य को इस प्रकार की कार्यवाहियाँ उल्लेखनीय हैं। विली में बहुत से सरकारी व्यवसायों को निजी साहसी को बेच दिया गया है। पोर्टोरिको में औद्योगिक विकास कम्पनी के कारखानों को निजी साहसियों को १९५० में बेचा गया। कोलम्बिया में टायर निर्माण करने वाले कारखान (Industria Columbiana de Llantras) को जिसमें ७२.६% अश (Columbia Institute of Industrial Development) के अश पूर्णतः निजी साहसियों को बेच दिया गया।

(४) यदि राज्य सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों के लिए कुछ सहायक कारखाने खोलना चाहती है तो राजकीय कम्पनियों की स्थापना की जा सकती है।

भारत में राजकीय कम्पनियों की स्थापना में पिछले १० वर्षों में विशेष प्रगति हुई है। सिट्री फर्टीलाइजर्स तथा केमीकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान केबल्स

लिमिटेड, हिन्दुस्तान एग्रर क्राफ्ट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, डी. डी. टो. फ़ैक्ट्री आदि सरकारी कम्पनियाँ हैं। इस प्रकार की कम्पनियों के दो मुख्य दोष हैं। प्रथम, यह कम्पनियाँ वैधानिक उत्तरदायित्वो (Constitutional Responsibilities) से बच जाती हैं और राज्य एव लोकसभा को इनसे पर्याप्त सूचनाएँ आदि प्राप्त करना कठिन होता है। इनका द्वितीय दोष कम्पनी का स्वतंत्र अस्तित्व वैधानिक दृष्टिकोण से होते हुए भी वास्तव में नहीं होता है। कम्पनी सम्बन्धी समस्त अधिकार अश-धारियों एवं प्रबन्ध को होते हैं। अशधारी एव प्रबन्धक दोनों राज्य होना है और इनकी सीमाएँ उस विधान द्वारा निर्धारित होनी हैं जिसके अधीन इनकी स्थापना की जाती है। इस प्रकार इनका लोचन जाता है और इनका कार्य-संचालन भी सरकारी विभागों के समान ही होता है।

(३) लोक निगम (Public Corporations)—सरकारी साहाय्य के संगठन में लोक निगमों को सबसे अधिक महत्व प्राप्त है। यह तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक नयी सस्या है जिससे राज्य के पर्याप्त अधिकार एवं निजी व्यवसाय का लोचन दोनों ही प्राप्त होने हैं। इनके मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं—

(१) यह पूर्णतः सरकारी अधिकार में होते हैं।

(२) इनकी स्थापना विरोध विधान द्वारा होती है जिनमें इनके अधिकार, कर्तव्य, प्रबन्ध के कार्य तथा इसमें अन्य विभागों एवं मंत्रालयों के साथ सम्बन्ध निर्धारित किये जाते हैं।

(३) यह अपने नाम में व्यापार करते हैं और वैधानिक दृष्टिकोण से इनका अलग अस्तित्व होता है।

(४) यह अपने नाम में दूसरों पर मुकदमा चला सकते हैं। दूसरे इन पर मुकदमा चला सकते हैं। यह प्रमविदा कर सकते हैं तथा सम्पत्ति क्रय कर सकते हैं।

(५) पूँजी के आयोजन एव हानियों की क्षतिपूर्ति के अलावा यह अपने अर्थ-प्रबन्ध में स्वतन्त्र होते हैं। यह अर्थ जनता एव सरकारी खजाने दोनों से ही ऋण लेकर प्राप्त करते हैं। यह अपने अर्थ-साधनों एव वस्तुओं तथा सेवाओं के विक्रय पर होने वाले लाभ पर भी निर्भर रहते हैं।

(६) इनके कर्मचारी प्रायः सरकारी कर्मचारी नहीं होते और इनकी नियुक्ति एव पारिव्यमिक का निर्धारण इनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है।

(७) यह लोक फ़ण्ड के व्यय करने के सम्बन्ध में जागू होने वाले बहुत से नियमों एव प्रतिबंधों से प्रायः मुक्त रहते हैं।

(८) इन पर बजट, बहीखाता तथा अवेक्षण के वे विधान जो अन्य राजकीय विभागों पर लागू होते हैं, साधारणतः लागू नहीं होते हैं ।

निगमों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनमें कार्य-संचालन एवं अर्थ-सम्बन्धी लोचपन को लगभग उसी मात्रा तक बनाये रखा जा सकता है, जितना निजी क्षेत्र के व्यवसायों में होता है । इनको विधान द्वारा विशेष अधिकार प्रदान किये जाते हैं जिससे यह उसी प्रकार जनता को अच्छी वस्तुओं एवं सेवाओं प्रदान कर सकें जैसा निजी क्षेत्र में सम्भव होता है । नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत देश की प्राचीन व्यक्तिगत लाभ-प्रधान पूंजीवाद का प्रतिस्थापन करने का सबसे ठोस साधन लोक निगमों की स्थापना करना है क्योंकि इनकी स्थापना द्वारा राज्य के हाथों में एकाधिकार की प्रवृत्तियाँ नहीं पहुँचती । सरकारी अधिकार एवं प्रबन्ध की स्थिति में प्राथिक सत्ताभा के राजनीतिकरण होने का भय निहित रहता है । लोक निगमों द्वारा प्राथिक राजनीतिकरण पर रोक लगायी जा सकती है । लोक निगम में राजकीय अधिकार के समस्त लक्षण होते हुए भी राजकीय प्रबन्ध का अभाव रहता है । यही इन निगमों की विशेषता है कि अधिकार एवं प्रबन्ध को प्रथक-प्रथक कर दिया जाता है जिससे राजकीय पूंजीवाद की स्थापना में रोक लग जाती है । इनके मुख्य लाभ निम्न प्रकार वर्गीकृत किये जा सकते हैं—

(१) यह सरकारी प्रशासन की मदद गति एवं स्थिर कार्यविधि से मुक्त होते हैं और निजी साहस के समान ही लोचपन एवं प्रभावशीलता बनाये रखी जा सकती है ।

(२) व्यवसाय के आन्तरिक प्रबन्ध में सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप को रोका जा सकता है ।

(३) यह लोकसभा एवं सम्बन्धित मंत्रालय के नियन्त्रण में कार्य करते हैं जिससे इनके कार्य राष्ट्रीय नीति के अनुकूल होते हैं ।

(४) इनकी कार्यकारिणी की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है और चुनाव आदि को कोई स्थान नहीं होता है ।

(५) यह जन सेवा की भावना जाग्रत करते हैं और वित्तीय मामलों में स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर होते हैं ।

सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों के लिये किसी विशेष प्रकार के संगठन का चयन करते समय बहुत सी परिस्थितियों पर ध्यान देना आवश्यक होता है । प्रत्येक देश एवं प्रत्येक व्यवसाय की परिस्थितियाँ अन्य देशों एवं व्यवसायों से इतनी भिन्न होती हैं कि किसी भी एक प्रकार के संगठन को समस्त देशों एवं व्यवसायों के लिये उपयुक्त कहना उचित नहीं होगा । संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों

द्वारा इस सम्बन्ध में प्रकृत किया है कि राजकीय व्यवसायो के लिये किसी प्रकार के संगठन का चयन करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिये—

- (१) कार्यक्रम का प्रकार ।
- (२) कार्य-संचालन सम्बन्धी एव वित्तीय आवश्यकताएं ।
- (३) राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था एव उस व्यवसाय का महत्व ।
- (४) कार्यों के प्रकार ।
- (५) राजनीतिक विचारधाराएं एव वातावरण ।
- (६) योग्य नियोगी वर्ग (Competent Personnel) ।

वास्तव में किसी प्रकार के संगठन की सफलता को दो प्राधारों पर आँका जा सकता है । प्रथम कार्यकुशलता (Efficiency) तथा द्वितीय लोक उत्तरदायित्व (Public Accountability) । लोक निगम में भी जिनको कि सरकारी क्षेत्र के संगठन का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है, यह तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं पाये जाते हैं । इनके विशेष विधान एव व्यवस्था के होने हुए भी इनमें सम्बन्धित लोगों के स्वभाव एव परम्पराओं के कारण इन तत्वों के उचित मिश्रण को बनाये रखना सम्भव नहीं होता है । निगमों की कार्यकुशलता के बढ़ाने हेतु इन्हें यथोचित Autonomy दी जानी चाहिए । Autonomy के दो प्रकार हो सकते हैं । प्रथम, कार्य संचालन सम्बन्धी एव द्वितीय, वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में । कार्य-संचालन सम्बन्धी Autonomy के अन्तर्गत इनको क्रय, विक्रय, मरम्मत, पूँजीगत व्यय, मुधार, विस्तार, कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में वास्तविक स्वतन्त्रता होनी चाहिए जिससे उचित कार्य उचित समय पर तथा उचित व्ययों का कार्य पर लगाया जा सके । निगमों के सम्बन्ध में नौकरशाही (Bureaucracy) के दोष दुहराये जाते हैं । नौकरशाही का दूर करन हेतु अधिकारियों का एक स्थान से दूसरे, एक कार्य से दूसरे कार्य एव एक कार्यालय में दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करते रहना चाहिए । दूसरी ओर वित्तीय स्वतन्त्रता (Autonomy) के अन्तर्गत निगमों को वार्षिक आवंटन (Annual Appropriations) से मुक्त होना चाहिए । वित्तीय व्ययों के सम्बन्ध में सरकारी कठोर नियमों से मुक्त होना चाहिए, राजकीय विभागों के समान खाने रखने एव प्रकृष्टण के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए अपनी प्रतियों को एकत्रित करन एव व्यय करन का अधिकार होना चाहिए तथा रुपया ऋण पर लेन का अधिकार होना चाहिये ।

लोक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सम्बन्धित मंत्रों का लोकसभा में निगमों के सम्बन्ध में किए गये प्रश्नों का उत्तर देने का उत्तरदायित्व तथा इन निगमों की वार्षिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में लोकसभा को सूचित करन का उत्तर-

दायित्व । लोकसभा जनता की सर्वोच्च सस्था होती है । समस्त सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों को जनता के प्रति उत्तरदायी रहना अत्यन्त आवश्यक होता है । परन्तु निगमों को दिन प्रतिदिन के कार्यों के सम्बन्ध में स्वतन्त्र होना चाहिए और सम्बन्धित मंत्रियों को इनके इन कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । इनके साथ मंत्रियों को लोकसभा में इन निगमों के सम्बन्ध में विवरण-मात्मक प्रश्नों का उत्तर देने की जिम्मेदारी नहीं मिया जाना चाहिये ।

(४) सहकारी समितियाँ (Cooperative Societies)— नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सहकारी समितियों का विशेष महत्व होता है । सहकारी समितियाँ एक और स्थानीय प्रारम्भिकता, साहजिक एवं साधनों का उपयोग करने के लिए अक्सर प्रदान करती हैं और दूसरी ओर यह राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार कार्य करती हैं । इस प्रकार सहकारिता द्वारा प्राथमिक शक्तियों के विवेकपूर्ण उपयोग में सहायता मिलती है और जन सहयोग गुलभता-पूर्वक उपलब्ध होता है । सहकारी संस्थाओं में व्यक्तिगत प्रोत्साहन एवं सामूहिक प्रयास का सम्मिश्रण हो जाता है । स्थानीय विकास हेतु इस प्रकार की संस्थाएँ प्राथमिक उपयुक्त होती हैं । भारत की नियोजित अर्थ व्यवस्था में सहकारिता को विशेष स्थान दिया गया है । कृषि एवं उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । बड़े बड़े कारखाने एवं छोटे छोटे उद्योग दोनों का ही सहकारिता के आधार पर स्थापित किया जाने लगा है । वास्तव में भारतीय अर्थ व्यवस्था में राजकीय, निजी मिश्रित क्षेत्रों के अतिरिक्त सहकारिता का क्षेत्र भी अत्यन्त ही विस्तृत हो रहा है । रूस में कृषि सहकारी समितियों के अतिरिक्त उपभोक्ता एवं उत्पादक सहकारी समितियाँ भी हैं । चीन में भी कृषक एवं दस्तकारों की बहुत सी सहकारी समितियाँ हैं । अस्तवित्तिया, बर्मेरिया, जकोस्लाविया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड एवं रूमानिया में सहकारी फर्मों की संख्या एवं इनका क्षेत्र निरन्तर बढ़ता जा रहा है ।

(५) रूप परिवर्तित निजी व्यवसाय (Modified Private Enterprises)— १९३० के लगभग नाजी जर्मनी में कुछ निजी व्यवसायों पर निजी अधिकार होते हुए भी इनके कुछ निजी अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया था तथा उनका कुछ प्रतिरिक्त कर्तव्य सौंप दिए गये थे । निजी व्यवसायियों को राजगार दिये जाने वाले श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों के प्रचार, उनके पारिश्रमिक के स्तर, कारखाने एवं संस्थाओं के विशेष प्रकार से चलाने अथवा विशेष प्रकार की वस्तुएँ उत्पादित करने आदि के सम्बन्ध में सरकार ने धारणा दिये थे । साहसी अथवा मालिकों के कारखानों का नेता

(Works Leader) कहा जाता था। इसी प्रकार १९३३ के विधान द्वारा कृषि के क्षेत्र में कृषको की एस्टेट (Peasants Estates) की स्थापना की गयी थी। इसके अन्तर्गत कृषको में एस्टेट को कर्ज (Indebtedness) तथा उत्तराधिकारियों में भूमि-विभाजन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गयी थी। इसमें परिवारों को मिलिकयत एव व्यक्तिगत मिलिकयत का सम्मिश्रण किया गया था।

(६) मूल्य नियमन की समस्या (Problem of Price Regulation)—अर्थ-विकसित राष्ट्रों में विकास की गति के साथ साथ मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। जब तक यह वृद्धि जनसाधारण की मौद्रिक आय की वृद्धि के अनुपात से बहुत अधिक नहीं होती है, मूल्य नियमन सम्बन्धी कोई विशेष समस्या उपस्थित नहीं होती है। परन्तु जब मूल्यों की वृद्धि विनियोजन एवं राष्ट्रीय आय की वृद्धि की तुलना में अधिक होने लगती है तो मुद्रा-स्फीति के दोषों से बचने हेतु मूल्य नियमन की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में मूल्य का मुख्य कार्य माँग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करना होता है। मूल्य-परिवर्तनों के स्वयं शोध्य (Self Liquidating) होने पर इनके द्वारा माँग पूर्ति में सन्तुलन स्थापित किया जा सकता है। स्वयं शोध्य का अर्थ यह है कि मूल्यों में वृद्धि होने पर पूर्ति की मात्रा बढ़ जानी चाहिए जो कि माँग के अनुकूल हो जाय और फिर पूर्ति बढ़ते ही मूल्यों को अपने सामान्य स्तर पर आ जाना चाहिए। दूसरी ओर मूल्य घटने पर (माँग कम होने के कारण) पूर्ति की मात्रा घट जानी चाहिए और माँग के अनुकूल हो जानी चाहिए। पूर्ति कम होने पर मूल्य फिर अपने सामान्य स्तर पर आ जाते हैं। यह मूल्यों की एक सामान्य गति है और इस गति पर बहुत से घटकों का प्रभाव पड़ता रहता है। अर्थ-विकसित राष्ट्रों में माँग बढ़ने पर मूल्य तो बढ़ जाते हैं परन्तु पूर्ति शीघ्रता के साथ नहीं बढ़ पाती है जिसके कारण मूल्यों की एक वृद्धि दूसरी वृद्धि का कारण बनती रहती है और इस प्रकार मूल्य वृद्धि का एक दूषित चक्र बन जाता है। योजना अधिकारी को ऐसे प्रयत्न करने होते हैं कि इस दूषित चक्र का प्रादुर्भाव न हो और मूल्य सामान्य स्तर से अधिक ऊँचे न जायें।

वास्तव में मूल्यों की वृद्धि अपने आप में कोई दूषित स्थिति नहीं होती है। जब मूल्यों की वृद्धि के साथ उत्पादन में इसके अनुकूल वृद्धि नहीं होती है, तब शोचनीय स्थिति उत्पन्न होती है। आर्थिक विकास के साथ मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय आय के कुछ अधिक भाग का विनियोजन उत्पादक उद्योगों में करना आवश्यक होता है। इस विनियोजन के

अर्थ-विकसित राष्ट्रों की नियोजित अर्थ-व्यवस्था में समन्वित मूल्य नियमन नीति एव आवश्यक लक्षण है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत इसकी ओर भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में निजी क्षेत्र तथा स्वतंत्र बाजार को सर्वथा नष्ट नहीं किया जाता है जिसके कारण बाजार के बहुत से घटक मूल्यों पर प्रभाव डालने रहते हैं। निजी व्यवसायी सदैव बढ़ते हुए मूल्यों का अधिक लाभ उठाना चाहता है। वह वस्तुओं की अवास्तविक कमी का वातावरण उत्पन्न करने में सदैव तत्पर रहता है। ऐसी परिस्थिति में योजना अधिकारी को बड़ी तत्परता से मूल्यों पर नियन्त्रण रखना आवश्यक होता है। मूल्यों की अधिक वृद्धि में केवल जनसाधारण को ही कठिनाई नहीं होती वरन् योजना के समस्त अङ्गों, लक्ष्य, व्यय एव आय सम्बन्धी अनुमान गड़बड़ हो जाते हैं और योजना पूर्णरूपेण दोहराना पड़ती है। साम्यवादी राष्ट्रों में मूल्य नियमन की समस्या इतनी गम्भीर नहीं होती। मूल्यों को अपने आर्थिक कार्य 'माँग एवं पूर्ति' में अनुलन स्थापित करने का अवसर नहीं दिया जाता है। समस्त उत्पादन के घटक एवं उत्पादक तथा उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति एव उत्पादन राज्य के हाथ में होता है। राज्य को मूल्य नियमन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि बाजार के किसी भी घटक को मूल्य पर प्रभाव नहीं डालने दिया जाता है। साम्यवादी राष्ट्रों में राज्य को स्वयं मूल्य निर्धारण करना होता है, अतः मूल्य नियमन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अर्थ विकसित राष्ट्रों में नियोजन की सफलता हेतु आवश्यक तत्त्व

आधुनिक युग की भीषण जटिलताओं की दुर्भेद्य श्रृंखलाओं में किसी कार्य का सुगम, सुलभ सम्पादन अत्यन्त कठिन है। नियोजन तो एक विधि है। वह कार्य है जो अनेक तत्वों के सहयोग, सम्मिश्रण एव सम्मेलन के उपरान्त एकीकृत रूप में सम्मुख आ सकने में समर्थ होता है। अधिकारात् यह देखने में आता है कि यदाकदा निश्चित लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति तो दूर रही, मुख्य आयोजन कार्यक्रम का कार्यान्वित करना भी असम्भव हो जाता है। कारण हैं, अनेक एव विभिन्न लक्षणों वाले तत्व जो पूर्णतया नियोजन की कार्य-विधि एवं क्रिया-वलापों को प्रभावित करते हैं। नियोजन की सफलता अर्थ-विकसित राष्ट्रों में तो और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है, उतनी ही कठिन भी। प्रभावी तत्वों का अध्ययन, जो निम्न प्रकारेण किया जा सकता है, नियोजन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के निवारण में सहायक होगा।

(१) विश्व शान्ति—आज का आर्थिक-संगठन, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक प्रादुर्भाव शताब्दियों पूर्व का नहीं रहा, जबकि मानव की आवश्यकताएँ स्वयं द्वारा पूर्ण-योग्य मात्र थीं। व्यक्तिगत स्वार्थों भी अपनी

प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से ज्ञात करेगा। आज प्रभावी तत्व माना गृह, जाति, समाज अथवा देश तक ही नहीं अपितु सम्पूर्ण मानवता को समेटे रखते हैं। किसी भी देश के लिए बीसवीं सदी के आधुनिक विज्ञान-युग में पूर्ण आत्मनिर्भर रहना नितान्त असम्भव है। किसी न किसी रूप में उसे किसी न किसी विदेशी का मुँह ताकना पड़ता है और यह विश्वव्यापी अकाट्य सत्य है। रूस हो या अमेरिका, फ्रांस हो या ब्रिटेन, भारत हो या जापान सभी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पारस्परिक सम्बद्ध है। आधुनिक काल में राज्य की प्रत्येक कार्यवाही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिया के आधीनस्थ होती है, चाहे वह किसी भी सीमा तक हो। फिर नियोजन—वह भी अर्ध विकसित राष्ट्रों में—विदेशी सहायता की अनुपस्थिति में सफल होना सर्वथा असम्भव है, इसलिए पारस्परिक सम्बन्ध न बिगड़ने पायें, इसका पूर्ण प्रयत्न किया जाना चाहिए। पूर्ण शान्ति की अवस्था में ही नियोजन का विचार आ सकता है क्योंकि युद्ध की विभीषिका आर्थिक व्यवस्थाएँ को छिन्न भिन्न कर देती हैं। युद्ध या अशांति की दशा में एक देश अन्य देश में अपना विनियोजन या सहयोग न देना चाहेगा और आर्थिक विकास का चक्र रुक जायगा। पूँजी की न्यूनता, तान्त्रिक ज्ञान का अभाव आदि अनेक समस्याएँ अर्ध-विकसित राष्ट्रों को बाध्य करती हैं कि वे अन्य देशों से सहायता लें। अन्य देश विश्व-शान्ति की अवस्था में ही अन्य देशों को सहायता या विनियोजन करने को तत्पर होंगे।

(२) राजनीतिक स्थिरता—अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर राष्ट्रीय परिस्थितियों का अनुकूल रहना अधिक आवश्यक है क्योंकि प्रतिकूल राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अज्ञेय एवं अत्यन्त हानिकर होती हैं। किसी जीवन में जन्मदाता रक्त ही कीटयुक्त हो तो सुजीवन की कल्पना ही निरर्थक है। नियोजक नियोजन के कार्यक्रम निश्चित कर रहे हैं, उनके मस्तको पर उनकी मृत्यु सूचक दुधारी तलवार लटक रही है। क्या इस अवस्था में कितना भी दृढ़, दशभक्त, राजनीतिज्ञ एवं नियोजक उन कार्यक्रमों के निर्माण में कतिपय भी रुक लेगा अथवा वह विचारों को एकाग्र करने में समर्थ होगा और भविष्य की सोच सकेगा ? निस्तन्देह उत्तर होगा नहीं। कथन का तात्पर्य मात्र इतना है कि यदि नियोजक को प्रति क्षण अपने पदच्युत होने का भय रहे तो वह विवेकपूर्ण, पर्याप्त एवं आवश्यक लक्ष्य एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण नहीं कर पायेगा और न कोई आकर्षण ही होगा। प्रलोभन एवं प्रारम्भिक भावनाएँ भस्मसान् हो जायँगी। दूसरी ओर राजनीतिक स्थिरता नियोजन के विचार में स्थिरता की जन्मदाता होगी। नियोजन एवं सतत विधि है जो दीर्घकाल में लाभदायक होती है। उस मध्यावधि में किंचित आवश्यक समायोजन,

सम्मेलन, वृद्धियाँ आदि करना आवश्यक हो जाता है। वह राजनीतिक स्थिरता की अवस्था में ही सम्भव है क्योंकि अस्थिरता का तात्पर्य ही उद्देश्यों की विभिन्नता होगी और नियोजन का कार्यक्रम नये लक्ष्य, नये क्रम से स्थिर प्राथमिकताएँ लिये सम्मुख आयेगा। वह भी क्रियान्वित किये जान के समय तक पुनर्परिवर्तन के भय को लिये हुए। यह उपहास होगा, ठोस निर्माण नहीं।

(३) पर्याप्त वित्तीय साधन—यदि वित्तीय साधन को नियोजन के जीवन का रक्त एव रीढ़-अस्थियाँ कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। सुनिश्चित लक्ष्य, सुनिर्धारित प्राथमिकताओं का क्रम सबका निरर्थक है यदि अर्थ साधन नहीं। अर्थ-विकसित राष्ट्रों में आन्तरिक बचत, विनियोजन एव वित्तीय न्याय-शीलता सभी का अत्यन्त अभाव होता है। पूँजी निर्माण नहीं के समतुल्य होता है। अर्थ-साधनों की उपलब्धि अनिवार्य है। उद्योगों का शीघ्र विकास पूँजी के अभाव एव कृषि-प्रधान अर्थ व्यवस्था के कारण सम्भव नहीं होता। कृषि भी अत्यन्त अलाभकारी उद्यम होता है। खाद्यान्नों का इतना अभाव होता है कि निर्यात का विचार करना भी मुश्किल है। फिर भी वित्तीय साधनों की व्यवस्था होनी ही चाहिए। विदेशों से सहायता की याचना की जाती है; सहायता का उपलब्ध होना, ऋणी राष्ट्र की सम्भाव्य नीतिक साधनों के अनुमान, नियोजन के प्रकार, निवासियों की प्रवृत्ति राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप आदि पर निर्भर करता है। अतः अनुकूल वातावरण का निर्माण अत्यावश्यक है क्योंकि वित्तीय साधनों के अभाव में सत्वर, सुगम, सुलभ एव सफल नियोजन एव आर्थिक विकास असम्भव है। आर्थिक विकास की गति अर्थ साधनों की उपलब्धि पर निर्भर है।

(४) सार्विकीय ज्ञान—यद्यपि साक्ष्य पर निर्भर रहना या विश्वास करना भूखों का कार्य कहा जाता है, किन्तु शायद यह कहने वालों के युग में भाव की परिस्थितियों का अंदाज नहीं था। आज के युग में यदि साक्ष्य उपलब्ध न हो अथवा उसका ज्ञान न हो तो क्या कोई किसी भी तथ्य का अनुमान अथवा भविष्यत् परिणामों का गुणन कर सकने में समर्थ होगा? कदापि नहीं। लक्ष्यों को निश्चित करने में, प्राथमिकताओं के निर्धारण में उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुमान में, सम्भाव्य अवस्थाओं के पूर्व ज्ञान, विदेशों से प्राप्य सहायता आदि किस क्षेत्र में साक्ष्य की उत्कट आवश्यकता न होगी? यह अनिवार्य है कि नियोजक को देश में उपलब्ध मानवीय एव प्राकृतिक शक्ति, कृषि उत्पादन की माँग एव प्रदाय, औद्योगिक उत्पादन आदि का पूर्ण ज्ञान हो। अन्यथा उसके सभी निर्णय आधारहीन होंगे जो निरर्थक होंगे। समय-समय पर आयोजन द्वारा प्राप्त परिणामों का अनुमान, उच्चावचन की

तीव्रता, कमी-वैशी की मात्रा तथा उसकी आवश्यकता सपायोजन की सीमा आदि के लिए भी सांख्य आवश्यक है। यही नहीं साख्य एकत्रीकरण कार्यकुशल, प्रवीण एवं प्रभावशील होना चाहिए, ताकि थोड़ी सी भूल से भयकर परिणामों का सामना न करता पड़े। सांख्यिकीय ज्ञान नियोजन की रक्त-प्रवाहिनी नालियाँ हैं।

(५) प्राथमिकता एवं लक्ष्य-निर्धारण—ग्रह-विकसित एवं अ विकसित राष्ट्रों में, जैसा कि सजा से ही ज्ञात होता है, अग्रणीत समस्याएँ, कमियाँ एवं आवश्यकताएँ होती हैं। सभी का एक साथ एक ही अनुपात में वित्तीय साधनों के आवंटन द्वारा एक ही समय पर निवारण एवं सतुष्टि करना सर्वथा असम्भव है। नवीन स्वतन्त्रता की वायु में नूतन राजनीतिक चेतना, सामाजिक जागरण, प्राथमिकताओं के निर्धारण के समय नियोजन के सम्मुख समस्या बन जाती है। जातीय भेदभाव, न्यून आय, न्यून जीवन-स्तर, अतिशय बेरोजगार, कृषि की प्रधानता स्वभाय में रुढ़िवादिता एवं दासता, अशिक्षा, अज्ञानता, भोजन वस्त्र एवं गृहादि जीवन की अनिवार्यताओं का भी अभाव एवं शोषित मानवता आदि सभी एक साथ आयोजन के सम्मुख आते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है लक्ष्यों का निर्धारण ऐसा हो जो अर्थ व्यवस्था का सर्वतोमुखी विकास कर सकने में समर्थ हो। इसके साथ ही वित्तीय साधना की कठिनाई के कारण प्रत्येक समस्या की उत्कटता एवं तीव्रता के आधार पर उसके निवारण का क्रम—जिस प्राथमिकता निर्धारण कहा जाता है—निश्चित किया जाना चाहिए। औद्योगिक युग की विकास दौड़ में भाग लेने का राष्ट्र तभी साहस कर सकता है जबकि उसका आर्थिक विकास अत्यन्त सत्त्वरगति से सुनिश्चित लक्ष्य एवं प्राथमिकताओं को लेकर होता है। प्राथमिकताओं के क्रम के अभाव में कोई विकास कार्यक्रम कार्यान्वित होना कठिन है तो लक्ष्यों की अनुपस्थिति में विकास की गति एवं उपलब्धियों का अनुमान असम्भव है।

(६) जलवायु का निरन्तर अनुकूल होना—ग्रह विकसित राष्ट्रों की कृषि प्रधानता उनका एक प्रमुख लक्षण है। उनकी अधिकांश जनसंख्या कृषि से आय पंदा करती है। निर्यात-योग्य वस्तुएँ कृषि द्वारा ही उपलब्ध होती हैं ताकि पूँजीगत वस्तुओं का आयात सम्भव हो सके। फिर औद्योगीकरण की अवस्था में कच्चे माल की पूर्ति भी कृषि पर निर्भर है अन्यथा पुन आयात का प्रश्न उठेगा और देश का उत्तरदायित्व बढ़ता जायेगा। कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए दी जाती है, लक्ष्य भी निर्धारित किये जा सकते हैं, किन्तु प्रकृति की अनुकम्पा अनिवार्य है अन्यथा सभा आशाओं पर तुषारापात

होते विलम्ब न लगेगा । वर्षा पर कृषि का निर्भर रहना स्वाभाविक है । लक्ष्यो की प्राप्ति में प्रकृति का यह योगदान भी आवश्यक है ।

(७) राष्ट्रीय चरित्र—योजना के हेतु प्रारम्भिक अनुसंधान कार्य करने और उसके कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के हेतु देश में एक ऐसे समुदाय की आवश्यकता है जिसका नैतिक चरित्र दृढ़ एव उच्च हो, जो अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा का ज्ञान रखता हो, दश की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल अद्भुत आवश्यकताओं की सतुष्टि हेतु उसने अपने जीवन को ढाल लिया हो । नयी चेतना एव नवीन जागरण का साथ दे सके तथा मनसा-वाचा-कर्मणा अधिक विकास में अपना सहयोग दे सके क्योंकि नियोजन विद्युत-शक्ति नहीं जो बटन दबाते ही सब कुछ कर सके । नैतिकता का स्थान जीवन के किस क्षत्र में नहीं । नियोजन जीवन से पृथक् होकर कुछ भी नहीं है । बड़ जीवन का प्रमुख अंग है । अर्ध विकसित राष्ट्रों में प्राकृतिक अनुकम्पा के उपरान्त मानवीय भावनाओं की अनुकूलता ही अत्यन्त अनिवार्य है । नियोजन का क्रियान्वीकरण उन्हीं पर होना है, उनके स्वभाव की अनुकूलता वाछनीय है ।

(८) जनता का सहयोग—आज का नियोजन यदि असफल होगा तो केवल इसी कारण कि उसे जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त न हो सका । अर्ध-विकसित राष्ट्रों में विशदयत जहाँ प्रजातान्त्रिक समाज हो, जन-समुदाय का पूर्णतम सहयोग अत्यावश्यक है । जनता में नियोजन के कार्यक्रमों के प्रति अक्षय जागरूकता एव विशेष प्रकार की श्रद्धा-भावना की आवश्यकता है । इसके लिए जनता को अपनी विचारधारा विस्तृत करनी होगी क्योंकि नियोजन का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक हित होता है । समान भावना की दशा में ही मर्तव्यता आ सकती है और तभी सहयोग एव समर्थन सम्भव है । प्रजातन्त्र में जनता सर्वोच्च सत्ता है । यदि उसका समर्थन एव सहयोग न होगा तो राज्य का प्रत्येक प्रयत्न विफल होगा । नियोजन काल सकट-काल (Transitional Period) होता है । जनता को अतिशय कष्टों एव कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । रुढ़िवादी, अशिक्षित जनता यह करने को सहर्ष तत्पर नहीं होती । नियोजक को यह प्रयत्न करना चाहिए तथा इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण भी होना चाहिए जिससे उन्हें उसी जनता का अधिकतम सम्भव समर्थन एव सहयोग प्राप्त हो सके । जनता के हृदय में परिणामों के प्रति एक विश्वास की भावना जाग्रत की जानी चाहिए ।

(९) शासन-सम्बन्धी कार्यक्षमता—यदि वास्तव में देखा जाय तो यही तत्त्व नियोजन की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक लक्षण है । प्रबन्ध-

सम्बन्धी अक्षमता समस्त ऊपर वर्णित तत्वों की प्राप्ति को निरर्थक सिद्ध कर सकती है। योजना के प्रारम्भिक निर्माण से लेकर अन्त तक यदि योजना का कभी विरोध होगा तो उसका कारण होगी प्रबन्ध प्रकुशलता। प्रबन्ध द्वारा ही उपयुक्त तत्वों को एकत्र किया जा सकता है। फिर समस्त तत्व तो गौण हैं, प्रमुख तो यही है कि किस प्रकार योजना को कार्यान्वित किया जाय। यह क्षमता है प्रबन्ध में। लक्ष्य की प्राप्ति क्षमतानुसार ही हागा यह निश्चित है। क्योंकि समस्त जनता योजना का काय सम्पादन नहीं करेगी प्रत्युत् उनके प्रतिनिधि अधिकारी ही इस काय भार को बहन करेंगे। अध्ययन, ज्ञान, कुशलता एवं प्रवीणता के साथ ही विवेक आता है। विवेक ही सफल नियोजन है, यह कहना अनुचित न हागा। समस्त उपलब्ध साधनों को एन्वित करना, उनका विभिन्न मदों पर विवेकपूर्ण रानि से आवंटित करना, प्रगति का निरीक्षण करना, काय विधि पर नियमन एवं नियंत्रण रखना आदि सभी कार्य प्रबन्धन की कायक्षमता पर आधारित हैं। ससार में व्यक्तिगत स्वार्थ से बढ़कर कुछ नहीं। ऐसा पूरा सम्भव है कि प्रबन्ध सम्बन्धी अर्थिक शिथिलता अधिकतम सामाजिक हित के स्थान पर अधिकतम व्यक्तिगत लाभ का स्थान ले ले और नियोजन अनियोजन हो जाय। प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यक्षमता ही अन्य आवश्यक तत्वों को सम्मिलित कर सफलता की ओर अप्रसर हो सकती है।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सरकारी दृष्टि से देखने पर अत्येक तत्व पारस्परिक असम्बद्ध है। किन्तु तथ्य तो यह है कि योजना का सफल होना सभी तत्वों का एकीकृत एवं सम्मिलित प्रयत्न है। सभी तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है। एक का अभाव समस्त तत्व शरीर को अकर्मण्य अथवा पशु बना देगा। जहाँ ये समस्त तत्व अपनी पूरा मात्रा के साथ सुगमता से उपलब्ध हैं, वहाँ नियोजन की सफलता गृह्यतर होन की अपेक्षा खल सा प्रतीत होगी।



भाग २

विदेशों में आर्थिक नियोजन

अध्याय ७

विदेशों में आर्थिक नियोजन [१]

१—(अ) रूस की पंचवर्षीय योजनायें

१—प्रथम पंचवर्षीय योजना

२—द्वितीय ,,

३—तृतीय ,,

४—चतुर्थ ,,

५—पाँचवी ,,

६—छठी ,,

७—सातवी ,,

(आ) सोवियत नियोजित अर्थ-व्यवस्था

१—व्यवस्था

२—संगठन

१—(अ) रूस की पंचवर्षीय योजनायें

रूस में आर्थिक नियोजन सर्वप्रथम प्रारम्भ किया गया और इसलिये रूस को आर्थिक नियोजन का जन्मदाता कहना अनिश्चयोक्ति न होगा। रूस में आयोजित अर्थ-व्यवस्था रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९२८-३२) के साथ प्रारम्भ हुई। १९१७ की बोलशेविक क्रान्ति (Bolshevik Revolution) के पनस्वरूप जार (Czar) की सत्ता समाप्त हो गयी और साम्यवादियों के हाथों में राज्य सत्ता आ गयी। १९१७ से १९२० तक अपनी नींवों को दृढ़ करने के लिये साम्यवादियों ने केवल देना के विरोधी पक्षा को ही नहीं दवावा अपितु विदेशी पूँजीवादी देना के हस्तक्षेप का भी मुकाबला किया। १९२१ में साम्यवादी सरकार ने नवीन आर्थिक नीति (New Economic Policy) की घोषणा की।

गोयलरो योजना (Goelro Plan)—रूस में व्यावहारिक योजना का प्रारम्भ लेनिन (Lenin) द्वारा किया गया। उसके विचार में रूस में समाजवाद स्थापित करने हेतु देश की अर्थ-व्यवस्था को विद्युत्करण के आधार पर पुनः-संगठित करना आवश्यक था। लेनिन की मान्यता थी कि साम्यवाद सोवियत शक्ति तथा सम्पूर्ण देश के विद्युत्करण का योग (Soviets plus electricity equals Communism) है। विद्युत्करण के कार्य को सम्पन्न करने हेतु एक राजकीय विद्युत्करण आयोग (State Commission for Electrification) अथवा गोयलरो (Goelro) की स्थापना मार्च १९२० में हुई और इसके द्वारा निमित्त योजना को दिसम्बर १९२० में स्वीकृति प्राप्त हुई। फरवरी १९२१ में इसे गॉस्प्लान (Gosplan) में मिला दिया गया। विद्युत्करण की योजना के अनुसार १० से १५ वर्षों में सारे देश में विद्युत् शक्ति पहुँचानी थी। इसके अन्तर्गत ३० नवीन बिजलीघर बना कर विद्युत् उत्पादन की क्षमता को १७५ लाख किलोवाट बढ़ाना था जिससे देश के कारखानों द्वारा बिजली का उपयोग अधिक किया जा सके और देश का उत्पादन १९१३ की तुलना में दुगना किया जा सके। इस योजना ने १९३० तक अपने उद्देश्यों की लगभग पूर्ति कर ली।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९२८-१९३२)—गोस्प्लान (Gosplan) को रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्यभार सन् १९२६ में सौंपा गया। गोस्प्लान ने प्रथम योजना का निर्माण सन् १९२८ तक कर दिया जिसको सन् १९२८ के अक्टूबर माह से लागू कर दिया गया।

प्रथम योजना का सामान्य उद्देश्य देश में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था जिससे उत्पादन के साधनों का अधिकतम विकास हो और संयोजित रूप से श्रमिकों की दशा में सुधार किया जा सके। नवीन आर्थिक नीति का पुनःसंगठन और समाज के औद्योगीकरण पर देश की अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने का मार्ग अपनाया गया। साथ ही पूँजीवाद का समूल नाश करने के लिये भी ठोस कदम उठाये गये। योजना में राजनीतिक एवं सैनिक उद्देश्यों को विशेष स्थान दिया गया। वास्तव में योजना के द्वारा सैनिक शक्ति के विस्तार के लिये प्रयत्न किये गये। यहाँ तक कि प्रथम योजना को रूस की दूसरी क्रान्ति कहा जा सकता है। प्रथम क्रान्ति में लेनिन ने राज्य-सत्ता प्राप्त कर नवीन रूस का निर्माण किया और दूसरी क्रान्ति में स्टालिन ने देश के औद्योगिक तथा सैनिक क्षेत्रों को मूल रूप से बदल कर नवीन समाजवादी राज्य-सत्ता को स्थायी बनाया।

प्रथम योजना में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। यह पूर्णतया मान लिया गया कि देश की भ्रष्ट-व्यवस्था में कृषि को उद्योगों के बाद स्थान दिया जाय तथा कृषि विकास का उद्देश्य सब प्रकार के औद्योगीकरण की गति को तीव्र करना होना चाहिये। स्टालिन ने घोषणा की कि रूस के पास उपनिवेश, साख तथा ऋण नहीं है और यह पूँजीवादी देश रूस को दोगे भी नहीं। ऐसी परिस्थिति में रूस को धरतू साधनों से पूँजी जुटाने हेतु कृषक पर कर लगाना आवश्यक होगा। प्रथम योजना में कृषि सम्बन्धी दो मुख्य कार्य-क्रम थे—सामुदायिक कृषि का विकास तथा समृद्धशाली कृषक तथा कुलक वर्ग का समूल नाश। कृषि के क्षेत्र में पूँजीवादी प्रवृत्तियों को समाप्त करने हेतु यह दोनों कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक थे। खेतों की बड़ी इकाईयों में परिवर्तित करने से किसानों को राजनीतिक शिक्षा संगठित रूप से प्रदान करना सुलभ था। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े फार्मों के उत्पादन पर राज्य को पूर्ण संचालन तथा नियंत्रण रखना सम्भव था। सामुदायिक कृषि के साथ उत्पादन के यंत्रीकरण से राज्य को अनेक लाभ प्राप्त हुए। किसानों का विरोध, कम खेत जोतना और सरकार के हाथ में अनाज बेचना सामूहिक कृषि प्रथा से सम्भव न था। राज्य मशीन, ऋण, बीज, खाद आदि के रूप में जो सुविधाएँ देता था, उसके दायित्व का भुगतान करने के लिये किसानों को अपना अनाज निश्चित मूल्य पर राज्य के हाथों बेचने के लिये बाध्य होना पड़ता था। मार्च सन् १९३० तक सामुदायिक खेती की वृद्धि किसानों के विरोध के बावजूद भी निरन्तर होती रही। अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण जिले को सामुदायिक कृषि का क्षेत्र घोषित कर दिया जाता था और सभी किसान सामुदायिक फार्म अथवा कोलखोज (Kol Khoz) के सदस्य मान लिये जाते थे। इसका विरोध करने वालों को समाजवाद का शत्रु तथा देशद्रोही समझा जाता था। कुलक वर्ग को जो सम्पन्न किसान वर्ग था तथा शिक्षित एवं कृषि कुशल उत्पादक होने के साथ व्यक्तिगत उत्पादन प्रणाली का खुला पोषक था, सामुदायिक कृषि में सम्मिलित होने के लिये जब किसी प्रकार आकर्षित नहीं किया जा सका तब धीरे धीरे दमन की हिंसक नीति का अनुसरण किया गया जिससे रूस की शक्ति का आधार लाल सेना में जिसमें अधिकतर अफसर कुलक वर्ग के थे, अस्तित्व फलने लगा। मार्च सन् १९३० में स्थिति अधिक विगड़ने पर स्टालिन ने घोषणा की कि जहाँ कोलखोज के आवश्यक साधन न हों, वहाँ पुरानी पद्धति ही रहन दी जाय। इस घोषणा के पश्चात् जहाँ मार्च सन् १९३० में ५५% कृषक परिवार सम्मिलित थे, मई सन् १९३० में घट कर २४% रह गये। परन्तु सन् १९३० की अर्द्धी फसल ने सामुदायिक कृषि पर योजनाकर्ताओं

तथा जनता का विश्वास जमा दिया और सन् १९३५ में ६१.५% कृषक परिवार कोलखोज की सदस्यता में लाये गये।

पूँजी निर्माण—प्रथम योजना काल में पूँजी विनियोग (Capital Investment) का निम्नलिखित रूप रहा—

तालिका संख्या ३—रूस में पूँजी विनियोग (प्रथम योजना काल)

बिलियन रूबल में

	१९२३-२४ से १९२७-२८	१९२८-२९ से १९३२-३३
कुल विनियोग	२६.५	६४.६
उद्योग	४.४	१६.४
विद्युत्करण (केवल केन्द्रीय विद्युत् गृह)	८	३.१
यातायात (पूँजीगत मरम्मत सहित)	२.७	१००
कृषि	१५.०	२३.२

उपर्युक्त आँकड़ों से ज्ञात होता है कि योजना काल के पिछड़े पाँच वर्षों की तुलना में योजना काल के पाँच वर्षों में पूँजी विनियोग २.५ गुना हुआ। योजना के आवश्यक साधन संचय करने में राष्ट्रीय आय का ३०.५% भाग पूँजी-निर्माण के लिये बचाया गया। इतनी अधिक पूँजी की राशि बचाना केवल समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में ही सम्भव था।

उद्योग—प्रथम योजना में प्रतिवर्ष २०% उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य रखा गया जबकि वास्तविक उत्पादन की वृद्धि २४.४% रही। इतनी अधिक उत्पादन-वृद्धि ने समस्त सत्तार को चकित कर दिया। इस उत्पादन के पाँच कारण बताये गये—

१—नवीन विकास होने से यांत्रिक कुशलता का स्तर रूस में बहुत अधिक था। विज्ञान की नवीनतम खोजों के आधार पर उसमें उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने का निश्चय किया गया था।

२—१९१३ के पश्चात् उत्पादन इतना अधिक गिर गया था कि थोड़ी-सी वृद्धि से उत्पादन प्रतिशत ऊँचा उठ जाता था।

३—प्रबल केन्द्रीय नियन्त्रण के अन्तर्गत रूस के उद्योगों में उत्पादन की मात्रा योजना द्वारा निर्धारित की जाती है और यह मात्रा उतनी ही होती है, जितनी ऋण-शक्ति उपभोक्ताओं के हाथों में दी जाती है। इस प्रकार उद्योगों पर माँग के उतार-चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ता है।

४—रूस मे वस्तुओं के प्रमापीकरण को विशेष महत्त्व दिया गया और उत्पादन के साधनों को कम प्रकार की अधिक वस्तुयें उत्पादित करने के लिये विनियोजित किया गया जबकि अन्य उन्नतशील राष्ट्रों मे वस्तुओं के प्रकार बढ़ाने मे साधनों का व्यय होता है ।

५—मुद्रा और साख पर पूर्ण नियन्त्रण होने से राज्य इच्छानुसार वस्तुओं के उत्पादन को निश्चित सीमाओं मे नियन्त्रित रखता है ।

रूसी योजनाओं के लक्ष्य इतने गतिशील होने हैं कि प्रायः उनको प्रतिवर्ष घटाया-बढ़ाया जाता है । योजना काल मे कोयले के उत्पादन मे २१२*१% तथा पेट्रोल मे १८१*५% की वृद्धि हुई । विद्युत् एव मशीन तथा लोहा एव इस्पात उद्योगो पर विशेष ध्यान दिया गया । लगभग ३० भट्टियाँ (Blast-furnaces) स्थापित की गयी जिनमे प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता दो लाख टन प्रतिवर्ष थी । इसी प्रकार इजिन, रेल के डिब्बे और जहाज-निर्माण तथा कृषि-औजार उद्योगो की अत्यधिक उत्पत्ति हुई ।

श्रम—श्रम के क्षेत्र मे प्रथम योजना मे आशा से अधिक सफलता प्राप्त हुई । शीघ्र औद्योगिक विकास के कारण १९३० तक बेकारी की समस्या समाप्त हो गयी और श्रम की कमी का युग प्रारम्भ हो गया । १९२८ मे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था मे लगे हुए श्रमिक एव कर्मचारियों की सख्या १,१५,३६,००० थी जो १९३४ मे बढ़ कर २,३६,८१,२०० हो गई^१ । १९३० के बाद से श्रमिकों की इतनी माँग बढ़ी कि शीघ्र काम करने से इन्कार करना एक अपराध बन गया । योजना काल मे निरन्तर औद्योगिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के प्रत्येक उपाय किये गये । श्रमिकों की कमी की पूर्ति करने हेतु स्त्रियों को बड़ी सख्या मे घर के बाहर कामो मे आकर्षित किया गया । कारीगरों की कुशलता तथा परिश्रम मे उन्नति करने के लिये समाजवादी प्रतिस्पर्धा (Socialist Competition) का सिद्धान्त अपनाया गया जिसने प्रत्येक कारीगर मे अधिकतम उत्पादन करने की इच्छा जागृत हुई । इसके लिये अनेक प्रकार के आर्थिक एवं दूसरे प्रलोभन दिये गये । बेतन की दर ने वृद्धि से भी अधिक प्रभावशील प्रतिष्ठा व राजकीय सम्मान सिद्ध हुआ जिसे सार्वजनिक रूप से बड़े धूमधाम से प्रदान किया जाता था । इन^१ सबके साथ मजदूरों पर प्रवचक तथा मजदूर सघों का अनुशासन बड़ी कठोरता से किया गया ।

1. Voznesensky: *The Economy of U. S. S. R. During World War II*, p. 7.

व्यापार—वस्तु विनिमय एवं उपभोग की सर्वथा नवीन व्यवस्थायें अपनायी गयीं। योजना की पूर्णता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपभोग पर पूर्ण नियन्त्रण कर दिया गया। इसके अन्तर्गत राज्य ने संयोजित रूप से बिकने योग्य वस्तुओं का बंटवारा तथा जनता के उपभोग का संचालन अपने हाथों में ले लिया। नागरिक उपभाग की सीमाएं प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों के महत्त्व तथा मात्रा पर आधारित की जाने लगीं। अधिकतम प्रयास करने वाले को उपभोग सामग्री अधिक दी जाने लगी। उपभोग की सामग्री का मूल्य-निर्धारण इस प्रकार होता था कि जनता की मांग उन्हीं वस्तुओं के प्रयोग तक सीमित रहे जो देश सुविधापूर्वक बना सकता है। इस प्रकार मूल्य-निर्धारण का एक लक्ष्य यह भी था कि जनता के हाथों से अधिक से अधिक आय राज्य के पास आ जाये। वचत का यह तरीका रूस की विशाल पूंजी निर्माण का एक मुख्य कारण था।

योजना में यातायात के साधनों के सुधार को विशेष स्थान नहीं दिया गया। साम्यवादी पार्टी के सत्रहवें अधिवेशन १९३२ में अधिवसित यातायात को प्रथम योजना की सबसे बड़ी दुर्बलता बताया गया। मजदूरों की कम उत्पादन-क्षमता और वस्तुओं की ऊंची लागत का हल प्रथम योजना में नहीं मिला। वेतन प्रणाली की त्रुटियों और अनुभवहीन इंजीनियरों तथा कारीगरों की कमी इसका मुख्य कारण था। परन्तु प्रथम योजना में रूस की कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था को उद्योग प्रधान अर्थ-व्यवस्था में परिणत कर दिया गया। योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय का ५७.५% उद्योगों, यातायात तथा निर्माण से और २२.६% कृषि से प्राप्त हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१९३३-१९३७)—१९३१ के पश्चात् जर्मनी में हिटलर का प्रभाव बढ़ने लगा। हिटलर के भाषणों और उसकी पुस्तक 'मेरा संघर्ष' (Mein Kampf) से स्पष्ट हो गया था कि जर्मनी वार्सलोज की संधि (Treaty of Versailles) का विरोध करेगा और क्षति-पूर्ति (Reparation) की शर्तों के अनुसार हर्जाना नहीं देगा। इसके अतिरिक्त हिटलर यूरोप के उन सभी हिस्सों पर अधिकार करेगा जो जर्मनी से वार्सलोज सन्धि के अन्तर्गत छीन लिये गये थे। इन सबसे दूसरे महायुद्ध की आशंका का संकेत स्टालिन को होन लगा। यही कारण था कि रूस की दूसरी पंचवर्षीय योजना में युद्ध-सामग्री का उत्पादन और सैनिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया। दूसरे महायुद्ध में रूस की विजय का एक कारण दूसरी योजना का सैनिक उत्पादन था।

उद्योग—द्वितीय योजना में औसत उत्पादन के कार्यक्रम को कुछ घटा दिया गया क्योंकि इस योजना के अधूरे निर्माण-कार्यों पर अधिक पूँजी लगाने की आवश्यकता थी। वस्तु उत्पादन का प्रमापीकरण इस योजना के औद्योगिक समूहों की विशेषता थी। यह निश्चित किया गया कि प्रमापीकरण से अधिकतर साधन तथा श्रम की बचत की जा सकेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केवल चार प्रकार के ट्रेक्टर बनाये गये जबकि समुक्त राज्य अमेरिका में ८० प्रकार के ट्रेक्टर बनाये जाते थे। इसी प्रकार १६२४ में २६०० प्रकार के कपडे तैयार किये जाते थे जिन्हे घटाकर १८७ प्रकार का कर दिया गया। इसी योजना में देश की यांत्रिक कुशलता का बड़े पैमाने पर विस्तार करने का प्रयत्न किया गया क्योंकि इसके द्वारा ही बड़े पैमानों की नवीनतम मशीनों का उत्पादन एवं उपभोग सम्भव हो सकता था। इस योजना में ३,६६,६०० विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया गया। इंजीनियरों की संख्या में ७७ गुनी, वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं की ७१ गुनी तथा कृषि विशेषज्ञों की ५ गुनी वृद्धि हुई।

श्रमिक कुशलता और प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि के लिये दो कदम उठाये गये। प्रथम स्तालिन के प्रसिद्ध नारे 'सब निर्णय कर्मचारी करें' (Personnel Decide Everything) को अपनाया गया। इससे दो फायदे हुए। प्रथम, कारखानों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो गया और द्वितीय, कर्मचारियों में कारखानों के प्रति अपनेपन की भावना जागृत हो गयी। दूसरा कदम स्ताखनोव आन्दोलन (Stakhanov Movement) से प्रारम्भ हुआ। स्ताखनोव कोयले की खान में कार्य करने वाला भजदूर था। अपनी खोज द्वारा इसने एक पारी (Shift) में सात टन कोयले खोदने के स्थान पर १४२ टन कोयला खोद दिया। एक मास के अन्तर्गत ही इस नयी प्रणाली से एक पारी में २२७ टन कोयला खोदा गया। राज्य द्वारा इसका अनुकरण प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में होने लगा और इस आन्दोलन के अन्तर्गत उत्पादन में ३०२% की वृद्धि हुई।

इस योजना में प्रथम चार उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि को कुछ महत्व दिया गया (परन्तु भारी उद्योगों के महत्व को कम नहीं किया गया)। उपभोग की सामग्री के प्रकार (variety) बहुत कम कर दिये गये परन्तु उनकी उत्पादन मात्रा बढ़ा दी गयी। राजनैतिक शुद्धि (Political Purge) के कारण देश में गहरा असन्तोष था जिसको शान्त करने हेतु यह चूट दी गयी।

कृषि—द्वितीय योजना में कृषि क्षेत्र के नवीन सोवियत संगठन को और पुष्ट बनाने का प्रयत्न किया गया। सामुदायिक कृषि की प्रगति ने किसानों का सन्तुलन बिगाड़ दिया था। सहानुभूति, कृषि संगठन में एकरूपता तथा समान नियंत्रण लाने हेतु फरवरी १९३५ में कृषि आर्टेल के आदर्श नियम (Model Rules of Agricultural Artel) बनाये गये। इनके अन्तर्गत कृषि-पद्धति, भूमि, उत्पादन का बंटवारा, प्रबन्ध, सदस्यता, कोष तथा श्रमिक अनुशासन आदि सभी अंगों के लिये नियम बनाये गये जिनके आधार पर देश की सामुदायिक कृषि को संगठित किया जा सके। इन नियमों से किसानों में आलस्य तथा गैर-जिम्मेदारी, अरुचि के साथ काम करना आदि गूटियों को दूर करने में बड़ी सहायता मिली। अनाज बसुली के सिद्धान्तों में भी सुधार किये गये। इसको प्रति एकड़ उत्पादन का पूर्व निश्चित अंश बना दिया गया जिससे किसानों को अधिक उत्पादन करने में कोई रुकावट नहीं रही। कुलक वर्गों के उन्मूलन की कार्यवाहियाँ चलती रहीं। व्यक्तिगत किसानों से सामुदायिक खेतों के किसानों की तुलना में अधिक वर लिया जाता था। सरकार को देने के पश्चात् किसान के पास जो अनाज बचता था, उसे खुले बाजार में बेचा जा सकता था। इससे राशनिंग और अन्न-वितरण की समस्या सदा को हल हो गयी। १९३३ में स्टालिन के विख्यात नारे का जन्म हुआ—“समस्त सामुदायिक किसानों को समृद्ध बनाओ”। स्टालिन का यह विचार था कि पहिले किसान दूसरों की मेहनत से, बेईमानी से तथा पडोसियों का शोषण करके समृद्ध बनने का प्रयत्न करते थे जिससे वे पूँजीवादी अथवा कुलक बन सकें। नयी सोवियत प्रणाली में किसान केवल ईमानदारी और परिश्रम के साथ अपना कार्य करता है। अतः सामुदायिक खेतों के किसान को समृद्धशाली बनने का पूर्ण अधिकार है। इस नवीन प्रणाली के अन्तर्गत किसान को पशु व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रखने का अधिकार मिला तथा एक छोटा खेत भी व्यक्तिगत रूप में दिया गया जिस पर किसान अपनी आवश्यकता की वस्तु उत्पन्न कर सके।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (१९३८-१९४२)—यह योजना उस समय बनायी गयी जब द्वितीय महायुद्ध की सम्भावनाएँ अत्यधिक थीं और रूसी नियोजकों ने इन योजना में देश की रक्षा की आवश्यक सामग्री के उत्पादन एवं संग्रह को विशेष महत्व दिया। इस योजना के निम्न चार महत्वपूर्ण तत्व थे—

(१) यातायात—७००० मील लम्बी नवीन रेलवे लाईन डालने (जबकि द्वितीय योजना में केवल २५०० मील लम्बी लाईन डाली गयी थी), ५००० मील लम्बी लाईन को दोहरा करना तथा १२०० मील लम्बी लाईन का विद्युत्करण

करने का आयोजन किया गया। जल एव सड़क यातायात के विकास का भी आयोजन किया गया।

(२) अलौह (Alloy) धातुओं के शोधन के उद्योगों जैसे एल्युमिनियम (Aluminium), जस्ता (Zinc), सीसा (Lead), निकल (Nickle) आदि के विकास को विशेष महत्त्व दिया गया।

(३) इस्पात तथा मशीन-निर्माण उद्योगों का और अधिक विकास, तथा

(४) रसायन उद्योगों के विकास को विशेष महत्त्व दिया गया और यह नारा बुलन्द किया गया कि 'तृतीय योजना को रसायन योजना बनाओ।'

प्रथम दो योजनाओं ने रूस की संयोजित अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ बना दिया। अतः मोलोटोव ने तृतीय योजना के उद्देश्यों का जिक्र करते हुये कहा कि यह योजना समाजवाद को साम्यवाद में बदल देगी। १९३६ के मूल्यों पर आधारित अनुमानों के अनुसार इस योजना पर १६२ मिलियर्ड (१ मिलियर्ड = हजार मिलियन) रूबल का व्यय पूँजी के क्षेत्र में रखा गया। इसमें १११.६ मिलियर्ड रूबल उद्योगों पर व्यय होना वाला था। औद्योगिक उत्पादन में १२.४% प्रतिवर्ष वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। भारी उद्योगों की प्राथमिकता पूर्वतः बनी रही। समाजवादी प्रतिस्पर्धा उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित हो गयी। इसके अतिरिक्त राज्य की ओर से आर्थिक आधिकारितोषिक देन की नीति अपनायी गयी। किसी कारखाने में अनासे अधिक उत्पादन होने पर उस कारखाने से सम्बन्धित राजनीतिक नेताओं, प्रबन्धकों तथा मजदूर सभी को उदार अर्थ-राश के रूप में आर्थिक आधिकारितोषिक दिये जाते थे। नेताओं की प्रेरणा, प्रबन्धकों का कौशल एव मजदूरों का परिश्रम वैज्ञानिकों से सहायता पाकर श्रम उत्पादन में लगभग ६५% की वृद्धि का कारण बने। औद्योगिक उत्पादन में ८८.५ मिलियर्ड रूबल की वृद्धि हुई।

तृतीय योजना में कारखानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बहुत जोर दिया गया। मंत्रिक मूल्यांकन, व्यवस्थित लेखा, और लाभपूर्ण उत्पादन की मदद से यह उद्देश्य निर्दिष्ट किया गया कि प्रत्येक कारखाना आर्थिक आवश्यकताओं को बिना राजकीय सहायता के पूरा करले। इससे राज्य पर आर्थिक दबाव तथा कारखानों के प्रबन्ध में लापरवाही—दोनों पर नियंत्रण हो गया। उत्पादन लागत एव राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य के अन्तर से होने वाली हानि को राज्य पूरा करता था।

तृतीय योजना लगभग ३.५ वर्षों तक चली। परन्तु इतने ही समय में सोवियत उद्योगों में भारी प्रगति हुई। औद्योगिक उत्पादन में प्रतिवर्ष १३% वृद्धि हुई। बड़े उद्योगों का विशेष विकास हुआ। देश के पूर्वी भाग में ३ वर्षों

में विशेष औद्योगीकरण हुआ। यूरेल, बोल्गा क्षेत्र, साईबेरिया, मध्य एशिया और कज़खस्तान का औद्योगिक उत्पादन ३ साल में लगभग ५०% बढ़ गया। दक्षिणी पूर्वी प्रदेशों में विज्ञान की सहायता से अपूर्व अन्न उत्पादन किया गया। सामुदायिक कृषि अपना लगभग पूर्णरूपेण प्रभाव जमा चुकी थी। पूंजी-निर्माण कार्य (Capital Construction Programme) में १३० मिलियर्ड रूबल का काम हुआ। इसका ३ भाग देश के पूर्वी भाग को विकसित करने पर व्यय किया गया। इसके अन्तर्गत लगभग २००० राजकीय मिस-कारखाने, विजलीघर तथा दूसरे उद्योगी ने उत्पादन प्रारम्भ किया। पूर्वी क्षेत्रों के विकास का महत्व सबट के आने के पूर्व ही समझ लिया गया और इसीलिए रूस द्वितीय महायुद्ध में विजयी हो सका। हिटलर के आक्रमण के पश्चात् केवल एक वर्ष में लगभग एक हजार तीन सौ बड़े कारखाने बढ़ती हुई जर्मन सेनाओं के सामने से उखाड़ कर एक हजार मील पूर्व में पुनर्स्थापित किये गये।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (१९४६-१९५०) — इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे—

१—युद्धकालीन विध्वंस का पुनर्निर्माण।

२—१९३९-४० का उत्पादन-स्तर कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्र में प्राप्त करना।

३—उत्पादन स्तर को १९३९-४० से भी यथा सम्भव अधिक बढ़ाना।

४—भारी उद्योगों एवं रेल यातायात के विकास की प्राथमिकता बनाये।

५—जनता के कल्याण हेतु कृषि एवं उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों का विस्तार एवं विकास।

६—पूंजी का शोध संचय तथा

७—श्रम की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि।

योजना के पाँच वर्षों में पूंजी का वित्तियोग २५० बिलियन डालर निर्धारित किया गया जो कि राष्ट्रीय आय का लगभग ३०% था।

इस योजना के विभिन्न लक्ष्य निम्न थे—

१—इस्पात के उत्पादन में १९४० के स्तर से ५०% वृद्धि १९५० तक प्राप्त करना। ४५ इस्पात भट्टियाँ (Blast furnaces), १६५ खुली भट्टियाँ (Open Hearth Furnaces), १५ कनवर्टर (Converter), और ६० बिजली की भट्टियाँ बनायी जानी थी। इन सबका उत्पादन १६ मिलियन टन इस्पात से भी अधिक था।

२—महायुद्ध के पूर्व के स्तर से शीशे के उत्पादन में योजना के अन्त

तक ५०% वृद्धि करना। दक्षिण-पूर्व में कोयले की नयी खानों का पता लगाया गया। १९४६-५० तक १८३ मिलियन टन कोयला पैदा करने वाली खानें उत्पादन करने लगीं।

३—पेट्रोल के उत्पादन को १९४९ तक महायुद्ध के पूर्व के स्तर तक लाना तथा १९५० में इससे अधिक उत्पादन करना।

४—विद्युत उत्पादन में १९४० के स्तर से ७०% अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया।

५—मशीन-निर्माण उद्योगों की उत्पादन क्षमता १९४० के स्तर से दुगनी करनी थी।

६—रसायन उद्योग के उत्पादन स्तर को १९४० की तुलना में दुगना करना था।

७—राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विध्वंस हुये यातायात का पूर्ण निर्माण तथा उसका विस्तार करना।

८—कृषि उत्पादन में १९४० के स्तर से २७% वृद्धि का लक्ष्य था।

९—वहन एवं अन्य छोटे उद्योगों के उत्पादन को १९४० के स्तर पर लाकर उसे आगे बढ़ाने का लक्ष्य था।

योजना के लक्ष्यों की पूर्ति अनुमान से अधिक हुई और योजना की पूर्ति में ५ वर्ष के स्थान में ४ वर्ष एवं ३ मास ही लगे। लक्ष्यों की पूर्ति निम्न प्रकार रही—

तालिका स० ४—चतुर्थ योजना में लक्ष्यों की पूर्ति^१

	१९४०	१९५०	
		योजना का लक्ष्य वास्तविक पूर्ति	
(१) १९२६-२७ के मूल्यों पर			
राष्ट्रीय आय	१००	१३८	१६४
(२) मजदूर एवं कर्मचारी	१००	—	१२६
(३) औद्योगिक उत्पादन	१००	१४८	१७३
(४) रेल यातायात	१००	१२८	१४६
(५) विद्युत शक्ति	१००	१७०	१८९

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (१९५०-१९५५)—रूसी अर्थशास्त्री प्रयत्नशील थे कि देश में विकास की गति इतनी अधिक रखी जाय कि १० या १५ वर्षों में कुल उन्नति उतनी हो जाय जितनी विश्वयुद्ध न होने पर सम्भव

हो सकती थी। पंचम पंचवर्षीय योजनाएँ औद्योगिक उत्पादन में ७२% वृद्धि करने का लक्ष्य था जबकि वास्तविक उत्पादन वृद्धि ८५% हुई थी। पूंजी के साधनों में ५ वर्षों में ८०% वृद्धि का लक्ष्य था जबकि विशेष प्रयत्नों द्वारा यह वृद्धि ११% हुई थी। उपभोग की सामग्री के उत्पादन में ६५% वृद्धि का लक्ष्य था और वास्तविक वृद्धि ७६% हुई थी। विशेष ध्यान देने की बात यह थी कि मुद्र के पश्चात् उत्पादन तथा उपभोग की सामग्री के उत्पादन की वृद्धि समानता की ओर बढ़ रही थी। उत्पादन की वृद्धि की गति पूंजीवादी देशों के विकास की तुलना में लगभग ५०% अधिक थी। १९५०-१९५५ के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास की गति की तुलना में रूस की प्रगति दुगुनी थी।

पंचम योजना में पूंजी विनियोग की मात्रा ६८६.७ मिलियर्ड रुबल थी। यह विनियोग प्रथम योजना का १० गुना से भी अधिक था। यह योजना लगभग ४ वर्ष और ४ माह में पूरे कर ली गयी थी। योजना की सफलता निम्न प्रकार रही^१—

तालिका सं० ५—पांचवी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति

	१९५०	योजना का लक्ष्य	वास्तविक पूर्ति
(१) राष्ट्रीय आय	१००	१६०	१६८
(२) रोजगार	१००	११५	१२०
(३) औद्योगिक उत्पादन	१००	११७	१८५
(४) भारी उद्योग	१००	१८०	१९१
(५) अन्य उद्योग	१००	१६५	१७६
(६) विद्युत शक्ति	१००	१८०	१८७

इंजीनियरिंग उद्योग में १२०% वृद्धि हुई। तेल का उत्पादन ८०%, कच्चा लोहा ७४% और कोयले का उत्पादन ५०% बढ़ा। स्तालिन की मृत्यु के पश्चात् कृषि का विकास तथा उपभोग के उद्योगों का महत्व राज्यशक्ति के झगड़ों का केन्द्र बन गये और १९५३ तक कृषि उत्पादन में नाममात्र की वृद्धि हुई। परन्तु इसके पश्चात् कृषि पर पूरा ध्यान दिया गया और इसके उत्पादन में १००% की वृद्धि हुई।

छठी पंचवर्षीय योजना (१९५६-१९६०)—फरवरी १९५६ में कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में रूसी शासन में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गये तथा आर्थिक ढाँचे को पुनर्संगठित करने का निश्चय किया गया। इसके साथ ही छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को स्वीकार किया गया। इस योजना के

1. Strumilin : *Planning in the Soviet Union*, p. 54.

सक्ष्य अव्यवहारिक थे और उनमे कई बार परिवर्तन किये गये। योजना का अन्तिम लक्ष्य जनसमुदाय के जीवन-स्तर मे पर्याप्त वृद्धि करना था जो कि अर्थ-व्यवस्था का सर्वतोमुखी विकास करके प्राप्त करना था। औद्योगिक उत्पादन मे ६५% वृद्धि करने का लक्ष्य था। उत्पादक उद्योगो के उत्पादन मे ७०% तथा उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन मे ६०% वृद्धि का निश्चय किया गया। निकेता ख्रुश्चेव ने रूसी इतिहास मे प्रथम बार उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन पर अत्यधिक जोर दिया। उन्होने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि रूस के पास बहुत शक्तिशाली भारी उद्योग स्थापित हो चुके हैं और अब यह सम्भव है कि उपभोक्ता वस्तुओ के उत्पादन को बढ़ाया जाय। इस योजना के लक्ष्य निम्न प्रकार थे—

१—इस्पात के १९५५ के उत्पादन ४५ मिलियन टन को बढ़ाकर ६८ मिलियन टन करने का लक्ष्य था जो महायुद्ध के पूर्व के स्तर से ३७ गुना अधिक था।

२—कोयले के उत्पादन मे १९५५ के स्तर से ५२% वृद्धि, तेल के उत्पादन को दुगुना तथा गैस के उत्पादन को ४ गुना करने का निश्चय किया गया।

३—विद्युत शक्ति के १९५५ के उत्पादन १,७०,००० मिलियन K.W. H. को बढ़ा कर १९६० तक ३,२०,००० मिलियन K.W.H करने का लक्ष्य रखा गया।

४—इजीनियरिंग तथा धातु उद्योगो मे अत्यधिक वृद्धि करना था।

५—उद्जन शक्ति (Atomic Power) का उत्पादन दो से ढाई मिलियन K.W.H. करना था तथा एक उद्जन शक्ति से चलने वाले इजन, जिसमें बर्फ तोडने का यंत्र लगा हो, का निर्माण करना था। इसके साथ ही उद्जन शक्ति का उपयोग कृषि, औषधि तथा अन्य वैज्ञानिक एवं शोध-कार्य के लिए होना था।

६—उपभोक्ता सामग्री के अन्तर्गत सूती वस्त्र उत्पादन मे २०%, ऊनी वस्त्र उत्पादन मे ५०% तथा रेशमी वस्त्र उत्पादन मे १००% वृद्धि करनी थी। रेडियो तथा टेलिविजन सेट के उत्पादन मे १५.०% से भी अधिक वृद्धि का लक्ष्य था।

७—खाद्य सामग्री के उत्पादन मे महत्वपूर्ण वृद्धि करने का लक्ष्य था। मांस के उत्पादन मे ७८%, मछली के उत्पादन मे ५७%, शक्कर के उत्पादन को दुगुना, अन्य फसलो के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि करने का लक्ष्य था।

८—पूँजी निर्माण व्यय योजना काल मे ६६०,००० मिलियन रूबल रखा गया जो प्रथम योजना के दिनियोजन का १८ गुना था।

छठी योजना का अंतिम लक्ष्य जीवन स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि करना था। राष्ट्रीय आय में ६०% वृद्धि, औद्योगिक एवं अन्य श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में ३०% वृद्धि तथा सामुदायिक खेतों के किसानों की औसत रोकड़ आय में ४०% वृद्धि करने का लक्ष्य था। छठी योजना के अन्तर्गत विभिन्न भदों में वार्षिक वृद्धि निम्न प्रकार हुई—

तालिका स० ६—सोवियत अर्थ-व्यवस्था की वार्षिक उन्नति दर

छठी योजना की वृद्धि की वार्षिक प्रतिशत

(१) राष्ट्रीय आय	१००
(२) औद्योगिक उत्पादन	१०५
(३) उत्पादन के साधनों का उत्पादन	११०
(४) उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन	१०७
(५) कृषि उत्पादन	११०
(६) श्रम उत्पादकता	
(अ) उद्योग	८४
(ब) निर्माण	८७
(स) कोलखोज	१४६
(७) फुटकर व्यापार	८४
(८) रेल यातायात	७३

सातवीं पंचवर्षीय योजना (१९५६-१९६५)—रूस की छठी पंचवर्षीय योजना पूरे पाँच वर्ष नहीं चली और १९५६ में सातवीं योजना की घोषणा कर दी गयी। कम्युनिस्ट पार्टी के २१ वें अधिवेशन में इस योजना को स्वीकार किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि रूसी उत्पादन उद्योग एवं कृषि दोनों ही क्षेत्रों में इतना बढ़ाया जाय कि रूसी नागरिक सुविधापूर्वक जीवन बिता सकें। वास्तव में यह योजना १५ वर्षीय साम्यवादी निर्माण का एक भाग है। योजना के मुख्य उद्देश्य थे अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विकास जिसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती थी तथा देश के सम्भावित अर्थ साधनों में पर्याप्त वृद्धि जिसमें जनता के जीवन में निरन्तर सुधार होता रहे। योजना के मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

१—राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का द्रुत गति से एवं सतुलित विकास।

२—राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु लोहे एवं अलीह धातुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि।

३—रसायन उद्योग का शीघ्र विकास।

४—ईंधन क्षेत्र में सस्ते ईंधनों जैसे तेल एवं गैस के निकालने एवं उत्पादन की प्राथमिकता।

५—बड़े पैमाने के विद्युत शक्ति के थर्मल स्टेशन बनाकर राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की समस्त शाखाओं में विद्युत शक्ति का विकास ।

६—रेलो का तांत्रिक पुनर्निर्माण जिसमें इनको विद्युत शक्ति तथा डीजल द्वारा चलाया जा सके ।

७—कृषि के सभी क्षेत्रों में और विकास जिससे देश की खाद्यान्न एवं कृषि के कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ।

८—गृह-निर्माण का तीव्र विकास जिससे मजदूर-वर्ग के मकानों की कमी दूर की जा सके ।

९—सात वर्षों में देश के प्रचुर प्राकृतिक साधनों की खोज एवं विकास । लाभपूर्ण उत्पादन शक्ति का बँटवारा करने का प्रयत्न किया जायगा जिससे प्रत्येक क्षेत्र विकसित हो और उद्योग, कच्चा माल, ईंधन, बाजार के अधिकतम निकट पहुँचाये जायें । पूर्वी रूत के विकास को विशेष स्थान दिया जाय ।

पूँजी-निर्माण एवं विनियोजन—सन् १९५६-६५ के दौरान में राज्य द्वारा लगायी रूसी पूँजी सन् १९४० से १९७० मिलियर्ड रूबल होगी । यह विनियोजन लगभग उतना ही होगा जितना कि सन् १९१७ से १९५८ के मध्य विनियोजन किया गया था । विनियोजन सम्बन्धी यह सिद्धान्त निश्चित किये गये कि जहाँ पर नवीन प्राकृतिक साधनों का पता लगे, वहीं नवीन कारखानों की स्थापना की जाये । इस वर्ग में तेल, गैस, विद्युत, खनिज पदार्थ आदि सम्मिलित किये गये । निर्माण उद्योगों में नवीन कारखानों पर पूँजी न लगा कर वर्तमान कारखानों के आधुनिकीकरण व पुनर्संगठन को अधिक लाभप्रद समझा गया । सन् १९५६-६५ के मध्य कुल पूँजी विनियोजन में ८०% की वृद्धि होगी । लगभग १०० मिलियर्ड रूबल लोहे एवं इस्पात उद्योगों में विनियोजित किये जायेंगे । तेल एवं गैस उद्योग के विकास के लिये १७०-१७३ मिलियर्ड रूबल और विद्युत उत्पादन पर १२५-१२६ मिलियर्ड रूबल खर्च होगा । हल्के एवं साद्य उद्योग में पिछले सात वर्षों में दुगुनी प्रगति की आयगी । मकान-निर्माण के लिये ३७५-३८० मिलियर्ड की राशि तय की गयी । कृषि के क्षेत्र में राज्य ने १५० मिलियर्ड रूबल लगाने की व्यवस्था की है । इसके अतिरिक्त सामुदायिक फार्मों को भूमि तथा पशु-उत्पादन से उत्पन्न पूँजी कृषि विकास में लगायी जायेगी । यह अनुमान था कि इन साधनों से कृषि क्षेत्र पर ३४५ मिलियर्ड रूबल व्यय किया जायगा । इस प्रकार कृषि के विकास के लिये समस्त राशि ५०० मिलियर्ड रूबल निर्धारित की गयी ।

कृषि—सातवीं योजना इस बात का प्रयत्न करेगी कि कृषि की उन्नति और

समाजवादी उत्पादन में और अधिक धनिष्टता उत्पन्न की जा सकेगी। इसका तात्पर्य यह होगा कि राजकीय फार्म और कोलखोज राष्ट्र की समाजवादी सम्पत्ति होने के नाते एकरूपता की ओर अग्रसर होंगे। इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु सामुदायिक फार्म पद्धति की उन्नति, उसके स्टाक में वृद्धि, अविभाजनीय कोप का विकास व उचित सामाजिक प्रयोग, सामूहिक फार्मों में पारस्परिक सहयोग द्वारा औद्योगिक उत्पादन करना तथा बिजलीघर, नहरें, कृषि उत्पादन का संग्रह, स्कूल एवं अस्पताल बनवाना आदि कार्यवाहियाँ की जायेंगी। नवीन नीति का आशय यह प्रतीत होता है कि भविष्य में कोलखोज और सोवसाज के मिलाने का निश्चय किया गया है। राजकीय फार्मों का स्थान समाजवादी कृषि में और ऊँचा कर दिया गया है। यह अपन आदर्श प्रबन्ध, कम लागत पर उत्पादन और श्रम तथा साधनों में बचत का प्रतीक बन कर सामने आयेंगे। इनके प्रबन्ध संगठन में श्रम का प्रत्यक्ष सहयोग और भी बढ़ा दिया जायगा। प्रत्येक क्षेत्र में जलवायु तथा भूमि को देखते हुये उत्पादन में विशिष्टीकरण किया जायगा जिससे राजकीय फार्म अधिक लाभप्रद बनाये जा सकें। इस योजना के कृषि सम्बन्धी लक्ष्य इस प्रकार हैं—

१—अन्न के उत्पादन में १६०-१८० मिलियन टन की वृद्धि।

२—रासायनिक खाद का उत्पादन सन् १९५८ के स्तर १०६ मिलियन टन से बढ़ कर सन् १९६५ तक ३१ मिलियन टन हो जायगा।

३—औद्योगिक फसलों के उत्पादन में इस प्रकार वृद्धि के लक्ष्य हैं। कपास ५.७ से ६.१ मिलियन टन अथवा सन् १९५७ से ३५ से ४५% तक की वृद्धि, चुकन्दर ७० से ७८ मिलियन टन, तिलहन का उत्पादन ५.५ मिलियन टन हो जायगा अर्थात् ७०% वृद्धि होगी।

४—आलू का उत्पादन सन् १९५७ के उत्पादन ८८ मिलियन टन से बढ़ कर १४७ मिलियन टन हो जायगा।

५—जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सब्जी के उत्पादन में वृद्धि।

६—फल आदि का उत्पादन दुगने करने का लक्ष्य है।

७—मांस का उत्पादन दुगना, दूध का उत्पादन १.७ से १.८ गुना, ऊन का उत्पादन ५,४८,००० टन अथवा १.७ गुना तथा आरुआ का उत्पादन ३३,००० मिलियन टन अथवा १.७ गुना हो जायगा।

कृषि के कुल उत्पादन में सन् १९५८ के उत्पादन की तुलना में सन् १९६५ में १.७ गुना होगा। पशु (Cattle) २०%, गाय ६०% तथा भेड़ें लगभग ५०% बढ़ जायेंगी।

कृषि-कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु सात वर्षों में १० लाख ट्रैक्टर और चार लाख हारवेस्टर और बहुत बड़ी मात्रा में कृषि के अन्य यंत्र बनाने का लक्ष्य है। योजना काल में समस्त सामूहिक फार्मों में विजली पहुँच जायगी जिससे विजली का प्रयोग ३००% बढ़ जायगा। यह भी सम्भावना की जाती है कि सात वर्षों में सामूहिक फार्मों में श्रमिकों की उत्पादन क्षमता दुगुनी कर दी जायगी और राजकीय फार्मों में ६०% से ६५% तक बढ़ जायगी।

उद्योग—सानवी योजना में औद्योगिक विकास सम्बन्धी सिद्धान्तों में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया गया। भारी उद्योगों की सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। रासायनिक उद्योगों को योजना में विशेष महत्व प्राप्त है क्योंकि इसके द्वारा प्राकृतिक साधनों की कमी का पूरा निम्न जा सकता है। समस्त औद्योगिक उत्पादन में ७ वर्षों में ८०% वृद्धि करने का लक्ष्य है जिसमें उत्पादन के साधनों का उत्पादन ८५%-८८% और उपभोग की सामग्री के उत्पादन में ६२%-६५% वृद्धि होगी। औद्योगिक उत्पादन का मूल्य लगभग १३५ मिलियर्ड रुबल होगा जबकि पिछले सात वर्षों में यह उत्पादन ६० मिलियर्ड रुबल प्रति वर्ष था। योजना के विभिन्न लक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

१—१९६५ में ६५ से ७० मिलियन टन पिण्ड लौह तथा ८६ से ९१ मिलियन टन तक इस्पात उत्पन्न करने का लक्ष्य जो १९५८ के उत्पादन से क्रमशः ६५%-७७% एवं ५६%-६५% अधिक होगा।

२—अलौह धातुओं में अल्युमिनियम का उत्पादन २८ गुना, सोपे हूये तंबी का उत्पादन १६ गुना तथा निकिल, मैंगनीज आदि के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी।

३—रसायन उद्योग के उत्पादन में ३ गुनी वृद्धि होगी।

४—१९६५ तक २३० से २४० मिलियन टन तेल निर्यात जायगा, जोकि १९५८ के स्तर का लगभग दुगुना होगा। गैस का उत्पादन ५ गुना तथा कोयले का उत्पादन ५६६-६०६ मिलियन टन अर्थात् १९५८ से २०% से २३% वृद्धि होगी। इसी प्रकार विजली के उत्पादन में २ से २.२ गुनी वृद्धि होगी।

५—मशीन-निर्माण एवं धातु सम्बन्धी उद्योगों में लगभग दुगुना उत्पादन करने का लक्ष्य है।

६—उपभोक्ता सामग्री के अन्तर्गत हलके उद्योगों का उत्पादन सात वर्षों में १३ गुना हो जायगा। सूती वस्त्र का उत्पादन १९५८ के उत्पादन—५८०० मिलीमीटर्स

से बढ़ कर ७७००-८००० मिलीमीटर्स हो जायगा अर्थात् बढ़ कर १३३% से १८८% हो जायगा। ऊनी वस्त्र का उत्पादन ३०० मिलीमीटर्स से ५०० मिलीमीटर्स हो जायगा अर्थात् बढ़ कर १६७% हो जायगा, रेशमी वस्त्र उत्पादन ८१४ मिलीमीटर्स से बढ़ कर १४८५ हो जायगा अर्थात् १८२% की वृद्धि होगी। इसी प्रकार चमड़े के जूते का उत्पादन १४५% बढ़ जायगा।

७—खाद्य सामग्री के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने का लक्ष्य है। मास का १६५८ का उत्पादन २८३० हजार टन से बढ़ कर १६६५ म ६१३० हजार टन अर्थात् २१७% की वृद्धि, मक्खन का उत्पादन ६२७ हजार टन से बढ़ कर १००६ हजार टन अर्थात् १६०% की वृद्धि, ग्रेनुलेटेड (Granulated) शक्कर का उत्पादन ६०१७ हजार टन से बढ़ कर १३५४६ हजार टन अर्थात् २२५% की वृद्धि का लक्ष्य है।

८—घरेलू उद्योग की मशीनें एवं औजारों के उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य है।

९—औद्योगिक श्रमिक के उत्पादन में ४५% से ५०% की वृद्धि होने का अनुमान है।

इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने से रूसी अर्थ-व्यवस्था वस्त्र-उत्पादन, चमड़े के जूते तथा खाद्य सामग्री के उत्पादन में सप्तर के अधिक विकसित पूंजीवादी राष्ट्रों से आगे बढ़ जायगी।

यातायात एवं संचार—मातृकी योजना का एक महत्वपूर्ण विषय रेल एवं वायु यातायात भी है। माल ढोने की क्षमता में रेल यातायात ३६% से ४३% तक वृद्धि करेगा। रेलों में बिजली एवं डीजल शक्ति का अधिक उपयोग किया जायगा। १६५८ में ७४% मालगाड़ियाँ कोयले से चलने वाले इजिन प्रयोग करती थीं जबकि १६६५ में ८२% से ८७% मालगाड़ियाँ बिजली और डीजल इजिन से चलेंगी। नवविकसित पूर्वी औद्योगिक क्षेत्रों—कज़खस्तान, यूराल, वोल्गा तथा साईबेरिया में ट्रान्स साईबेरियन रेलवे के अतिरिक्त दक्षिणी साईबेरिया और मध्य साईबेरिया तक विशाल रेल लाईन का निर्माण होगा। रेल-यातायात के आधुनिकीकरण से माल ढोने की लागत में २२% की कमी होगी।

सात वर्षों में समुद्री जहाज द्वारा ढोये जाने वाले माल की मात्रा दुगनी हो जायगी। नदी यातायात का विकास साईबेरिया के क्षेत्रों में किया जायगा। मोटर गाड़ियों द्वारा ढोये जाने वाले माल की मात्रा में १.६ गुनी वृद्धि होगी तथा मोटर से सफर करने वाली सवारियों की संख्या तीन गुनी हो जायगी। वायुयानों की सवारों की संख्या ५०० प्रतिशत बढ़ जायगी। तेल के वाहन के

रूप में पाइप लाईन का जाल समूचे देश में बिछा दिया जायगा जिसमें तेल वाहन में किसी प्रकार के यातायात की आवश्यकता नहीं रहेगी। पाइप द्वारा तेल ले जाने में ४५% की वृद्धि का आयोजन है।

जन-कल्याण—सातवीं योजना काल में राष्ट्रीय आय ६२% से ६५% तक बढ़ेगी जिससे राष्ट्र की उपभोग क्षमता में ६०% से ६३% की उन्नति होगी। इस प्रकार यह कहना अनुचित न होगा कि वर्तमान योजना में जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने हेतु उपभोग के विस्तार का विशेष प्रयोजन है। मजदूर एवं कर्मचारियों की संख्या में १२० लाख व्यक्तियों की वृद्धि होगी। १९६५ तक इनकी कुल संख्या २६५ लाख हो जायगी। मूल्यों में कमी तथा वेतन, पेन्शन व महायता में वृद्धि होने से मजदूर कर्मचारियों की वास्तविक आय ४०% बढ़ जायगी। उद्योगों को छोड़ कर सामूहिक फार्मों के किसानों की आय भी ४०% बढ़ जायगी। निम्न तथा मध्यम वर्ग के मजदूर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर उच्च वर्ग से विषमता को कम कर दिया जायगा। इसके लिये न्यूनतम वेतन २७० ३५० रुबल प्रति मास से बढ़ा कर ५००-६०० रुबल प्रति मास तक कर दिया जायगा। औद्योगिक स्वास्थ्य तथा कारखानों में मशीनों से रक्षा में प्रगति, मजदूर कर्मचारियों को विशेष सुविधायें, नर्सरी तथा किण्डरगार्टन स्कूल, नि:शुल्क शिक्षा, इलाज, सामाजिक बीमा, बड़े परिवार की माताओं को अनुदान, पेन्शन, वृद्ध लोगों के लिये विश्राम भवन इत्यादि पर राजकीय व्यय २१५ मिलियर्ड रुबल (१९५८) से बढ़ाकर ३६० मिलियर्ड रुबल कर दिया जायगा। कम्युनिस्ट पार्टी के २०वें अधिवेशन के अनुसार ५ दिन प्रति सप्ताह में ६ से ७ घण्टे का कार्यकाल माना गया है। खानों में काम करने वाले कर्मचारियों का कार्यकाल ६ घण्टे कर दिया जायगा।

(आ) सोवियत नियोजित अर्थ-व्यवस्था एवं संगठन

रूस की नियोजित अर्थ-व्यवस्था मार्क्सवाद पर आधारित है। इस व्यवस्था में निजी सम्पत्ति का उन्मूलन करना रूसी योजना का मुख्य लक्ष्य है। उत्पादन के प्रत्येक साधन पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व है जिससे लाभोपार्जन हेतु होने वाले सामाजिक शोषण को रोकने का प्रयत्न किया जा सकता है। भविष्य में धन-सम्पत्ति एकत्रित करने को रोकने के लिये बहुत से उपाय किये गये हैं। उत्तराधिकार के नवीन नियमों से धन-सम्पत्ति के हस्तान्तरण को कम से कम करा दिया गया है। उद्योग व्यापार तथा कृषि में निजी सम्पत्ति का उपार्जन प्रायः समाप्त हो गया है। नवीन आर्थिक नीति के फलस्वरूप ब्याज, लाभ तथा किराया पाना असम्भव तथा अवैधानिक बन गया है। उत्पादन के साधनों पर राज्य स्वामित्व या सामुदायिक स्वामित्व

अर्थ यह नहीं कि सभी उत्पादन का काय केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकार अलायें अर्पितु कुछ प्रमुख को छोड़ कर अन्य उद्योगों को राज्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं चलाता। वे सहकारी तथा व्यक्तिगत क्षत्र के नियम छोड़ दिये गये हैं परन्तु इन पर राज्य का पूरा और प्रत्यक्ष निर्देशन रहता है। निजी सम्पत्ति के उन्मूलन का अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत सम्पत्ति केवल उपभोग के लिये रख सकता है न कि उत्पादन के लिये। कृषि क्षत्र में सामुदायिक किसानों को थोड़ी व्यक्तिगत भूमि रखने का भी अधिकार है जिसकी उपज उनकी निजी आय होती है।

सामुदायिक निर्णय एवं साधनों का बंटवारा—पूँजीवाद में आर्थिक साधनों का बंटवारा उपभोक्ताओं की रचि के अनुसार अस्तरय व्यापारियों के निर्णय द्वारा होता है। व्यक्तिगत उपभोक्ता, उत्पादक पूँजीपति व्यापारी तथा कितन ही मध्यस्थों में स्वायत्त सघर्ष (Clash of Interests) होना पूँजीवाद का मुख्य लक्षण है। इस स्वायत्त सघर्ष से बचने के लिये सोवियत रूस ने बड़े-बड़े केंद्रीय संचालन तथा निर्णय का मांग अपनाया। रूस में समस्त आर्थिक निर्णय तथा लक्ष्य निर्धारण व्यक्तिगत प्रभाव से हटा कर एक केंद्रीय संस्था को सौंप दिये गये हैं। इस केंद्रीयकरण के फल स्वरूप व्यक्तिगत एवं वर्गों के स्वार्थपूर्ण हितों का स्थान देश और समाज के हित में ले लिया अर्थात् समस्त आर्थिक निर्णय एवं लक्ष्य समस्त देश एवं समाज के हित को दृष्टिगत कर केंद्रीय अधिकारों द्वारा किये जाते हैं। इस व्यवस्था में उपभोक्ता की रचि उसकी मात्रा गुण एवं प्रकार को उचित सीमाओं में बाँधना पड़ता है। राशनिंग, उपभोग के साधनों की बनावटी वमी तथा प्रमाणीकरण (Standardization) इसके लिये मुख्य साधन हैं। अतः योजनाओं में जनता की आवश्यकताओं एवं रचि व्यक्तिगत-रूप से निर्धारित नहीं होती है अर्पितु सामूहिक रूप से निर्धारित की जाती है। योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार अर्थ-साधनों को अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बाँटा जाता है। साधनों के बंटवारे के पूर्व यह भी निश्चय करना आवश्यक होता है कि देश की योजना में उत्पादक एवं उपभोक्ता उद्योगों में क्या अनुपात रखा जाय। रूसी-योजनाकर्त्ताओं को यह निश्चय करना भी आवश्यक था कि देश के आर्थिक विकास का आधार कृषि को बनाया जाय या उद्योगों को। स्टालिन ने समाजवादी योजनाओं का आधार औद्योगीकरण निश्चित किया था। इस निश्चय का मुख्य आधार शत्रुतापूर्ण पूँजीवादी देशों से अपनी सुरक्षा करने के लिये नवीनतम अस्त्रों का निर्माण करने की प्राथमिकता देना था। इसके अलावा औद्योगीकरण द्वारा जनता का मजदूरी

मूल्य निर्धारण—समाजवाद में अर्थ के नियम (Law of Value) का जतना महत्व नहीं होता जितना कि पूँजीवाद में। समाजवाद में उत्पादन के साधनों और श्रम-शक्ति का बँटवारा अर्थ के सिद्धान्त के आधार पर नहीं होता प्रत्युत योजनाकर्त्ताओं द्वारा होता है। सोवियत रूस में वस्तु के अर्थ एवं मूल्य में निश्चित सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है क्योंकि मूल्य निर्धारण करते समय योजना की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिये उत्पादन एवं उपभोक्ता की वस्तुओं के मूल्यों में काफी अन्तर पाया जाता है। मूल्य पर माँग एवं पूर्ति का प्रभाव अत्यन्त सीमित रहता है। वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति का सन्तुलन जनता की माँग पर नहीं छोड़ा जाता है। इसलिये माँग का इतना प्रभाव नहीं होता कि वह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की मात्रा निर्धारित करें। पारस्परिक सन्तुलन हेतु फुटकर मूल्य के स्थान पर योजना द्वारा संचालित उत्पादन से सकेत लिया जाता है। उत्पादन की मात्रा माँग से सदैव कम रखी जाती है जिससे माँग और पूर्ति का सन्तुलन कभी बिगड़ने न पाये। उपभोग वस्तुओं की मात्रा और माँग में अधिक से अधिक अन्तर रखा जाता है। राष्ट्रीय साधनों को उपभोग के क्षेत्र से हटा कर भारी उद्योगों में लगाने की यह प्रचलित विधि है। रूस में मूल्य के स्तर में स्थिरता रखी जाती है। रूसी योजनाओं में जनता की क्रय-शक्ति एवं वस्तुओं की पूर्ति में सन्तुलन बनाये रखा जाता है। इस सन्तुलन की गड़बड़ी को कानून द्वारा, टैक्स द्वारा तथा राशनिंग द्वारा ठोक कर दिया जाता है।

व्यापार—सोवियत रूस में व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करना या उपभोक्ताओं की रुचि का ही पता लगाना नहीं है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के समान क्रोताओं को न तो बाजार में नवीन माडल व डिजाइन की वस्तुयें ही मिलती हैं और न क्रोताओं के पास अधिक क्रय-शक्ति ही होती है। क्रान्ति के पश्चात् ही देशी एवं विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। देश का थोक व्यापार राजकीय संस्थाओं के हाथ में है। विभिन्न उत्पादनों को आयोजित मूल्य पर खरीद कर सहकारी समितियों तथा कारखाना स्टोर्स द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है। फुटकर मूल्य जो बदलते रहते हैं, के द्वारा लोगों की आय एवं बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का विक्रय मूल्य सन्तुलित रखने का प्रयत्न किया जाता है।

नियोजन का संगठन—सोवियत संघ की स्थापना के पश्चात् अर्थ-व्यवस्था पर राजकीय नियन्त्रण प्राप्त करने हेतु एक उच्चतम आर्थिक समिति वेसेन्का (Supreme Economic Council Vesenkha) की स्थापना की गयी। इसके कार्यक्षेत्र में आर्थिक मामलों का अध्ययन तथा अर्थ-व्यवस्था

को साम्यवादी उद्देश्यों के लिए तैयार करना सम्मिलित किये गये। १९२६ में नवीन आर्थिक नीति की घोषणा की गयी और योजनाबद्ध आर्थिक विकास हेतु एक राजकीय योजना आयोग जिसका नाम गोसप्लान (Gosplan) था, की स्थापना की गयी। अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक तथा कुछ राज्य कर्मचारी इसके सदस्य थे। इनका मुख्य कार्य आर्थिक पुनर्संगठन तथा नीति के विषय पर राज्य के लिए प्रसविदा तैयार करना, विशेष समस्याओं पर सलाह देना और विस्तृत योजना के लिए आंकड़े एकत्रित करना था। धीरे धीरे इस सस्था के अधिकार बढा दिये गये। १९४१ के विधान ने इसका अधिकार-क्षेत्र इस प्रकार निश्चित किया—

१—दीर्घ अवधि तथा वार्षिक, तिमाही तथा मासिक राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं को तैयार करना।

२—ग्रन्थ सस्थाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का सारास राज्य को देना। इन सस्थाओं में राजकीय विभाग तथा प्रजातन्त्र (Republics) राज्य प्रमुख थे।

३—राज्य द्वारा स्वीकृत योजना की सफल पूर्ति हेतु नियन्त्रण।

४—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को विशेष समस्या का अध्ययन।

५—समाजवादी लखा (Socialist Accounting) का निर्देशन।

गोसप्लान के पश्चात् महत्व के अनुसार राज्यों की योजना समितियाँ और क्षेत्रीय योजना समितियाँ होती हैं। इनके अतिरिक्त नगरों में नगर योजना सस्थायें तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जिला योजना सस्थायें होती हैं। इन सब शाखाओं के सहयोग द्वारा गोसप्लान देश के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं योजना की प्रगति आदि के बारे में सूचना प्राप्त करता रहता है। जनवरी १९४८ में केन्द्रीय योजना व्यवस्था को पुनर्संगठित किया गया। गोसप्लान के सबसे महत्वपूर्ण कार्य, उद्योगों के बीच साधनों का वंटवारा करने का कार्य एक नवीन सस्था को दिया गया जिसका नाम गार्सनप था। इसी समय एक तीसरी सस्था की स्थापना की गयी जिसका नाम गास्टेक था। इसका कार्य आधुनिक, यांत्रिक तथा कुशल प्रणालियाँ का रूसी अर्थ व्यवस्था से मेल करना था। यह आशा थी कि यह समिति आधुनिकीकरण में प्राण्य निधिलता को दूर कर देगी। परन्तु गास्टेक सफलतापूर्वक कार्य न कर सका और इसे १९५१ में भंग कर दिया गया। इस प्रकार गोसप्लान का कार्य उत्पादन एवं सामाजिक जीवन तथा दूसरे अंगों की योजना तैयार करने तक सीमित हो गया।

प्रारम्भ में रूसी योजनाओं को कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य के विभिन्न मन्त्रालयों पर था। इससे उद्देश्य तथा विचारों में भिन्नता आने लगी

प्रारम्भ मे कारखानो की व्यवस्था के दो रूप थे—आन्तरिक प्रबन्ध और बाहरी प्रबन्ध । कारखानो के आन्तरिक प्रबन्ध सुचारुरूप से संचालित करने हेतु कारखानो को पृथक्-पृथक् विभागो मे विभक्त किया जाता था । इन विभागो के अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र मे निर्णय करने और आज्ञा देने मे पूर्ण स्वतंत्र थे । संचालक एक प्रकार से इन अध्यक्षो के बीच सम्पर्क स्थापित करने का साधन मात्र था परन्तु इस प्रकार की प्रबन्ध व्यवस्था अधिक मफल नहीं हुई । बाहरी प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रत्येक कारखाने को केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयो, आयोग विभाग आदि से आज्ञा लेनी पडती थी । इस प्रबन्ध मे बहुत अधिक दोष थे । कारखाना संचालक के अधिकार और कर्तव्यो का निर्धारण होना अत्यन्त कठिन था ।

सन् १९२४ मे स्टालिन ने प्रबन्ध सुधार की ओर ठोस कदम उठाये । एक व्यक्ति को प्रबन्ध लागू करने हेतु पृथक्-पृथक् विभागो के अध्यक्षो के अधिकारो मे कटौती कर दी गयी । स्वतंत्र निर्णय और आज्ञा देने का अधिकार उनसे सर्वथा ले लिया गया । अब वे केवल अपने विभाग मे आवश्यक परिवर्तनो और दूसरे कार्यों के लिये संचालको के पास अपनी सलाह ही भेज सकते थे । समस्त आज्ञायें संचालक के नाम पर ही निकलती थीं । सन् १९३४ मे कम्युनिस्ट पार्टी के १७ वें अधिवेशन मे यह भी निश्चय लिया गया कि उत्पादन का क्षेत्रीय संचालन किया जाय । इसके द्वारा एक क्षेत्र मे एक ही वस्तु क उत्पादन मे लगे हुये जितने भी कारखाने हों, उनको केन्द्रीय औद्योगिक प्रबन्ध समिति के पूर्ण संचालन मे दे दिया गया । इसने प्रबन्धक को अब योजना आयोग और राज्य के पृथक्-पृथक् विभागो से सम्पर्क न रख कर केवल ग्लवक् (Glavk) केन्द्रीय औद्योगिक प्रबन्ध समिति से आज्ञा लेनी होती थी । कारखानो के उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति की देखभाल कारखानो की पूंजी को आवश्यकताओ का अनुदान और व्यय की सीमा तयार करना, उत्पादन प्रणाली, मशीन और मजदूरों का चुनाव तथा दूसरी आन्तरिक प्रबन्ध की बातों का निर्णय करना आदि ग्लवक् के कार्य थे ।

सोवियत कारखाना सगठन दो विशेष धाराओ से प्रभावित हो कर बना है—अधिक उत्पादन का सतत् प्रयत्न तथा कारखाने द्वारा साम्यवादी विद्वान्तो की शिक्षा तथा प्रसार का प्रयत्न । उत्पादन और सिद्धान्त शिक्षा के सफल मिश्रण के लिये यह आवश्यक हो गया कि तांत्रिक विशेषज्ञ और राजनीतिज्ञ मे सहयोग उत्पन्न किया जाय । इसी कारण से कारखाना सगठन मे प्रबन्धक के अतिरिक्त इन दो प्रभावो का समावेश किया गया है । प्रत्येक कारखाने मे एक साम्यवादी दल समिति होती है जिसका अस्तित्व संचालक से स्वतंत्र होना है । इस समिति की नियुक्ति साम्यवादी दल का केन्द्र करता है तथा इसका उत्तरदायित्व केवल

दिया जाता है। आय का आधार सदस्य के द्वारा उपाजित कार्य-दिवस की संख्या होती है। कार्य-दिवस एक काल्पनिक माप होती है जो भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये डिग्रेडियर निश्चित करता है।

कोलखोज का प्रबन्ध—कोलखोज का प्रबन्ध प्रजातान्त्रिक होता है। प्रायः प्रत्येक पदाधिकारी का चुनाव होता है। १६ वर्ष के ऊपर के सभी सदस्यों की सार्वजनिक सभा में एक सभापति, प्रबन्ध-समिति, अर्थ-समिति, वार्षिक आय-व्यय का अनुमान, वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण, कृषि बैंक से ऋण, राज्य तथा मशीन ट्रेक्टर स्टेशन से समझौता आदि सभी कार्यों पर विचार तथा निर्णय होता है। प्रबन्ध-समिति के सभापति पर सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था का उत्तर-दायित्व रहता है। परन्तु सभापति को स्वतन्त्रता के साथ कार्य नहीं करने दिया जाता है। गाँव की सोवियत, जिला सोवियत, मशीन ट्रेक्टर स्टेशन तथा कोलखोज समिति, कोलखोज के कार्यों में सलाह के नाम पर नियन्त्रण करते हैं। कोलखोज समिति अपने निरीक्षकों द्वारा जिन्हें विस्तृत अधिकार होते हैं, कोलखोज के कार्यों की देखभाल करती है। इसके अतिरिक्त कोलखोज के साम्यवादी नेता कोलखोज की सार्वजनिक सभा तथा प्रबन्ध-समिति के कार्यों की आलोचना करते रहते हैं तथा इन्हें सलाह देने का अधिकार भी रहता है। इस प्रकार कोलखोज के प्रजातान्त्रिक प्रबन्ध पर राज्य एवं साम्यवादी दल का नियन्त्रण रहता है।

सोवखोज—राजकीय कृषि फार्म गुण एवं विशेषताओं में राजकीय कारखानों के समान ही है। इनका प्रबन्ध औद्योगिक कारखानों के समान ही होता है। एक कारखाने के समान इनके प्रबन्धक राज्य द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनका उत्तरदायित्व भी राज्य के प्रति रहता है। किसी एक प्रकार के उत्पादन या कृषि कार्य में सोवखोज ध्यान देता है। एक क्षेत्र में एक ही प्रकार के उत्पादन करने वाले सोवखोज एक ट्रस्ट में बंधे जाते हैं। अधिकतर ट्रस्ट सोवखोज मंत्रालय के केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Ministry of Sovkhoz) अथवा ग्लोबल के अधीन कार्य करते हैं। विशेष वस्तुओं का उत्पादन करने वाले सोवखोज अन्य मंत्रालयों से भी सम्बन्धित होते हैं। आर्थिक प्रबन्ध, हिसाब और लागत लेखा के लिए प्रशिक्षित एकाउन्टेण्ट तथा आडिटर को सोवखोज का मुख्य अधिकारी समझा जाता है। सोवखोज में भी कारखानों के समान कम्युनिस्ट पार्टी तथा श्रमिक संघ अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं।

मशीन ट्रेक्टर स्टेशन, मट्रस—मट्रस राजकीय संस्थायें हैं। इनका मुख्य कार्य सामुदायिक फार्मों को सहायता देना है। मशीन-ट्रेक्टर के अतिरिक्त यह सिंचाई, सड़क-निर्माण, तालाबों का निर्माण, चरागाहों की उन्नति तथा नयी भूमि

को खेती योग्य बनना आदि का भी प्रबन्ध करते हैं। मद्रस का प्रबन्ध-संगठन सोवखोज से मिलता है। कृषि मन्त्रालय का मद्रस केन्द्रीय बोर्ड (Glavok) सभी मद्रसो मे सन्तुलन कोलखोज से सम्बन्ध तथा राजकीय नीति निर्धारण करता है। १ मद्रस ५ या ६ कोलखोज को सहायता देता है। मद्रस तथा कोलखोज के प्रतिनिधियो की एक समिति घनिष्ट पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कार्य करती है। प्रत्येक मद्रस मे एक सचालक, तीन सह-संचालक और एक एकाउन्टेन्ट होता है। सह-संचालको मे राजनीतिक कार्यकर्ता, कृषि, वैज्ञानिक और इंजीनियर मेकेनिक नियुक्त होते हैं।

श्रमिक संघ—श्रमिक संघो का जन्म पुराने रूसी शासन मे हुआ। प्रथम श्रमिक संघ कीव (Keev) मे सन् १९०३ मे हुआ। वास्तव मे श्रमिक संघो का प्रारम्भ सन् १९०५ के आन्दोलन से माना जाता है। श्रमिक संघो के दो विशेष कार्य हैं—

१—मजदूरो को कठोर अनुशासन मे रखना तथा

२—उनको मिलन वाली सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध।

सन् १९४६ मे श्रमिक संघ विधान का निर्माण कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। सन् १९५७ मे इनको सरकारी मान्यता प्राप्त हुई। इसके अनुसार श्रमिक संघ के मुख्य कार्य निम्न हैं—

१—श्रमिक तथा अन्य कर्मचारियो मे समाजवादी प्रतिस्पर्धा के सिद्धान्त का विस्तार।

२—श्रम उत्पादन को अधिकतम प्रोत्साहन देना।

३—योजना के लक्ष्यो की पूर्ति तथा लक्ष्य से अधिक उत्पादन।

४—उत्पादन के गुण मे उन्नति।

५—वैतन-निर्धारण मे सहयोग।

६—कारखाने के साथ सामुदायिक समझौता करना।

७—आर्थिक साधनो का अधिकतम उपयोग।

८—उत्पादन की लागत मे कमी।

९—सामाजिक बोझा तथा जन-कल्याण के कार्य प्रबन्ध।

१०—सदस्यो की शिक्षा, प्रशिक्षण, तथा समाजवादी सिद्धान्तो की जानकारी।

११—स्त्रियो को औद्योगिक और सामाजिक जीवन मे आर्कषित करना, तथा

१२—मजदूरो के प्रतिनिधि के रूप मे उनकी समस्याओ का अध्ययन करना और सुझाव देना।



अध्याय ८

विदेशों में आर्थिक नियोजन [२]

- १ चीन में आर्थिक नियोजन
- २ नाजी जर्मनी में आर्थिक नियोजन
- ३ ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन
- ४ संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक नियोजन
- ५ इन्डोनेशिया में आर्थिक नियोजन
६. सीलोन में आर्थिक नियोजन
७. बर्मा में आर्थिक नियोजन
- ८ फिलीपाईन्स में आर्थिक नियोजन
९. पाकिस्तान में आर्थिक नियोजन
- १० संयुक्त अरब गणराज्य में आर्थिक नियोजन

चीन में आर्थिक नियोजन—चीन की क्रान्ति सन् १९४८ में सफल हुई और साम्यवादी राज्य स्थापित किया गया। इस समय देश की वित्तीय एवं आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय थी। सन् १९३१ से १९३६ के औसत कृषि उत्पादन में लगभग २०% उत्पादन कम हो गया था और गृह-युद्ध के कारण इस्पात उत्पन्न करने की क्षमता का ९०% भाग नष्ट हो गया था। यातायात के साधनों का भी बड़ी सीमा तक विनाश किया गया था। KMT सरकार ने घाटे की अर्थ-व्यवस्था का अधिकतम प्रयोग किया और मुद्रा-स्फीति का दबाव अत्यधिक हो गया था। मूल्यों में लगभग १०% की वृद्धि प्रतिदिन हो रही थी। ऐसी परिस्थितियों का सामना करने हेतु सन् १९४९ में आर्थिक पुनर्वास (Economic Rehabilitation) का कार्यक्रम बनाया गया जिसमें आर्थिक विनाश के बढ़ते हुए चरण रूक गये। सन् १९५२ तक आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुए और कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। मई सन् १९४९ में देश भर के लिए समान मुद्रा का चलन किया गया जिसने धीरे-धीरे जनता का विश्वास प्राप्त कर लिया। समस्त देश के लिए मार्च सन्

१९५० में प्रथम बार राष्ट्रीय बजट बनाया गया। जून सन् १९५० में भूमि-सुधार विधान बनाया गया और दो वर्षों में भूमि सुधार पूरे कर लिए गये। ३ वर्षों में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन, रेल एवं यातायात के साधनों जल-संचय (Water Conservation) में इतना विनियोजन किया गया कि जो पिछले २२ वर्षों में मिला कर भी नहीं किया गया था। सन् १९४६-५२ तक चीनी अर्थ-व्यवस्था में निम्न पाँच क्षेत्र थे—

- (१) राजकीय क्षेत्र, जिसमें भारी उद्योग, यातायात, वितरण एवं वित्त सम्मिलित थे।
- (२) सहकारी क्षेत्र, जिसमें कृषि उत्पादन सहकारी समितियाँ विपणन एवं सप्लाय समितियाँ आदि सम्मिलित थीं।
- (३) पूँजीपति अधिकार क्षेत्र, जिसमें वे हल्के उद्योग जो अभी निजी पूँजीपतियों के अधिकार में थे, सम्मिलित थे।
- (४) निजी अधिकार क्षेत्र, जिसमें दस्तकार, व्यक्तिगत किसान तथा स्वयं अपना कार्य करने वालों के व्यवसाय सम्मिलित थे।
- (५) राज्य एवं पूँजीवादी क्षेत्र में वे व्यवसाय सम्मिलित थे जो राज्य एवं पूँजीपतियों द्वारा सामूहिक रूप से चलाए जाते थे।

सन् १९५३ में चीन में आर्थिक नियोजन का प्रारम्भ किया गया और चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। चीन में सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी "नेशनल पीपुल्स कांग्रेस" है और यह कांग्रेस सभी बड़े बड़े निर्णय करती है। इसके नीचे 'स्टेट काउन्सिल' होती है जो कि भारत के केन्द्रीय मंत्रियों के कैबिनेट के समान है। इस काउन्सिल का उप-प्रधान देश के आर्थिक नियोजन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। योजना सम्बन्धी समस्त कार्यक्रम स्टेट प्लानिंग कमिशन द्वारा किये जाते हैं और यह कमिशन स्टेट काउन्सिल के उप प्रधान के आधीन होता है। रूस के समान चीन में भी दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजनाएँ बनायी जाती हैं। दीर्घकालीन योजना बनाने का कार्य स्टेट प्लानिंग कमिशन करता है और अल्पकालीन योजनाएँ राजकीय आर्थिक कमिशन द्वारा बनायी जाती हैं। प्रत्येक प्रान्त में एक प्रान्तीय योजना कमिशन होता है जो प्रान्त के योजना सम्बन्धी कार्यक्रम की देखभाल करता है। प्रान्तीय कमिशन के नीचे काउन्टी स्तर पर योजना तथा साह्य विभाग होने हैं। योजना का विवरण आधारभूत इकाईयों द्वारा तैयार किया जाता है। सहकारी तथा राजकीय क्षेत्र के व्यवसाय आधारभूत इकाईयों कहलाते हैं और वे अपने लिए योजना बना सकते हैं। पूँजीवादी क्षेत्र के व्यवसायों के सम्बन्ध में आधारभूत इकाई प्रत्येक व्यवसाय के

व्यवसायो का जो कि कृषि के लिए सामग्री दें, पर्याप्त विकास जिसमें जनता की भाँगे की आवश्यकतानुसार पूर्ति की जा सके।

(३) वर्तमान औद्योगिक व्यवसायो का उपयुक्त एवं पूर्णतम उपयोग तथा उनकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि।

(४) कृषि में धीरे धीरे सहकारिता का उपयोग। इसके लिए कृषि की उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना तथा जल के संचय (Water Conservancy) का प्रबन्ध तथा विशेष फार्म उत्पादन की वृद्धि का प्रबन्ध करना।

(५) यातायात, डाक व तार आदि का अर्थ व्यवस्था के विस्तार के अनुसार विकास। रेल-निर्माण को सर्वोच्च महत्त्व दिया गया।

(६) व्यक्तिगत दस्तकारी को धीरे धीरे सहकारी समितियों में संगठित करना।

(७) पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था की तुलना में समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के प्रभुत्व को दृढ़ एवं विस्तृत करना।

(८) राजकीय धाय तथा व्यय में संतुलन करके नगरीय एवं ग्रामीणों में वस्तु-विनिमय में वृद्धि करने तथा वस्तुओं के वितरण को बढ़ा कर, बाजार में स्थिरता उत्पन्न करना।

(९) सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण का विकास तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हेतु लोगों को प्रशिक्षण देना।

(१०) कठोर मितव्ययता अपनाना, अपव्यय को दूर करना तथा राष्ट्रीय-निर्माण हेतु पूँजी-संचय में वृद्धि।

(११) उत्पादन तथा श्रमिक की उत्पादकता की वृद्धि के आधार पर धर्मिकों के भौतिक तथा सांस्कृतिक जीवन स्तर में वृद्धि।

(१२) चीन की विभिन्न राष्ट्रीयताओं (Nationalities) में पारस्परिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग तथा सहायता को सुदृढ़ बनाना।

विनियोजन—प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्य को ७६,६४० मिलियन यौन वित्त विनियोजन करना था। इसमें से ७४,१३० मिलियन यौन राज्य को अपने बजट से देय था तथा २,५१० मिलियन यौन विभिन्न आर्थिक विभागों, केन्द्रीय अधिकारियों तथा प्रान्तीय एवं नगरपालिकाओं के प्रशासकों द्वारा जुटाना था। यह विनियोजन विभिन्न भदों पर निम्न प्रकार होना था।

तालिका सं० ७—चीन की प्रथम योजना में विनियोजन

मद	मिलियन योन	योग से प्रतिशत
(१) औद्योगिक विभाग	३१,३२०	४०.६
(२) कृषि एवं जल-संचय तथा वन विभाग	६,१००	८.०
(३) यातायात, डाक व तार विभाग	८,६६०	११.७
(४) व्यापार अधिकोपण, संग्रह विभाग	२,१६०	२.८
(५) सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा जन- स्वास्थ्य विभाग	१४,२७०	१८.६
(६) नगरों की जन सेवाएं	२,१२०	२.८
(७) आर्थिक विभागों की चालू पूंजी	६,६००	८.०
(८) आर्थिक विभागों की सामग्री की मरम्मत आदि	३,६००	४.७
(९) अन्य आर्थिक मदें	१,१८०	१.५
योग—	७६,६४०	१००.०%

उपयुक्त समस्त विनियोजन राशि ७६,६४० मिलियन योन मे से ४२,७४० मिलियन योन अर्थात् ५५.८% पूंजीगत विनियोजन होगा । पूंजीगत विनियोजन विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार होना था—

तालिका सं० ८—चीन की प्रथम योजना मे पूंजीगत विनियोजन

विभाग	मिलियन योन	योग से प्रतिशत
(१) औद्योगिक विभाग	२४,८५०	५८.२
(२) कृषि, जल-संचय तथा वन विभाग	३,२६०	७.६
(३) यातायात, डाक व तार विभाग	८,२१०	१९.२
(४) व्यापार अधिकोपण, संग्रह विभाग	१,२८०	३.०
(५) सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा जन- स्वास्थ्य विभाग	३,०८०	७.२
(६) नगरों की जन सेवाएं (Public Utilities)	१,६००	३.७
(७) अन्य मदें	४६०	१.१
योग—	४२,७४०	१००.०%

प्रथम योजना मे पूंजीगत विनियोजन सबसे अधिक उद्योगों पर होना था । २४,८५० मिलियन योन की राशि के अनिश्चित १,७७० मिलियन योन का

पूँजीगत विनियोजन उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों को उद्योगों पर विनियोजन करना था। इस प्रकार उद्योगों में पूँजीगत विनियोजन की राशि २६,६२० मिलियन यौन थी। इसमें निजी तथा राजकीय एवं निजी औद्योगिक व्यवसायों का विनियोजन सम्मिलित नहीं था। विनियोजन की इस राशि का ८८ ८% भाग ऐसे उद्योगों में विनियोजित होना था, जिनमें उत्पादन वस्तुएँ उत्पन्न होनी थीं तथा शेष उपभोक्ता वस्तुएँ उत्पन्न करने वाले उद्योगों में विनियोजन होना था।

उत्पादन लक्ष्य—योजना के उत्पादन लक्ष्य निम्न प्रकार थे—

तालिका स० ६—चीन की प्रथम योजना के प्रथम उत्पादन लक्ष्य

मद	१९५२ का उत्पादन	१९५७ वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि का प्रतिशत का लक्ष्य (१९५२=१००)
(१) खाद्यान्न की फसलें (मिलियन क्वीटिज)	३,२७,८३०	३,८५,६२०	११७.६
(२) कपास	२,६१०	३,२३०	१२५.४
(३) गन्ना	१४,२३०	२६,३५०	१८५.१
(४) बनी हुई तम्बाकू	४४०	७८०	१७६.६
(५) विद्युत शक्ति (मिलियन KWH)	७,२६०	१५,६००	२१६.०
(६) पिण्ड लौह (हजार टन)	६३,५२८	१,१२,६८५	१७८.०
(७) क्रूड तेल	४३६	२,०१२	४६२.०
(८) इस्पात	१,३५०	४,१२०	३०६.०
(९) इस्पात की वस्तुएँ	१,११०	३,०४५	२७५.०
(१०) धातु काटने की मशीन व औजार (टन)	१६,२६८	२६,२६२	१८०.०
(११) रेल इंजिन (संख्या)	४०	२००	१,०००.०
(१२) लोकोमोटिव (हजार टन)	२,८६०	६,०००	२१०.०
(१३) सूई, त्रिआदि (हजार वोल्ट)	१,११,६३४	१,६३,७२१	१४७.०
(१४) शक्कर (हजार टन)	२४६	६८६	२७६.०
(१५) मशीन का बना बागज	३७२	६५५	१७६.०

प्रथम पंचवर्षीय योजना में तीन इस्पात के बड़े बड़े कारखाने अंशान (Anshan), वूहान (Wuhan) तथा पाओटोव (Paotow) स्थापित करने का लक्ष्य था। देश भर की घोषी जाने वाली भूमि २,२७३,७७१,००० मो (Mou) करने का लक्ष्य अर्थात् सन् १९५२ की भूमि से १५४,६३४,००० मो

(Mou) अधिक । राजकीय फार्मों की सख्या ३,०३८ तक बढ़ाने का लक्ष्य था, तथा सिंचित भूमि मे ७२ मिलियन मो की वृद्धि होनी थी । इसी प्रकार से यातायात के क्षेत्र म रेल स ढोये जाने वाले माल का वजन २४५,५००,००० टन होना था तथा माल ढोयी जाने वाली दूरी १२०,६०० मिलियन टन किलोमीटर्स हो जानी थी । मोटर लॉरी द्वारा ढोये जाने वाला माल ६७,४६३,००० टन हो जाना था तथा आर्थिक जहाजरानी से ३६,८६४,००० टन माल ढोये जाने का लक्ष्य था । ४०८४ किलोमीटर्स की नयी रेलवे लाइनें डालन का भी लक्ष्य था । श्रम उत्पादन म सन् १९५७ तक ६४% वृद्धि, राजकीय उद्योगो मे होनी थी तथा श्रमिको की मजदूरी मे ३३% वृद्धि करने का लक्ष्य था ।

अर्थसाधन—चीन की प्रथम योजना के लिए अर्थसाधन अधिकतर घरेलू साधनो से ही जुटाने थे । इस से (१९५४ मे) ५२० मिलियन रुबल का ऋण चीन को प्राप्त हुआ था, जिसे पूंजीगत विनियोजन मे व्यय किया गया । विदेशी पूंजीपतियो की समाप्ति से तथा जमींदारो एव घरेलू पूंजीपतियो से विकास के लिए बडी राशियां प्राप्त हुई । इसके अतिरिक्त राजकीय व्यवसायो का लाभ, राजकीय व्यापार निगम का लाभ तथा औद्योगिक एव व्यापारिक करो द्वारा अर्थसाधन प्राप्त किये गये । यह बात दिवावपूरण है कि चीन म योजनाओ को कार्यान्वित करने क लिए घाट की अर्थ-व्यवस्था का उपयोग किया गया अथवा नहीं ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति—योजना म पूंजीगत विनियोजन राशि (अनुमानित) ४२,७४० मिलियन योन के स्थान पर ४८,७७७ मिलियन योन हुआ । ५०० एवब नोर्म (Above Norm) नवीन तथा पुनर्निर्मित औद्योगिक योजनाओ की पूर्ति की गयी । लगभग ५,५०० किलोमीटर लम्बी नवीन तथा पुनर्निर्मित रेलवे लाईना का कार्य पूरा होने का अनुमान था । औद्योगिक उत्पादन लक्षित मात्रा से ४१% अधिक हुआ । अन्न का उत्पादन ३७००००० मिलियन कॅटीज तथा कपास का ३२,८००,००० टन हुआ । सन् १९५६ की तुलना म उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो की सख्या मे सन् १९५७ तक ६७% की वृद्धि हुई तथा माध्यमिक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी १५% बढ़ गये । सन् १९५६ के स्तर की तुलना मे अस्पताल के पलंग ११*७% बढ़े । सन् १९५७ के अत तक कृषि एव दस्तकारी के क्षेत्र मे देश भर म सत्कारिता का विस्तार हो गया । लगभग सभी पूंजीवादी औद्योगिक व्यवसाय राज्य एव निजी क्षेत्र के आधीन आ गए । श्रमिको की मजदूरी मे औसतन ३३*५% की वृद्धि हुई । राजकीय उद्योगो मे श्रमिको के उत्पादन मे ७० ४% की वृद्धि हुई ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—चीन की द्वितीय योजना द्वारा उन्ही उद्देश्यों

के प्रति आगे बढ़ना था जो प्रथम योजना में निर्धारित किये गए थे। द्वितीय योजना के निम्नलिखित पाँच उद्देश्य निर्धारित किये गए—

(१) औद्योगिक निर्माण जिसमें भारी उद्योगों के महत्व को जारी रखना तथा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में तांत्रिक पुनर्निर्माण एवं समाजवादी औद्योगीकरण की दृष्टता के लिए कायवाही करना।

(२) समाजवादी परिवर्तन के अतर्गत सामूहिक अधिकार (Collective Ownership) तथा समस्त जनसमुदाय के अधिकार की वृद्धि का विस्तार करना।

(३) कृषि उद्योग तथा दस्तकारी के उत्पादन में वृद्धि तथा इसके अनुरूप यातायात एवं वाणिज्य का पूंजीगत निर्माण के आधार पर समाजवादी परिवर्तनों के द्वारा विकास करना।

(४) समाजवादी अर्थ-व्यवस्था एवं संस्कृति के विकास के लिए वैज्ञानिक आविष्कार को सुदृढ़ बनाना तथा लोगों को निर्माण-कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करने का अधिकतम प्रयत्न करना।

(५) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शक्ति बढ़ाना तथा जनसमुदाय के भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अधिक कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन के आधार पर वृद्धि।

उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न कायवाहियाँ की जानी थी—

(१) सन् १९५७ की तुलना में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन के समस्त मूल्य (Total Value) में ७५% वृद्धि।

(२) औद्योगिक उत्पादन की समस्त मूल्य राशि प्रथम योजना के लक्षित मूल्य राशि की दुगुनी हो कृषि उत्पादन की मूल्य राशि को सन् १९५७ के लक्षित मूल्य राशि से ३५% अधिक करना।

(३) द्वितीय योजना में भी पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन वृद्धि की दर उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि की दर से अधिक होगी।

(४) सन् १९५७ की तुलना में सन् १९६२ तक राष्ट्रीय धाय में ५०% वृद्धि करना संभव होगा। राष्ट्रीय धाय के वितरण के सम्बन्ध में उपभोग तथा संचय में उचित अनुपात रखा जायगा। प्रथम योजना की तुलना में संचय की दर कुछ अधिक होगी जिससे जनसमुदाय के जीविकोपार्जन में धीरे धीरे सुधार किया जा सके और समाजवादी निर्माण की गति तीव्र हो सके।

(५) यथासंभव राष्ट्रीय सुरक्षा तथा प्रशासन सम्बन्धी व्यय को कम किया जाय और आर्थिक निर्माण तथा सांस्कृतिक विकास के व्यय को बढ़ाया जाय जिससे समाजवादी निर्माण द्रुतगति से संभव हो सके।

(६) राजकीय एवं पूंजीगत निर्माण में विनियोजन को जाने वाली राशि राज्य द्वारा होने वाले समस्त व्यय को ४०% किया जा सकेगा। यह अनुपात प्रथम योजना में ३५% था। कृषि एवं उद्योगों के शीघ्र विकास के लिए पूंजी-निर्माण सम्बन्धी समस्त विनियोजन का ६०% भाग उद्योगों पर विनियोजित किया जा सकेगा जबकि यह प्रतिशत प्रथम योजना में ५८.२% थी। कृषि आदि पर पूंजी-निर्माण सम्बन्धी विनियोजन समस्त विनियोजन का १०% होगा जबकि प्रथम योजना में यह केवल ७.६% था।

उत्पादन लक्ष्य—

तालिका सं० १०—चीन की द्वितीय योजना के उत्पादन लक्ष्य

मद	इकाई	लक्ष्य	
		सन् १९५७ का	सन् १९६१ का
(१) घनाज	(दस करोड़ कैंटीज)	३६,३१'८	५,०००
(२) कपास	(दस हजार)	३२७०'०	४,८००
(३) सोयाबीन	(दस करोड़ कैंटीज)	२२४४	२५०
(४) बिजली	(,, ,, KWH)	१५६'०	४०० ४३०
(५) कोयला	(दस हजार टन)	११,२६८'५	१६००-२१००
(६) क्रूड तेल	(,,)	२०१'२	५०० ६००
(७) इस्पात	(,,)	४१२'०	१०५० १२००
(८) अल्युमिनियम के इगट	(,,)	२'०	१० १२
(९) रासायनिक खाद	(,,)	५७'८	३००-३२०
(१०) धातु शोधन सामग्री	(,,)	०'८	३ ४
(११) शक्ति उत्पादन सामग्री	(दस हजार Kwt)	१६४	१४०-१५०
(१२) धातु काटने के औजार एवं मशीनें	(,, इकाई)	१'३	६-६५
(१३) सीमेन्ट	(,, टन)	६०० ०	१२५०-१४५०
(१४) सूती घागा	(,, गाँठें)	५००'०	८००-६००
(१५) सूती वस्तुएँ	(,, बोल्ट)	१६,३७२ १	२३५००-२६०००
(१६) नमक	(,, टन)	७५५'४	१०००-११००
(१७) शक्कर (हाथ द्वारा बनी सहित)	(दस हजार टन)	११०'०	२४०-२५०
(१८) मशीन का बना बागज	(दस हजार टन)	६५ ५	१५०-१६०

विकसित देश की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु द्वितीय

योजना में ८०० से ९०० किलोमीटर लम्बी नवीन रेलवे लाईनें डालने तथा १५०० से १८०० किलोमीटर लम्बी ट्रंक (Trunk) सड़कें बनाने का आयोजन किया गया। यह भी अनुमान लगाया गया कि फुटकर व्यापार की मात्रा में ५०% की वृद्धि करनी होगी। यह भी निश्चय किया गया कि राजकीय बाजारों के अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र बाजार भी रखे तथा विकसित किये जायेंगे जिससे वस्तुओं का विनिमय ग्रामों एवं नगरों में सुलभता से हो सके। द्वितीय योजना में धम उत्पादन में ५०% वृद्धि करने का लक्ष्य था तथा श्रमिकों की मजदूरी में औसतन २५% से ३०% तक वृद्धि होने का अनुमान था।

चीन की सन् १९५८ की योजनाएँ—रूस की भाँति चीन में भी अल्प-कालीन योजनाओं को विशेष महत्त्व दिया जाता है। चीन की सन् १९५८ वर्ष की योजना का उद्देश्य चीन की अर्थ-व्यवस्था में अत्यधिक सुधार करना था। इस योजना में पूँजी-निर्माण सम्बन्धी विनियोजन १४,५७७ मिलियन यौन निर्धारित किया गया (इसमें सहकारी सस्थाओं का विनियोजन सम्मिलित नहीं है)।

सन् १९५८ की योजना के लक्ष्य व प्रगति निम्न प्रकार थी—

तालिका स० ११—चीन की सन् १९५८ वर्ष की योजना के लक्ष्य एवं प्रगति

मूल्य राशि	सन् १९५७ का उत्पादन	सन् १९५८ का योजना लक्ष्य	सन् १९५८ का वास्तविक उत्पादन	सन् १९५७ में वृद्धि का प्रतिशत
(१) कृषि एवं सहायक पेशों का उत्पादन (मिलियन यौन)	५३,७००	६८,८३०	८८,०००	६४%
(२) पूँजीगत विनियोजन (मिलियन यौन)	१२,६००	१४,५७७	२१,५००	७०%
(३) अनाज का उत्पादन (मिलियन कैंटीज)		३,९२,०००	७,१४,०००	१००%
(४) औद्योगिक उत्पादन तथा दस्तकारी (मिलियन यौन)	७०,४००	७४,७४०	१,१७,०००	६६%

कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक विकास के साथ साथ, वनस्पति, पशुपालन तथा मछली पकड़ने में पर्याप्त विकास हुआ। कृषि में आश्चर्यजनक विकास, अनुकूल मौसम, सिंचित भूमि में वृद्धि, खादों का अधिक उपयोग, गहरी जुताई, अच्छे बीज का उपयोग, फार्मों की प्रबन्ध-व्यवस्था सुदृढ़ होना आदि जन-जागृति

के कारण ही सम्भव हुआ। सन् १९५८ वर्ष में इस्पात का उत्पादन ११ मिलियन टन हुआ जो सन् १९५७ के उत्पादन से १००% अधिक था। इस्पात के उत्पादन की वृद्धि का बहुत बड़ा भाग छोटी छोटी घन भट्टियों ने प्राप्त किया। कोयले का उत्पादन २७० मिलियन टन हो गया जो कि सन् १९५७ के दुगुने से भी अधिक था। बिजली का उत्पादन २ मिलियन किलोवाट था। जो कि प्रथम योजना के उत्पादन-लक्ष्य के बराबर था। रामायनिक खाद का उत्पादन सन् १९५८ की प्रथम छमाही में सन् १९५७ के उसी काल की तुलना में १३ गुना था। पेट्रोलियम का उत्पादन सन् १९५८ की प्रथम छमाही में सन् १९५७ में उसी काल की तुलना में ३२% अधिक था।

चीन की सन् १९५६ वर्ष की योजना—इस योजना में समस्त पूंजीगत विनियोजन जो राजकीय बजट से होना था २७,००० मिलियन यौन निश्चित किया गया जो कि सन् १९५८ की तुलना में २६% अधिक था। कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में ४०% वृद्धि करने का लक्ष्य था। कृषि उत्पादन १,२२,००० मिलियन यौन तथा औद्योगिक एवं दस्तकारी उत्पादन १,६५,००० मिलियन यौन होने का अनुमान था। इस्पात का उत्पादन ११ मिलियन टन से बढ़कर १८ मिलियन टन, कोयले का उत्पादन सन् १९५८ वर्ष के उत्पादन की तुलना में ४०% अधिक होगा। अनाज, जिसमें गेहूँ, चावल तथा गालू सम्मिलित है, के उत्पादन में ४०% वृद्धि करना, अर्थात् ५२५ मिलियन टन करना। कपास के उत्पादन को सन् १९५८ के स्तर से ५०% बढ़ा कर ५ मिलियन टन करने का लक्ष्य था। रेल के एजिन तथा रेलवे बंगन के उत्पादन में ५०% से भी अधिक वृद्धि करने का अनुमान था। ५५०० किलोमोटर्स लम्बी नवीन रेलवे लाइनें डालने का भी आयोजन किया गया। गन्ने के उत्पादन में ४०% वृद्धि; खाने के तेल में ४०% वृद्धि, शक्कर में ४०% जूट तथा हैम्प के उत्पादन में ४०% वृद्धि करने का आयोजन था।

सन् १९५६ में औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन की कुल उत्पादन राशि ४०% बढ़ जायगी अर्थात् सन् १९५८ में जो २,०५,००० मिलियन यौन था, वह २,८७,००० मिलियन यौन हो जायगा। इस उत्पादन की मूल्य-राशि में से १,६५,००० मिलियन यौन उद्योगों का तथा १,२२,००० मिलियन यौन कृषि का उत्पादन होगा। सन् १९५६ वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में ४६% तथा उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में ३४% वृद्धि होने का अनुमान था। दैनिक जीवन के प्रयोग की वस्तुओं में पर्याप्त वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु अधिक सिंचाई के साधन सिंचाई की मशीनें, ट्रैक्टर, अनाज एवं कृषि सम्बन्धी

अन्य यत्र, रबर के टायरो वाली दो पहियों की ठलागाड़ी, रासायनिक खाद तथा कृषि के धातुक कीटाणुओं को मारने वाली औषधि प्रदान करने का आयोजन किया गया था।

चीनी जन-कम्यून (Communes)—सन् १९५८ के मध्य में चीन सरकार ने एक नवीन क्रान्ति को जन्म दिया, जिसके अन्तर्गत ६५ करोड़ चीनियों को कम्यून में संगठित करके आश्चर्यजनक आर्थिक सफलताएं प्राप्त करने का आयोजन किया गया। कम्यून द्वारा १० वर्षों में ही चीनी समाजवाद को साम्यवाद में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया। चीन में लगभग २४,००० जन-कम्यून हैं जिनमें चीन के लगभग ९०% कृषक सम्मिलित हैं। १९५९ के अन्त तक समस्त चीन को कम्यून पर आधारित करने का लक्ष्य था।

एक कम्यून में ४,००० से १०,००० तक परिवार सम्मिलित होते हैं। कम्यून का कार्य-संचालन एक प्रशासनिक काउन्सिल (Administrative Council) द्वारा किया जाता है। यह काउन्सिल कृषि, उद्योग, शिक्षा आदि सभी का प्रबन्ध एवं संगठन करती है। प्रत्येक कम्यून में अपना सामूहिक फार्म, कारखाने, स्कूल दुकानें आदि होती हैं, जिनका नियंत्रण एवं प्रशासन काउन्सिल के हाथ में होता है। कम्यून के अन्तर्गत रहने वाले प्रत्येक वयस्क को एक विशेष कार्य करने को दिया जाता है। स्त्रियाँ भी घर से बाहर कार्य करती हैं। स्त्रियों को घर के कार्यों से बचाने के लिए सामूहिक रसोईयाँ चलायी जाती हैं, जिनमें कम्यून के प्रत्येक निवासी को निःशुल्क खाना दिया जाता है। बच्चों की देखभाल करने हेतु सामूहिक नर्सरी तथा शिशु पाठशाला (Kinder Garten) चलाये जाते हैं, जिनमें स्त्रियाँ अपने कार्य पर जाने के पूर्व बच्चों को छोड़ सकती हैं। बच्चों को इन्हीं नर्सरी तथा शिशु पाठशाला (Kinder Garten) में सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। वृद्ध एवं बीमारों की देखभाल करने के लिए वृद्धों के लिए आदर के घर (Homes of Respect for Aged) सामुदायिक अधिकारियों द्वारा चलाये जाते हैं।

जन-कम्यून अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण करते हैं। इनके द्वारा केवल कृषि का ही संचालन नहीं होता है अपितु कृषि के सहायक उद्योगों का विकास भी इनके द्वारा किया जाता है। नगरों के बड़े-बड़े कम्यून विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे बस्त्र, शक्कर, कागज, खाद, रासायन आदि उद्योगों का विकास एवं संचालन भी करते हैं। कम्यून के अन्तर्गत उच्चतम श्रम विभाजन सम्भव हो सका है एवं उत्पादन की नवीनतम विधियों का उपयोग भी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन क्रियाओं को अत्यधिक प्रोत्साहन

प्राप्त हुआ है तथा उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करने के हेतु निरन्तर कठोर कार्य-वाहियों की जा रही हैं।

पश्चिमी देशों में कम्प्यून् की अत्यधिक आलोचना की गयी है। विकास की इस विधि को एक अद्विवेकपूर्ण विधि बतलाया गया है जिसका संचालन अर्थ-सैनिक सगठन द्वारा किया जाता है और जिससे सगठित दासता (Mass Slavery) का विस्तार हुआ है। कम्प्यून् के अन्तर्गत एक व्यक्ति को व्यक्ति न मान कर उत्पादन में काम आने वाली भौतिक इकाई मान लिया जाता है, जो सरकार के भ्रूहृद् के रूप में कार्य करता है। वह समस्त सम्पत्ति खोने के साथ-साथ अपना घर एवं परिवार भी खो बैठता है। इस आलोचना के प्रत्युत्तर में चीनी अधिकारियों ने बताया कि कम्प्यून् के अन्तर्गत चीनी कृषक केवल बेरोजगार एवं भूखे रहने की स्वतंत्रता को खोता है। इनके द्वारा पूंजीवादी परिवार विधि को समाप्त करने का आयोजन है क्योंकि इसमें पारस्परिक सम्बन्ध धन पर आधारित होते हैं। चीनी अधिकारियों का कथन है कि पश्चिमी राष्ट्रों ने जिसे दासता (Slavery) का नाम दे दिया है कदाचित् वह अनुशासन (Discipline) से कार्य करने तक ही सीमित है। इन दोनों विचारधाराओं से तथ्य ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि उपलब्ध सूचनाएँ इतनी पर्याप्त नहीं होती हैं कि कुछ भी निश्चित रूप से कहा जा सके परन्तु अभी हाल के अकाल एवं खाद्यान्नों की कमी से कम्प्यून् की सफलताओं के सम्बन्ध में कुछ सदेह होना स्वाभाविक है। यह अनुमान भी लगाना जाना अस्वाभाविक न होगा कि कम्प्यून् सगठन ने कृषकों में अधिक उत्पादन करने की प्रवृत्ति को ठेस पहुँचायी है जिसने खाद्यान्नों की कमी को इतनी गम्भीर समस्या बना दिया है।

चीन और भारत की नियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना—चीन के नियोजन के इतिहास के इस संक्षिप्त विवरण से साथ इसका भारतीय नियोजित विकास से संक्षिप्त में तुलना करना उचित ही होगा। तुलना के दृष्टिकोण से ऐसे काल का अध्ययन करना उचित होगा जिसके लिए दोनों ही राष्ट्रों के साख्य उपलब्ध हों। १९५३ से १९५६ तक चीनी राष्ट्रीय आय ४३% अर्थात् औसतन ६.५% प्रति वर्ष बढ़ी। इसी काल में प्रथम योजना के अन्तर्गत भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर ३.६% प्रति वर्ष थी। इस प्रकार भारत के विकास की गति चीन की तुलना में एक तिहाई रही। भारत की द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में भी राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर इतनी अधिक नहीं है जबकि चीन की द्वितीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर ६.५% प्रति वर्ष से कहीं अधिक होने की संभावना है। विभिन्न मनों के पृथक्-पृथक् अध्ययन

करने से भी यह ज्ञात होगा कि भारत का उत्पादन चीन की तुलना में बहुत कम है। चीन का इस्पात का उत्पादन १९५८ में ११ मिलियन टन था, जबकि भारत में तृतीय योजना के अन्त तक (१९६५-६६) इस्पात का उत्पादन ६६ मिलियन टन होने का लक्ष्य है। इसी प्रकार चीन का कोयले का उत्पादन १९५८ में २७० मिलियन टन था, जबकि भारत में १९६१ तक ६० मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य था। इन प्रकार की स्थिति अन्य उद्योगों के उत्पादन के सम्बन्ध में भी है। इस प्रकार चीन की विकास की गति भारत की तुलना में निस्सन्देह अधिक तीव्र है।

‘नाजी जर्मनी में आर्थिक नियोजन’

जर्मनी में नाजी दल जब्तरी १९३२ में सत्तारूढ़ हुआ और द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक सत्ता इस दल के हाथ में रही। सन् १९३३ में Herr Hitler द्वारा Chancellor का पद ग्रहण करने के पश्चात् नाजी शासन का प्रारम्भ हुआ। नाजी शासन के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार तथा निजी साहस दोनों को ही चालू रखा गया। परन्तु इन पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा भी कुछ उद्योग चलाये जाते थे, परन्तु अधिकांश व्यवसाय निजी क्षेत्र के अधिकार में ही थे। परन्तु सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी समय आवश्यकता पड़ने पर निजी सम्पत्ति एवं धन को अधिकार में ले सकती थी। नागरिक अपने धन का उपयोग अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते थे। राज्य उनको धन व्यय करने के तरीके निर्देशित करता था। यद्यपि लिखित रूप से निजी व्यवसायियों को अपने व्यवसाय अपनी इच्छानुसार चलाने का अधिकार था परन्तु वास्तव में व्यापार एवं उद्योगों के संचालन में सरकारी हस्तक्षेप अधिक था। सरकार किसी भी व्यक्ति पर कोई व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगा सकती थी। इसके प्रतिरिक्त बहुत सी वस्तुओं के मूल्य एवं वितरण भी सरकार द्वारा नियंत्रित किये जाते थे। सरकार को श्रमिकों का पारिवारिक तथा व्यवसायियों का लाभ निर्धारित करने का भी अधिकार था। इस प्रकार राष्ट्रीय समाजवाद के अन्तर्गत सरकार को प्रत्येक क्षेत्र पर विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त थीं।

प्रथम चारवर्षीय योजना—सन् १९३२ में जब नाजी दल ने सत्ता संभाली थी, उस समय तो जर्मनी में बेरोजगार एवं मंदी की समस्या अत्यन्त गम्भीर थी। नाजी सरकार को रोजगार में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक था। इस समस्या का निवारण करने हेतु १ मई १९३३ को प्रथम चारवर्षीय योजना की घोषणा की गयी। यह एक विस्तृत योजना थी जिसमें समस्त अर्थ-

व्यवस्था की कार्य-प्रणाली निर्धारित की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को किसी लागत पर रोजगार प्रदान करना था। नाजी सरकार का लक्ष्य रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या बढ़ाना था, चाहे उनको मजदूरी कितनी भी क्यों न दी जाये। जो लोग सहायता कार्य (Relief Work) अथवा श्रमिक कैंप (Labour Camp) में कार्य करते थे, उनको केवल जीवन-निर्वाह के लिये ही पारिश्रमिक दिया जाता था। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निर्माण-कार्यों को अधिक महत्त्व दिया गया। अनुपयोगी भूमि को उपयोगी बनाने हेतु खाईयाँ तथा नालियों का निर्माण किया गया, नवीन इमारतों का निर्माण नाजी सरकार के कार्यालय के लिए किया गया रहने के लिए घरों का निर्माण किया गया, कृषि मजदूरों के लिए क्वार्टर्स बनाए गए, सड़क यातायात के लिए नवीन सड़कों का निर्माण किया गया। एक बहुत बड़ा कारखाना पीपुल्स कार बनाने के लिए स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर बढ़ाने के हेतु, नवन-निर्माण के लिए आर्थिक सहायता, औद्योगिक सामग्री में नवीनीकरण करने की छूट, कार्य को श्रमिक श्रमिकों में फैलाना, कृषकों के बेरोजगारों को रोजगार देने पर आर्थिक सहायता, उन मालिकों को कर देय में छूट जो अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करें, श्रमिकों को पदच्युत करने पर प्रतिबन्ध, पुराने श्रमिकों को रोजगार देना, एक ही परिवार में विभिन्न रोजगारों से आय उपाजन करने पर प्रतिबन्ध, नवीन विवाहित दम्पतियों को बोनस, यदि पत्नी अपने पुराने रोजगार को न करने के लिये अनुमति दे। अनिवार्य सैनिक सेवा तथा हथियारबंदी आदि के कार्यक्रम चालू किये जायें।

इन सब कार्यक्रमों के फलस्वरूप दो वर्षों में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या ११.५ मिलियन से १६.५ मिलियन हो गयी तथा बेरोजगारों की संख्या ६ मिलियन से घट कर २ मिलियन रह गयी। सन् १९३६ के अन्त तक बेरोजगारों की समस्या सर्वथा समाप्त हो गयी और योजना सफलतापूर्वक समाप्त हुई।

द्वितीय चारवर्षीय योजना—वर्सैल्स (Versailles) की संधि के अनुसार यद्यपि जर्मनी का अशस्त्रीकरण कर दिया गया था परन्तु संधि के अन्य पक्षों ने अपनी सैनिक शक्ति को कम नहीं किया और अशस्त्रीकरण का सम्मेलन भी कोई ठोस कार्यवाही इस सम्बन्ध में न कर सका। सन् १९३५ में हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन्स से अलग कर दिया और जर्मनी की सैनिक शक्ति बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। सितम्बर १९३६ में हिटलर ने जर्मनी की द्वितीय चारवर्षीय योजना की घोषणा की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जर्मनी को सैनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था तथा आर्थिक मामलों में

आत्मनिर्भर करना था। पुनर्शास्त्रीकरण तथा आत्मनिर्भरता इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे। जर्मनी की सेना को आधुनिक वास्त्रो से लैस करना था जिससे वह भूमि, समुद्र तथा वायु सभी प्रकार के युद्ध के योग्य बन सके। आर्थिक वायकाट की कठिनाइयों से बचने के लिए खाद्यान्नों एवं कच्चे माल में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। जनसमुदाय को देश के आत्मनिर्भर करने हेतु कठोर परिश्रम करने को कहा गया तथा उनसे उपभोग की मात्रा को कम करने को भी कहा गया जिससे युद्ध सम्बन्धी उद्योगों में अधिक साधनों का उपयोग किया जा सके। योजना के प्रशासन का कार्य हरमन गोयरिंग (Herman Goering) को दिया गया। इसको विस्तृत अधिकार दिये गये तथा अर्थ-व्यवस्था के समस्त महत्वपूर्ण स्थानों पर सेना के अधिकारियों को नियुक्त किया गया। उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को सेना में पद दिए गए जिससे वे योजना के संचालन में सहायता कर सकें। इस प्रकार समस्त राष्ट्र को आगामी युद्ध के लिए तैयार किया गया।

द्वितीय योजना के मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार थे—

(१) कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि।

(२) कच्चे माल का योजनावद्ध वितरण जिससे आधारभूत एवं युद्ध को सामग्री से सम्बन्धित उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिल सके।

(३) कृषि उत्पादन, विशेषकर खाद्यान्नों का उत्पादन।

(४) धम का विभाजन युद्ध सम्बन्धी उद्योगों की आवश्यकतानुसार करना।

(५) मजदूरी और मूल्यों को स्थिर रखना।

(६) विदेशी मुद्रा पर नियन्त्रण रखना।

द्वितीय योजना के कार्यक्रमों के संचालन के फलस्वरूप मई १९३६ तक बेरोजगार सर्वथा समाप्त हो गये और श्रमिकों की कमी गम्भीर रूप धारण करने लगी। श्रमिकों की पूर्ति हेतु स्त्रियों को बाहर कार्य करने के लिए लाया गया। अवकाश प्राप्त (पेंशनर) कर्मचारियों को फिर काम पर बुलाया गया। प्रशिक्षणता (Apprenticeship) के समय में कमी कर दी गयी तथा विश्वविद्यालय के कोर्सों में कमी कर दी गयी। इसके अतिरिक्त विदेशों से भी हजारों श्रमिक लाये गए।

जर्मनी की दो योजनाओं के फलस्वरूप कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। सन् १९२८ वर्ष के उत्पादन को १०० के बराबर मान कर सन् १९३२ का निर्माण सम्बन्धी उद्योगों का उत्पादन ५८ था जो सन् १९३८ में १२६ हो गया। इस प्रकार कृषि उत्पादन सन् १९३२ में १०६ था जो बढ़ कर सन् १९३८ में ११५ हो गया। जर्मनी में योजना कार्य वे संचालन हेतु

कोई प्रथक सस्था नहीं नियुक्त की गयी और न प्रत्येक वर्ष की प्रगति को ही आँका एव प्रकाशित ही किया गया। जन सहयोग को योजना के कार्यों मे कोई स्थान नहीं दिया गया। नाजी योजना का उद्देश्य विकास के स्थान पर शीघ्र सशस्त्रीकरण या जिससे ससार पर विजय प्राप्त कर ली जाय।

“ब्रिटेन मे आर्थिक नियोजन”

ब्रिटेन मे आर्थिक नियोजन का जन्म आर्थिक कठिनाईयों के कारण हुआ था। इसकी आधारशिला किन्हीं गम्भीर सिद्धान्तो पर आधारित नहीं है। आर्थिक नियोजन का उपयोग ब्रिटेन मे प्रयोगात्मक है। ब्रिटेन मे आर्थिक नियोजन का प्रारम्भ द्वितीय महायुद्ध मे हुआ, जबकि मिलीजुली सरकार (Coalition) ने युद्ध का सामना करने हेतु अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र मे नियोजित अर्थ व्यवस्था का संचालन किया। युद्ध काल मे समस्त ससार मे साधनो की अत्यन्त कमी थी और इस कमी का सामना करने हेतु राशनिंग, साधनो का सरकारी नीति के अनुसार वितरण, साइटेन्स एव परमिट जारी करना आदि के रूप मे सरकार ने अर्थ-व्यवस्था को नियोजित किया जिससे उपलब्ध साधनो का उपयोग युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु चलाये जाने वाले कार्यक्रमो पर किया जा सके। युद्ध के पश्चात् मन्दी एव बेरोजगारी के भय पर गभीरतापूर्वक विचार किया गया और उस समय की मिलीजुली सरकार (Coalition) ने अपनी रोजगार नीति के सम्बन्ध मे एक श्वेत पत्र (White Paper) जारी किया जिसमे बताया गया कि मन्दी से अर्थ-व्यवस्था को बचाने हेतु युद्धकालीन नियंत्रण युद्ध के पश्चात् भी लागू रहेंगे और बेरोजगार के दबाव को रोकने के लिए सरकारी व्यय मे वृद्धि की जायगी। १९४५ मे युद्ध समाप्त होने पर मन्दी एव बेरोजगारी की समस्याओ का प्रादुर्भाव होने के बजाय मुद्रा-स्फीति, बढ़ते हुए मूल्य तथा वस्तुओ एव साधनो की कमी आदि समस्याएँ सामने आयीं। १९४६ एव १९४७ मे मुद्रास्फीति, वस्तुओ एव साधनो की सामान्य कमी, सग्रहो मे कमी आदि समस्याएँ अत्यन्त तीव्र बन गयी। इन अप्रत्याशतो के निवारण हेतु लेबर सरकार ने आर्थिक नियोजन की शरण ली। आर्थिक नियोजन द्वारा देश के उपलब्ध साधनो का वितरण समस्त राष्ट्र के अधिकतम हित के लिए किया जाना था। साधनो की उपलब्धि एव उनकी आवश्यकता के अन्तर को कम आवश्यक कार्यक्रमो मे साधनो का उपयोग न करके दूर किया जाना था। साधनो के उपयोग को विपणन तान्त्रिकता (Market Mechanism) के आधीन नहीं छोडा जाना था, अन्यथा अनावश्यक कार्यक्रमो की पूर्ति में साधनो के उपयोग का अवसर मिल सकता था। इस प्रकार लेबर सरकार ने आर्थिक नियोजन को युद्धोपरान्त

अपूर्णाताओं का सामना करने के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के धन, साधन, पूँजीगत सामग्री तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति जिसकी युद्ध में क्षति हुई थी, उसकी पूर्ति करने हेतु भी आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से भी लेबर सरकार को दश में समाजवाद स्थापित करने हेतु आर्थिक नियोजन की शरण लेना स्वाभाविक था। १९४६ एव १९४७ में कुछ उद्योगों एव सेवाओं के राष्ट्रीयकरण में आर्थिक नियोजन के संचालन को सुलभ बना दिया।

ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय साधनों का राष्ट्र की आवश्यकतानुसार उपयोग करना था। इसके अतिरिक्त पूर्ण रोजगार, करपाण-वारी राज्य (Welfare State) का निर्माण तथा राष्ट्रीय आय का और अधिक समान वितरण नियोजन के सहायक उद्देश्य थे। ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन के विस्तृत रूप को नहीं अपनाया गया। वास्तव में यह एक रूप में आर्थिक नियोजन कहा जायगा। इसके अन्तर्गत ब्रिटेन की अर्थ व्यवस्था में कुछ ही क्षेत्रों के लिए आयोजन किये गये। विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों के लिए विस्तृत लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किये गये। केवल कुछ बृहत् उद्योगों के लिए ही उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये गये। नियोजकों को इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कोई विशेष दायें नहीं करने थे। इनकी पूर्ति निजी साहसियों को करनी थी जिन्हें सरकार द्वारा सुविधाएँ एव प्रलोभन प्रदान किये गये। सरकार निजी साहसियों को सलाह भी देती थी। सरकार को उत्पादकों को कोई आदेश नहीं देने थे। फिर भी कहीं कहीं सरकार ने उत्पादकों एव श्रमिकों को आदेश जारी किये जिससे आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति होती रहे। ब्रिटेन में योजनाएँ दीषनाल के लिए निर्धारित नहीं की गयीं। ये एक वर्ष या उससे भी कम काल के लिए बनायीं गयीं। इन योजनाओं में अल्पकालीन समस्याओं के निवारण का आयोजन किया गया।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहना अनुचित न होगा कि ब्रिटेन के आर्थिक नियोजन को वास्तविक नियोजन नहीं कहा जा सकता, वह तो केवल एक ढाँचा माना था। ब्रिटेन के आर्थिक नियोजन के तीन मुख्य तत्व थे—

(१) एक ऐसी संस्था का निर्माण, जिसके पास विस्तृत सार्वजनिक एव सूचनाएँ हों जिससे राष्ट्र के भौतिक एव वित्तीय साधनों का अनुमान लगाया जा सके और उपलब्ध साधनों के आधार पर, अर्थ-व्यवस्था के बृहत् क्षत्र में लक्ष्य निर्धारित किये जायें।

(२) विभिन्न कच्चे माल, वित्त, धन आदि के लिए आर्थिक अनुमान

पत्रक (Economic Budgets) तैयार करना जिससे उपलब्ध साधनों में तथा नियोजन के लक्ष्यों में सम्बन्ध स्थापित किया जा सके ।

(३) उन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधियों का निर्धारण जिनसे राज्य अर्थ-व्यवस्था को इच्छित दिशाओं में प्रवाहित करने हेतु प्रभावित कर सके परन्तु उत्पादकों के दिन प्रति-दिन के कार्यों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना था ।

नियोजन सम्बन्धी निर्णयों का सर्वोच्च अधिकार मन्त्रीमण्डल (Cabinet) को था । कैबिनेट की सहायतायें दो महत्वपूर्ण समितियाँ बनायी गयीं—आर्थिक नीति समिति तथा उत्पादन समिति । आर्थिक नीति समिति के अध्यक्ष स्वयं प्रधान मन्त्री थे और यह समिति आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती थी । उत्पादन समिति के अध्यक्ष चान्सेलर ऑफ़ एक्सचेंजर (Chancellor of Exchequer) थे और यह समिति विनियोजन के कार्यक्रम निर्धारित करती थी । आर्थिक मामलों पर विभिन्न मन्त्रालयों को सलाह देने हेतु वन्द्रीय सार्व्य कार्यालय तथा आर्थिक सचिवालय (Economic Secretariat) दो सरकारी सेवाएँ थी । इसके अतिरिक्त आर्थिक नियोजन का कार्यालय जो मुख्य नियोजन अधिकारी के अधीन था, नियोजन सम्बन्धी मामला पर क्वल सलाह दान का कार्य करता था । यह अधिकारी राष्ट्रीय हित के आर्थिक मामलों पर विचार करके नवीन कार्यक्रमों पर सलाह देता था । इनके अतिरिक्त एक प्रतिनिधि सस्था आर्थिक नियोजन परिषद थी, जिसमें सरकार भ्रम तथा उद्योगों के प्रतिनिधि थे । यह सस्था नियोजन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करती थी । सरकारी विभाग तथा अन्तर्विभागीय समितियाँ भी नियोजन व्यवस्था का मुख्य भाग थी । ये उत्पादन तथा विनियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम बना कर, उच्च अधिकारियों एवं सस्थाओं के पास भेजती थीं ।

प्रत्येक वर्ष आर्थिक बजट लोकसभा में भाषण कराने के पूर्व आर्थिक गति-विधि की जाँच (Economic Survey) (फरवरी के अन्त अथवा मार्च के प्रारम्भ में) में प्रकाशित की जाती थी । इसमें आगामी वर्ष की योजना भी सम्मिलित होती थी । प्रत्येक वर्ष योजना निर्माण का कार्य एक वर्किंग पार्टी (Working Party) द्वारा किया जाता था जिसका अध्यक्ष आर्थिक विभाग का अध्यक्ष होता था और जिसमें आर्थिक विभाग, केन्द्रीय सार्व्य कार्यालय तथा नियोजन स्टाफ तथा सरकारी विभाग के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते थे । वर्किंग पार्टी (Working Party) द्वारा बनायी गयी प्रस्तावित योजना पर आर्थिक विभाग के स्थायी अध्यक्ष भी विचार करते थे । इसके पश्चात् इस

योजना को आर्थिक नियोजन परिपद को भेजा जाता था जिमसे इसके कार्यक्रमों में यह परिपद सलाह दे सके। इस परिपद की सलाह सहित प्रस्तावित योजना को केबिनेट की उत्पादन समिति के पास भेज दिया जाता था जो इसको अन्तिम स्वीकृति देती थी और फिर यह नियोजन स्टाफ को वापस कर दी जाती थी।

सयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक नियोजन'

जिस प्रकार रूस का अर्थ-व्यवस्था का नियोजित अर्थ व्यवस्था का आदर्श रूप समझा जाता है त्रिकुल उसी प्रकार सयुक्त राज्य अमेरिका का पूंजीवाद का आदर्श स्वरूप कहा जा सकता है। सयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था का नियोजित अर्थ-व्यवस्था कहना किसी प्रकार उचित नहीं है, क्योंकि इस अर्थ व्यवस्था में स्वतंत्र साहस को विशेष स्थान प्राप्त है। परन्तु नियोजन के कुछ तत्वा को अवश्य ही सयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया है। सन् १९३० में ही अमेरिका के शासन ने कान्स के इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में स्थिरता तथा विकास का प्रबन्ध करे। इस सिद्धांत को कार्यात्मक देने हेतु राज्य को स्वतंत्र साहस के लिए आर्थिक नीतियां के विस्तृत सिद्धान्त निर्धारित करना आवश्यक था। इसीलिए प्रसीडेंट रूजवेल्ट ने नवम्बर सन् १९३२ में सत्ता संभालने के पश्चात् मंदी का निवारण करने हेतु New Deal के नाम से कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए। New Deal के अन्तर्गत तीन प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किये गये—

(अ) सहायता सम्बन्धी कार्यक्रम (Relief Programmes)

(आ) पुर्ननिर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम (Recovery Programmes)

(इ) सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम (Reform Programmes)

प्रसीडेंट रूजवेल्ट ने निम्नलिखित कार्यावाहियां की—

(१) मंदी के कारण बैंको के फल होने को रोकने के हेतु अस्थायी रूप से समस्त बैंको को बन्द रखने का आदेश दिये गये।

(२) स्वर्ण विपरिणयो पर कठोर नियंत्रण रखने हेतु प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय सम्बन्धी नियम निर्धारित कर दिये गए।

(३) व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्वर्णमान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और कागजी मुद्रामान को चालू किया। यह कार्यावाही नियंत्रित मुद्रा स्फीति को अर्थ व्यवस्था में स्थान देने के लिए की गयी जिससे मूल्य स्तर में वृद्धि हो सके।

(४) मई सन् १९३३ में Federal Emergency Relief

Administration की स्थापना की गयी। यह सस्था बरोजगारों को खाना, वस्त्र तथा रहन के स्थान के रूप में सहायता देती थी। इसके प्रतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में बहुत से कार्य चालू किये गए जिनमें अस्थायी रूप से रोजगार प्रदान किया जा सके।

(५) कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा पर्याप्त ऋण तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने का आयोजन किया गया और कृषि में उपयोग आन वाली भूमि में होने वाली कमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

(६) National Industrial Recovery Act पास किया गया जिसमें सरकारों औद्योगिक कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सके तथा निजी उद्योगों का प्रोत्साहन दिया जा सके। उद्योगों का विकास करके १२ मिलियन लोगों का रोजगार के अवसर प्रदान करना था।

(७) Social Security Act सन १९३५ के अंतर्गत फंडरल सरकार वृद्ध लोगों की सहायता तथा आर्थिक सहायता देना था। वृद्ध एवं अशक्तों को प्राप्त श्रमिका में वार्षिक वृद्धि की योजना भी संचालित की गयी तथा बेरोजगारों में बीमा का भी आयोजन किया गया।

इन समस्त वायव्याहियों के फलस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुए परन्तु सन् १९३७ में एक बार फिर मंदी का वातावरण उत्पन्न हुआ। इस मंदी का सामना करने हेतु New Deal का सस्थाओं को फिर कार्यशील बनाया गया। इस समय द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया जिससे वस्तुओं और सेवाओं की माँग में वृद्धि होने से मूल्य बढ़ने प्रारम्भ हो गये। द्वितीय महायुद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु अमरीकी नासन ने जो नियोजित कार्यक्रमों की, उनके मुख्य उदाहरण निम्न प्रकार हैं—

(१) १३ जनवरी सन् १९४२ का एक युद्ध उत्पादन बोर्ड (War Production Board) की स्थापना की गयी जिसमें सैनिक एवं अर्धसैनिक उत्पादन सम्बन्धी समस्त अधिकार दिये गये। बाद में यह सस्था अत्यन्त शक्तिशाली हो गयी और उत्पादन का प्राथमिकताओं के साथ उत्पादन के विभिन्न दुर्लभ (Scarce) साधनों एवं घटका के बटवारे का निश्चय करने लगा।

(२) उपभोग वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रित करने हेतु मूल्य प्रशासन के कार्यालय (Office of the Price Administration) की स्थापना की गयी। इसके उपभोग वस्तुओं के क्रय को नियंत्रित करने का भी अधिकार था।

(३) राष्ट्रीय युद्ध धर्म बोर्ड की स्थापना की गयी। इस बोर्ड को युद्ध काल में

अथवा एव प्रस्तावों के समझौते में पक्ष कसना (Arbitrate) करने का भी अधिकार था।

(४) विदेशों से मुद्रा सामग्री प्राप्त करने तथा गन्तव्यों की मुद्रा सामग्री न भेजने के लिए आर्थिक वित्तिय परिषद (Board of Economic Welfare) की स्थापना की गयी।

मुद्रावाजीन इस व्यवस्था ने यह स्पष्ट है कि अमरीकी अर्थ व्यवस्था ने नियोजित अर्थ व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लिया। मुद्रापरत भी अमरीकी प्रशासन ने नियोजित व्यवस्था को जारी रखा। मुद्रापरत बेरोजगार तथा मुद्रा स्फीति दोनों समस्याओं की समान सम्भावना थी। मुद्रा समाप्त होने पर मुद्रा स्फीति का दसाव बटने तथा और मूल्य प्रशासन कार्यालय में उपभोक्ता वस्तुओं के नियमन के लिए आवश्यकियाँ थीं।

सन् १९४६ का रोजगार एक्ट (Employment Act 1946)— इस एक्ट को आर्थिक नियोजन का एक स्वरूप बताया जाता है। रोजगार एक्ट के अन्तर्गत फंडरन सरकार का उत्तरदायित्व था कि अधिकारी रोजगार उद्घाटन तथा अर्थ शक्ति का आयोजन करे। एक्ट में एक विशेष आर्थिक अधिकारों नियुक्त करने का आयोजन था। प्रसिडेण्ट को एक आर्थिक सलाहकारों की काउंसिल (Council of Economic Advisors) जिसमें तीन आर्थिक विशेषज्ञ हो, को नियुक्त करने का अधिकार था। प्रसिडेण्ट इस काउंसिल की सहायता से प्रत्येक वर्ष जावरी में अथवा जितनी बार प्रसिडेण्ट चाहे, वर्तमान आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाली एक आर्थिक रिपोर्ट अमरीकी काँग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत करे और अर्थ व्यवस्था में सुधार करने हेतु आवश्यक सकारिष करे। अमरीक काँग्रेस की दोनों गृह (Houses) एक Standing joint Committee नियुक्त करते थे जो प्रसिडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रिपोर्ट एवं शिफारिशों का अध्ययन करने अपने विचार अमरीकी काँग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत करता था। तत्पश्चात् अमरीकी काँग्रेस अपने निरक्षय घोषित कर सकती थी और उस सम्बन्ध में विधान बना सकती थी। प्रसिडेण्ट की Council of Economic Advisors को अपनी आर्थिक रिपोर्ट तैयार करने हेतु उद्योग शक्ति श्रम, राज्य एवं स्थानीय सरकारों तथा अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों से विचार विनिमय करने का अधिकार था। एक्ट के अनुसार प्रसिडेण्ट की आर्थिक रिपोर्ट में आर्थिक वायव्यता का विवरण जिसमें रोजगार उद्घाटन एवं अर्थ शक्ति के रूप तथा एक्ट में निर्धारित नीति का कार्यान्वयन करने हेतु वायव्यता देना आवश्यक था। सन् १९४६ का रोजगार एक्ट अब एक

शक्तिशाली सत्था बन गया है जिसके द्वारा अमरीकी अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता लाना सम्भव हो सका है। इसके द्वारा अमरीकी अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख दोष मन्दी एवं तेजी (Recession and Booms) को दूर करना सम्भव हो सका है।

“इन्डोनेशिया में आर्थिक नियोजन”

इन्डोनेशिया देश ३,००० Islands से मिलकर बना जो कि ४,००० मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह एक कृषि-प्रधान देश है। यहाँ चावल, रबर, शक्कर, नारियल तथा खनिज तेल का बहुत उत्पादन होता है। चावल के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को अधिकतर निर्यात कर दिया जाता है। निर्माण सम्बन्धी बड़े उद्योग अत्यन्त कम हैं और दस्तकारी उद्योगों का इन्डोनेशिया की अर्थ-व्यवस्था में अधिक महत्व है।

इन्डोनेशिया की पंचवर्षीय योजना—सन् १९५५ तक इन्डोनेशिया में आर्थिक विकास के लिए कोई समन्वित योजना नहीं कार्यान्वित की गयी। सन् १९५५ से पूर्व इन्डोनेशिया सरकार ने आर्थिक विकास हेतु कभी-कभी परि योजनाएँ (Projects) एवं विकास कार्यक्रमों को प्रथम-प्रथम संचालित किया। सन् १९५५ वर्ष के अन्त में राजकीय नियोजन ब्यूरो (State Planning Bureau) द्वारा एक पंचवर्षीय योजना बनायी गयी जिसका कार्यकाल सन् १९५६ से सन् १९६० तक निर्धारित किया गया। इसको पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने इसे विधान के रूप में घोषित किया। योजना के कार्यक्रमों को सरकार द्वारा कार्यान्वित करना था। सरकार की आर्थिक नीति थी कि उत्पादन के माध्यमों को यथामुभव पूंजीगतियों के हाथ में जाने से रोका जाय।

योजना के अन्तर्गत सरकार को १२.५ बिलियन रुपिया (Rupias) सरकारी व्यवसायों एवं परियोजनाओं के विकास एवं विस्तार हेतु तथा निजी क्षेत्र में पूंजी एवं श्रम के विनियोजन को प्रोत्साहित करने हेतु व्यय करना था। इसके अतिरिक्त योजना काल में निजी साहसियों को १० बिलियन रुपिया की पूंजीगत वस्तुओं प्राप्त करने का अधिकार था। साथ ही ग्रामीण समुदाय की पारस्परिक सहायता से योजना काल में ७.५ बिलियन रुपिया का विनियोजन करने का लक्ष्य था। इन सब विनियोजनों द्वारा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय एवं उत्पादन में वृद्धि करनी थी।

योजना में सिचाई एवं नक्ति की परियोजनाओं को अधिक प्राथमिकता दी गयी और दूसरा स्थान उद्योग एवं खनिज को दिया गया। इनमें से प्रत्येक मद्द पर सरकार द्वारा ३१.५५ बिलियन रुपिया विनियोजन करना था। दूसरे शब्दों

में यह कह सकते हैं कि सरकारी विनियोजन की समस्त राशि अर्थात् १२,५०० मिलियन रुपिहा का ५०% भाग शक्ति एवं सिंचाई तथा उद्योग एवं खनिज पर विनियोजित होना था। इन दो मदों को अधिक प्राथमिकता देने का कारण यह था कि इन्डोनसो अथ व्यवस्था इन दो क्षेत्रों में अत्यंत पिछड़ी हुई थी। सिंचाई एवं शक्ति के साधनों में वृद्धि करन हेतु बहुत सी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को इस योजना में सम्मिलित किया गया। सिंचाई के साधनों को इतना बढ़ाने का लक्ष्य था कि चावल का उत्पादन ७ १२६ ३२६ टन (सन् १९५५) से बढ़ कर सन् १९६० में ८२ लाख टन हो जाय। शक्ति के साधनों को बढ़ाने का लक्ष्य ८६० KW घन्ट (सन् १९५५ में) से बढ़कर १,३००० मिलियन KW घन्ट हो जाय। औद्योगिक वायुक्रमों को इस प्रकार निर्धारित किया गया कि वर्तमान उद्योगों का विवास करन के लिए विदेशी मुद्रा की वचत हो सके तथा लोहा, इस्पात, रसायन आदि के उद्योग को सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा सके। सरकारी क्षेत्र में सुमात्रा गैस आशान कम्प्लेक्स (Ashan Complex) समुक्त लोहा इस्पात परियोजना (Joint Iron and Steel Projects), रसायन एवं खाद परियोजना तथा रेयन (Rayon) उद्योग की स्थापना की जाती थी। सरकारी क्षेत्र के कारखानों में २३ मिलियन रुपिहा का विनियोजन किया जाना था। आशान कम्प्लेक्स में शक्ति उत्पादन करने का एक प्लांट अल्युमिनियम का कारखाना सुपर फास्फट खाद का कारखाना, सीमेन्ट का कारखाना, इन कारखानों से सम्बंधित धातायात तथा हारबर (Harbour) की सुविधाएं तथा एक लुन्दी एवं वायुज का कारखाना भी सम्मिलित थे। खाद एवं रसायन परियोजना में वास्टिन सोडा ग्रसेटिक एसिड, गंधक का तेजाब अमोनिया यूरिया (Urea) खाद तथा सुपर फास्फट के कारखान भी सम्मिलित थे। रेयन उद्योग के विस्तार हेतु पालेमबाग (दक्षिणी सुमात्रा) में ७०० मिलियन रुपिहा का लागत से एक रेयन के कारखाने की स्थापना करनी थी।

खनिज के क्षेत्र में ७५७ मिलियन रुपिहा का आयोजन वर्तमान राष्ट्रीय खनिज व्यवसायों में सुधार करन के लिए जिया, गय, १, देश, के अथ, क्षेत्रों में उपस्थित खनिज के सम्बन्ध में अधिक खूना एकत्रित करन का आयोजन किया गया। तत्कालीन तेल कोयला टिन डॉकसाईट आदि खनिज उद्योगों के विकास का भी प्रबन्ध खनिज वायुक्रमों में किया गया।

योजना के विभिन्न वायुक्रमों के संचालन के लिए अर्थ का प्रबन्ध देश के अन्तर्गत साधनों से किया जाता था। सरकार को यह विश्वास था कि योजना

के लिए आवश्यक वित्त देश के साधनों से प्राप्त हो सकेगा और विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्डोनेशिया के नियोजन ब्यूरो ने चार पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा सन् १९७५ तक राष्ट्रीय आय से ९५% तथा प्रति व्यक्ति आय में ४०% वृद्धि करने का अनुमान लगाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय में १५% तथा प्रति व्यक्ति आय में ८% वृद्धि होने का लक्ष्य रखा गया।

“सीलोन में आर्थिक नियोजन”

सालान चय, खड एव नारियल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। परन्तु इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश को खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है। खाद्यान्नों का आयात देश के आर्थिक विकास में बाधक बन गया है क्योंकि विदेशी मुद्रा का अधिकांश भाग विकास सामग्री के स्थान पर खाद्यान्नों के आयात पर व्यय हो जाता है। सीलोन ने पिछले १२ वर्षों में अपनी दो छह वर्षीय योजनाओं से देश के आर्थिक साधनों में वृद्धि करने का प्रयास किया है।

प्रथम छह वर्षीय योजना (१९४७-४८ से १९५२-५३)—इस योजना में १,२४६ मिलियन रुपया व्यय किया गया जो निम्न प्रकार से है—

तालिका सं० १२—सीलोन की प्रथम योजना का व्यय

मद	व्यय (मिलियन रुपया)	योग से प्रतिशत
(१) यातायात एव संचार	३०२४	२४.२
(२) ई धन एव शक्ति	७४२	६.०
(३) सामाजिक पूर्णजी	२५१५	२०.२
(४) कृषि, मछली पालन तथा वन	५१८८	४१.६
(५) उद्योग	६५४	५.३
(६) अन्य	३४१	२.७
	<u>१ २४६४</u>	<u>१००%</u>

इस प्रकार लगभग ५०% आधारभूत सेवाओं जैसे यातायात एव संचार, ई धन एव शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवास गृह आदि पर व्यय हुआ। ४१.६% कृषि एव मछली पालन तथा वन सम्पत्ति आदि उद्योगों के विकास पर व्यय हुआ।

इस योजना के अन्तर्गत ४०,००० हेक्टर (Hectors) भूमि का सुधार धान की खेती के लिए किया गया जो कि योजना के लक्ष्य से १२,००० हेक्टर कम थी। नारिया के मुद्द के कारण देश से अधिक निर्यात किया गया और निर्यात करने से सरकार को आय प्राप्त हुई। इसीलिए योजना का दो तिहाई

विकास व्यय सरकार की चालू आय में से किया गया। प्रथम योजना में प्रति-व्यक्ति आय सन् १९३८ के मूल्यों के आधार पर १३१ रुपये (सन् १९४८ में) से बढ़ कर सन् १९५१ में १६४ रुपये हो गई। परन्तु सन् १९५३ में यह आय घट कर १४९ रुपये हो गयी।

द्वितीय छै वर्षीय योजना (सन् १९५४-५५ से सन् १९५९-६०)—

द्वितीय योजना, कोलम्बो योजना तथा अन्तर्राष्ट्रीय निर्माण एंव विकास बैंक के विकास कार्यक्रमों से समर्थित की हुई थी। इस योजना का व्यय २५२९ मिलियन रुपया निर्धारित किया गया जिसका वितरण निम्न प्रकार किया गया—

तालिका स० १३—सीलोन की द्वितीय योजना का व्यय

मद	(मिलियन रुपया)	योग से प्रतिशत
यातायात एंव संचार	८५००	३३ १
सामाजिक पूर्जा	४०२७	१५ ९
कृषि, मछली उद्योग तथा वन	९२२ ६	३६ ५
ग्रामीण विकास	५७ ६	२ ३
उद्योग	१११ ८	४ ४
अन्य	८९ ५	४ ०
रक्षा (Defence)	९४ ६	३ ८
	<u>२५२८ ८</u>	<u>१०० ०%</u>

योजना के समस्त व्यय की राशि में से लगभग आधा भाग नवीन परियोजनाओं पर व्यय होना था, तथा शेष तत्कालीन चालू योजनाओं को पूरा करने हेतु रखा गया था। योजना का उद्देश्य उत्पादन क्षमता में द्रुतगति से वृद्धि करना था। यह वृद्धि की गति जनसंख्या की वृद्धि की गति से अधिक होनी थी। आधारभूत आर्थिक सेवाओं में पर्याप्त वृद्धि का आयोजन किया गया तथा इससे कुछ नवीन योजनाओं को चालू करना था। कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक प्राथमिकता धान उत्पादन हेतु सिंचाई तथा पुनर्वासि को दी गयी। ग्राम विस्तार योजनाओं द्वारा १,४०,००० परिवारों को नवीन सिंचित भूमि पर पुनर्वासित करने का आयोजन था। ४८,००० हेक्टर भूमि को सिंचित करने का भी आयोजन था। खर एंव नारियल की पुनर्पौध (Replanting) लगाने को भी अधिक प्राथमिकता दी गयी थी।

सरकार की नीति के अनुसार उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र में होना था। इसीलिये योजना में औद्योगिक विकास हेतु कम राशि निर्धारित की गयी।

योजना मे ३५ मिलियन रुपया सरकार के निजी उद्योगो मे Participation करने हेतु आयोजित किया गया ।

योजना की अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध मे कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित नहीं किये गए । विकास व्यय के आयोजन प्रत्येक वर्ष की परिवर्तित आर्थिक स्थिति के अनुसार बजट मे किया जाना था । सीलोन की सरकारी आय का अधिकांश भाग निर्यात-कर से प्राप्त होता है और निर्यात-कर की प्राप्ति मूल्यो मे परिवर्तन करने के कारण सदैव अनिश्चित होती है । यद्यपि सीलोन ने विदेशो से तांत्रिक एवं वित्तीय सहायता प्राप्त की परन्तु योजना के संचालन हेतु सीलोन सरकार अपने ही साधनो पर अविवर्ध निर्भर थी ।

‘बर्मा मे आर्थिक नियोजन’

बर्मा मे प्राकृतिक साधनो की बहुतायत है । वन एवं खनिज सम्पत्ति तथा जल विद्युत शक्ति के साधन बड़ी मात्रा मे मौजूद हैं, जिनका अभी तक शोषण नहीं किया गया है । द्वितीय महायुद्ध मे जापान द्वारा आक्रमण के कारण बर्मा की अर्थ-व्यवस्था को अत्यधिक क्षति पहुँची । द्वितीय महायुद्ध के बाद बर्मा पर फिर ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया और राजनीतिक सघर्ष प्रारम्भ हो गया । भारत के साथ बर्मा को भी स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और महायुद्ध एवं आन्तरिक अशांति के कारण हुए आर्थिक विध्वन को पुनर्निर्माण हेतु विकास योजनाओ को कार्यान्वित किया गया ।

आठवर्षीय विकास योजना—परेनु उत्पादन को युद्ध के पूर्व के स्तर पर लाने हेतु बर्मा सरकार के आर्थिक एवं तंत्रीय सलाहकारो ने आठवर्षीय आर्थिक विकास कार्यक्रम बनाया । बर्मा के राजनीतिक नशा रूस की नियोजित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत हुए आर्थिक विकास मे बहुत प्रभावित हुए और बर्मा के सन् १९४८ के सन्निधान मे पूर्णरूपेण नियोजित अर्थ-व्यवस्था का आयोजन किया गया । आठवर्षीय विकास योजना अक्टूबर सन् १९५१ मे प्रारम्भ होनी थी, परन्तु योजना को कार्यान्वित करने हेतु पर्याप्त संयारियाँ न होने के कारण योजना का प्रारम्भ एक वर्ष बाद अक्टूबर सन् १९५० मे हो सका । इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सकल उत्पादन जो सन् १९५१-५२ मे ३६०० मिलियन क्वात् (Kvat) था, को बढ़ा कर सन् १९५६-६० तक ७,००० मिलियन क्वात् करने का लक्ष्य था । प्रति व्यक्ति आय सन् १९५१-५२ के स्तर २०१ क्वात् से बढ़ कर सन् १९५६-६० तक २४० क्वात् (सन् १९५१-५२ के मूल्यो पर) होने का अनुमान था अर्थात् प्रति व्यक्ति आय मे योजना काल मे ६६% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया । इसी प्रकार प्रति व्यक्ति उपभोग भी १४६ क्वात्

से बढ़ कर २२४ ब्यात होन का अनुमान था अर्थात् ५४% की वृद्धि करन का लक्ष्य रखा गया था ।

योजना में ७५०० मिलियन ब्यात का विनियोजन आठ वर्षों में किया जाना था । इस राशि में २४०० मिलियन ब्यात निजी साहस तथा ३१०० मिलियन ब्यात सरकार द्वारा विनियोजन किया जाना था । योजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं का अनुमान २५०० मिलियन ब्यात था । ७५०० मिलियन ब्यात के विनियोजन में ५५०० मिलियन ब्यात उत्पादक पूंजी, २००० मिलियन ब्यात सामाजिक पूंजी (अर्थात् निवास गृह स्कूल, चिकित्सा की सुविधाएँ आदि) के लिए निर्धारित किया गया था । योजना का निर्माण करते समय दो मान्यताओं को आधार बनाया गया था । प्रथम था चावल का मुख्य याजना काल में ४५ पीड प्रति टन से कम नहीं होगा और बर्मा चावल का निर्यात करके योजना के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपार्जित कर सकेगा परन्तु चावल के मूल्यों में गिरावट हा गयी और योजना के कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा की कमी पडी । विदेशी मुद्रा की कमी की पूर्ति करन हेतु बर्मा को भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय बक में ऋण प्राप्त करन पड । याजना का दूसरी मान्यता यह थी कि बर्मा सरकार विद्रोहियों के अधिकार में रहन वाले क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लेगा और विद्रोहियों का सतुष्ट कर सकेगा । परन्तु योजना काल में विद्रोहियों की नतिविधि और तीव्र हा गयी और बर्मा सरकार को अपनी आगम आय का लगभग ४०% रक्षा पर व्यय करना पना । रक्षाव्यय बढ़न के कारण विकास व्यय को कम करना आवश्यक हा गया । याजना में सन् १९५६-६० तक धान उगाए जात वाल क्षेत्र में वृद्धि के पूर्व की तुलना में ४% की वृद्धि करन था । परन्तु विद्रोहियों के अधिकार में बडा क्षेत्र रहन के कारण, इस लक्ष्य की पूर्ति करन सम्भव नहीं हो सका है । इसके अतिरिक्त तांत्रिक विशयज्ञों की कमी के कारण निचाइ की सुविधाओं में भी पर्याप्त वृद्धि नहीं की जा सकी ।

उद्योगों के क्षेत्र में योजना में निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये थे—

(१) बढ़ती हुई जनसंख्या को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जाय ।

(२) औद्योगिक आत्म निर्भरता प्राप्त करन के लिए विदेशों पर निर्भर न रहा जाय ।

(३) बर्मा की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जाय । औद्योगिक कार्यक्रमों में आधारभूत उद्योगों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी । इसके पश्चात् उन

उद्योगो को स्थान दिया गया जो इन आधारभूत उद्योगो की निमित्त वस्तुओ का उपयोग करते हो। सन् १९५३ की विदेशी मुद्रा की कठिनाइयो के कारण इन उद्योगो के विकास कार्यक्रमो मे काट-छाँट की गयी। दूसरी ओर प्रशिक्षित कर्मचारियो की कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्र मे लक्ष्य के अनुसार विकास नहीं किया जा सका और बर्मा की सरकार को औद्योगिक नवीन इकाइयो को निजी क्षेत्र मे स्थापित करने की अनुमति देनी पडी। सन् १९५५ मे रूसी नेताओ से औद्योगिक विकास हेतु आर्थिक सहायता का आश्वासन मिलन पर औद्योगिक कार्यक्रमो मे कुछ वृद्धि भी की गयी, फिर भी औद्योगिक विकास की गति लक्ष्य के अनुसार न रह सकी और आधारभूत उद्योग जैसे, लोहा एव इस्पात आदि की स्थापना भी मुहब्द न हो सकी। यातायात एव संचार के लिए १७५ मिलियन ब्यात का आयोजन किया गया था। इस राशि मे मे आधा भाग सडक यातायात तथा शेष आन्तरिक जल यातायात के विकास के लिए निर्धारित किया गया था। रेल यातायात के क्षेत्र मे लगभग १०० रेलवे स्टेशनों को फिर चालू करन तथा रीलिग स्टॉक के सपह का प्रबन्ध किया गया था। परन्तु विद्रोहियो की नायवाहिया के कारण इस क्षेत्र मे लक्ष्य के अनुसार विकास नहीं हो सका।

“फिलीपाइन्स मे आर्थिक नियोजन”

फिलीपाइन्स का क्षेत्र लगभग ३ लाख किलोमीटर है जिसमे से लगभग आधा भाग बनो स टके पहाड है। समस्त क्षेत्र का लगभग ६ भाग कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। देश मे सोना, बच्चा लोहा, कोयला तथा क्रोमाइट की खानें ह। कृषि उत्पादन की मुख्य मदे चावल, नारियल, शक्कर, अबकाका (Mannila hamp) हैं। कृषि द्वारा लगभग ७५% जनसख्या को रोजगार मिलता है। उद्योगो के क्षेत्र मे यह देश पिछडा हुआ है और अधिकतर औद्योगिक वस्तु सद्युक्त राज्य अमरीका से प्राप्त हाती हैं।

पचवर्षीय विकास कार्यक्रम (सन् १९५४-१९५९)—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ४१०६ मिलियन पेसो (Peso) का विनियोजन किया जाना था। योजना के मुख्य उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय को पांच वर्षों मे ३६% तथा बेरोजगार जो समस्त धर्म शक्ति का १५% था, को कम करके ६% करना था। विनियोजन की ६ मे भी अधिक कृषि विकास के लिए निर्धारित किया गया। योजना के कार्यक्रमो के फलस्वरूप कृषि उत्पादन राष्ट्रीय आय का सन् १९५२ में ४०% था, १९५९ मे ३२% हो जायगा, निर्माण-उद्योगो का उत्पादन राष्ट्रीय आय का ३४% से बढ़ कर १३७% और निर्माण सम्बन्धी उद्योगो (Manufacturing Industries) का उत्पादन ७.५% से बढ़ कर १५.१% हो

जायगा। इस प्रकार योजना में उद्योगों के विकास को अधिक प्राथमिकता दी गयी थी। योजना की विनियोजन राशि को विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार वितरित किया गया—

विनियोजन कार्यक्रम (सन् १९५४-५५ से १९५८-५९) (मिलियन पैसे में)
तालिका १४—फिलीपाइन की योजना में विनियोजन

मद	सरकारी विनियोजन	निजी विनि- योजन	योग	योग से प्रतिशत
कृषि	१७५	६५३	८२८	२०.२%
खनिज	—	२२०	२२०	५.४%
निर्माण उद्योग	५५५	६६३	१ २१८	३०.४%
यातायात एवं संचार	६६	३२६	३९२	९.५%
निर्माण	८५०	४४७	१ २९७	३२.३%
अन्य	९१	—	९१	२.२%
	<u>१ ७३७</u>	<u>२,३३६</u>	<u>४,१०६</u>	<u>१००.०%</u>

कृषि कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य निर्यात होन वाली फसलों के उत्पादन में प्रतिस्पर्धी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत वृद्धि करना था। प्रथम दो वर्षों में खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता प्राप्त करना था। कच्चे माल जैसे कपास तथा अन्य रेशोदार फसलों के उत्पादन में देश की कच्चे माल की आवश्यकताओं का कम से कम ५०% पूर्ति के लिए वृद्धि करना था। कम लागत की लकड़ी का आयोजन करना था जिससे १,००,००० घरों का निर्माण किया जा सके। खाद्यान्नों के उत्पादन को ७३ मिलियन टन (सन् १९५५) से बढ़ा कर ११३ मिलियन टन (सन् १९५९) करने का लक्ष्य था। सिंचित भूमि को ४,८०,००० हेक्टर (सन् १९५३) से बढ़ा कर ७,००,००० हेक्टर (सन् १९५९) करना था।

उद्योगों के क्षेत्र में शक्ति एवं ईंधन को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया। २६ जल विद्युत शक्ति योजनाओं द्वारा ४,४८,४२५ KWH अतिरिक्त शक्ति उत्पादन करने का आयोजन किया गया था। लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास करके १,२०,००० टन पिण्ड लौह तथा १,००,००० टन इस्पात उत्पन्न करने का लक्ष्य था। सन् १९५९ तक रसायन एवं खाद के उत्पादन को ३ लाख टन करने का अनुमान था। सूती वस्त्र एवं रेयन उद्योग के विकास के लिए भी कार्यक्रम निर्धारित किये गये थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधाएँ प्राप्त करने तथा माल ढोने का

प्रबन्ध करने के लिये भी आयोजन किये गये थे। बन्दरगाहो के पुनर्वास, (Rehabilitation), वाटर वर्क्स का विकास, हवाई मार्गों, सरकारी भवनो, शिक्षा तात्त्विक प्रशिक्षण, ग्रन्थेपरण, जन-स्वास्थ्य, समाज-कल्याण आदि सभी के विकास के लिये कार्यक्रम नियोजन मे सम्मिलित किये गए थे।

विनियोजन की समस्त विनियोजन राशि मे से २३६६ मिलियन पैसेो अर्थात् ५८% निजी क्षेत्र मे विनियोजन होना था और शेष सरकारी क्षेत्र का विनियोजन था। विनियोजन राशियाँ निम्न प्रकार उपलब्ध करने का अनुमान था—

निजी विनियोजन	मिलियन पैसेो मे	
निजी बचत	१,८२२	
बैंको से ऋण	४४७	
सरकार से ऋण	१००	
योग		२३६६
सरकारी विनियोजन		
सामान्य, विशेष एवं पूरक वितरण (Appropriation)	६५६	
सरकारी निधो स आय	१२८	
बॉड जारी करके	५००	
विदेशी अनुदान एव ऋण	१५०	
योग		१७३७
	महायोग	४१०६

"पाकिस्तान मे आर्थिक नियोजन"

पाकिस्तान के राजनीतिक नेता स्वतंत्रता के पश्चात् लम्बे समय तक पारस्परिक दलबन्दी तथा सत्ता प्राप्त करने के प्रयासो मे व्यस्त रहे और अर्थ-व्यवस्था के विकास हेतु कोई ठोस कार्यवाहियाँ नहीं की जा सकी। जन-साधारण मे वहाँ की बदलती हुयी सरकारों विश्वास उत्पन्न न कर सकी, जिससे नियोजित कार्यक्रमो के लिए जन-साधारण को त्याग करने के लिए प्रोत्साहित न किया जा सका। पाकिस्तानी शासक अरनी राजनीतिक सत्ता पर दृढ न होन के कारण कोई दृढ आर्थिक नीति निर्धारित न कर सके। इन सब कारणो के फलस्वरूप पाकिस्तान की प्रथम पधवर्षीय योजना स्वतंत्रता के ८ वर्षों के पश्चात् १ जुलाई सन् १९५५ मे प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया। परन्तु राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस योजना को सरकार की स्वीकृति सन् १९५७ तक भी नहीं मित पायी। इस योजना का

तरीकों द्वारा प्रोत्साहित करके तीव्र क्रिया जाय तथा अर्थ-व्यवस्था को व्यर्थ के प्रतिबन्धों से मुक्त किया जाय ।

(३) सभी स्तरों पर शिक्षा का विस्तार किया जाय, जिससे पर्याप्त मात्रा में योग्य नियोगी वर्ग (Personnel) प्राप्त हो सकें ।

द्वितीय योजना का समस्त व्यय १६,००० मिलियन रुपया निर्धारित किया गया । यह व्यय विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार वितरित किया गया—

(मिलियन रुपयों में)

सरकारी क्षेत्र का व्यय	६, ७५०
अर्ध-सरकारी क्षेत्र का व्यय	३, २५०
निजी क्षेत्र का व्यय	६, ०००
योग	<u>१६, ०००</u>

इस व्यय की राशि को विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार आवंटित किया गया—

तालिका सं० १५—पाकिस्तान की द्वितीय योजना का व्यय
(मिलियन रुपयों में)

मद	अर्ध-सरकारी क्षेत्र				योग
	सरकारी क्षेत्र	सरकार से अनुदान	अपने साधनों से निजी विनियोजन एवं ऋण	निजी क्षेत्र	
कृषि	१,६६०	—	—	५५०	२,५४०
जल एवं शक्ति	३,१४०	—	१६०	६०	३,३६०
उद्योग	१२५	१,०४५	५००	२,३५०	४,०५०
ईंधन एवं खनिज	१२५	१७५	—	५५०	८५०
यातायात एवं संचार	१,६६०	१६०	४२०	५३०	३,३५०
गृह एवं पुनर्वास (Housing & Settlement)	८६५	४२०	३६०	१,१३५	२,८४०
शिक्षा एवं प्रशिक्षण	८६०	—	—	१००	९६०
स्वास्थ्य	३५०	—	—	५०	४००
जन-शक्ति एवं समाज सेवाएं	६५	—	—	१५	११०
आभीण सहायता	४५०	—	—	—	४५०
योग	<u>६,७५०</u>	<u>१,७५०</u>	<u>१,५००</u>	<u>६,०००</u>	<u>१६,०००</u>

भारत के समान ही अरब गणराज्य की योजना का उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था का विकास करना तथा समाजवादी सहकारी एव प्रजातांत्रिक सिद्धान्तो पर आधारित एक विषमताहीन (Egalitarian) समाज की स्थापना करना, आर्थिक विषमताओ को समाप्त करना, समस्त नागरिको को समान अवसर प्रदान करना तथा ग्रामीण एव नागरिक बेरोजगारो को रोजगार प्रदान करना आदि उद्देश्यो की पूर्ति करना है। पंचवर्षीय योजना द्वारा दस वर्षो मे राष्ट्रीय आय को दुगुना करने, राष्ट्रीय उत्पादन को अधिक महत्व देने, राष्ट्रीय उपभोग, वचत एव विनियोजन को बढ़ाने तथा रोजगार के अवसरों मे वृद्धि करने का लक्ष्य है। इस योजना का समस्त व्यय २००४ मिलियन मिथ्री पौंड है जिसमे से १६६७ मिलियन पौंड मिश्र प्रदेश के विकास के लिए तथा ३०७ मिलियन पौंड सीरिया प्रदेश के विकास के लिए निर्धारित किया गया। दोनो क्षेत्रो की विनियोजन राशि अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे आवंटित की गयी जिनमे सिंचाई, कृषि, उद्योग, यातायात, संचार, सप्रह, गृह-निर्माण, जनोपयोगी सेवाएं सम्मिलित थीं। विनियोजन का विभिन्न क्षेत्रो मे वितरण इस प्रकार किया जाना निश्चय किया गया कि अधिकतम सफलता प्राप्त हो सके। योजना के विनियोजन कार्यक्रम निर्धारित करते समय सीरिया-प्रदेश के कृषि उत्पादन मे वृद्धि की समस्या तथा मिश्र प्रदेश की भूमि समस्याओ को भी ध्यान मे रखा गया। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओ पर योजना बनाते समय विचार किया गया था।

पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अरब गणराज्य की राष्ट्रीय आय मे ६२० मिलियन मिथ्री पौंड की वृद्धि होने का अनुमान था, जिसमे से सीरिया प्रदेश की राष्ट्रीय आय १०७ मिलियन मिथ्री पौंड तथा मिश्र प्रदेश की राष्ट्रीय आय मे ५१३ मिलियन मिथ्री पौंड की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार अरब गणराज्य की राष्ट्रीय आय मे ४०% की वृद्धि करने का लक्ष्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे वर्तमान राष्ट्रीय आय मे ६०% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा जायगा।

मिथ्री प्रदेश मे ६७५ मिलियन मिथ्री पौंड, विद्युत एव उद्योगो के विकास के लिए निर्धारित किया गया। कृषि जिसमे असवान बाँध परियोजना सम्मिलित थी, के लिए ४०० मिलियन पौंड निर्धारित किया गया। इन दो मदो के पश्चात् व्यय के आधार पर यातायात एव संचार गृह निर्माण, जन सेवाओ, आर्थिक संगठन तथा जनोपयोगी सेवाओ का प्राथमिकता दी गयी, सीरिया-प्रदेश मे कृषि विकास को सबसे अधिक महत्व दिया गया है और इस प्रदेश की योजना के

समस्त व्यय का लगभग ३०% भाग कृषि विकास के लिए निर्धारित किया गया है। दूसरा स्थान उद्योगों के विकास के लिए दिया गया और इस मद के लिए समस्त व्यय का लगभग २०% भाग निर्धारित किया गया है।

पंचवर्षीय योजना तैयार करने के साथ-साथ भरख भरखाराज्य की प्रथम जनगणना की गयी। जनगणना के आँकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या ३ करोड़ है जिसमें से २.५ करोड़ से भी अधिक जनसंख्या मिथ्र प्रदेश में रहती है। बढ़ती हुई श्रम शक्ति को उपयोगी रोजगार बढ़ने हुए उद्योगों अथवा कृषि के विस्तार में उपलब्ध कराया जायगा। योजना में अभिलाषी औद्योगिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त दोनों प्रदेशों के लिए कई बड़ी सिंचाई तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने की परियोजनाएँ भी सम्मिलित की गयी हैं। सीरिया प्रदेश में कृषि का नवीनीकरण करने तथा मिथ्र प्रदेश में महस्थलीय प्रदेशों को रद्दने योग्य चरागाह बनाने की योजनाओं पर भी जोर दिया गया है। मिथ्र प्रदेश के असवान उच्च बाँध के समान ही सीरिया में एक ऊँचा बाँध बनाने की योजना है जिसका नाम यूफ्रेट्स (Euphrates) परियोजना है। सीरिया प्रदेश में तेल उद्योग का विस्तार करने, खाद्य उद्योग का विकास, बन्दरगाहों और डॉक यार्ड तथा पाइप लाईन के विकास को अधिक महत्व दिया गया है। दूसरी ओर मिथ्र प्रदेश में बहुत से नवीन उद्योग जिनमें मोटरगाड़ी निर्माण, लोहा एवं इस्पात, सीमेन्ट, रबर की वस्तुएँ, शीशे के वर्तन आदि सम्मिलित हैं, के लिए आयोजन किया गया है। पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण-सुधार के विशेष कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं।

भाग ३
भारत में आर्थिक नियोजन



अध्याय ६

भारत में नियोजन का इतिहास

[राष्ट्रीय योजना समिति—उद्योग, कृषि, वस्त्र उद्योग—उद्देश्य, मान्यताएँ, उद्योग, कृषि, यातायात के साधन, शिक्षा, अर्थ प्रवन्धन, सामाजिक व्यवस्था, योजना के दोष, जन योजना—उद्देश्य, कृषि, औद्योगिक विकास, यातायात, अर्थ प्रवन्धन, आलोचना; विश्वेसरैया योजना—उद्देश्य एवं कार्यक्रम; गांधीवादी योजना—मूल सिद्धान्त, उद्देश्य, कृषि, ग्रामीण उद्योग, आधारभूत उद्योग, अर्थ प्रवन्धन, आलोचना; द्वितीय महासमरोपरान्त भारत में नियोजन का इतिहास—मलाहकार योजना मण्डल, अन्तरिम सरकार की नीतियाँ, औद्योगिक नीति प्रस्ताव. सन् १९४८; औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम, सन् १९५१; कोलम्बो योजना—उद्देश्य एवं कार्यक्रम]

राष्ट्रीय योजना समिति

भारत में नियोजन की आवश्यकता की ओर सर्वप्रथम सन् १९३४ में प्रसिद्ध इन्डोनिजर तथा राजनीतिज्ञ, सर विश्वेसरैया द्वारा सकेट किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक *Planned Economy for India* में यह बताया कि भारत का पुनर्निर्माण योजनाबद्ध कार्यक्रम द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस पुस्तक में बताया गया है कि राष्ट्र के सर्वोपरि आर्थिक विकास के हेतु आर्थिक नियोजन आवश्यक है। भारतीय आर्थिक सभा (Indian Economic Conference) ने अपनी सन् १९३४-३५ की वार्षिक सभा में इस पुस्तक में दिए गए सुझावों पर विचार किया। इस पुस्तक में एक दस वर्षीय योजना का कार्यक्रम बताया गया था जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय तथा समस्त उद्योगों के

उत्पादन को अल्प समय में दुगुना करने का आयोजन किया गया था। विस्तृत शिक्षा तथा औद्योगीकरण जिसमें भारी उद्योगों को विशेष महत्त्व दिया जाय, साक्ष्य तथा आवश्यक सूचना का एकत्रीकरण, व्यवसायों में सतुलन स्थापित करना, ग्राम्यीकरण की प्रवृत्तियों को रोकना आदि कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किये गये थे। यद्यपि यह योजना समुचित समय पर प्रस्तुत की गयी परन्तु आर्थिक कठिनाई, साक्ष्य की अपर्याप्तता, विदेशी जन असहयोग आदि कारणों से इसे कार्यान्वित नहीं किया गया। इसके लगभग चार वर्ष पश्चात् २ तथा ३ अक्टूबर सन् १९३८ को अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री मुभाषचन्द्र बोस ने दिल्ली में प्रान्तीय उद्योग मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन ने निश्चय किया कि निर्धनता, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए औद्योगीकरण अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्मेलन में ऐसी राष्ट्रीय योजना पर जोर दिया गया जिसमें बृहत्, आधारभूत, लघु तथा कुटीर उद्योगों का समन्वित विकास आवश्यक समझा जाय। इस सम्मेलन के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति (National Planning Committee) की स्थापना श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गयी। यह देश में सर्वप्रथम कार्यवाही थी जिसके द्वारा राष्ट्र की महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का अध्ययन तथा उनके हल के लिए समन्वित योजनाओं का निर्माण करने का प्रयत्न किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के विभिन्न आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करके एक ऐसी व्यवस्था अथवा योजना निश्चित करना था जिसके द्वारा ऐसे समाज का निर्माण किया जाय कि जनसमुदाय को विचार व्यक्त करने तथा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के समान अवसर प्राप्त हो तथा उचित समय पर पर्याप्त न्यूनतम जीवन-स्तर का आयोजन किया जा सके।

इस समिति ने देश के विभिन्न आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने तथा विकास योजनाएँ प्रस्तुत करने के लिए २६ उप समितियाँ नियुक्त की, जिनका प्रतिवेदन (Report) समय-समय पर प्रकाशित किया गया। समिति के विचार में नियोजन का संचालन उचित राष्ट्रीय अधिकारी की अनुपस्थिति में नहीं किया जा सकता था। इस अधिकारी को प्रभावशाली योजना बनाने तथा संचालित करने के लिए राष्ट्र के समस्त साधनों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय सरकार जिसमें विदेशी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो, का निर्माण करना आवश्यक समझा गया। मई सन् १९४० में समिति के अध्यक्ष ने घोषणा की कि समिति एक स्वतन्त्र सरकार स्थापित करना चाहती है जिसमें व्यक्ति

तथा समुदाय के मूलभूत अधिकारों—राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक को सुरक्षित रखा जायगा और नागरिकों के तदनुसार कर्तव्य भी निश्चित किये जायेंगे।

उद्योग—राज्य का आधारभूत उद्योगों तथा सेवाओं, खनिज साधनों, रेलों, जल एवं वायु गमनागमन साधनों, जन-उपयोगी उद्योगों आदि पर एकाधिकार रहना आवश्यक होगा और वह उनको अपने नियंत्रण में रखेगा। जो उद्योग निजी साहसियों द्वारा संचालित होंगे, उनको नियंत्रित रूप से राज्य की नीतियों के अनुसार चलाया जायगा। औद्योगिक श्रम के उचित प्रतिफल का आयोजन किया जायगा। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के संचालन के लिए स्वतन्त्र सचों (Autonomous Public Trusts) की स्थापना की जायगी। निजी क्षेत्र के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने पर उचित क्षति पूर्ति की जायगी। समिति ने सुझाव दिया कि गृह तथा वृहद् उद्योगों—दोनों का ही विकास किया जायगा परन्तु इन दोनों में इस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जायगा कि इनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा न हो। राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था की विचित्रता के कारण जनता के हित के हेतु लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास को अत्यावश्यक समझा गया। साथ ही यह भी स्पष्टतः मान लिया गया कि राष्ट्र की आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं जनसमुदाय के जीवन में सुधार करने के लिए औद्योगिकरण अनिवार्य है। इसलिए इन दोनों प्रकार के उद्योगों में इस प्रकार योजनाबद्ध विकास करना आवश्यक होगा कि वह एक-दूसरे के सहायक के रूप में कार्य कर सकें। लघु उद्योगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामान्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सहायक व्यवसाय को उपलब्ध तथा जनसमुदाय की रुचि एवं स्वभाव के अनुकूल रोजगार के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं।

कृषि—राष्ट्रीय योजना समिति ने कृषि उद्योग के अध्ययन के लिए सात उप-समितियों की स्थापना की। इन समितियों के कार्यक्षेत्र में भूमि-सुधार, कृषि, श्रमिक तथा कृषि बीमा, सिंचाई, भूमि सुरक्षा तथा वन लगाना, ग्रामीण विपणन एवं वित्त-व्यवस्था (Rural Marketing And Finance), नियोजित फसल तथा उत्पादन, पशु चिकित्सा, डेरी फार्मिंग, मत्स्योद्योग, उद्यान-सम्बन्धी कार्यक्रम आदि सम्मिलित थे।

इस सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की कि—

(क) कृषि भूमि, खानें, नदियाँ तथा वन प्राकृतिक सम्पत्तियाँ हैं। उन पर भारत के सम्पूर्ण जनसमुदाय का सामूहिक अधिकार होना चाहिए।

(ख) सहकारिता के सिद्धान्तों का उपयोग भूमि के शोषणार्थ किया जाय

तथा सामूहिक तथा सहकारी फार्मों का विकास किया जाना चाहिए जिससे जनसमुदाय में पारस्परिक सहयोग की भावना जाग्रत हो सके।

(ग) सरकार उपयोग में न आने वाली कृषि योग्य भूमि पर सामूहिक फार्मों की स्थापना करे।

(घ) सहकारी कृषि को महत्व दिया जाय परन्तु भूमि के निजी अधिकार को समाप्त न किया जाय और उत्पादन का वितरण प्रत्येक सदस्य की भूमि के अनुसार किया जाय।

(ङ) सरकार प्रयोगात्मक, शैक्षणिक तथा प्रदर्शन कार्य के लिए कृषि फार्मों का संगठन करे।

(च) निजी साहसिया को फार्म स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

(छ) जमींदारी तथा ताल्लुकेदारी को समाप्त किया जाय तथा सरकार उचित प्रतिफल देकर इन मध्यस्थों के अधिकार नष्ट करे।

(ज) नदियों तथा सिंचाई से सम्बन्धित उप समिति ने सुझाव दिया कि एक राष्ट्रीय जल साधन परिषद् (National Water Resources Board) की स्थापना की जाय। यह परिषद् जल यातायात बाढ़ नियन्त्रण नदियों का प्रवर्धन, विद्युत् शक्ति तथा पेय जल के लिये संचालित आयोजना में सामंजस्य स्थापित करे। ग्रामीण समाज को ग्राम की छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं को ठीक रखन तथा सुधारन का कार्य दिया जाय।

(झ) गाय को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिए प्रति पशु दूध में वृद्धि की जाय। ऐसे पशुओं की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय जो दूध दे सकें तथा कृपको को अन्य कार्यों में भी सहायक हो सकें।

(ञ) सरकार को भूमि तथा वनों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व धरन ऊपर लेना चाहिए। भूमि सुधार मंडल की स्थापना की जाय तथा प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारें भूमि कटाव (Soil Erosion) को रोकन तथा भूमि सुधार की योजनाओं का निरीक्षण करने का प्रयत्न करें। वन सम्बन्धी नीति इस प्रकार की हो कि इनके द्वारा औद्योगिक जलवायु तथा अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे।

(ट) ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विषय में समिति ने दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ऋणा में भेद करने पर जोर दिया तथा भूमि बंधक अधिकोष (Land-Mortgage Banks) तथा अन्य शासकीय सहायता प्राप्त अधिकोषों की

स्थापना का सुझाव दिया जिनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किये जायें। अल्पकालीन ऋण प्रबन्ध हेतु सरकारी समितियों की स्थापना की जाय।

राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना के कुछ समयोपरान्त ही कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने त्याग पत्र दे दिया। इसी समय द्वितीय महासमर छिड़ गया। परिणामस्वरूप इस समिति का कार्य केवल सुझावों तक सीमित रह गया। महासमरोपरान्त राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं में भी परिवर्तन हो गये और नवीन समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसी बीच सरकार, उद्योगपतियों तथा राजनीतिक पक्षों ने अपनी अपनी योजना का निर्माण कर उनका प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार राष्ट्रीय योजना समिति के सुझावों को कार्यान्वित करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ।

बम्बई योजना

१९४४ में भारत के आठ प्रमुख उद्योगपतियों ने एक सूत्रबद्ध योजना प्रकाशित की। यह भारत के आर्थिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पूर्व योजना के सम्बन्ध में विचार तो बहुत हुए थे परन्तु कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन आठ उद्योगपतियों में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, श्री ज० आर० डी० टाटा, श्री जी० डी० बिडला, सर अर्देशिर दलाल, सर श्रीराम, सेठ कस्तूर भाई लाल भाई, श्री ए० डी० शॉफ तथा डा० जान मथाई सम्मिलित थे। यह एक १५ वर्षीय योजना थी और नियोजकों ने इसका नाम A Plan of Economic Development for India दिया, परन्तु यह बम्बई योजना के नाम से प्रसिद्ध है। योजना का कार्यक्रम ५ वर्षीय तीन अवस्थाओं में पूर्ण करना था तथा इसका समस्त अनुमानित व्यय १०,००० करोड़ रु० था।

उद्देश्य—योजना का उद्देश्य तत्कालीन प्रति व्यक्ति आय को १५ वर्षों में दुगुना करना था। यह भी अनुमान लगाया गया कि जनसंख्या की वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने के लिये राष्ट्रीय आय को तिगुना करना आवश्यक होगा। योजना में न्यूनतम जीवन-स्तर के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। न्यूनतम जीवन स्तर में निम्नलिखित सुविधाएँ सम्मिलित की गयीं—

(अ) सन्तुलित भोजन के क्षेत्र में निम्नलिखित वस्तुएँ सम्भावित होनी चाहिए—

प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन

पदार्थ	औंस
अन्न	१६
दालें	३
शक्कर	२
शाक-सब्जी	६
फल	२
तेल, घी आदि	१.५
दूध	८
अथवा अंडे, मछली तथा मांस	२.३

भोजन के इन समस्त पदार्थों द्वारा २६०० कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को प्राप्त होगा। इस प्रकार के सन्तुलित भोजन के लिये प्रति व्यक्ति ६५ रु० प्रति वर्ष का अनुमान लगाया गया और २१०० करोड़ रु० समस्त जनसंख्या को सन्तुलित भोजन प्रदान करने के लिए व्यय का भी अनुमान लगाया गया।

(क) वस्त्र-आवश्यकता के विषय में राष्ट्रीय योजना समिति के अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति को ३० गज कपड़े की न्यूनतम आवश्यकता होगी और १९४१ वीं जनगणना के आधार पर १,१६,७०० लाख गज कपड़े की आवश्यकता होगी जिसकी लागत लगभग २५५ करोड़ रु० होगी।

(ख) गृह की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति १०० वर्ग फीट के गृहों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। यह अनुमान लगाया गया कि इस प्रकार के गृह पाँच व्यक्तियों के निवास हेतु पर्याप्त होंगे तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रति भवन की लागत लगभग ४०० रु० होगी।

(ग) योजना में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं के लिये कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया। अवरोधक कार्यक्रमों (Preventive Measures) में सफाई, जल की उन्नति, टीका लगाना, छूत के रोगों को रोकने के लिए प्रयत्न, प्रसूति तथा शिशु-कल्याण आदि सम्मिलित किये गये। आरोग्यकर (Curative) कार्यक्रमों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि करने का आयोजन किया गया। योजना में प्रत्येक ग्राम में एक चिकित्सालय तथा नगरों में अस्पताल तथा प्रसूति गृहों और क्षय रोग, केन्सर तथा कुष्ठ रोग आदि की चिकित्सायें विशेष संस्थाओं का सुझाव रखा गया।

(घ) बच्चेई योजना में आर्थिक शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया। प्राथमिक शिक्षा पर ८८ करोड़ रुपया आवर्तक (Recurring) तथा ८६ करोड़ रुपया अनावर्तक व्यय का अनुमान लगाया गया।

इस प्रकार न्यूनतम जीवन-स्तर में उपयुक्त पाँच आधारभूत सुविधाओं को सम्मिलित किया गया और इस न्यूनतम स्तर की लागत निम्न प्रकार अनुमानित की गयी—

मद	लागत (करोड रु० में)
खाद्य पदार्थ	२१००
वस्त्र	२६०
गृह-निर्माण पर आवर्तक व्यय	२६०
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा पर आवर्तक व्यय	१६०
प्राथमिक शिक्षा पर आवर्तक व्यय	६०
योग	२६००

योजना मे राष्ट्रीय आय को १५ वर्षों मे तीन गुना करने का लक्ष्य रखा गया। यह वृद्धि निम्न प्रकार होने का अनुमान लगाया गया—

तालिका सं० १६—राष्ट्रीय आय मे वृद्धि (वम्बई योजना-काल में)

	गुद्ध आय १९३१-३२ (करोड रु० में)	गुद्ध आय १५ वर्ष पश्चात् अनुमानित (करोड रु०)	वृद्धि का प्रतिशत
उद्योग	३७४	२२४०	५००
कृषि	११६	२६७०	१३०
सेवाएं	४८४	१४५०	२००
घवर्गीकृत मदें	१७६	२४०	३६
योग	२२००	६६००	लगभग २१६.५

मान्यताएँ—योजना के कार्यक्रमों को निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर निर्धारित किया गया।

(१) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जायगी और इस सरकार को आर्थिक विषयों में पूर्ण अधिकार होगा।

(२) भारत की भविष्य की सरकार सघात्मक प्रकार की होगी जिसे समस्त राष्ट्र के आर्थिक विषयों पर प्रभुत्व प्राप्त होगा।

योजना के कार्यक्रम—भ्रथ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न आयोजन किये गये—

उद्योग—योजना में आधारभूत उद्योगों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी गयी। आधारभूत उद्योगों में शक्ति, विद्युत्, भारी रसायन, खनिज तथा धातु शोधन रासायनिक खाद, इ.जी.निथरिंग तथा मशीन उद्योग, दारु, यातायात, प्लास्टिक, औषधियाँ तथा सीमेंट उद्योग सम्मिलित किये गए। नियोजकों के विचार में भारत में औद्योगिक साधनों की अभावता थी जिनका शोषण करने में औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सकती थी।

नियोजकों ने लघु तथा गृह उद्योगों के विकास का आयोजन किया। “इनका विकास केवल रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ही महत्वपूर्ण साधन नहीं है प्रस्तुत योजना के प्रारम्भिक काल में पूँजी और विशेषतः विदेशी

पूँजी की आवश्यकताओं में कमी का साधन भी हो सकता है।¹ नियोजकों ने उपभोक्ता-वस्तुओं के उपलब्ध का आश्वासन दिया। इनके विचार से लघु तथा गृह उद्योगों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन का क्षेत्र विस्तृत था और यह उद्योग वृहद् उद्योगों के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करके संचालन किये जा सकते हैं।

कृषि—यद्यपि योजना में औद्योगिक विकास को मुख्यरूपेण महत्व दिया गया था फिर भी कृषि विकास को सर्वथा भुनाया नहीं गया था। कृषि उत्पादन में १३०% वृद्धि करने का लक्ष्य योजना में निर्दिष्ट किया गया। इसके लिए (१) कृषि भूमि की इकाइयाँ को आर्थिक इकाइयाँ में परिवर्तित करने के लिये भूमि के पुनर्वितरण का मुझाव दिया गया। सहकारी कृषि तथा भूमि के एकीकरण द्वारा आर्थिक इकाइयाँ की स्थापना करने की सिफारिश की गयी, (२) फसलों के पुनर्वितरण को आवश्यक समझा गया, (३) ग्रामीण ऋण की समाप्ति सहकारी समितियों द्वारा किए जाने का मुझाव था, (४) भूमि कृषि के निवारण तथा अन्य भूमि-सुधारों के हेतु योजना में २०० करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी (५) सिंचाई के साधनों की वृद्धि हेतु नवीन सिंचाई योजनाएँ सम्मिलित की गयीं जिनके द्वारा सिंचित भूमि में २००% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया, तथा (६) इससे साथ ही वैज्ञानिक कृषि पर धन दिया गया। कृषि-उत्पादन का लक्ष्य कम रखा गया था तथा योजना के प्राथमिक चरण में कृषि उत्पादन का निर्माण को काठ स्थान नहीं दिया गया था। कृषि विकास हेतु पूँजी की आवश्यकता निम्न प्रकार थी -

तालिका सं० १७—कृषि विकास हेतु पूँजी की आवश्यकता

मद	आवृत्तक राशि (करोड़ रु० में)	अनावृत्तक राशि (करोड़ रु० में)
१—भूमि सुरक्षा	१०	२००
२—बायसीन पूँजी	२५०	—
३—सिंचाई		
(अ) नहरें	१०	४००
(ब) कुएँ	—	५०
(स) प्रादेश फार्म (Model Farms)	१३०	१६५
	<u>योग ४००</u>	<u>८४५</u>

1 'This is important not merely as a means of affording
(Contd next page)

यातायात के साधन—कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के फल-स्वरूप राष्ट्र में आन्तरिक व्यापार में वृद्धि होगी, एतदर्थ यातायात एवं सम्वाद परिवहन के साधनों में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक होगा। इस विचार से यह योजना यातायात तथा सम्वाद परिवहन के विकास हेतु निम्न कार्यक्रमों से सज्जित थी—

(१) भारत की ४१,००० मील लम्बी रेलवे लाइनों को ६२,००० मील तक बढ़ाने का आयोजन किया गया था। इस २१,००० मील की वृद्धि के लिए ४३४ करोड़ रु० का पूंजीगत व्यय तथा ६ करोड़ रु० आवर्तक व्यय करने का आयोजन किया गया।

(२) ब्रिटिश भारत की ३,००,००० मील लम्बी सड़कों को १५ वर्षों में दुगुना करने का सुझाव था। नवीन सड़कों के निर्माण पर ३०० करोड़ रु० अनावर्तक तथा ३५ करोड़ रु० आवर्तक व्यय होने का अनुमान किया गया। ११३ करोड़ रु० अनावर्तक व्यय सड़कों के पुनर्निर्माण तथा कच्ची सड़कों को पक्का करने को निश्चित था। समस्त मुख्य मुख्य ग्रामों को महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों से जोड़ने का सुझाव था।

(३) बन्दरगाहों के सुधार तथा नवीन बन्दरगाहों के निर्माण एवं विकास हेतु ५० करोड़ रु० अनावर्तक तथा ५ करोड़ रु० आवर्तक व्यय का आयोजन किया गया था।

शिक्षा—एक विस्तृत आर्थिक विकास की योजना को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की बड़ी आवश्यकता होती है। इस योजना में इसीलिए शिक्षा के विकास हेतु विस्तृत कार्यक्रम सम्मिलित किया गया। योजना में २० करोड़ प्रशिक्षित प्रौढ़ों को शिक्षित करने का लक्ष्य था। ६ से ११ वर्ष की आयु के लड़के तथा लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया गया था। योजना में उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयीय शिक्षा, तांत्रिक तथा वैज्ञानिक प्रशिक्षण तथा शोधकार्य हेतु २० करोड़ रु० आवर्तक व्यय का अनुमान किया गया था।

अर्थ प्रबन्धन—योजना का सम्पूर्ण व्यय १०,००० करोड़ रु० अनुमानित किया गया था जिसका आवंटन निम्न प्रकारेण किया गया था—

employment but also of reducing the need for capital, particularly external capital in the early stages of the Plan.

—A Plan for Economic Development for India, pp. 24-25.

तालिका सं० १८—बम्बई योजना का व्यय

मद	व्यय की जाने वाली राशि (करोड़ रुपये में)
उद्योग	४४८०
कृषि	१२४०
यानायात	६४०
शिक्षा	४६०
स्वास्थ्य	४५०
गृह व्यवस्था	२२००
विविध	२००
	१०,०००

नियोजकों का समस्त सम्भव आन्तरिक एवं बाह्य साधनों को उपयोग करने का सुझाव था। बाह्य अर्थ-साधनों में उस अर्थ को सम्मिलित किया गया था जो कि विदेशों की वस्तुओं के क्रय तथा सेवाओं के उपयोग के हेतु शोधन करने के लिए किया जा सकता था। आन्तरिक अर्थ-साधनों से तात्पर्य उस अर्थ से था जो राष्ट्र में ही उद्भूत होता है। बाह्य तथा आन्तरिक साधनों से निम्नलिखित राशियाँ एकत्र करने का अनुमान था—

तालिका सं० १९—बम्बई योजना के अर्थ-साधन

बाह्य साधन	करोड़ रुपये
भूमिगत (Hoarded) धन	३००
पौंड पानना (Sterling Securities)	१०००
व्यापार शेष (Balance of Trade)	६००
विदेशी ऋण (Foreign Loan)	७००
	योग २६००
आन्तरिक साधन	
वचत	४०००
मुद्रा प्रसार	१४००
	योग ५४००
	महायोग १०,०००

बम्बई योजना के निर्माणकर्ताओं के मत में वस्तुओं तथा सेवाओं की वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण थी और अर्थ-साधनों को सर्वथा अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के आधीन रखना उचित था। अर्थ-साधनों की उपलब्धि के आधार पर आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण नहीं किया गया था, प्रत्युत राष्ट्र की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम निर्दिष्ट करके, उनकी पूर्ति हेतु आवश्यक अर्थ-साधनों की खोज की गयी थी। इसी कारण मुद्रा-प्रसार को अर्थ-प्रवर्धन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। नियोजकों का विश्वास था कि मुद्रा-प्रसार के परिणामस्वरूप राष्ट्र की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि होगी तथा अन्ततः मुद्रा प्रसार स्वयमेव अपना शोधन कर सकेगा। नियोजन अधिकारी का अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर पूर्ण नियन्त्रण होगा और मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के कारण अर्थ-व्यवस्था के योजनावद्ध विकास से किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी।

सामाजिक व्यवस्था—योजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के पूर्व यह भी निश्चय करना आवश्यक होता है कि किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना योजना का अन्तिम लक्ष्य होगा। बम्बई योजना के निर्माणकर्ताओं ने अपनी द्वितीय पुस्तिका (Brochure) में इस सम्बन्ध में विचार प्रकट किये। बम्बई योजना के लेखकों के विचार में आधुनिक युग में पूँजीवाद में राजकीय हस्तक्षेप के कारण उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। दूसरी ओर समाजवाद से भी कुछ पूँजीवाद की विचारधाराओं को मान्यता मिलने लगी है। इस कारण से भारत में पूँजीवादी तथा समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के न्यायपूर्ण सम्मिश्रण का सुझाव रखा गया था। योजना में इसलिए व्यक्तिगत साहस को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा सार्वजनिक हित तथा राज्य को राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था पर नियन्त्रण रखने का आयोजन किया गया। इस प्रकार समाजवादी नियोजन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। नियोजकों के विचार में नियोजन तथा लोक-तन्त्रीय समाज—दोना एक साथ संचालित किये जा सकते हैं। योजना में इसी आधार पर दो मुख्य उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया। प्रथम, अर्थ-व्यवस्था का इस प्रकार का संगठन कि जन-समुदाय के न्यूनतम जीवन-स्तर का आयोजन किया जा सके तथा द्वितीय, आय का समान वितरण हो सके। प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य को पूर्ण रोजगार, कार्य-क्षमता में वृद्धि, अमियों के पारिश्रमिक में वृद्धि, कृषि-उत्पादन के मूल्यों में स्थिरता, भूमि सुधार आदि की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। द्वितीय उद्देश्य की पूर्ति मृत्युकर, कर व्यवस्था के सुधार, उत्पादन के साधनों के अधिकारों का विकेंद्रीकरण, राज्य द्वारा उद्योगों पर नियन्त्रण

तथा अधिकार द्वारा की जानी थी। बम्बई योजना के लेखको ने राज्य द्वारा अर्थ-व्यवस्था पर पूर्ण अधिकार को उचित नहीं समझा तथा उस्ताही साहसियों को व्यक्तिगत रूपेण कार्य करने की स्वतन्त्रता प्रदान करने की आवश्यकता को महत्व दिया गया।

राज्य द्वारा नियोजित अर्थ व्यवस्था में हस्तक्षेप करने को मान्यता दी गयी तथा राज्य पर आर्थिक क्रायवाहियों में समन्वय स्थापित करना, मुद्रा व्यवस्था, राजस्व तथा आर्थिक दृष्टिकोण से निम्न वर्ग की सुरक्षा का भार डाला गया था। इसके अतिरिक्त राज्य को कुछ उद्योगों तथा व्यवसायों पर अधिकार नियन्त्रण तथा प्रबन्धन करना भी आवश्यक बताया गया। राज्य केवल ऐसे ही उद्योगों पर अधिकार प्राप्त करे जिनमें सरकारी धन का विनियोजन होता हो। योजना में युद्धकालीन नियन्त्रणों को चालू रखने की सिफारिश की गयी परन्तु इनका प्रबन्ध व्यवस्थित तथा समन्वित रूप से करने पर जोर दिया गया।

योजना के दोष

(१) पूंजीवादी प्रकार—यद्यपि योजना में निजी तथा सरकारी क्षेत्र के सामंजस्य का आयोजन किया गया था, परन्तु निजी क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया था। सावजनिक हित तथा समान वितरण के दृष्टिकोण से भारत जैसे अर्थ-विकसित राष्ट्र में सरकारा क्षेत्र निरन्तर बढ़ा कर ही अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। योजना द्वारा १५ वर्षों में एक ऐसे समाज की स्थापना करना, जिसमें निजी क्षेत्र को अर्थ-व्यवस्था के अधिकांश भाग पर अधिकार प्राप्त हो, उचित नहीं कहा जा सकता है।

(२) कृषि को कम महत्व—योजना में औद्योगिक उत्पादन को विशेष महत्व दिया गया है। औद्योगिक उत्पादन में ५००% वृद्धि की तुलना में कृषि उत्पादन में १३०% की वृद्धि के लक्ष्य अत्यन्त कम प्रतीत होते हैं। नियोजकों के विचार में सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था का निर्माण आवश्यक था, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय आय में कृषि तथा उद्योग—दोनों के भाग को समान करने का आयोजन किया। नियोजकों के अनुमानानुसार कृषि तथा उद्योगों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय क्रमशः ११६६ करोड़ रु० तथा ३७४ करोड़ रु० थी। परन्तु औद्योगिक उत्पादन में ५००% वृद्धि करने के लिए कृषि का समानान्तर विकास करना आवश्यक था क्योंकि कृषि द्वारा उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध होता है। योजना में कृषि उत्पादन के निर्यात का आयोजन नहीं किया गया। औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजीगत वस्तुओं की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती

के लिए अस्थायी स्थान दिया जबकि इन उद्योगों की अर्थ-व्यवस्था में स्थायी स्थान मिलना चाहिए था क्योंकि इनके द्वारा उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीय-करण तथा आय के समान वितरण को प्रोत्साहन मिलता है।

(५) यातायात—योजना में भारतीय जहाजी यातायात तथा जहाजरानी निर्माण उद्योग के विकास हेतु पर्याप्त आयोजन नहीं किये गये। वायु यातायात को भी योजना में कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया था।

(६) अन्य—इस योजना के समस्त अनुमान तथा गणनाएँ महायुद्ध के पूर्व के मूल्यों पर किये गये थे जबकि यह स्पष्ट था कि योजना का कार्यान्वित किया जाना महायुद्धोपरान्त ही सम्भव था। महायुद्ध के आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावों को दृष्टिगत करते हुए योजना के अनुमानों में आवश्यक समायोजन किये जान चाहिए थे। योजना में पुनर्वास की आवश्यकताओं के लिए कोई आयोजन नहीं किया गया तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ, जो नियोजन का मूलाधार होना चाहिए, को भी योजना में कोई स्थान प्राप्त नहीं था।

जन-योजना (The People's Plan)

जन योजना भारतीय श्रम संध (Indian Federation of Labour) की युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण समिति (Post war Reconstruction Committee) द्वारा निर्मित की गयी थी। इस समिति के प्रमुख श्री एम० एन० राय थे, अतः इस योजना को रायवादी योजना भी कहते हैं। इस योजना में साम्यवादी सिद्धान्तों के लक्षणों का समन्वय किया गया था और नियोजकों ने योजना के कार्यक्रमों को श्रमिकों के दृष्टिकोण से बनाने का प्रयत्न किया था। इस योजना के तीन प्रमुख सिद्धान्त हैं—

(१) लाभ हेतु (Profit Motive) पर आधारित अर्थ-व्यवस्था समाज के हितों के विरुद्ध होती है।

(२) लाभ-हेतु व्यवस्था पर राज्य को कठोर नियन्त्रण रखना चाहिए, तथा
(३) उत्पादन उपभोग के लिए होना चाहिए न कि विनिमय के लिए।

जन-योजना १९४४ में निर्मित तथा प्रकाशित की गयी और इसके कार्यक्रमों को रैंडकल डेमोक्रेटिक पार्टी की सहमति प्राप्त हुई। इस योजना में निर्माणकर्ताओं के विचार में भारत की भूलभूत समस्या निर्धनता थी जिसे अधिक उत्पादन तथा समान वितरण द्वारा ही दूर किया जा सकता था। राष्ट्र की समस्त आर्थिक कठिनाइयों का कारण पूँजीवाद बताया गया। पूँजीवाद में उत्पादन जन-समुदाय की शक्ति पर निर्भर रहता है क्योंकि उतनी ही वस्तुएँ उत्पादित की जाती थी जितनी कि लाभ सहित विक्रय की जा सकती थीं।

विक्रय योग्य वस्तुओं की मात्रा भारत की जनता को निर्धनता के कारण सीमित रहती थी। इस प्रकार पूँजीवाद में धन का अधिकतम उत्पादन नहीं किया जा सकता है, तथा पूँजीवाद व्यवस्था में धन का समान वितरण भी सम्भव नहीं हो सकता है। इस प्रकार पूँजीवाद में जन समुदाय के जीवन स्तर में वृद्धि उसी सीमा तक हो सकती है, जहाँ तक ऋय शक्ति के वितरण का आयोजन किया गया हो। ऋय शक्ति का वितरण पारिश्रमिक तथा कच्चे माल के ऋय के माध्यम द्वारा किया जाता है, ये दोनों तत्व उत्पादन पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार यह पूँजीवाद का एक दोषपूर्ण चक्र होता है। पूँजीवाद के दोषों के निवारणार्थ इस योजना में योजनाबद्ध उत्पादन पर जोर दिया गया था, जिसका उद्देश्य जन-समुदाय की ऋय शक्ति में वृद्धि करना था। प्रभावशील माँग उत्पन्न करने का उद्देश्य न होकर मानवीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर तदनुसार उत्पादन करने का उद्देश्य था।

उद्देश्य—योजना का मूल उद्देश्य दस वर्ष की अवधि में जनता की तत्कालीन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित वस्तुओं का समान वितरण किया जाना था। योजना में इसीलिए उत्पादन के सभी क्षेत्रों का विकास करने का आयोजन किया गया था। नियोजकों के विचार में जन समुदाय की ऋय शक्ति में वृद्धि करने के लिए कृषि का विकास अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत की ७०% जनसंख्या कृषि व्यवसाय से जीविकोपार्जन करती थी। कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाने को नियोजकों ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इनके विचार में कृषि के विकास द्वारा ही श्रमिकों में अर्ध रोजगारी तथा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता था। भारतीय जनसंख्या की निर्धनता का निवारण करने के लिए कृषि-विकास को ही योजना का आधार बताया गया। दूसरी ओर औद्योगिक विकास हेतु इस प्रकार से आयोजन किये गए कि उसके द्वारा जन-समुदाय की उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। निजी क्षेत्र में संचालित उद्योगों पर राज्य के नियन्त्रण को आवश्यक बताया गया। योजना का इस प्रकार मुख्य उद्देश्य दस वर्षों में जनसंख्या की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। “इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, राष्ट्र के वर्तमान धन के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक होगा। नियोजित व्यवसाय का उद्देश्य राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त पीण्डिक भोजन, पर्याप्त वस्त्र, अच्छे निवास-स्थान, रोग तथा अज्ञान से स्वतन्त्रता प्रदान कराने के लिये उत्पादन में वृद्धि करना होना चाहिए।”^१

1. “In order to satisfy these needs it will be necessary to
(contd next page)

कृषि—योजना में कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्राचीन भूमि प्रबंधन (Land Tenure) में आवश्यक परिवर्तन, जमींदारी अधिकारों की समाप्ति तथा भूमि के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक बताया गया। राज्य तथा कृषक में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना तथा मध्यस्थों को समाप्त करना कृषि विश्वास का मुख्य कार्यक्रम था। योजना में भूमिधर (Landlords), जमींदारों तथा अन्य लगान प्राप्त करने वालों को १७३५ करोड़ रु० मुआवजा देने का आयोजन किया गया था। यह सति पूर्ति ३% स्वतः शोधन होने वाल ४० वर्षों में बोनस का निगमन करके किया जाता था। योजना में ग्रामीण ऋण को अनिवार्यतः घटाने की सिफारिश की गयी। इन ऋणों का राज्य को ले लेना था और इसके लिए राज्य को लगभग २५० करोड़ रु० का उत्तरदायित्व लेना था।

इसके अतिरिक्त योजना में कृषि के उपभोग में आने वाली भूमि में १० वर्षों में १० करोड़ एकड़ की वृद्धि करने का आयोजन भी किया गया था। गहरी (Intensive) कृषि के लिए सिंचाई के साधनों में ४००% की वृद्धि करने तथा अच्छे बीज और खाद का भी आयोजन किया गया था। इसमें सामूहिक तथा राजकीय कृषि को स्थान दिया गया। प्रत्येक आठ या दस हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि के मध्य में एक राजकीय फार्म स्थापित करने की सिफारिश की गयी। इस फार्म में आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया जाता था तथा ये फार्म इन यंत्रों को किसानों के कृषकों को किराये पर दें, इसका भी आयोजन था। प्रत्येक फार्म पर विशेषज्ञ तथा योग्य व्यक्तियों को रखे जाने तथा शोधन कार्य संस्था की स्थापना करने की भी सिफारिश थी।

इन राजकीय फार्मों पर कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रबंध किया जा सकता था। सामूहिक कृषि के लिए जन समुदाय पर किसी दबाव तथा वैधानिक बाध्यता को उचित नहीं बताया गया। कृषकों को सामूहिक कृषि के लाभ समझा कर ही सामूहिक फार्मों की स्थापना की जानी थी। कृषि विकास के लिए निम्न प्रकार राशियाँ निर्धारित की गयी—

expand the present production of wealth of country To achieve this expansion of production with the object of ensuring to everybody in the country adequate nutritive food, sufficient clothing a decent shelter and freedom from disease and ignorance, should be the purpose of the planned economy' (People's Plan, published by M N Roy, p 6)

तालिका सं० २०—जन-योजना का कृषि विकास पर व्यय

मद	करोड़ रुपये में	
	अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय
अतिरिक्त भूमि को कृषि योग्य बनाना (Land Reclamation)	६००	—
सिंचाई	६००	१५
राजकीय फार्म	३७५	१२५
भूमि कटाव को रोकने तथा वनों का विकास	३००	१५
ग्रामीण उद्योग	२००	—
खाद बीज आदि	७२०	—
	योग २७६५	१५५
	महायोग २६५०	

औद्योगिक विकास—योजना में उपभोक्ता-उद्योगों को विशेष महत्व प्रदान किया गया। नियोजकों के विचार में जन-समुदाय की आवश्यक वस्तुओं की माँग को पूर्ति करना अत्यन्त आवश्यक था तथा नियोजित व्यवस्था में इसकी पूर्ति सर्वप्रथम होनी चाहिए थी। वस्त्र, चर्म, शक्कर, बागज, रसायन, तम्बाकू, फर्नीचर आदि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों के विकास के लिए ३००० करोड़ रु० का आयाजन किया गया। आधारभूत उद्योगों में विद्युत् शक्ति, खनिज तथा धातु खोज, लोहा तथा इस्पात, भारी रसायन, मशीन तथा मशीनों के औजार, सीमेंट, रेल के इंजिन तथा डिब्बे आदि उद्योग सम्मिलित किये गये। इन उद्योगों के विकास पर २६०० करोड़ रुपये व्यय का अनुमान था। योजना काल में स्थापित किये जाने वाले नवीन उद्योगों में राज्य को अर्थ लगाना था तथा इन पर राज्य का नियन्त्रण तथा अधिकार होना था। निजी क्षेत्र के उद्योगों पर जो प्रतिबन्ध नहीं लगना था, परन्तु इनके कार्य-क्षेत्र पर राज्य द्वारा नियन्त्रण करना आवश्यक बताया गया। राज्य को वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना था तथा लाभ की दर अधिक से अधिक ३% रखनी थी। योजना में गृह तथा लघु उद्योगों के विकास को विशेष महत्व नहीं दिया गया। श्रमिकों को उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने के लिये मशीनों के उपयोग को अधिक महत्व दिया गया था और इसी कारण से लघु उद्योगों को अधिक

महत्व नहीं दिया गया था और इनके विकास के लिए योजना में आयोजन भी नहीं किया गया।

यातायात—योजना में रेलवे, सड़क तथा जल यातायात के विकास को विशेष महत्व दिया गया। यातायात के साधनों में तीव्रता से वृद्धि करने का आयोजन किया गया, जिससे वस्तुओं का यातायात ग्रामों तथा नगरों के मध्य सुविधापूर्वक किया जा सके। दस वर्षों में रेल यातायात में २४,००० मील तथा सड़क यातायात में ४५०,००० मील की वृद्धि करने का आयोजन किया गया। जहाजी यातायात के विकास के लिए १५५ करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। यातायात के विकास के हेतु व्यय का निम्न प्रकारेण आयोजन किया गया—

तालिका सं० २१—जन-योजना में यातायात पर व्यय

मद	करोड़ रुपये में	
	अनावृत्तक व्यय	आवृत्तक व्यय
रेलें	५६५	११
सड़कें (नवीन निर्माण)	४५०	५३
कच्ची सड़कों को पक्का बनाना	१००	—
जल यातायात	१२५	६
बन्दरगाह	५०	५
अन्तर्देशीय जल यातायात	५०	५
डाक, तार आदि	५०	—
	योग १,४२०	८०
	महायोग १५००	

अर्थ प्रबन्धन—इस योजना में दस वर्षों में कुल १५,००० करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान था, जिसका वितरण निम्न प्रकार किया गया था—

तालिका सं० २२—जन योजना का व्यय

मद	व्यय करोड़ रुपये में
कृषि	२,२५०
उद्योग	५,६००
गृह निर्माण	३,१५०
यातायात	१,५००
शिक्षा	१,०४०
स्वास्थ्य	७६०
	योग १५,०००

उपयुक्त १५,००० करोड़ रु० की राशि का प्रबन्ध निम्न प्रकार किया जाना था—

तालिका सं० २३—जन-योजना का अर्थ-प्रबन्धन

आय का माध्यम	आय-करोड़ रु० में
पीएड पावना	४५०
कृषि आय	१०,८१६
औद्योगिक आय	२,८३४
प्रारम्भिक अर्थ-व्यवस्था (सम्पत्ति कर, उत्तराधिकार कर, मृत्यु कर आदि)	८१०
भूमि का राष्ट्रीयकरण	६०

योग १५,०००

नियोजकों के विचार में अर्थ-प्रबन्धन में कोई विशेष कठिनाई उपस्थित होने का कोई कारण नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय नियोजन अधिनियमों की जनता के सचित अनिच्छित धन को विनियोजन के लिए प्राप्त करने का अधिकार होगा। इनके विचार में योजना के कार्यक्रमों के फलस्वरूप भारत का जन-ममुदाय वर्तमान जीवन-स्तर की तुलना में चार गुने अच्छे जीवन-स्तर का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

आलोचना—योजना में कृषि विकास को विशेष महत्त्व दिया गया है। परन्तु कृषि-विकास हेतु औद्योगिकरण भी आवश्यक होना है, क्योंकि कृषि में आधुनिक मशीनों तथा यंत्रों के उपयोग से उत्पन्न अनिच्छित धन का रोजगार देना भी आवश्यक है। भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अत्यधिक है और कृषि विकास के लिए इस अनिच्छित धन को अन्य व्यवसायों में रोजगार का आयोजन करना आवश्यक है। दूसरी ओर कृषि के लिए मशीनों तथा यंत्रों की उपलब्धि के लिए राष्ट्र में आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना आवश्यक होता है। योजना में आधारभूत उद्योगों की रूपरेखा उपभोक्ता-उद्योगों को प्राथमिकता दी गयी। उपभोक्ता-वस्तु उद्योगों के विकास के लिए भी उत्पादक मशीनों तथा पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता होगी है जिनको बड़ी मात्रा में आयात करना न तो न्यायोचित होता है और न सम्भव ही। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास का आधार आधुनिक युग में उत्पादक तथा पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग होने हैं और इन्हीं ही सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। योजना के कृषि विकास तथा उपभोक्ता उद्योगों के विकास के लिए भी पहले

आधारभूत तथा पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों की बड़ी मात्रा में स्थापना का आयोजन किया जाना चाहिए।

योजना में एक ओर कृषि में यंत्रों के प्रयोग को महत्त्व दिया गया तथा दूसरी ओर गृह एवं लघु उद्योगों के विकास को कोई स्थान नहीं दिया गया। इस प्रकार बेरोजगारी के बढ़ने की सम्भावना पर कोई विचार नहीं किया गया और न रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि का ही आयोजन किया गया है।

योजना में १०,८१६ करोड़ रुपये पुनर्विनियोजन हेतु कृषि से प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि के पुनर्संगठन तथा यंत्रों के उपयोग के कारण पूंजीगत व्यय की राशि अत्यधिक होती और इसके पश्चात् भी कृषि से इतनी बड़ी राशि प्राप्त करने की आशा करना उचित प्रतीत नहीं होता।

विश्वेस्वरय्या योजना (Visvesvaraya's Plan)

यह योजना सन् १९४४ में प्रखिल भारतीय निर्माण संघ (All India Manufacturers' Association) द्वारा भारत का पुनर्निर्माण करने के लिए प्रवर्धित की गयी। इसने मुख्य उद्देश्य जनसमुदाय के जीवन स्तर में वृद्धि करना तथा देश की आर्थिक कुशलता का उस सीमा तक विस्तार करना था कि सामान्य नागरिक को अपनी जीविकोपार्जन योग्य रोजगार प्राप्त हो सके। इस योजना में प्रत्येक नागरिक का राजनीतिक वक्तव्य जन प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना आर्थिक वक्तव्य—प्राय तथा उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए कार्यक्षमता में वृद्धि करना तथा सामाजिक वक्तव्य—राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में यथान्वित जीवन-स्तर, आराम मनोरंजन आदि का प्रबंध करना बताया गया था।

उद्देश्य—इस योजना में सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर अप्राकृतिक तरीकों से रोक लगाया, जनसमुदाय के हितार्थ अधिक शिक्षा का आयोजन करना, कृषि के क्षेत्र से अतिरिक्त जनसंख्या को हटा कर उनके लिए अन्य व्यवसायों में रोजगार का आयोजन करना ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिनिधि सरकार (Village Self-government) की स्थापना करना आदि का आयोजन किया गया था।

इस योजना में एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण मंडल (National Reconstructive Board) की स्थापना की सिफारिश की गयी थी। इस मंडल में ६ जनता के प्रतिनिधि तथा ३ शासकीय अधिकारी रखने की सिफारिश की गयी थी। इस मंडल को विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन तथा उनका विश्लेषण करना था। मंडल को निम्नांकित वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन करना था—

- (१) कृषि तथा उसमें सम्बन्धित क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि,
- (२) उद्योगों तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाओं के उत्पादन में शीघ्र वृद्धि,
- (३) शिक्षा—सार्वभौम शिक्षा तथा व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा का विकास,
- (४) इंजीनियरिंग, औद्योगिक, तांत्रिक व कृषि, वाणिज्य तथा अन्वेषण आदि से सम्बन्धित उच्च शिक्षा,
- (५) उत्पादन, बेरोजगारी, व्यवसाय तथा ग्राम सम्बन्धी साक्ष्य का एकत्रित करना,
- (६) वित्त तथा अन्वेषण,
- (७) नियंत्रण—औद्योगिक नीति, संरक्षण आदि,
- (८) यातायात—सड़कें, रेल, जहाज तथा वायु यातायात,
- (९) गृह निर्माण, स्वास्थ्य, ग्राम तथा नगर नियोजन आदि,
- (१०) सुरक्षा सेवाएँ तथा प्रशिक्षण—सुरक्षा सम्बन्धी औजार, हथियार, मशीनें ट्रक, हवाई जहाज आदि का निर्माण,
- (११) सामान्य जीवन में अधिक यंत्रों एवं औजारों का उपयोग, तथा
- (१२) भारतीय जनसंख्या में कार्य करने की शक्ति, चरित्र-निर्माण, आधुनिक व्यापारिक स्वभाव का निर्माण आदि ।

इस मंडल को प्रत्येक क्षेत्र के लिए समितियाँ आदि नियुक्त करने तथा उनमें कार्य करने के लिए वर्गचरियों का भ्रमण करने आदि का अधिकार था । इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को और विनोदकर जन नताम्रा को इस प्रकार प्रशिक्षित करना था कि वे उत्तरदायी स्थानों पर कार्य कर सकें ।

योजना में एक राष्ट्रीय आर्थिक संस्था की स्थापना की भी सिफारिश की गयी । यह संस्था पंचवर्षीय योजना का संचालन करती है । प्रथम पाँच वर्षों में १,००० करोड़ रु० से कम राशि का विनियोजन नहीं होना था । इस संस्था को उद्योगपतियाँ की पिछड़ हुए उद्योगों के विज्ञान के लिए सहायता करना था । कृषि तथा उद्योगों के उत्पादन में १००% वृद्धि ७ से १० वर्षों में करने का लक्ष्य रखा गया जिससे राष्ट्रीय आय २,५०० करोड़ रु० से बढ़ कर ५,००० करोड़ रु० हो जाय । औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन को ४०० करोड़ रु० से बढ़ा कर २,००० करोड़ रु० करने का लक्ष्य था । योजना में यंत्र निर्माण, नवीन उद्योगों की स्थापना, शक्ति उत्पादन के यंत्रों का निर्माण तथा युद्ध सामग्री के उद्योगों को भी विकसित करने की सिफारिश की गयी थी । उद्योगों के पश्चात् योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गयी थी । योजना में एक पृथक् कृषि विभाग, जो कि एक मंत्री के अधीन हो, की स्थापना करने की सिफारिश थी ।

इसका समस्त व्यय निम्न प्रकार विभाजित किया गया था—

तालिका सं० २४—विश्वेस्वरय्या योजना का व्यय

भेद	करोड रु० मे व्यय
उद्योग	७६०
कृषि	२००
यातायात	११०
शिक्षा	४०
स्वास्थ्य	४०
गृह निर्माण	१६०
अन्य	३०
योग १४००	

इस प्रकार योजना में तीन सस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गयी जिनको पारस्परिक सहयोग तथा सामञ्जस्य के साथ योजना को संचालित करना था। पुनर्निर्माण आयोग को एक नये प्रगतिशील संविधान के निर्माण का कार्य करना था। आर्थिक परिषद् (Economic Council) को राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक विकास की देखभाल करना था तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हेतु प्रयत्न करने थे।

गांधीवादी योजना

मूल सिद्धान्त—गांधीवादी योजना गांधीजी की आर्थिक विचारधाराओं पर आधारित श्री श्रीमन्नारायण द्वारा सन् १९४४ में निर्मित तथा प्रकाशित की गयी। गांधीजी न भारत की आर्थिक समस्याओं तथा उनकी अवस्था के सम्बन्ध में जो भाषण तथा लेख समय-समय पर दिये तथा लिखे उनको समन्वित करके एक योजना का रूप दिया गया और इस योजना को ही गांधीवादी योजना कहा जाता है। वास्तव में गांधीजी द्वारा स्वयं किसी योजना का निर्माण नहीं किया गया। गांधीवादी अर्थ व्यवस्था के सिद्धान्त अन्य सभी मान्य अर्थशास्त्रियों की विचारधाराओं तथा सिद्धान्तों से भिन्न है। गांधीवादी अर्थ व्यवस्था के चार मुख्य अंग हैं—

- (१) सादगी (Simplicity)
- (२) अहिंसा (Non-violence)
- (३) श्रम का महत्त्व (Sanctity of Labour)
- (४) मानवीय मूल्य (Human Value)

सादगी द्वारा जीवन की कभी तृप्त न होने वाली इच्छाओं पर आत्म-प्रति-रोध (Self Restraint) लगाया जा सकता है और मनुष्य की निरन्तर बढ़ने वाली भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना के समस्त साधनों को व्यय करने की आवश्यकता नहीं होनी एवं आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार संगठित किया जा सकता है कि जन-समुदाय के सामाजिक तथा नैतिक आदर्शों की पूर्ति हो सके। भारत का रहन-सहन भौतिक सम्पन्नता पर ही आधारित नहीं है; इसमें आत्मा के उत्थान तथा चरित्र-निर्माण को भौतिक सम्पन्नता से अधिक महत्त्व दिया जाता है। गांधीवादी योजना में इस प्रकार की व्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य था जिसमें आर्थिक सम्पन्नता के साथ नैतिक उत्थति भी हो सके।

गांधीजी के विचार में पूंजीवाद मानव जीवन का विभिन्न प्रकार से शोषण करता है। पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में मशीन से उत्पादन होता है, श्रमिक वर्ग का शोषण होता है तथा पूंजीपति, पूंजी का संचय श्रमिक वर्ग के शोषण द्वारा ही करता है। इस प्रकार पूंजीपतियों द्वारा पूंजी एकत्रित करने के लिए, गांधीजी के विचार में हिंसक साधनों का उपयोग होता है। इसके साथ ही पूंजी-पति अपनी संचित पूंजी की सुरक्षा के लिए भी हिंसक साधनों को अपनाता है। अर्थ-व्यवस्था से इस हिंसा को दूर करने के लिए पूंजीवाद की समाप्ति आवश्यक है। उत्पादन तथा वितरण का विकेन्द्रीयकरण तथा इससे द्वारा प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण किया जाना चाहिए।

धर्म को अर्थ-व्यवस्था में उचित महत्त्व देने के लिए समस्त मानव समाज को लाभप्रद कार्य में लगाना गांधीवादी योजना का मुख्य उद्देश्य है। समाज के साधनों तथा अवसरो का समान वितरण होना भी धावश्यक बताया गया है। गांधीजी आर्थिक क्रियाओं को सदाचार तथा मानवीय सम्मान से पृथक् नहीं सम-भते थे। उनका विचार था कि आर्थिक क्रियाओं को हमें केवल साधन समझना चाहिए जिनके द्वारा मानव-कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। समाज की आर्थिक क्रियाओं को इस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए कि मानव में मानवता का अंश न्यून अथवा समाप्त न हो जाय।

गांधीजी के विचार में औद्योगिकरण भौतिक सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्न मात्र है जिसमें मानवीय सम्मान तथा चरित्र का शोषण होता है। इसलिए उन्होंने सर्वत्र ग्राम इकाइयों के विकास एवं उत्थान को अधिक महत्त्वपूर्ण बताया। गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था में यत्र को विशेष स्थान नहीं दिया जाता। चरखा एवं कुटीर उद्योगों के विकास को विशेष महत्त्व दिया गया है।

उद्देश्य—गांधीवादी योजना एक दसवर्षीय योजना थी जिसका अनुमानित व्यय ३५०० करोड़ रुपये था। यह योजना नतिव एव सांस्कृतिक उत्थान के लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनायी गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य १० वर्षों में जनसमुदाय के भौतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में उन्नति करना था। याना में मुख्यतः देश के सात लाख ग्रामों में नवीन जीवन का स्तर करना था और इसलिए वैज्ञानिक कृषि तथा गृह उद्योगों के विकास को विनाय महत्व दिया गया। योजना का मुख्य लक्ष्य जनसमुदाय के जीवन स्तर को निर्धारित न्यूनतम सीमा तक लाना था। न्यूनतम जीवन-स्तर में निम्नलिखित सुविधाएँ सम्मिलित की गयी थी—

(१) नियमित भोजन जिसमें २६०० किलो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का प्रबंध हो तथा जिसकी लागत ५ रु० प्रति मास (युद्ध के पूर्व के मूल्यों के आधार पर) ग्रामीण क्षेत्रों में हो।

(२) प्रत्येक व्यक्ति को २० गज वस्त्र वार्षिक प्राप्त हो जिसकी लागत ३ आना प्रति गज से ४ रु० वार्षिक हो।

(३) घरेलू औषधि एवं ग्राम सामान्य व्यय पर ८ रु० प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति का प्रबंध हो।

इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का न्यूनतम वार्षिक व्यय ७२ रु० रखा गया और योजना के अनुमानों के आधार पर उस समय की प्रति व्यक्ति आय को जो १८ रु० थी ४ गुना बढ़ाने की आवश्यकता बतायी गयी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना में कृषि तथा गृह उद्योगों का वैज्ञानिक स्तर पर विकास करने का आयोजन किया गया।

कृषि—खाद्यान्नो में राष्ट्रीय धाने की निश्चिन्ता तथा अधिकतम क्षेत्रीय आत्मनिश्चिन्ता के उद्देश्यों की पूर्ति के आधार पर कृषि विकास की योजना निर्मित की गयी थी। पहले चिन्ते जमींदारी तथा स्वतन्त्रता को हटा कर ग्रामवादी बन्दोस्त (Village Settlement) का आयोजन किया गया। ग्रामवादी भूमि प्रदान में सम्पूर्ण ग्राम समाज सामूहिकरूपेण ग्राम की भूमि का नगान राय को देना का उत्तरदायी था। ग्राम पंचायत ग्रामीणों में भूमि का वितरण करे तथा उनसे नगान वसूल करे। लगान उपादित अन्न के रूप में लिया जाय जिसकी मात्रा उपादित फसल का ३ अथवा ३ भाग हो। सरकार धीरे धीरे भूमि का मुद्रावजा स्तर उस पर अधिकार प्राप्त करे। यह भी सुझाव दिया गया था कि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई भूमि को ५०% पूँजीगत लागत उत्तराधिकार कर के रूप में लेनी जा सकती है। योजना में भूमि का एकिकरण सहकारी कृषि आदि को भी स्थान दिया गया।

ग्रामीण ऋण की समाप्ति के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का सुझाव था। ये न्यायालय ग्रामीण ऋणों की छानबीन करें तथा अनुचित ऋणों की राशि को कम कर दें और दस वर्ष से पुराने ऋणों को रद्द कर दें। ऋण-दाताओं की सरकार २० वर्षीय बीएड प्रदान करे तथा इन बीएडों का भुगतान कृषक से किस्तों में प्राप्त किया जाय। कृषक को साख सम्बन्धी अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाएँ। निजी रूप से रुपया उधार देने के व्यवसाय को प्रतिबन्धित कर दिया जाय। योजना में सिंचाई की सुविधाओं को दुगुना करने के लिए १७५ करोड़ रुपए अनावर्तक तथा ५ करोड़ रुपये आवर्तक व्यय का आयोजन किया गया। योजना में ४५० करोड़ रुपये भूमि सुधार, भूमि को कृषि योग्य बनाने, भूमि कटाव को रोकने आदि पर व्यय किए जाने का आयोजन किया गया था। कृषि विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर निम्न प्रकार से व्यय किये जाने का प्रवन्ध किया गया था—

तालिका सं० २५—गाँधीवादी योजना में कृषि-विकास पर व्यय

(पय करोड़ रु० में)		
मद	अनावर्तक	आवर्तक
१ भूमि का राष्ट्रीयकरण	२००	—
२ भूमि कटाव और कृषि भूमि सुधार	४५०	१०
३ सिंचाई	१७५	५
४ अन्वेषण फार्म	१००	२५
५ साख सुविधाएँ	२५०	—
	योग ११७५	४०

महायोग १२१५

ग्रामीण उद्योग—ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भरता के स्तर पर लाने के लिए गृह उद्योगों के पुनर्स्थापन तथा विकास का आयोजन किया गया था। कातना तथा बुनना कृषि के सहायक उद्यम समझे गये एवं प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की आवश्यकतानुसार वस्त्रोत्पादन करना आवश्यक बताया गया। अन्य गृह उद्योगों, जैसे बागज बनाना, तेल निकालना, घान कूटना, साबुन बनाना, दियासलाई बनाना, गुड बनाना तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों के विकास का भी आयोजन किया गया। गृह उद्योगों के विकास हेतु राज्य को शिल्पी की निम्नप्रकारेण सहायता करना आवश्यक था—

- (१) सहकारी समितियों को कम व्याज पर साख प्रदान करना।
- (२) कुटीर-उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- (३) गृह उद्योगों को बृहद् उद्योगों से संरक्षण प्रदान करना।

(४) बच्चे गांव के प्रथम तथा निर्मित माल के विप्रेयार्थ सहकारी समितियों की स्थापना करना ।

(५) साक्षरता प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना ।

आधारभूत उद्योग (Basic Industries) — योजना में निम्नलिखित गृह उद्योगों के विकास का प्रायोजन किया गया—

(१) रक्षा सम्बन्धी उद्योग,

(२) जल विद्युत् क्षिति उद्योग,

(३) चाँई खोदना, धातु खोदना तथा वन उद्योग,

(४) मशीन तथा मशीनों के अंशजार बनाने के उद्योग

(५) गृह उद्योग जिनमें अन्वेषण उद्योग तथा

(६) बहुरसायन उद्योग ।

गृह उद्योगों को इस प्रकार नियमित रूप से संचालित किया जाय कि वे गृह उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने के स्थान पर गृह-उद्योगों के विकास में सहायक हों। इन आधारभूत उद्योगों को राज्य द्वारा संचालित किया जाय। सरकार द्वारा अधिनियम तथा नियंत्रण प्राप्त करने के समय तक ये उद्योग अलोक साहसियों (Private Entrepreneurs) द्वारा संचालित रहे परंतु राज्य द्वारा निर्मित वस्तुओं का मूल्य साहसियों का लाभ तथा श्रम व्यवस्था पर नियंत्रण रहे। गृह उद्योगों का विरन्धीकरण प्राथमिक सामाजिक तथा सैनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाय।

अर्थ-व्ययस्था—इस योजना का समस्त प्रायर्त्न व्यय २०० करोड़ रुपये तथा अनावर्त्तन व्यय ३५०० करोड़ रुपये निश्चित किया गया। उसका विभिन्न मर्दों पर वितरण इस प्रकार था—

तालिका सं० २६—गांधीवादी योजना का व्यय

मर्द	व्यय (करोड़ रुपयों में)	
	अनावर्त्तन	प्रायर्त्न
श्रुति	११७।	४०
आनीय उद्योग	३५०	—
आधारभूत तथा गृह उद्योग	१०००	—
यातायात	४००	१५
जल स्वास्थ्य	२६०	४५
शिक्षा	२६५	१००
अन्य	२०	—
	योग ३५००	२००

कृषि पर व्यय होने वाली निर्धारित राशि द्वारा कृषि का विकास इतना होने की सम्भावना थी कि कृषि आय दस वर्षों में दुगुनी हो जाय। यह भी अनुमान लगाया गया कि ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए प्रति ग्राम ५००० रु० की आवश्यकता होगी और यह राशि राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों अथवा सहकारी अधिकारियों को दीर्घकालीन ऋण के रूप में प्रदान की जानी थी जो २० वर्ष में दाय होनी थी। यह भी अनुमान था कि लगभग १०० करोड़ रु० राज्य द्वारा निजी साहसियों तथा विद्वज्जियों द्वारा संचालित आधारभूत उद्योगों को ऋण करने पर व्यय होगा तथा सेप ५०० करोड़ रु० आधारभूत तथा रक्षा सम्बन्धी उद्योगों के विकास पर व्यय किया जायगा। रेल यातायात में २५% वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में २००,००० मील लम्बी अतिरिक्त सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया। भारतीय तथा विदेशी जहाजों कम्पनियों को भी ऋण करने का आयोजन किया गया। ग्रामीण चिकित्सालयों तथा नगरों में प्रत्येक १०,००० व्यक्तियों पर एक अस्पताल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। शिक्षा के व्यय को पाँच भागों में विभाजित किया गया—वैदिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, विद्वविद्यालयीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण।

योजना की निर्धारित अनावर्तक राशि को तीन साधनों—प्रान्तरिक ऋण तथा बचत, मुद्रा-प्रसार तथा अतिरिक्त कर द्वारा प्राप्त करने का लक्ष्य था। अनावर्तक व्यय की राशि का राजकाय उद्योगों तथा जन-सेवाओं की आय द्वारा प्राप्त किया जाना था। विभिन्न साधनों से निम्न प्रकार अर्थ प्राप्त होने का अनुमान था—

तालिका सं० २७—गांधीवादी योजना के अर्थ-साधन

साधन	आय (करोड़ रु० में)
प्रान्तरिक ऋण	२०००
मुद्रा-प्रसार	१०००
कर	५००
	योग ३५००

आलोचना—इस योजना के दो पक्ष हैं—ग्रामीण तथा नागरिक। इन दोनों ही क्षेत्रों का विकास विभिन्न साधनों पर करने का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत जीवन को बनाये रखने का सुभाव था परन्तु कुछ आधुनिक सुविधाओं में वृद्धि करने का भी आयोजन किया गया। दूसरी ओर नागरिक क्षेत्रों में राज्य द्वारा संचालित बृहद् तथा आधारभूत उद्योगों के विकास का आयोजन था। नगर-निवासियों के जीवन का तदनुसार आधुनिक विकास

होना भी अनिवार्य था। दृढ़ प्रकार प्राथमिक नागरिक जीवन तथा परम्परागत ग्रामीण जीवन में सामंजस्य स्थापित करना एक बठिन समस्या का रूप ग्रहण कर सकती थी जितने हन के लिए यात्रना में प्रयाग नहीं जाना गया।

योजना में व्यक्तित्वगत प्राशस्त्य स्वतंत्रताओं को धक्षुत्तल बनाये रखने को विशेष महत्त्व दिया गया। इंग्लिश बठार प्राथमिक प्रबन्धों तथा नियंत्रणों को यात्रना में स्थान नहीं दिया गया। प्राथमिक समानता के लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्राथमिक नियंत्रणों का उहो प्रत्युत्तल आत्म प्रतिरोध एवं सामान्य चरित्र निर्माण ही समुचित समझ गये थे।

ग्रामीण क्षत्र में आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुँचने के लिए ग्रामीण सवनी मुत्ती उन्नति की आवश्यकता थी और लक्ष्य कार्य के लिए प्रति मास ५००० रुपये की राशि पर्याप्त नहीं हो सकती थी। योजना में उन्नत पारिवर्त्मिक की नीति पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों को व्यवसाय के विकास के साथ राज्य द्वारा गून्तनम पारिवर्त्मिक निर्दिष्ट करना आवश्यक था जितने ग्रामीण गिल्पिया तथा उन्निका का छोटे छोटे पूंजीपतिया द्वारा दोषण लिए जाने की सम्भावना न रहे।

अर्थ साधना में मुद्रा प्रसार का विशेष स्थान दिया गया था। मुद्रा प्रसार, प्राथमिक नियंत्रणों को अनुवस्थिति में मुद्रा स्फीति का घातक रूप धारण कर सकती थी। दूसरी ओर योजना के अन्त में उन्नत पारिवर्त्मिक व्यवसाय पर ही अन्व सन्धित रहा गया था। विश्वेशिया द्वारा संचालित उद्योगों को नय करों पूंजीगत वस्तुओं का विदेशों से आयात करने आदि के लिए जो विदेशी पूंजी की आवश्यकता होगी उस हेतु कोई विशेष आयातन नहीं किया गया।

इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें भारत द्वारा अपनी योजना के माध्यम से एशिया के तथा अन्व विच्छेद हुए राष्ट्रों का नय अदर्शन करने का लक्ष्य भी रखा गया था। सिंचाई वस्त्र लोहा तथा इस्पात उद्योग जल विद्युत् तथा शृपि से प्राप्त अनुभवों से अन्व राष्ट्रों को अवगत कराया जाना था। एशिया के अन्व राष्ट्रों के युवकों को तांत्रिक संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करने का भी आयोजन था। विभिन्न विच्छेद राष्ट्रों के लक्ष्य समुक्त रूप से पारिवात्य राष्ट्रों के तांत्रिक विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने की भी सिफारिश की गयी थी।

द्वितीय महासमरोपरांत भारत में नियोजन का इतिहास

अम्बई जन तथा गदिवादी योजनाएँ युद्ध काल में निर्मित तथा प्रकाशित की गयी थीं। सन् १९४४ में भारत सरकार ने देश में पुनर्निर्माण कार्य हेतु योजना बनाने के लिए सर अद्वेनीर दलाल को नियुक्त किया। उहोने अपनी

योजना यलो बुक (Yellow Book) के रूप में प्रकाशित की। सन् १९४५ में युद्ध की समाप्ति पर विश्व की आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया और उपर्युक्त किसी भी योजना को कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सका। दिसम्बर १९४६ में श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार योजना मण्डल (Advisory Planning Board) की स्थापना की गयी।

सलाहकार योजना मण्डल—इस बोर्ड को राज्य के नियोजन कार्यों, राष्ट्रीय नियोजन समिति की सूचनाओं तथा सिफारिशों तथा अन्य नियोजन प्रस्तावों की समालोचना करके अपन सुझाव देने का काम सौंपा गया। इस बोर्ड के प्रतिवेदन (Report) में द्विनियोजन के दो मुख्य उद्देश्य निश्चित किए गये—जन समुदाय के सामान्य जीवनस्तर में उन्नति करना तथा समस्त कार्य करन योग्य जन समुदाय को उपयोगी रोजगार के प्रबन्ध का आयोजन करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समस्त साधनों का अधिकतम तथा विवेकपूर्ण विकास तथा उपयोग होना चाहिए तथा इनके द्वारा उत्पादित धन के समान वितरण का आयोजन किया जाना चाहिए। उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीयकरण (Regionalization) होना चाहिए जिससे सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार सन्तुलित विकास हो सके। इस प्रकार के विकास से राष्ट्रीय सुरक्षा का सुप्रबन्ध हो सकता था तथा उभ नियोजन का एक सहायक किन्तु महत्वपूर्ण उद्देश्य भी समझा जा सकता था। बोर्ड ने एक प्राथमिकता बोर्ड (Priorities Board) की स्थापना की सिफारिश की जो कि राष्ट्र के आधारभूत साधनों का बंटवारा शासकीय योजनाओं के विकासानुसार करे। कृषि तथा उद्योग का विकास, सिंचाई के साधनों में वृद्धि, विद्युत शक्ति-उत्पादन में वृद्धि, कोयले के उत्पादन में वृद्धि तथा उसका विकास, यातायात के साधनों में सुधार, शिक्षा के स्तर में उन्नति, जन-स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा आदि में समस्त राष्ट्रीय साधनों तथा शक्तियों का उचित वितरण करने की सिफारिश की गयी।

रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् के प्रथम पाँच वर्षों में १००० करोड़ रुपये पुनर्निर्माण कार्य करन में लगा सकती है। यह राशि अतिरिक्त कर, अधिक ऋण तथा मुद्रा-प्रसार द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बोर्ड के विचार में भारत में पर्याप्त ज्ञान तथा सांख्यिकीय सूचना की अल्पता कमो है और अर्थ-व्यवस्था पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। इस लिए योजना का इस प्रकार बनाना तथा संचालित करना कठिन है जिसका सामूहिक फल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। रिपोर्ट में शूयक् पृयक् उद्योगों के

लिए लक्ष्य निश्चित करने पर जोर दिया गया। कठिनाइयों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया—अर्थ उपलब्धि की कठिनाइयाँ, पूँजीगत सामग्री प्राप्त करने की कठिनाई तथा प्रशिक्षित श्रम की उपलब्धि की कठिनाई। अर्थ की कठिनाइयों को अनिश्चित कर, अधिक ऋण, मुद्रा-प्रसार तथा राज्य एक केन्द्रीय सरकार के सहयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। पूँजीगत सामग्री विदेशों से प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए पीड-पावना तथा विदेशी ऋण का उपयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षित श्रम की उपलब्धि के लिए भारत में प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गयी।

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बोर्ड ने कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं की क्योंकि यह कार्य उस नहीं सौंपा गया था। परन्तु बोर्ड के मत में औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है। बोर्ड के विचार में चुने हुए आधारभूत उद्योगों का धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण उचित था।

बोर्ड ने एक योजना समीक्षण की स्थापना की सिफारिश की जिसमें पाँच से अधिक और तीन से कम सदस्य नहीं होना चाहिए थे। योजना समीक्षण एक राजनीतिक संस्था नहीं होनी चाहिए थी अपितु उसमें जन-कार्यों के अनुभवी व्यक्ति, उद्योग, कृषि तथा श्रम के अनुभवी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी जिन्हें अर्थ तथा शासन सम्बन्धी अनुभव हो, तथा विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के प्रसिद्ध तथा योग्य विशेषज्ञों को सम्मिलित किये जाने की सिफारिश की गयी थी। यह योजना आयोग राष्ट्र के लिए योजना बनाये और अपनी सिफारिशें दे। परन्तु उन सिफारिशों पर निश्चय करना सरकार का अधिकार होना चाहिए था। योजना की प्राथमिकताओं के विषय में योजना आयोग के निश्चय को ही अन्तिम समझ की सिफारिश की गयी थी। इसके अतिरिक्त एक सलाहकार समिति (Consultative Body), जिसमें २५ से ३० तक सदस्य हों, की स्थापना का भी सुझाव दिया गया। इस समिति को योजना आयोग की प्रगति का निरीक्षण करना तथा विभिन्न राजनीतिक पक्षों का सहयोग प्राप्त करना था।

अन्तरिम सरकार की नीतियाँ

भारत में २४ अगस्त मन् १९४६ को अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। इस समय देश में खाद्यान्नों का अत्यंत अभाव था तथा देश के कुछ भागों में अकाल की अवस्था उपस्थित थी। इस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए विदेशों से अन्न प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया गया। भारत सरकार ने अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, स्याम, हिन्दचीन, इण्डोनेशिया, ईरान,

टर्की, मिश्र, ब्राजील आदि से लगभग १७ लाख टन अन्न का आयात किया परन्तु आयात पर निर्भर रह कर अन्न के अभाव को दूर नहीं किया जा सकता था। सरकार ने इसीलिए राशनिंग तथा मूल्य नियन्त्रण द्वारा अन्न के वितरण को नियन्त्रित किया। इसके साथ ही साथ 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को नवीन रूप में प्रारम्भ किया गया। इसका कार्यक्रम दो भागों में बाँटा गया— एक उपस्थित न्यूनता को दूर करने के लिए कृषकों को साख, अच्छे बीज, खाद आदि की सुविधाएँ देना और दूसरे दीर्घकाल में अन्न के अभाव को दूर करने तथा जनता को अच्छे खाद्य-पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए योजना आदि का आयोजन करना जिससे बाढ़ और सूखे से होने वाली हानि को रोका जा सके और सिंचाई तथा विद्युत-शक्ति के साधनों में वृद्धि की जा सके।

१६ सितम्बर सन् १९४६ को वाणिज्य सदस्य श्री सी० एच० भाभा ने घोषणा की कि विदेशी व्यापार को इस प्रकार नियन्त्रित किया जायगा कि देश का औद्योगिकरण शीघ्र किया जा सके। निर्मित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जायगा और आयात केवल उन वस्तुओं का किया जायगा जिनसे औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है। साथ ही विदेशी व्यापार में किसी भेद-भाव की नीति को स्थान नहीं दिया जायगा।

अन्तरिम सरकार के सत्ता सम्भालते समय हड़तालों तथा हड़तालों की घमकियों का बोलवाला था। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए मालिक तथा दमनकारी के पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित किया गया तथा श्रम को कार्य करने की दशाओं में सुधार करने के लिए कानून बनाये गये। एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाया गया जिसके द्वारा उचित मजदूरी, समझौते, औद्योगिक प्रशिक्षण, कार्य करने की दशाओं में सुधार, अनुबन्ध भूति को कम करना, गृह-सम्बन्धी सुविधाएँ, औद्योगिक शान्ति, महंगाई को दरो में वृद्धि, विकृति तथा आर्थिक सुविधाओं का आयोजन किया गया। साथ ही भंगड़े के समय सरकार के न्यायालय द्वारा न्याय कराने का अधिकार औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक (Industrial Relations Bill) द्वारा प्राप्त किया। देश भर में समान श्रम अधिनियम बनाये जाने की सिफारिश भी की गयी।

यातायात के क्षेत्र में रेल, सड़क तथा जल यातायात में समन्वय स्थापित किया गया, जिससे राष्ट्र के आर्थिक साधनों का अधिकतम विकास हो सके और इन साधनों में इस प्रकार वृद्धि की जाय कि राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में यातायात की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। साथ ही रेल उतना ही किराया ले जो कि यानी सहन कर सके। रेलों में आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग किया जाय।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव सन् १९४८

स्वतन्त्रता के पश्चात् ही भारत सरकार ने आयोजित अर्थ व्यवस्था तथा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए कार्यवाही की। प्राचीन पूंजीवादी व्यवस्था पर आवश्यक नियंत्रण रखना आवश्यक समझा गया और राष्ट्र के सन्तुलित विकास तथा जन-कल्याण के लिए यह आवश्यक था कि सरकार औद्योगिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे तथा औद्योगिक विकास हेतु अधिकतम प्रयत्न करे। दिसम्बर सन् १९४७ में औद्योगिक सम्मेलन (Industrial Conference) ने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक सिफारिशों की और साथ ही एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद्, छोटी अर्थिकी के लिए प्राथमिकता बोर्डों तथा एक राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। उसी वर्ष मेरठ में हुए कांग्रेस अधिवेशन ने राष्ट्रीय सरकार की भावी औद्योगिक नीति का निर्धारण किया। इस पृष्ठभूमि में स्वर्गीय डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी, तत्कालीन उद्योग मन्त्री ने ६ अप्रैल सन् १९४८ का संसद में भारत सरकार का औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसके अन्तर्गत श्रम, पूंजी तथा साधारण जनता द्वारा देश के शीघ्र औद्योगीकरण की आशा प्रकट की गयी।

सरकार द्वारा औद्योगिक नीति की घोषणा करना भारत के औद्योगिक नियोजन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था। १५ अगस्त सन् १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् देश भर में एक नूतन जागृति का प्रादुर्भाव हुआ और जनता को सरकार से बड़ी बड़ी आशाएँ होनी लगी। जन-समुदाय में नवीन भारत के निर्माण में सहयोग प्रदान करने की भावना उत्पन्न हो गयी थी। उद्योगपति भी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि देश के औद्योगिक विकास में उनको क्या स्थान दिया जायगा।

यह औद्योगिक नीति प्रस्ताव प्रतिश्रियावादी, प्रान्तिकारी, समाजवाद तथा पूंजीवाद के पारस्परिक विरोधों का परिहार करते हुए एक मिश्रित अर्थ व्यवस्था का प्रतिपादन करता था। इसके द्वारा लोभ तथा अलोक साहस की सीमाओं को निर्धारित किया गया था। इसमें पूंजी तथा श्रम दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों की व्यवस्था थी। विदेशी पूंजी के विषय में राजकीय नीति का स्पष्टीकरण किया गया था। इसमें औद्योगिक क्षेत्र में सरकार की नीतियों का उल्लेख किया गया तथा उन उपायों की ओर सचेत किया गया जिन्हें इन नीतियों की पूर्ति के लिए सरकार काम में ला सकती थी।

सन् १९४८ की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना था जिससे न्याय और अवसर की समानता का आयोजन किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा की सुविधाओं, स्वास्थ्य

सेवाओं, जीवन-स्तर में वृद्धि, राष्ट्र के सम्भावी साधनों का अधिकतम उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि करना तथा समस्त समुदाय को जनहित की योजनाओं में रोजगार दिलाना आदि का आयोजन करना आवश्यक समझा गया। प्रस्ताव में कहा गया कि तत्कालीन परिस्थितियों में उत्पादन की वृद्धि को महत्व दिया जाना उचित होगा, क्योंकि विद्यमान सम्पत्ति का पुनर्वितरण करने से केवल न्यूनता का ही वितरण (Distribution of Scarcity) होगा। प्रस्ताव में पूंजीगत वस्तुओं तथा आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं एवं ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में सत्वर वृद्धि करने के प्रयत्न किये गये, जिनके निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण—औद्योगिक नीति प्रस्ताव में बताया गया कि तत्कालीन परिस्थितियों में जबकि अधिकतर जनता का जीवन-स्तर न्यूनतम से भी कम है, यह आवश्यक है कि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि को विशेष महत्व दिया जाय। उत्पादन में वृद्धि के प्रश्न को हल करने से पूर्व यह भी आवश्यक था कि यह भी निश्चित कर दिया जाय कि राज्य किस सीमा तक औद्योगिक क्षेत्र में भाग लेगा तथा निजी क्षेत्र को किन-किन नियन्त्रणों की दशा में कार्य करना होगा। तत्कालीन परिस्थितियों में राज्य के पास इतने साधन नहीं थे कि वह औद्योगिक क्षेत्र में यथोचित तथा वाछनीय सीमा तक भाग ले सके। इसलिए यह निश्चय किया गया कि राज्य राष्ट्रीय धन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए कुछ समय तक अपनी कार्यवाहियों को उस क्षेत्र में ही बढ़ाये जिनमें कि वह अभी तक कार्य करता आ रहा है। इसके साथ ही नये उद्योगों की स्थापना को भी अपने कार्य-क्षेत्र में ले ले। इस प्रकार वर्तमान प्रलोक साहस के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। परन्तु इस अवधि में राज्य को निजी क्षेत्र पर समुचित नियन्त्रण द्वारा उसका नियमित संचालन करना था।

इन निश्चयों के आधार पर लोक तथा प्रलोक क्षेत्रों को सीमाबद्ध करने के लिए उद्योगों की पाँच श्रेणियों में विभक्त किया गया—

(१) केन्द्रीय सरकार का अल्प एकधिकार क्षेत्र—युद्ध-सामग्री का निर्माण, अणु-शक्ति का उत्पादन तथा नियंत्रण, रेल यातायात का स्वामित्व एवं प्रबन्ध—ये उद्योग केवल सरकार द्वारा ही स्थापित तथा संचालित किये जाते थे।

(२) राज्य जिसमें केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा रियासती सरकारों तथा अन्य स्थानीय सस्थाओं जैसे नगरपालिका निगम आदि का क्षेत्र शामिल है—कोयला, लोहा तथा इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राम तथा बेतार के तार के यंत्रों या उपकरणों का निर्माण (रेडियो तथा टेलीविजन सैट

को छोड़ कर) तथा खनिज तेल के उद्योग केवल राज्य द्वारा ही खोले जान थे। परन्तु इन उद्योगों की जो इकाइयाँ पहले से ही काय कर रही हैं उनको दस साल तक काय करन की अनुमति प्रदान की जानी थी। दस वर्ष पश्चात् सरकार इस बात का निश्चय करेगी कि उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय अथवा नहीं।

(३) निजी साहस या स्वामित्व परन्तु सरकार का नियमन तथा नियंत्रण का क्षेत्र—नमक मोटर टर्कर प्राइममूवस विद्युत इजीनियरिंग यंत्र उपकरण भारी रसायन खाद फामसी की औपधियाँ विद्युत रसायन उद्योग अलौह धातु खर निर्माण शक्ति तथा औद्योगिक अलकोहल सूनी तथा ऊनी वस्त्र सीमट चीनी बागज समाचार पत्र का कागज वायु तथा जल याता यात तथा वे ख नज और उद्योगों में सुरक्षा से सम्बन्धित हो इस वर्ग के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तो नहीं किया जायगा परन्तु उन पर पर्याप्त सरकारी नियंत्रण रहेगा।

(४) निजी साहस के आधीन परन्तु जिसमें औद्योगिक सहकारी समितियों के संचालन को प्राथमिकता दी जानी थी—ग्रह तथा लघु उद्योगों और कृषि के सहायक ग्रामीण उद्योग—इन पर निजी साहस का स्वामित्व रहना था परन्तु इनको सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित करन को अधिक महत्व दिया जाना था।

(५) स्वतंत्र निजी साहस का क्षेत्र—अब सभी उद्योग निजी साहस द्वारा चलाए जा सकते थे।

पूँजी तथा श्रम के सम्बन्ध—सरकार ने पूँजी तथा श्रम में सहयोगी सम्बन्धों को स्थापित करन के लिए १९४७ के औद्योगिक सम्मेलन द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों को स्वकार कर लिया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि पूँजी और श्रम के पारिष्ठात्मिक का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाना चाहिये कि अधिक लाभ पर कर तथा अन्य विधियाँ द्वारा रोक लगायी जा सके। पूँजी और श्रम के सामूहिक परिष्ठात्म से उपादित आय में से श्रम को उचित पारिष्ठात्मिक उद्योग में लगायी गयी पूँजी को उचित प्रतिफल तथा उद्योगों के विकास के लिए यथोचित संचय (Reserve) का प्रबन्ध करन के पश्चात् शेष भाग को पूँजी तथा श्रम में बाँटा जाय। श्रम को लाभ में से मिलन वाला भाग श्रम की उपादन शक्ति के आधार पर होना चाहिए। इसके साथ सरकार केन्द्र तथा प्रांतों में अधिकारी नियुक्त करेगी जो श्रम तथा पूँजी के पारिष्ठात्मिक तथा श्रम के काय करन की दशाओं के विषय में सलाह दगे।

गृह उद्योग—भारत के इतिहास में प्रथम बार गृह उद्योगों को औद्योगिक नीति में सम्मिलित किया गया यह मान लिया गया कि देश की अर्थ

व्यवस्था में गृह-उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये उद्योग व्यक्तिगत, ग्रामीण तथा सहकारी साहस को प्रोत्साहित करते हैं तथा स्थानीय साधनों—मानवीय एवं भौतिक का उपयोग करने में सहायक होते हैं। इनके द्वारा स्थानीय आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सकती है। इनसे उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुओं, जैसे खाद्यान्न, वस्त्र, कृषि औजार आदि के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। इन उद्योगों के विनाश के लिए कच्चा माल, सस्ती शक्ति, तांत्रिक सलाह, विपणन भगठन तथा बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा का आयोजन किया जाय। ये सभी कार्य प्रांतीय सरकार द्वारा किए जाने थे। केन्द्रीय सरकार केवल यह जानकारी प्राप्त करे कि इन उद्योगों का बड़े उद्योगों के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा सकता था। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में विदेशों से बड़े उद्योगों के लिए पूर्णतः सामान प्राप्त करना कठिन है, इसलिए लघु औद्योगिक सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाय।

विदेशी पूँजी—विदेशी पूँजी की प्रति सरकार की नीति यह होनी थी कि उन उद्योगों का, जिनमें विदेशी पूँजी विनियोजित हुई हो, अधिकार स्वामित्व तथा प्रबन्ध भारतीय उद्योगपतियों के हाथ में होना चाहिए। उनमें भारतीयों को उत्तरदायित्वपूर्ण पद दान चाहिए। जिन कामों के लिये योग्य व्यक्ति न प्राप्त हो सकें, उनके लिए विदेशी विनायक रख जा सकते हैं, परन्तु भारतीयों को उचित शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिए जिससे वे उनके स्थान का ग्रहण कर सकें।

तटकर नीति (Tariff Policy)—सरकार की तटकर नीति इस आधार पर निश्चित की जानी थी कि जिससे अनुचित विदेशी स्पर्धा पर रोक लगायी जा सके, तथा भारत के साधनों का उपयोग उपभोक्ता पर किसी प्रकार अनुचित भार न डालने हुए हो सक।

कर व्यवस्था—सरकार को कर व्यवस्था में आवश्यक समायोजन किये जाने थे ताकि वचन तथा उत्पादन विनियोजन को प्रोत्साहन मिले और किसी छोटे से वर्ग के हाथों में धन सत्रह न हो सके।

श्रमिकों के लिए गृह व्यवस्था—श्रमिकों के लिए गृह-व्यवस्था की जानी थी। इस वर्ष में १० लाख भवन निर्माण करने की योजना विद्याराधीन थी। एक गृह निर्माण मण्डल (Housing Board) की स्थापना की जानी थी। गृह निर्माण की लागत उचित अनुपात में सरकार, मालिक तथा धन को वहन करनी थी तथा श्रमिक का भाग उससे यथोचित किराये के रूप में लिया जाना था।

उपरोक्त आयोजन से यह स्पष्ट है कि सरकार के सम्मुख उत्पादन में वृद्धि

करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसीलिए सरकार तत्कालीन औद्योगिक व्यवस्था में अधिक परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में बोलते हुए कहा, "इस सम्बन्ध में कोई भी वायवाही करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को सचेत होकर यह सोचना आवश्यक होगा कि वर्तमान ढांचे को कोई अधिक धक्का न पहुँचे। भारत तथा संसार की वर्तमान स्थिति में शुद्ध लेख पट (Clean Slate) को प्राप्त करने अर्थात् जो कुछ उपस्थित है उसे नष्ट कर देने से विकास की प्राप्ति के क्षीघ्रता होने के स्थान पर उसमें अत्यंत देरी हो जायगी। इस शुद्ध लेख पट के स्थान पर वर्तमान लेख पट पर यहाँ वहाँ मिटा कर धीरे धीरे लिखा जाय जिससे सम्पूर्ण लेख पट के लेख का प्रतिस्थापन हो सके। यह कार्य बहुत धीरे धीरे नहीं होना चाहिए परन्तु इसके लिए कोई ऐसी वायवाही भी नहीं होनी चाहिए जिससे कोई बर्बादी हो।"^१

इन विचारों से पूर्णतः सहमत न होते हुए प्रोफेसर क० टा० शाह ने प्रस्ताव पर अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये "यह कोई ऐसी नीति नहीं थी जो कि एक ऐसे राज्य को अपनाती चाहिए जो विकासशील हो तथा जो देश के हित के लिए अधिकतम मात्रा में कार्यवाही करने के लिए इच्छुक हो। मैं इस प्रस्ताव से केवल इसलिए ही असन्तुष्ट नहीं कि इसमें कुछ कार्यवाहियों को कम रखा गया है प्रत्युत इसलिए भी कि इसमें अनव कार्यवाहियों पर प्रकाश न डालने का दोष भी है। अधिकतम दूषित उदाहरणों को राज्य के लिए छोड़ा गया तथा सर्वोत्तम उदाहरण पूर्णजीवियों के लिए छोड़ गये हैं जो कि केवल लाभ के लिए ही कार्य करते हैं। इस कथन से क्या लाभ है कि दस वर्ष तक पूर्णजीवियों को शोषण करने का अधिकार दिया जायगा जिससे कि वह समस्त धन का संग्रह करले और भविष्य की पीढ़ियों के लिए केवल निधनता ही छोड़ दे।"^२

1. 'One had to be careful that in taking any step the existing structure was not injured much. In the state of affairs in the world and India today, any attempt to have a clean slate i.e. a sweeping away of all that they had got would certainly not bring progress nearer but rather delay it tremendously. The alternative to that 'clean slate' was to try to rub out here and there, to write on if gradually to replace the writing on the whole slate, not too slowly but nevertheless without a great measure of destruction in its trail'

Pt. Jawahar Lal Nehru

2. 'This was not a policy that a state desiring to be progre-

(contd. next page)

औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम, १९५१
[Industries (Development & Regulation) Act, 1951]

सन् १९५१ में औद्योगिक नीति को घोषित किये तीन वर्ष व्यतीत हो गये थे। इस अवधि में देशकी अर्थ व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए। प्रथम पंचवर्षीय योजना सन् १९५१ में प्रारम्भ हुई तथा समाजवादी अर्थ व्यवस्था की स्थापना का ध्येय अन्तिम रूप में स्वीकार कर लिया गया। पुरानी औद्योगिक नीति में इन परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन करना आवश्यक था। सन् १९५१ में सरकार ने औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम कार्यान्वित किया। इस अधिनियम में सन् १९५३ में संशोधन किया गया। इस अधिनियम द्वारा निजी क्षेत्र के उद्योगों पर राष्ट्रीय हित के लिए नियन्त्रण रखा जायगा। यह अधिनियम निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत १६२ उद्योगों पर लागू है—

(१) उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग, जैम वस्त्र, वनस्पति खनिज तैल, साबुन, चीनी, नमक, फार्मसी वाल द्रव्य औपधिया शिवण यन्त्र कढ़ाई के यन्त्र आदि।

(२) यन्त्रोत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं के उद्योग, जैसे लोहा एवं इस्पात, रेल इंजिन और रोलिंग स्टाक, मैगनीज, अलौह धातु समूह, मिश्रित धातु, उद्योग धन्वों के भारी यन्त्र जैसे बोल और रोलर बेयरिंग, गीयर, पहिए और यान्त्रिक उपकरण आदि।

(३) ई धन के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग जैसे कोयला, विद्युत-शक्ति, मोटर तथा वायुयान का ई धन तथा अय तल।

(४) विद्युत शक्ति के उत्पदन एवं वितरण हेतु यन्त्र निर्माण के उद्योग।

(५) भारी रासायनिक द्रव्य तथा रासायनिक साद।

(६) मोटर गाड़िया, टैंक्टर वायुयान जलयान, टेलीफोन, तार, बेतार-संचार के यन्त्र आदि क निर्माण उद्योग।

(७) अस्त्र शस्त्र, कृषि उपकरण गणित सम्बन्धी वज्ञानिक यन्त्र, लघु

ssive, desiring to advance the well being of the country to the utmost possible degree, should adopt I am disappointed with the resolution not only because of its sins of commission but also because of its sins of omission The worst possible examples were left to the state and the best possible examples were left to the capitalists seeking profits and profits only What was the use of saying that for ten years the capitalists would be given a chapter of exploitation' under which he could take out all the kernel and leave the husk to posterity " —Prof. K. T. Shah.

उपकरण सीन और बाटने की मशीनें, साइकिलें, हरीकेन लालटन, शीशा और मिट्टी के बतनो के उद्योग ।

इस अधिनियम की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार है—

(१) सरकारी नियन्त्रण को विस्तृत कर दिया गया तथा सरकार का नियन्त्रण लगभग समस्त बड़े बड़े उद्योगों पर लागू कर दिया गया । उन्मुक्त उद्योगों में सरकार उत्पादन बढाने माल की किस्म मुधारन, किसी विशेष बच्चे माल का उपयोग करन अथवा स्वेच्छा से उत्पादन घटाने की क्रियाओं को बन्द करन का कार्य कर सकती है । सरकार का अधिकार होगा कि किसी निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाई के उत्पादन में कमी आन अथवा माल की किस्म खराब होन पर परीक्षण करवा सकती है तथा आवश्यकतानुसार उसके निवारणार्थ उचित कदम भी उठा सकती है ।

(२) अधिनियम के अनुसार सरकार एक ३० सदस्यीय केन्द्रीय सलाहकार परिषद् (Central Advisory Council) की स्थापना करेगी जो सरकार को उद्योगों के नियमन तथा नियन्त्रण पर सलाह देगी । इस परिषद् में विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होंगे ।

(३) प्रत्येक उद्योग के लिए पृथक पृथक विकास परिषद् की स्थापना की गयी । इन परिषदों में सहकारी प्रतिनिधियों के अतिरिक्त श्रमिकों, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गये ।

(४) अधिनियम द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि उद्योगों पर कर लगा कर एक निधि (Fund) का निर्माण करे । इस निधि का उपयोग तांत्रिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए किया जाना था । इसके अतिरिक्त सरकार किसी विशेष उद्योग को तांत्रिक प्रशिक्षण के प्रबन्ध करन का आदेश दे सकती है ।

(५) सरकार नियन्त्रित उद्योगों से आवश्यक सारण माग सकती है ।

कन्द्रीय सरकार को यदि परीक्षण के उपरान्त यह ज्ञात हो कि कोई औद्योगिक इकाई राजकीय आदेशों की अवहेलना कर रही है अथवा उस इकाई का प्रबन्ध जनहित के लिए हानिकारक है तो सरकार उस इकाई अथवा इकाइयों का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले सकती है अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हाथ में सौंप सकती है । मई १९५३ के संशोधनानुसार राज्य को बिना परीक्षण के ही प्रबन्ध अपने हाथ में लेन का अधिकार प्राप्त हो गया है ।

केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन वस्तुओं का मूल्य नियन्त्रित कर सकती है । यातायात, उपभोग तथा अनुज्ञा पत्र आदि पर नियन्त्रण कर सकती है,

वस्तु विशेष के ऋय पर रोक लगा सकती है और उस वस्तु के क्रेता तथा विक्रेताओं पर नियन्त्रण कर सकती है।

केन्द्रीय विकास परिषद् सरकार को नियम बनाने, औद्योगिक इकाइयों को आज्ञा एवं निर्देश देने तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण एवं नियन्त्रण के सम्बन्ध में सलाह देने का कार्य करती है। औद्योगिक विकास समितियाँ जिनमें मालिक, कर्मचारी, उपभोक्ता तथा अन्य पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं, सम्बन्धित उद्योगों को केन्द्रीय सरकार को सलाह एवं सूचना देगी, उत्पादन की सीमाएँ निर्धारित करेंगी उत्पादन की योजनाओं में समन्वय स्थापित करेंगी, उद्योग के विषय में समय-समय पर विचार करेंगी, वस्तुओं के प्रमाणीकरण में सहायता देगी, कम कार्यकुशल इकाइयों को सुधारने का प्रयत्न करेगी, नियन्त्रित कच्चे माल के वितरण में सहायता देगी, उद्योगों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करेंगी, कार्य-मुक्त किये गए कर्मचारियों को अन्य उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण देगी तथा कार्य दिलायेगी, औद्योगिक मनोविज्ञान सम्बन्धी विषयों का अनुसंधान करेंगी, लागत लेखा को प्रोत्साहन देगी, साख्य एकाग्रकरण की प्रणाली में सुधार करेंगी, श्रमिकों की कार्यक्षमता को वैज्ञानिक ढंग में बढ़ायेगी आदि। इस प्रकार विकास परिषदे सम्पन्न उद्योगों के विकास, सुधार, मगठन, कच्चे माल की पूर्ति, उत्पादित माल का वितरण, औद्योगिक अन्वेषण आदि में सहायता प्रदान करेंगी।

१९५३ के मशौधनानुसार ६ अन्य उद्योगों को इसके आधीनस्थ कर दिया गया और सरकार को उद्योगों के नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यन्त विस्तृत अधिकार दिये गए। इस अधिनियम का क्षेत्र और विस्तृत करने के लिए १९५७ में इसमें और मशौधन किये गये और इसके अन्तर्गत ३४ नवीन उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया। इन उद्योगों की वे समस्त इकाइयाँ, जिनमें शक्ति-उपयोग की दशा में ५० तथा शक्ति-उपयोग के अभाव में १०० व्यक्ति कार्य करते हों, अधिनियम के ब्यर्थक्षेत्र के अन्तर्गत होंगी। अधिनियम के अन्तर्गत सूचीबद्ध समस्त उद्योगों की पंजीयन (Registration) हेतु आवदनपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

कोलम्बो योजना और भारत (Colombo Plan and India)

महायुद्धोपरान्त अनेक राष्ट्रों को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और इन राष्ट्रों की आर्थिक समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। दक्षिणी तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया के जन-समुदाय का जीवन-स्तर अत्यन्त शोचनीय था और यह अनुभव किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक सहायता से नियोजित आर्थिक विकास सम्भव है। इसी पृष्ठभूमि में जनवरी

(अ) कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कतिपय आधारभूत विकास कार्यक्रमों का आयोजन, जैसे सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत-उपलब्धि आदि ।

(ब) खाद, कृषि औजार तथा इमारती सामान की पूर्ति में यथोचित मूल्य पर वृद्धि ताकि भूमि के उत्पादन में वृद्धि की जा सके ।

(स) यातायात-सुविधाओं का सुधार तथा विकास ।

(द) तत्कालीन औद्योगिक साधनों तथा शक्ति का पूर्णतम उपयोग तथा लोहा और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि ।

(य) ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगार तथा अर्ध-रोजगार जनता को रोजगार देने के लिए ग्रामीण उद्योगों का विकास ।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत के विकास कार्यक्रम में ऐसी योजनाओं को सम्मिलित किया गया जो पूर्व ही कार्यान्वित की जा चुकी थी किन्तु जिनका कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था । इस प्रकार चालू तथा नवीन योजनाओं की कुल लागत ३,२१६ करोड़ रुपये थी और इन योजनाओं में से अत्यावश्यक कार्यक्रमों को पृथक् कर उनकी लागत का अनुमान १,८४० करोड़ रु० लगाया गया था । इस योजना की निर्माण-श्रवण में औद्योगिक कच्चे माल तथा अर्ध-निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गयी, जिसका मुख्य कारण कोरिया में युद्ध का छिड़ जाना था । इसके साथ ही १९५१-५२ में भारत के कुछ क्षेत्रों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई । परिणामस्वरूप विदेशों से खाद्यान्नों का आयात अधिक मात्रा में करना पडा । इसके अतिरिक्त कुछ नवीन योजनाओं को भी कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया और इस प्रकार छह वर्षीय कार्यक्रमों की अनुमानित लागत का पुनरावलोकन कर २,३४० करोड़ रु० अनुमानित किया गया । इस कार्यक्रम की कुल लागत का विभाजन इस प्रकार किया गया था—



तालिका सं० २८—कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत की योजना का व्यय

कार्यक्रम	व्यय लाख रुपयों में			
	१९५० की रिपोर्ट के अनुसार		दोहराए गए अनुमान	
	लागत	योग से प्रतिशत	लागत	योग से प्रतिशत
कृषि तथा सिंचाई	३५,७४१	१९.४	३९,८११	१७.१
बहुमुखी योजनाएँ (सिंचाई तथा शक्ति)	२५,०५५	१३.६	२२,८४१	९.८
यातायात तथा संचार	७०,०७४	३८.०	६५,१५४	२७.९
ईंधन तथा शक्ति	५,७५९	३.२	१४,४३४	६.२
उद्योग तथा खनिज (कोयले को छोड़ कर)	१७,९९८	९.७	१२,३९९	५.३
सामाजिक सेवाएँ आदि	२९,१२७	१५.९	४२,६९८	१८.३
अविभाजित (जो कि विदेशी सहायता की उपलब्धि के आधार पर व्यय की जानी थी।)	—	—	३६,०००	१५.४
योग	१,८३,९५४	१००.०	२,३३,३३७	१००.०

इस योजना के अन्तर्गत भारत नेपाल को तांत्रिक तथा आर्थिक सहायता देता रहा है तथा ९२.६० लाख रु० नेपाल की विकास योजनाओं पर व्यय कर चुका है। भारत ने लगभग २० लाख रुपया नेपाल के त्रिभुवन राजपथ के निर्माण पर व्यय किया। काठमाण्डू-त्रिभुवन बाजार मार्ग का निर्माण-कार्य भी समाप्त हो गया है।

१९५९-६० में नेपाल की सहायता पर १८० करोड़ रु० व्यय किया गया है। भारत ने नेपाल सरकार को प्रमूति ग्रुहों एवं शिशु हितकारी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन में, ग्रामीण विकास-कार्यक्रमों को वादग्वित करने में, घाटी विकास एवं स्थानीय विकास-कार्यक्रमों में सहायता देने का आश्वासन दिया है। नेपाल के चार वायुमार्गों में सुधार कार्य भी भारत सरकार की सहायता से चल रहा है। भारत ने नेपाल की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए १८ करोड़ रुपये का अनुदान दिया है।

कोलम्बो योजना के प्रारम्भ से अब तक भारत ने १६५८ विदेशियों को तांत्रिक सहयोग योजना (Technical Co operation Scheme) के

अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की हैं जिनमें १९५६-६० वर्ष में २६७ विदेशियों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की गयीं। आलू उगाने, ट्रैक्टर, इंजीनियरिंग, टिम्बर रिसर्च, अल्प बचत, शक्कर तात्रिकता (Sugar Technology), ऊर-व्यवस्था में सुधार आदि के विशेषज्ञों की सुविधाएँ भी भारत द्वारा प्रदान की गयीं।

दूसरी ओर भारत में २१० विदेशी विशेषज्ञों को सेवाएँ लीं तथा २००६ भारतीयों को कोलम्बो योजना के सदस्य देशों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (Medical) सम्बन्धी शिक्षा, खाद्यान्न एवं कृषि, उद्योग एवं व्यापार, शक्ति एवं ईंधन, इंजीनियरिंग, यातायात एवं संचार, सार्वजनिक, अधिरोपण तथा मुद्रण के क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्राप्त हुईं।

आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत को १२.१ करोड़ रुपया ऑस्ट्रेलिया से, १६६.२८ करोड़ रुपया कनाडा से, ३.२३ करोड़ रुपया न्यूजीलैंड से अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ।

अध्याय १०

प्रथम पंचवर्षीय योजना

[प्रथम योजना के प्रारम्भ में अर्थ व्यवस्था का स्वरूप भारत में नियोजन का प्रकार, प्रजातान्त्रिक नियोजन की सफलता मिश्रित अर्थ-व्यवस्था, योजना की प्राथमिकताएँ योजना का व्यय, अर्थ प्रवृत्त, हीनार्थ प्रवृत्तन योजना के लक्ष्य एवं प्रगति—कृषि, सामुदायिक विकास योजनाएँ, औद्योगिक प्रगति यातायात एवं संचार समाज सेवाएँ, उपभोग एवं विनियोजन, मूल्यों की प्रवृत्ति योजना की असफलताएँ]

प्रथम योजना के प्रारम्भ में अर्थ व्यवस्था का स्वरूप

यह स्पष्ट है कि अर्थ व्यवस्था में नियोजन की आवश्यकता अत्यधिक होती है। उत्पादन के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना तथा उनमें वृद्धि करने के लिए योजनावद्ध एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है। विभिन्न वार्षिकवाहियों में पारस्परिक सामंजस्य का अभाव में राष्ट्र का चतुर्मुखी आर्थिक विकास सम्भव नहीं होता। केवल नियोजित अर्थ व्यवस्था द्वारा ही राष्ट्र के समस्त साधन तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत करके विकास की ओर अग्रसर होना सम्भव है। राष्ट्र की दीर्घ तथा अल्पकालीन समस्याओं के आसार पर प्रयासों को निश्चित करने पूर्व निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। १९४७ में भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के उपरान्त देश की आर्थिक समस्याओं का निवारण करने की दिशा में विचार किया गया। राष्ट्रीय सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों का निश्चित करने के पूर्व निम्नलिखित अर्थ व्यवस्था के तत्कालीन स्वरूप के तत्वा पर ध्यान विशेषरूपेण केंद्रित करना आवश्यक था—

(१) ब्रिटिश राज्य में देश की अर्थ व्यवस्था—अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत की अर्थ व्यवस्था को इस प्रकार गठित किया गया था कि इससे ब्रिटेन

के व्यापार को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। भारत को एक कृषि-प्रधान, विशेष-कर कच्चा माल-उत्पादक देश बना दिया गया था तथा कृषि की भी एक अद्विकसित व्यवसाय की स्थिति हो गयी थी। जर्जर एवं छिन्न-भिन्न राष्ट्र में खाद्यान्नों की न्यूनता की पूर्ति हेतु भी कोई ठोस प्रयत्न नहीं किये गये थे। ब्रिटिश शासन-काल में भारतीय अर्थ-व्यवस्था के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार थे—

(अ) आय का अत्यधिक असमान वितरण।

(ब) आय का अधिकांश विलास की वस्तुओं तथा बहुमूल्य धातुओं, जैसे सोना व चाँदी एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता था। धनी वर्ग, जिसकी आय अत्यधिक थी, अपनी वचत उत्पादन क्रियाओं में विनियोजित करने के स्थान पर विलासिता को विदेशी सामग्री तथा अन्य सम्पत्तियों आदि पर व्यय करता था। इस प्रकार राष्ट्रीय वचत राष्ट्रीय आर्थिक विकास हेतु उपयोग में नहीं लायी जाती थी।

(स) इंग्लैंड की औद्योगिक शक्ति के परचात् भारत को ब्रिटेन द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रय-स्थल मात्र बना दिया गया और भारत से कच्चे माल तथा खाद्यान्नों का निर्यात किया जाने लगा। इस प्रकार भारत को ब्रिटेन की कृषि-प्रधान पृष्ठभूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। भारत के उद्योग इस प्रकार संबंधा नष्ट हो गये।

(द) भारतीय कृषि का भी विकास को ओर अग्रसर नहीं किया गया। भारतीय कृषक को पूँजी की न्यूनता, अच्छे उपकरणों का अभाव, भूमि सम्बन्धी कठोर विधान, अधिक लगान, भूमि पर जनसंख्या का निरन्तर बढ़ता हुआ भार, कृषि की मानसून पर निर्भरता और सिंचाई के साधनों की अत्यन्त कमी, भूमि का छोटे छोटे अलाभकारी टुकड़ों में विभाजन आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कृषक की आय तथा उत्पादन दोनों इनके कम हो गये थे कि उसके द्वारा कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का भरण-पोषण भी कठिन था। गहरी खेती के लिए कोई सुविधाएँ प्राप्त न होने के कारण उत्पादन में निरन्तर कमी होनी जा रही थी।

(य) ब्रिटिश शासन ने भारतीय सम्यता को क्षति पहुँचाने में कोई कमी नहीं रखी। जन-समुदाय के जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिए उचित शिक्षा, गृह निर्माण, दलित तथा पिछड़ी जातियों का विकास, श्रम हितकारी योजनाओं आदि को ओर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जन-समुदाय में परिश्रम और विशेषकर सार्वजनिक परिश्रम के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी गयी। शिक्षा द्वारा

कार्यारथी के लिए बाबू' उत्पन्न किए गए तथा वैज्ञानिक एवं तांत्रिक प्रशिक्षण की शरार कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

इस प्रकार भारतीय आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन कर दिए गए कि ब्रिटन के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन को उच्चतम सीमा तक पहुँचाने में पूरव का साथ करें । इस समस्त व्यवस्था में परिवर्तन तथा सुधार करने के लिए सम्पूर्ण भारत को एक इकाई मान कर योजनाबद्ध ढाँच में का संचालन करना आवश्यक था ।

(२) विभाजन का प्रभाव—स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ देश का विभाजन भी हो गया जिससे भारत की आर्थिक समस्याएँ और भी गम्भीर हो गईं । भारत को १ २२०,००० वर्गमीन क्षेत्र तथा ३३७ करोड़ जनसंख्या और पाकिस्तान को ३ ६१ ००० वर्गमीन क्षेत्र तथा ८ करोड़ जनसंख्या प्राप्त हुई । इस प्रकार भारत को २७६ व्यक्ति प्रति वर्गमीन तथा पाकिस्तान को २२२ व्यक्ति प्रति वर्गमीन के हिसाब से प्राप्त हुए थे । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की कृषि योग्य भूमि अधिकांश उपजाऊ थी जिसके ४५% भाग में सिंचाई के साधन उपलब्ध थे । इसके विपरीत भारत में कृषि योग्य भूमि को केवल २४५ भाग में ही सिंचाई के साधन उपलब्ध थे । उसके फलस्वरूप भारत को खाद्यान्नों तथा कच्चे माल की ग़रज़तों की कठिनाई का सामना करना पड़ा ।

विभाजन के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में भारत के सम्मुख और भी अधिक कठिनाइयाँ आयीं । अधिकांश बृहद उद्योग भारत का मिले । परन्तु कच्चे माल के उत्पादन के क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये । १९४५ की सूचनाओं के आधार पर अधिभाजित भारत को ६० ४% औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें समस्त कर्मचारियों का ६३ ५% भाग काम करता था भारत को मिले । लूट ऊन कागज आदि कच्चे माल की प्राप्ति में बड़ी कठिनाइयाँ हुईं जबकि रत्न का सामान, चीन्हाड का सामान, रोजिन आदि उद्योगों का कच्चा माल भारत में उत्पादित होता था । इनके उद्योग पाकिस्तान को मिले । सूती वस्त्र उद्योग की ३६४ मशीनों में से ३६० भारत में आयीं परन्तु ४०% क्षति उत्पादन करने वाला क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया ।

विदेशी व्यापार के क्षेत्र में विभाजन के फलस्वरूप भारत के निर्यात में बमी और आयात में वृद्धि हुई । क्योंकि खाद्यान्नों तथा मशीनों आदि का अधिकांश आयात किया जाना पड़ा जबकि निर्यात-योग्य वस्तुएँ जैसे लूट-निर्मित वस्तुएँ कपड़ा कच्चा माल आदि का उत्पादन कम हो जाने के कारण इनका निर्यात कम हो गया ।

विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में विस्थापित भारत

आये। इन विस्थापितों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास का आयोजन करना भारत सरकार को अत्यावश्यक हो गया था। इस प्रकार विभाजन द्वारा भारत की अर्थ-व्यवस्था को बड़ी क्षति पहुँची, और इस क्षति को पूर्ण करने के लिए योजनावद्ध प्रयास की आवश्यकता स्वाभाविक थी।

(३) स्वतन्त्रता के पश्चात् जनता की भावनाएँ—सन् १९४७ तक भारत की समस्त मानवीय शक्तियाँ स्वतन्त्रता प्राप्ति में लगी हुई थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जन-समुदाय में नवीन सुखमय जीवन की आशा ने तीव्रता ग्रहण कर ली। इस समय नवीन राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई जिसने प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के पुनर्निर्माण तथा सुखमय जीवन बनाने के कार्यक्रमों में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। जन-साधारण को राष्ट्रीय सरकार से आशा थी कि वह देश का पुनर्संगठन इस प्रकार करेगी कि उनकी आर्थिक तथा सामाजिक सम्पन्नता का स्वप्न पूर्ण हो जायगा। इन विचारधाराओं की पृष्ठभूमि में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्त (Directive Principles of State Policy) द्वारा देश की भावी आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की व्यवस्था निश्चित की गयी। इन आधारभूत सिद्धान्तों द्वारा निम्न सुविधाओं का आयोजन किया गया—

(अ) जीवन-स्तर तथा भोजन में वृद्धि।

(ब) जन-साधारण के कार्य करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा सामाजिक बीमा (Social Insurance) के अधिकार को मान्यता।

(स) महत्वपूर्ण भौतिक साधनों के अधिकार तथा नियन्त्रण में परिवर्तन जिससे सामान्य हित हो।

(द) समस्त श्रमिकों को परिपूर्ण जीवन (Fuller Life) का सम्पूर्ण अधिकार (Universal Right)।

(य) कृषि तथा पशु अर्थ-व्यवस्था का नवीनीकरण तथा गृह उद्योगों की उत्थति।

राष्ट्रीय सरकार को इन आयोजनों की पूर्ति हेतु योजनावद्ध कार्यक्रम की व्यवस्था करना आवश्यक था। इसीलिए मार्च १९५० में योजना आयोग की स्थापना की गयी जिसने अपने कार्यक्रमों को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया—

(अ) द्वितीय महायुद्ध तथा विभाजनोपरान्त की समस्याओं का निवारण तथा अनियमित व्यवस्था का निरस्तीकरण।

(ब) दीर्घकालीन आर्थिक प्रसन्नानुत्थन का निवारण।

(स) राजकीय नीतियों के आधारभूत सिद्धान्तों द्वारा निश्चित आयोजनों की पूर्ति हेतु आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण ।

(४) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् मूल्यों में वृद्धि—त्रितीय महायुद्ध के पश्चात् देश में मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी । थोक मूल्यों में ४१ गुनी वृद्धि हो गयी थी । इस प्रकार अमिका के रहन-सहन के लागत सूचकांक (Cost of Living Index) में दश के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में ३ से ४ गुनी वृद्धि हुई । मुद्रा स्फीति के दबाव को कम करने के लिए योजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक थी ।

इस प्रकार बढ़ते हुए मूल्यों, फच्चे माल की कमी, उपभोक्ता वस्तुओं, विशेषतः खाद्यान्नों की कमी, विस्थापितों के पुनर्वास की समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम निश्चित किये गये । उपर्युक्त अल्पकालीन समस्याओं के अतिरिक्त कुछ दीर्घकालीन समस्याओं के हल को भी दृष्टिगत करना आवश्यक था । इन समस्याओं का योजना आयोग ने इस प्रकार विश्लेषण किया—

(१) बढ़ती हुई जनसंख्या जिनकी वृद्धि की गति १८२१-३१ तक ११% थी और १९४१-५१ के मध्य १४ ३% हो गयी थी ।

(२) इसी काल में व्यावसायिक ढाँचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था । १९११ में लगभग ७१% जनसंख्या और १९४८ में (राष्ट्रीय आय समिति के अनुमानानुसार) ६८ २% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी । इसमें से भी व्यक्तियों की बड़ी मात्रा को वर्ष के अल्प समय में कार्य मिलता था । कृषि पर से जनसंख्या के भार को कम करने तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की आवश्यकता थी ।

(३) १९११ में ब्रिटिश भारत में प्रति व्यक्ति घोषा जाने वाला क्षेत्र ०.८८ एकड़ था, जो १९४१-४२ में ०.७२ एकड़ रह गया । विभाजन के पश्चात् १९४८ में प्रति व्यक्ति घोषा जान वाला क्षेत्र केवल ०.७१ एकड़ ही था । कृषि उत्पात्ति की न्यूनता का निवारण करने के लिए कृषि के क्षेत्र का बड़ाने की अत्यधिक आवश्यकता थी ।

(४) औद्योगिक क्षेत्र में १९२२ में संरक्षण की नीति का अनुसरण करने के फलस्वरूप कुछ उद्योगों का शीघ्र विकास हुआ । उदाहरणार्थ लोहा और इस्पात, सीमेंट तथा शक्कर । द्वितीय महायुद्ध में औद्योगिक क्षेत्र का और भी विकास हुआ । इतना होते हुए भी समूचित औद्योगिक क्षेत्र में केवल २४ लाख श्रमिक ही कार्य करते थे । औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके ही

कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम को लाभप्रद रोजगार दिया जा सकता था तथा जन-साधारण के जीवन-स्तर में वृद्धि सम्भव थी।

(५) राष्ट्रीय आय के तुलनात्मक साख्य उपलब्ध नहीं थे। १९४८-४९ के अनुमानानुसार प्रति व्यक्ति आय २५५ रु० थी। मूल्यों की वृद्धि को दृष्टिगत करते हुए इस आय का वास्तविक मूल्य गत वर्षों के अनुमानों से किन्नी प्रकार अधिक नहीं कहा जा सकता था। उत्पादन तथा उपभोग का न्यून स्तर दीर्घ-कालीन रहने के कारण धन की मात्रा अत्यन्त न्यून थी।^१

उपर्युक्त दीर्घकालीन प्रवृत्तियों से स्पष्ट है कि देश में निर्धनता तथा बेरोजगारी, भूख और बीमारी का साम्राज्य था और इसका निवारण नियोजित व्यवस्था द्वारा ही सम्भव था। विनास की गति प्रदान हेतु देश के साधनों का पूर्णतम तथा कार्यशील उपयोग किया जाना आवश्यक था।

भारत में नियोजन का प्रकार

भारत में नियोजन को एक नवीन रूप प्रदान किया गया है। नियोजन का कार्यक्रम तथा उसको क्रियान्वित करने की विधि प्रत्येक राष्ट्र की मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्रबन्ध सम्बन्धी परिस्थितियों के आधार पर ही निश्चित किया जाना है। जिन प्रकार भयानक परिस्थितियों जैसे युद्धादि में राष्ट्र के समस्त साधनों, मानवीय तथा भौतिक को एकमात्र उद्देश्य की प्राप्ति में ही लगा दिया जाता है तथा राष्ट्रीय नीति के प्रति समस्त राष्ट्र में एकता का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार शान्ति के वातावरण में एकता की भावना द्वारा नियोजन का सफल बनाने में सहायता मिलती है। साधारण जनता में नियोजन के रचनात्मक उद्देश्यों के प्रति तत्परता उत्पन्न करना अत्यन्त आवश्यक होना है क्योंकि इसके द्वारा ही साधनों का उपयोग अधिकतम हित के लिए किया जा सकता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना समस्त भारत को एक इकाई मान कर भारतीय अर्थ-व्यवस्था का योजनाबद्ध विकास करने का प्रथम प्रयास था। योजना आयोग को सरकारी नीतियों के आधारभूत सिद्धान्तों तथा तत्कालीन आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर योजना का प्रकार निश्चित करना था। भारतीय नियोजन द्वारा राष्ट्र के भौतिक साधनों का विकास करने का ही प्रयास नहीं किया गया है प्रत्युक्त मानवीय जीवन का बहुमुखी विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नियोजन द्वारा ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास किया गया कि जिसमें योजना से आधारभूत उद्देश्यों की पूर्ति

सफलतापूर्वक हो सके। नियोजन की सफलताएँ समन्वित तथा प्रभावशील प्रयासों की आवश्यकता होती हैं। भारतीय संविधान द्वारा राज्य का उत्तरदायित्व है कि विकास सम्बन्धी क्रियाओं का संचालन करे और इसलिए इन प्रयासों में राज्य को महत्वपूर्ण भाग लेना आवश्यक था। राज्य को इस प्रकार राष्ट्र के समस्त साधनों को संविधान द्वारा निर्धारित प्रजातान्त्रिक विधियों से योजना को क्रियान्वित करने हेतु उपयोग में लाना था।

प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में सरकार की योजना-निर्माण, योजनानुकूल नीतियाँ निर्धारित करने तथा उनके प्रभावशील संचालन तथा क्रियान्वित करने की योग्यता जनता की सहायता तथा सहयोग पर निर्भर रहती है। साम्यवादी राष्ट्रों में नियोजन एक अनन्य अधिकार प्राप्त केन्द्रीय अधिकारी के हाथ में होता है। ऐसी परिस्थिति में नियोजन के कार्यक्रम का संचालन तथा लक्ष्यों की प्रगति शीघ्रता एवं सुगमता से हो जाती है। परन्तु इस प्रकार की अनन्य अधिकारपूर्ण व्यवस्था में कतिपय आधारभूत तत्वों को जो मानव जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, क्षति पहुँचती है तथा जन-साधारण को कठिनाइयों तथा अपारितियों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि अनन्य अधिकारपूर्ण (Totalitarian) व्यवस्था तथा प्रजातान्त्रिक नियोजन दोनों में जन समुदाय को समानरूपेण त्याग करना पड़ता है परन्तु प्रजातान्त्रिक विधि में यह त्याग नियोजन के उद्देश्यों को विवेकपूर्ण रीति से स्वीकृत करके अथवा ऐच्छिक होता है। इस प्रकार प्रजातान्त्रिक विधियाँ अधिक जटिल हैं तथा इनमें राज्य और जनता का उत्तरदायित्व अत्यधिक होता है परन्तु प्रजातान्त्रिक विधियों द्वारा विकास-पथ पर अग्रसर होने की प्रवृत्ति जाग्रत हो जाती है तथा इस हेतु किसी प्रकार के दबाव का उपयोग नहीं किया जाता।

भारतीय संविधान में व्यक्तिगत आधारभूत स्वतन्त्रता तथा उत्पादन के साधनों को अधिकार में रखने तथा उन्हें बेचने आदि की स्वतन्त्रता, सामाजिक सुरक्षा तथा जन-साधारण के शोषण को रोकने आदि के आयोजन हैं। इन मूलभूत तत्वों के आधार पर भारत में प्रजातान्त्रिक नियोजन को ही स्थान दिया गया है। मानवीय इतिहास में प्रजातान्त्रिक नियोजन इतने बृहद् आकार में किसी देश में कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह एक नवीन प्रयोग है जिसकी सफलता अथवा असफलता विश्व के अनेक राष्ट्रों का मार्गदर्शन करेगी। भारत में नियोजन की सफलता इस पुराने विचार कि नियोजन तथा प्रजातन्त्र का सामंजस्य असम्भव है, को निरस्त कर देगी तथा समस्त विश्व को यह मान लेना पड़ेगा कि नियोजन को बिना किसी हिंसक क्रांति

तथा दबाव के एव जन-साधारण को आधारभूत स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित किए बिना ही सफल बनाया जा सकता है ।

प्रजातान्त्रिक नियोजन की सफलता

“प्रजातान्त्रिक नियोजन की सफलताय उच्चाधिकारियों का योग्य होना ही पर्याप्त नहीं अपितु उचित व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है, एक केन्द्रीय नियोजन संस्था असफल रहेगी, सफलता हेतु प्रत्येक स्तर पर तथा अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक स्तर पर नियोजन अधिकारियों की आवश्यकता होती है । इसका अर्थ यह नहीं है कि स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन होने चाहिए तथा प्रत्येक उद्योग में पृथक नियोजन अधिकारी होना चाहिए ।

“इस प्रजातान्त्रिक नियोजन के पूरुरूपेण किमान्वित करने में समय लगना अनिवार्य है, इसका कठिन होना अनिवार्य है, इसमें अनक त्रुटियाँ होना तथा सहयोग की असफलताओं का समन्वय भी होना है ।

“प्रजातान्त्रिक प्रकार के नियोजन का संचालन तब तक सम्भव नहीं होना जब तक कि बुद्धिमानों की संख्या अधिक तथा पारस्परिक सहयोग की शक्ति अत्यधिक विकसित न हो । रूसियों को अपनी प्रारम्भिक योजनाओं में तान्त्रिक तथा शासन दोनों ही क्षेत्रों में योग्य तथा प्रतिक्षित कमचारियों की वास्तविक न्यूनता की कठिनाई का सामना करना पड़ा ।”^१

प्रो० टी० एन० रामास्वामी न प्रथम पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट पर

- 1 ‘ The achievement of this kind of Planning requires not only the right set of men at the top but also the right machinery. It cannot be achieved merely by establishing a Central Planning Organisation. It necessarily involves the existence of machinery for Planning at every level and in every compartment of the economy at each level. It means that there must be regional and local as well as national organisations for Planning that each industry must have its own Planning Machinery.

‘ Inevitably this Democratic Planning will take time to bring into full operation and is bound to be difficult and to involve many mistakes and failures in co operation.

‘ Planning of the democratic type is not possible except where the supply of intelligence is large and capacity for association highly developed. The Russians’ greatest difficulty in their earliest plans was the shortage of trained and competent people on both the technical and administrative side.”

(Prof. Cole, *Economics Odhams*, pp 284, 286, 287)

आलोचना करते हुए लिखा है, 'प्रजातान्त्रिक नियोजन में यह मान लिया जाता है कि बुद्धिमत्तापूर्ण (Enlightened) लोकतन्त्र विद्यमान है जिसमें जन साधारण को केवल इतना ही ज्ञान नहीं कि प्रतिदिन के जीवन में नियोजन का क्या महत्व है प्रत्युत यह भी ज्ञान होता है कि समस्त जन मनुष्य के जीवन स्तर में उन्नति करने के लिए ऐसी नियोजन व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो अत्यन्त जटिल तथा सन्तुलित हो तथा जो प्रत्येक खेत तथा कारखाना पर छापी हुई हो और जिसका द्वारा प्रत्येक नागरिक में सहयोग भावना जाग्रत की जाती हो। जन-साधारण में नियोजित अथ व्यवस्था के प्रति जागरूकता होने पर ही प्रजातान्त्रिक नियोजन सफल हो सकता है।'

इस प्रकार प्रजातान्त्रिक नियोजन के सफलतार्थ जन साधारण में योजना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना अत्यन्त आवश्यक होता है। योजना आयोग ने उपयुक्त समस्त कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुए ही प्रजातान्त्रिक नियोजन को ही महत्व दिया क्योंकि भारत के परम्परागत जीवन में यही एकमात्र सफल विधि थी जिसके द्वारा आर्थिक विकास सम्भव था।

उपयुक्त विचारा के आधार पर प्रजातान्त्रिक नियोजन के सफलतार्थ आवश्यक तत्वों का कार्याकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(१) कुशल केन्द्रीय नियोजन संगठन की स्थापना करना प्रजातान्त्रिक नियोजन की सफलता के लिये आवश्यक है। इस नियोजन संगठन को एक और राज्य से सत्ता प्राप्त हो और दूसरी ओर जन सहयोग प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रीय राजनीतिक ढाँचा इस प्रकार का हो कि सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय नियोजन संगठन को आवश्यकतानुसार अधिकार दे सके और विरोधी दल इतने शक्तिशाली न हो कि नियोजन के कार्यक्रमों में बाधाएँ खड़ी कर सकें।

(२) कुशल केन्द्रीय नियोजन संगठन के साथ साथ प्रजातान्त्रिक नियोजन

1. "Democratic Planning assumes the existence of an enlightened democracy where people are not only alive to the importance of Planning for their everyday life, but also the erection of a highly complicated and delicately balanced planning machinery which will pervade every farm and factory infusing the spirit of co operation on the part of each citizen in the difficult and strenuous crusade for higher standards of life for the entire community. It is only the existence of spirit of Planning among the bulk of people that can render a Democratic Planning successful."

(T N Ramaswamy *Economic Analysis of the Draft Plan*, p 10)

में कुशल क्षेत्रीय एवं स्थानीय अधिकारियों की भी आवश्यकता होती है जिनमें प्रारम्भिकता (Initiative) का भाव हो और जो जन-सहयोग प्राप्त कर सकें।

(३) प्रजातंत्र में जन साधारण को राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक एवं न्याय सम्बन्धी स्वतन्त्रतायें दी जाती हैं। जन-समुदाय में बुद्धिमान लोगों का अभाव नहीं होना चाहिये। वह योजना सम्बन्धी नीतियों को समझ सकें, योजना के कार्यक्रमों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा सकें, योजना की विनाशकारी आलोचना न करें तथा अपनी स्वतन्त्रताओं का दुरुपयोग न करें। इसके अतिरिक्त प्रजातांत्रिक नियोजन में सत्ताओं के विकेन्द्रीयकरण का आयोजन किया जाता है। जन-साधारण में इतनी योग्यता होना आवश्यक है कि वे इन सत्ताओं का सदुपयोग कर सकें।

(४) राष्ट्रीय चरित्र के स्तर के ऊँचा होने की आवश्यकता प्रजातांत्रिक नियोजन की सफलता के लिये होती है। सरकारी कर्मचारियों एवं क्षेत्रीय तथा स्थानीय नेताओं के हाथ में नियोजन का संचालन करना होता है। इन लोगों की ईमानदारी, कायदक्षता, सेवा भावना, दतज्यनरायणता आदि पर ही योजना के विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता निर्भर हाती है।

भारत में बहुत से अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि भारत का शीघ्र विकास केवल साम्यवादी नियोजन द्वारा सम्भव हो सकता था परन्तु भारत की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऐसे मौलिक तत्व निहित हैं कि साम्यवादी नियोजन भारत के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता था। निम्नलिखित तत्वों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साम्यवादी नियोजन भारत के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता है।

(१) साम्यवादी नियोजन का संचालन साम्यवादी सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में सत्ताहृद दल अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साम्यवादी सिद्धान्तों से पूर्णतः सहमत नहीं है। इस दल का विचार है कि आर्थिक विकास हेतु कठोर साम्यवादी विधियों का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। इस दल का विश्वास है कि प्रजातांत्रिक विधियों द्वारा भी विकास की गति को तीव्र रखा जा सकता है।

(२) भारतीय समाज के ऐतिहासिक प्रबलोकन से प्रतीत होता है कि भारत में सदैव व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं को विशेष महत्त्व दिया गया है। जन-साधारण स्वभावतः आर्थिक सम्पत्तियों की तुलना में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को अधिक महत्त्व देता है। ऐसी परिस्थिति में साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था के कठोर केन्द्रीयकरण को अपनाना भारत में सम्भव नहीं होगा।

(३) भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर ब्रिटेन का प्रभुत्व

१०० वर्षों से भी आर्थिक समय तक रहा है। अंग्रेज स्वभावतः प्रजातांत्रिक विधियों में विश्वास रखते हैं और ब्रिटेन में जन साधारण को प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इतनी अधिक सुविधायें प्राप्त हुई हैं कि कठोर साम्यवादी नियमन की व्यवस्था की ओर भारतीय जन-समुदाय कम आकर्षित हुआ। भारतीय नेताओं पर अंग्रेजी सम्यता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और ब्रिटेन की विकास विधियों का बहुत अधिक अनुसरण हमारे देश में किया गया है।

(४) भारतवासियों के जीवन में धर्म को विशेष स्थान प्राप्त है। प्रत्येक क्षण पर धार्मिक विचारधाराओं की छाप लगी रहती है। साम्यवाद के अन्तर्गत धर्म को जीवन का एक अत्यन्त कम महत्व रखन वाला तत्व समझा जाता है। भारतवासी इसी कारण से साम्यवाद की ओर कम आकर्षित होता है। साम्यवाद में भौतिकवाद का बोलबाला होना है और जिस देश में जन साधारण के मस्तिष्क को भौतिकवाद आच्छादित कर लेता है उन्हीं राष्ट्रों में साम्यवाद पनपता रहना है। भारत में आध्यात्मवाद को भौतिकवाद के ऊपर प्राथमिकता प्राप्त होने के कारण साम्यवादी नियोजन को स्थान नहीं दिया जा सकता था।

(५) भारत को आर्थिक विकास के हेतु विदेशी सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति का एक दस नहीं कर सकता था। भारत में साम्यवादी अथ व्यवस्था के संचालन का अर्थ होता है कि विदेशी सहायता केवल साम्यवादी राष्ट्रों से ही मिल सकता थी। अमरीका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करने के हेतु राष्ट्र में प्रजातंत्र का स्थापना करना आवश्यक था। प्रजातांत्रिक नियोजन के लिये भारत का साम्यवादी एवं प्रजातांत्रिक दोनों ही दला से सहायता प्राप्त हो रही है।

मिश्रित अर्थ व्यवस्था

ऐतिहासिक अवलोकन—प्राचीन काल में सामान्यतः इस विचार को भाग्य प्राप्त थी कि राज्य का दश को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और व्यक्तियों एवं आर्थिक मस्थाओं को पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता होनी चाहिये। इस काल में नगभग सभी राष्ट्रों में व्यक्तिगत रूप से समाज का एक मुख्य अंग माना जाता था। इसके साथ इस विचार को भी विशेष मान्यता थी कि राज्य आर्थिक क्रियाओं का संचालन सुचारु रूप से तथा मितव्ययता के साथ नहीं कर सकता है। राज्य एवं व्यापारी दोनों के स्वभाव में अत्यधिक असमानता होती है। जबकी साहसी कुशलता एवं मितव्ययता से अपने व्यवसाय का चलाता है। उमम उद्योगों का उन्नति के लिये प्रारम्भिकता तथा उत्साह होता है। वह अपनी पूजा लगाकर व्यवसाय चलाता है और व्यवसाय के लाभ अथवा हानि के लिये स्वयं जिम्मेदार होता है जिस

कारण से वह अपव्यय कदापि नहीं करता है। इसके विपरीत राज्य जटिल नियमों में बंधा होता है। उसमें व्यक्तिगत उत्साह एवं रुचि का अभाव होता है। वह जनता का धन लगा कर व्यवसाय चलाता है। राज्य द्वारा चलाये व्यवसायों में जिम्मेदारी का विकेंद्रीयकरण हो जाता है। इन कारणों से राज्य द्वारा संचालित व्यवसायों में अपव्यय होना है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के यह विचार इतनी दृढतापूर्वक प्रारम्भ में स्वीकार किये गये कि उत्पादक एवं उपभोक्ता की स्वतन्त्रता आर्थिक क्रियाओं के प्रत्येक क्षेत्र पर आच्छादित हो गयी और स्वतन्त्र व्यापार (Laissez Faire) को आर्थिक सम्पन्नता का मुख्य अंग माना जाने लगा। स्वतन्त्र साहस एवं स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था ने कट्टर पक्षपातियों में एडम स्मिथ, ज० बी० से, डेविड रिकार्डों, मिल आदि अर्थशास्त्री थे।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से स्वतन्त्र व्यापार एवं अर्थ-व्यवस्था के दोष अर्थ-शास्त्रियों को ज्ञात होने लगे। स्वतन्त्र व्यापार के फलस्वरूप गलाकाट प्रतिस्पर्धा, पारस्परिक शोषण, व्यापार चक्र, आर्थिक उतार चढ़ाव और आर्थिक संकट आदि का प्रादुर्भाव हुआ। इन दोषों ने लोगों का स्वतन्त्र व्यापार की उपयुक्तता पर से विश्वास उठा दिया। प्रथम महायुद्ध के समय स्वतन्त्र व्यापार का काफ़ी पतन हो गया था। इसी समय कौन्स (Keynes) की पुस्तक, End of Laissez Faire, 1926) प्रकाशित हुई जिसमें स्वतन्त्र व्यापार के दोषों का उल्लेख किया गया। उसी समय मन्दी एवं आर्थिक संकट उत्पन्न हुए जिनसे कौन्स के विचारों को और पुष्टि प्राप्त हुई। इस प्रकार स्वतन्त्र व्यापार की नीति का पतन होता चला गया और यह विश्वास किया जाने लगा कि राज्य आर्थिक क्रियाओं में हस्त-क्षेप करके स्वतन्त्र व्यापार एवं साहस से उत्पन्न हुई कठिनाइयों को रोक सकता है। इस विचारधारा को पुष्टि मिलने लगी कि स्वतन्त्र व्यापार के दोषों का निवारण समाजवाद द्वारा किया जा सकता है। इसी समय पीगू (Pigou) ने अपनी पुस्तक समाजवाद बनाम पूंजीवाद (Socialism Versus Capitalism) में बताया कि उत्पादन को समाजीकृत करके आर्थिक शान्ति स्थापित की जा सकती है। उन्होंने विचार प्रकट किया कि केन्द्रीय नियोजन प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था की तुलना में वही अच्छी है। प्रो० बीन्स ने पूर्ण समाजीकरण का विरोध किया। उनका विचार था कि राज्य स्वयं साहसी के रूप में कुशलता से कार्य नहीं कर सकता है। उनके विचार में देश की सर्वोत्तम अर्थ-व्यवस्था वह होगी जिसमें स्वतन्त्र साहस राज्य के नियमन में संचालित किया जाता हो।

सन् १९२८ के पश्चात् रूस में केन्द्रीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था के फलस्वरूप आश्चर्यजनक विकास हुआ जिसने पूंजीवाद की नींवों को हिला दिया और पूंजीवाद पर से लोगों का विश्वास हटने लगा। बहुत से राष्ट्रों ने पूंजीवादी

व्यवस्था को त्याग दिया और समाजवाद का अनुसरण करने लगे। कुछ अन्य राष्ट्रों ने पूँजी के स्वरूप में परिवर्तन कर दिये और पूँजीवाद में भी राजकीय नियन्त्रण को स्थान दिया जाने लगा। चीन की समाजवादी व्यवस्था ने पूँजीवाद के प्राचीन स्वरूप को और भी ठेस पहुँचायी। चीन की योजनाओं की सफलता से अब यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि शीघ्र आर्थिक विकास के लिये नियोजित अर्थ-व्यवस्था अनिवार्य है।

मिश्रित अर्थ व्यवस्था का महत्व—पूँजीवादो अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत आर्थिक नियोजन का संचालन किया जाना सम्भव न होने के कारण, पिछले १० से २० वर्षों में बहुत से राष्ट्रों ने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपना लिया है। वास्तव में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था भारत के लिये कोई नवीन व्यवस्था नहीं है। स्वतंत्र व्यापार एवं स्वतंत्र साहस के पतन के पश्चात् लगभग समस्त पूँजीवादी राष्ट्रों में राज्य आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करने लगा है जिसके कारण मिश्रित अर्थ व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ है। लगभग सभी राष्ट्रों में रेलें, डाक व तार तथा संचार आदि व्यवसायों तथा जनोपयोगी सेवाओं को राजकीय क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाता है। जब किसी राष्ट्र में राजकीय क्षेत्र का अधिक विस्तार हो जाता है, तो अर्थ-व्यवस्था की प्रवृत्ति को समाजवादी कहा जाता है। दूसरी ओर जब किसी राष्ट्र में राजकीय क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का महत्व अर्थ-व्यवस्था में अधिक होता है तो ऐसी अर्थ-व्यवस्था की प्रवृत्तियों को पूँजीवादी कहा जाता है। वास्तव में प्रत्येक राष्ट्र में जब पूँजीवाद से समाजवाद की ओर कदम बढ़ाये जाने हैं तो समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना के पूर्व मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक होता है क्योंकि समाजवाद की स्थापना करने के लिये कुछ समय की आवश्यकता होती है।

ग्रेट ब्रिटेन में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था—मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत नियोजन का संचालन सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था। ब्रिटेन की लेबर सरकार ने कुछ उद्योगों एवं जनोपयोगी सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करके सामूहिक नियंत्रण एवं नियोजित अर्थ व्यवस्था की स्थापना की। बैंक ऑफ इंग्लैंड, केबिल एवं वायरलेस, हवाई यातायात कोयले की खानें, अन्तर्देशीय यातायात, बिजली तथा गैस आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया। इन सब व्यवसायों को सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया और शेष उद्योगों एवं व्यवसायों को निजी क्षेत्र के लिये छोड़ दिया गया परन्तु इन पर राज्य ने कुछ नियन्त्रण एवं प्रतिबंध रखे। कच्चे माल को विभिन्न उद्योगों के लिये आवंटित करने पर सरकार को नियन्त्रण था। औद्योगिक वस्तुओं जैसे मशीनों एवं मशीनों के छोड़ारी का वितरण लाइसेंस द्वारा किया जाता था। आवश्यक उद्योगों के लिये जन-शक्ति

के वितरण पर भी राज्य का नियंत्रण था। कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगायी गयी तथा कुछ वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा निर्धारित कर दी गयी। इसके अतिरिक्त बजट, टृजरी तथा राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक द्वारा बहुत से वित्तीय नियंत्रण भी लगाये गये। सन् १९४५ में उद्योगों के वितरण का विधान (The Distribution of Industries Act, 1945) पास किया गया जिसके द्वारा राज्य को नवीन उद्योगों के स्थानीयकरण पर नियंत्रण प्राप्त हो गया था।

भारत में मिश्रित अर्थ व्यवस्था—भारत में सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों का अर्थ-व्यवस्था में स्थान देने की आवश्यकता समझी गयी। राज्य ने अपनी नीतियों का लक्ष्य समाजवादी प्रकार का समाज तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना स्वीकार कर लिया। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाया उपयुक्त समझा गया।

राज्य का भारतीय संविधान द्वारा जन-समुदाय के हिताय सामाजिक व्यवस्था का पुनर्संगठन करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया। राज्य का कार्य अब शासन मात्र नहीं रहा अपितु उसके बंधा पर दश के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व भी आ गया। राज्य को समस्त नागरिकों को सामाजिक अन्याय तथा समस्त प्रकार के दोषों से सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दश के समस्त उत्पादन के साधन तथा सभी प्रकार की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। एक ऐसी गतिशील व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की गयी जिसमें राज्य को राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण एवं आधारभूत क्षेत्रों पर अधिकार एवं पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो। इन आधारभूत क्षेत्रों की सीमाओं के परे अलोक साहस (Private Enterprise) को कार्य करने का अवसर प्रदान करना था। परन्तु अलोक क्षेत्र (Private Sector) को भी राष्ट्रीय नीति के अनुकूल तथा राज्य के नियमन तथा नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करना वाछनीय था। इस प्रकार एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था द्वारा नियोजन के मूल उद्देश्य—उत्पादन वृद्धि तथा असमानता को कम करने की पूर्ति के लिये जाने का कार्यक्रम बनाया गया। भारत में वर्तमान संविधान के आयोजनों के अन्तर्गत नियोजन के कार्यक्रमों को सफल बनाने का यत्न किया गया।

१९४८ की औद्योगिक नीति को आधार मान कर लोक (Public) तथा अलोक साहस के क्षेत्रों को निश्चित किया गया। इसके अन्तर्गत राज्य का कर्तव्य था कि वह राजकीय क्षेत्र को जन्म दे तथा वृद्धि करे तथा उसके सफल संचालनार्थ

प्रयास करे। इसके साथ ही निजी क्षेत्र को भी राज्य द्वारा सरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक था क्योंकि संविधान में व्यक्ति के मूल अधिकारों में उसे उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखने तथा उनका क्रय विक्रय करने का अधिकार दिया गया था। राज्य को किसी भी निजी सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त हेतु क्षति-पूर्ति करना आवश्यक है। इस प्रकार अलोक क्षेत्र का पूर्ण-रूपेण राष्ट्रीयकरण करना असम्भव था क्योंकि राज्य के पास पर्याप्त अर्थ-साधन नहीं थे तथा निजी क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण द्वारा अलोक क्षेत्र में अधिकार में क्षति-पूर्ति के रूप में प्राप्त धन फिर भी रह जाता और वह उत्पादन के साधनों पर किसी अन्य रूप में अधिकार प्राप्त कर सकता था। इसके अतिरिक्त योजना में उत्पादन-वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी थी तथा इस वृद्धि की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति हेतु वर्तमान उत्पादन-व्यवस्था को सर्वथा द्विभ्र-भिन्न करना अनुचित था। इन्हीं कारणों से सामान्य राष्ट्रीयकरण की नीति को योजना में नहीं अपनाया गया। परन्तु राज्य को आधारभूत क्षेत्रों पर पूर्ण नियन्त्रण उपलब्ध कराने के लिए उनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में लोक क्षेत्र के बढ़ाने को प्राथमिकता दी गयी थी। भारत में राजकीय क्षेत्र राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था के अत्यन्त अल्प भाग पर नियन्त्रण रखता था। सन् १९४५-४६ में राजकीय व्यवसायों का उत्पादन ७६० करोड़ रु० था जब कि इसी वर्ष में निजी क्षेत्र के व्यवसायों का उत्पादन ७९७० करोड़ रु० था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजकीय क्षेत्र पर २०६६ करोड़ रु० व्यय किये जाने का निश्चय किया गया।

एशिया तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया के राष्ट्रों में प्रजातान्त्रिक नियोजन की विशेष मान्यता प्राप्त हुई। पूर्णतः नियोजित व्यवस्था अथवा कठोर समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रजातान्त्रिक विधियों का संचालन मुलभ नहीं होता है। प्रजातंत्र में सरकार की स्थापना जन-साधारण के चुनाव के आधार पर की जाती है और जन साधारण को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह किसी भी दल को सत्ता-रूढ करे। यदि जन-साधारण को इस स्वतंत्रता को आर्थिक क्षेत्र में जारी रहने दिया जाय तो पूंजीवाद का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक होगा। प्रजातान्त्रिक राज्य में नियोजित अर्थ-व्यवस्था का संचालन करने हेतु इसीलिये मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता होती है क्योंकि इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रजातान्त्रिक विधियों का कुछ सीमा तक उपयोग करना मुलभ होता है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के ही गुणों का समन्वय होना है। इसमें पूंजीवाद के गुणों में से उपभोक्ता तथा साहसी की स्वतंत्रता को कुछ सीमा तक अपनाया जाता है

तथा अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को कार्य करने का अवसर दिया जाता है। दूसरी ओर मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में समाजवाद के राजकीय नियन्त्रण का उपयोग कुछ सीमा तक किया जाता है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में पूँजीवाद के आधार लाभ हेतु (Profit Motive) तथा समाजवाद के आधार 'सेवा हेतु' (Service Motive) में सामंजस्य सम्भव होता है।

प्रथम योजना के उद्देश्य

“भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन-समुदाय के जीवन-स्तर में वृद्धि करना तथा अधिक परिवर्तनीय एवं सम्पन्न जीवन के अवसर प्रदान करना है। इसलिए नियोजन का ध्येय राष्ट्र के भौतिक एवं मानवीय साधनों का प्रभाव-शाली उपयोग करना, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करना तथा आय, धन एवं अवसर की असमानता को कम करना है। अतः हमारा कार्यक्रम द्विमुखी होना चाहिए जिससे उत्पादन में तुरन्त वृद्धि हो तथा असमानता में कमी हो। यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था में हमारे प्रयासों का सुभाव अधिक उत्पादन की ओर होना चाहिए क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में कोई उन्नति सम्भव नहीं होती है। फिर भी हमारे नियोजन द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचे के अन्तर्गत ही आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए समाज के समस्त सदस्यों को पूर्ण रोजगार, शिक्षा, रोग तथा अन्य अयोग्यताओं से सुरक्षा तथा पर्याप्त आय का आयोजन करने के लिए इस प्रारूप को पुनर्गठित करना होगा।”¹

उपर्युक्त विवरण के आधार पर योजना के उद्देश्यों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

(१) मानवीय तथा भौतिक साधनों का अधिकतम कार्यशील उपयोग जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि सम्भव हो सके, तथा

(२) आय, धन तथा अवसर की असमानता को कम करना।

भारत में प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त कम होने के कारण जन-साधारण के जीवन-स्तर में सन्तोषजनक सुधार करना सम्भव नहीं था। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय के दुगुना होने पर ही जीवन-स्तर में अपेक्षित उन्नति की जा सकती थी। न्यून वचन, न्यून उपभोग, अविकसित साधन तथा वृद्धयोग्य जनसंख्या की उपस्थिति में ५ वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना असम्भव था। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना को विकास का प्रारम्भ ही समझना चाहिए।

वस्त्र, शक्कर, साबुन एवं वनस्पति उद्योगों को वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूर्णतम उपयोग ।

(ब) पूँजीगत एवं उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि, जैसे लोहा एवं इस्पात, अल्यूमीनियम, सीमेन्ट, खाद, भारी रसायन, मशीनों के पुर्जे आदि ।

(स) जिन औद्योगिक इकाइयों पर बड़ी मात्रा में पूँजी विनियोजित हो चुकी है, उनकी पूर्ति ।

(द) औद्योगिक विकास हेतु मूलभूत वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना, जैसे जिप्सम से गंधक का निर्माण, रेयन की छुदो आदि ।

योजना का व्यय

योजना की प्रजातांत्रिक प्रकृति के अनुसार तथा सरकार के बाहर के अर्थ-शास्त्रियों, व्यापारियों तथा जन-साधारण के विचार एवं आलोचना प्राप्त करने हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम जुलाई सन् १९५१ में ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित की गयी । यह ड्राफ्ट योजना दो भागों में विभक्त थी । प्रथम भाग में अन्तिम कार्यक्रमा को सम्मिलित किया गया था और इस भाग पर १, ४६३ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान था । द्वितीय भाग में वे कार्यक्रम सम्मिलित किये गये थे जिनका क्रियान्वीकरण विदेशी सहायता के मिलने पर किया जाना था । इस भाग पर ३०० करोड़ रु० व्यय होना था । परन्तु योजना को अन्तिम रूप देते समय दोनों भागों को निरस्त करके एकत्रित रूप में समस्त कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये । इस प्रकार योजना का समस्त व्यय २,०६६ करोड़ रु० निर्धारित किया गया । कालान्तर में योजना के कुछ कार्यक्रमों में वृद्धि की गयी तथा कुछ में समायोजन किये गये । इसके साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु भी आयोजन किये गये । इन समायोजनों के कारण योजना के व्यय की राशि २,३५६ करोड़ रु० कर दी गयी ।^१ विभिन्न मदों पर इस राशि का वितरण निम्न प्रकार किया गया था—

1. *India* 1959, p. 203.

तालिका स २९—प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनुमानित व्यय

मद	अनुमानित व्यय करोड रु० में	योग से प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	३६१	१७ ५
सिंचाई एवं शक्ति	५६१	२७ १
यातायात एवं संचार	४९७	२४ ०
उद्योग एवं खनिज	१७३	८ ४
समाज सेवाएं	३४०	१६ ४
पुनर्वास	८५	४ १
अन्य	५२	२ ५
	योग २०६९	१०० ०

आवश्यक समायोजन के पश्चात् २३५६ करोड रु० के व्यय का वितरण निम्न प्रकार किया गया था—

तालिका स ३०—प्रथम पंचवर्षीय योजना का सशोधित व्यय

मद	अनुमानित व्यय करोड रु० में	योग से प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	३५७	१५ १
सिंचाई एवं शक्ति	६६१	२८ १
उद्योग एवं खनिज	१७९	७ ६
यातायात एवं संचार	५५७	२३ ६
समाज सेवाएं	३९७	१६ ८
पुनर्वास	१३६	३ ८
अन्य	६९	५ ०
	योग २३५६	१०० ०

वास्तविक योजना के २०६९ करोड रु० के व्यय को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में निम्न प्रकार विभाजित किया गया था—

तालिका स ३१—प्रथम योजना व्यय का केन्द्र तथा राज्या में विभाजन

मद	कुल व्यय करोड रु० में	राज्य (अ ब, स तथा जम्मू कश्मीर)	
		केंद्र करोड रु० में	राज्य करोड रु० में
कृषि एवं सामुदायिक विकास	३६१	१८६	१७५
सिंचाई एवं शक्ति	५६१	२६६	२९५
यातायात एवं संचार	४९७	४०९	८८
उद्योग एवं खनिज	१७३	१४७	२६
समाज सेवाएं	३४०	१०६	२३४
पुनर्वास	८५	८५	—
अन्य	५२	४२	१०
	योग २०६९	१२४१	८२८

योजना का व्यय सन् १९५०-५१ में अत्यन्त कम रहा परन्तु योजना के तृतीय वर्ष से व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और योजना के अन्तिम दो वर्षों में योजना के समस्त वास्तविक व्यय का दो-तिहाई भाग व्यय किया गया। योजना के वार्षिक व्यय की प्रगति निम्न प्रकार थी—

तालिका स. ३२—प्रथम पंचवर्षीय योजना के व्यय की प्रगति

वर्ष	योजना का व्यय करोड रु० में
१९५१-५२	२५६
१९५२-५३	२६८
१९५३-५४	३४३
१९५४-५५	४७७
१९५५-५६	६६६
२०१३	

योजना का वास्तविक व्यय विभिन्न शीर्षकों में निम्न प्रकार था—

तालिका स. ३३—योजना का वास्तविक व्यय

मद	अनुमानित व्यय करोड रु० में	योग से प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	२६६	१४.८
सिंचाई एवं शक्ति	५८५	२६.१
उद्योग एवं खनिज	१००	५.०
यातायात एवं संचार	५३२	२६.४
समाज सेवाएँ	४२३	२१.०
अन्य	७४	३.७
योग २०१३		१००.०


उपर्युक्त वास्तविक व्यय से सम्बन्धित साख्य में सन् १९५५-५६ वर्ष के दोहरे राये गये अनुमान सम्मिलित हैं। सन् १९५५-५६ के वास्तविक अनुमानों के अनुसार योजना का व्यय १९६० करोड रु० हुआ।

अर्थ-प्रबन्ध

अर्थ साधना की समस्या के निवारण पर ही योजना का संचालन तथा उसकी सफलता निर्भर रहती है। योजना में राजकीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा उनके अधिकार की औद्योगिक इकाइयों के विकास कार्यक्रम सम्मिलित किये गये थे। अलोक क्षेत्र के अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था का क्षेत्र समस्त क्षेत्र रखा गया था। नगरपालिका निगम, स्थानीय संस्थाओं,

सहकारी संस्थाओं तथा लघु व्यवसायों को निजी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। यद्यपि समस्त अर्थ व्यवस्था को विकास की ओर अग्रसर करने तथा विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व राज्य का ही था, परन्तु निजी प्रयासों एवं साहस को भी विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान देना था। राज्य को सरकारी क्षेत्र के लिए आवश्यक अर्थ प्रवन्ध करना तथा उसे सरकारी क्षेत्र में विनियोजन करना दोनों ही कार्य करने थे। अर्थ साधनों को तीन मुख्य समूहों में निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है—

अर्थ-साधन



उपर्युक्त विभिन्न साधनों से निम्न प्रकार अर्थ प्राप्त होने का अनुमान था—

तालिका स ३४—प्रथम योजना के अर्थ साधन

	करोड़ रु० में		
	केन्द्र	राज्य	योग
विकास-कार्यक्रमों पर योजना का व्यय	१२४१	८२८	२०६९
१. बजट के साधन			
(अ) चालू आय से बचत	३३०	४०८	७३८
(ब) पूँजीगत प्राप्तियाँ (सचय से निकाली गयी राशि के अतिरिक्त)	३६६	१२४	४९०
(स) योजना सम्बन्धी केन्द्रीय सहायता	—२२९	—२२९	—
योग बजट-साधनों से प्राप्ति	४६७	७०९	११७६
२. विदेशी साधन जो प्राप्त हो चुके थे	१५६	—	१५६
कुल योग	६२३	७०९	१३३२
न्यूनता (Gap)	५८८	६७	६५५
महायोग	१२४१	८२८	२०६९

बजट के साधनो मे प्राप्त होने वाली राशियो का अनुमान १९५०-५१ को वास्तविक प्राप्तियो के आधार पर लगाये गये थे। १९५०-५१ मे विभिन्न प्राप्तियो की राशि निम्न प्रकार थी—

तालिका स ३५—बजट के साधनो से अनुमानित राशि का आधार

साधन	१९५०-५१ (वास्तविक)		योजना काल १९५१-५६ (अनुमानित)			
	केन्द्र ('स' श्रेणी, राज्य सम्मिलित)	('अ' राज्य 'ब' श्रेणी, जम्मू तथा कश्मीर)	योग	केन्द्र ('स' श्रेणी राज्य सम्मिलित)	('अ' राज्य 'ब' श्रेणी, जम्मू तथा कश्मीर)	योग
शासकीय बचत						
(क) चालू आय से	७१	५१	१२२	१६०	४०८	५६८
(ख) रेलो से	२३	—	२३	१७०	—	१७०
निजी बचत जो निम्न विधियो द्वारा राज्य को प्राप्त होनी थी						
(क) जनता से ऋण	-११	८	—३	३६	७८	११५
(ख) लघु बचत आदि	४२	—	४२	२७०	—	२७०
(ग) जमा, सचय तथा अन्य प्राप्तियाँ	—	३८	३८	६०	४५	१३५
योग	१२५	९७	२२२	७२६	५३२	१२५८

उपर्युक्त सूचना से यह ज्ञात होता है कि १९५०-५१ मे राजकीय बचत की राशि १४५ करोड रु० थी और इसी को आधार मान कर योजना काल मे इस साधन से प्राप्त राशि का अनुमान ७२५ करोड रु० लगाया जा सकता था, परन्तु १९५०-५१ को पूर्णतः आधार नही माना जा सकता था, क्योंकि इस वर्ष कुछ असाधारण प्राप्तियाँ हुई थी। इस वर्ष निर्यातकर तथा आयकर के अवशिष्ट से प्राप्तियाँ असाधारण थी। इसके अतिरिक्त सुरक्षा सम्बन्धी व्यय मे भी वृद्धि करना आवश्यक था, क्योंकि सुरक्षा सेवाओ मे बडे पमाने पर प्रतिस्थापन करना आवश्यक था। इन्ही कारणो से योजना-काल मे शासकीय बचत से प्राप्य साधनो का अनुमान ७३८ करोड रुपया ही लगाया गया। दूसरी ओर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो की पूँजीगत प्राप्तिओ मे महत्त्वपूर्ण सुधार होने का अनुमान

ऐसा विश्वास था कि उपर्युक्त कार्यवाहियों द्वारा अर्थ-साधनों में वृद्धि के साथ-साथ भविष्य के विकास के लिए अतिरिक्त अर्थ-संचय की विधि का प्रारम्भ हो सकेगा और भविष्य की योजनाओं में अधिकतम आन्तरिक आत्म-निर्भरता प्राप्त हो सकेगी।

पाँच वर्ष के वास्तविक अनुमानानुसार योजना के विकास कार्यक्रमों पर १९६० करोड़ रु० व्यय हुआ। यह राशि विभिन्न साधनों से निम्न प्रकार प्राप्त हुई—

तालिका स ३६—प्रथम योजना में अर्थ-साधनों से प्राप्ति

आय का साधन	करोड़ रुपयों में
(घ) बजट के साधन	
(१) सरकारी षालू आय से बचत रेलों के अनुदान सहित	७५२
(२) जनता से ऋण	२०५
(३) लघु बचत तथा अन्य ऋण	३०४
(४) अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	९१
	१३५२
(ब) विदेशी सहायता	१८८
(स) हीनार्थ प्रबन्धन द्वारा प्राप्त साधन	४२०
	योग १९६०

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि योजना की समस्त अनुमानित निर्धारित राशि २३५६ करोड़ रुपये का ८३.२% भाग ही व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि सरकारी षालू आय से बचत तथा रेलों से अनुदान से प्राप्त राशि में अनुमान से अधिक अर्थ प्राप्त हुआ। इन दोनों साधनों से ७३८ करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान था, जबकि वास्तविक प्राप्ति ७५२ करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार जनता से ऋण तथा अल्प बचत से भी अनुमान से अधिक अर्थ प्राप्त हुआ। अन्य पूँजीगत प्राप्तियों, जैसे निधि, जमा आदि के अन्तर्गत १३५ करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान था, जबकि केवल ९१ करोड़ रु० ही प्राप्त हो सका। हीनार्थ प्रबन्धन की राशि २९० करोड़ रु० निश्चित की गयी थी परन्तु अन्य साधनों की प्राप्ति अधिक नहीं बढ़ायी जा सकी, परिणामस्वरूप न्यूनता की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रबन्धन की राशि ४२० करोड़ रु० हुई। इस प्रकार यह कहना अनुचित न होगा कि अर्थ-साधन सम्बन्धी योजना आयोग के अनुमान बड़ी मात्रा में ठीक ही थे। परन्तु योजना की क्रियान्वित

करते समय योजना के समस्त व्यय की राशि में कमी रही। कृषि एवं सामुदायिक विकास योजनाओं तथा उद्योग और खनिज कर्मन्तर्गत कुछ कार्यक्रमों को पूर्ण नहीं किया जा सका तथा इनमें निर्धारित राशि से कम व्यय हुआ।

हीनार्थ-प्रवन्धन (Deficit Financing)

हीनार्थ प्रवन्धन का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें राष्ट्रीय बजट में, आगम एवं पूँजी खातों में, आय कम और व्यय अधिक बताया जाता है, अर्थात् जब राज्य बजट के साधनों से प्राप्त पूँजी एवं आगम आय से अधिक व्यय करने के लिए बजट बनाया जाता है, उस व्यवस्था को हीनार्थ प्रवन्धन कहते हैं। सरकार को करो, राजकीय व्यवसायों, जनता से ऋण, जमा तथा निधि एवं अन्य प्राप्तियों से होने वाली आय से जब सरकार अधिक व्यय करने का बजट बनाती है तो इस कमी को सरकार अपने संचित शेषों (Accumulated Balances) में सन्तुष्टि निकाल कर अथवा देश के केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर पूरा करती है। वैधानिक संचित कोषों से रुपया निकालने पर अथवा केन्द्रीय बैंक से रुपया उधार लेने के लिए सरकार अपनी प्रतिभूतियाँ (Securities) बैंक को दे देती है और इन प्रतिभूतियों के बदले बैंक ने मुद्रा प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार सरकार की प्रतिभूतियाँ के विरुद्ध जो मुद्रा वृद्धि की जाती है, उसे मुद्रा-प्रसार कहते हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में हीनार्थ प्रवन्धन एवं मुद्रा प्रसार द्वारा अर्थ-साधन प्राप्त करने का आयोजन किया गया था, क्योंकि राष्ट्र के बजट के साधन एवं विदेशी साधन योजना के लिए आवश्यक अर्थ-साधन प्रदान नहीं कर सकते थे। योजना में हीनार्थ-प्रवन्धन की अधिकतम सीमा २६० करोड़ रु० रखी गयी थी, क्योंकि योजना काल में इतनी राशि से पीएड पावना प्राप्त (Release) होने की सम्भावना थी। २६० करोड़ रु० का पीएड पावना प्राप्त होने से इतनी राशि का आयात करके राष्ट्रीय बाजारों में वस्तुओं की अपूर्णता को रोका जा सकता था। साथ ही बड़ी हुई मुद्रा के विरुद्ध ये वस्तुएँ प्रस्तुत हो सकती थीं और इस प्रकार मुद्रा-प्रसार जनित वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का कोई विशेष भय नहीं रहता। इसी आधार पर योजना काल में हीनार्थ प्रवन्धन की अधिकतम सीमा २६० करोड़ रुपया रखी गयी थी।

घाटे के बजट द्वारा घाटे की राशि के बराबर जन-समुदाय की क्रय-शक्ति में वृद्धि हो जाती है परन्तु भारत में क्रय-शक्ति की वृद्धि का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों को चला जाता है क्योंकि यहाँ जन साधारण अपनी आय का अधिकांश खाद्यान्न-क्रम पर व्यय करता है। जन समुदाय की क्रय शक्ति में वृद्धि होने

पर, कृषि उत्पत्ति की माँग एव तदनुसार मूल्यो न वृद्धि हो जाती है, और इस प्रकार इस अतिरिक्त क्रय-शक्ति का बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्र अर्थात् कृषि को चला जाना है। पीएड पावना की प्राप्ति का उपयोग अधिकतर पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए किया जाना था जबकि उपभोक्ता वस्तुओं की माँग बढ़ने की सम्भावना थी। इस प्रकार २६० कराड ६० की सीमा होने हुए भी मूल्यो में वृद्धि होने की अधिक सम्भावना थी। इसीलिए सरकार द्वारा मुद्रा-स्फीति के भार को कम करने के लिए मौद्रिक, तटकर, आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के मूल्य एव विनरएण आदि नियन्त्रण आदि कायवाहियों का उपयोग किया जाना भी आवश्यक था। परन्तु इस प्रकार के प्रतिबन्ध जन-साधारण को कभी रुचिकर नहीं होने हैं तथा नियोजन के प्रति दुर्भावना उत्पन्न होने की आशका को जा सकती है।

मूल्यो में वृद्धि होने पर जन-समुदाय को उपभोग को सीमित करना पड़ता है। उपभोक्ता-वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि नहीं होनी तथा जन समुदाय की क्रय-शक्ति में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार जन-मायारण को अपने उपभोग को सीमित करना पड़ता है। इस प्रकार मुद्रा-प्रसार द्वारा विवशतापूर्ण बचत होती है। यद्यपि जन समुदाय अपने उपभोग को कम नहीं करना चाहता, परन्तु बढ़ते हुए मूल्य उन्हें उपभोग कम करने के लिए विवश कर देने हैं। इस प्रकार उपभोग में कमी होने से राज्य साधनों का उपयोग विनियोजन में कर सकता है। परन्तु आवश्यक वस्तुओं के उपयोग में कमी होने से जन साधारण के जीवन-स्तर में और भी कमी हो सकती है, इसलिए इन आवश्यक वस्तुओं, जैसे साद्यान, वस्त्र, शक्कर, गुड आदि के मूल्यो एव विनरएण पर आवश्यक नियन्त्रण रख कर ही हीनार्थ-प्रवचन का उपयोग किया जा सकता है।

मुद्रा-स्फीति के भय से हीनार्थ प्रवचन की सीमा को कम रखना विकास के क्षेत्र में एक गम्भीर बाधा बन सकती है। परन्तु फिर भी धाटे की अर्थ-व्यवस्था (हीनार्थ-प्रवचन) का तभी उपयोग होना चाहिए जबकि अर्थ प्राप्ति के अन्य साधनों से पर्याप्त अर्थ न प्राप्त हो सकता हो। भारत में अनिवार्य बचत एवं एकत्रित किये हुए अर्थ एव बहुमूल्य धातु को गतिशील बना कर देश के आर्थिक साधनों में वृद्धि की जा सकती है। परन्तु इन दोनों के लिए कठोर कार्यवाहियों की आवश्यकता होती है जो कि सरकार तथा नियोजन के प्रति दुर्भावनाओं का कारण बन जाती हैं।

योजना काल में मूल्यो में कमी रही और योजना के अन्त में प्रारम्भ की

तुलना में मूल्यों में १३% की कमी का अनुमान था। केवल योजना के अन्तिम वर्ष के नौ महीनों में मूल्यों में वृद्धि हुई। यद्यपि योजना काल में ४२० करोड़ रु० का हीनार्थ प्रबन्धन हुआ, तथापि मूल्यों में कमी का होना कुछ आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है। हीनार्थ प्रबन्धन का मूल्यों पर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ा कि आकस्मिक अनुकूल परिस्थितियों एवं जलवायु (Monsoon) के कारण कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन में भी योजना काल में सतोषजनक वृद्धि हुई। उत्पादन-वृद्धि द्वारा मुद्रा-प्रसार का भार निरस्त कर दिया गया तथा उपभोक्ता-वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार योजना के प्रारम्भ में हीनार्थ-प्रबन्धन जनित मुद्रा स्फीति का जो भय था, वह सर्वथा निर्मूल ही रहा। यद्यपि योजना काल में घाटे की अर्थ-व्यवस्था निश्चित अधिकतम सीमा २६० करोड़ से भी अधिक हुई, तथापि मूल्यों में इसके कारण वृद्धि नहीं हुई।

योजना के लक्ष्य एवं प्रगति

कृषि—प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे प्रथम स्थान कृषि को प्रदान किया गया था। इसी कारण योजना को मुख्यरूपेण एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम कहा जा सकता है। राजकीय क्षेत्र में व्यय होने वाली राशि का अधिकतम भाग कृषि एवं कृषक की उत्पत्ति हेतु विशेष महत्व रखता है। समाज सेवाओं के अन्तर्गत निर्धारित राशि भी ग्रामीण समाज के हित को विशेष स्थान देती थी और इस व्यय का उद्देश्य भी कृषकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना तथा उनका उत्थान करना था। राजकीय क्षेत्र के समस्त व्यय का लगभग एक तिहाई भाग (३२.२%) अर्थात् ७५८ करोड़ रु० कृषि, सामुदायिक विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण पर व्यय होना था। सिंचाई की बहुमुखी योजनाओं के कार्यक्रम दीर्घकालीन थे और इन पर योजना काल में २६६ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता देने का मुख्य उद्देश्य कृषि-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना था। १९५१-५६ तक खाद्यान्नों में १५%, कपास में ४२%, पटसन में ६३%, गन्ना में १३%, तिलहन में ८०% वृद्धि करने का लक्ष्य था। इस प्रकार उत्पादन में निरन्तर तथा स्थायीरूपेण वृद्धि द्वारा ही कृषि-विकास सम्भव था और कृषि विकास द्वारा २४६ करोड़ कृषकों के गतिहीन आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को गतिमान कर विकासोन्मुख किया जाना सम्भव था।

योजना के विनियोजन-कार्यक्रम का अधिकतर भाग सिंचाई एवं बहुमुखी योजनाओं पर व्यय होना था। ५१८ करोड़ रुपया उन विशाल सिंचाई एवं शक्ति की योजनाओं पर, जिनका निर्माण चल रहा था, और ४० करोड़ रुपया नवीन योजनाओं पर, व्यय किया जाना था। 'कृषि एवं सामुदायिक विकास' शीर्षक के अन्तर्गत ७७ करोड़ ६० छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं, जिनका निर्माण निजी क्षेत्र द्वारा किया जाना था, को आर्थिक सहायता के रूप में देने के लिए निर्धारित किया गया था। उपर्युक्त समस्त योजनाओं के फलस्वरूप २ करोड़ एकड़ सिंचित भूमि में वृद्धि अर्थात् १९५०-५१ की सिंचित भूमि में ४०% वृद्धि होने की सम्भावना थी। इसी प्रकार शक्ति क साधनों में ६०% अर्थात् १३ लाख किलोवाट वृद्धि करने का लक्ष्य था।

भूमि-सुधार तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ३५ करोड़ रुपये का प्रायोजन था। इस व्यय द्वारा ७४ लाख एकड़ फसल बोये जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि करना था। इसके लिए पड़ती भूमि का उपयोग करना, ३४ लाख एकड़ भूमि पर तान्त्रिक कृषि करना, ३० लाख एकड़ भूमि को वन आदि द्वारा सुधारने का प्रायोजन था।

इसके अतिरिक्त कृषि एवं ग्रामीण हित के कार्यक्रम के अन्तर्गत ९० करोड़ रुपया सामुदायिक विकास योजनाओं के हेतु तथा अन्य लघु राशियाँ कृषि के अन्य क्षेत्रों, जैसे खाद और बीज वितरण एवं भूमि सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं आदि के लिए निर्धारित की गयी थी।

सामुदायिक विकास योजनाएँ—प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व ग्रामीण विकास के हेतु जो भी प्रयास किये गये थे उनमें पारस्परिक सामंजस्य का अभाव था। ग्रामीण जीवन को एक इकाई मानकर उसके विभिन्न क्षेत्रों का समन्वित विकास करने के लिए 'ग्रहिक ग्रन्थ उपजाऊ जाँच समिति, सन् १९५२' ने भारत सरकार से अमेरिका, ब्रिटेन आदि के समान एक विस्तार अथवा सलाहकार सेवा की स्थापना की सिफारिश की, जो ग्रामीण जीवन के समन्वित विकासार्थ सहायता प्रदान करे। समिति के विचार में ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलु परस्पर इतने सम्बन्धित हैं कि किसी भी एक क्षेत्र का पृथक् रूप से स्थायी विकास सम्भव नहीं होगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के अधिवासियों में स्वयं के जीवन का विकास करने के प्रति जागृति, रचि एवं प्रोत्साहन उत्पन्न करना भी आवश्यक बताया गया।

१. इस समिति की सिफारिशों के अनुसार २ अक्टूबर सन् १९५२ को सामुदायिक

आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना की गयी जिसके अन्तर्गत मण्डलों को चुननम अथ द्वारा विकास करने का प्रयास किया जाता है। जिन विस्तार सेवा मण्डलों में जनता के अधिकतम सहयोग द्वारा विकास कार्यक्रमों को सकलता मिलती है उन्हें तीव्र कार्यक्रमों के लिए चुन लिया जाता है तथा इनको सामुदायिक विकास मण्डल में परिवर्तित करके ३ वर्ष तक तीव्र गति से विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। तदनन्तर बाद यह सामुदायिक विकास मण्डल पूरे राष्ट्रीय विस्तार सेवा मण्डल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार अथ का उपलब्ध के अनुसार प्रत्येक वर्ष सामुदायिक विकास मण्डलों का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा तीन क्षेत्रों में विकास करने का प्रयास किया जाता है। प्रथम उत्पादन तथा राजस्व में वृद्धि का आयाजन किया जाता है। इसके अन्तर्गत कृषि में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग साथ ही सुविधा सिंचाई की सुविधाओं तथा अथ कार्यक्रमों द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न किया जाता है। इसी वाम यातायात एवं संचार तथा प्रशिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि का जाता है। दूसरे वर्ग में सहकारिता को अधिकतम क्षेत्रों में लागू करने का प्रयत्न सम्मिलित है। तृतीय वर्ग में समान हित के कार्यक्रमों पर समाज-सेवा को प्राथमिकता दिया जाता है। अनेक ग्रामीण सेवाओं में वृद्धि तथा कठिनायियों का निवारण सामूहिक यत्न से हो सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने का उद्देश्य होता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की उपयोग में न आने वाली शक्तियाँ एवं समय का जन-समुदाय के उत्थान के लिए उपयोग हो सके।

अप्रैल १९५६ के पश्चात् सामुदायिक विकास की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है। परिवर्तित व्यवस्था के अन्तर्गत विकास की दो अवस्थाएँ रखा गयी हैं। प्रथम अवस्था के पूर्व एक वर्ष तक प्रत्येक खण्ड में विस्तार के पूर्व के कार्यक्रम (Pre Extension Phase) का संचालन किया जाता है। इसके पश्चात् प्रथम अवस्था प्रारम्भ होती है जिसके अन्तर्गत ५ वर्षों तक गहरा विकास (Extensive Development) किया जाता है। प्रथम अवस्था के पश्चात् द्वितीय अवस्था प्रारम्भ होता है। इस अवस्था में विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कम बजट के साथ किया जाता है और प्रत्येक प्रथक सम्बन्धित विभाग अपने क्षेत्रों के विकास हेतु आधक धन का आयाजन करता है। १९५६ में सरकार ने यह निश्चय किया कि नियोजन के साधनों को चुनना तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये जन-संस्थाओं को दायित्व एवं आधिकार दिए जायें। इसी उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में पंचायत राज का स्थापना की जा रहा है।

सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के कार्यक्रमों पर सर्वोच्च नियन्त्रण सामुदायिक विकास एवं सहकारिता के मंत्रालय का होता है। इन कार्यक्रमों का संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में विकास समिति की स्थापना की जाती है जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष, विकास विभागों के मंत्री सदस्य तथा विकास कमिश्नर मंत्री होता है। जिलाधीश जिला नियोजन एवं विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में जिले की योजनाओं का संचालन करता है। प्रत्येक मण्डल में विकास मण्डल अधिकारी (Block Development Office) आठ विस्तार अधिकारियों, जो कृषि, सहकारिता, पशुपालन (Animal Husbandary), गृह उद्योग आदि के विशेषज्ञ होते हैं, के साथ मण्डल का प्रबन्ध एवं संचालन करता है। ग्राम सेवक कुछ ग्राम समूहों के कार्यक्रमों के निरीक्षण द्वारा संचालन में सहायता प्रदान करता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के लिए ६० करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था, किन्तु वास्तविक व्यय केवल ५७ करोड़ रुपया हुआ। योजना में १२०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा मण्डलों की स्थापना करने का लक्ष्य था, जिसमें से ७०० मण्डलों, जिनमें ७०,००० ग्राम तथा ४ करोड़ जनसंख्या होगी, पर सामुदायिक विकास मण्डलों की स्थापना के विकास का लक्ष्य रखा गया था। वास्तव में केवल ४०० सामुदायिक विकास मण्डलों की स्थापना हुई तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा मण्डलों की संख्या ८०० थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि-उत्पादन के लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति निम्न तालिका से दशित है—

१. तालिका सं० ३७—प्रथम योजना में कृषि के लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति

मद	उत्पादन १९५०- ५१	लक्ष्य १९५५- ५६	वास्तविक उत्पादन १९५५-५६	उत्पादन की वृद्धि का प्रतिशत	१९५५-५६ की वास्त- विक वृद्धि और योजना के लक्ष्य का प्रतिशत
खाद्यान्न (लाख टन)	५४०	६१६	६४६	२६.६	१४३
कपास (लाख गांठ)	२६.७	४२.३	४०.०	३७.५	८२
जूट (लाख गांठ)	३३.०	५३.६	४२.०	२७.३	४३
गन्ना (गुड लाख टन)	५६.२	६३.२	५८.६	४.३	३५
तिलहन (लाख टन)	५०.८	५४.८	५६.६	११.४	१५६
तम्बाकू (लाख पींड)	२५.७	—	२५.६	०.८	—
चाय (लाख पींड)	६०७०	—	६६८०	१०.५	—
भालू (हजार टन)	१६३४	—	१८३६	१२.५	—
सिंचित भूमि (लाख एकड़)	५१०	७०७	६५०	२७.६	७१
विद्युत शक्ति उत्पादन (लाख कि० वा०)	२३	३६	३४	४८.०	८४

उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई और जूट और गन्ना के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का उत्पादन निश्चित लक्ष्य सीमा से कुछ ही कम रहा। तिलहन का उत्पादन योजना के लक्ष्यो से भी अधिक रहा। योजना काल के पाँच वर्षों की विशेषता यह थी कि इन वर्षों में अनुकूल मानसून रहने के कारण योजना के कार्यक्रमों को सफल बनाने में प्राकृतिक दृष्टि से कम बाधा उपस्थित हुई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सभी प्रकार की सहकारी समितियों—कृषि, बहुद्देशीय, साख, ऋय-विक्रय, उद्योग आदि के संगठन को स्थान दिया गया जिसके फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी आर्थिक एवं अन्य कठिनाइयों को दूर किया जा सके। पंचायतों के संगठन द्वारा ग्रामीण-निवासियों को ग्राम-समुदाय के सामूहिक हित का उत्तरदायित्व सौंपा गया। योजना में कृषि की अन्य समस्याओं अर्थात् मूल्य स्थिरता, खाद्यान्न-वितरण पर नियन्त्रण, खान-पान के स्वभाव में परिवर्तन तथा भूमि-प्रबन्ध में सुधार आदि को भी स्थान दिया गया। जमींदारों पद्धति को समाप्त करने का निश्चय किया गया

जिससे कृषक को भूमि से प्राप्त फल का पूर्णतम उपयोग करने का अवसर प्राप्त हो सके ।

इसी प्रकार कृषि में बीजों एवं अन्य पशुओं की आवश्यकता को मान्यता दी गयी तथा पशुओं के विकास हेतु योजना में २२ करोड़ रु० का आयोजन किया गया था । इस व्यय द्वारा पशुओं की नस्ल में सुधार करने, चारे में वृद्धि करने आदि के आयोजन किये गये ।

योजना काल में कृषि-उत्पादन निर्देशांक में निम्न प्रकार प्रगति हुई—

कृषि उत्पादन-निर्देशांक (आधार वर्ष १९४६—५० = १००) ^१

वर्ष	निर्देशांक
१९५०-५१	९५.६
१९५१-५२	९८.०
१९५२-५३	१०२.०
१९५३-५४	११४.३
१९५४-५५	११७.०
१९५५-५६	११६.६

इस प्रकार कृषि-उत्पादन में १९५०-५१ के स्तर से लगभग १९% वृद्धि हुई ।

औद्योगिक प्रगति—प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के कार्यक्रम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पर आधारित थे । सम्पूर्ण औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों को लोक एवं अलोक क्षेत्र में विभाजित किया गया । लोक क्षेत्र के औद्योगिक कार्यक्रमों में राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की विकास योजनाएँ सम्मिलित की गयीं तथा अलोक क्षेत्र में व्यक्तिगत औद्योगिक क्रियाएँ सम्मिलित की गयीं । योजना में ७९२ करोड़ रुपये औद्योगिक विकास हेतु निर्धारित किया गया । इसमें से १७९ करोड़ रुपये शासकीय औद्योगिक योजनाओं तथा शेष ६१३ करोड़ व्यक्तिगत, संगठित एवं शासन द्वारा स्वीकृत उद्योगों पर व्यय करने का लक्ष्य था । अनियमित छोटे-छोटे कारखानों तथा गृह-उद्योगों के आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण उनमें विनियोजित होने वाली राशि का ठीक-ठीक अनुमान सम्भव नहीं था । इसीलिए लघु तथा गृह-उद्योगों में निजी रूप से विनियोजित होने वाली राशि को निजी क्षेत्र की विनियोजन-राशि में सम्मिलित नहीं किया गया था । योजना में केवल उन्हीं संगठित उद्योगों को सम्मिलित

1. *India* 1959, p. 255.

किया गया था, जिनका विकास करना तथा शासकीय प्रोत्साहन प्रदान करना वाञ्छनीय था।

लोक क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर व्यय होने वाली राशि १७६ करोड़ रुपये में से लगभग ८४ करोड़ रुपया ऐसे शासकीय औद्योगिक कार्यक्रमों पर व्यय होना था, जिनका कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व ही प्रारम्भ हो गया था अथवा जो निकट भविष्य में पूर्ण होने वाले थे। उदाहरणार्थ, सिन्दरी का रासायनिक खाद का कारखाना, घितरजन का रेलवे-एजिन बनाने का कारखाना, बगलौर का यंत्र-उपकरण बनाने का कारखाना आदि। लगभग १० करोड़ रुपया राज्य-सरकारी के अधीन उपक्रमों पर व्यय किया जाना था। इस क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे उद्योगों को ही सम्मिलित किया गया जो वि पूँजीगत एवं आधारभूत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। शासकीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास के नवीन कार्यक्रमों की सर्वप्रमुख योजना लोहा तथा इस्पात का कारखाना स्थापित करना था, जिसकी उत्पादन शक्ति ८ लाख टन लाहा तथा ३½ लाख टन इस्पात होती थी। यह अनुमान लगाया गया कि इस कारखाने पर ८० करोड़ ६० विनियोजित किया जायगा जिसमें से केवल ३० करोड़ ६० प्रथम योजना काल में व्यय करने का अनुमान था। १ करोड़ ६० खनिज विकास तथा ६० करोड़ ६० ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर विनियोजित करने का लक्ष्य था।

योजना आयोग ने ४२ उद्योगों का विस्तार करने का विस्तृत कार्यक्रम बनाया तथा इन उद्योगों का विकास अलोक क्षेत्रों को सौंपा गया। इन उद्योगों में यांत्रिक इंजीनियरिंग, वैद्युतिक इंजीनियरिंग, धातु उद्योग, रासायनिक पदार्थ उद्योग, तरल ईंधन, खाद्य उद्योग आदि सम्मिलित थे। अलाव क्षेत्र में विनियोजित होने वाली ६१३ करोड़ ६० की राशि में से २३२ करोड़ ६० अर्थात् ३८% औद्योगिक इनाइया के विस्तार में, १५० करोड़ ६० प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण पर, २८ करोड़ ६० स्थायी सम्पत्तियों के ह्रास के लिए, जो आयकर की साधारण छूट में सम्मिलित नहीं होत हैं, तथा १५० करोड़ ६० चालू पूँजी के लिए उपयुक्त होता था।

अलोक क्षेत्र के नये विनियोजन-कार्यक्रमों का लगभग ८०% भाग पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों में विनियोजित होता था। इनमें महत्वपूर्ण विस्तार की योजनाएँ निम्नलिखित उद्योगों के लिए थी—

उद्योग	राशि करोड़ रु० में
लोहा एवं इस्पात	४३
धातु तेल शोधन	६४
सीमेंट	१५४
अल्युमीनियम	९०
खाद भारी रसायन तथा शक्ति अल्कोहल	१२
अतिरिक्त विद्युत् शक्ति के साधन	१६

उपरोक्त वस्तुओं के उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के लिए उनकी वर्तमान उत्पादन क्षमता का प्रतिस्थापन तथा नवीनीकरण द्वारा पूर्णतम उपयोग करने का आयोजन था। रेयन (Rayon), औषधियाँ आदि उद्योगों में नवीन विनियोजन का भी आयोजन किया गया।

लोक-क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में ६० करोड़ रु० का विनियोजन हुआ जबकि वास्तविक लक्ष्य ९४ करोड़ रु० था। सिंदरी का रासायनिक खाद का कारखाना पूर्ण हो गया जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ६,५०,००० टन अमोनियम सल्फेट है। चित्तूरजन के रेलवे इंजिन निर्माण, बगलौर का भारतीय टेलीफोन निर्माण, पैरम्बूर का यात्री गाड़ी के डिब्बे निर्माण, पैनिस्सिलिन तथा डी० डी० टी०, जलयान तथा वायुयान निर्माण आदि के कारखानों का पर्याप्त विकास हुआ। राज्य सरकार की योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण मैसूर के लोहा एवं इस्पात के कारखाने के विस्तार का कार्यक्रम था। मध्यप्रदेश में अखवारी कागज तथा उत्तर प्रदेश का प्रिंसिजन इस्टैटमेंटस कारखाना भी उल्लेखनीय हैं। सावजनिक उद्योगों की प्रगति निम्न प्रकारेण हुई—

तालिका सं० ३८—प्रथम योजना में सार्वजनिक उद्योगों की प्रगति

उद्योग	उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि	लक्ष्यों की प्रतिशत प्राप्ति
केन्द्रीय सरकार के अधीन	निर्माणाधीन	
१ तीन बड इस्पात कारखाने		
२ हिन्दुस्तान शिपयार्ड	मार्च १९५२	६५
३ सिंदरी फर्टिलाइजर्स फॅक्ट्री	अक्टू० १९५१	१०३
४ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	अक्टू० १९५४	९
५ हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स	अग० १९५५	१३८
६ चित्तूरजन लोकोमोटिव्स	नव० १९५०	१३६
७ इन्टीग्रल कोच फैक्ट्री	अक्टू० १९५५	४०
८ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज	१९४९	१००
९ हिन्दुस्तान केबिल्स	सित० १९५४	११२
राज्य-सरकारों के अधीन		
१० मैसूर आयरन एण्ड स्टील बक्स		
(अ) इस्पात		३५
(ब) पिग लोहा (Pig Iron)		५२
११ नया मिल्स न्यूजप्रिन्ट मध्यप्रदेश	जन० १९५४	१४

प्रलोक क्षेत्र के उद्योगों पर योजना-काल में विकास एवं विस्तार कार्यक्रमों पर २३३ करोड़ रु० के व्यय का लक्ष्य था। वास्तविक विनियोजन भी इतना ही हुआ। विभिन्न उद्योगों के प्लान्ट एवं मशीनरी के प्रतिस्थापन एवं आधुनिकीकरण पर २३० करोड़ रु० व्यय का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक व्यय केवल १०५ करोड़ रु० हुआ। इस प्रकार निजी क्षेत्र के उद्योगों में नवीन विनियोजन की समस्त राशि २६३ करोड़ थी, जबकि लक्ष्य ३२७ करोड़ रुपये का था। २६३ करोड़ रुपये का विनियोजन विभिन्न उद्योगों में निम्न प्रकार हुआ—

तालिका सं० ३६—प्रथम योजना में निजी क्षेत्र में नवीन विनियोजन

उद्योग	योजना के अन्तर्गत विनियोजन का अनुमान करोड़ रु० में	वास्तविक विनियोजन करोड़ रु० में
धातु कर्म उद्योग (लोहा तथा इस्पात, अल्यूमीनियम, शीशा आदि)	८५.०	६१.०
पेट्रोलियम का शोधन	६४.०	४५.०
रसायन (भारी रसायन, खाद, औषधि आदि)	२६.०	२७.०
इंजीनियरिंग उद्योग (बड एवं लघु)	५३.०	४६.०
सूती वस्त्र उद्योग	६.०	२०.०
शक्कर उद्योग	०.१	५.०
रेयन वस्त्र उद्योग	१६.५	८.०
सीमेन्ट	१७.५	१७.५
नागज तथा गत्ता उद्योग (समाचार पत्र के कागज सहित)	७.४	१२.०
विद्युत् उत्पादन तथा वितरण (प्रलोक क्षेत्र में)	१६.०	३२.६
अन्य	३२.३	१८.६
	योग २२६.८	२६३.०

प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति निम्न प्रकार हुई—

तालिका सं० ४०—प्रथम योजना में औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य एवं पूर्ति

वस्तु	१९५०-५१ म उत्पादन	१९५५-५६ हेतु योजना लक्ष्य	१९५५-५६ वास्तविक उत्पादन	वृद्धि का प्रतिशत	लक्ष्य एवं वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत
इस्पात (लाख टन)	६८	१६५	१२८	३०.५	४५
पिंड लोहा (Pig Iron) (लाख टन)	१५७	२८३	१७.६	१३.७	१७
सीमेन्ट (लाख टन)	२६६	४८०	४५.६	७०.८	६०
अमोनियम सल्फेट (हजार टन)	४६३	४५०.३	३६४.०	७५.६५	८६
रेलवे एंजिन (इकाई)	३.०	१७३.०	१७६.०	५८६.७०	१०४
खूट-निर्मित वस्तुएं (हजार टन)	८२४.०	१२००.०	१०५४.०	२८.०	६१
मिल-निर्मित वस्त्र (दस लाख गज)	३७१८.०	४७००.०	५१०२.०	३७.२	१४१
साइकिल (हजार)	६७.०	५३०.०	५१३.०	४३०.०	६६

औद्योगिक उत्पादन में औसत वृद्धि ४८% हुई जो निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है—

	प्रतिशत वृद्धि १९५०-५१ से १९५५-५६
(१) पूंजीगत वस्तुएं	७०
(२) मध्यवर्ग की वस्तुएं (Intermediate Goods)	३४
(३) उपभोक्ता-वस्तुएं	३४

औसत वृद्धि का प्रतिशत ३८

यातायात एवं संचार—योजना के इस शीर्षक के अन्तर्गत ४६७ करोड़ रु० की राशि व्यय हेतु निर्धारित की गयी थी जो बाद में बढ़ा कर ५५७ करोड़ रु० कर दी गयी। इस राशि का यातायात एवं संचार की विभिन्न मदों में निम्न प्रकार विभाजन किया गया था—

तालिका स० ४१—प्रथम योजना में यातायात पर व्यय होने वाली राशि

भेद	व्यय करोड रुपयो मे
रेलवे	२६८
सड़के	१३०
सड़क यातायात	१२
बन्दरगाह तथा आश्रय स्थान	३५
जल यातायात	२६
वायु यातायात	२५
अन्य यातायात	३
डाक व तार	५०
अन्य संचार	५
आकाशवाणी (Broadcasting)	५

योग ५५७

उपयुक्त निर्धारित राशि में से केवल ५३२ करोड रुपया ही वास्तव में व्यय हुआ, जिसमें से २६७ करोड रु० रेलों पर, १४७ करोड रु० सड़कों पर, ७१ करोड रु० बन्दरगाहों, जल तथा अन्य यातायात पर और ४७ करोड डाक, तार व संचार पर व्यय हुआ। लगभग ३४० मील लम्बी टूटी-फूटी रेलवे लाइनों (जो मुड़-काल में बन्द कर दी गयी थीं) को सुधारा गया, ३८० मील लम्बी नवीन लाइनों का निर्माण हुआ तथा ४६ मील की लघु-पथ (Narrow Gauge) की लाइनों को मध्यम पथ (Meter Gauge) में परिवर्तित किया गया। राष्ट्रीय मार्ग (National Highways) १२.३ हजार मील (१९५०-५१) से बढ़कर १२.९ हजार मील हो गये। इसी प्रकार प्रान्तीय मार्ग (कच्चे तथा पक्के) २४८.५ हजार मील से बढ़ कर ३१६.७ हजार मील हो गये। योजना में जलयान-उद्योग के लिए १५ करोड रु० तक की आर्थिक सहायता का आयोजन था। तटीय एवं विदेशी समुद्री यातायात की सुविधाओं को योजना काल में ६ लाख ग्रीस रजिस्टर्ड टनेज (Gross Registered Tonnage) तक वृद्धि करने का लक्ष्य था। १९५५-५६ में वास्तविक सुविधाएँ ४ ८ लाख ग्रीस रजिस्टर्ड टनेज थीं। योजना में आकाशवाणी के क्षेत्र को तीन गुना करने का लक्ष्य था। तार एवं टेलीफोन सुविधाओं को बड़े बड़े नगरों में बढ़ाया गया तथा ग्रामीण क्षेत्र में नये डाकघर खोलने का आयोजन किया गया।

समाज सेवाएँ—३४० करोड रुपये की निर्धारित राशि को इस ढंग में

बढ़ा कर ३६७ करोड़ रुपये कर दिया गया। इस राशि का विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार विभाजन किया गया था—

तालिका सं० ४२—प्रथम योजना में समाज-सेवाओं पर व्यय होने वाली राशि

मद	व्यय करोड़ रुपये में
शिक्षा	१७४
स्वास्थ्य	१४०
गृह	४६
दलित-वर्ग-कल्याण	३०
समाज-कल्याण	५
धर्म तथा धर्म कल्याण	७
	३६७

इस शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक व्यय ३२६ करोड़ रुपये हुआ जिसमें से १५३ करोड़ रु० शिक्षा पर, १०१ करोड़ रु० स्वास्थ्य पर, ३५ करोड़ रु० गृह-निर्माण पर तथा ३७ करोड़ रु० दलित वर्ग तथा धर्म के कल्याण-कार्यों पर व्यय किया गया। १९५०-५१ में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या २०६'७ हजार थी जो १९५५-५६ में २५०० हजार हो गयी। इसी प्रकार प्राथमिक शालाओं में छात्रों की संख्या १८६४ लाख से बढ़ कर २४८.२ लाख हो गयी, जबकि योजना का लक्ष्य २५८० लाख था। ६ वर्ष से ११ वर्ष के बच्चों में शालाओं में जाने वाले १९५०-५१ में ४१.२% थे जो १९५५-५६ में ५१.१% हो गये जबकि योजना का लक्ष्य ६०% था। योजनावधि में तांत्रिक प्रशिक्षण की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई और इंजीनियरिंग तथा तान्त्रिक प्रशिक्षण की संस्थाओं के स्नातकों की संख्या २,२०० से बढ़ कर ३,७०० हो गयी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में ११३ हजार चिकित्सालय-शैयाएँ (Hospital Beds) १९५५-५६ में बढ़ कर १३६ हजार हो गयी तथा चिकित्सालयों की संख्या ८,६०० से बढ़ कर ९,८०६ हो गये।

राष्ट्रीय आय—प्रथम योजना का लक्ष्य योजना-काल के अन्त तक राष्ट्रीय आय में १३% वृद्धि करना था अर्थात् १९५०-५१ की राष्ट्रीय आय ८,८५० करोड़ रुपये (१९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर) को बढ़ा कर १०,००० करोड़ रु० करने का लक्ष्य था। योजना काल में राष्ट्रीय आय में १८.४% की वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में अर्थ-व्यवस्था का विकास नियोजित अनुमानों की

तुलना में १३ गुना अधिक हुआ। यद्यपि योजना काल में राष्ट्रीय आय की वृद्धि सन्तोषजनक थी, परन्तु वृद्धि की दर स्थिर नहीं थी। १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण अनुकूल जलवायु (Monsoon) कहा जा सकता है। अन्त के दो वर्षों अर्थात् १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में राष्ट्रीय आय की वृद्धि अत्यल्प थी। योजना काल में प्रति-व्यक्ति आय में १०.५% की वृद्धि हुई। योजना काल में राष्ट्रीय तथा प्रति-व्यक्ति आय की प्रगति निम्न प्रकार हुई—

तालिका सं० ४३—प्रथम योजना काल में राष्ट्रीय एवं व्यक्ति आय

वर्ष	राष्ट्रीय आय		प्रति व्यक्ति आय	
	प्रचलित मूल्यों पर	१९४८-४९ के मूल्यों पर	प्रचलित मूल्यों पर	१९४८-४९ के मूल्यों पर
१९५०-५१				
(आधार वर्ष)	६,५३०	८,८५०	२६५.२	२४६.३
१९५१-५२	६,६७०	६,१००	२८४.०	२५०.१
१९५२-५३	६,८२०	६,४६०	२६६.४	२५६.६
१९५३-५४	१०,४८०	१०,०३०	२८०.७	२६८.७
१९५४-५५	६,६१०	१०,२८०	२५४.२	२७१.६
१९५५-५६	६,६६०	१०,४८०	२६०.८	२७३.६

योजना काल में व्यावसायिक ढाँचे में भी परिवर्तन हुआ। कृषि से १९५०-५१ में राष्ट्रीय आय का ५१.३% भाग प्राप्त हुआ था, जबकि १९५५-५६ में यह प्रतिशत ४५.४ रह गया। दूसरी ओर उद्योग, वाणिज्य तथा अन्य सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि हुई। इस तत्व के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थ व्यवस्था का झुकाव कृषि के अनिश्चित अन्य व्यवसायों की ओर प्रारम्भ हो गया था। निम्न तालिका से यह स्पष्ट होगा कि विभिन्न व्यवसायों से राष्ट्रीय आय का कितना भाग प्राप्त हुआ—

तालिका सं० ४४—प्रथम योजना काल में राष्ट्रीय आय की विभिन्न व्यवसायों से प्राप्ति^१

मद	१९५०-५१	१९५०-५१	१९५५-५६	१९५५-५६
	आय	में राष्ट्रीय आय	आय	में राष्ट्रीय आय
	करोड़ रु० में	से प्रतिशत	करोड़ रु० में	से प्रतिशत
कृषि	४,८६०	५१.३	४५३०	४५.४
खनिज, निर्माण एवं लघु औद्योगिक इकाइयाँ	१,५३०	१६.१	१८५०	१८.५
वाणिज्य, यातायात एवं संचार	१,६६०	१७.७	१८८०	१८.८
अन्य	१,४४०	१५.१	१७३०	१७.३
योग	९,५५०		९,९९०	
शुद्ध उपाजित वंदेशिक आय	—२०		—	
शुद्ध आय	९,५३०		९,९९०	

उपभोग एवं विनियोजन—योजना काल में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गति तीव्र नहीं कही जा सकती है क्योंकि राष्ट्र के साधन सीमित थे तथा राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग अर्थात् ८०% उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जोड़ दिया गया था जिससे जनता के जीवन-स्तर में पर्याप्त वृद्धि हो सके। १९५०-५१ में ८,८५० करोड़ रु० की राष्ट्रीय आय में से लगभग ५२३ करोड़ रुपये पूँजी के निर्माण में तथा शेष ८,३२७ करोड़ रु० निजी तथा सरकारी उपभोग पर व्यय किया गया, १९५५-५६ में ९,११० करोड़ रुपये उपभोग के लिए तथा ८८० करोड़ रुपये पूँजी के संचय के लिए उपलब्ध होने का अनुमान था। दूसरे शब्दों में, योजना काल में समस्त उपभोग में ८% की वृद्धि हुई परन्तु निजी उपभोग की वृद्धि की दर इससे कम ही होगी, क्योंकि योजनावधि में सरकारी विकास व्यय दुगुना हो गया था।

अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का लगभग २०% भाग पूँजी संचय के लिए उप-योग होने की सम्भावना थी तथा लगभग २०% ही निजी उपभोग हेतु प्राप्त न

होने का अनुमान था। इस प्रकार निजी उपभोग में वृद्धि की दर ६% से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि योजना काल में जनसंख्या में भी वृद्धि का प्रतिशत भी यही मान लिया जाय तो उपभोग तथा सामान्य जीवन-स्तर में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। फिर भी खाद्यान्नों का उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति-दिन १६५०-५१ स २२ ६ ग्राम था जो १६५५-५६ में बढ़ कर १४४ ग्राम हो गया। इसी प्रकार कपड़े का उपभोग भी ६.७ गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से बढ़ कर १६४ गज १६५५-५६ में हो गया। औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के उपभोग में भी पर्याप्त वृद्धि हुई।

योजना में राष्ट्रीय आय के ५% विनियोजन को बढ़ा कर ७% का लक्ष्य था। पाँच वर्षों में ३५०० से ३६०० करोड़ रुपये तक विनियोजन करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था। सरकारी क्षेत्र में योजना काल में लगभग १५०० करोड़ रु० का तथा निजी क्षेत्र में १६०० करोड़ रु० का विनियोजन हुआ। इस प्रकार योजना के समस्त विनियोजन की राशि ३१०० करोड़ रु० थी। समस्त विनियोजन में शासकीय एवं निजी क्षेत्र का अनुपात ५०:५० था।

योजना के प्रथम दो वर्षों में विकास-व्यय कम रहा और तीसरे वर्ष से बढ़ना प्रारम्भ हुआ और अन्तिम दो वर्षों में यह व्यय सर्वाधिक था। यह समस्त योजना व्यय का ३ भाग था। इसी प्रकार शासकाय क्षेत्र के विनियोजन का ५०% से भी अधिक भाग योजना के दो अन्तिम वर्षों में हुआ।

रोजगार—योजना के कार्यक्रमों के फलस्वरूप जनसंख्या के व्यावसायिक ढाँचे में कोई विशेष परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं थी। योजना आयोग ने बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या को सीमित करने के लिए योजना में व्यय की राशि को लगभग ५०० करोड़ रुपये से बढ़ाया था। योजना आयोग के अनुमानानुसार रोजगार के अवसरों में निम्न प्रकार वृद्धि होने की सम्भावना थी—

	रोजगार अवसर (लाख)
१. उद्योग (लघु उद्योग सहित)	४०
२. सिंचाई तथा शक्ति की वृद्धि योजनाएँ	७.५
३. कृषि, अतिरिक्त सिंचाई के साधनों तथा भूमि-सुधार के कारण	२३.०
४. भवन तथा अन्य निर्माण कार्य	१०
५. सड़कें आदि	२.०
६. गृह-उद्योग	२०.०
७. अन्य तीसरे (Tertiary) क्षेत्र तथा स्थानीय कार्य	कोई अनुमान नहीं

इस प्रकार योजना काल के अंत में ७५ लाख रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना का अनुमान था। शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के बारे में योजना में बताया गया कि इनके लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसरों में वृद्धि तब ही हो सकती है जबकि औद्योगिक विकास की गति भविष्य में योजनाओं में तीव्र कर दी जाय। परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षित बेरोजगारों का अपन स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने के हेतु आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करने का आयोजन किया गया था। इसमें साथ ही जोर दिया गया कि शिक्षित समुदाय को शारीरिक श्रम वाले रोजगारों को घनादर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। योजना काल में रोजगार दरतरो में साथ रजिस्टर हुए बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही। मार्च १९५१ में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या ३३७००० में बढ़कर मार्च १९५६ में ७०५००० हो गयी। रोजगार के दरतरो में बेरोजगारों की पंजीयत संख्या दिल्ली नगरी में बेरोजगारों के एक भाग का ही प्रतिनिधित्व करता है। योजना आयोग के अनुमानानुसार १९५६ के प्रारम्भ में लगभग ५३ लाख बेरोजगार थे जिनमें से २५ लाख नगरों में तथा २८ लाख ग्रामों में बेरोजगार होने का अनुमान था।

मूल्यों की प्रवृत्ति—योजना के कार्यक्रमों की सफलताओं की स्थिरता अत्यंत आवश्यक होती है। मूल्यों में वृद्धि होने से विकास के समस्त अनुमान गलत हो जाते हैं तथा योजना के लक्ष्यों की पूर्ति कठिन हो जाती है। साथ ही मूल्यों में असाधारण वृद्धि होने से जनसाधारण के जीवन स्तर में वृद्धि होने के स्थान पर अघात होता है। मूल्यों की गतिशीलता के अध्ययन हेतु हम मुद्रा की पूर्ति का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। योजना के प्रथम दो वर्षों में मुद्रा की पूर्ति में वास्तव में कमी हुई परन्तु योजना के अन्त में प्रथम के साथ साथ मुद्रा की पूर्ति में योजना के अंत में तीन वर्षों में वृद्धि हुई। योजना काल में जनता के पास मुद्रा की पूर्ति में २०८ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का मुख्य कारण हीनाथ प्रयत्न था। योजना काल में मुद्रा की मात्रा में निम्न प्रकार वृद्धि हुई।^१

तालिका स० ४५—प्रथम योजना काल में मुद्रा की पूर्ति

वर्ष	वित्तीय वर्ष के अन्तिम गुरुवार को	जनता के पास मुद्रा का पूर्ति करो० ह० में
१९५०-५१		१ ६७२
१९५१-५२		१ ८०४
१९५२-५३		१ ७६५
१९५३-५४		१ ७८४
१९५४-५५		१ ६२१
१९५५-५६		१ १८०

मूल्यों में लगभग उसी प्रकार परिवर्तन हुए जिस प्रकार कि मुद्रा की पूर्ति में अर्थात् योजना के प्रथम दो वर्षों में मूल्य में कमी हुई तथा माच १९५१ तथा माच १९५३ के मध्य में थोक मूल्यों का सूचक ४५० से कम होकर २७८ रह गया। मूल्यों में कमी का मुख्य कारण अधिक आयात मुद्रा-रफ़्त की कम करने की आवश्यकता तथा अर्थ मौद्रिक प्रतिबन्ध था। इसी समय कोरिया के युद्ध के बन्द होने की सम्भावनाओं के कारण संसार में चला किये गये सग्रह को विक्रय करने का प्रवृत्ति जाग्रत हुई फरवरी माच १९५२ तक भारत के बाजारों में वस्तुओं का आभाव हो गया। सरकार का इन समय मूल्यों में कमी को रोकने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी। कच्ची ऊन तथा तिलहन पर स नियान कर हटा दिया गया तथा जूट की वस्तुओं एवं कच्ची कपास पर नियान कर कम कर दिया गया। इसके साथ ही नाना विभिन्न वस्तुओं के वितरण पर नियंत्रण को ढीला कर दिया गया। इन सब आवश्यकतियों से सितम्बर १९५२ में मूल्यों का सूचक ३८८ हो गया। अन्ततः माच १९५२ से मूल्यों में वृद्धि होना प्रारम्भ हुआ और अगस्त १९५३ तक मूल्यों का स्तर में १२८% की वृद्धि हो गयी। योजना काल में अन्तकाल मानसून के कारण कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन में भी उत्पादन सत्तापजनक रहा। इस कारण से सितम्बर १९५३ से जून १९५५ तक कृषि उत्पादन में मूल्यों में बड़ा कमी हुई। माच १९५५ में थोक मूल्यों का सामान्य निर्देशांक (१९३८=१००) ३४२ था। जून १९५५ के तासरे सप्ताह से मूल्यों में निरन्तर वृद्धि प्रारम्भ हो गयी। इसी कारण योजना का अर्थ अन्तिम ६ मास में अत्यधिक रहा। योजना के अन्तिम वर्ष में इसी कारणों से हीनाथ प्रवचन १७० करोड़ ह० का करना पड़ा। योजना काल के अन्त में प्रारम्भ का तुलना में मूल्यों में लगभग १३% की कमी हुई। थोक मूल्यों के सूचक की गति योजना काल में निम्न प्रकार रही—

(आधार अगस्त १९३६ = १००) वित्तीय वर्ष के अन्तिम सप्ताह में

१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६
४५०	३७८	३८५	३६७	३४७	३६०

योजना की असफलताएँ

प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इसके साथ ही राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हुए। जन-साधारण में भी राष्ट्र के विकास के प्रति रुचि उत्पन्न हो गयी तथा योजना के प्रति जागरूकता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। योजना द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की न्यूनता में भी पर्याप्त सुधार हो गया और अर्थ साधनों में गतिशीलता भी उत्पन्न हो गयी। सामान्यतः योजना को एक सफल कार्यक्रम कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी। परन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों के विचार में योजना को निम्नलिखित दृष्टि बिन्दुओं से असफल कहा जा सकता है—

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना ऐसे वातावरण में बनायी गयी थी जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं और विशेषकर खाद्यान्नों की अत्यन्त कमी थी तथा अर्थ-व्यवस्था पर युद्ध एवं विभाजन के पश्चात् की कठिनाइयों का दबाव अत्यधिक था। इन कठिनाइयों का समापन करना राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य था। इन्हीं कारणों से प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्यतः पुनर्निर्माण एवं पुनर्वासि (Rehabilitation) का कार्यक्रम था, जिसमें तत्कालीन न्यूनता की पूर्ति का पर्याप्त विनियोजन एवं संगठन सम्बन्धी प्रयासों द्वारा आयोजन किया गया था। योजना के लक्ष्य इसी कारण से कम रखे गये थे। राष्ट्रीय आय में योजना काल में १३% वृद्धि होना अनुमान था, जबकि वास्तविक वृद्धि लगभग १८% हुई। खाद्यान्न, तिलहन, रेलवे एंजिन, मिला का बना कपड़ा आदि में उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ। अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई जा लक्ष्य के लगभग बराबर ही थी। उत्पादन तथा आय में सम्भावना से अधिक वृद्धि का एकमात्र कारण योजना का विनियोजन कार्यक्रम एवं संगठन सम्बन्धी परिवर्तन ही नहीं थे, इस वृद्धि का कुछ भाग साख्य के क्षेत्र के बढ़ जाने तथा योजना काल में अनुकूल मानसून की उपस्थिति के कारण हुआ था। इन दोनों तत्त्वों को दृष्टिगत करते हुए राष्ट्रीय आय की वृद्धि (योजना के कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप) १० या १२% ही समझनी चाहिए। दूसरी ओर अर्थ व्यवस्था में जो विकास योजना काल में हुआ, वह दीर्घकालीन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस उप्रति का काफी भाग आवस्मिक घटनाओं के घटित होने अथवा घटित न होने पर निर्भर है।

(२) योजना बनाते समय प्रत्येक क्षेत्र में अपूर्णता का वातावरण था और इसी वातावरण को प्रधान लक्षण मानकर योजना का कार्यक्रम एवं लक्ष्य निर्धारित किये गये । योजना में ऐसे आयोजन नहीं किये गये जिनके द्वारा आकस्मिक अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों का पूर्णतम उपयोग किया जा सके । उत्पादन की अतिरिक्त वृद्धि को आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाना आवश्यक होता है, अन्यथा उत्पादन की वृद्धि का उपयोग उपभोग में अथवा अपव्यय में हो जाता है । इस प्रकार अनुमान से अधिक उत्पादन-वृद्धि का उपयोग नियोजित विनियोजन (Planned Investment) तथा व्यवस्था द्वारा आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में पूर्णतम नहीं हुआ । आकस्मिक उद्भूत घटकों में जो विकास के अवसर प्रदान किये उनका पूर्णतम उपयोग नहीं किया गया । अर्थव्यवस्था का ढाँचा इस प्रकार का होना चाहिए था कि जिसमें अनुकूल परिस्थितियों का स्वतः विकास में उपयोग हो जाता अर्थात् अतिरिक्त उत्पादन का अधिकतर भाग पूँजी-निर्माण की ओर आकर्षित हो जाता ।

(३) योजना बनाते समय योजना आयोग ने प्रत्यक्ष बेरोजगारी की समस्या पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, यद्यपि अदृश्य बेरोजगारी एवं अर्ध-बेरोजगारी के दबाव को कम करने के लिए आयोजन किया गया था । परन्तु बाद में बेरोजगारी का निवारण करने लिए लगभग ३०० करोड़ रु० का आयोजन किया गया । योजना काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई । विनियोजन की वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई । योजना आयोग के अनुमान के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ५६ लाख व्यक्ति बेरोजगार थे । यह अनुमान है कि योजना काल में जनसंख्या में ११% प्रतिवर्ष वृद्धि हुई और लगभग इतनी ही वृद्धि श्रम-शक्ति में भी होने का अनुमान लगाया जा सकता है । इस प्रकार योजना काल में लगभग ६० लाख श्रमिकों की वृद्धि हुई होगी जबकि योजना के अन्त में ५६ लाख व्यक्ति बेरोजगार होने का अनुमान है । यदि यह मान लिया जाय कि प्रथम योजना के प्रारम्भ में प्रत्यक्ष बेरोजगारी की समस्या नहीं के समतुल्य थी तो योजना काल में रोजगार के अवसरों में ३४ लाख की वृद्धि हुई होगी । इन अनुमानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्रम में वृद्धि की मात्रा के लगभग आधे के समतुल्य ही प्रथम पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई । इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या का निवारण प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा न हो सका ।

(४) उद्योगों के विकास हेतु योजनाआय में अत्यन्त अल्प राशि निर्धारित की गयी थी । उद्योगों की अर्थ सम्बन्धी आवश्यकता को ही अधिक महत्त्व दिया

गया था। औद्योगिक क्षेत्र की अग्र समस्याओं, जैसे सन्तुलित औद्योगिक विकास, उत्पादन क्षमता का पूर्णतम उपयोग, उत्पत्ति के विपरीत की सुविधाओं आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। योजना काल में भी बहुत से उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता के केवल ६०% भाग का ही उपयोग करते रहे।

(५) शासकीय क्षेत्र का अग्र साधन संचय करने के साथ साथ प्राप्त साधनों का ब्यय करने में भी कठिनाई हुई। इसलिए हम दखत हैं कि लोक क्षेत्र की मरम्मत निर्धारित राशि २,३१६ करोड़ ६० मं. केवल १,८६० करोड़ ६० ही वास्तविक व्यय हुआ। योजना क संचालन का भार ऐसे शासकीय संगठनों को सौंपा गया जो त्रिभुज काल में गठित हुए उपयुक्त थे। विनाम के कार्यक्रमों का संचालन एस. डी. सि. द्वारा किया जाना पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हो सकती थी। व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन नहीं हुए मंत्र जिससे इस व्यवस्था द्वारा प्रवर्धन एवं साहस सम्बन्धी कार्यों को भी सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके।

उपयुक्त असफलताओं को कोई गम्भीर महत्त्व नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इन असफलताओं का तुलना में योजना की सफलता अत्यधिक सराहनीय है। योजना की सर्वप्रमुख सफलता यह है कि योजना द्वारा विकास का प्रारम्भ हो गया था तथा भविष्य में अग्र वाली योजनाओं के लिए एक मार्ग निर्मित हो गया था।

अध्याय ११

द्वितीय पंचवर्षीय योजना [१]

[प्रारम्भिक, समाजवादी प्रकार का समाज, उद्देश्य, योजना का व्यय एव प्राथमिकताएँ, अर्थ प्रबन्ध, योजना के लक्ष्य एव कार्यक्रम, कृषि एव सामुदायिक विकास, सिंचाई एव शक्ति, औद्योगिक एव खनिज विकास, यातायात एव संचार, समाज सेवाएँ]

प्रारम्भिक

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति के पूर्व ही द्वितीय योजना की नीतियों एव कार्यक्रमों पर विचार किया जाने लगा था। प्रथम योजना द्वारा देश की अर्थ व्यवस्था में यत्न-तत्प समायोजन करके उत्पादन में वृद्धि एव विषमताओं को कम करने के लक्ष्यों की पूर्ति करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य की योजनाओं को दृढ पृष्ठभूमि प्राप्त हो सके तथा इनकी व्यवस्था निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर की जा सके। द्वितीय योजना के कार्यक्रम निर्धारित करने के पूर्व यह निश्चय करना अत्यन्त आवश्यक था कि देश में किस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था का निर्माण किया जाय। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया और राष्ट्र की सांस्कृतिक एव परम्परागत प्रवृत्तियों को दृष्टिगत करते हुए यह निश्चय किया गया कि समाजवाद का कठोर स्वरूप भारत के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसी पृष्ठभूमि में 'समाजवादी प्रकार के समाज' (Socialistic Pattern of Society) की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ।

समाजवादी प्रकार का समाज

'समाजवादी प्रकार के समाज' का विचार सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् में भाषण देते हुए नवम्बर १९५४ में प्रकट किया गया। लोकसभा ने १९५४ के शीतकालीन अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया कि देश की आर्थिक एव सामाजिक नीतियों का उद्देश्य राष्ट्र में समाजवादी प्रकार के समाज का निर्माण करना

होगा। जन-समुदाय के भौतिक कल्याण द्वारा ही देश को उन्नतिशील नहीं बनाया जा सकता है। भौतिक सम्पन्नता तो केवल साधन मात्र है जो प्रगति-शील, विद्वत्तापूर्ण एवं सांस्कृतिक जीवन के निर्माण में सहायक होती है। आर्थिक विकास द्वारा राष्ट्र को उत्पादन क्षमता में विस्तार के साथ-साथ देश में ऐसे वातावरण का भी निर्माण होना चाहिए, जिसमें मानवीय शक्तियों एवं इच्छाओं का अनावरण करने तथा प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध हों। इस प्रकार समाज के विकास कार्यक्रमों एवं आर्थिक क्रियाओं को प्रारम्भ से ही समाज के अन्तिम उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। अर्ध-विकसित राष्ट्रों में वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में भौतिक सम्पन्नता प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होता है अपितु समाज की व्यवस्था में संस्थनीय (Institutional) परिवर्तन करना भी वांछनीय होता है। ये संस्थनीय परिवर्तन एक नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यन्त आवश्यक होते हैं।

भारत में उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत करते हुए राज्य के उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया गया है। राजकीय नीति निर्धारक तत्वों (Directive Principles of State Policy) द्वारा राज्य के कर्तव्यों का विश्लेषण भी किया गया है। इन तत्वों के अनुसार राज्य को ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय राष्ट्र के समस्त नागरिकों को उपलब्ध हो। इन्हीं आधारभूत नीति निर्धारक तत्वों को अधिक मूहम करके लोकसभा में दिसम्बर १९५४ में समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना राजकीय नीतियों के अन्तिम उद्देश्य के रूप में स्वीकार दी गयी।

अखिल भारतीय कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन में २२ जनवरी १९५५ को स्वर्गीय पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त ने आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव द्वारा निम्नांकित सिफारिशें की गयी—

(१) भारत का आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्य एक समाजवादी प्रकार के समाज का निर्माण होना चाहिए।

(२) जन साधारण के जीवन-स्तर एवं उत्पादन के स्तर में वृद्धि होनी चाहिए।

(३) दस वर्षों में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए।

(४) राष्ट्रीय धन का समान वितरण होना चाहिए।

(५) आर्थिक नियोजन द्वारा जन-साधारण की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए।

समाजवादी प्रकार के समाज का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया गया कि यह

एक ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था होगी जिसमें व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ को अधिक महत्व दिया जायगा। इस व्यवस्था में विकास का प्रकार एवं आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाओं को इस प्रकार योजना-बद्ध किया जायगा कि राष्ट्रीय आय एवं रोजगार की वृद्धि के साथ-साथ धन एवं धाय की विपमताओं को भी कम करने का आयोजन हो सकेगा। उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनियोजन तथा अन्य समस्त आर्थिक एवं सामाजिक विषयों के हेतु नीति-निर्धारण सामाजिक हित से सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा ही किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास का लाभ अधिक से अधिक समाज के पिछड़े हुए वर्गों को प्राप्त होना चाहिए तथा धन, धाय एवं आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीयकरण में निरन्तर कमी होनी चाहिए। सामाजिक एवं आर्थिक प्रारूप में इस प्रकार परिवर्तन किये जाने चाहिए कि जिसमें निम्न वर्ग के व्यक्तियों को, जो अभी तक अवसरहीन हैं तथा जिन्हें संगठित प्रयासों द्वारा आर्थिक सम्पन्नता में सहयोग देने के अवसर प्रदान नहीं किये गये हैं, अपना जीवन स्तर सुधारने एवं राष्ट्र को सम्पन्न बनाने के लिए अधिक कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकें। इस विधि द्वारा निम्न वर्ग के जन-समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में उन्नति हो सकती है। वे परिस्थितियाँ जिनमें कोई व्यक्ति जन्म लेता है अथवा अपना जीवन न्यून व्यवसाय से प्रारम्भ करता है, उसकी उन्नति एवं सम्पन्नता में बाधक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए राज्य द्वारा उपयुक्त वातावरण एवं परिस्थितियाँ उत्पन्न की जानी चाहिए। इन परिस्थितियों के निर्माणार्थ शासकीय क्षेत्र का विस्तार एवं विकास अत्यावश्यक होगा। शासकीय क्षेत्र को केवल उन्हीं अवस्थाओं का विकास नहीं करना चाहिए, जिनके विकास के लिए व्यक्तिगत क्षेत्र तत्पर न हो प्रत्युत् उसे समस्त शासकीय एवं व्यक्तिगत विनियोजन का प्रकार निर्धारित करना चाहिए। दूसरी ओर, व्यक्तिगत क्षेत्र को समाज द्वारा स्वीकृत नीतियों एवं योजनाओं के प्रारूप की सीमाओं में कार्य करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए।

समाजवादी प्रकार के समाज को एक स्थिर एवं कठोर व्यवस्था नहीं समझना चाहिए। इस व्यवस्था में राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों को समय-समय पर ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार निश्चित किया जायगा। इसमें प्रयोगात्मक कार्यवाहियों को भी उचित स्थान प्राप्त होगा। शासकीय क्षेत्र के विस्तार द्वारा नीति निर्धारण करने की शक्तियों के केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा। वास्तव में शासकीय व्यवसायों

को स्वतन्त्रता के साथ विस्तृत नियमों के अन्तर्गत वाय वरने के अवसर प्रदान किये जायेंगे। इनका संगठन एवं प्रबन्धन इस प्रकार का होगा कि जिसमें प्रयोगात्मक कार्यवाहियों की आवश्यकता होगी। ये ही नियम समाज के समस्त क्षेत्रों पर लागू होंगे।

समाजवादी प्रकार की व्यवस्था द्वारा निम्नलिखित प्रत्यक्ष उद्देश्यों की पूर्ति की जायगी—

(१) समाजवादी प्रकार के समाज का आधारभूत उद्देश्य देश में अवसर की समानता तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आधार पर एक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है।

(२) इस समाज जाति, समुदाय, लिंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर आधारित भेद-भाव दूर कर दिया जायगा और प्रत्येक कार्य करने वाल्य व्यक्ति का जीविकाप्राप्त करन के अवसर प्रदान किये जायेंगे। दूसरे शब्दों में समाजवादी प्रकार के समाज का उद्देश्य पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना है।

(३) राज्य समाज के मुख्य उत्पादन के साधनों एवं बचत माल के साधनों को अपने अधिकार अथवा प्रभावशाली नियन्त्रण में इसलिए रखेगा कि इनका उपयोग अधिकतम राष्ट्रीय हित के लिये किया जा सके।

(४) समाज अर्थ-व्यवस्था का संगठन इस प्रकार करेगा कि इसके द्वारा धन एवं उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरण सामान्य अहित के लिये न हो सके।

(५) देश के समस्त राष्ट्रीय धन के उत्पादन में वृद्धि एवं द्रुत गति के लिये विधिवत् प्रयत्न किये जायेंगे।

(६) राष्ट्रीय धन का समान वितरण करना आवश्यक होगा जिससे वर्तमान आर्थिक विषमताओं में अधिकतम कमी की जा सके।

(७) वर्तमान सामाजिक एवं सामाजिक ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन शांति-पूर्ण एवं प्रजातांत्रिक विधियों द्वारा किये जायेंगे।

(८) समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना के लिये आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता विवेकीयकरण करना आवश्यक होगा जिसके लिये ग्रामीण पंचायतों एवं लघु एवं गृह उद्योगों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जायगा।

अखिल भारतीय कांग्रेस ने समाजवाद एवं समाजवादी प्रकार के समाज में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर बताये हैं। समाजवादी प्रकार का समाज उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन समाज के अधिकार एवं नियन्त्रण में हों, जहाँ उत्पादन में निरन्तर वृद्धि की जाय तथा जहाँ राष्ट्रीय धन का समान वितरण हो। दूसरी ओर समाजवाद में अवसर की समानता, उत्पादन लगभग समस्त साधनों पर सामाजिक अधिकार एवं नियन्त्रण, व्यक्तिगत

साहस की समाप्ति, व्याक्तगत सम्पत्ति की समाप्ति, भ्राय का समान वितरण आदि निहित हैं। समाजवादी प्रकार के समाज की व्यवस्था यद्यपि पूँजीवाद एवं समाजवाद का सम्मिश्रण होती है, परन्तु इसके उद्देश्य समाजवाद के समान ही होने हैं। समाजवादी प्रकार के समाज का मुख्य उद्देश्य भ्रवसर, धन एवं भ्राय का समान वितरण होता है, परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो विधियाँ अपनायी जायगा, व समाजवाद का विधिया से कुछ भिन्न होगी। समाजवाद में व्यक्तिगत साहस, व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं व्यक्तिगत लाभ को सबथा समाप्त कर दिया जाता है और भ्रय-व्यवस्था पर राज्य का सम्पूर्ण अधिकार एवं नियन्त्रण हाता है। इस प्रकार समाजवाद द्वारा आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता का केन्द्रीयकरण राज्य के हाथों में हा जाता है। समाजवादी प्रकार के समाज में व्याक्तगत एवं शासकाय दाना साहस भ्रय-व्यवस्था में स्थान प्राप्त करत है तथा इस प्रकार एक मिश्रित भ्रय व्यवस्था का निर्माण करन का उद्देश्य हाता है जिसमें आधारभूत उत्पादन के साधनों एवं क्षत्रों पर अधिकार एवं नियन्त्रण शासकाय क्षत्र का होगा तथा अन्य क्षत्रों में व्यक्तिगत साहसिया की शासकीय नियमन एवं राष्ट्रीय नीतिया के अनुसार काय करन का भ्रवसर दिया जायगा।

श्री श्रीमन्नारायण न ११ जून १९५५ को समाजवादी प्रकार के समाज पर आकाशवाणी से भाषण करत हुए कथित समाज-व्यवस्था के निम्नांकित सात सिद्धान्त स्पष्ट किये—

(१) पूर्ण रोजगार—समाजवादी प्रकार के समाज का स्थापना करन के लिए पूर्ण रोजगार का प्रबन्ध किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। दस के प्रत्येक काय करन योग्य व्यक्ति को अपनी जाविकोपाजन हेतु लाभप्रद रोजगार मिलना चाहिए। इस समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना की जानी चाहिए कि प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष पारश्रम द्वारा अपनी जाविका उपाजित करे।

(२) राष्ट्रीय धन का अधिकतम उत्पादन—दस के आर्थिक जीवन का संगठन इस प्रकार किया जाय कि उपभोक्ता-वस्तुओं के समस्त उत्पादन में वृद्धि हो, परिणामस्वरूप जीवन-स्तर में वृद्धि हो सक। यह विचार करना उचित नहीं है कि लघु एवं ग्रामाण उद्योगों के विकास, जो कि पूर्ण रोजगार के हेतु आवश्यक हैं, के फलस्वरूप दस के जीवन-स्तर में कमी रहगा। विकसित उत्पादन की जो औद्योगिक सहकारिता समितिया द्वारा किया जायगा, उत्पादन लागत बढ कारखाना का उत्पादन लागत से घाटव होना आवश्यक नहीं है। समाजवादी प्रकार के समाज में पूर्ण उत्पादन पूर्ण रोजगार द्वारा ही हो सकता है।

(३) अधिकतम राष्ट्रीय आत्म निर्भरता—एक राष्ट्र पूर्ण रोजगार

एव उत्पादन में वृद्धि निर्माण अर्थ-व्यवस्था द्वारा पट्टीसी अर्थ-विकसित राष्ट्रों का शोषण करके प्राप्त कर सकता है। परन्तु ऐसे समाज को, जो आन्तरिक समाजवाद की स्थापना विदेशों का आर्थिक शोषण करने करता हो, वास्तविक रूप में समाजवादी समाज नहीं कहा जा सकता है।

(४) आर्थिक एव सामाजिक न्याय—भारतीय समाज में सामाजिक विषमताएँ एव अन्य प्रकार के अन्यायों के निवारण के साथ-साथ अधिक आर्थिक समानता की भी आवश्यकता है। समाजवादी प्रकार के समाज की सुदृढ़ आवागमिता के लिए धनी एव निर्धन के अन्तर को दूर करना आवश्यक है।

(५) समाजवादी प्रकार के समाज में शान्तिपूर्ण, अहिंसक तथा लोकतंत्रीय विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। समाजवादी एव साम्यवादी राष्ट्रों में समाजवाद की स्थापना में वर्ग-युद्ध (Class Conflict), हिंसा एव संन्याकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। भारत में इस प्रकार की किसी विधि के उपयोग का विचार नहीं है।

(६) ग्रामीण पंचायतो एव औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना द्वारा आर्थिक एव राजनीतिक शक्ति का विकेन्द्रीयकरण समाजवादी समाज का एक-मूल सिद्धान्त है। अहिंसक एव प्रजातान्त्रिक समाज में नियोजित व्यवस्था की स्थापना केन्द्रित एव यंत्रीकृत उत्पादन द्वारा सम्भव नहीं हो सकती। अधिक केन्द्रीयकरण द्वारा आर्थिक एव राजनीतिक शक्तियों का कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित होना अनिवार्य हो जाता है।

(७) जनसंख्या के अत्यन्त निर्धन एव न्यूनतम वर्गों की तीव्रतम आवश्यकताओं को अधिकतम प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। जो सर्वाधिक दरिद्र व्यक्ति हैं, उन्हें सर्वाधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए और जो समाज में उच्च स्थान रखते हैं, उन्हें हमारी समाजवादी प्रकार के समाज की योजनाओं में अन्तिम स्थान मिलना चाहिए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों का उद्देश्य देश में समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना की ओर प्रयास करना निश्चित किया गया। समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना द्वारा जीवन-स्तर में वृद्धि करना, समस्त जन-समुदाय को भवसरो की समान उपलब्धि में वृद्धि करना, पिछड़े वर्गों में उत्साह एव साहस उत्पन्न करना तथा समाज के समस्त वर्गों में सहकार भावना जाग्रत करना आदि उद्देश्यों की पूर्ति की जानी थी।

उद्देश्य

प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलताओं की पृष्ठभूमि पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनायी गयी । इस योजना का कार्यक्रम १ अप्रैल सन् १९५६ को प्रारम्भ हुआ । प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा जो विकास हुआ, उसे दृढ़ बनाने एवं उसकी गति में तीव्रता लाने के लिए द्वितीय योजना के कार्यक्रम निश्चित किये गये । द्वितीय योजना के प्रारम्भ होने पर योजना कमीशन ने बताया कि प्रथम योजना द्वारा जो प्रगति की नीव सफलतापूर्वक डाली गयी है, उसी नींव पर अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास तीव्रता के साथ द्वितीय योजना द्वारा किया जायगा । प्रथम योजना ने जिस विकास की विधि का प्रारम्भ किया है, उस विधि की अगली अवस्थाओं की प्राप्ति द्वितीय योजना द्वारा हो सकेगी । द्वितीय योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न थे—

(१) देश में जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि ।

(२) द्रुतगति से औद्योगीकरण करना, जिसमें आधारभूत एवं मूल उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया ।

(३) रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, तथा

(४) आय एवं सम्पत्ति की असमानता को कम करना तथा आर्थिक क्षमता का अधिक समान वितरण करना ।

उपरोक्त समस्त उद्देश्य एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं जीवन स्तर का उत्थान तब तक नहीं हो सकता जब तक उत्पादन एवं विनियोजन में पर्याप्त वृद्धि न हो । इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामाजिक एवं आर्थिक आधार का निर्माण, खानों का विद्योहन एवं विकास, इस्पात, कोयला, यन्त्र निर्माण, भारी रसायन आदि आधारभूत उद्योगों का विकास अत्यन्त आवश्यक है । इन सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास करने के लिए उपलब्ध जन-शक्ति एवं प्राकृतिक साधनों का अधिकतम एवं लाभप्रद उपयोग होना चाहिए । भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ जन शक्ति का आधिक्य है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना स्वाभाविक है । दूसरी ओर आर्थिक विकास के साथ कुछ आधारभूत सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति भी होनी चाहिए । इस प्रकार आर्थिक विकास के साथ सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को लोक-तन्त्रीय विधि द्वारा कम करना आवश्यक है । आर्थिक उद्देश्यों को सामाजिक उद्देश्यों से पृथक् नहीं किया जा सकता है क्योंकि आर्थिक क्रियाएँ सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन होती हैं ।

राष्ट्रीय आय—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में २५% वृद्धि करने का आयोजन किया गया अर्थात् आय में प्रति वर्ष ५% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। यह वृद्धि की दर प्रथम पंचवर्षीय योजना से लगभग दुगुनी है। प्रति व्यक्ति आय भी २७३१६ रु० (१९५५-५६) से बढ़ कर ३३० रु० (१९६०-६१) होने का अनुमान है। इस प्रकार द्वितीय योजना काल में प्रति व्यक्ति आय में १८% वृद्धि होने की सम्भावना थी जबकि प्रथम योजना में यह वृद्धि १०% थी। समस्त राष्ट्रीय उत्पादन १०, ८०० करोड़ रु० (प्रचलित मूल्यों पर) से बढ़ कर १३,४८० करोड़ रु० योजना के अन्त तक होने का अनुमान था। इस राष्ट्रीय उत्पादन के लक्ष्य में ६,१७० करोड़ रु० कृषि से, २,९१० करोड़ रु० औद्योगिक क्षेत्र से तथा ४,४०० करोड़ रु० व्यापार तथा अन्य तृतीय प्रकार (Tertiary) के व्यवसायों में उत्पादित होने की सम्भावना थी।

औद्योगीकरण—शोध औद्योगीकरण के लिए द्वितीय योजना में विनियोजन के प्रकार में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने का लक्ष्य था। उद्योगों पर व्यय होने वाली राशि ८९१ करोड़ रु० निर्धारित की गयी है जो प्रथम योजना की राशि १७९ करोड़ रु० से लगभग पाँच गुनी है। प्रथम योजना के समस्त व्यय का ७% भाग उद्योगों पर व्यय होना था जबकि द्वितीय योजना में यह १९% रखा गया। दूसरी ओर प्रथम योजना की ३३% राशि कृषि एवं सिंचाई के लिए निर्धारित की गयी थी, जबकि द्वितीय योजना में इस मद पर योजना के समस्त व्यय की २१% (१,०२३ करोड़ रु०) राशि व्यय की जानी थी। इस प्रकार द्वितीय योजना में उद्योगों के विकास को अत्यधिक महत्त्व दिया गया था। रहन-सहन का निम्न-स्तर, बेरोजगारी एवं अर्ध-बेरोजगारी तथा अधिकतम एवं असत व्यक्तिगत आय में अधिक अन्तर अर्ध विकसित अर्थ-व्यवस्था का परिचय देते हैं और अर्थ-व्यवस्था को कृषि पर निर्भरता की ओर सकेत करते हैं। ऐसी अर्थ-व्यवस्था का विकास करने के लिए शोध औद्योगीकरण की आवश्यकता होती है। शोध औद्योगीकरण के लिए देश में आधारभूत एवं यंत्र-निर्माण उद्योगों के विस्तार एवं विकास की आवश्यकता होती है। अतः पूर्वा-गत-वस्तुओं एवं मशीन-निर्माण उद्योगों के विकास को योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया।

रोजगार—योजना में ८० लाख व्यक्तियों को कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों तथा २० लाख को कृषि में रोजगार प्राप्त कराने का आयोजन किया गया। योजना के कार्यक्रमों एवं विनियोजन के फलस्वरूप खनिज, कारखानों, निर्माण, व्यापार, यातायात एवं सेवाओं में श्रमिकों की अधिक आवश्यक-

कता होगी तथा नवीन श्रमिकों को कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में रोजगार के अवसर प्रदान किये जा सकते थे। इसके साथ ही कृषि तथा ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में अर्ध-रोजगार का निवारण किया जा सकेगा। इस प्रकार देश के व्यावसायिक ढाँचे में कुछ सुधार होने की सम्भावना थी। योजना काल में प्राथमिक व्यावसायिक क्षेत्र से माध्यमिक तथा तृतीय व्यावसायिक क्षेत्रों में श्रम को ले जाना आवश्यक होगा। योजना में सिंचाई, भूमि-सुरक्षा, पशुओं में सुधार तथा कृषि-सुधार के हेतु पर्याप्त कार्यक्रम थे। इसके साथ ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास का आयोजन भी किया गया था। इन सब आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्र के अर्ध रोजगार का बहुत बड़ी सीमा तक निवारण सम्भव होगा। योजना में लगभग उतने ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का आयोजन किया गया था जितना कि योजना काल में नवीन श्रमिक-शक्ति में वृद्धि का अनुमान था। इस प्रकार प्रथम योजना के अवशिष्ट बेरोजगारों, जिनकी संख्या ५६ लाख अनुमानित थी, को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किये जा सकेंगे। योजना में निर्माण कार्यक्रम को विस्तृत करने का आयोजन था और निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों में रोजगार के अवसरों की आवश्यकता-नुसार परिवर्तन किये जा सकते थे। निर्माण कार्यक्रमों के रोजगार के अवसर अस्थायी होने हैं, इसलिए इस बात का प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया जाना था कि एक निर्माण कार्य संपूর্ণ होए श्रमिकों को अन्य निर्माण-कार्य में रोजगार प्रदान किया जा सके।

रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करने को अधिक प्राथमिकता दी गयी थी किन्तु रोजगार में वृद्धि करने के लिए एक ओर औजार एवं उत्पादक सामग्री में और दूसरी ओर उपभोक्ता-वस्तुओं में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। यदि आर्थिक विकास हेतु उत्पादक एवं पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को आवश्यक समझा जाय तो देश की जन शक्ति का लाभप्रद उपयोग करने के लिए उपभोक्ता-वस्तुओं, जैसे खाद्यान्न, वस्त्र, जूँकर, निवास-गृह आदि के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होना आवश्यक होता है। जब बेरोजगारी को लाभप्रद रोजगार दिया जाता है तो एक ओर उन्हें यत्न, मशीनें एवं अन्य उत्पादक वस्तुएं चाहिए, जिन पर वह कार्य करे तथा दूसरी ओर उनको जो आय हो, उससे वह जो उपभोक्ता-वस्तुओं का क्रय करना चाहे, उसको पूर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना रोजगार का मुख्य अंग हो जाता है। इसी कारण से बेरोजगारी को समस्या उन्हीं राष्ट्रों में निश्चितरूप धारण कर लेती है जिनमें कि उत्पादन-क्षमता कम होती है। यद्यपि भारत जैसे देश में जहाँ

जन-शक्ति का बाहुल्य है, अधिक श्रम का उपयोग करने वाली उत्पादन की विधियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, फिर भी कुछ क्षेत्रों में श्रम की बचत करने वाले उत्पादन के तरीकों का उपयोग करने से ही रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं।

विपमताओं में कमी—योजना में आय तथा धन के असमान वितरण को कम करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम निश्चित किये गये। योजना आयोग द्वारा कर देने के पश्चात् व्यक्तिगत शुद्ध आय की अधिकतम सीमा को निश्चित करना आवश्यक बताया गया। आयकर में अधिक आय के स्तरों पर वृद्धि, जायदाद कर में वृद्धि, धन पर वार्षिक कर, अधिक आय पर व्यय के आधार पर करारोपण आदि द्वारा आर्थिक असमानता कम करने की सिफारिश की गयी। भूमि सुधार में अधिकतम भूमि की सीमा, जो कि एक व्यक्ति एवं परिवार रख सकता है, निश्चित करने पर जोर दिया गया तथा लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास द्वारा कम अर्थोपाजन करने वाले कृषकों की आय में वृद्धि करने का आयोजन किया गया।

सम्पत्ति के वितरण में असमानता कम करने के लिए एक विवेचित समाज (Decentralized Society) की स्थापना का आयोजन किया गया। कार्य के प्रतिफल रूप प्राप्त पारिश्रमिक की असमानता लोगों की योग्यता, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कार्यक्षमता के कारण उद्भूत होती है। शिक्षा, प्रशिक्षण आदि समस्त धनोपाजक शक्तियाँ धन द्वारा प्राप्त की जाती हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार देने का सुझाव दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने की क्षमता को विशेष महत्त्व नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार समस्त जन-समुदाय को समान अवसर प्रदान करने का आयोजन करने के प्रयास किये गए।

आर्थिक विपमता को कम करने के लिए सहकारी उत्पादन का विकास, महाजनो का विस्थापन, निर्विजय लगान प्राप्त करने वालों का उन्मूलन, व्यक्तिगत एकाधिकार पर नियन्त्रण एवं राजकीय क्षेत्र का विस्तार आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन थे। इन सभी बातों के लिए द्वितीय योजना में विशेष श्रवण किया गया। साथ ही आर्थिक विपमता का अन्त करने के लिए सन्तुलित विकास की ओर अधिक ध्यान दिया गया।

उपर्युक्त उद्देश्यों के आधार पर ही योजना काल की आर्थिक नीतियाँ निर्धारित की जानी थीं। आर्थिक नीति द्वारा केवल अर्थ-साधनों की प्राप्ति ही नहीं की जाती अपितु उपभोग एवं विनियोजन को इस प्रकार भी निश्चित किया

जाता है ताकि योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। योजना में केवल विकास कार्यक्रमों की सूची ही नहीं होती है बल्कि यह भी निर्धारित किया जाता है कि इन कार्यक्रमों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जायगा। योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दो उपायों का उपयोग किया जा सकता है। प्रथम, देश की आर्थिक क्रियाओं को तटकर (Fiscal) एवं मौद्रिक (Monetary) नीतियों द्वारा पूर्णतः नियन्त्रित कर दिया जाता है। द्वितीय विधि में आयात निर्यात नियन्त्रण, उद्योग एवं व्यवसायों को अनुज्ञापत्र निर्गमन, मूल्य-नियन्त्रण तथा उत्पादन की मात्रा निर्धारित करना आदि द्वारा अर्थ-व्यवस्था के बाह्यनीय क्षेत्रों को नियन्त्रित कर दिया जाता है। तटकर एवं मौद्रिक नियन्त्रणों द्वारा एक ऐसी विस्तृत योजना को जिसमें विनियोजन में अधिकतम वृद्धि करने तथा प्राथमिकताओं के अनुसार विकास करने का आयोजन हो, क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इसलिए दूसरी विधि को ही योजना आयोग ने अधिक महत्व दिया है। यद्यपि योजना आयोग ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रण एवं राशनिंग का यथासम्भव उपयोग न करने के सम्बन्ध में प्रयास करने का आश्वासन दिया है परन्तु पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि न हान एवं विनियोजन के साधनों को उपभोग के लिए उपयुक्त होने से रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों एवं वितरण पर नियन्त्रण लगाये जा सकते थे। सरकार को मूल्यों के उच्चावचन को रोकने के लिए वफर स्टॉक का आयोजन करना था। इसके साथ ही व्यापारिक फसलों के मूल्यों में समायोजन का प्रयास भी करना था जिससे साधान्ता के उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव न पड़े। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक वित्त निगम तथा औद्योगिक साख एवं विनियोजन निगम (Industrial Finance Corporation and Industrial Credit and Investment Corporation) व्यक्तिगत क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation) शासकीय उद्योगों का प्रवर्तन एवं विकास करेगा। राजकीय वित्त निगम (State Finance Corporation) एवं केन्द्रीय लघु उद्योग निगम छोटे-छोटे व्यवसायों की सहायता प्रदान करेंगे।

उपरोक्त उद्देश्यों के आधार पर यह कहा सकता है कि द्वितीय योजना में प्रथम योजना के उद्देश्यों की तुलना में कुछ आधारभूत अन्तर है। प्रथम योजना बनाते समय अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनता थी अतएव उत्पादन में वृद्धि को विशेष महत्व दिया गया था। यद्यपि विषमताओं को कम करने के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाये गये किन्तु वे अत्यन्त धीरे, द्वितीय

योजना में उत्पादन में सर्वांगीण वृद्धि के साथ शीघ्र औद्योगीकरण और विशेषतः आधारभूत उद्योगों के विकास को भी आवश्यक समझा गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हो गयी थी और अब औद्योगीकरण की ओर कदम उठाये जा सकते थे। औद्योगीकरण साधन एवं लक्ष्य दोनों ही थे। औद्योगीकरण द्वारा ही बेरोजगारी की समस्या का निवारण किया जा सकता है। इस प्रकार रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए औद्योगीकरण एक साधन था। दूसरी ओर देश की अर्थ-व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए आधारभूत उद्योगों का विकास एवं विस्तार अति आवश्यक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना रोजगार की समस्या के निवारण का प्राथमिकता देती है जबकि प्रथम योजना में इस ओर ठोस कदम नहीं उठाये गए थे। प्रथम योजना में व्यावसायिक ढाँचे में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास द्वारा व्यावसायिक ढाँचे में परिवर्तन होने की अत्यधिक सम्भावना थी। द्वितीय योजना द्वारा एक नए समाज—समाजवादी प्रकार के समाज का निर्माण करना था।

योजना का व्यय एवं प्राथमिकताएं

योजना के लक्ष्य निश्चित करने के लिए सामान्य वित्तीय विचारधाराओं को आधार नहीं माना गया प्रत्युत प्रथम भौतिक लक्ष्यों का निश्चित कर लिया गया, तत्पश्चात् इन लक्ष्यों के लिये साधन एकत्रित करने की विधियों पर विचार किया गया। प्रायः योजना में उपलब्ध अथवा तथा योजना द्वारा वाञ्छनीय वित्तीय फलों के आँकड़ तयारकरके ही योजना के भौतिक कार्यक्रम निश्चित किये जाते हैं, दूसरे शब्दों में हम इस वित्तीय नियोजन (Financial Planning) भी कह सकते हैं। जब योजना का कार्यक्रम वित्त की उपलब्धि पर निर्भर हो तो उसे वित्तीय नियोजन कहा जा सकता है। द्वितीय योजना में इसकी विपरीत रीति को अपनाया गया अर्थात् योजना के भौतिक लक्ष्य निश्चित करने के पश्चात् उनकी पूर्ति के लिए अर्थ साधन प्राप्ति के माध्यमों पर विचार किया गया। इस प्रकार योजना बनाने में देश की आवश्यकताओं तथा जन साधारण की इच्छाओं के अनुसार भौतिक लक्ष्य निश्चित कर लिये जाते हैं। परन्तु कभी कभी ऐसे कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए योजना काल के मध्य में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस मध्यकाल में योजना के कार्यक्रमों में कोई परिवर्तन करने से समस्त योजना के छिन्न-भिन्न होना का भय रहता है। द्वितीय योजना के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में आर्थिक कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं। हमारे विदेशी मुद्रा के साधन अत्यन्त कम हो गये तथा हीनार्थ प्रवृत्त अनुमान से अधिक करना पड़ा, जिससे मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई। परन्तु

नियोजक सम्भवतः इन कठिनाइयों का योजना के पूर्व ही अनुमान कर चुके थे, इसलिए योजना के कार्यक्रमों को लचीला रखा गया था। योजना के तृतीय वर्ष में इसीलिए योजना के वित्तीय लक्ष्य को ४,८०० करोड़ रु० से घटा कर ४,५०० करोड़ रु० कर दिया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कुल लागत ७,२०० करोड़ रु० थी जिसमें से ४,८०० करोड़ रु० शासकीय क्षेत्र में तथा २,४०० करोड़ रु० व्यक्तिगत क्षेत्र में व्यय होना था। ४,८०० करोड़ रु० की राशि में से २,५५६ करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा १,८४० करोड़ रु० राज्य सरकारों द्वारा व्यय किया जाना था। विभिन्न मदों पर व्यय का विवरण इस प्रकार है—

तालिका सं० ४६—प्रथम एवं द्वितीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर निर्धारित व्यय^१

मद	प्रथम पंच० योजना		द्वितीय पंच० योजना	
	आयोजन (करोड़ रुपया में)	प्रतिशत समस्त व्यय से	आयोजन (करोड़ रुपयो में)	प्रतिशत समस्त व्यय से
(१) कृषि एवं सामुदायिक विकास	३५७	१५.१	५६८	११.८
(अ) कृषि कार्यक्रम	२४१	१०.४	३४१	७.१
(ब) राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक विकास	६०	३.८	२००	४.१
(स) ग्रन्थ कार्यक्रम (ग्राम पंचायत एवं स्थानीय विकास)	२६	१.१	२७	०.६
(२) सिंचाई एवं शक्ति	६६१	२८.१	६१३	१६.०
(अ) सिंचाई	३८४	१६.३	३८१	७.६
(ब) शक्ति	२६०	११.१	४२७	८.६
(स) बाढ़ नियन्त्रण आदि	१७	०.७	१०५	२.२
(३) उद्योग एवं खनिज	१७६	७.६	८६०	१८.५
(अ) बड़ एवं माध्यमिक उद्योग	१४८	६.३	६१७	१२.६
(ब) खनिज विकास	१	—	७३	१.५
(स) ग्रामीण एवं लघु उद्योग	२०	१.३	२००	४.१
(४) यातायात एवं संचारवाहन	५५७	२३.६	१३८५	२८.६

मद	प्रथम पंच० योजना		द्वितीय पंच० योजना	
	आयोजन (करोड रुपयो में)	प्रतिशत समस्त व्यय से	आयोजन (करोड रु० में)	प्रतिशत समस्त व्यय से
(घ) रेलें	२६८	११.४	६००	१८.८
(घा) सड़कें	१३०	५.५	२४६	५.१
(इ) सड़क यातायात	१२	०.५	१७	०.४
(ई) बंदरगाह आदि	३४	१.४	४५	०.६
(उ) जल-यातायात	२६	१.१	४८	१.०
(ऊ) आन्तरिक जल यातायात	—	—	३	०.१
(ए) हवाई यातायात	२४	१.०	४३	०.६
(ऐ) अन्य यातायात	३	०.१	७	०.१
(ओ) डाक एव तार	५०	२.२	६३	१.३
(प्रौ) अन्य संचादवाहन	५	०.२	४	०.१
(प्र) आकाशवाणी	५	०.२	६	०.२
(५) समाज सेवाएँ	५३३	२२.६	६४५	१६.७
(घ) शिक्षा	१६४	७.०	३०७	६.४
(घा) स्वास्थ्य	१४०	५.६	२७४	५.७
(इ) गृह	४६	२.१	१२०	२.५
(ई) पिछड़ी जातियों का कल्याण	३२	१.३	६१	१.६
(उ) समाज कल्याण	५	०.२	२६	०.६
(ऊ) श्रम एव श्रम कल्याण	७	०.३	२६	०.६
(ए) पुनर्वास	१३६	५.८	६०	१.६
(ऐ) शिक्षित बेरोजगारी के लिए विशेष योजनाएँ	—	—	५	०.१
(६) विविध	६६	३.०	६६	२.१
योग	२३५६	१००.०	४८००	१००.०

द्वितीय योजना के शासकीय क्षेत्र के समस्त व्यय में स्थानीय संस्थाओं के विकास के कार्यक्रमों के समस्त व्यय को सम्मिलित नहीं किया गया है। केवल व्यय का वह भाग, जो राज्य सरकारों द्वारा सहायतायें दिया जायगा, शासकीय क्षेत्र को राशि में सम्मिलित किया गया है। समस्त व्यय में विकास योजनाओं में जनता से प्राप्त अनुदानों को भी सम्मिलित नहीं किया गया है।

उपयुक्त व्यय के विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में द्वितीय योजना की प्राथमिकताएँ कुछ भिन्न हैं। प्रथम योजना के समस्त व्यय का १५.१% भाग कृषि-विकास पर व्यय किया जाता था। द्वितीय योजना में यह प्रतिशत घटा कर ११.८% कर दिया गया है परन्तु कृषि विकास पर व्यय होने वाली राशि प्रथम योजना की राशि की अपेक्षा १ १/३ गुना से भी अधिक थी। इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना के व्यय का ७.६% सिंचाई एवं २.२% बाढ़-नियन्त्रण पर व्यय होना था जिसके फलस्वरूप ग्रामीण एवं कृषि विकास में सहायता मिलनी थी। इस प्रकार कृषि विकास पर योजना के समस्त व्यय का २२ प्रतिशत अथवा १/३ भाग से कुछ कम व्यय होना था। प्रथम योजना में इन मदों पर व्यय होने वाली राशि ७५८ करोड़ रुपया और द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास के महत्त्व को बढ़ा दिया गया। जहाँ प्रथम योजना के शासकीय क्षेत्र के व्यय का केवल ७.६% भाग औद्योगिक एवं खनिज विकास पर व्यय होना था, द्वितीय योजना में यह प्रतिशत बढ़ा कर दुगुने से भी अधिक अर्थात् १८.५% कर दिया। प्रथम योजना में उद्योगो एवं खनिज पर १७६ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान था जबकि द्वितीय योजना में इस मद की राशि ८६० करोड़ रुपया निर्धारित की गयी जो प्रथम योजना में उद्योग एवं खनिज पर वास्तविक व्यय निर्धारित राशि का केवल ५४% था। इस प्रकार द्वितीय योजना में लगभग ६ या १० गुनी राशि औद्योगिक विकास पर व्यय की जायगी। द्वितीय योजना के औद्योगिक विकास की एक विशेषता यह है कि २०० करोड़ रुपया ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास पर व्यय किया जायगा जबकि प्रथम योजना में इस मद पर केवल ३० करोड़ ६० व्यय करने का अनुमान था। इस प्रकार द्वितीय योजना में औद्योगीकरण के महत्त्व को बढ़ा दिया गया है। परन्तु कृषि विकास की तुलना में द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास पर कम राशि ही व्यय करने का अनुमान है। इसलिए यह कहना उचित न होगा कि द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी है, परन्तु यह अवश्य ही स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास को प्रथम योजना की तुलना में अधिक महत्त्व दिया गया था।

योजना के व्यय का विवरण सर्वेय योजना के उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, इसीलिए द्वितीय योजना के शीघ्र औद्योगीकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उद्योगों पर व्यय होने वाली राशि इतनी अधिक निर्धारित की गयी थी। शीघ्र औद्योगीकरण द्वारा ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती थी। योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उद्योगों पर अधिक व्यय

करना उचित ही था। प्रथम योजना में केवल १ करोड़ रुपया ही खनिज विकास के लिए निर्धारित किया गया, द्वितीय योजना में खनिज विकास पर ७३ करोड़ रुपया व्यय होना था। इस राशि में कोयला धोने के कारखाने (Coal Washeries) तथा खनिज तेल खोजने का व्यय भी सम्मिलित था।

यातायात एवं संचार पर द्वितीय योजना के समस्त व्यय का २६% भाग व्यय होना था। रेलों पर समस्त व्यय का १६% व्यय होना था। प्रथम योजना में यातायात एवं संचार पर २३.६% तथा रेलों पर ११.४% राशि निर्धारित की गयी थी। राशियों की तुलना करने से ज्ञात होता है कि यातायात एवं संचार पर प्रथम योजना की राशि की तुलना में १.३ गुना और रेलों पर लगभग ४.३ गुना व्यय द्वितीय योजना काल में किया जाना था। शक्ति पर व्यय होने वाली राशि में १६० करोड़ रुपये प्रथम योजना में प्रारम्भ हुए कार्यक्रमों पर तथा २६७ करोड़ रुपये नवीन योजनाओं पर व्यय होना था।

समाज सेवाओं की राशि कुल व्यय की २०% थी जबकि यह राशि प्रथम योजना में २३% थी। शिक्षा पर ३०७ करोड़ रुपये का आयोजन था जो प्रथम योजना की राशि का लगभग दोगुना था। इसी प्रकार स्वास्थ्य पर व्यय की जाने वाली राशि भी दोगुनी हो गयी थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शासकीय क्षेत्र में ३५०० करोड़ रुपया विनिर्माण पर तथा १००० करोड़ रुपया विकास की चालू मदों पर व्यय होना था। राशि का विभिन्न मदों में विभाजन निम्न तालिका से स्पष्ट है*—

तालिका स० ४७—द्वितीय योजना में विभिन्न मदों पर विनियोजन एवं चालू व्यय

मद	(कराड रुपये में)		
	विनियोजन की राशि	चालू व्यय की राशि	योग
(१) कृषि एवं सामुदायिक विकास	३३८	२३०	५६८
(अ) कृषि	१८१	१६०	३४१
(ब) राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक विकास	१५७	७०	२२७
(२) सिंचाई एवं शक्ति	८६३	५०	९१३
(अ) सिंचाई एवं बाट नियन्त्रण	४५६	२०	४७६
(ब) शक्ति	४०७	२०	४२७
(३) वृहद् उद्योग एवं खनिज	७६०	१००	८६०
(अ) वृहद् एवं मध्य वर्ग के उद्योग	६७०	२०	६९०
(ब) ग्रामीण एवं लघु उद्योग	१२०	८०	२००
(४) यातायात एवं सवादवाहन	१३३५	५०	१३८५
(५) समाज सेवाएँ	४५५	४६०	९१५
(६) अन्य	१६	८०	९६
योग	३८००	१०००	४८००

शासकीय क्षेत्र में व्यय हान वाली राशि का केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा निम्न प्रकार व्यय किया जाना था—

तालिका स० ४८—शासकीय क्षेत्र में निर्धारित व्यय का केन्द्र एवं राज्यों में विभाजन

मद	(कराड रु० में)		
	केन्द्र	राज्य	योग
(१) कृषि एवं सामुदायिक विकास	६५	५०३	५६८
(२) सिंचाई एवं शक्ति	१०५	८०८	९१३
(३) उद्योग एवं खनिज	७४७	१४३	८९०
(४) यातायात एवं सवादवाहन	१२०३	१८२	१३८५
(५) समाज सेवाएँ	३६६	५४९	९१५
(६) अन्य	४३	५६	९९
योग	२५५६	२२४१	४८००

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के विनियोजन की राशि में वृद्धि के साथ-साथ व्यक्तिगत क्षेत्र के विनियोजन की राशि में भी वृद्धि कर दी गयी। योजना के उत्पादन एवं विकास के लक्ष्य निश्चित करते समय निजी क्षेत्र के विनियोजन के प्रभावों को भी दृष्टिगत किया गया। गत पाँच वर्षों की विनियोजन प्रवृत्तियों एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होने वाले शांति विनियोजन के आधार पर निजी क्षेत्र में विनियोग होने वाली राशि का अनुमान २४०० करोड़ रु० था। यह विनियोजन विभिन्न मदों पर इस प्रकार विभक्त होने का अनुमान था—

तालिका सं० ४६—द्वितीय योजना में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर विनियोजन

मद	विनियोजन (करोड़ रु०)
(१) समकित उद्योग एवं खनिज	५७५
(२) पौध वाले व्यवसाय, विद्युत शक्ति एवं रेल के अतिरिक्त अन्य यातायात	१२५
(३) निर्माण	१०००
(४) कृषि तथा ग्रामीण एवं लघु उद्योग	३००
(५) सग्रह (Stocks)	४००
	योग २४००

प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यक्तिगत एवं शासकीय क्षेत्र के विनियोजन का अनुमान ३१०० करोड़ रुपया था जिसमें व्यक्तिगत एवं शासकीय क्षेत्र का अनुपात ५०.५० था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समस्त विनियोजन की राशि ६२०० करोड़ रु० अनुमानित थी जिसमें शासकीय एवं व्यक्तिगत क्षेत्र का अनुपात ६१.३६ होने का अनुमान था। इससे स्पष्ट है कि शासकीय क्षेत्र निरन्तर विस्तार की ओर अग्रसर था। द्वितीय योजना में प्रथम योजना की तुलना में विनियोजन की राशि शासकीय क्षेत्र में २१ गुनी तथा निजी क्षेत्र में ५०% अधिक थी।

अर्थ प्रबन्ध

द्वितीय योजना के अर्थ-साधनों के अध्ययन से स्पष्ट है कि योजना आयोग ने भौतिक लक्ष्यों को अधिक महत्त्व दिया था और वित्तीय साधनों का विस्तार करने के प्रयास पर जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में राष्ट्रीय आय का ७.३% भाग आन्तरिक ऋण था जिसे द्वितीय पंचवर्षीय

योजना काल में बढ़ा कर १०७% करने का लक्ष्य था। इस हेतु दो बातों पर विचार किया गया था—प्रथम बचत को बढ़ाने के लिए उपभोग को किस सीमा तक कम करना उचित होगा तथा दूसरे वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में कौन-कौन सी बचत-वृद्धि की विधियाँ अपनायी जायेंगी अर्थात् प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में कर एवं अन्य आर्थिक नीतियों को उपयुक्त दोनों बातों को आधार मान कर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। आन्तरिक साधनों के अतिरिक्त औद्योगीकरण के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए विदेशी मुद्रा की भी अधिक आवश्यकता थी। विदेशी साधनों की उपलब्धि के लिए एक और आयात में मितव्ययता और दूसरी ओर निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता थी। शासकीय क्षेत्र में अर्थ प्रबन्ध की व्यवस्था निम्न प्रकार करने का लक्ष्य था—

तालिका सं० ५०—द्वितीय योजना का अर्थ-प्रबन्धन

आय का माध्यम	आय (करोड़ रु० में)	
(१) चालू आय का आधिक्य		
(अ) वर्तमान कर की दरों से	३५०	
(ब) अतिरिक्त करों से	४५०	८००
(२) जनता से ऋण		
(अ) बाजार से ऋण	७००	
(ब) लघु बचत	५००	१२००
(३) बजट के अन्य साधन		
(अ) विकास-कार्यक्रमों में रेलों का अनुदान	१५०	
(ब) प्राविधिक निधि (Provident Fund) एवं अन्य जमा	२५०	४००
(४) विदेशी सहायता		६००
(५) घाटे की अर्थ-व्यवस्था (Deficit Financing)		१२००
(६) अपूर्णता—जो आन्तरिक साधनों की वृद्धि द्वारा पूर्णा की जायगी		४००
		योग ४६००

योग हेतु इतनी अधिक राशि ऋण के रूप में प्राप्त करना सुलभ न था। योजना में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार का आयोजन किया गया क्योंकि इसके माध्यम से एक और वर्गधारियों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती थी तथा दूसरी ओर यह बचत का महत्वपूर्ण साधन थी। द्वितीय योजना के विकास-व्यय के कारण जन-समुदाय की मोद्रिक एवं वास्तविक आय में वृद्धि होने की सम्भावना थी। व्यक्तिगत उपभोग पर नियंत्रण लगा कर ऋण की राशि को पूरा किया जा सकता था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग ४७ करोड़ रुपया प्रति वर्ष लघु बचत से प्राप्त हुआ। द्वितीय योजना में इस राशि को दुगुना करने का लक्ष्य था। साधारण आय की वृद्धि का अधिकतर भाग उपभोग पर ही ध्यय हो जाता क्योंकि हीनार्थ-प्रबन्धन के परिणामस्वरूप मूल्य-वृद्धि अवश्यम्भावी थी। मुद्रा की क्रय-शक्ति कम होने पर व्याज के रूप में निश्चित दर से प्राप्त होने वाली राशि का भी वास्तविक मूल्य कम हो जाता है तथा इस प्रकार जब बचत करने वालों को अपनी बचत पर वास्तविक आय कम होती है तो वह अधिक बचत की ओर आकर्षित नहीं होते।

बजट के अन्य साधन—योजना आयोग के अनुमानानुसार रेलों से १५० करोड़ रु० विकास के कार्यक्रमों के लिए प्राप्त हो सकता था। यह राशि प्रथम योजना में ११५ करोड़ रु० थी। रेलों को अपनी अनुदान बढ़ाने के लिए अपनी आर्थिक आय में ७ करोड़ रु० की वृद्धि करनी थी। अन्य बजट के साधनों से २५० करोड़ रु० प्राप्त करने का लक्ष्य था जिसमें से लगभग १५० करोड़ रु० प्रांतीय तथा केन्द्रीय सरकारों की प्राविधिक निधि (Provident Fund) की राशि से तथा १०० करोड़ रुपया केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा दिये गये ऋणों के भुगतान में तथा अन्य पूर्वीगत प्राप्तियों के रूप में प्राप्त होने का अनुमान था।

विदेशी सहायता—योजना में ८०० करोड़ रु० की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान था। प्रथम योजना में २६६ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त करना था जिसमें से केवल १८८ करोड़ रुपया ही उपभोग किया गया। इस प्रकार १०८ करोड़ रुपये की राशि प्रथम योजना में विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुई। द्वितीय योजना में शेष ६२२ करोड़ रु० की विदेशी सहायता का आयोजन करना था। प्रथम योजना की तुलना में यह अनुमान अभिलाषी प्रतीत होते थे।

हीनार्थ-प्रबन्धन—प्रथम पंचवर्षीय योजना में हीनार्थ-प्रबन्धन द्वारा

है, तब तक जन-साधारण के रहन सहन की लागत में अधिक वृद्धि नहीं होती है।

विदेशी मुद्रा के साधन—द्वितीय योजना के शीघ्र औद्योगीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विदेशी पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अत्यधिक आवश्यकता थी। परन्तु पाँच वर्षों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं तथा उपार्जन (earnings) का उचित अनुमान लगाना सम्भव नहीं था क्योंकि बहुत से घटक विदेशी व्यापार पर प्रभाव डालते रहते हैं। निम्नलिखित तालिका^१ द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विदेशी साधनों की अनुमानित न्यूनता को दर्शाती है—

तालिका सं० ५१— द्वितीय योजना में विदेशी साधनों की न्यूनता

(करोड़ रुपये में)

	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१	योग
(१) निर्यात (F O B)	५७३	५८३	५९२	६०२	६१५	२९६५
(२) आयात (C. I F)	७८३	८८६	९९०	८९५	७८६	४३४०
(३) व्यापारिक शेष	—२१०	—३०३	—३९८	—२९३	—१७१	—१३७५
(४) अदृश्य	+ ६२	+ ५५	+ ५१	+ ४६	+ ४१	+ २५५
(५) चालू खाते का शेष	—१४८	—२४८	—३४७	—२४७	—१३०	—११२०

इस प्रकार योजना-काल के पाँच वर्षों में ११०० रुपये की विदेशी मुद्रा की चालू खाते में कमी रहने का अनुमान था। उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि निर्यात ५७३ करोड़ रु० (१९५६-५७) से बढ़ कर १९६०-६१ में ६१५ करोड़ रुपये होने की सम्भावना थी, जबकि आयात में योजना के प्रथम चार वर्षों में

अधिक वृद्धि होने का अनुमान था तथा इस प्रकार १३७५ करोड़ की अपूर्णता रहने की सम्भावना थी। ग्रहण्य साधनों से औसत २२४ करोड़ रुपया प्राप्त होने की सम्भावना थी। इस प्रकार योजना काल में २२४ करोड़ रुपया प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की कमी का अनुमान था।

योजना के लक्ष्य एवं कार्यक्रम

कृषि एवं सामुदायिक विकास—प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी। प्रथम योजना के प्रारम्भ में कृषि-क्षेत्र में अपूर्णता का वातावरण था तथा खाद्यान्नों की न्यूनता की समस्या अत्यन्त गम्भीर थी। इसीलिए प्रथम योजना के कृषि-कार्य-क्रमों का लक्ष्य बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। द्वितीय योजना में कृषि कार्यक्रमों का लक्ष्य बहुमुखी था। प्रथम, बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करना, द्वितीय विकास की श्रौर अप्रसर औद्योगिक व्यवस्था की कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा तृतीय कृषि-उत्पत्ति के निर्यात में वृद्धि करना। इस प्रकार द्वितीय योजना में औद्योगिक एवं कृषि-विकास में धनिष्ठ पारस्परिक निर्भरता होना स्वाभाविक था। ग्राम निवासियों के सम्मुख द्वितीय योजना द्वारा कृषि उत्पादन को १० वर्ष में दुगुना करने का उद्देश्य रखा गया था।

योजना आयोग के विचार में खाद्य समस्या के सम्बन्ध में निम्नलिखित घटकों पर विचार करना आवश्यक था—

- (१) योजना काल में जनसंख्या में वृद्धि।
- (२) नगरों की जनसंख्या में वृद्धि।
- (३) प्रति-व्यक्ति उपभोग में वृद्धि करने की आवश्यकता।
- (४) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित करने से जो मुद्रा स्फीति का दबाव उपस्थित हो, उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता।
- (५) राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा उसके वितरण में परिवर्तन होने से उपभोग पर पड़ने वाला प्रभाव।

तत्कालीन उपभोग के स्तर के आधार पर १९६०-६१ में ७०५ लाख टन खाद्यान्नों की आवश्यकता का अनुमान था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति दिन प्रति वयस्क उपभोग बढ़ कर १८३ औंस होने की सम्भावना थी और इस प्रकार योजना के अन्त तक खाद्यान्नों की आवश्यकता बढ़ कर ७५० लाख टन होने का अनुमान था।

द्वितीय योजनावधि में खाद्यान्नों के उत्पादन में १०० लाख टन की वृद्धि का लक्ष्य था। प्रति दिन प्रति वयस्क २००० कैलोरीज का उपभोग १९६०-६१ तक बढ़ कर २४५० कैलोरीज होने का अनुमान था जब कि योजना के विशेषज्ञों ने न्यूनतम सीमा ३००० कैलोरीज रखी है।

योजना-आयोग ने कृषि नियोजन के ४ आवश्यक तत्त्व निर्धारित किये हैं जिनके आधार पर कृषि कार्यक्रमों को निश्चित किया था। यह निम्न प्रकार हैं—

(१) भूमि के उपयोग की योजना।

(२) दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन लक्ष्यों को निर्धारित करना।

(३) विकास कार्यक्रमों एवं सरकारी सहायता का उत्पादन के लक्ष्यों से तथा भूमि के उपयोग से सम्बन्ध स्थापित करना, तथा

(४) उचित मूल्य-नीति।

प्रत्येक जिले और विशेषकर प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक विकास खण्ड के क्षेत्रों के लिए कृषि-विकास की योजना होनी चाहिए थी। इसके द्वारा ग्रामों के उत्पादन का लक्ष्य तथा भूमि का विभिन्न उपयोगों में वितरण निर्धारित किया जाना था। इस प्रकार की स्थानीय योजनाओं से राज्य, क्षेत्र एवं सम्पूर्ण देश के लिए उचित योजना निर्माण करने में सहायता मिलती है।

तालिका सं० ५२—द्वितीय योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्य

वस्तु	इकाई	१९५५-५६	१९६०-६१	वृद्धि का प्रतिशत
		अनुमानित उत्पादन	लक्ष्य	
खाद्यान्न	लाख टन	६५०	७५०	१५
तिलहन	„	५५	७०	२७
शक्कर गुड़	लाख टन	५८	७१	२२
कपास	लाख गॉठ	४२	५५	३१
जूट	„	४०	५०	२५
तम्बाकू	लाख टन	२५	२५	—
चाय	लाख पौंड	६४४०	७०००	९

यद्यपि यह ज्ञात करना सम्भव नहीं है कि किस विकास कार्यक्रम का उत्पादन की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ना है, फिर भी खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि को निम्न कार्यक्रमों द्वारा प्रभावित बताया गया—

७२० करोड़ रु० अनुमानित थी जिसमें से ८० करोड़ रु० प्रथम योजना के प्रारम्भ के पूर्व व्यय हो चुका था और ३४० करोड़ रु० प्रथम योजना काल में व्यय हुआ। शेष राशि द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में व्यय होनी थी। द्वितीय योजना में इन योजनाओं पर २०६ करोड़ रु० व्यय किया जाना था। द्वितीय योजना में सम्मिलित नवीन सिंचाई योजनाओं की कुल लागत ३८० करोड़ रु० अनुमानित थी जिसमें से १७२ करोड़ रु० द्वितीय योजना में व्यय किये जाने का लक्ष्य था। योजना में सिंचाई पर व्यय होने वाली राशि ३८२ करोड़ रु० निर्धारित की गयी थी। इसके अतिरिक्त ३५ करोड़ रु० का आयोजन सिंधु नदी के पानी का उपयोग करने की योजनाओं पर व्यय करने के लिये रखा गया था। योजना में १६५ नवीन योजनाओं को सम्मिलित किया गया था। द्वितीय योजना-वर्ष में ३५८१ नलकूप (Tube Wells) बनाने का लक्ष्य था।

द्वितीय योजना व शक्ति के विकास-कार्यक्रमों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होनी थी—

(अ) वर्तमान शक्ति की इकाइयों की सामान्य मांग की पूर्ति,

(ब) शक्ति की उपलब्धि के क्षेत्र में यथोचित विस्तार, तथा

(स) द्वितीय योजना में स्थापित औद्योगिक इकाइयों की शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति।

यह अनुमान लगाया गया था कि अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता मध्यम तथा उद्योगों के विकास एवं व्यापारिक तथा घरेलू उपभोग में वृद्धि के कारण ४ लाख किलोवाट का अनुमान था। द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास के कारण १३ लाख किलोवाट अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होने का अनुमान था। जल विद्युत शक्ति की पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण तथा अन्य विचार-धाराओं के आधार पर ३५ लाख किलोवाट उत्पादन-क्षमता के अतिरिक्त शक्ति के साधनों का निर्माण करना आवश्यक था। इस प्रकार शक्ति की उत्पादन-क्षमता को ३४ लाख किलोवाट से बढ़ा कर ६९ लाख किलोवाट १९६०-६१ तक करने का लक्ष्य था। ३५ लाख किलोवाट अतिरिक्त शक्ति के साधन २९ लाख किलोवाट नदीय क्षेत्र में, ३ लाख किलोवाट प्रमडली द्वारा तथा ३ लाख किलोवाट स्वतंत्र शक्ति उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्माण किये जाने थे। द्वितीय योजना में १६० करोड़ रु० उन योजनाओं पर जिनका प्रारम्भ प्रथम योजना में हुआ था, २४५ करोड़ ऐसी नवीन योजनाओं पर जो द्वितीय योजना में शुरू हो जानी थी तथा २२ करोड़ रु० उन योजनाओं पर जिनका लाभ तृतीय योजना में प्राप्त होगा, व्यय किया जाना था। द्वितीय योजना-वर्ष में १०,०००

तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में विद्युत् उपलब्ध करने का लक्ष्य था ।

औद्योगिक एवं खनिज विकास—प्रथम पंचवर्षीय योजना को वास्तव में प्रारम्भिक तैयारी का कार्यक्रम कहना चाहिए जो कि औद्योगीकरण के लिए आवश्यक होता है । बुहद उद्योगों की स्थापना के पूर्व की विपणन, कच्चे माल व ईंधन, विधियों का चयन, उत्पादन-लागत, तांत्रिक एवं प्रबन्ध की व्यवस्था सम्बन्धी अनेक समस्याओं का अध्ययन करना आवश्यक होता है । बहुत सी औद्योगिक योजनाओं के लिए विदेशी तांत्रिक सहायता प्राप्त करना भी आवश्यक होता है । इसके साथ ही औद्योगिक विकास को जो अर्थ चाहिए, उसका किस प्रकार प्रबन्ध किया जाय, इस पर भी विचार करना आवश्यक होता है । द्वितीय योजना के औद्योगिक कार्यक्रम निश्चित करने के पूर्व उपर्युक्त समस्त समस्याओं का पूर्णरूपेण अध्ययन कर लिया गया था । योजना के कार्यक्रम औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा निर्धारित रीतियों के आधार पर ही बनाये गये तथा उन नीतियों की सीमाओं में ही औद्योगिक प्राथमिकताएँ निम्न प्रकार निश्चित की गयीं—

(१) लोहा तथा इस्पात, भारी रसायन एवं नाइट्रोजन खाद के उत्पादन में वृद्धि तथा भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन-निर्माण उद्योगों का विकास ।

(२) अन्य विकास सम्बन्धी एवं उत्पादक वस्तुओं जैसे अल्युमिनियम, सीमेन्ट, रासायनिक लुग्दी, रंग, फास्फेट का खाद, आवश्यक औपधियों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि ।

(३) वर्तमान राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों का नवीनीकरण तथा पुनः मशीनें आदि लगाना, जैसे जूट, सूती वस्त्र एवं शक्कर उद्योग ।

(४) जिन उद्योगों की उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन में बहुत अन्तर है, उनकी उत्पादन-क्षमता का पूर्णतम उपयोग ।

(५) उद्योगों के विकेंद्रित क्षेत्रों के उत्पादन लक्ष्यों एवं सामूहिक उत्पादन कार्यक्रमों की आवश्यकतानुसार उपभोजना-वस्तुओं की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि ।

लोहा एवं इस्पात—द्वितीय योजना में तीन इस्पात के कारखानों के, जिनमें प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता १० लाख टन इस्पात डले (Ingots) थी, निर्माण का आयोजन किया गया । रुरकेला में स्थापित होने वाले कारखाने पर द्वितीय योजना काल में १२८ करोड़ रु०, त्रिलाई (मध्य प्रदेश) के कारखाने पर ११५ करोड़ रु० तथा दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) के कारखाने पर ११५ करोड़ रु० विनियोजन का लक्ष्य था । विभिन्न इस्पात-कारखानों की अनुमानित उत्पादन-क्षमता अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है—

तालिका सं० ५३—विभिन्न इस्पात-कारखानों की उत्पादन-क्षमता
(लाख टन में)

इस्पात-कारखाना का स्थान	कोयले से कारबन बनाना	कांक का उत्पादन	लोहा पिंड इस्पात के डले	बिम्बित इस्पात	बिम्बित इस्पात	बिम्बित इस्पात
हरवेला	१६००	१०४५	६४१	१०	७२०	६०
मिलाई	१६५०	११४५	१११०	१०	७७०	३००
दुर्गापुर	१८२५	१३१४	१२७१	१०	७६०	३५०

हरवेला तथा मिलाई के कारखानों के लिए बच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए धल्लो (Dhalli) तथा राजहाटा (Rajhata) की खानों का विकास करना आवश्यक था। दुर्गापुर के कारखाने के लिए गुआ (Gua) की खानों का निजी साहस व साथ शोषण किया जाना था। दुर्गापुर कारखाने के लिए एक कोयला धोने की फैक्टरी (Coal Washery) के निर्माण करने का आयोजन था तथा मिलाई एवं हरवेला के बुकारा (Bukaro) में एक कोयला धोने की फैक्टरी स्थापित की जानी थी। प्रत्येक कारखाने की धमन भट्टी की प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता १००० टन लौह पिंड (Pig Iron) होगी। मैसूर व लाहे

इस्पात के कारखाने के उत्पादन का बढ़ाकर १९६०-६१ तक १ लाख करने का लक्ष्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३५० करोड़ रुपये उपयुक्त १ कारखाना एवं ६ करोड़ रुपये मैसूर व लोहा तथा इस्पात के कारखाने लिए निर्धारित किया गया था। चित्तोजन लोकामोटिव कारखाने का उत्पादन १९० से बढ़ाकर ३०० इंच करने का लक्ष्य था। इस कारखाने में भारी इस्पात की फाउण्ड्री बनाने का लक्ष्य था जिससे रेलों के बड़े बड़े घोजारों को यहाँ ढाला जा सके। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने भी १५ करोड़ रुपये का आवंटन भारी फाउण्ड्री के निर्माणार्थ किया था, जिससे आवश्यक भारी मशीनें तथा विद्युत का सामान आदि बनाने की सुविधा प्राप्त हो सके। त्रिजनी की भारी मशीनें एवं सामग्री बनाने के लिए भोपाल में एक कारखाना एम्प्रेसमेटेड ३/४ ल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम की सलाह से, २५ करोड़ रुपये की लागत पर निर्मित किया जाना था। द्वितीय योजना में इस पर २० करोड़ रुपये विनियोजित होना था। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विस्तार करने व लिये २ करोड़ रुपये का आयोजन था तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को औद्योगिक मशीनों के उत्पादन पर १० करोड़ रुपये विनियोजित करना था।

दक्षिण में कायले की कमी का दूर करने के लिए नैवेली (Neveli) में बहुमुखी दक्षिणी ग्रॉउथ की लिग्नाइट (Lignite) की योजना का विकास

करने के लिए ५२ करोड़ का आयोजन किया गया था। इस योजना की कुल लागत ६८५ करोड़ रु० होगी और ३५ लाख टन प्रति वर्ष लिग्नाइट खनिज निकाला जायगा।

द्वितीय योजना में सिन्धी के खाद कारखाने के अतिरिक्त दो नवौंन कारखाने एक नगल (पंजाब) तथा दूसरा कूरकेला में खोलने का आयोजन था जो क्रमशः ७०,००० एवं ८०,००० स्थायी नाइट्रोजन के बराबर खाद उत्पन्न करेंगे। योजना काल में हिन्दुस्तान शिपयार्ड तथा डी० डी० टी० के वर्तमान कारखाने का विस्तार किया जाना था तथा ट्रावनकोर कोचीन में एक नया डी० डी० टी० का कारखाना खोला जाना था। इटीग्रल कोच फंक्ट्री, पंराम्बूर का कारखाना द्वितीय योजना काल में पूर्ण हो जाना था।

व्यक्तिगत क्षेत्र के औद्योगिक कार्यक्रम में लोहा तथा इस्पात उद्योग पर ११५ करोड़ रुपया विनियोजित करने का लक्ष्य था। सीमेट तथा बृहद् एवं मध्यम इजोनियरिंग उद्योगों के विकास के कार्यक्रम भी निजी क्षेत्र में सम्मिलित किये गये थे। औद्योगिक मशीनें जैसे सूती वस्त्र उद्योग शक्कर, कागज एवं सीमेट उद्योग की मशीनें का निर्माण हेतु १० करोड़ रु० के विनियोजन का अनुमान था। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि करने के लिए निजी क्षेत्र में कार्यक्रम निश्चित किये गये थे।

तालिका सं० ५४—द्वितीय योजना में औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य

उद्योग	इकाई	१९५५-५६ का उत्पादन	१९६०-६१ का लक्ष्य	वृद्धि का प्रतिशत
(१) निर्मित इस्पात	लाख टन	१३	४३	२३१
(२) अन्यमिनियम	हजार टन	७५	२५०	२३३
(३) मोटरगाडियाँ	संख्या	२५०००	५७०००	१२८
(४) रेल के इंजिन	"	१७५	४००	१२६
(५) नाइट्रोजन खाद	अमो० सल्फेट के हजार टन	३८०	१४५०	२८२
(६) फास्फेट खाद	सुपर फास्फेट के हजार टन	१२०	७२०	५००
(७) सीमेट	लाख टन	४३	१३०	२०५
(८) कागज आदि	हजार टन	२००	३५०	७५
(९) अखवार का कागज	टन	४२००	६००००	१२८६
(१०) वाइसिक्ल	हजार	५५०	१०००	१००
(११) सूती वस्त्र	लाख गज	६८५००	८५०००	२४
(१२) शक्कर गुड	लाख टन	१७	२३	३५

आधारभूत उद्योगों की प्रगति औद्योगिक विकास का मुख्य सूचक होती है। द्वितीय योजना में इस और ठोस कदम उठाये गये तथा लोहा एवं इस्पात, मशीन-निर्माण तथा अन्य आधारभूत उद्योगों के विकास से देश की अर्थ-व्यवस्था में सुदृढ़ता शीघ्र प्राप्त हो सकती थी। वास्तव में योजना काल में पूर्णतः एव उत्पादक वस्तुओं के उद्योग में विनियोजित होने वाली राशि अभी तक के इस क्षेत्र के विनियोजन से कहीं अधिक थी। १९५६ से १९६१ तक बड़े उद्योगों के क्षेत्र में निम्न प्रकार विनियोजन होने का अनुमान था।^१

तालिका सं० ५५-द्वितीय योजना में बड़े उद्योगों में अनुमानित विनियोजन

उद्योग	विनियोजन (करोड़ रुपये)		
	शासकीय क्षेत्र जिसमें राष्ट्रीय औद्योगिक विकास नवीन विनियोजन सम्मिलित है—	व्यक्तिगत	योग
उत्पादक वस्तुओं के उद्योग	४६३	२९६	७५९
औद्योगिक मशीन एवं पूँजी-गण वस्तुएं	८४	७२	१५६
अन्य वस्तुओं के उद्योग	१२	१६७	१७९
	<u>योग ५५९</u>	<u>५३५</u>	<u>१०९४</u>

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक औद्योगिक उत्पादन का निर्देशांक (१९५१=१००) १९५५-५६ के १३० से बढ़ कर १९४ होने का अनुमान था। द्वितीय योजना काल में उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन निर्देशांक में ७३% और कारखानों में उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन निर्देशांक में १८% वृद्धि होने का अनुमान था।

ग्रामीण एवं लघु उद्योग—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए जो ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास से सम्बद्ध राज्य सरकारों एवं विभिन्न परिषदों द्वारा योजनाएं निर्मित की गयी थी, उन पर ग्रामीण लघु उद्योग समिति (Village Small Scale Industries Committee) ने विचार किया तथा अनुमोदन किया कि २६० करोड़ रु० का आयोजन इन उद्योगों के विकास हेतु किया जाय। इस राशि में ६५ करोड़ रु० की वार्षिकीय पूँजी की

३% की वृद्धि होने का अनुमान था। रेलों को ६०० करोड़ रु० की राशि में से १५० करोड़ रु० स्वयं की आय से तथा ७५० करोड़ रु० सामान्य आय से प्रदान किया जाना था। रेलों के विकास कार्यक्रमों द्वारा १६०७ मील में दोहरी लाइन डालने, २६५ मील लम्बी मध्यम मार्गीय लाइन को वृहद् मार्गीय लाइन में परिवर्तित करने, ८२६ मील लम्बी लाइनों को विजली से चलाने, १२६३ मील को डीजल द्वारा चलाने, ८४२ मील लम्बी नवीन लाइनों का निर्माण करने, ८००० मील लम्बी लाइनों का नवीनीकरण करने, २२५८ इ.जिन तथा १०७२४७ माल के डिब्बे एवं ११३६४ यात्री डिब्बे एकत्रित करने का आयोजन था। रेलों के विकास कार्यक्रमों के लिए ४२५ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होने का अनुमान था। योजना में ६ नवीन वर्कशॉप (Workshop) तथा एक नवीन मध्यम मार्गीय डिब्बे बनाने के कारखाने की स्थापना का भी आयोजन था।

द्वितीय योजना में २४६ करोड़ रु० का आयोजन सड़कों के विकासार्थ किया गया था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सड़क निधि (Central Road Fund) से २५ करोड़ रुपये का आयोजन किया गया था। द्वितीय योजना में ६०० मील टूटी-फूटी सड़कों को जोड़ने, ६० बड़े पुल बनाने, १७०० मील लम्बी विद्यमान सड़कों के सुधार करने का आयोजन था। इसके अतिरिक्त बनिहाल सुरंग (Bannihal Tunnel) तथा अन्य कार्यक्रमों पर जो कि प्रथम योजना काल में काश्मीर में प्रारम्भ हुए थे, ३० करोड़ रु० व्यय करने का अनुमान था। राष्ट्रीय मार्गों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार कुछ महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण भी कर रही थी और इन पर द्वितीय योजना काल में ६ करोड़ रु० व्यय करने का अनुमान था। १९५४ में आर्थिक महत्त्व के अन्तर्राज्यीय मार्गों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था। यह कार्य इस योजना में चालू रहना था तथा इस पर १८ करोड़ रु० व्यय किया जाना था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १००० मील लम्बी सड़कें बनायीं जानी थीं। राज्यों की सड़क-विकास की योजनाओं का निर्धारित व्यय १६४ करोड़ रु० था जिसके द्वारा लगभग १८००० मील लम्बी चौरस सड़कों (Surfaced Roads) का निर्माण किया जाना था।

समुद्री यातायात के क्षेत्र में ३,००,००० ग्राँस रजिस्टर्ड टनेज (G. R. T.) की वृद्धि करने का लक्ष्य था तथा इस प्रकार योजना के अन्त तक ६ लाख G. R. T उपलब्ध होने का अनुमान था। द्वितीय योजना में ४५ करोड़ रु० का आयोजन जलयान यातायात में विकास करने के लिए किया गया था। योजना में १६६ करोड़ रु० कलकत्ता, २६.३ करोड़ रु० बम्बई, ६०

क्रमशः १६२ से बढ़ा कर २२.५% तथा ६४ से बढ़ा कर ११.७% करने का लक्ष्य था। विश्वविद्यालयों की संख्या को ३१ से बढ़ा कर ३८, इंजीनियरिंग संस्थाओं की संख्या को १२८ से बढ़ा कर १५८, तान्त्रिक प्रशिक्षण की संस्थाओं की संख्या को ६१ से बढ़ा कर ६५ करने का लक्ष्य रखा गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य के कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि, इन सेवाओं को समस्त जन समुदाय तक पहुँचाना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य क स्तर में उन्नति करना था। योजना में ३००० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थापित करने का आयोजन किया गया था। विद्यमान मेडिकल महाविद्यालयों का विस्तार करके अधिक संख्या में डॉक्टर प्रशिक्षित करने का प्रबन्ध किया गया था। द्वितीय योजना काल में लगभग १२,५०० नये डॉक्टर प्रशिक्षित किए जाने का अनुमान था। इसके साथ ही मेडिकल महाविद्यालयों के प्रत्येक विभाग में निजी चिकित्सा (Private Practice) न करने वाले प्रोफेसर तथा शिक्षकों के समूह स्थापित करने का आयोजन भी किया गया था। इसके अतिरिक्त योजना में ६.५ करोड़ ६० देशी चिकित्सा विधियों (Indigenous System of Medicine) के सुधार के लिए भी निर्धारित किया गया था। इस राशि में १३ विद्यमान आयुर्वेदिक महाविद्यालयों का विस्तार, ५ नये आयुर्वेदिक महाविद्यालयों का स्थापन, ११०० आयुर्वेदिक औषधालय प्रारम्भ तथा २२५ विद्यमान चिकित्सालयों में सुधार किया जाना था। मलेरिया निरोधक कार्यक्रमों की योजना में विशेष स्थान दिया गया था। योजना में मलेरिया निरोधक केन्द्रों की संख्या को बढ़ा कर २०० करने का लक्ष्य था, जिससे इस रोग से प्रभावित होने वाली समस्त जनसंख्या को सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। मलेरिया-निरोधक कार्यक्रमों के लिए योजना में २८ करोड़ ६० का आयोजन किया गया था।

योजना में परिवार-नियोजन-कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इन कार्यक्रमों के क्रमबद्ध विकास हेतु एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया गया था। सरकार को नगरों के क्षेत्र में प्रत्येक ५०,००० की जनसंख्या पर एक परिवार नियोजन केन्द्र (Clinic) खोलने की व्यवस्था करनी थी। छोटे नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ये केन्द्र धीरे धीरे स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ ही खोले जाने थे। योजना काल में लगभग ३०० केन्द्र नगरों में तथा २००० केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने का लक्ष्य था।

गृह-व्यवस्था—द्वितीय योजना में १०० करोड़ ६० निवास-गृहों के निर्माण हेतु निर्धारित किये गये थे। इस राशि में ४५ करोड़ ६० औद्योगिक गृह-

निर्माण में अनुदान देने के लिए, ४० करोड़ रु० कम आय वाले समुदाय को गृह-सुविधा देने के लिए, १० करोड़ रु० ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण करने, २० करोड़ अस्वास्थ्यकर घातों के हटाने तथा महतरो के लिए गृह-निर्माण करने के लिए, ३ करोड़ रु० मध्यम आय वाले व्यक्तियों के लिए गृह-निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए तथा २ करोड़ रु० पौध वाले उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए आवास-व्यवस्था हेतु निर्धारित किया गया था । द्वितीय योजना में विभिन्न वर्गों के लिए ३,२२,००० गृहों की व्यवस्था का आयोजन किया गया था ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना [२]

[योजना की आधारभूत नीतियाँ, औद्योगिक नीति-१९५६, केन्द्रीय सरकार का अनन्य एकाधिकार क्षेत्र, राज्य तथा व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यक्तिगत उद्योग के क्षेत्र, १९४८ एव १९५६ की औद्योगिक नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन, लघु एव गृह उद्योग नीति, रोजगार की नीति, श्रम-नीति एव कार्यक्रम, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति । प्रथम एव द्वितीय पंचवर्षीय योजना का तुलनात्मक अध्ययन ।]

योजना की आधारभूत नीतियाँ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण कतिपय नीतियों की आधारसिला पर आधारित हुआ है । उन नीतियों का पृथक् पृथक् विश्लेषणात्मक अध्ययन भी आवश्यक है ।

औद्योगिक नीति—१९५६

१९५६ में १९४८ की औद्योगिक नीति को आठ वर्ष व्यतीत हो गए थे । इस नीति के ८ वर्षों के अनुभवों तथा मध्य अर्वाध के परिवर्तनों के आधार पर नवीन नीति को घोषणा करना आवश्यक समझा गया । इन ८ वर्षों में भारतीय संविधान का जन्म हुआ जिसके द्वारा राजकीय नीति निर्देशक तत्व निश्चित किए गए हैं । लोकसभा द्वारा १९५४ में समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करना राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों का उद्देश्य मान लिया गया । इसके साथ प्रथम पंचवर्षीय योजना भी पूर्ण हो चुकी थी तथा इसके अनुभवों के आधार पर भविष्यत नियोजन हेतु नवीन औद्योगिक नीति की आवश्यकता थी । समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना के लिए लोक साहस की स्थापना एवं असमानताओं में कमी करने का सुझाव दिया गया । जन-समुदाय के कल्याण के लिए शीघ्र औद्योगीकरण की आवश्यकता समझी गयी

और इन्ही समस्त कारणों से औद्योगिक नीति में आवश्यक परिवर्तन किए गये ।

३० अप्रैल १९५६ को औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव स्वयं प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने ससद के सम्मुख प्रस्तुत किया । प्रस्ताव में उत्पादन में निरन्तर वृद्धि एवं समान वितरण को अधिक महत्व दिया गया था तथा राज्य को औद्योगिक विकास में क्रियाशील भाग लेने की सिफारिश की गयी थी । प्रस्ताव के अनुसार राज्य को शस्त्र, परमाणु-शक्ति तथा रेल यातायात पर एकाधिकार प्राप्त करने के साथ-साथ ६ आधारभूत उद्योगों की नवीन इकाइयों की स्थापना का एकमात्र अधिकार भी होना चाहिए था । शेष सभी उद्योगों में व्यक्तिगत साहस को कार्य करने का अवसर दिया जाय, परन्तु राज्य को इस क्षेत्र में भी भाग लेने की सिफारिश की गयी ।

नवीन औद्योगिक नीति द्वारा समस्त उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया जो निम्न प्रकार हैं—

(अ) केन्द्रीय सरकार का अनन्य एकाधिकार क्षेत्र—इस वर्ग में १७ उद्योग सम्मिलित किए गये जिन्हें प्रथम अनुसूची (Schedule 'A') में रखा गया । इन उद्योगों की नवीन इकाइयों की स्थापना करने का उत्तरदायित्व राज्य का ही होगा । परन्तु निजी उद्योगपतियों के स्वामित्व में इन उद्योगों की जो वर्तमान इकाइया हैं, उनके विस्तार एवं उन्नति के लिए राज्य द्वारा समस्त सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी और आवश्यकता पड़ने पर राज्य भी राष्ट्र के हितार्थ निजी क्षेत्र से सहयोग की याचना कर सकता है । रेलवे तथा वायु यातायात, शस्त्र एवं परमाणु शक्ति का विकास केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया जायगा । निजी क्षेत्र का जब सहयोग प्राप्त किया जायगा तो राज्य पूँजी का अधिक भाग देकर अथवा अन्य विधियों द्वारा ऐसी इकाइयों की नीतियों के निर्धारण एवं नियन्त्रण की शक्ति अपने अधिकार में रखेगा । इस वर्ग में निम्नांकित उद्योग सम्मिलित किये गए—

(१) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग—अस्त्र, शस्त्र तथा अन्य युद्ध-सामग्रियों के निर्माण के उद्योग तथा अणुशक्ति उत्पादन ।

(२) वृहद् उद्योग—लोहा एवं इस्पात, लोहा एवं इस्पात की भारी ढली हुई वस्तुएँ, लोहा एवं इस्पात के उत्पादन, खनिज तथा मशीनों के भारी मशीन निर्माण करने के लिए भारी मशीनों के उद्योग, भारी बिजली का सामान बनाने वाले उद्योग आदि ।

(३) खनिज सम्बन्धी उद्योग—कोयला, लिगनाइट, खनिज तेल, सोहा-खनिज, जिप्सम, मैंगनीज, सल्फर, सोना, चाँदी, ताँबा, हीरा इत्यादि ।

(४) यातायात एवं संवादावाहन सम्बन्धी उद्योग—वायुयानों का निर्माण, वायु यातायात, जलयानों का निर्माण, टेलीफोन टेलीग्राफ, वायरलैस, रेल यातायात इत्यादि ।

(५) विद्युत्-उत्पादन एवं वितरण ।

(ब) राज्य तथा व्यक्तिगत—मिश्रित क्षेत्र—इस वर्ग में व्यक्तिगत पूँजीपतियों एवं सरकार दोनों को नवीन औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा । अर्थात् इस वर्ग के उद्योगों को नवीन इकाइयों की स्थापना का उत्तरदायित्व सामूहिक होगा । परन्तु इस वर्ग के उद्योगों को क्रमशः शासकीय क्षेत्र में ले लिया जायगा । इस वर्ग में कुल १२ उद्योग हैं जिन्हें अनुसूची 'ब' (Schedule 'B') में रखा गया है । ये उद्योग इस प्रकार हैं—

(१) मिनरल्स कन्सेशन क्लस, १९४० की धारा ३ में परिभाषित लघु खनिजों के अतिरिक्त अन्य सभी खनिज ।

(२) अल्यूमिनियम तथा भ्रूलोह धातुएँ जो अनुसूची 'अ' में सम्मिलित न हों ।

(३) मशीन औजार ।

(४) लोह मिश्रण तथा औजार इस्पात ।

(५) रासायनिक उद्योगों में उपयोग आने वाली आधारभूत तथा मध्यम वर्ग की वस्तुएँ ।

(६) एन्टीबायोटिक्स एवं अन्य आवश्यक दवाइयाँ ।

(७) खाद ।

(८) कृत्रिम रबर ।

(९) कोयले का कार्बन में परिवर्तन ।

(१०) रासायनिक लुब्धि ।

(११) सड़क यातायात ।

(१२) समुद्र यातायात ।

(स) व्यक्तिगत उद्योग के क्षेत्र—शेष समस्त उद्योग इस तीसरे वर्ग में सम्मिलित किये गये । इसमें लघु उद्योगों के साथ साथ बुनाई उद्योग, कागज, सीमेन्ट, बरत, शक्कर आदि सभी उद्योग सम्मिलित हैं । इन उद्योगों का भावी विकास साधारणतः निजी क्षेत्र द्वारा ही किया जायगा परन्तु सरकार को इस क्षेत्र में भी अपनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने का अधिकार होगा । सरकार इन उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए यातायात, पूँजी, शक्ति तथा अन्य आवश्यक साधनों का आयोजन करने का प्रयास करेगी तथा सरक्षण एवं उचित कर-नीति द्वारा इनके विकास को प्रोत्साहित किया जायगा ।

(६) देश का सन्तुलित औद्योगिक विकास करने के लिए तांत्रिको एवं प्रबन्धको को आवश्यकता होगी, इसलिए सरकार आवश्यक शिक्षा एवं प्रशिक्षण-सुविधाओं का प्रबन्ध करेगी।

(७) देश के औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होगा। निजी क्षेत्र को निश्चित सीमाओं में तथा निश्चित योजनाओं के अनुसार विकास करने का अवसर प्रदान किया जायगा।

(८) सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि उद्योगों का संचालन निर्धारित औद्योगिक नीति के अनुसार ही, परन्तु एक ही उद्योग में शासकीय तथा व्यक्तिगत औद्योगिक इकाइयों के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जायगा।

सन् १९४८ एवं सन् १९५६ की औद्योगिक नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन—दोनों ही नीतियों के आधारभूत सिद्धान्त समान हैं तथा दोनों ही नीतियों द्वारा मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है। दोनों में ही व्यक्तिगत एवं सरकारी क्षेत्र के सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को मान्यता दी गयी है। दोनों में ही शासकीय क्षेत्र के विस्तार को आवश्यक बताया गया है। औद्योगिक प्रबन्ध के समाजीकरण, योजनात्मक अर्थ-प्रबन्ध, सुरक्षण तथा देश के आर्थिक साधनों के विकास को दोनों में ही महत्व दिया गया है। परन्तु यह समझना उचित न होगा कि नवीन औद्योगिक नीति पुरानी औद्योगिक नीति की सशब्द पुनरावृत्ति है। कतिपय लक्षण दोनों नीतियों के पृथक्कीकरण तथा भिन्न अस्तित्व को अन्तर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे निम्नप्रकारेण हैं—

(१) शासकीय क्षेत्र का विस्तार—नवीन औद्योगिक नीति में शासकीय क्षेत्र के निरन्तर विस्तार का आयोजन किया गया है जबकि सन् १९४८ में गिने-चुने उद्योगों को ही शासकीय एकाधिकार में रखा गया था। इससे यह स्पष्ट है कि शासन शनैः शनैः उद्योगों का विकास अपने हाथ में ले सकता है।

(२) समाजवादी व्यवस्था की स्थापना—नवीन औद्योगिक नीति में समाजवादी प्रकार के समाज के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। धन, आय एवं शक्ति के विकेन्द्रीकरण को विशेष महत्व दिया गया है। असमानताओं को कम करने के लिए शासकीय क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र में भी अधिकधिक भाग लेगा। सन् १९४८ की नीति में अधिक उत्पादन को विशेष महत्व दिया गया क्योंकि तत्कालीन न्यूनताओं का निवारण करना अत्यन्त आवश्यक था।

(३) उद्योगों का क्षेत्रीय विकास—नवीन औद्योगिक नीति में देश के सन्तुलित विकास को अधिक महत्व दिया गया है। इसी उद्देश्य से औद्योगिक

दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए ठोस कदम उठाने का आयोजन किया गया है। सन् १९४८ की औद्योगिक नीति में इस ओर विशेष ध्यानाकर्षित नहीं किया गया था।

(४) उद्योगों के वर्गीकरण में शिथिलता—नवीन नीति में उद्योगों के वर्गीकरण में शिथिलता रखी गयी है। परिणामस्वरूप योजना की आवश्यकतानुसार कोई भी उद्योग किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो।

(५) औद्योगिक श्रमिकों को कार्य करने की दशाओं में आवश्यक सुधार करने तथा उनकी कायशीलता में वृद्धि करने, औद्योगिक शान्ति स्थापित करने, सामूहिक विचार-विमर्श करने, श्रमिकों एवं तांत्रिकों को जहाँ भी सम्भव हो, प्रबन्ध में भाग लेने के अवसर प्रदान करने आदि का उत्तरदायित्व सरकारी क्षेत्र की नवीन नीति में निश्चित किया गया।

नवीन औद्योगिक नीति की आलोचना विभिन्न पक्षों ने की है। प्रतिक्रियावादी तथा दक्षिण-पश्चिम नेताओं ने इसे अदूरदर्शितापूर्ण तथा अतिशय क्रान्तिकारी बताया है। दूसरी ओर समाजवादी एवं वाम-पश्चिम नेताओं ने इसे समाजवादी व्यवस्था हेतु पूर्णरूपेण अनुपयुक्त बताया है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से औद्योगिक नीति की आलोचना करते हुए लोगों ने बताया है कि इसमें शासकीय क्षेत्र को अत्यधिक महत्त्व एवं अधिकार दिया गया है। फलस्वरूप व्यक्तिगत क्षेत्र में अनिश्चितता की भावना जाग्रत हो सकती है। साथ ही शासन के कर्तव्यों पर अधिक भार पड़ सकता है। दूसरी ओर औद्योगिक नीति में राष्ट्रीयकरण जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर स्पष्टरूपेण कुछ नहीं कहा गया है। फलतः व्यक्तिगत उद्योगपति नये उद्योगों में पूर्णतः विनियोजित करने के लिए प्रोत्साहित न होंगे। आवश्यकतानुसार सरकार नीति के निर्धारित सिद्धान्तों में परिवर्तन कर सकती है। यह सम्भावना भी व्यक्तिगत साहसियों में अनिश्चितता की भावना जाग्रत कर सकती है।

उपरोक्त अस्पष्टताओं के हाते हुए भी नवीन औद्योगिक नीति द्वारा कई भ्रमपूर्ण बातों का निवारण हो गया है— समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना हेतु सरकार को विस्तृत साधन एवं अधिकार प्राप्त हो गये हैं। इस नीति द्वारा दस के शीघ्र औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम निश्चित करते समय नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों को आधार मान लिया गया है।

लघु एवं गृह उद्योग सम्बन्धी नीति

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लघु एवं गृह उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम प्रथम

योजना की तुलना में अत्यधिक विस्तृत है। योजना आयोग ने जून १९५५ में इन उद्योगों के कार्यक्रमों तथा समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ग्रामीण एवं लघु उद्योग (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) समिति की जो कि कर्वे समिति के नाम से प्रसिद्ध है, नियुक्ति की। इस समिति ने अपनी सिफारिशें करते समय निम्न उद्देश्यों को आधार माना—

(१) जहाँ तक सम्भव हो द्वितीय योजना काल में परम्परागत ग्रामीण उद्योगों में तांत्रिक बेरोजगारी का और अधिक विस्तार न हो।

(२) विभिन्न ग्रामीण एवं लघु उद्योगों द्वारा द्वितीय योजना काल में अधिकतम रोजगार अवसर प्रदान किये जायें।

(३) विकेंद्रित समाज की स्थापना तथा आर्थिक विकास की तीव्र गति के लिए आधारभूत प्रकार के आयोजन किये जायें।

वास्तव में तांत्रिक बेरोजगारी की समस्या, जो कि आधुनिक उत्पादन की विधियों के उपयोग के कारण उत्पन्न होती है, के विस्तार को रोकने के लिए लघु एवं ग्रामीण उद्योगों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, विकेंद्रित समाज की स्थापना करना तथा उत्पादन की गति में वृद्धि अत्यन्त आवश्यक होगी। समिति ने रोजगार की समस्या का सर्वाधिक महत्त्व दिया है और इमीलिए उत्पादन की वृद्धि के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कोई ऐसी कार्यवाही करने का सुभाव नहीं है जिससे रोजगार की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़े। यद्यपि उत्पादन की गति में वृद्धि के लिए उत्पादन की तांत्रिक विधियों में सुधार करना आवश्यक होगा, परन्तु समिति ने इन सुधारों की सीमा उस अवस्था पर निश्चित की है, जहाँ कि रोजगार के अवसरों में कमी न होती हो। समिति को इस सिफारिश का यह अर्थ कदापि नहीं है कि आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त तांत्रिक विधियों द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने का आयोजन किया जाय। समिति की सिफारिशों में यह स्पष्टरूपेण कथित है कि नयी पूँजी का विनियोजन यथासम्भव आधुनिक उत्पादक सामग्री में किया जाय अथवा ऐसी सामग्री में किया जाय जिसमें सुधार किये जा सकते हैं। समिति के विचार में ऐसे बेरोजगारों एवं अर्ध-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को, जो ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र से सम्बद्ध हैं, उन्हीं व्यवसायों में लाभप्रद रोजगार दिये जाने का प्रयत्न करना चाहिए जिनमें उन्हें परम्परागत प्रशिक्षण, अनुभव एवं सामग्री प्राप्त है। इस प्रकार की व्यवस्था से उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने लिए नयी पूँजी एवं प्रशिक्षित धर्म की समस्या का निवारण हो सकता है। इस प्रकार भारी एवं आधारभूत उद्योगों के विकास के लिए उपभोक्ता-वस्तुओं की पूर्ति परम्प-

रागत उद्योगों की विद्यमान पूंजी एवं धन के साधनों से की जा सकती है। इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति हेतु द्वितीय योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास को विशेष स्थान दिया गया था।

समिति की अन्य सिफारिशों का समावेश इस प्रकार है—

(१) ग्रामीण जीवन का सामूहिक संगठन को कि विकेन्द्रीयकरण प्रथम सहकारिता पर आधारित हो।

(२) उत्पादकों द्वारा कच्चे माल, श्रम तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की योजनाबद्ध पूर्ति के लिए क्रय तथा विक्रय सहकारी समितियों की स्थापना करना। सहकारी समितियों द्वारा वस्तुओं का संगठित विपणन की सुविधा का भी आयोजन किया जाय। प्रारम्भिक अवस्था में सहकारिता को शासकीय प्रतिभूति (Guarantee) प्राप्त होनी चाहिए।

(३) सहकारी विक्रय एवं गोदाम-व्यवस्था निगम (Co-operative Development and Warehousing Corporation) की स्थापना के पश्चात् इस संस्था के कार्यक्षेत्र में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(४) दीर्घकालीन साख की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य के वित्तीय निगमों में एक लघु उद्योग विभाग की स्थापना की जानी चाहिए।

(५) रिजर्व बैंक को, ग्रामीण एवं सहकारी उद्योगों को वित्त प्रदान करने के कार्यक्रमों के लिए, पूर्णरूपेण उत्तरदायी कर दिया जाय, जिस प्रकार कि कृषि साख हेतु रिजर्व बैंक उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

(६) केन्द्र में एक पृथक् विभाग, जो कि कैबिनेट श्रेणी के मंत्री के प्राचीन हो, की स्थापना ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए की जानी चाहिए। इसके साथ कैबिनेट की एक समिति की स्थापना ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए की जानी चाहिए।

(७) उपर्युक्त सिफारिशों के अतिरिक्त समिति ने कुछ प्रतिबन्ध सम्बन्धी सिफारिशें कीं। लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के प्रारम्भिक विकास काल में उपभोक्ता वृहद् उद्योगों के उत्पादन की अधिकतम सीमा निश्चित की जानी चाहिए। इस कार्यवाही से लघु एवं ग्रामीण उद्योगों में उत्पादित उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग में वृद्धि हो सकेगी। समिति ने कपड़ा बुनने तथा हाथ से शबल कूटने के उद्योगों को सरक्षण देने के लिए चावल के कारखानों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ये

उद्योग उन्नत हो सकें। इस प्रकार समिति के विचार में मिलों द्वारा कपड़ा बुनने की सीमा ५०,००० लाख गज तथा शक्ति से चलने वाले करघों का उत्पादन २,००००० लाख गज सीमित किया जाना चाहिये। शेष कपड़े की समस्त माँग की पूर्ति हाथकरघा उद्योग द्वारा की जानी चाहिए। वनस्पति तेल एवं चमड़ा उद्योगों की उत्पादन-क्षमता के विस्तार पर भी प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की गयी है। नये तेल-मिलों की स्थापना पर रोक लगाना आवश्यक बताया गया है। केवल उन क्षेत्रों में तेल की मिलें स्थापित की जायें, जहाँ तेल पेरने के अन्य साधन उपलब्ध न हों। उपर्युक्त चारों बृहद् उद्योगों पर भेदपूर्ण (Differential) उत्पादन कर (Excise Duty) लगाने का भी सुझाव दिया गया है। इन करों में एक और उपभोक्ता से अतिरिक्त अर्थ प्राप्त करके लघु उत्पादकों का पुनर्वास (Rehabilitation) किया जा सकेगा तथा दूसरी ओर ग्रामीण उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं के मूल्य बृहद् उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की तुलना में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।

द्वितीय योजना में उपर्युक्त समस्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जाना था। योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास को अधिक महत्व दिये जाने के निम्नलिखित मुख्य कारण थे—

(१) अर्थ-व्यवस्था में तात्त्विक परिवर्तन (Technological Changes) होने के कारण बेरोजगारी बड़ी मात्रा में विद्यमान थी और इसके और अधिक विस्तार को रोकना अत्यन्त आवश्यक था।

(२) बेरोजगारी, जो कि विभिन्न कारणों से वृद्धि की ओर अग्रसर थी, को दूर करने के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की आवश्यकता थी।

(३) ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में पूँजीगत उत्पादन सामग्री (Capital Equipment) का अभाव था। इन उद्योगों की अवनति थोड़े समय पूर्व ही मशीनोत्पादन से प्रतिस्पर्धा होने के कारण हुई। इन उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पूँजीगत सामग्री पर अधिक विनियोजन की आवश्यकता नहीं होती थी। इस प्रकार राष्ट्र के अधिकतम अर्थ-साधनों का विनियोजन पूँजीगत, भारी एवं आधारभूत उद्योगों में किया जा सकता था।

(४) ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये राज्य पर वित्तीय भार कम पड़ता।

(५) आर्थिक उत्पादन में विकेंद्रीकरण की स्थापना करना सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से आवश्यक था और इसके लिए ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विकास होना आवश्यक था।

(६) वृहद् उद्योगों की स्थापना से ग्रामीण एवं नगरों के जीवन स्तर का अन्तर और भी गम्भीर होने की सम्भावना रहती है। इस अन्तर को रोकने के लिए ग्रामीण उद्योगों का विकास होना चाहिए।

इस प्रकार द्वितीय योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास द्वारा रोजगार के अवसरों की वृद्धि, बेरोजगारी के विस्तार को रोकना, उपभोक्ता-वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाना, पूंजीगत एवं आधारभूत उद्योगों के लिए अधिक अर्थ-साधन उपलब्ध कराना, विकेन्द्रित समाज की स्थापना करना आदि उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य रखा गया था। १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भी ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का सुदृढ बनाने की आवश्यकता बतायी गयी थी। इसके साथ इन उद्योगों एवं वृहद् उद्योगों के क्षेत्र में सामाजिक स्थापित करने को भी महत्त्व दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के विस्तार तथा शक्ति के सस्ते मूल्य पर प्राप्त होने से ग्रामीण उद्योगों को सुदृढ बनाने में सहायता प्राप्त हो सकती थी और जब तक ये उद्योग पर्याप्त सुदृढता प्राप्त नहीं कर लेते, इन्हें संरक्षण देने के लिए वृहद् उद्योगों के क्षेत्र के उत्पादन को सीमित करना, भद्रपूर्ण ढंग से व्यवस्था तथा लघु उद्योगों को प्रत्यक्षरूपेण सहायता देना आवश्यक था।

उपयुक्त विवरण के अध्ययन से बहुत से परस्पर विरोधी प्रश्न सम्मुख आते हैं, उनका विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(१) तान्त्रिक परिवर्तनों के कारण होने वाली बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या लघु एवं ग्रामीण उद्योगों में परम्परागत एवं अकुशल उत्पादन विधियों का ही उपयोग किया जाता रहेगा? एक ओर ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है और दूसरी ओर बेरोजगारी के भय से तान्त्रिक सुधार भी नहीं किये जा सकते हैं। तान्त्रिक सुधारों की अनुपस्थिति में उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन की लागत भी अधिक रहती तथा पर्याप्त मात्रा एवं गुण (Quality) का उत्पादन भी न हो सकता था। जब राष्ट्र में पूंजीगत एवं आधारभूत उद्योगों का विकास आधुनिक तान्त्रिक विधियों द्वारा किया जाना था तो देश के लघु एवं ग्रामीण क्षेत्र में परम्परागत उत्पादन विधियाँ किस प्रकार उपयुक्त हो सकती थी और यदि प्रारम्भिक काल में इस व्यवस्था को शासकीय सहयोग द्वारा चलाया भी जाता तो दीर्घकाल तक ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को इस अवस्था में लाने के लिए कि वे वृहद् उद्योगों से स्वतः ही सामाजिक स्थापित कर सकें, उनमें तान्त्रिक परिवर्तन करना अनिवार्य था।

(२) द्वितीय महत्त्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सम्मुख आता है, वह यह है कि क्या तान्त्रिक परिवर्तनों द्वारा ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है अथवा तान्त्रिक

परिवर्तन बेरोजगारी पर किस सीमा तक प्रभाव डालते हैं ? तान्त्रिक परिवर्तनों द्वारा एक ओर धर्म को हटा कर मशीन का उपयोग किया जाता है तथा दूसरी ओर उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि भी होती है। उत्पादन में वृद्धि होने से लघु साहसियों की आय में वृद्धि होना भी स्वाभाविक है। आय की वृद्धि के साथ वचत तथा विनियोजन में भी वृद्धि हो सकती है तथा पूँजी-निर्माण में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि सम्भव होती है। परन्तु प्रारम्भिक काल में तान्त्रिक सुधार करने के लिए पूँजी की उपलब्धि का प्रबन्ध करना आवश्यक होता है तथा जब यह विधि प्रारम्भ हो जाय तो गृह एव लघु उद्योगों के क्षेत्र का स्थायीरूपेण विकास सम्भव हो सकता है। दूसरी ओर तान्त्रिक परिवर्तनों को प्रोत्साहन न मिलने पर बेरोजगारी के विस्तार की गम्भीरता को केवल अल्प समय के लिए ही रोका जा सकता है। भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती है, केवल विद्यमान धर्म को ही रोजगार देने की समस्या नहीं है, प्रत्युत धर्म में जो वृद्धि होती है, उसके लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करना आवश्यक होता है। नवीन रोजगार के अवसर अधिक विनियोजन द्वारा ही सम्भव हो सकते हैं। इस प्रकार तान्त्रिक सुधार बेरोजगारी की समस्या के निवारण में बाधक के स्थान पर सहायक हो सकते हैं।

(३) द्वितीय योजना में लघु एव ग्रामीण उद्योगों के विकास का मुख्य उद्देश्य योजना के विकास-कार्यक्रमों एव पूँजीगत तथा आधारभूत उद्योगों में विनियोजन एवं सामाजिक कार्यक्रमों पर अधिक व्यय के कारण जन-समुदाय को जो अधिक क्रय-शक्ति प्राप्त होनी थी, उसके लिए उपभोक्ता-वस्तुओं की पूर्ति करना आवश्यक था। इससे स्पष्ट नहीं होता है कि इन उद्योगों को व्यवस्था में उपभोक्ता-वस्तुओं की पूर्ति हेतु स्थायी स्थान दिया जायगा, अथवा भविष्य में उपभोक्ता-वस्तुओं का उत्पादन भी वृहद् उद्योगों द्वारा किया जायगा। यद्यपि विकेन्द्रित समाज की स्थापना हेतु इन उद्योगों को स्थायी स्थान प्राप्त हो सकता था परन्तु विकेन्द्रित समाज का स्थापन शासकीय क्षेत्र के विस्तार द्वारा भी किया जा सकता था। पूँजीगत उद्योगों के विकास से उपभोक्ता-उद्योगों का विकास होना स्वाभाविक ही होता है तथा इस प्रकार निकट भविष्य ही में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शासकीय संरक्षण द्वारा कोई भी क्षेत्र दीर्घकाल तक उन्नति नहीं कर सकता है।

रोजगार नीति (Employment Policy)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता एवं विस्तार को रोकने के लिए कार्यक्रम निश्चित किये गये थे। योजना-निर्माण के

साथ यह अनुमान लगाया गया कि योजना के प्रारम्भ में २५ लाख नागरिक तथा २८ लाख व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार थे। इसके साथ यह भी अनुमान था कि योजना काल में २० लाख व्यक्तियों से प्रति वर्ष श्रम की पूर्ति में वृद्धि होगी। योजना काल में नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः ३८ लाख एवं ६२ लाख व्यक्तियों से श्रम पूर्ति की वृद्धि का अनुमान था। इस प्रकार पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए १५३ लाख रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त अर्ध-रोजगार एवं अदृश्य-बेरोजगारी का भी कृपा में बड़ी मात्रा में ध्यान देना भी आवश्यक समझा गया था। शिक्षा प्रसार, भूमि-सुधार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्र जीविकोपार्जन की स्वाभाविक इच्छा के कारण जन समुदाय में मजदूरी पर काम करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही थी जिससे बेरोजगारी की समस्या ने एक स्पष्ट रूप ग्रहण कर लिया था।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी की समस्या का निवारण दीर्घकालीन विकास-कार्यक्रमों द्वारा ही हो सकता है। पाँच वर्षों के अल्प काल में इस समस्या के विस्तार एवं मात्रा को कम किया जा सकता है, परन्तु पूर्ण रोजगार-व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन ही नहीं प्रत्युत असम्भव है। इसी कारण से द्वितीय योजना में इस समस्या का निवारणार्थ जो आयोजन किये गये थे, उनके द्वारा समस्या की तीव्रता (Intensity) में अवश्यमेव कमी हो जानी थी, परन्तु समस्या का समूल उन्मूलन असम्भव था।

भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ श्रम की पूर्ति अत्यधिक है, और जिसमें प्रति वर्ष २० लाख व्यक्तियों की वृद्धि होती है, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए श्रम का अधिक उपयोग करने वाली तांत्रिकताओं का उपयोग करना स्वाभाविक एवं वाञ्छनीय है। परन्तु अर्ध-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूँजी प्रधान एवं श्रम-प्रधान तांत्रिकताओं के निश्चयार्थ केवल रोजगार के अवसरों की आवश्यकता को ही आधार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अर्ध-घटक भी तांत्रिकताओं के चयन पर प्रभाव डालते हैं। कुछ क्षेत्रों में तो उपयोग होने वाली तांत्रिकताओं में कोई चुनाव का स्थान ही नहीं होता क्योंकि उनके उत्पादन का प्रकार ऐसा होता है कि उनमें पूँजी प्रधान तांत्रिकताओं का ही उपयोग किया जा सकता है। एक ओर भारी उद्योग, रेल उद्योग, यातायात एवं संचार आदि का विकास आवश्यक है तथा दूसरी ओर इनमें सर्वमान्य तथा दीर्घकाल से उपयोग में आने वाली मशीनों आदि सामग्रियों का उपयोग होना स्वाभाविक है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु उनको श्रम-प्रधान करना किसी प्रकार उचित नहीं कहा

जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में भी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का, जो पूँजी-प्रधान हैं, उपयोग वांछनीय है। कृषि के यन्त्रीकरण (Mechanisation) द्वारा सम्भवतः इसके द्वारा उत्पादित बेरोजगारी की हानियों की तुलना में अधिक आर्थिक हित हो सकता है। सिंचाई एवं शक्ति की योजनाओं की तांत्रिकताओं का चुनाव विदेशी मुद्रा के साधनों की बचत करने की आवश्यकता तथा श्रम की पूर्ति पर आधारित होता है। यदि विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके तो सिंचाई एवं शक्ति के कार्यक्रमों को शीघ्र सेवायोग्य (Serviceable) बनाने के लिये पूँजी प्रधान तांत्रिकताओं का उपयोग वांछनीय है क्योंकि इनके द्वारा कृषि एवं औद्योगिक विकास निर्धारित होता है।

विकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी की समस्या का निवारण विस्तृत निर्माण (Construction) कार्यक्रमों को क्रियाविन्त करके किया जाता है। परन्तु निर्माण कार्यक्रमों में अधिक विनियोजन की आवश्यकता होती है तथा निर्माण-कार्य पूर्ण होने के पश्चात् बड़ी मात्रा में श्रम बेरोजगार हो जाता है। निर्माण-कार्यक्रमों द्वारा केवल अल्प काल के लिए बेरोजगारी के दबाव को कम किया जा सकता है। निर्माण कार्य के पूर्ण होने पर इनसे प्रथम् हुए श्रम को अन्य व्यवसायों में रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण आदि की समस्याएँ भी प्रस्तुत होती हैं।

इस प्रकार केवल उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों का क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें तांत्रिकताओं के चुनाव में थोड़ी कठिनाई होती है। देश की आर्थिक स्थिति एवं भविष्य के कार्यक्रमानुसार इन उद्योगों का विकास पूँजी-प्रधान एवं श्रम-प्रधान — दोनों ही तांत्रिकताओं के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देने के कारण अर्थ-साधनों के अधिकतम भाग को इन उद्योगों के विकास में विनियोजित किया जाता है। उपभोक्ता-वस्तुओं के विकास के लिए इस प्रकार अर्थ-साधन और विदेशी अर्थ-साधन उपलब्ध न होने के कारण इन उद्योगों का उत्पादन श्रम-प्रधान तांत्रिकताओं द्वारा बढ़ाना स्वाभाविक ही है। दूसरी ओर बेरोजगारी की समस्या के विस्तार को रोकने के लिए उपभोक्ता-वस्तुओं के उद्योग में पूँजी-प्रधान तांत्रिकताओं के उपयोग को प्राथमिकता न देकर श्रम-प्रधान तांत्रिकताओं को ही प्राथमिकता प्रदान की जाती है। योजना आयोग के अनुसार श्रम-प्रधान तांत्रिकताओं के उपयोग में प्रति व्यक्ति बचत अधिक नहीं होती है, परन्तु समस्त क्षेत्र की बचत पूँजी-प्रधान तांत्रिकताओं के उपयोग द्वारा उत्पादित बचत से कहीं अधिक होती है। इस प्रकार पूँजी निर्माण के लिए पर्याप्त बचत प्राप्त हो सकती है। दूसरी

और यदि पूंजी-प्रधान तांत्रिकताओं का उपयोग किया जाय तो प्रति उत्पादक आय अवश्य ही अधिक होगी परन्तु जनसंख्या का बड़ा भाग बेरोजगार रहेगा जिसके जीवन-निर्वाह का भार भी उत्पादक नागरिकों पर ही रहेगा। इस प्रकार उत्पादक नागरिकों की आय का कुछ भाग बेरोजगार नागरिकों के जीवन-निर्वाह पर व्यय हो जायगा और पूंजी-निर्माण हेतु बचत की मात्रा पर्याप्त होना अत्यन्त कठिन होगी। इस प्रकार श्रम-प्रधान तांत्रिकताओं का उपयोग किया जाना वाछनीय है परन्तु छोटे-छोटे उत्पादकों की बचत को एकत्रित करने के लिए सगठन-सम्बन्धी सुधार आवश्यक होते हैं। द्वितीय योजना में इसी कारण से उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन हेतु ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास को विशेष महत्त्व दिया गया। साथ ही परम्परागत उत्पादन-विधियों को कार्यशील बनाने के प्रयास किये गये जिससे एक ओर तांत्रिक परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी का भय न रहे तथा दूसरी ओर इन उद्योगों की उपयोग में न आने वाली उत्पादन-क्षमता का अधिक पूंजी-विनियोजन किए बिना ही उपयोग किया जा सके। इस प्रकार द्वितीय योजना में बेरोजगारी की समस्या के विस्तार को रोकने एवं उसकी गम्भीरता को कम करने के लिए उपभोक्ता-वस्तुओं के उद्योगों में श्रम-प्रधान तांत्रिकताओं के उपयोग को प्रधानता दी गयी थी। बेरोजगारी की समस्या के निवारणार्थ ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास को द्वितीय योजना में विशेष स्थान दिया गया था। इस सम्बन्ध के सभी कार्यक्रम इसी आधारभूत नीति पर आधारित थे।

योजना आयोग के अनुमानानुसार योजना काल में कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में ८० लाख रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न किये जाने का अनुमान था। ये अवसर विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार उत्पन्न होने का अनुमान था—

तालिका सं० ५७—द्वितीय योजना में अतिरिक्त रोजगार अवसर

क्षेत्र	रोजगार अवसर (लाख)
(१) निर्माण	२१.००
(२) सिंचाई एवं शक्ति	५.१
(३) रेलें	२.५३
(४) अन्य यातायात एवं संचार	१.८०
(५) उद्योग एवं खनिज	७.५०
(६) लघु एवं गृह उद्योग	४.५०

के कारण कृषि में खप जानी थी तथा अर्थ-रोजगार की समस्या का भी कुछ सीमा तक निवारण हो जाना था।

८० लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न होने पर इसके अनुसार उपभोग की वस्तुओं की पूर्ति में विस्तार करना आवश्यक था। यदि प्रति व्यक्ति आय का औसत प्रति मास १०० रु० अनुमानित किया जाय तो ग्रामिकों के हाथ में प्रति वर्ष ६६० करोड़ रु० की आय होनी थी जिसको वे उपभोक्ता-वस्तुओं के क्रय तथा बचत पर व्यय कर सकते थे। यदि यह मान लिया जाय कि इस आय का १०% भाग बचत व कर (जो अनुमान भी अत्यन्त अभिलाषी था) तब शेष ८६४ करोड़ रु० उपभोग पर व्यय किये जाने का अनुमान लगाया जा सकता था। अर्थ-व्यवस्था में श्रम की पूर्ति एवं रोजगार के अवसर धीरे धीरे बढ़ने से, लगभग ५०० करोड़ रु० की अतिरिक्त उपभोक्ता-वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि होने पर रोजगार के कार्यक्रम सफल हो सकते थे। उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन का लगभग ५०% भाग बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत होता है तथा इस प्रकार यदि उपभोक्ता-वस्तुओं की आवश्यकता से दुगुना उत्पादन होता, तभी रोजगार प्राप्त अतिरिक्त व्यक्तियों को उपभोक्ता-वस्तुएं उपलब्ध हा सकती थीं। द्वितीय योजना में जो पहले से ही रोजगार-प्राप्त वर्ग है, उसकी आय में वृद्धि होनी थी तथा उसकी उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग में भी वृद्धि होनी थी। दूसरी ओर कृषि-उत्पादन की वृद्धि का बड़ा भाग अदृश्य बेरोजगार एवं अर्थ-बेरोजगार, जिनके लिए योजना में कोई विशेष आयोजन नहीं किया गया था, के जीवन-यापन हेतु उपयोग हो जाना था। औद्योगिक-क्षेत्र के विनियोजन-कार्यक्रम का अधिकांश पूँजीगत एवं आधारभूत उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया तथा उपभोक्ता-वस्तुओं की अतिरिक्त पूर्ति का उत्तरदायित्व प्रामोख एवं लघु उद्योगों पर रखा गया था। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि होना कठिन थी। उपर्युक्त परिस्थितियों में उपभोक्ता-वस्तुओं की कमी एवं इनके अत्यधिक मूल्यों का भय उपस्थित हो सकता था। सरकार को उपभोग पर नियन्त्रण रखना आवश्यक था तथा रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की आय के अधिकाधिक भाग को विनियोजन को आर आकर्षित करना उचित था।

श्रम-नीति एवं कार्यक्रम

जब किसी राष्ट्र में आधुनिक प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाती है, श्रम को पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने की समस्या प्रस्तुत होती है। व्यक्तिगत क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक विकास में श्रम सम्बन्धी समस्याएँ अधिक गम्भीर होती हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की श्रम-नीति में नवीन सन्नियम बनाने की

(२) भ्रगडे की उपस्थिति में पारस्परिक वार्तालाप तथा स्वेच्छा से पंचों-की नियुक्ति की जानी। शासन को उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार रखनी जिनमें कर्मचारियों एवं मालिकों को विश्वास हो। यदि पंचों द्वारा निपटारा न हो सके तो सरकार को हस्तक्षेप करना।

(३) जानबूझ-कर निर्णयों पर पालन न करने वालों को बठोर दण्ड दिया जाना। निर्णयों का पालन कराने के लिए एक औद्योगिक ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी जिसे निर्णयों के अर्थ एवं क्षेत्र की व्यवस्था (Interpretation) करने का अधिकार होना।

(४) संयुक्त सलाहकार बोर्डों की सेवाओं का अधिक उपयोग किया जाना। बोर्डों द्वारा मुख्य समस्याओं का अध्ययन करना तथा सभी स्तरों पर सहयोग को भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न करना।

(५) सभी स्तरों पर—केन्द्र, राज्य एवं पृथक्-पृथक् कारखानों में—संयुक्त सलाहकार पद्धति की स्थापना किया जाना। पृथक्-पृथक् इकाइयों में कार्य-समितियों द्वारा संयुक्त सलाहकार पद्धति का कार्य करना। इन समितियों द्वारा उच्च स्तर पर किये गये समझौतों को कार्यान्वित कराने के अतिरिक्त उनके क्रियान्वित करने में जो समस्याएँ उपस्थित हों, उनका निपटारा संयुक्त सलाहकार पद्धति द्वारा करना।

(६) योजना की सफलता के कारखानों में श्रमिकों का अधिकाधिक सम्पर्क आवश्यक था। इससे उत्पादन में वृद्धि द्वारा कर्मचारी, कारखाने एवं समाज सभी का हित होना था। कर्मचारियों को उद्योगों के संचालन से अपने महत्त्व का ठीक-ठीक पता लग सकता था तथा श्रमिकों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त होना था जिससे कर्मचारियों एवं उद्योगपतियों में सुसम्बन्ध स्थापित हो सकें। इसके लिए प्रत्येक कारखाने में एक प्रबन्ध परिषद् (Council of Management) स्थापित करने की सिफारिश की गयी जिसमें प्रबन्धकों, तांत्रिकों (Technicians) तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये। प्रबन्धकों को यह जिम्मेदारी होनी थी कि वे इन परिषदों को आर्थिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों की जानकारी दें जिससे वे परिषदें उन विषयों पर विचार कर सकें। सामूहिक सौदे से सम्बन्धित विषयों पर विचार करने का अधिकार इन परिषदों को न दिया जाना था। इस व्यवस्था का प्रारम्भ बृहद्-संगठित उद्योगों से किया जाना था। श्रम-कल्याण समस्याओं पर पहले कार्य-समितियों में विचार किया जाना तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्पश्चात् प्रबन्ध परिषदों में विचार किया जाना।

(७) शासकीय क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में सरकार, नियोक्ता का स्थान ग्रहण करती है परन्तु सरकारी कारखानों के प्रबन्ध को ऐसी कोई सुविधाएँ अथवा किसी विधान से मुक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिये थी जो व्यक्तिगत क्षेत्र को प्राप्त न हो।

भूति सम्बन्धी नीति (Wage-Policy)—इस सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की गयी, उसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं—

(१) औद्योगिक दृष्टिकोण से विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में श्रमिकों को उचित वास्तविक भूति का आयोजन करना अत्यन्त आवश्यक था। द्वितीय योजना में उचित भूति प्रोत्साहन कारखाने के आधार पर निश्चित की जाने की तथा सीमान्त इकाइयों को बन्द होने से रोकने के लिए ऐच्छिक एव अनिवार्य एकीकरण की सिफारिश की गयी थी।

(२) यंत्र की अच्छी मरम्मत, कार्य करने की दशाओं तथा श्रमिकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाना था जिससे तत्कालीन यंत्रों से अधिक उत्पादन हो सके तथा भूति में वृद्धि की जा सके। न्यूनतम मजदूरी से अधिक पारिश्रमिक कार्यानुसार ही दिया जाना।

(३) वेतन गणना (Wage Census) करने का अनुमोदन किया गया था तथा वेतन आयोग (Wage Commission) की नियुक्ति का भी प्रबन्ध किया गया था जिससे प्रस्तावित समाज के निर्माण के अनुरूप श्रमिकों की मजदूरी निश्चित की जा सके।

(४) महंगाई भत्ता जीवन-निर्वाह-लागत-निर्देशांक (Cost of Living Index) पर आधारित होता है। इसलिये विभिन्न केन्द्रों की लागत निर्देशांकों में आवश्यक परिवर्तन किये जाने थे जिनसे सभी केन्द्रों में समानता आ जाय।

(५) भूति-सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा करने के लिये सभी उद्योगों में त्रिपक्षीय सभाओं (Tripartite Wage Board) की स्थापना की जानी थी जिनमें कर्मचारियों एव नियोक्ताओं के समान प्रतिनिधि होने थे तथा जिनमें सभापति एक स्वतन्त्र व्यक्ति होता था।

सामाजिक सुरक्षा (Social Security)—द्वितीय योजना में श्रमिक प्राविधिक निधि (Labour Provident Fund) योजना को उन सभी उद्योगों एव व्यापारिक सस्थाओं पर लागू करने का प्रस्ताव था जहाँ १०,००० या इससे अधिक मजदूर कार्य करते थे। इसी प्रकार मजदूरों के चन्दे की दर भी ६.३% से ८.३% करने का सुझाव था। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्षेत्र को बढ़ाने पर भी विचार किया गया तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को भी अध्ययन करने की सिफारिश की गयी थी।

कार्य करने की दिशाएँ (Working Conditions)—कारखानों, बंकाशाप, संस्थाओं (Establishment) आदि में कार्य करने की दशाओं का नियमन १९४८ के कारखाना अधिनियम (Factories Act, 1948) द्वारा किया जाना था। द्वितीय योजना में निर्माण उद्योग (Construction Industry), यातायात सेवाओं, दुकानों एवं व्यापारिक संस्थाओं की कार्य करने की दशाओं का नियमन करने के लिये सन्नियम पास किया जाना था। ठेके पर कार्य करने वाले श्रमिकों, कृषि श्रमिकों एवं श्रमिकों को यथासम्भव सुरक्षा देने हेतु उनकी समस्याओं का परीक्षण किया जाना था। ठेके के श्रम को समाप्त करने के लिये लिये कार्यवाही की जानी थी तथा इन्हें उन समस्त सुविधाओं का, जो कि अन्य प्रकार के श्रमिकों को उपलब्ध हो, प्रबन्ध किया जाना था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि-मजदूरों की समस्याओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। केवल न्यूनतम भृत्ति विधान को कृषि मजदूरों पर भी लागू कर दिया गया था। द्वितीय योजना में कृषि श्रमिकों को न्यूनतम भृत्ति सन्नियम के अनुसार निर्दिष्ट बरान के लिये राज्य सरकारों से कहा गया कि वे इस ओर ठोस कदम उठावें। वास्तव में कृषि मजदूरों की समस्याओं का निवारण भूमि-सम्बन्धी प्रस्तावित सुधार होने पर ही हो सकता था।

स्त्री-श्रमिकों की रक्षा के लिए योजना में प्रबन्ध किया गया था। सरतनाक कार्यों से सुरक्षा, प्रसूति सुविधाएँ (Maternity Benefits), बच्चों के खेलन आदि के लिये कारखानों में स्थान, दूध पिलाने वाली स्त्रियों को बच्चों को दूध पिलाने के लिये भृतियुक्त अवकाश, प्रशिक्षण सुविधाएँ आदि का भी आयोजन किया गया था।

रोजगार—उद्योगों में विवेकीकरण (Rationalization) किये जाने की व्यवस्था तब ही थी जबकि इसके द्वारा बेरोजगारी न होती हो। विवेकीकरण श्रमिकों से सलाह करके, कार्य करने की दशाओं में सुधार करके तथा विवेकीकरण द्वारा प्राप्त लाभ में से श्रमिकों को भाग देने की गारण्टी के पश्चात् ही किया जाना था। केन्द्रीय सरकार को एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति विवेकीकरण की योजनाओं को कार्यान्वित करने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के अध्ययन एवं निवारणार्थ करनी थी।

औद्योगिक गृह निर्माण—द्वितीय योजना में ४५ करोड़ रुपये का आयोजन १,२८,००० औद्योगिक श्रमिकों के लिये औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत गृह-निर्माण हेतु किया गया था।

श्रम सम्बन्धी कार्यक्रम—द्वितीय योजना में श्रम एवं श्रम-कल्याण के कार्यक्रमों के लिये २६ करोड़ ६० का (१८ करोड़ ६० केन्द्रीय सरकार तथा

११ करोड़ ६० लाख सरकार द्वारा) आयोजन किया गया था। मुख्य-मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार थे—

(१) प्रशिक्षण के १०,३०० स्थानों में १६,७०० सें वृद्धि करने का आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण के काल एवं गुण (Quality) में भी सुधार किया जाना था।

(२) निपुण (Skilled) श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिये भी कारखानों में प्रबन्ध किया जाना था। योजना के प्रथम वर्ष में ४५० श्रमिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण की सुविधा का प्रबन्ध किया जाना था, जो योजना के अन्तिम वर्ष में ५००० उम्मीदवार तक बढ़ा दिये जाने थे।

(३) शिक्षकों के प्रशिक्षणार्थ कोनी (मध्य प्रदेश) प्रशिक्षण केन्द्र के समान ही एक और केन्द्र स्थापित किया जाना था। कोनी के केन्द्र को भी किसी औद्योगिक क्षेत्र में लाने का विचार था।

(४) रोजगार की समस्याओं को १३० से बढ़ा कर २५६ करने का आयोजन था। ये सस्थाएँ रोजगार सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्रित करेंगी, युवकों को रोजगार एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सलाह देंगी तथा रोजगार की तलाश करने वालों को व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी प्रदान करेंगी।

(५) केन्द्रीय श्रम इन्स्टीट्यूट का विस्तार किया जाना था। इसमें औद्योगिक मनोविज्ञान तथा व्यवसायिक मनोविज्ञान के दो विभाग और स्थापित किये जाने थे।

(६) श्रमिकों के शिक्षणार्थ एक चलचित्र-इकाई (Film Unit) की स्थापना की जानी थी।

(७) कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा प्राविधिक निधि योजना को समन्वित किया जाना था तथा इन योजनाओं के कार्य-क्षेत्र में भी विस्तार किया जाना था।

(८) औद्योगिक-गृह निर्माण की व्यवस्था की गयी थी तथा इस हेतु ५० करोड़ रुपये का आयोजन किया गया था।

(९) निम्नलिखित पर्यवेक्षण द्वितीय योजनावधि में किया जाना था—

(अ) अखिल भारतीय कृषि-श्रमिक पर्यवेक्षण।

(ब) विस्तृत वेतन गणना (Wage Census), तथा

(स) प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों पर श्रमिकों के पारिवारिक बजट का पर्यवेक्षण।

कीय एवं व्यक्तिगत क्षेत्र को केन्द्रित योजनाओं को विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं का अनुमान ६६२ करोड़ रु० लगाया गया ।

द्वितीय योजना के प्रारम्भ से ही वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होना प्रारम्भ हो गया था तथा इन मूल्यों के आधार पर योजना के व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता थी, परन्तु देश के आन्तरिक एवं विदेशी भ्रय-साधनों की कठिनाई के कारण राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपनी मई १९५८ में हुई सभा में निश्चित किया कि योजना का समस्त व्यय ४८०० करोड़ रु० ही रहना चाहिए । परन्तु साधनों का पुनः निर्धारण करने पर योजना के व्यय को दो भागों, भाग 'अ' तथा भाग 'ब' में विभाजित कर दिया गया । भाग 'अ' पर ४५०० करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गयी तथा इसमें कृषि-उत्पादन से प्रत्यक्ष रूपेण सम्बद्ध कार्यक्रम, केन्द्रित कार्यक्रम (Core Projects) तथा ऐसे कार्यक्रम, जो कि पूर्ण होने के समीप हो, को सम्मिलित किया गया । शेष सभी कार्यक्रम भाग 'ब' में सम्मिलित किये गये जिनका वार्यान्वित करना साधनों की उपलब्धि पर निर्भर रहेगा । भाग 'अ' के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए भी एक ऋण द्वारा अतिरिक्त भ्रय-साधनों का उपलब्ध होना आवश्यक था । विभिन्न मदों पर दोहराई गयी व्यय-राशियाँ निम्न प्रकार हैं—

तालिका स० ५६—द्वितीय योजना का दोहराया गया व्यय-अनुमान^१

मद	दोहराया गया व्यय से प्रतिशत		समस्त व्यय से प्रतिशत		
	रु० (करोड़ रु०)	मूलिक	दोहराया गया	योग्यता का भाग 'अ' के समस्त व्यय से प्रतिशत	
कृषि एवं सामुदायिक विकास	५६८	११.८	११.८	५१.०	११.३
सिंचाई एवं शक्ति	८६०	१६.०	१७.६	८२.०	१८.२

द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में ३६१४ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है। विभिन्न क्षेत्रों के प्रसंगत यह व्यय इस प्रकार हुआ—

विकास नद	तालिका सं० ६०—द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों का व्यय				योग निर्धारित राशि १९५६-६० से योग का १० तक (करोड़ रु०)
	मूल्यांकन तथा सम्भावनाओं सम्बन्धी विवरण में की गयी व्यवस्था के अनुसार (करोड़ रु०)	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	
कृषि तथा सांसात्विक विकास	५१०	६९	८६	१०९	४११
सिंचाई एवं शक्ति	८२०	१६३	२६१	१६५	६९९
ग्रामीण तथा लघु उद्योग	१६०	२८	३३	३८	१४२
उद्योग एवं खनिज	७९०	५३	१६५	२४१	७००
यातायात एवं संचार	१३४०	२१७	२८७	२८४	१०४०
सामाजिक सेवाएँ	८१०	८८	१०७	१४४	४४८
विविध	७०	१५	१७	२१	७८
योग	४५००	६३३	८८४	१,००१	१,०६४
					३,६१४
					८,०३

यद्यपि योजना के 'अ' भाग का परिव्यय ४,५०० करोड़ रु० था परन्तु सशोधित अनुमानों के अनुसार योजना का समस्त वास्तविक व्यय लगभग ४,६०० करोड़ रु० होने की सम्भावना थी। प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना के अनुमानानुसार द्वितीय योजना काल में विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार व्यय होगा—

तालिका स० ६१—द्वितीय योजना का अनुमानित व्यय (१९५६-६१)

विकास मद	व्यय (करोड़ रु०)	योग से प्रतिशत
(१) कृषि एवं लघु सिंचाई योजनाएं	३२०	६.६
(२) सामुदायिक विकास एवं सहकारिता	२१०	४.६
(३) वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाएं	४५०	९.८
(४) शक्ति	४१०	८.६
(५) ग्रामीण एवं लघु उद्योग	१८०	३.६
(६) उद्योग एवं खनिज	८८०	१९.१
(७) यातायात एवं संचार	१,२६०	२८.१
(८) समाज सेवाएं	८६०	१८.७
	योग ४,६००	१००.०

योजना के प्रथम चार वर्षों में अर्थ-साधनों की उपलब्धि निम्न प्रकार हुई—

तालिका स० ६२—द्वितीय योजना का अर्थ प्रबन्धन (१९५६-६०) १

	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०	योग सम्भावित	योग (सम्भावित)
योजना का परिव्यय	६३४	८८२	९९८	१००६	३२५०	३२५०
आन्तरिक साधन	३३६	२९१	६४५	६०६	१८८४	१८८४
विदेशी सहायता	४२	९५	२१७	२७०	६२४	६२४
विदेशी सहायता सहित समस्त साधन	३८१	३८६	८६२	८७६	२५०५	२५०५
हीनार्थ प्रबन्धन	२५३	४९६	१३६	१२७	१०१२	१०१२

योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावित तृतीय योजना के अनुसार अर्थ-साधनों की उपलब्धि निम्न प्रकार से होने की सम्भावना है—

तालिका सं० ६३—द्वितीय-योजना के अर्थ-साधनों की उपलब्धि का अनुमान (१९५६-६१)

(करोड़ रुपये में)

माध्यम	प्राप्ति
१. वर्तमान कर के आधार पर प्राप्त आय	(—) १००
२. वर्तमान आधार पर रेलों का अनुदान	१५०
३. अन्य शासकीय व्यवसायों से वर्तमान आधार पर आधिक्य	८००
४. जनता से ऋण	३८०
५. लघु बचत	
६. प्राविधिक निधि, सम्पन्नता कर, -इस्पात समानीकरण (Equalisation) निधि एवं अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ	२१३
७. अतिरिक्त कर तथा शासकीय व्यवसायों से अतिरिक्त आय प्राप्त करने की कार्यवाहियाँ	१०००
८. विदेशी सहायता	६८२
९. हीनार्थ-प्रबन्धन	१,१७५
योग	४,६००

उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि योजना काल म हीनार्थ-प्रबन्धन की राशि ११७५ करोड़ रु० निर्धारित की गयी है जबकि चार वर्षों के आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि योजना के प्रथम चार वर्षों में हीनार्थ-प्रबन्धन १०१२ करोड़ रु० के लगभग किया गया है। इस प्रकार योजना के अन्तिम वर्ष के लिये केवल ६३ करोड़ रु० हीनार्थ-प्रबन्धन का आयोजन किया जा सकता है। द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में से किसी वर्ष की हीनार्थ प्रबन्धन की राशि १७२ करोड़ रु० से कम नहीं है। १९६०-६१ में योजना का समस्त सम्भावित व्यय ४६०० करोड़ रुपये की पूर्ति करन के लिये इस वर्ष योजना का व्यय लगभग ११०० करोड़ रुपया होगा। इतनी बड़ी राशि का प्रबन्ध करने के लिये अधिक हीनार्थ-प्रबन्धन की आवश्यकता पड सकती है। यद्यपि मूल्यों में अधिक वृद्धि एवं रहन-सहन की लागत में वृद्धि के अनुसार मजदूरी एवं वेतन म वृद्धि की माँग के आधार पर हीनार्थ-प्रबन्धन की राशि म वृद्धि करना उचित नहीं है। अभी तक हीनार्थ-प्रबन्धन द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभावों एवं मुद्रा-स्थिति के दबाव को संतित पोएड पावने का उपयोग करके सीमित रखा जाता था। परन्तु अब भविष्य के हीनार्थ-प्रबन्धन की प्रत्येक इकाई का मूल्यों पर प्रभाव

पड सकती है। यदि खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो जाय तथा इनके मूल्यों में कुछ कमी हो जाय तो हीनाथ-प्रबन्धन की राशि में वृद्धि की जा सकती है।

किन्ती भी योजना में आयात की व्यवस्था के लिये निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी विनिमय को उपयोग किया जा सकता है। निर्यात से होने वाली आय निर्यात की दृश्य वस्तुओं के अतिरिक्त अदृश्य मन्त्रों जैसे पर्यटन करने वाले यात्रिया (Tourist Traffic), अधिदोषण से आय, धीमा एवं किराये की आय आदि से प्राप्त होती है। भारत में इसके अतिरिक्त पौण्ड पावने की राशि का उन्माय भी आयात के शोधनार्थ उपलब्ध था। याजना के प्रथम चार वर्षों में विदेशी वित्तीय व्यवस्था निम्न प्रकारेण रही—

तालिका स० ६४—चालू शोधन-शेष (Current Balance of Payment)^१

(करोड़ रु० में)

१९५६-५७ १९५७-५८ १९५८-५९ १९५९-६० १९६०-६१
(मार्च से
सितम्बर तक)

आयात

(CIF) १०९९५ १२३३६ १०२९६ ९२३.७ ५३८.७

शासकीय एवं

व्यक्तिगत निर्यात

(FOB.) ६३५२ ५९४७ ५७५.९ ६२३.३ २९९.३

व्यापारिक शेष—४६४.३ —६३९५ —४५३७ —३००.४ —२३९.४

शासकीय असादान ३९५ ३४१ ३४४ ३५.६ २६.८

अन्य अदृश्य मद

(शुद्ध) ११२५ १०४४ ९१७ ७८.१ ३४८

चालू शेष

(शुद्ध) —३१२३ —५०१४ —६२७६ —१८०८ —१७७.८

प्रतिकूल शोधन-शेष में १९५८-५९ तथा १९५९-६० में कमी हो गयी क्योंकि आयात को कम करने के लिए प्रयास किये गये तथा विदेशी सहायता भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हुई। १९६०-६१ की प्रथम अर्ध-वार्षिकी में शोधन-

शेष की हीमता हुई है। निम्नलिखित तालिका से यह ज्ञात होता है कि चालू शोधन-शेष की कमी को किन-किन साधनों द्वारा पूरा किया गया।

तालिका स० ६५—शोधन-शेष की कमी की वित्तीय-व्यवस्था

(करोड़ रु० में)

१९५६-५७ १९५७-५८ १९५८-५९ १९५९-६० १९६०-६१
(अप्रैल से
सितम्बर तक)

शासकीय ऋण (शुद्ध)	३०७	११५१	२१८६	१८५५	१८८३
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F.) से निकाली गयी राशि	५४७	३४५	—	२४०	—१०५
अन्य पूंजीगत व्यवहार	४०	१०१७	८८४	२४४	२६४
संचित विदेशी विनिमय का उपयोग	२२१३	२५६६	४२३	१६१	५५०
अन्य भूल-चूक	१६	—६८	—२१७	२१२	—१४४
चालू शोधन-शेष की कमी	३१२३	५०१४	३२७६	१८०८	१७७८

१९५८-५९ वर्ष में १९५७-५८ वर्ष की तुलना में आयात में १५७ करोड़ रु० की कमी हुई जबकि १९५७-५८ में उससे पहले वर्ष की तुलना में १०५ करोड़ रु० का अधिक आयात हुआ था। इस प्रकार १९५७-५८ में आयात की राशि सर्वाधिक थी। १९५८-५९ में आयात में कमी होने का कारण आयात पर आरोपित प्रतिबन्ध थे। इन प्रतिबन्धों के कारण इस वर्ष में व्यक्तिगत आयात में कमी हुई। १९५९-६० का आयात ६२४ करोड़ रुपया, १९५८-५९ की तुलना में १०६ करोड़ रुपया कम था और १९५७-५८ की तुलना में ३१० करोड़ रुपया कम था। इस भारी कमी का मुख्य कारण शासकीय आयात की कमी था।

दूनरी और निर्यात में योजना काल में निरन्तर कमी होती रही है। योजना के प्रथम तीन वर्षों के निर्यात में कमी मुख्य रूपसे कच्चा मँगनीज, छूट एव कपास की निर्यात वस्तुओं के निर्यात की कमी के कारण हुई। परन्तु १९५६-६० में इस स्थिति में सुधार हुआ जिसके मुख्य कारण विदेशों की मदी की प्रवृत्ति की समाप्ति तथा निर्यात-प्रोत्साहन कार्यवाहियों का फल था। इस वर्ष में वनस्पति तेल तिलहन तथा सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि हुई।

कृषि

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खाद्य समस्या के निवारणार्थ ठोस कार्यवाहियाँ की गयी थीं। द्वितीय योजना में भूमि-सुधार के कार्यक्रमों का अन्तिम उद्देश्य सहकारी ग्रामीण-व्यवस्था (Co-operative Village Management) की स्थापना करना था। सहकारी ग्रामीण व्यवस्था के तीन मुख्य लक्ष्य हैं।

(१) कृषक का भूमि पर अधिकार होना।

(२) कृषि कार्यों की इकाई एव प्रबन्ध की इकाई में भेद रखना। इन दो लक्ष्यों के अनुसार यह सम्भव हो सकेगा कि सम्पूर्ण ग्राम को प्रबन्ध की दृष्टि से एक इकाई मान लिया जाय तथा कृषक के अधिकार में रहने वाली भूमि को कृषि-कार्यों की इकाई माना जायगा। इस प्रकार कृषि के विभिन्न कार्यों में, जैसे अच्छे बीज का उपयोग, सामान्य ऋय विन्यय, जल का उपयोग, स्थानीय निर्माण-कार्य आदि में सहकारिता का उपयोग हो सकेगा।

(३) सहकारी-ग्रामीण-व्यवस्था की स्थापना के पश्चात् भूमि को अधिकार में रखने वाले एव भूमिहीन कृषकों का अन्तर कम हो जायगा तथा ग्रामीण समुदाय के समस्त साधनों का, जो कि कृषि, व्यापार एव ग्रामीण उद्योगों से उपलब्ध होंगे उपयोग, अधिकतम उत्पादन एव रोजगार के अन्तर्गत सहकारी क्रियाओं द्वारा बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा। इस प्रकार एक समन्वित आर्थिक एव सामाजिक ग्रामीण व्यवस्था का निर्माण हो सकेगा। इसमें कृषि-उत्पादन, ग्रामीण उद्योग, विपणन व्यवस्था, ग्रामीण व्यापार आदि का संगठन सहकारिता के आधार पर हो सकता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी ग्रामीण व्यवस्था की स्थापना तक के मध्य काल में भूमि का तीन प्रकार से प्रबन्ध करने की व्यवस्था की गयी थी। प्रथम व्यक्तिगत कृषक जो अपनी भूमि पर खेती करेंगे। द्वितीय, कृषकों के समूह अपनी भूमि को एकत्रित करके अपने हित एव इच्छा से सहकारिता के आधार पर कृषि कार्य करेंगे। तृतीय, कुछ भूमि सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय के सामान्य

अधिकार में होगी। इस प्रकार ग्रामों की भूमि व्यवस्था के तीन क्षेत्र व्यक्तिगत, सहकारी एवं सामुदायिक हो जायेंगे। परन्तु इस समस्त व्यवस्था का अन्तिम उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को विस्तृत करके ग्राम की समस्त भूमि का प्रबन्ध ग्रामीण समुदाय के सहकारी उत्तरदायित्व में करना होगा।

नागपुर प्रस्ताव एवं नवीन भूमि-सम्बन्धी नीति

याजना के प्रारम्भ के अल्प समयोपरान्त ही यह मान लिया गया कि भारत जैसे अर्ध विकसित राष्ट्र का शीघ्र औद्योगीकरण करने के लिए एक समन्वित भूमि-नीति की आवश्यकता है जिसमें कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सके। इसी उद्देश्य का ध्यान रख कर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (A I C C) ने अपने वार्षिक अखिरोक्षण, १९५६ में नवीन भूमि-सम्बन्धी नीति का प्रस्ताव पारित किया जिसमें सहकारिता को ग्रामीण-व्यवस्था का आधार मान लिया गया। भूमि-सम्बन्धी इस नवीन नीति में पचायता पर आधारित सामूहिक सहकारी कृषि का उद्देश्य रखा गया। सामूहिक सहकारी कृषि के पूर्व सवा सहकारी (Service Cooperative) समितियाँ की स्थापना का आयोजन किया गया जिनके द्वारा अच्छा बीज, खाद, खेती के उपकरण, वन्यायिक परामर्श आदि का प्रबन्ध किया जाता है। इस प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकारों को भूमि की अधिकतम सीमा (Ceilings of Land) निश्चित करने के लिए विधान १९५६ के अन्त तक निर्मित करने से। अधिकतम भूमि की सीमा निश्चित करने से जो भूमि का अधिकतम हा, वह ऐसी सहकारी समितियों को दिया जाना था जिनके भूमिहीन एवं अधिकतम सीमा से कम भूमि वाले कृषक ही सदस्य हों। इस सम्पूर्ण व्यवस्था द्वारा सम्पूर्ण देश में एक ग्राम में एक सामूहिक सहकारी फार्म (Joint Cooperative Farm) की स्थापना का उद्देश्य था।

नागपुर प्रस्ताव द्वारा ग्रामीण-व्यवस्था का जो आयोजन किया गया है, उसके मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं—

(१) ग्रामों की व्यवस्था पचायता एवं सहकारी समितियों के आधार पर होनी चाहिए। ग्रामों के समस्त स्थायी निवासियों को (उनके पास भूमि हो अथवा नहीं) ग्रामीण सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जा सकता था। ये सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों के हितार्थ कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रचलन करेंगी, साल की सुविधाओं का प्रबन्ध करेंगी, कृषकों को कृषि उत्पादन को एकत्र करके उसका विक्रय का प्रबन्ध करेंगी तथा गोशाला की सुविधाएँ प्रदान करेंगी।

(२) भविष्य में सामूहिक सहकारी खेती की व्यवस्था की जायगी जिसमें

भूमि को कृषि के लिए एकत्रित कर लिया जायगा परन्तु कृषको का भूमि पर अधिकार प्रभूएण (जैसे का तंसा) रहेगा तथा उन्हे भूमि के शुद्ध उत्पादन मे से भूमि के अधिकार के आधार पर भाग दिया जायगा । जो भूमि पर कार्य करेंगे, उन्हे कार्यानुसार पारिश्रमिक दिया जायगा ।

(३) सामूहिक सहकारी फार्मों की स्थापना के पूर्व देश भर मे तीन वर्षों मे सेवा-सहकारो (Service Cooperatives) की स्थापना की जायगी ।

(४) अधिकतम अधिकार मे रहने वाली भूमि की सीमा निश्चित करने के लिए राज्यों मे विधान पाम किये जायेंगे । समस्त भूमि का आधिक्य (Surplus) पचायतों के अधिकार मे होगा जिसका प्रबन्ध सहकारी समितियों द्वारा किया जायगा ।

(५) फसल के बोन से पूर्व ही फसल से उत्पादित वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य निश्चित कर दिया जायगा तथा आवश्यकता पडने पर निर्धारित मूल्य पर फसल को क्रय करने का प्रबन्ध किया जायगा ।

(६) राज्य खाद्यान्नों का व्यापार अपन हाथ मे ले लेगा ।

(७) बेकार पडी एव कृषि उपयोग मे न आने वाली भूमि का कृषि हेतु उपयोग करन के लिए प्रयत्न किये जायेंगे ।

इस प्रकार कृषि उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि करन के लिए भूमि-सुधार सम्बन्धी कार्यवाहियों को द्वितीय योजना मे कार्यान्वित किया जाना था । द्वितीय योजना काल मे लगभग समस्त राज्यों मे वर्तमान एव भविष्य मे अधिकतम अधिकार मे रहने वाली भूमि की सीमा निश्चित करने हेतु विधान बना दिये गये हैं । यह अधिकतम भूमि की सीमा विभिन्न क्षेत्रों की भूमि के प्रकार के अनुसार निर्धारित की गयी है । इसके अतिरिक्त भूमि के एकीकरण (Consolidation of Holdings) का कार्य २३० लाख एकड़ भूमि पर ३१ मार्च १९६० तक पूर्ण हो चुका था तथा १३२ लाख एकड़ कार्य अभी जारी था । द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे सहकारी कृषि को ठोस एव दृढ आधार प्रदान करन के लिये कार्यवाहियाँ की गयीं । ११ जून १९५९ को एक Working Group की स्थापना की गयी । इसे ऐमे कार्यक्रम निर्धारित करन थे जिससे एच्छिन्न रूप से सहकारी कृषि समितियों की स्थापना होने पर उन्हे वित्तीय, तांत्रिक एव अन्य सहायता प्रदान की जा सके । इस ग्रुप की रिपोर्ट १५ फरवरी १९६० को प्रकाशित की गयी जिसमे सहकारी कृषि समितियों की स्थापना के लिये आवश्यक कार्यवाहियाँ अंकित की गयीं । इस ग्रुप की अधिकतर सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सितम्बर १९६० मे स्वीकार कर लिया और इन्हें समस्त राज्यों के पास मार्ग-दर्शन के लिये भेज

दिया। इन्हीं के आधार पर सहकारी कृषि सम्बन्धी नीतियाँ, इनका संगठन, प्रबंध एवं वित्तीय सहायता आदि निर्धारित की जानी थी। जून १९६० में देश में ५४०६ सहकारी कृषि समितियाँ थीं जिनमें से २६३४ अच्छी कृषि एवं रेंटल कृषि (Better Farming & Tenant Farming) समितियाँ थीं। अन्धवी एवं रेंटल कृषि समितियाँ में भूमि के एक्कीकरण (Pooling) तथा समुक्त प्रबंध का आयोजन नहीं होता है और इसलिए इन्हें वास्तविक रूप से कृषि सहकारी समितियाँ नहीं कहा जाता है। शेष समितियों में से १५६७ समुक्त कृषि सहकारी (Joint Farming) एवं ८७८ सामूहिक कृषि सहकारी (Collecting Farming) समितियाँ थीं।

द्वितीय योजना का प्रथम चार वर्षों में कृषि उत्पादन में निम्न प्रकार प्रगति हुई—

तालिका सं० ६६—द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में कृषि प्रगति

कृषि-उत्पादन इकाई	१८५६ ५७	१९५७ ५८	१९५८ ५९	१९५९ ६०
खाद्यान्न लाख टन	६८७	६२५	७५५	७१७ ५
कपास लाख गॉठ	४७ ०७	४७ ३६	४६ ८६	३८ ४
जूट ,	४२ ८६	४० ५२	४१ ५८	४५ ५
गन्ना गुड लाख टन	६८	६६	७२	७६ ७
तिलहन लाख टन	६१ ७६	६० ५१	६६ २१	६३ ५

तालिका सं० ६७—कृषि उत्पादन के निर्देशांक (Index No) की प्रगति

	(१९४६ ५० = १००)			
कृषि उत्पादन	१९५६ ५७	१९५७ ५८	१९५८ ५९	१९५९ ६०
खाद्यान्न	१२० ८	१०७*६	१३० १	१२४ ३
तिलहन	१२० ३	११५ ६	१३३ ४	१२२ ५
रेशदार फसलें	१७० ७	१६५ ५	१७५*०	१४५ २
पौधवाली फसलें	११५ ०	१२१ ८	१३० ०	१३१ १
अन्य (गन्ना, तम्बाकू आदि)	१२६ २	१२६ १	१२६ ०	१३६ ६
सामान्य कृषि निर्देशांक	१२४ ०	११४ ६	१३२ ३	१२७ २

उपर्युक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि द्वितीय योजना की कृषि-उत्पत्ति के संशोधित लक्ष्यों की पूर्ति होने की सम्भावना नहीं है। जूट और गन्ना को छोड़कर अन्य समस्त वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण योजना काल में जलवायु की प्रतिकूलता है।

द्वितीय योजना के अन्त तक सामुदायिक विकास के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति होने का अनुमान है। यह सम्भावना की जाती है कि इस योजना के अन्त तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम ३१०० खण्डों जिनमें चार लाख ग्राम हैं, में लागू हो गया है। इनमें से १००० खण्डों में पंचवर्षीय कार्यक्रम पूर्ण हो गये हैं और यह द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर गये हैं जबकि शेष खण्ड अभी प्रथम अवस्था में हैं। इसके अतिरिक्त ५०० विकास खण्डों में विकास के पूर्व की कार्यवाहियाँ जारी है।

औद्योगिक उत्पादन

द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में निम्न प्रकार प्रगति हुई—

तालिका स० ६८—द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में औद्योगिक प्रगति

औद्योगिक उत्पादन	इकाई	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०
तैयार इस्पात	लाख टन	१३ ४६	१३ ००	१७ ११	२२ १५
पिण्ड लौह	„ „	१७ ८९	२० ०३	३१ ३०	४१ ६२
मोटर गाड़ियाँ	संख्या	३१,९३२	२६,७९६	३६,४६८	५०,१२४
सीमेंट	लाख टन	५६ ०२	६० ६८	६८ १४	७७ ०
सूती वस्त्र	लाख गज	५३ १७४	४९,२७०	४९,२५४	५०,४४०
शक्कर	लाख टन	२० ०८	२० ०६	२० ८४	२४ २९
छूट निर्मित वस्तुएँ	„ „	१० ३०	१० ६२	१० ५२	१० ६७
कागज एव कागज का पट्टा	हजार टन	२१०	२५३	२९४	३४०
कोयला	लाख टन	४३५	४५३	४७०	५१३
चाय	हजार टन	६८५,१३७	७,११,३००	६,९५,७००	६९६,०००
	पींड				

तालिका स० ६९—द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में औद्योगिक निर्देशांक की प्रगति

	(१९५१ = १००)			
औद्योगिक वस्तु	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९
सूती वस्त्र	११७ ५	११५ ६	१०८ ९	१०३ १
छूट निर्मित वस्तुएँ	१२७ ३	१२० ५	१२३ ९	१४२ २
लोहा एव इस्पात	११९ ४	११९ ३	११९ १	१६१ ३
अलीह धातु	१२४ ७	१५१ ७	१६६ ५	२१२ २
सामान्य निर्देशांक	१३२ ६	१३७ ३	१३९ ७	१५१ ९

सन् १९५८ वर्ष में औद्योगिक-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई जिसके तीन मुख्य कारण हैं। प्रथम, विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण आयात पर अधिकतम प्रतिबन्ध लगाये गये तथा आवश्यक कच्चे माल एवं योजार आदि का भी आयात आवश्यकतानुसार नहीं किया जा सका जिससे औद्योगिक उत्पादन को क्षति पहुँची। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि न होने का द्वितीय कारण कृषि-उत्पादन की कमी भी थी। सन् १९५८ वर्ष में मानसून की प्रतिकूलता के कारण कृषि-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई और इस प्रकार जन-समुदाय के कृषि पर निर्भर रहने वाले अधिकतर भाग की आय में कमी रहने के कारण कतिपय वस्तुओं, विशेषतः सूती वस्त्रों की माँग में कमी रही। औद्योगिक उत्पादन की कमी का तृतीय कारण शासन की ठटकर नीति तथा जीवन-धीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण भी समझा जाता है। सन् १९५९ वर्ष में विदेशी सहायता प्राप्त होने के कारण आयात के प्रतिबन्धों को कम कर दिया गया तथा इस वर्ष कृषि उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। सन् १९५९ वर्ष में औद्योगिक उत्पादन-निर्देशांक में लगभग १२ बिन्दुओं (Points) की वृद्धि हुई, जबकि इससे गत तीन वर्षों में यह वृद्धि क्रमशः २४, ४७ तथा १०४ बिन्दु हुई। सन् १९६० में भी औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सन् १९६० का औद्योगिक उत्पादन का सामान्य निर्देशांक (जनवरी से अक्टूबर तक) १६७.५ होने का अनुमान है जबकि इसी काल का सन् १९५९ का यह निर्देशांक १४९.९ था। इससे ज्ञात होता है कि सन् १९६० वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

योजना आयोग द्वारा योजना की प्रगति पर जो आलोचना प्रकाशित की गयी है, उससे ज्ञात होता है कि योजना के अन्त तक तैयार इस्पात उत्पादन २६ लाख टन, कोयले का उत्पादन ५३० लाख टन होगा, जबकि इनके लक्ष्य क्रमशः ४५ लाख टन व ६०० लाख टन थे।

द्वितीय योजना काल में १०९४ करोड़ रु० संगठित उद्योगों में नवीन विनियोजन का आयोजन किया गया था जिसमें से ५२४ करोड़ शासकीय क्षेत्र में (राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा विनियोजित की जाने वाली ३५ करोड़ रु० की राशि के अतिरिक्त) तथा ५३५ करोड़ व्यक्तिगत क्षेत्र में नवीन विनियोजन का लक्ष्य था। १०९४ करोड़ रु० की नवीन विनियोजन की राशि का विभिन्न उद्योगों पर विनियोजन निम्न प्रकार किया जायगा—



तालिका सं० ७०—द्वितीय योजना काल में औद्योगिक क्षेत्र के नवीन विनियोजन

उद्योग	राशि (करोड़ रु० में)	समस्त नवीन विनि- योजन से प्रतिशत
धातु शोधन उद्योग	५०२.५	४५.६
इन्जीनियरिंग उद्योग	१५०.०	१३.७
रासायनिक उद्योग	१३२.०	१२.०
सीमेन्ट एवं पोर्सलैटि का सामान	६२.०	८.५
पेट्रोल, खनिज तेल आदि	१०.०	०.६
कागज, समाचार पत्रीय कागज आदि	५४.०	५.०
शक्कर	५१.०	४.७
सूती, ऊनी, रेसामो तथा छूट का सूत		
एवं वस्त्र	३६.३	३.३
नकली रेसाम (Rayon) तथा रेसोदार		
सूत आदि	०४.०	२.२
अन्य	४१.५	३.८
	योग १,०६४.३	१००.०

द्वितीय योजना की कुछ महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का विकास एवं प्रगति पूर्व निश्चित लक्ष्यों से प्रायः अधिक हुई है। इन परियोजनाओं की प्रगति का व्यौरा तालिका सं० ७१ के अनुसार है।

राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय

द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रथम तीन वर्षों में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में निम्न प्रकार प्रगति हुई—

तालिका सं० ७२—द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में राष्ट्रीय एवं प्रति-व्यक्ति आय

वर्ष	राष्ट्रीय आय, १९४८-४९ के प्रचलित मूल्यों पर (करोड़ रु०)	१९४८-४९ के मूल्यों पर (करोड़ रु०)	प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर	१९४८-४९ के मूल्यों पर
१९५५-५६	६,६८०	१०,४८०	२६०.६	२७३.६
१९५६-५७	११,३१०	११,०००	२६१.५	२८३.५
१९५७-५८	११,४००	१०,८६०	२६०.१	२७७.१
१९५८-५९	१२,४७०	११,६६०	३१०	२९३.६
१९५९-६०	—	११,७५०	—	२९१.३

तालिका सं० ७३—द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में विभिन्न व्यवसायों से प्राप्त राष्ट्रीय आय

व्यवसाय	१९५६-५७		१९५७-५८		१९५८-५९	
	आय (करोड़ रु० में)	राष्ट्रीय आय से प्रतिशत	आय (करोड़ रु० में)	राष्ट्रीय आय से प्रतिशत	आय (करोड़ रु० में)	राष्ट्रीय आय से प्रतिशत
कृषि	५,५२०	४८८	५,१६०	४६४	६१६०	४६६
सैनिक, निर्माण एवं वस्तु	२,०००	१७७	२१२०	१८६	२१४०	१७२
इयाइयाँ						
वाणिज्य, यातायात एवं						
संचार आदि	१,६६०	१७३	२०७०	१८२	२११०	१६६
अन्य सेवाएँ	१,८२०	१६१	१६३०	१६६	२०४०	१६४
विदेशों से उपायित आय	१०	१	—१०	—	—१०	—
योग	११,३१०	१०००	११,४००	१००	१२,४७०	१००

मूल्य-वृद्धि का मुख्य कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि है। १९५७, १९५८, १९५९ तथा १९६० में क्रमशः गत वर्ष की तुलना में ६६.२, ७५.०, १७१.७ तथा २१८.८ करोड़ रु० से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई।

द्वितीय योजना काल में ८० लाख रोजगार अवसर कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में बढ़ाने का लक्ष्य था, जबकि वर्तमान अनुमानानुसार ६५ लाख रोजगार के अवसरों में कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में तथा १५ लाख कृषि-क्षेत्र में वृद्धि होने का अनुमान है। योजना काल के अन्त में लगभग ७० से ७५ लाख व्यक्ति बेरोजगार रहेंगे।

थोक मूल्यों के अतिरिक्त उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक में भी योजना काल में अनुमान से अधिक वृद्धि हुई जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है—

तालिका सं० ७५—उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक (आधार १९४९-५० = १००)

१९५५-५६	९६
१९५६-५७	१०७
१९५७-५८	११२
१९५८-५९	११८
१९५९-६०	१२३
दिसम्बर १९६०	१२४ (सामयिक)

योजना के प्रथम चार वर्षों में थोक मूल्य निर्देशांक में लगभग २७% तथा उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक में लगभग २८% की वृद्धि हुई है और मूल्यों की वृद्धि अब भी जारी है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की तुलना में मूल्यों की वृद्धि बहुत अधिक है। ऐसी परिस्थिति में यह कहना अनुचित न होगा कि सामान्य नागरिक के जीवन में कोई विशेष वृद्धि सम्भव नहीं हो सकी है। योजना के कार्यक्रम का अधिकतर लाभ कुछ ही वर्गों को अधिक प्राप्त हुआ है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वर्तमान अनुमानानुसार ४,६०० करोड़ रु० शासकीय व्यय तथा ३,६५० करोड़ रु० शासकीय विनियोजन एवं ३,१०० करोड़ रु० व्यक्तिगत विनियोजन होने की सम्भावना है। १९६०-६१ वर्ष तक योजना के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति निम्न प्रकार सम्भावित है—

तालिका सं० ७६—योजना के अन्त तक विभिन्न लक्ष्यों की सम्भावित प्राप्ति

मद	इकाई	१९६०-६१ का लक्ष्य	१९६०-६१ तक सम्भावित प्रगति	लक्ष्यो तथा प्रगति का प्रतिशत
खाद्यान्न	लाख टन	८०५	७५०	९३.२
तिलहन	" "	७६	७२	९४.७
गन्ना	गुठ लाख टन	७८	७२	९२.३
कपास	लाख गांठ	६५	५४	८३.१
जूट	" "	५५	५५	१००.०
सिंचित भूमि	लाख एकड़	८८०	७००	७९.६
तैयार इस्पात	लाख टन	४३	२६	६०.५
अल्यूमिनियम	हजार टन	२५	१७	६८.०
सीमेन्ट	लाख टन	१३०	८८	६७.७
कोयला	" "	६००	५३०	८८.३
कच्चा लोहा	" "	१२५	१२०	९६.६
सूती बस्त्र	लाख गज	८५,०००	५०,०००	६५.८
शक्कर	लाख टन	२३	२२.५	९८.०
कागज एव पट्टा	हजार टन	३५०	३२०	९१.५
मोटर गाडियाँ	सख्या	५७,०००	५३,५००	९३.९
शक्ति-उत्पादन क्षमता	लाख कि० (K W.)	६९	५८	८४.१
रेलो द्वारा ले जाया				
गया माल	लाख टन	१,८१०	१,६२०	८९.५
सडकें चौरस	हजार मील	१२५	१४४	११५.२
जहाजी यातायात	लाख ग्रा० टन	९.०	९.०	१००.०
डाकखाने	हजार	७५	७५	१००.०
प्रारम्भिक बेसिक				
स्कूल	लाख	३५०	३.८०	१०९.६

उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि द्वितीय योजना के अधिकांश लक्ष्य पूर्ण न हो सके। यद्यपि उत्पादन एव अन्य समस्त क्षेत्रों में प्रगति हुई है, तथापि निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में यह प्रगति कम है।

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का तुलनात्मक अध्ययन

प्रथम योजना के निर्माण के समय जो न्यूनता का वातावरण उपस्थित था, उसमें द्वितीय योजना के निर्माण के समय महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गये थे। प्रथम योजना में अर्थ-क्षेत्र की अव्यवस्था, जो कि देश-विभाजन एवं द्वितीय महायुद्ध का परिणाम थी, में समायोजन करके अर्थ-व्यवस्था को इस स्तर पर लाने का प्रयत्न किया गया कि जिससे राष्ट्र विकास-पथ पर अग्रसर हो सके। इस प्रकार प्रथम योजना द्विध-भिन्न पृष्ठ-भूमि में संचालित की गयी, जिसमें विकास के अभिलाषी कार्यक्रमों को स्थान नहीं दिया जा सकता था। इसके साथ ही प्रथम योजना में सरकार को योजना का प्रकार निश्चित करना था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् जनता को भाँगे अत्यधिक थी तथा साधनों की अत्यन्त कमी थी, और इसलिए नियोजन की नीतियाँ भी निर्धारित करना आवश्यक था। प्रथम योजना में प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों को मान्यता दी गयी, इसलिए जनता को दबाव द्वारा त्याग करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता था। उनको धीरे-धीरे योजना की सफलता तथा राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उनके त्याग के महत्त्व को समझा कर साधनों को एकत्रित किया जा सकता था।

द्वितीय योजना के प्रारम्भ के समय वातावरण सर्वथा भिन्न हो गया था। प्रथम योजना के पाँच वर्षों में अर्थ-व्यवस्था में पर्याप्त समायोजन हो चुके थे; उदाहरणार्थ पाकिस्तान से आये हुए शरणाधियों के पुनर्वास की व्यवस्था, खाद्यान्न की पूर्ति में वृद्धि, सामान्य उत्पादन में वृद्धि आदि के लिए पर्याप्त कार्यवाहियों की जा चुकी थी। दीर्घकालीन समस्याएँ, जैसे भूमि-सधार, अवसर तथा आय की समानता की व्यवस्था, विचाई के साधन में वृद्धि आदि की ओर पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी। इसके साथ ही जन-समुदाय में योजना के प्रति जाग्रति भी उत्पन्न हो गयी थी। योजना के कार्यक्रमों में जन-समुदाय का सहयोग प्राप्त होने लगा तथा जनता द्वारा योजना के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अधिक आशाएँ की जाने लगी थी।

प्रान्तरिक वातावरण के साथ-साथ विदेशी वातावरण में भी अन्तर हो गया। प्रथम योजना में भारत की तटस्थता की नीति तथा प्रजातांत्रिक नियोजन दोनों को ही अन्य देशों द्वारा सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था। प्रथम योजना की सफलताओं ने संसार के बड़े-बड़े राष्ट्रों में भारत की नीतियों के प्रति सद्भावना उत्पन्न करने में सहयोग दिया। विदेशी सहायता पर अब अधिक निर्भर रहा जा सकता था। प्रथम योजना की सफलता से यह भी सिद्ध हो गया कि प्रजातांत्रिक नियोजन में व्यक्तिगत तथा शासकीय दोनों क्षेत्र

सफलतापूर्वक कार्य कर सकने हैं। इसलिए पूँजीवादी देशों में पूँजीपति एवं उद्योगपतियों ने भारत के विकास-कार्यक्रमों में अर्थ-विनियोजन करने के भय को छोड़ दिया। इस प्रकार विदेशी वातावरण में परिवर्तन होने के कारण द्वितीय योजना के कार्यक्रमों को अधिक अभिलाषी रखा जा सकता था। प्रथम तथा द्वितीय योजना के कार्यक्रमों में मुख्य अन्तर निम्न प्रकार है—

(१) प्रथम योजना को मुख्यतः ग्रामीण विकास के कार्यक्रम की सजा प्रदान की जा सकती है क्योंकि इसके शासकीय व्यय के ४४% भाग को ग्रामीण एवं कृषि-विकास के हेतु निर्धारित किया गया था। द्वितीय योजना में शीघ्र औद्योगीकरण को विशेष एवं अधिक महत्त्व दिया गया। इसमें कृषि-विकास पर लगभग २६% राशि व्यय की जाती है एवं औद्योगिक विकास के लिए १७% राशि निर्धारित की गयी है जबकि प्रथम योजना में यह राशि केवल ६% थी। प्रथम योजना में औद्योगिक क्षेत्र में नवीन विनियोजन को विशेष स्थान प्रदान नहीं किया गया था, प्रत्युत् नवीनीकरण एवं तत्कालीन उत्पादन-क्षमता के पूर्णतम उपयोग पर जोर दिया गया था। द्वितीय योजना में इसके विपरीत नवीन विनियोजन के लिए अधिक राशि निर्धारित की गयी है। आधार-भूत उद्योगों, उदाहरणार्थ, लोहा एवं इस्पात, भारी रसायन, खाद आदि के नवीन कारखाने स्थापित करने का आयोजन किया गया। इस प्रकार द्वितीय योजना द्वारा भारत की अर्थ-व्यवस्था को औद्योगिक आधार (Industrial Base) प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसलिए औद्योगिक विकास हेतु निर्धारित राशि का लगभग ८०% भाग पूँजीगत एवं उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों पर व्यय किये जाने का लक्ष्य था।

(२) प्रथम योजना में विभाजन एवं द्वितीय महायुद्ध द्वारा उत्पादित न्यूनताओं के, जिनमें कृषि-उत्पादन की न्यूनताएँ अत्यन्त गम्भीर थी, के निवारण का प्रयत्न किया गया था। अतः इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे—उत्पादन में वृद्धि एवं असमानताओं में कमी। इस प्रकार इस योजना में संगठन एवं व्यवस्था सम्बन्धी परिवर्तनों को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया। द्वितीय योजना के चार मुख्य उद्देश्य थे—राष्ट्रीय आय में २५% की वृद्धि, शीघ्र औद्योगीकरण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा असमानताओं में कमी। इस प्रकार शीघ्र औद्योगीकरण एवं रोजगार की व्यवस्था को भी योजना के मूलभूत उद्देश्यों में स्थान दिया गया।

(३) प्रथम योजना के कार्यक्रम निश्चित करते समय अर्थ-प्रवर्धन पर विशेष जोर दिया गया अर्थात् पहिले उपलब्ध साधनों का अनुमान लगाया गया तथा तदनुसार योजना के कार्यक्रमों को निश्चित किया गया। कर, बचन तथा हीनार्थ

प्रबन्धन द्वारा प्राप्त होने वाले अर्थ के अनुमान अत्यन्त कम रहे गये। इसलिए योजना के लक्ष्य भी कम ही रखे गये। द्वितीय योजना के कार्यक्रम विस्तृत रखे गये हैं तथा इसको वास्तव में विकास योजना कहा जाता है। इसमें लक्ष्य को लगभग दुगुना कर दिया गया। राष्ट्रीय आय में २५% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया, जबकि प्रथम योजना में यह लक्ष्य केवल १३% था। इस योजना में शासकीय क्षेत्र के व्यय को भी दुगुना कर दिया गया, अर्थात् २,३७८ करोड़ रुपये से बढ़ा कर ४,८०० करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी प्रकार विनियोजन की राशि भी दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया अर्थात् प्रथम योजना की ३,१०० करोड़ रुपये का विनियोजन-राशि की तुलना में द्वितीय योजना की विनियोजन राशि ६२०० करोड़ रुपये यानी दुगुनी थी।

(४) प्रथम योजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम निश्चित नहीं किये गये थे। इस योजना काल में ४० लाख रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। द्वितीय योजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। इसलिए ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास हेतु १३० करोड़ रुपये का आयोजन किया गया। द्वितीय योजना में ८० लाख रोजगार के अवसर कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में तथा १६ लाख रोजगार के अवसर कृषि क्षेत्र में बढ़ाने का निश्चय किया गया।

(५) प्रथम योजना में जनता की कठिनाइयों का विशेष ध्यान रखा गया था और इसलिए उपभोग की वस्तुओं में अधिक कमी को रोकने के लिए राष्ट्रीय आय के ६% भाग के विनियोजन का लक्ष्य रखा गया। द्वितीय योजना में इस लक्ष्य को भी दुगुना अर्थात् ११% कर दिया था जिससे औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास हो सके। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि यदि देश की राष्ट्रीय आय का १०% भाग विनियोजित होता हो तो उस देश की अर्थ-व्यवस्था स्वतन्त्र-विकास अवस्था (Take off Stage) में कही जा सकती है। परन्तु भारत की राष्ट्रीय आय के साथ प्रति व्यक्ति आय भी अत्यन्त कम है अतः राष्ट्रीय आय के इतने कम भाग से स्वतन्त्र विकास अवस्था की प्राप्ति होना सम्भव नहीं है।

(६) प्रथम योजना में केवल अर्थ-व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार समायोजन करने का लक्ष्य था, जिसमें योजना के कार्यक्रम समायोजित व्यवस्था हेतु सहायक सिद्ध हो। द्वितीय योजना में समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया तथा इस हेतु सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन

करना भी आवश्यक समझा गया। एतदर्थ, शासकीय क्षेत्र के विस्तार को विशेष महत्व दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में भी सहकारिता को आधार मान लिया गया तथा ग्राम-राज, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को सहकारिता के आधार पर पुनर्निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया।

इस प्रकार द्वितीय योजना द्वारा देश के आर्थिक एवं सामाजिक प्रारूप में आमूल परिवर्तन करने का उद्देश्य था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

[स्वय-स्फूर्त अवस्था, स्वय-स्फूर्त विकास की आवश्यक शर्तें, भारत में स्वय-स्फूर्त विकास, तृतीय योजना के उद्देश्य, तृतीय योजना का व्यय, विनियोजन एवं प्राथमिकताएँ, तृतीय योजना के कार्यक्रम एवं लक्ष्य—कृषि एवं सामुदायिक विकास, मिर्चाई एवं शक्ति, उद्योग एवं खनिज, वृहद उद्योग, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ, खनिज विकास, यातायात एवं संचार, रेल यातायात, सड़क यातायात, जहाजी यातायात, हवाई यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य मदे, तृतीय योजना के अर्थ साधन—चालू आय से वचत, रेलों से अनुदान, सरकारी व्यवसायों का आधिक्य, जनता से ऋण, लघु वचत, प्राविधिक निधि आदि, विदेशी सहायता, हीनार्थ-प्रवर्धन, तृतीय योजना में विदेशी विनिमय की आवश्यकता एवं साधन, मतुलित क्षेत्रीय विकास, तृतीय योजना की आधारभूत नीतियाँ—समाजवादी समाज, रोजगार नीति एवं कार्यक्रम, मृत्य-नियमन नीति, श्रम नीति, विनियोजन का प्रकार, तृतीय योजना की सफलतार्थ आवश्यक परिस्थितियाँ ।

स्वय-स्फूर्त अवस्था (Take off Stage)

अधिक विकास एक ऐसी विधि है जो कि दीर्घकालीन प्रयासों द्वारा उच्चतम सीमा तक पहुँचने के लिये विभिन्न अवस्थाओं से होकर अन्तिम स्वरूप ग्रहण करती है । वास्तव में अधिक विकास का अन्तिम स्वरूप निश्चित करना

असम्भव है क्योंकि जिन परिस्थितियों को वर्तमान में उच्चतम आर्थिक विकास की सजा दी जा सकती है, भविष्य में वही परिस्थितियाँ सामान्य विकास के लक्षण प्रतीत होन लगती हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास एक ऐसी गतिशील अवस्था है जिसके लक्षणों में सदैव परिवर्तन होते रहने के कारण वह कभी पूर्ण नहीं होनी। प्रोफेसर रोस्तोव (Rostow) ने आर्थिक विकास की पाँच अवस्थाएँ निम्न प्रकार बतायी हैं—

- (१) परम्परागत समाज (Traditional Society)
- (२) स्वयं स्फूर्त अवस्था के पूर्व की स्थिति (Pre conditions for Take off stage)
- (३) स्वयं-स्फूर्त विकास अवस्था (Take off stage or self-sustained growth)
- (४) परिपक्वता की ओर अग्रसर (Drive to Maturity)
- (५) अधिक उपभोग की अवस्था (Age of high mass consumption)

प्रोफेसर रास्तोव ने उन तथ्यों को अंकित किया है जहाँ विभिन्न विकसित राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्था ने इन विभिन्न अवस्थाओं में प्रवेश किया। इस सूची में भारत को १९५२ में स्वयं-स्फूर्त विकास अवस्था में प्रविष्ट बताया गया है। परन्तु भारतीय अर्थशास्त्री इस विचारधारा से सामान्यतः सहमत नहीं हैं। प्रोफेसर रास्तोव ने स्वयं स्फूर्त विकास (Take off Stage) की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह वह मध्य काल है जिसमें विनियोजन की दर इस प्रकार बढ़ती है कि वार्षिक प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार प्रारम्भिक विनियोजन वृद्धि से उत्पादन की तात्त्विकताओं तथा राष्ट्रीय आय के प्रवाह में मौलिक परिवर्तन हो जाते हैं। इन मौलिक परिवर्तनों के फलस्वरूप नवीन विनियोजन दर तथा नवीन प्रति इकाई उत्पादन दर का निरन्तर प्रादुर्भाव होता रहता है।

स्वयं-स्फूर्त विकास अवस्था में प्रवेश करने के पूर्व प्रत्येक राष्ट्र को कुछ आवश्यक बातों की पूर्ति करनी होती है। राष्ट्र के समन्वित विकास के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सरकार की स्थापना अत्यन्त आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सरकार को देश की आर्थिक क्रियाओं में सक्रिय भाग लेना चाहिए तथा जन-साधारण में अपने जीवन की उन्नति हेतु सहयोग एवं राष्ट्रीयता की भावनाएँ जागृत होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वयं-स्फूर्त विकास अवस्था की प्राप्ति के लिये कुछ आर्थिक शक्तों की पूर्ति होना भी आवश्यक है। इन आर्थिक शक्तों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है—

स्वयं सफूर्त-विकास की आवश्यक शर्तें

राष्ट्रीय उत्पादन एवं आय में जनसंख्या की वृद्धि की दर से अधिक वृद्धि होनी चाहिए। भारत में जनसंख्या की वृद्धि की वार्षिक दर १.६ से २ प्रतिशत अनुमानित है। इस आधार पर राष्ट्रीय आय में लगभग २% वार्षिक वृद्धि करना आवश्यक है। राष्ट्रीय आय में २% वार्षिक वृद्धि करन हेतु राष्ट्रीय आय का लगभग १०% से १५% भाग विनियोजित होता रहना चाहिए। विनियोजन की दर में वृद्धि यथासम्भव आंतरिक साधनों से हासिली चाहिए अर्थात् राष्ट्रीय बचत में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। तृतीय योजना में आंतरिक बचत का ८% (जो कि द्वितीय योजना के अंत का अनुमान है) में बढ़ा कर राष्ट्रीय आय का १२% करन का लक्ष्य रखा गया है।

(२) कृषि क्षेत्र को उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि होना चाहिए जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य एवं उपभोग सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके, देश के उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध हो सके तथा कृषि उत्पादन का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। इन उद्देश्यों का पूर्ति हेतु भारत की कृषि को तीव्र गति से विकसित करना आवश्यक है।

(३) स्वयं-सफूर्त विकास अवस्था की प्राप्ति हेतु अर्थ व्यवस्था में निर्यात क्षेत्र को शक्तिशाली बनाना अत्यंत आवश्यक है। देश के शीघ्र औद्योगीकरण के लिए प्रारम्भिक काल में विदेशी मुद्रा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जब तक इस विदेशी मुद्रा की पूर्ति विदेशी सहायता से कने मात्रा में की जाती रहेगी, अर्थ व्यवस्था को स्वयं सफूर्त विकास अवस्था में प्रविष्ट नहीं समझा जा सकता है। विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति राष्ट्रीय साधनों द्वारा करन के लिए निर्यात में वृद्धि तथा आयात को सीमित करना आवश्यक होता है।

(४) देश में आधारभूत एवं पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों की स्थापना एवं विकास करना स्वयं सफूर्त विकास के लिए आवश्यक है। इन उद्योगों के विकास द्वारा ही देश का शीघ्र औद्योगीकरण सम्भव हो सकता है। पूंजीगत वस्तुओं के निरंतर आयात का खर्च तथा निर्यात में वृद्धि करन हेतु लाभा इस्पात रसायन, मशीन निर्माण आदि उद्योगों का विकास अत्यंत आवश्यक होता है। जब देश की मशीन पूंजीगत वस्तुओं तथा औद्योगिक कच्चे माल की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति कने मात्रा में देश की पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों द्वारा की जा सके तो तो ऐसा देश को स्वयं सफूर्त विकास अवस्था में प्रविष्ट हुआ समझना अनर्चित न होगा।

(५) कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त विकास हेतु शक्ति एवं यान्त्रिकी के साधनों का विस्तार एवं विकास अत्यंत आवश्यक होता है। इन की प्राप्ति

क्रियाओं की गतिशीलता बहुत कुछ इन दो घटका पर निर्भर रहती है। भारतीय योजनाओं में इसीलिये यानायान एव शक्ति के साधनों के विस्तार के लिये इतना अधिक महत्व दिया गया है।

(६) उपर्युक्त समस्त घटकों के संचालन एव प्रबन्ध के लिये मानव की आवश्यकता होगी। मानव में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल ही परिवर्तन करना आवश्यक होगा अन्यथा हमारे विभिन्न कार्यक्रमों की क्रियाशीलता शिथिल रहेगी। देश में प्रशिक्षित लोगों की अत्यधिक आवश्यकता होगी जो कि हमारे नवीन व्यवसायों का कायभार संभाल सकें। देश में प्रशिक्षण की संस्थाएँ खोल कर विभिन्न तानिकताओं में प्रशिक्षित लोगों को पूर्णतः वृद्धि होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त नवीन व्यवसायों के प्रबन्ध एव संचालन हेतु एक निपुण, उत्साही एव शक्तिशाली सहस्री वर्ग की स्थापना भी आवश्यक है।

(७) स्वयं स्फूर्त विकास की अत्यन्त आवश्यकता सर्त मूल्यों के यथोचित स्तर को बनाये रखना है। मूल्यों की अनुचित वृद्धि पर राज्य को सदैव अक्रुश रखना चाहिये। मूल्यों की वृद्धि देश की निर्यात योग्यता को कमजोर कर देती है, विदेशी व्यापार के शेष को प्रतिकूल करने में सहायक होती है, आन्तरिक बचत की वृद्धि में रुकावट प्रस्तुत करती है, प्रशासन के ध्येयों में वृद्धि कर देती है तथा सभी क्षेत्रों के विकास को आघात पहुँचाती है। इस प्रकार स्वयं-स्फूर्त-विकास की अन्य शर्तें बड़ी सीमा तक मूल्यों के स्तर पर निर्भर रहती हैं। यदि मूल्यों को छुनी छूट दे दी जाय, तो अन्य घटकों की पूर्ति करना असम्भव होगा।

(८) आधुनिक युग में लगभग समस्त अर्ध-विकसित राष्ट्रों में सरकारी क्षेत्र का विकास आर्थिक विकास की तीव्र गति रखने के लिये किया जा रहा है। स्वयं स्फूर्त विकास हेतु सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों को सुचारु रूप से चलाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे यह अपन भावी विकास के लिये स्वयं साधन जुटा सकें और अर्थ व्यवस्था पर भार रूप होने की बजाय, अन्य क्षेत्रों के विकास के लिये भी साधन जुटा सकें।

(९) देश की मानवीय योग्यताओं, शक्तियों एव साधनों को आर्थिक विकास के लिये उपयोग करना अत्यन्त आवश्यक है। आर्थिक विकास हेतु देश की राजनीतिज्ञ, सामाजिक एव मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन होने चाहिये। राजनीतिज्ञ, सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति, श्रमिक तथा कृषक की भावनाओं में परिवर्तन होना चाहिये जिससे वह देश की आर्थिक समस्याओं को विवेकपूर्ण रीति से समझन तथा उनका निवारण करने में रचि ग्रहण कर सकें। देश में यह जागृति उत्पन्न करने हेतु प्रजातान्त्रिक संस्थाओं, उदाहरणार्थ,

सहकारी संस्थाएँ पंचायतें आदि की स्थापना की जानी चाहिये और इनके द्वारा जन साधारण में अपना विकास करने हेतु स्वयं प्रयास करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व भारत की अर्थ विवर्धित व्यवस्था में सुधार करने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं की गयी। देश की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था परम्परागत विचारधाराओं के आधार पर संगठित थी तथा आधुनिक विकसित परिस्थितियों से भारत की जनता सदा अनभिज्ञ थी। जन समुदाय का जीवन स्तर अत्यंत दयनीय था तथा उनका आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी साधन उपलब्ध नहीं थे। राष्ट्रीय आय के केवल ५% भाग का ही विनियोग किया जाना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा अर्थ व्यवस्था में आवश्यक समायोजन किये गये जिससे भावी आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ पृष्ठभूमि उपलब्ध हो सके। प्रथम योजना का प्रारम्भ से ही इस बात का ध्यान रखा गया कि योजना का उद्देश्य केवल उत्पादन को बढ़ाना तथा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना ही नहीं है बल्कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर आधारित ऐसा सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की रचना करना है जिसमें सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थाओं को अनुप्राणित करे।

देश का द्वितीय महायुद्ध एवं विभाजन से जा क्षति पहुँची थी प्रथम योजना में उनकी पूर्ति करने तथा आर्थिक व्यवस्था की आधार गिनाए सुदृढ़ करने के प्रयास किए गये एवं संविधान में प्रदत्त नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ भी निर्धारण द्वारा सामुदायिक विकास योजना तथा भूमि-सुधार प्रथम योजना के विषय कार्यक्रम थे।

द्वितीय योजना में प्रथम योजना की ही नीतियों को अक्षुण्ण रखते हुए उत्पादन वृद्धि विकास कार्यों में अधिक विनियोजन तथा जन समुदाय को अधिक रोजगार अवसर प्रदान करने के प्रयत्न किये गये। इस योजना में आर्थिक उन्नति की गति को तीव्र करने पर आधारभूत उद्योगों की स्थापना पर रोजगार अवसरों की वृद्धि करने पर आय व धन की विषमताओं को कम करने पर तथा आर्थिक शक्ति का कतिपय ह्रास में वैद्वित होने से रोकने पर जोर दिया गया। प्रथम योजना में राष्ट्रीय आय में ३३% प्रतिवर्ष तथा द्वितीय योजना में ४% प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। द्वितीय योजना द्वारा भारतीय अर्थ व्यवस्था को औद्योगिक आधार प्रदान किया गया है। इस प्रकार द्वितीय योजना के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा स्वयं स्फूर्त विकास समस्या के पूर्व की परिस्थितियों का निर्माण हुआ।

स्वयम्पूर्ण विकास अवस्था तक पहुँचने के लिए भारत जैसे राष्ट्र में एक और कृषि उत्पादन में इतनी वृद्धि होनी चाहिए तथा होती रहनी चाहिए कि वृद्धयोन्मुख जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो तथा दूसरी ओर विदेशी विनिमय का इतना संचय होना चाहिए कि विकास की गति को बनाये रखा जा सके। विदेशी विनिमय का संचय निर्यात की वृद्धि द्वारा किया जा सकता है। इससे साथ ही सामाजिक पूँजी का भी पर्याप्त मात्रा में निर्माण होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए जिस प्रकार पूँजी का निर्माण आवश्यक होता है, उममें कहीं अधिक सामाजिक पूँजी में वृद्धि होना आवश्यक है। जन समुदाय को स्वयं की शक्तियों राष्ट्र द्वारा निर्दिष्ट किये गये सामाजिक उद्देश्यों, शासकीय सत्ता ग्रहण करने वाले व्यापार एवं व्यवसाय चलाने वाले तथा आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का संचालन करने वाले अधिकारियों को देश की भावी समस्याओं के निवारण करने की क्षमता पर जो विश्वास एवं सद्भावना होती है, उसे सामाजिक पूँजी कहा जाता है। देश के भौतिक विकास के साथ साथ जन समुदाय में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार जागरूकता होनी चाहिए। जब तक सामाजिक उत्थान की ओर पर्याप्त प्रगति नहीं होती, तब तक आर्थिक विकास की किसी भी दशा को स्वयम्पूर्ण विकास अवस्था कहना अनुचित होगा। राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय भावना एवं नियाजन के प्रति जागरूकता की व्युत्पत्ति में आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

द्वितीय योजना द्वारा उपर्युक्त परिस्थितियों को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है जिसमें स्वयम्पूर्ण अवस्था की प्राप्ति हेतु आवश्यक वातावरण एवं परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सके। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की साथ-सब-संस्था को स्वयम्पूर्ण अवस्था तक पहुँचाना है। मरत्य तो यह है कि स्वयम्पूर्ण अवस्था की प्राप्ति हेतु वृद्धि एवं विनियोजन में इतनी वृद्धि करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय में निरन्तर तीव्र गति से वृद्धि होती रहे। इस अवस्था की प्राप्ति हेतु राष्ट्र में विनियोजन विशाल स्तर पर होना चाहिए तथा विशाल स्तर के विनियोजन कार्यक्रमों के संचालनार्थ पूँजीगत वस्तुओं एवं सामग्री की उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। तृतीय योजना में विनियोजन के कार्यक्रम एवं प्रकार निर्दिष्ट करते समय इस बात को दृष्टिगत किया गया है।

स्वयम्पूर्ण अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जबकि उद्योग एवं कृषि का समुचित विकास किया जाय। आय एवं रोजगार की वृद्धि हेतु औद्योगिककरण के कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान की जाय। दूसरी ओर औद्योगिक विकास तभी सम्भव हो सकता है जबकि कृषि का विकास करके कृषि-उत्पादन-

क्षमता में प्रशसनीय वृद्धि की जाय। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसलिए देश की पूंजीगत सामग्री एवं खाद्य तथा कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करने पर जोर दिया गया है। भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ जन शक्ति का पूर्ण उपयोग न होता हो, रोजगार-अवसरों की पर्याप्त वृद्धि द्वारा ही विकास को सफल बनाया जा सकता है। तृतीय योजना में इसीलिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने पर विशेष जोर दिया गया है।

तृतीय योजना के उद्देश्य

तृतीय योजना के वायव्यम निम्नांकित मुख्य उद्देश्यों पर आधारित है—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय आय में ५% से अधिक वार्षिक वृद्धि करना तथा इस प्रकार विनियोजन करना कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर का क्रम आगामी योजनाओं में भी धालू रहे।

(२) अनाज के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करना तथा कृषि-उत्पादन में इतनी वृद्धि करना कि देश के उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ इनका आवश्यकतानुसार निर्यात भी किया जा सके।

(३) इस्पात, रसायन उद्योग शक्ति ईंधन आदि आधारभूत उद्योगों का विस्तार एवं मशीन निर्माण करने वाले कारखानों की स्थापना करना जिससे १० वर्ष के अन्दर देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक यंत्र आदि की आवश्यकता देश के ही साधनों से की जा सके।

(४) देश की श्रम शक्ति का यथासम्भव पूर्णतम उपयोग करना तथा रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना।

(५) अवसर की अधिक समानता की स्थापना करना तथा धन एवं आय की विषमताओं में कमी करना तथा आर्थिक शक्ति का अधिक न्यायोचित वितरण करना।

तृतीय योजना काल को उन दस वर्षों का प्रथम चरण समझना चाहिए जिसमें विकास की गति इतनी तीव्र होगी कि अर्थ-व्यवस्था स्वयं-सूत विकास अवस्था में प्रविष्ट कर सके। प्रथम एवं द्वितीय योजना द्वारा तीव्र आर्थिक विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार की गयी है और भविष्य की योजनाओं में इस सुदृढ़ पृष्ठभूमि पर तीव्र आर्थिक विकास किया जायगा। तृतीय योजना में भी विकास का प्रकार द्वितीय योजना के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। फिर भी तृतीय योजना में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तीव्र प्रयास का अधिक स्थान दिया गया है। कृषि अथवा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, उद्योग, शक्ति एवं यातायात का विकास करना, औद्योगिक एवं सामाजिक परिवर्तनों को तीव्र गति देना तथा

अवसर की समानता एवं समाजवादी समाज की स्थापना की ओर ठोस कार्य-वाही करने को तृतीय योजना में विशेष महत्व दिया गया है।

(१) राष्ट्रीय आय में ५% प्रतिशत की वृद्धि—तृतीय योजना काल में राष्ट्रीय आय १३,००० करोड़ रु० (१९६०-६१ में १९५८-५९ के मूल्यों के आधार पर) से बढ़ कर १७,००० करोड़ रुपया १९६५-६६ तक हो जायगी। १९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर १९६०-६१ की अनुमानित राष्ट्रीय आय १४,५०० करोड़ रुपया से बढ़ कर १९६५-६६ तक १९,००० करोड़ रुपया होने का अनुमान लगाया गया है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि चौथी योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय २५,००० करोड़ रुपया और पाँचवी योजना के अन्त तक ३३,००० से ३४,००० करोड़ रुपया हो जायगी। जनसंख्या की वृद्धि को दृष्टिगत रखन हुए प्रति व्यक्ति आय १९६०-६१ में ३३० रुपया (१९६०-६१ के मूल्यों पर) अनुमानित है जो कि तृतीय योजना के अन्त तक बढ़ कर ३८५ रुपया होने का अनुमान है। इस प्रकार तृतीय योजना काल में राष्ट्रीय आय में लगभग ३०% और प्रति व्यक्ति आय में लगभग १७% की वृद्धि होने का अनुमान है। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में अनुमानित वृद्धि करने हेतु तृतीय योजना में १०,४०० करोड़ रुपये का विनियोजन करने का लक्ष्य रखा गया है। विनियोजन की राशि को राष्ट्रीय आय के ११% स्तर से बढ़ा कर १४% से १५% तथा घरेलू बचन का राष्ट्रीय आय के ८५% से बढ़ा कर ११५% करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि तृतीय योजना के इन लक्ष्यों की तुलना हम पिछले दस वर्षों के विकास से करें तो हमें ज्ञात होगा कि पिछले दस वर्षों में १९६०-६१ के मूल्यों के स्तर पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि ४२% तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि ०१% हुई है।

पिछले दस वर्षों की विनियोजन राशि १०,११० करोड़ रुपया थी और इस काल में राष्ट्रीय आय (१९५०-५१ में) १०,२४० करोड़ रुपया (१९६०-६१ के मूल्यों पर) से बढ़ कर १९६०-६१ में १४५०० करोड़ रुपया होने का अनुमान है अर्थात् इस काल में १०,११० करोड़ रुपये के विनियोजन पर ४२६० करोड़ रु० की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। तृतीय योजना में १०,४०० करोड़ रुपये के विनियोजन पर ४५०० करोड़ रुपये की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में इन आँकड़ों का आधार पर यह कहा जा सकता है कि १९५०-५१ से १९६०-६१ तक अर्थ-ज्यवस्था की जो प्रगति १० वर्षों में हुई है, लगभग उतनी ही प्रगति तृतीय योजना के पाँच वर्षों में प्राप्त करने का लक्ष्य है। उपर्युक्त आँकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि तृतीय योजना में विनियोजन की उत्पादकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।

भारत में कृषि-व्यवस्था देश की राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग उत्पादित करता है। इस क्षेत्र का पर्याप्त विकास न होने पर प्रति व्यक्ति आय में भी पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकती है। पिछले दस वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में ४६% की वृद्धि हुई है। तृतीय योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन में ३१% की वृद्धि करने का लक्ष्य है। समस्त कृषि उत्पादन में तृतीय योजनाकाल में ३०% की वृद्धि होने का अनुमान है जबकि पिछले १० वर्षों में कृषि उत्पादन में केवल ४१% की वृद्धि हुई है। तृतीय योजना के कृषि उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने समय कच्चे माल की आवश्यकताओं को भी दृष्टिगत किया गया है।

(३) आधारभूत उद्योगों का विस्तार—तृतीय योजना में द्वितीय योजना के समान योजना के समस्त सरकारी व्यय का २०% भाग उद्योगों एवं खनिज विकास पर व्यय करने का आयोजन है। इन आधार पर कहा जा सकता है कि तृतीय योजना में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक विकास की प्राथमिकता को आवश्यकता से अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। तृतीय योजना में औद्योगिक एवं खनिज विकास पर १५२० करोड़ रुपये व्यय होना है जो कि द्वितीय योजना में व्यय ६०० करोड़ रुपये का १ $\frac{३}{४}$ गुना है। इसके अतिरिक्त १०२० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में उद्योगों पर विनियोजित किया जायगा। इस प्रकार उद्योगों एवं खनिज पर विनियोजित होने वाली राशि २५७० करोड़ रुपये है जो कि योजना के समस्त विनियोजन की २५% है।

दूसरी ओर कृषि एवं सिंचाई पर सरकारी एवं निजी क्षेत्र में विनियोजित होने वाली राशि क्रमशः १३१० तथा ८०० करोड़ रुपये है जो समस्त विनियोजन की २०% होती है। तृतीय योजना में ४२५ करोड़ रुपये जो कि समस्त विनियोजन का ४% है, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास पर विनियोजित होना है। इस प्रकार तृतीय योजना में औद्योगिक एवं खनिज विकास पर योजना के समस्त विनियोजन का २६% भाग विनियोजन होना है जबकि कृषि एवं सिंचाई से विकास के लिए केवल २०% राशि ही विनियोजित होती है। इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि तृतीय योजना द्वितीय योजना के समान उद्योग-प्रधान है। तृतीय योजना के औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों द्वारा अगले १५ वर्षों के शीघ्र औद्योगीकरण की नींव डाली जायगी जिससे राष्ट्रीय आय एवं रोजगार में अनुमानित वृद्धि हा सके। इसीलिए तृतीय योजना में पूर्वागत, उत्पादक वस्तुओं एवं मशीन निर्माण उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार को महत्त्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास द्वारा उत्पादित निर्मित कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी तृतीय योजना में औद्योगिक कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं। दूसरी ओर विलासिता एवं अर्थ-

विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना सम्भव न हो सकेगा और इनके उपभोग पर अकुशल रखना आवश्यक होगा।

(४) रोजगार के अवसरों में वृद्धि—द्वितीय योजना के समान ही तृतीय योजना में भी योजना काल में बढ़ी हुई श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करने का आयोजन किया गया है। भारत में श्रम शक्ति की तीव्र वृद्धि के कारण अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ वरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। अभी तक भारतीय अर्थ व्यवस्था का विकास श्रम शक्ति की वृद्धि के अनुकूल नहीं हो सका है। यह अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय योजना के अन्त में ६० लाख व्यक्ति बेरोजगार रहेगे और १५० से १८० लाख व्यक्ति आशिक रोजगार प्राप्त रहेगे। तृतीय योजना काल में १९६१ की जनगणना के प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार १७० लाख व्यक्तियों की वृद्धि श्रम शक्ति में होगी। तृतीय योजना में अभी तक केवल १४० लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का आयोजन किया जा सका है और शेष ३० लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिये प्रयत्न किये जाने हैं। यदि तृतीय योजना में अनुमानित मात्रा में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो भी तब भी योजना के अन्त में दश में १२० लाख व्यक्ति बेरोजगार रहेगे और हमारी योजनाओं के अन्तिम लक्ष्य 'पूर्ण रोजगार' की प्राप्ति दीर्घ काल तक न हो सकेगी।

(५) अवसर की समानता एवं धन तथा आय के वितरण की विषमताओं में कमी—अवसर की समानता उत्पन्न करने के लिए कार्य करने के लिये कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करना आवश्यक है। इसी कारण भारत की तृतीय योजना में रोजगार के अवसरों की वृद्धि को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति रोजगार के अवसरों का आवश्यकता के अनुकूल करने के लिये देश में दृढ़ औद्योगिक आधार स्थापित करना तथा शिक्षा एवं समाज सेवाओं का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। तृतीय योजना में इसी कारण से आधारभूत उद्योगों के विस्तार एवं शिक्षा तथा समाज-सेवाओं के विकास एवं विस्तार का आयोजन किया गया है। ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिये नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया गया है। शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास करने, तांत्रिक प्रशिक्षण की समस्याओं के विस्तार छात्र वृत्ति का आयोजन आदि द्वारा शिक्षा के अवसरों में समानता उत्पन्न करने का लक्ष्य है। तृतीय योजना में घने आबाद ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी ग्रामीण कार्यशालाएँ (Rural Works) चलाने का आयोजन किया गया है जिससे आशिक रोजगार प्राप्त जनसंख्या को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो सके। तृतीय योजना में स्वास्थ्य सफाई, जल तथा निवास गृह

का भी आयोजन किया गया है जिससे गरीब वर्ग के लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा कर अपने जीवन स्तर को उन्नत कर सकें। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये भी कार्यक्रम तृतीय योजना में सम्मिलित हैं। औद्योगिक श्रमिकों को सामाजिक बीमा द्वारा जीवन-स्तर में वृद्धि करने के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

भारत की योजनाओं में धन और आय की वृद्धि के साथ-साथ इस बात का भी आयोजन किया गया है कि आर्थिक व्यक्तियों का केन्द्रीयकरण न होने पाये। तृतीय योजना में सरकारी क्षेत्र में संगठित एवं भारी उद्योगों में विस्तार करना, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों सहकारिता के आधार पर संगठित उद्योगों एवं नवीन व्यवसायों द्वारा संचालित उद्योगों के विकास के अधिक अवसर प्रदान करना, तथा राजकीय वित्तीय नीति का प्रभावशाली संचालन करके आर्थिक सत्ताओं के केन्द्रीयकरण को रोके जाने का आयोजन किया गया है।

तृतीय योजना का व्यय, विनियोजन एवं प्राथमिकताएँ

भारत की जनसंख्या की वृद्धि, जन-साधारण की सुविधाओं की उपलब्धि के सम्बन्ध में होने वाली सम्भावनाएँ तथा अगली दो या तीन योजनाओं में देश को स्वयं-स्फूर्त विकास-मार्ग तथा तक पहुँचाने की आवश्यकता के आधार तृतीय योजना के भौतिक कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं। योजना में सम्मिलित सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों की कुल लागत ८००० करोड़ रुपये से भी अधिक अनुमानित है। निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों का समस्त व्यय ४१०० करोड़ रुपया अनुमानित है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार तृतीय योजना काल में ७५०० करोड़ रुपये के साधन उपलब्ध होंगे। परन्तु योजना काल में उपलब्ध अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए योजना के कार्यक्रम साधनों के वर्तमान अनुमानों पर पूर्णतः आधारित नहीं रखे गये हैं। जैसे जैसे योजना की उत्पादक परियोजनाएँ संचालित होने लगेंगी, अर्थ-साधनों की उपलब्धि की सम्भावनाएँ भी घट जायेंगी। इसी कारण ७५०० करोड़ रुपया के अर्थ-साधनों के लिये ८००० करोड़ रुपये के कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं। शेष ५०० करोड़ रुपया योजना के संचालन काल में परिस्थिति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त करने का अनुमान है। योजना के वर्तमान अनुमानित साधनों को विभिन्न मरदों पर निम्न प्रकार विभाजित किया गया है—

तालिका सं० ७७—तृतीय योजना का सरकारी क्षेत्र का व्यय

मद	द्वितीय योजना		तृतीय योजना			
	व्यय	समस्त व्यय स प्रतिशत	प्रस्तावित योजना		तृतीय योजना	
			व्यय	समस्त व्यय स प्रतिशत	व्यय	समस्त व्यय से प्रतिशत
कृषि एवं साधु						
दायिक विकास	५३०	११.५	१०२५	१४.१	१०६८	१४.२
बड़ी एवं मध्यम						
श्रेणी का सिंचाई						
योजनाएँ	४५०	९.८	६५०	९.०	६५०	८.७
शक्ति	४१०	८.६	६२५	११.८	१०१२	१३.५
ग्रामीण एवं लघु						
उद्योग	१८०	३.६	२५०	३.४	२६४	३.५
संगठित उद्योग						
एवं खनिज	८८०	१६.१	१५००	२०.७	१५२०	२०.३
यातायात						
एवं संचार	१२२०	२८.१	१४५०	२०.०	१४८६	१६.८
समाज सेवाएँ						
एवं विविध	८६०	१८.७	१२५०	१७.०	१३००	१७.३
उत्पादन में						
बाधा न आने						
हेतु संचित						
बच्चा एवं अर्ध-						
निर्मित माल						
(Inventories) — —			२००	२.८	२००	२.७
योग	४६००	१००.०	७२५०	१००.०	७५००	१००.०

योजना में सम्मिलित सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों की समस्त अनुमानित लागत ८००० करोड़ रुपये को विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार विभाजित किया गया है—

तालिका सं० ७८—तृतीय योजना के विभिन्न कार्यक्रमों की
अनुमानित लागत^१

मद	द्वितीय योजना का व्यय	तृतीय योजना का व्यय			
		राज्या का व्यय	मूलियन क्षत्रा का व्यय	केन्द्र का व्यय	याग
				(करोड रुपया म)	
कृषि कार्यक्रम	१७६ ४४	५६१ ६७	१५ ६७	११००	६८७ ६४
सहकारिता	३३ ८२	६८ ५६	१५१	६००	८० १०
सामुदायिक विकास					
एव पचायतों	२१ ८७३	२१० १३	६३४	६००	३२२ ४७
सिंचाई	३७२ १७	५८१ २१	१०	१८०३	५६६ ३४
बाढ नियन्त्रण	४८ ००	५६ ६५	१ ३७	—	६१ ३२
शक्ति	४४५ ४६	८१३ १५	२३ ४५	११३ १२	१०१ ६७२
उद्योग एव					
खनिज	८६६ ८६	७६ ५८	३२	१८०२ ४०	१८८२ ३०
ग्रामीण एव					
लघु उद्योग	१७५ ६६	१३७ ०३	४ २५	१२३ ००	२६४ २८
रेल यातायात	८६० ११	—	—	६४० ००	६४० ००
सडक	२२३ ६४	२१८ ३०	२५ ७५	८० ००	३२४ ०५
सडक यातायात	१८ १८	२० ४४	५ ५६	—	२६ ०३
परिभ्रमण					
(Tourism)	० १७	३ ६४	२२	३ ५०	७ ६६
बंदरगाह आदि	३३ ३६	४ ६०	१८	१२५ ००	१३० ०८
जहाजरानी	५२ ६८	—	२ ६३	५५ ००	५७ ६३
डाक व तार	५० ५६	—	—	७६ ००	७६ ००
हवाई यातायात	४६ ००	—	—	५५ ००	५५ ००
मानववाणी					
प्रसारण	४ ६८	—	—	११ ००	११ ००

अन्य यातायात			२५	२१ ३०	२४ २८
एवं संचार	५ ३१	२ ७३			
सामान्य शिक्षा					
एवं सांस्कृतिक					
कार्यक्रम	२०८ ०४	३१६ ०६	२१ ०४	७८ ००	४१८ १०
तांत्रिक शिक्षा	४७ ७२	६६ ८६	१ ७३	७० ००	१४१ ५६
वैज्ञानिक एवं					
तांत्रिक अन्वेषण	—	—	—	७० ००	७० ००
स्वास्थ्य	२१६ ३४	२७१ १४	२५ ६६	४५ ००	३४१ ००
निवास गृह	८० ३३	६६ २०	२० ७६	२५ ००	१४१ ६६
पिछड़ी जातियों					
की कल्याण	७६ ४१	७४ ६८	३ ८६	३५ ००	११३ ८७
समाज-कल्याण	१५ १८	१० ४८	१ १४	१६ ००	७ ६२
धर्म एवं धर्म-					
कल्याण	१६ ८१	२५ १६	१ ८६	४४ ००	७१ ०८
पुनर्वास एव					
जन सहयोग	६३ ४१	३४	—	६० ००	६० ३४
विविध	६६ ८०	४७ ४८	१० ८३	५२ ००	११० २७
योग	४६०० ००	३८४७ ३१	१७४ ८७	४०७६ ३५	८०६८.५३

उपरोक्त प्रांकडो से यह ज्ञात होता है कि राज्यों के यूनियन क्षेत्रों एवं केन्द्र के कार्यक्रमों की आवंटित राशि एवं अनुमानित लागत निम्न प्रकार है—

	आवंटित राशि	अनुमानित लागत
राज्यों के कार्यक्रम	३७२५	३८५७ ३१
यूनियन क्षेत्रों के कार्यक्रम	१७५	१७४ ८७
केन्द्र के कार्यक्रम	३६००	४०७६ ३५
योग	७५००	८०६८ ५३

(बरोड रुपयो म)

। वाभन राज्या एव यूनियन क्षत्रो की तृतीय योजना के कार्यक्रमो की अनुमानित लागत निम्न प्रकार है—

तालिका स० ७६—प्रथम, द्वितीय एव तृतीय योजनाओं म राज्यो एव यूनियन क्षेत्र का सरकारी व्यय^१

राज्य / यूनियन क्षत्र	(करोड़ रुपया म)		
	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
आंध्र प्रदेश	१०८	१७५	३०५
आसाम	२८	५१	१२०
बिहार	१०२	१६६	३३७
गुजरात	२२४ ^२	१४३	२३५
जम्मू काश्मीर	१३	२५	७५
केरल	४४	७६	१७०
मध्य प्रदेश	६४	१४५	२००
मद्रास	८५	१६७	५६०
महाराष्ट्र	(गुजरात म सम्मिलित) २०७		३६०
मसूर	६४	१२२	२५०
उडिसा	८५	८५	१६०
पंजाब	१६३	१४८	२३१
राजस्थान	६७	६६	२३६
उत्तरप्रदेश	१६६	२२७	४६७
पश्चिम बंगाल	१५४	१४५	२५० (सामयिक)
योग समस्त राज्यो का	१४२७	१६८१	३८४७
अडमन निकोबार	२	३	६
देहली	१०	१४	८१
हिमाचल प्रदेश	८	१६	२७
मनापुर	२	६	१२
त्रिपुरा	३	६	१६
अन्य क्षत्र	५	१४	२६
यूनियन क्षत्रा का योग	३०	६२	१७४
समस्त भारत का योग	१४५७	२०४३	४०२२

१ The Third Five Year Plan, p 89

२ This Figure relates to Composite Bombay State

तालिका सं० ७७ के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तृतीय याजना में सरकारी क्षेत्र के व्यय का सबसे अधिक भाग समकित उद्योग एवं खनिज विकास के लिए निर्धारित किया गया है। वास्तव में योजना का २३.८% व्यय छोटे बड़े उद्योग एवं खनिज के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त शक्ति की निर्धारित राशि सभा औद्योगिक विकास को ही सहायता मिलनी है। इस प्रकार लगभग ३७% व्यय औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित किया गया है। दूसरा और तृतीय याजना में कृषि विकास एवं सिंचाई पर योजना के व्यय का २३% भाग व्यय किया जाना है। यदि हम यह मान लें कि शक्ति व साधनों व बढन से ग्रामीण क्षेत्रों में विकली पहुँच जायगी और ऐस उद्योगों का विकास होगा जिनसे कृषि विकास में सहायता मिलेगी तो भी यह मान सवथा यायाचित होगी कि अतिरिक्त शक्ति व साधनों का अधिक लाभ औद्योगिक क्षेत्र का प्राप्त होगा। इस आधार पर यह कहना अतिशयाक्ति न होगी कि तृतीय याजना उद्योग प्रधान है।

विभिन्न मदा पर निर्धारित राशियों का द्वितीय योजना के व्यय से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि तृतीय योजना में व्यय का प्रतिशत कृषि एवं सामुदायिक विकास, शक्ति तथा उद्योग एवं खनिज पर बढा दिया गया है और सिंचाई याजनाओं यातायात एवं समाज सेवाओं पर घटा दिया गया है। इस व्यय के प्रतिशत में सबसे अधिक वृद्धि शक्ति की मद में का गयी और सबसे अधिक कमी यातायात एवं संचार में हुई है। परन्तु कृषि एवं सिंचाई पर व्यय होन वाली राशि द्वितीय योजना की तुलना में लगभग दुगुनी, शक्ति पर लगभग २.३ गुनी, बड़े छोटे उद्योगों एवं खनिज पर लगभग १.३ गुनी समाज सेवाओं पर लगभग १.३ गुनी हो गयी है। यातायात एवं संचार की राशि में द्वितीय योजना की तुलना में केवल १५% की वृद्धि की गयी है जबकि याजना व समस्त सरकारी व्यय में द्वितीय योजना की तुलना में ६८% की वृद्धि की गयी है। इस प्रकार यदि व्यय के आधार पर हम प्राथमिकताएँ निर्धारित करें तो हम ज्ञात हागा कि तृतीय योजना में सबसे अधिक महत्व औद्योगिक विकास का दिया गया है। दूसरा स्थान कृषि विकास को तीसरा स्थान यातायात एवं संचार को और चौथा स्थान समाज सेवाओं एवं शक्ति को दिया गया है।

तालिका सं० ७९ के अवलोकन से हम ज्ञात हाता है कि उत्तर प्रदेश की तृतीय योजना की लागत ४९७ करोड़ रुपया अथवा राज्या की तुलना में सबसे अधिक है। द्वितीय योजना की तुलना में आसाम, बिहार, जम्मू काश्मीर केरल, मध्यप्रदेश मसूर, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तरप्रदेश की तृतीय योजना का व्यय दुगुने से भी अधिक है। इसी प्रकार समस्त राज्या का तृतीय योजना का व्यय द्वितीय योजना की तुलना में दुगुना है।

तृतीय योजना के सरकारी क्षेत्र के समस्त व्यय ७५०० करोड़ रुपये में से ६३०० करोड़ रुपये विनियोजन तथा शेष १२०० करोड़ रुपये चालू व्यय होने का अनुमान है। निजी क्षेत्र के अनुमानित व्यय की समस्त राशि ४१०० करोड़ रुपये का विनियोजन होने का अनुमान है। इन विनियोजन राशियों का विभिन्न मदों पर वितरण निम्न प्रकार है—

तालिका स० ८०—द्वितीय एवं तृतीय योजना में विनियोजन

(करोड़ रुपये में)

मद	द्वितीय योजना				तृतीय योजना			
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग प्रतिशत	योग से प्रतिशत	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग प्रतिशत	योग से प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	२१०	६२५	८३५	१२	६६०	८००	१४६०	१४
बड़ी एवं मध्यम शक्ति	४२०	—	४२०	६	६५०	—	६५०	६
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	४४५	४०	४८५	७	१०१२	५०	१०६२	१०
संगठित एवं खासिज यातायात	६०	१७५	२३५	४	१५०	२७५	४२५	४
संचार	८७०	६७५	१५४५	२३	१५२०	१०५०	२५७०	२५
समान सवाएँ एवं विविध	१२७५	१३५	१४१०	२१	१४८६	२५०	१७३६	१७
उत्पादन में बाधा न घान हेतु सचिन बच्चा एवं अर्धनिमित्त माल	३४०	६५०	९९०	१६	६२२	१०७५	१६९७	१६
योग	३६५०	३१००	६७५०	१००	६३००	४१००	१०४००	१००

१०४०० करोड़ रुपये के विनियोजन में ०.३० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होने का अनुमान है। द्वितीय योजना का अन्तिम वर्ष का

विनियोजन स्तर १६०० करोड़ रुपया तृतीय योजना के अन्त तक बढ़कर २६०० करोड़ रुपया हो जायगा। तृतीय योजना में द्वितीय योजना की तुलना में विनियोजन स्तर में लगभग ५४% का वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र में विनियोजन में ७०% की तथा निजी क्षेत्र के विनियोजन में ३२% की वृद्धि होने का अनुमान है।

द्वितीय योजना काल में हुए विनियोजन का तुलना तृतीय योजना के विनियोजन के अनुमानों के साथ करन से ज्ञात जाता है कि इन दोनों योजनाओं में विनियोजन का प्रचार लगभग समान है। तृतीय योजना में कृषि एवं सामुदायिक-विकास पर समस्त विनियोजन का १४% निर्धारित किया गया है जबकि यह प्रतिशत द्वितीय योजना में १२% था। शक्ति का विनियोजन जो कि द्वितीय योजना में समस्त विनियोजन का ७% था को बढ़ा कर तृतीय योजना में १०% कर दिया गया है। इसी प्रकार उद्योग एवं खनिज के विनियोजन प्रतिशत २३% को बढ़ा कर २५% कर दिया गया। सिंचाई लघु एवं ग्रामीण उद्योग तथा कच्चे एवं अर्ध-निर्मित माल के विनियोजन प्रतिशत द्वितीय योजना के समान ही हैं। द्वितीय योजना में यातायात एवं संचार तथा समाज सेवाओं पर विनियोजन का क्रमशः २१% एवं १६% विनियोजित किया गया जबकि यह प्रतिशत तृतीय योजना में घटा कर १७% एवं १६% कर दिया गया है। विनियोजन के प्रकार से हमें ज्ञात होता है कि तृतीय योजना में औद्योगिक विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गयी है। समस्त विनियोजन का २६% भाग प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित किया गया है जबकि कृषि विकास के लिए (सिंचाई सहित) केवल २०% भाग ही निर्धारित किया गया है। परन्तु इस तथ्य के साथ साथ यह भी स्पष्ट है कि तृतीय योजना में द्वितीय योजना की तुलना में कृषि विकास को अधिक महत्त्व दिया गया है। कृषि क्षेत्र के विनियोजन (सिंचाई सहित) को १८% से बढ़ा कर २०% कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के विनियोजन में भी केवल २% ही की वृद्धि की गयी है।

तृतीय योजना के कार्यक्रम एवं लक्ष्य—कृषि एवं सामुदायिक विकास

तृतीय योजना में सम्मिलित कृषि सिंचाई एवं सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों के लिए १७१८ करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया है। इन कार्यक्रमों द्वारा कृषि उत्पादन की वृद्धि की दर को अगले पाँच वर्षों में दुगुना करन का लक्ष्य रखा गया है। योजना काल में खाद्यान्नों में ३०% और अन्य फसलों में ३१% वृद्धि करन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मद की निर्धारित समस्त राशि में से १२८१.०० करोड़ रुपया कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों पर

व्यय होना है। इस राशि का वितरण विभिन्न कार्यक्रमों पर निम्न प्रकार किया गया है—

तालिका स० ८१—कृषि उत्पादन पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
कृषि उत्पादन	६८ १०	२७६*०७
लघु सिंचाई योजनाएँ	६४ ६४	१७६ ७६
भूमि सुरक्षा	१७ ६१	७२*७३
सहकारिता	३३ ८३	८०*१०
सामुदायिक विज्ञान के कृषि-कार्यक्रम	५० ००	१२६*००
बड़ी एवं मध्यम धरोहरों की सिंचाई योजनाएँ	३७२*१७	५६६ ३४
	६६६ ६५	१२८१ ००

इन माघनों के अतिरिक्त यह भी सम्भावना की जाती है कि कृषि-कार्यक्रमों के लिए सहकारी मस्याग्रा से उपलब्ध हान वाली साख म भी पर्याप्त वृद्धि हो जायगी। प्रत्यक्षात्मीन ऋण द्वितीय योजना के अन्तम वर्ष म २०० करोड रुपये से बढ कर तृताय योजना के अन्त तक ५३० करोड रुपया होने का अनुमान है। इसी प्रकार दाघकालान ऋण ३४ करोड रुपया स बढ कर तृतीय योजना के अन्त म १५० करोड रुपया होने का अनुमान है। कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए योजना म निम्नलिखित तात्रिक-कार्यक्रम सम्मिलित किये गए है—

(१) सिंचाई—तृतीय योजना काल म बडी, मध्यम एवं लघु धरोहरों की सिंचाई योजनाया द्वारा २५६ लाख एकड भूमि (सकल) म अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध होने का अनुमान है। इस प्रकार तृतीय योजना के अन्त तक सिंचित भूमि ६०० लाख एकड हो जायगी।

(२) भूमि-सुरक्षा, शुष्क खेती तथा भूमि को कृषि योग्य बनाना—योजना काल म ११० लाख एकड भूमि मे भूमि-सुरक्षा के कार्यक्रम संचालित होने, २०० लाख एकड भूमि पर शुष्क खेती की तात्रिकताओं का आयोजन होगा तथा ३८ लाख एकड भूमि को कृषि योग्य बनाया जायगा।

(३) खाद एवं रासायनिक खाद की उपलब्धि—नाइट्रोजन (N) खाद के उपभोग म पाच गुनी वृद्धि हो जायगी और इसका उपभोग १० लाख टन हो जायगा। फौसफेटिक खाद (P₂O₅) का उपभोग ६ गुना अर्थात् ७०,०००

टन से बढ़ कर ८ लाख टन हो जायगा। इसी प्रकार पार्थमिक (K_2O) खाद का उपभोग बढ़ कर दो लाख टन हो जायगा। हर खाद का उपयोग ११८ लाख एकड़ भूमि पर से बढ़ कर ४१० लाख एकड़ भूमि में होना पड़ेगा।

(४) अन्न बीज की अधिक उपज एवं वितरण—तृतीय योजना काल में १८८० लाख एकड़ प्रतिष्ठित भूमि में अन्न बीज का उपयोग होना पड़ेगा। द्वितीय योजना में प्रथम विभाग एण्ड में एक बीज का फार्म खाने का आयोजन किया गया था। द्वितीय योजना के अंत तक लगभग ४००० बीज के फार्मों की स्थापना होने का अनुमान है। तृतीय योजना के प्रारम्भ के वर्षों में ८०० बीज के प्रतिष्ठित फार्म स्थापित करने का आयोजन किया गया है।

(५) पौधों की सुरक्षा (Plant Protection)—द्वितीय योजना काल में पौधों की सुरक्षा के कार्यक्रमों में लगभग १८० लाख एकड़ भूमि पर संचालित किए गए। तृतीय योजना में इन कार्यक्रमों को लगभग १०० लाख एकड़ भूमि पर लागू किया जायगा।

(६) अन्न होने कृषि औजार एवं वैज्ञानिक कृषि विधियों का उपयोग—प्रथम एवं द्वितीय योजना में अन्न औजारों एवं वैज्ञानिक विधियों के उपयोग के लिए जो कार्यक्रमों की गयीं, उनकी गति अत्यधिक मंद रही है। तृतीय योजना में इस कार्य को गति दी जायगी। कृषि औजारों के निर्माण के लिए आवश्यक ताइल एवं इस्पात राज्यों के कृषि विभागों द्वारा उपलब्ध कराया जायगा।

विशेषज्ञों द्वारा चुने हुए अन्न कृषि औजारों का राज्य सरकारों के माध्यम से तैयार करना तथा उनके उत्पादन एवं मरम्मत का प्रबंध करेंगी। द्वितीय योजना काल में चार अन्न कृषि औजारों की जाँच एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का गठन किया गया है। तृतीय योजना में प्रत्येक राज्य में एक प्रकार के कृषि औजारों का आयोजन किया गया है जिससे किसानों का अन्न कृषि औजारों के उपयोग का प्रशिक्षण एवं सहायता दी जा सके। यह केन्द्र अन्न कृषि औजारों का निर्माण कर सकेंगे। कृषि विभाग २/विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों (Extension Training Centres) पर खोले जायेंगे हैं। तृतीय योजना में समस्त विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों पर कृषि वर्कशॉप खोली जायेंगी जिनमें ग्रामीण स्तर के कार्यक्रमों तथा मैकेनिकल तथा किसानों की प्रशिक्षण दिया जायगा।

(७) जिला स्तर पर गहरी कृषि के कार्यक्रम—कोई एक देश की कृषि उत्पादन टीम की सिफारिशों के अनुसार विशेष चुने हुए जिलों में गहरी खेती का समस्त सुवर्धाएँ प्रदान करके कृषि उत्पादन को अनुमानित स्तर तक

बढाने का प्रयत्न किया जायगा। इन जिलों के अनुभवों का उपयोग धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी किया जायगा।

कृषि क्षेत्र के उत्पादन लक्ष्य—तृतीय योजना में कृषि क्षेत्र के उत्पादन-लक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

तालिका सं० ८२—तृतीय योजना में कृषि उत्पादन लक्ष्य^१

वस्तु	इकाई	१९६०-६१	१९६५-६६	वृद्धि का अनुमानित प्रतिशत
				उत्पादन
खाद्यान्न	लाख टन	७६०	१०००	३१.६
तिलहन	"	७१	९८	३८.०
गन्ना	गुंड लाख टन	८०	१००	२५.०
कपास	लाख गॉट्स	५१	७०	३७.२
जूट	लाख गॉट्स	४०	६२	५५.०
नारियल	लाख नारियल	४५०००	५२७५०	१७.२
लाख (Lac)	हजार टन	५०	६२	२४.०
चाय	लाख पौंड	७२५०	९०००	२४.१
तम्बाकू	हजार टन	३००	३२५	८.३
कहवा (Coffee)	हजार टन	४८	८०	६७.७
रबर	"	२६४	४५	७०.५

तृतीय योजना में विभिन्न राज्यों के कृषि उत्पादन के लक्ष्य तालिका सं० ८३ के अनुसार पृष्ठ ४४०-४४१ पर देखें—

सामुदायिक विकास—द्वितीय योजना के अथ तक सामुदायिक-विकास-कार्यक्रम ३,१०० विकास खण्डों में जिनमें लगभग ३७०,००० ग्राम सम्मिलित हैं, संचालित किया गया है। इनमें से लगभग ८८० विकास खण्ड ५ वर्ष समाप्त करके सामुदायिक-विकास की दूसरी अवस्था में प्रविष्ट कर गये हैं। अक्टूबर सन् १९६३ तक सामुदायिक-विकास-कार्यक्रम देश के नमस्त ग्रामीण क्षेत्रों पर आच्छादित हो जायेगे। तृतीय योजना में २९४ करोड़ रुपये सामुदायिक विकास एवं २८ करोड़ रुपये पंचायतों के लिये निर्धारित किया गया है।

सामुदायिक-विकास-कार्यक्रमों में कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रायोजन किया गया है। राज्यों की योजनायें जिलों एवं खण्डों की योजनाओं के आधार पर बनायी गयी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय साधनों एवं कृषकों के प्रयासों के प्रभावशाली उपयोग के लिये ग्रामीण उत्पादन योजनाएँ निम्न तत्वों के आधार पर निर्धारित की गयी हैं। (रूपमा पृष्ठ ४४२ देखें।)

विभिन्न राज्यों के उत्पादन लक्ष्य

(गुड हजार टन)		निलहन (हजार टन)		सूट (हजार टन)		
तृतीय के		तृतीय		तृतीय		
योजना के	१९६०-	योजना के	१९६०-	योजना के	वृद्धि का	वृद्धि का
अन्त में वृद्धि का	६१ का	अन्त में वृद्धि का	६१ का	अन्त में वृद्धि का	अनुमानित प्रतिशत	सम्भावित प्रतिशत
अनुमानित प्रतिशत	सम्भावित	अन्त में	प्रतिशत	सम्भावित	अन्त में	प्रतिशत
उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन
७५०	१९६	१०७९	१६३७	५१७	—	—
१२०	२०.०	६०	८०	३३.३	८१३	१२१३
७२०	६२	२०	१-२	११०.०	८३९	१२८०
६-९	०१९	१०५०	१३५०	२८६	—	—
११००	२४१	७१८	१०३९	४४७	—	—
२७	८१०	-०	५१	१५५०	—	—
-६०	५९४	५२१	२८०	-०२	—	—
५०१	२५३	१०५०	१,४०	१७२	—	—
५१०	२३५	३००	८७५	०५.०	—	—
१२०	१२०.०	९०	२००	११०२	२६१	२६१
९००	१५४	१८५	३००	६१२	—	—
१८०	१०००	२७-	२८०	४००	—	—
४०००	-००	११८०	१२७५	४१९	८९	११९
१८७	४११	४०	६०	५२०	१९८७	२८२७
	—			—	—	—
१=	—	४	४	—	४१	८१
९९६३	०४०	७०८४	९८००	३८६	४०३०	६१८१

(१) मिचार्ट की उद्वेग्य मुविधाया का पूर्णतम उपयोग, सामुदायिक मिचार्ट के मात्रों की मरम्मत आदि लाभ प्राप्त पाने वाले कृषकों द्वारा किया जाना, एवं उद्वेग्य जन का मितप्रयत्ना के साथ उपयोग ।

(२) एक में अधिक फसल उगाते वान क्षेत्र में वृद्धि ।

(३) अच्छे बीज का ग्रामा में उत्पादन एवं वितरण ।

(४) खाद की उपलब्धि ।

(५) हर एक गेहे के खाद के वापस ।

(६) अन्तः कृषि उत्पादन विविधा का उपयोग ।

(७) नवीन छाटी श्रेणी की मिचार्ट योजनाया का सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर स्थापन एवं संचालन ।

(८) अच्छे कृषि औजारों के उपयोग के कार्यक्रम ।

(९) मागभाजा एवं फसल के उत्पादन में वृद्धि ।

(१०) मुर्गी पालन, मट्टी के कचरे के उत्पादन में विनाम-वापस ।

(११) पशु-पालन—अच्छे मौतों का ग्रामा में रखना ।

(१२) ग्रामा में ईंधन का पत्ता एवं बरामदा के विनाम कार्यक्रम

सामुदायिक विकास के साथ समस्त देश में पंचायत राज्य का संचालन करने का प्रयत्न किया जाना है । पंचायतों में प्रभावशाली संचालन हेतु जिले के प्रशासन में विशेषपूर्ण परिवर्तन भी किए जायेंगे ।

प्रथम एवं द्वितीय योजना में अनुभवों से ज्ञात जाना है कि कृषि एवं पशुपालन सम्बन्धी सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों का नाम अतिरिक्त ऐम मिशनों को मिला है, जिनका पान अधिक भूमि है । छाटी कृषकों एवं कृषि मजदूरों को सामुदायिक विकास योजनाया में अन्तर्गत उद्वेग्य मुविधाया का लाभ बहुत ही सीमित मात्रा में मित पाया है । तृतीय योजना में एएड अधिकारियों का कर्तव्य है कि विभिन्न भूमि सुधार सम्बन्धी विधानों का वाद्यान्वत करने में सहयोग दें, ग्रामीण क्षेत्रों में मरायक राजगारों में अक्सर बढ़ावें । ग्रामीण उद्योगों एवं दम्त-बारा की उत्पादकता बढ़ावें, श्रमिक सहकारितायें मगठित करें, तथा अपने क्षेत्रों की उपलब्ध जा शक्ति का पूर्णतम उपयोग करें । ग्रामीण वर्णशाप द्वारा लगभग २५ लाख व्यक्तिओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का आशुज्ज्वल निम्न उद्योग है । इन व्यवस्थाओं को पहले अधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जायगा । तृतीय योजना में ६- कराड रुपया खादी, अम्बरखादी एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए निर्धारित किया गया है । लघु उद्योग एवं इंडस्ट्रियल एस्टेट (Industrial Estates) को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाना

है। ५००० से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों एवं नगरों में से तथा २००० से ५००० तक की जनसंख्या वाले ५०% ग्रामों में बिजली पहुँचाने का आयोजन किया गया है। इन सब सुविधाओं के उपयुक्त उपयोग से कृषि मजदूरों की आर्थिक दशा में सुधार होने की सम्भावना है।

सिंचाई एवं शक्ति

तृतीय योजना की सिंचाई परियोजनाओं का उद्देश्य उपलब्ध सुविधाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करना तथा इन सुविधाओं द्वारा उत्पादित हानियों जैसे अतिरिक्त पानी का एकत्रित होने से (Water Logging) भूमि बेकार होना आदि को रोकना है। योजना में इसीलिये तीन प्रकार की परियोजनाओं को अधिक महत्व दिया गया है—

(१) द्वितीय योजना की विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करना तथा खेतों तक सिंचाई नालियाँ बनाना।

(२) अनिरीक्त जल के एकत्रित होने को रोकने तथा पानी की निकासी के लिये नालियाँ बनाने की परियोजनाएँ।

(३) मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएँ—तृतीय योजना के सिंचाई के आयोजन ६६१ करोड़ रुपये में से ४३६ करोड़ रुपया द्वितीय योजना में प्रारम्भ की हुई योजनाओं को पूरा करने पर, १६४ करोड़ रुपया नवीन सिंचाई योजनाओं तथा ६१ करोड़ रुपया बाढ़ नियन्त्रण पर व्यय किया जायगा। योजना काल में बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा १२८ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के लिये अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध होंगी जिसमें से ११५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जायगी। इसी प्रकार लघु सिंचाई योजनाओं से १२८ लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध होंगी जिसमें से ८५ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी। इस प्रकार तृतीय योजना काल में २०० लाख एकड़ भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की जायगी और सिंचित भूमि ७०० लाख एकड़ से बढ़ कर ९०० लाख एकड़ हो जायगी। तृतीय योजना में ९५ नवीन मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएँ प्रारम्भ की जायेंगी, पंजाब में व्यास नदी पर इन्डस वाटर सन्धि १९६० के अन्तर्गत स्टोरेज परियोजना, तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सिंचाई कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं। तृतीय योजना की सिंचाई एवं शक्ति की परियोजनाओं के लिये १८,१०० तांत्रिक व्यक्तियाँ (Technical Personnel) की आवश्यकता होगी।

तृतीय योजना में शक्ति के साधनों का निर्माण, उनकी प्रति किलोवाट पूंजी-

गत लागत, विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं, उत्पादित शक्ति की प्रति किलोवाट-घटा की लागत, निर्माण में लगने वाला समय आदि के आधार पर निर्धारित किया गया। योजना में एक न्यूक्लियर शक्ति का स्टेशन के निर्माण तारापुर (बम्बई) में करने का आयोजन है। इनमें दो रिएक्टर (Reactors) होंगे जिनमें से प्रत्येक १५० M.W. शक्ति उत्पादित करेगा। तृतीय योजना में १०३६ करोड़ रुपये का आयोजन शक्ति के विकास के लिये सरकारी क्षेत्र में किया गया है और ५० करोड़ रुपये के विनियोजन का निजी क्षेत्र में आयोजन किया गया है। इस राशि में ६६१ करोड़ रुपये जल विद्युत तथा थर्मल (Thermal) शक्ति उत्पादन की परियोजनाओं पर, ५१ करोड़ रुपये उद्जन-शक्ति (Atomic Power) तथा ३२७ करोड़ रुपये बिजली पहुँचाने एवं वितरण की योजनाओं पर व्यय होना है। योजना में एक और न्यूक्लियर शक्ति का स्टेशन (सम्भवतः राजस्थान में) स्थापित करने का आयोजन है। शक्ति की परियोजनाओं के लिये ३२० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान है। तृतीय योजना में विभिन्न प्रकार के शक्ति के कारखानों की उत्पादन-क्षमता निम्न प्रकार रहने का अनुमान है—

तालिका सं० ८४—विभिन्न प्रकार की इकाईयों की शक्ति-उत्पादन-क्षमता^१ (लाख किलोवाट में)

	१९६०-६१ (अनुमानित)	१९६५-६६ (अनुमानित)
जलविद्युत कारखान	१९३	५१०
स्टीम के कारखान	२८६	७०८
तेल से चलाने वाले कारखान	३१	३६
उद्जन शक्ति के कारखान		१५
योग	५७०	१२६९

तृतीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। १०५ करोड़ रुपये का आयोजन ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये किया गया है। देश के ५००० में अधिक जनसंख्या वाले समस्त ग्रामों एवं नगरों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य है। योजना काल में २००० से ५०००

सक की जनसंख्या वाले ५०% ग्रामों में बिजली पहुँचाना या अनुमान है। तृतीय योजना के अन्त तक लगभग ४२,००० नगरों एवं ग्रामों में बिजली पहुँच जायगी और लगभग ५,१८,१०७ ऐसे ग्रामों में जिनकी जनसंख्या २००० से ५००० है, बिजली पहुँचाना शायद रह जायगा।

उद्योग एवं खनिज

ग्रामीण एवं लघु उद्योग—तृतीय योजना में प्रथम एवं द्वितीय योजना के समान ही ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास द्वारा रोजगार के विस्तार, अधिक उत्पादन तथा अधिक समान वितरण के उद्देश्यों की पूर्ति की जानी है। परन्तु इन उद्देश्यों की पूर्ति तृतीय योजना में बड़े पैमाने पर करन की आवश्यकता है। तृतीय योजना के कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को दृष्टिगत करके निर्धारित किये गये हैं—

(१) कुशलता में सुधार, तांत्रिक सलाह की उपलब्धि, अच्छे औजार एवं सामग्री, साख, आदि प्रत्यक्ष सुविधाओं को अधिक महत्त्व देकर श्रमिक की उत्पादकता में सुधार एवं उत्पादन लागत को कम किया जाना।

(२) धीरे धीरे अनुदानों (Subsidies), विपणन व्यवहार (Sales Rebate) तथा सुरक्षित बाजारों को कम करना।

(३) ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरों में उद्योगों का विस्तार एवं विकास।

(४) बृहद् उद्योगों के सहायक उद्योगों के रूप में लघु उद्योगों का विकास।

(५) दस्तकारों को सहकारी संस्थाओं में संगठित करना।

तृतीय योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिये तांत्रिक एवं प्रबंधन सम्बन्धी व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय प्रकार (Cluster Type) की संस्थाओं की स्थापना की जायगी जिनके द्वारा कुछ ग्रामों के समूहों को विभिन्न दस्तकारियों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा।

साथ ही, ग्रामीण उद्योगों एवं हस्तकला के क्षेत्र में प्रशिक्षण के कार्यक्रम उनके विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित किये गये हैं। तृतीय योजना में समस्त ग्रामीण लघु उद्योगों में अच्छे औजारों के उपयोग को महत्त्व दिया जायगा। लघु उद्योगों के क्षेत्र में प्रशिक्षण का प्रबंध करन के लिये लघु उद्योग सेवा-संस्थाओं (Small Scale Service Institutes) द्वारा औद्योगिक विस्तार सेवा के केन्द्रों को खण्ड स्तर पर स्थापित किया जायगा। तृतीय योजना में साख सुविधाओं के विस्तार का आयोजन किया गया है परन्तु सामान्य साख की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिकोपण संस्थाओं को कार्यवाही करनी है। योजना में तांत्रिक सुधार, उत्पादन लागत का एकीकरण (Pooling

of Production Costs) तथा यातायात एवं अन्य वितरण के व्ययों का कम करके आमोह्य एवं नवो उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य कम करने का जो निश्चय व अथवा इस पर गृह्यता से लक्ष्य है। मूल्य का कम होना पर उत्पादन तथा अथवा का व्यय पर किया जायगा।

तृतीय योजना में आमोह्य एवं नवो उद्योगों के विकास के लिये २६४ करोड़ रुपये का आयात किया गया है। जर्मनी द्वितीय योजना में इस मद पर १८० करोड़ रुपये का व्यय हुआ था अनुमान है। इस संबंध में ही १४१ करोड़ रुपये का आयात परियोजनाओं पर और १२३ करोड़ रुपये का ऋण सरकार द्वारा सहायित परियोजनाओं पर कायदा पर व्यय किया जायगा। विभिन्न उद्योगों के लिये निर्धारित राशियाँ निम्न प्रकार हैं—

तानिका सं० ८१—प्राथमिक एवं नवो उद्योगों का निर्धारित व्यय

उद्योग	द्वितीय योजना का अनुमानित व्यय	(१९६४-६५ में तृतीय योजना का निर्धारित व्यय)
हाथकरिया उद्योग	२६७	३४०
हाथकरिया क्षेत्र के बाह्य गणना		
धान	२०	६०
गान्धी एवं आमोह्य उद्योग	८२६	६२४
रेशम उत्पादन का उद्योग (Sericulture)	३१	७०
तांबा तथा लौह का उद्योग (Cotton Industry)	५०	६२
हस्तकरिया (Handicrafts)	४८	८६
नवो उद्योग	४४४	८६६
औद्योगिक अड्डे	११६	३०२
	<u>१८००</u>	<u>२६८०</u>

अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त इन उद्योगों के विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में २० करोड़ रुपये का आयात किया गया है। पुनर्वास (Rehabilitation) समारंभ के लिये अथवा जातियों के विकास के कार्यक्रमों में भी इन उद्योगों के विकास के लिये आयात किया गया है। निजी क्षेत्र में इन उद्योगों पर २७७ करोड़ रुपये निर्धारित होना अनुमान है।

आदि जैसी वस्तुओं के उत्पादन को घरेलू उद्योगों द्वारा बढ़ाना जिससे इनकी पूर्ति की जा सके।

तृतीय योजना में औद्योगिक कार्यक्रमों पर विनियोजित होने वाली समस्त राशि २६६३ करोड़ रुपये है (इस राशि में पौध उद्योगों की दी जान वाली सहायता हिन्दुस्तान शिपयार्ड का दिया जानेवाला निर्माण अनुदान आदि सम्मिलित नहीं है) जिसमें से १८०८ करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में तथा ११८५ करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में विनियोजित किया जायगा। सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिये ८६० करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिये ४७८ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में १५० करोड़ रुपये प्रतिस्थापन (Replacement) पर व्यय होगा जिसमें ५० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। सरकारी क्षेत्र में ४७८ करोड़ रुपये खनिज विकास तथा १३३० करोड़ रुपये औद्योगिक विकास पर विनियोजित होगा। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में ६० करोड़ रुपये खनिज विकास पर और ११२५ करोड़ रुपये औद्योगिक विकास पर विनियोजित होगा। विनियोजन की समस्त राशि औद्योगिक एवं खनिज विकास के लिए अभी २५७० करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है क्योंकि इस समय साधनों की अधिक उपलब्धि सम्भावित नहीं है। परन्तु यह अनुमान लगाया गया कि विभिन्न औद्योगिक कार्यक्रमों को लक्ष्य के अनुसार पूरा करना सम्भव न हो सकेगा और उन्हें चौथी योजना में ले आया जायगा। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न परियोजनाओं की राशि ठीक-ठीक निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ

तृतीय योजना काल में द्वितीय योजना में प्रारम्भ हुई सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं को पूरा किया जायगा। रूपवेला, भिलाई तथा दुर्गापुर के इस्पात के कारखानों को पूरा किया जायगा और इनकी उत्पादन क्षमता तृतीय योजना के अन्त तक ३० लाख टन इस्पात के डेले तथा ७ लाख टन पिण्ड लौह (बिस्त्री के लिए) हो जायगी। रूपवेला के खाद के कारखाने को पूरा करके उस की उत्पादन क्षमता १,२०,००० टन नाइट्रोजन हा जायगी, राँची के भारी मशीनों के कारखाने तथा डालन आदि (Foundry Forge Shop) के कारखाने पूरे हो जायेंगे और इनकी उत्पादन क्षमता क्रमशः ४५,००० टन तैयार मशीने तथा ६४,००० टन डेला हुआ सामान हागी। इसके अतिरिक्त जो कारखाने पूरे किये जायेंगे, वे इस प्रकार हैं—

कारखाने की स्थापना होगी जिसकी उत्पादन क्षमता ६३ लाख वर्ग मीटर कच्ची फिल्म तथा फोटो के वागज आदि होगी ।

(६) बगलौर में २५ करोड़ रुपये की लागत से घड़ियों का कारखाना खोला जायगा जिसकी उत्पादन-क्षमता ३६०,००० घड़ियाँ होगी ।

(७) पिंजोर (पंजाब) में मशीनों के अंजार बनाने का कारखाना ८ करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जायगा । इसकी उत्पादन क्षमता १००० मशीनों के अंजार, जिनकी कीमत ३५ करोड़ रुपये अनुमानित है, होगी ।

(८) भिलाई में ३ करोड़ रुपये की लागत पर Basic Refractories का कारखाना खोला जायगा ।

(९) गुजरात में तेल शोधन का कारखाना ३० करोड़ रुपये की लागत पर खोला जायगा ।

(१०) भारी निर्माण (Structural) के सामान तथा प्लेट आदि के कारखाने की स्थापना वर्धा (महाराष्ट्र) में १५ करोड़ रुपये की लागत पर होगी ।

(११) गोरखपुर में ताद के कारखाने की स्थापना १८ करोड़ रुपये की लागत पर की जायगी जिसकी उत्पादन-क्षमता ८०,००० टन नाइट्रोजन के बराबर होगी ।

(१२) होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में सिक्योरिटी (Security) वागज के कारखाने की स्थापना ५३ करोड़ रुपये की लागत पर होगी और इसकी उत्पादन-क्षमता १५०० टन सिक्योरिटी वागज होगी ।

(१३) बुन्देलखण्ड में २०० करोड़ रुपये की लागत पर इस्पात का कारखाना खोलने की योजना है । इसकी उत्पादन-क्षमता १० लाख टन इस्पात के डले तथा ३,५०० टन लौह पिण्ड बेचने के लिये होगी ।

(१४) दुर्गापुर में धातु मिश्रण तथा अंजारों के इस्पात का कारखाना ५० करोड़ रुपये की लागत पर स्थापित होगा जिसकी उत्पादन-क्षमता ४८,००० टन तैयार माल होगी ।

(१५) कोचीन में दूसरा समुद्री जहाज बनाने का कारखाना २० करोड़ रुपये की लागत पर स्थापित किया जायगा ।

(१६) भारी दबाव के बायलर बनाने का कारखाना बुचिरापल्ली (मद्रास) में १५ से २० करोड़ रुपये की लागत पर स्थापित किया जायगा ।

इन नवों कारखानों की स्थापना के अतिरिक्त राँची में भारी मशीनों तथा इलाई के कारखाने, दुर्गापुर के खनिज मशीन के कारखाने, दुर्गापुर भिलाई तथा रुड़केला के इस्पात के कारखाने हिन्दुस्तान मशीन टूल के कारखाने,

घड़ियाँ	हजार	—	—	३६०	२४०
रेलवे इंजन (स्टीम)	संख्या	३००	२६५	३००	११७५ पांच वर्षों में
रेलवे इंजन (डिजिल)	"	—	—	अप्राम्य	४३४ (,,)
रेलवे इंजन (विजली)	"	—	—	६०	२३२ (,,)
मोटर गाड़ियाँ	हजार	५३.५	५३.५	१००	१००
कृषि मशीन एव मशीनें	"	२४७.०५	१३०.६	२६८	२२६
वाईस्किल	लाख	२२	१०.५	२२	२०
सिलार्ड की मशीनें	हजार	२६८	२६७	७००	७००
सरकारी क्षेत्र में भारी करोंड					
विजली का सामान	रुपये म	—	—	८०.०	८०.०
खाद (नाइट्रोजन में)	हजार टन	२४८	११०	१०००	८००
खाद (फोस्फेटिक					
P ₂ O ₅ म)	"	६०	५५	५००	४००
भारी रसायन	"	८६०	३	५८६	२७६८५
सीमेट	लाख टन	६०	८५	१५०	१३०
मिल में बना कपडा	लाख गज	२१०००	१७५००	२२५००	२२५००
निर्मित ब्रूट	हजार टन	१२००	१०६५	१२००	११००
शक्कर	लाख टन	२२.५	३०	३५	३५
नमक	"	३६	३७	६५	५४
खनिज तेल के उत्पादन	"	६०.२	५६.७	१०७.७	६८.६
		(कूड तेल)		(कूड तेल)	

तृतीय योजना में उन्ही उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया है जिनके द्वारा स्वयं स्फूर्त अर्थ व्यवस्था का निर्माण सम्भव हो सके। इसी कारण इस्पात, मशीन-निर्माण तथा उत्पादक वस्तुओं के निर्माण करने वाले उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिये अधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी है। इन वस्तुओं के उत्पादन को शीघ्रता के साथ बढ़ा कर देश को आवश्यकताओं की पूर्ति धरेलू उत्पादन से करने का लक्ष्य है। विभिन्न मदों के निर्देशांक में निम्न प्रकार वृद्धि होने की

गणना है—

तालिका स० ८७—औद्योगिक उत्पादन के निर्देशांक (१९५०-५१=१००)

समूह	१९६०-६१ का निर्देशांक	१९६५-६६ में अनुमानित निर्देशांक	१९६०-६१ के स्तर में १९५५-६६ की वृद्धि का प्रतिशत
सामान्य निर्देशांक	१६४	३२६	७०
सूती वस्त्र	१३३	१५७	१८
लोहा एवं इस्पात	२३८	६३७	१६८
मशीनें सभी प्रकार की	५०३	१२२४	१४३
रसायन	२८८	७२०	१५०

खनिज विकास

तृतीय योजना के औद्योगिक विस्तार के कार्यक्रमों को सुचारुरूप से संचालित करने के लिये खनिज खोज एवं खनिज विकास के विस्तृत कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक है। देश के खनिज साधनों की खोज के मुख्य उद्देश्य हैं—

(१) उन खनिज एवं धातुओं के उपयोगी सचयों की खोज करके स्थान निश्चय करना जिनके लिये वर्तमान में देश पूर्णतः अथवा अंशतः विदेशों पर निर्भर रहता है।

(२) अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कच्चा लोहा, बौक्साइट, जिप्सम, कोयला, चूने का पत्थर आदि के अतिरिक्त सचयों का पता लगाना।

(३) निर्यात के लिये कच्चे लोहे के सचयों का पता लगाना तथा नयी खानें स्थापित करना।

तृतीय योजना में खनिज विकास के लिये ४७८ करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र में तथा ६० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में व्यय होगा। खनिज विकास के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

तालिका स० ८८—तृतीय योजना में खनिज विकास के लक्ष्य

वस्तु	१९६०-६१ का उत्पादन	१९६५-६६ का लक्ष्य
तांबा (इंजार टन)	८.६	२०.०
सीसा "	३.५	८.०
जस्ता "	—	१५
कोयला (लाख टन)	५४६२	६७०
कच्चा लोहा (,)	१०५०	३२०
खनिज तेल (,,)	६०२	६८६

यातायात एवं संचार

जुलाई १९५६ में यातायात नीति एवं समन्वय समिति (नियोगी समिति) की स्थापना की गयी । इस समिति को यातायात की दीर्घकालीन नीति के सम्बन्ध में सलाह देनी थी और इस नीति के अन्तर्गत ही यातायात के विभिन्न साधनों का क्रमशः ५ से १० वर्ष में महत्व निश्चित किया जाना है । इस समिति ने फरवरी १९६१ में अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट योजना आयोग को पेश की जिसमें रेल एवं सड़क यातायात के समन्वय के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एवं आँकड़े दिये गये । समिति की अन्तिम रिपोर्ट आन पर तृतीय योजना के निर्धारित यातायात के कार्यक्रमों पर पुनः विचार किया जायगा ।

तृतीय योजना में यातायात के कार्यक्रम जिन सामान्य विचारधाराओं पर आधारित हैं, वे निम्न प्रकार हैं—

(१) तृतीय योजना में यह मान लिया गया है कि प्र धिक्तर लोहा, कोयला, अन्य कच्चे माल आदि भारी वस्तुएँ जिनका उपयोग इस्पात कारखानों में होता है रेलों द्वारा ले जायी जायेंगी । इस कारण से रेलों में अधिक विनियोजन अत्यन्त आवश्यक है ।

(२) यद्यपि देश में यातायात के साधनों की प्रायः कमी है और यह कमी तृतीय योजना में जारी रहने की सम्भावना है परन्तु यातायात की कमी होते हुए भी रेल एवं सड़क यातायात में कुछ भागों एवं कुछ वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा आवश्यक रूप से समाप्त नहीं हो जायगी । यातायात नीति एवं समन्वय समिति रेल एवं सड़क यातायात में समन्वय स्थापित करने के लिये सुझाव देगी ।

(३) भारत में रेल यातायात व्यवसाय आर्थिक दृष्टिकोण से मुट्ठक व्यवसाय ही नहीं है अपितु यह व्यवसाय तृतीय योजना के साधनों की बड़ी मात्रा में अनुदान भी प्रदान करेगा । भारतीय रेलों में पूँजीगत विनियोजन में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है और इस वृद्धि को भविष्य में बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक होगा यदि हम इस व्यवसाय का लाभप्रद व्यवसाय बनाये रखना चाहते हैं । ऐसी परिस्थिति में यह बात विचारणीय है कि भविष्य में रेल व्यवसाय के सामान्य बजट को अनुदान देना चाहिये अथवा नहीं । यातायात नीति एवं समन्वय समिति इस सम्बन्ध में भी सुझाव देगी ।

रेल यातायात—तृतीय योजना में रेल वाहन यातायात में लगभग ५६% की वृद्धि होने की सम्भावना है अर्थात् १९६५-६६ तक वाहन यातायात २४५० लाख टन होने की सम्भावना है । इस्पात एवं इस्पात कारखानों के कच्चे माल में १० लाख टन, कोयले में ४०५ लाख टन, सीमेंट में ५५ लाख टन तथा सामान्य

करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की आवश्यकता का अनुमान है।

सड़क यातायात—तृतीय योजना में सड़क यातायात के कार्यक्रमों में सड़क यातायात की २० वर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य को दृष्टिगत रखा गया है अर्थात् विनासित एवं कृषि क्षेत्रों का कोर्द ग्राम पक्की सड़क से ४ मील से दूर नहीं रहे तथा किसी भी अन्य प्रकार की सड़क से १ ½ मील से अधिक दूर न रहे। तृतीय योजना में सड़क विकास कार्यक्रमों की लागत ३२४ करोड़ रुपये है जिसमें से २४४ करोड़ रुपये राज्यों के कार्यक्रमों तथा ८० करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रमों की लागत अनुमानित है। राज्य सरकारों के नवीन सड़कों के विकास कार्यक्रम तीन विचारधाराओं पर निर्धारित किये जा रहे हैं—

(१) पहुँच के बाहर (Inaccessible) क्षेत्रों में सड़कों का आयोजन करना।

(२) विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं जैसे सिंचना, शक्ति तथा उद्योग की परियोजनाओं की पूर्ति करने के लिए सड़कों निर्माण करना।

(३) राज्यों के पुनर्गठन के कारण नवीन सड़कों का आयोजन करना।

तृतीय योजना काल में राज्यों द्वारा बनायीं जानवाली सड़कों का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है फिर भी यह सम्भावना की जाती है कि उस काल में २५ ००० मील लम्बी पक्की सड़कों (Surfaced Roads) बनाने की सम्भावना है। केन्द्रीय सड़क विकास के कार्यक्रमों में वर्तमान राष्ट्रीय मार्गों के सुधारने के लिए विशेष आयोजन किया गया है। सीमित साधनों के कारण केवल एक नवीन सड़क उत्तरी सलामारा से ब्रह्मपुत्र ब्रिज (Brahmaputra Bridge) तक १०० मील लम्बी बनायी जायगी। १९६५-६६ तक व्यापारिक गाड़ियों की संख्या २,०० ००० (१९६०-६१) से बढ़ कर ३,६५,००० हो जायगी अर्थात् ८२% की वृद्धि हो जायगी। इस प्रकार वस्तु वाहन गाड़ियों की संख्या १ ६० ००० से बढ़ कर २,८५,००० हो जायगी। यातायात नीति एवं समन्वय समिति की प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार सड़कों द्वारा चिरामे पर माल भेजने के यातायात में पाँच वर्षों में १२०% की वृद्धि होने का अनुमान है अर्थात् १०,६,००० लाख टन मील (१९६०-६१) से बढ़ कर २,३६,५०० टन मील हो जायगी।

जहाजी यातायात—द्वितीय योजना के लक्ष्य ९ लाख G R T की सम्पूर्णतः प्राप्ति का अनुमान है। इस समय भारतीय जहाज देश के समुद्री व्यापार का ८% से ९% भाग साते एवं ले जाते हैं। तृतीय योजना में ५५ करोड़ रुपये का आयोजन जहाजों के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त ४ करोड़

पूँजी ३ करोड़ रुपया है। यह कारखाना १९६३-६४ तक १००० मशीनें प्रति वर्ष उत्पादित करने लगेगा।

तृतीय योजना में ११ करोड़ रुपये का आयोजन आकाशवाणी प्रसारण के लिये किया गया है। आकाशवाणी प्रसारण के विस्तार की परियोजना द्वितीय योजना में बनायी गयी थी जो कि तृतीय योजना काल में पूरी होगी। इस परियोजना के अन्तर्गत ५५ मीडियम वेव (Medium Wave) तथा २ शॉर्ट वेव (Short Wave) के ट्रांसमीटर्स स्थापित किये जायेंगे। इस योजना की पूर्ति का फलस्वरूप मीडियम वेव की आन्तरिक सेवाओं द्वारा मध्य क्षेत्र का ६१% तथा जनसंख्या का ७४% आच्छादित हो जायगा।

शिक्षा

तृतीय योजना काल में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या ४३२४ लाख (१९६०-६१) से बढ़ कर ६३९५ हो जायगी अर्थात् ६-१७ वर्ष के बच्चों की संख्या का ५०.१% स्कूल जान लगेगा। ६-११ वर्ष के बच्चों में ७६.४% ११ से १४ वर्ष के बच्चों में २८.६, १४ से १७ वर्ष के बच्चों में १५.६% स्कूल जाने लगेगे। योजना में प्राइमरी शिक्षा के स्कूलों में ७३,०००, मिडिल स्कूलों में १८,१०० तथा हाई स्कूलों में ५२०० की वृद्धि होने की सम्भावना है।

विश्वविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ६,००,००० (१९६०-६१ में) से बढ़ कर तृतीय योजना में १२,००,००० हो जायगी। १९६०-६१ की विश्वविद्यालयों की संख्या ४६ तृतीय योजना में ५८ हो जायगी। इसी प्रकार कॉलेजों की संख्या १,०५० से बढ़ कर १,४०० हो जायगी। तृतीय योजना में सामान्य शिक्षा के लिये ८१८ करोड़ रुपये का आयोजन है जिसमें १० करोड़ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये सम्मिलित है। इस राशि में ०.६ करोड़ रुपया प्राथमिक शिक्षा, ८८ करोड़ रुपया माध्यमिक शिक्षा, ८२.०० रुपया विश्वविद्यालयीय शिक्षा ६ करोड़ रुपया सामाजिक शिक्षा, १२ करोड़ रुपया शारीरिक शिक्षा (Physical Education) तथा युवक क्लब तथा ११ करोड़ रुपया अन्य कार्यक्रमों के लिये आयोजित है।

तृतीय योजना में १४२ करोड़ रुपया तांत्रिक शिक्षा के लिये निर्धारित किया गया है। योजना काल में डिग्री तथा डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ कर क्रमशः १३,८६० (१९६०-६१) से बढ़ कर १९,१४० तथा २५,२७० (१९६०-६१) से बढ़ कर ३७,३६० हो जायगी। तृतीय योजना में १७ नवीन इंजीनियरिंग कॉलेज जिनमें ७ क्षेत्रीय कॉलेज सम्मिलित हैं, स्थापित

नहीं होती है परन्तु उपभोक्ता वस्तुओं की पार्ष्णि वृद्धि एवं उपनर्ध्रि की अनु-
पस्थिति में हीनार्थ प्रवन्धन मूल्यों की हानिकारक वृद्धि का कारण बन सकता है ।

कुछ लोगों का विचार है कि तृतीय योजना में करोड़ प्राप्त होने वालो
राशि २२६० (५५० चालू आय में वचत एवं १७१० अतिरिक्त कर) करोड़
रुपया निर्धारित करने में जन साधारण पर कर-भार अत्यधिक हो जायगा जिससे
व्यवसाय को अधिक उत्पादन के प्रति अधिक प्रोत्साहन नहीं रहगा और जन-
साधारण के जीवन-स्तर पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा । सरकारी व्यवसाय में भी
अधिक राशि प्राप्त करने का अर्थ भी यही लगाया जाता है कि इसके द्वारा
सरकारी व्यवसाय द्वारा उत्पादित मद्यार्थ एवं वस्तुओं में मूल्या में वृद्धि हो
जायगी जिसका भार भी जन साधारण का वहन करना पड़ेगा । यदि हम इस
विचारधारा का कुछ सीमा तक सत्य मान लें, तो भी इस दापपूर्ण कहना
उचित न होगा । कर एवं सरकारी व्यवसाय में अधिक राशियाँ न प्राप्त करने
का अर्थ होता है कि हीनार्थ प्रवन्धन की राशि को बढ़ा दिया जाय जिसमें अर्थ-
व्यवस्था को और अधिक हानि पहुँचने तथा जन साधारण के जीवन-स्तर में कमी
आने की और अधिक सम्भावना हो जाती है । ऐसी परिस्थिति में करोड़ में अधिक
साधन उपलब्ध करना अनुचित नहीं मानना चाहिये । भारत में प्रथम पंचवर्षीय
योजना में राष्ट्रीय आय का केवल ७ 1/2% भाग कर के रूप में प्राप्त होता था ।
यह प्रतिशत द्वितीय योजना के अंत तक ८ ६% हो गया और तृतीय योजना के
अंत तक यह बढ़ कर ११ ४% हान का अनुमान है । यदि हम इस प्रतिशत का
संसार के अन्य देशों में राष्ट्रीय आय कर के प्रतिशत की तुलना करें तो हमें शक
होगा कि भारत में कर भार विच्छेद हुए राष्ट्रों की तुलना में भी कम है । संसार
के विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्रीय आय एवं कर का प्रतिशत निम्न प्रकार है—

तालिका सं० ६१—राष्ट्रीय आय एवं कर प्रतिशत

(१) टगानाइका	१२ २३
(२) यूगैण्डा	१७ १४
(३) भारत	८ ६
(४) नाइजीरिया	८ ४१
(५) सीलोन	१६ ३५
(६) गोल्डकोस्ट	२२ २०
(७) जमैका	१३ २८
(८) ब्रिटिश गिनी	१७ ६७
(९) कोलम्बिया	१२ ८७

(१०) इटली	२३.५३
(११) फ्रान्स	२८.०६
(१२) ब्रिटेन	३७.०६
(१३) न्यूजीलैण्ड	३३.१८
(१४) स्वीडन	३३.३१
(१५) संयुक्त राज्य अमेरिका	२६.३१

उपर्युक्त तालिका के आधार पर यह कहना अनुचित न होगा कि भारत में तृतीय योजना काल में राष्ट्रीय आय का कर ११.४% होने पर भी जन-साधारण पर अत्यधिक भार नहीं पड़ेगा। कर की राशि कम रखने से एक ओर विकास के लिये कम साधन उपलब्ध होने हैं और दूसरी ओर जन-साधारण के पास अधिक क्रय शक्ति रहती है जिससे वह अधिक उपभोक्ता वस्तुओं की माँग करके मूल्यों की वृद्धि को प्रेरणा देता है। तृतीय योजना में अप्रत्यक्ष करों में पर्याप्त वृद्धि कर दी जायगी क्योंकि प्रत्यक्ष कर देने वालों की सत्या भारत में अत्यन्त कम है और इनसे विकास के लिये अधिक साधन उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

तृतीय योजना में विदेशी विनिमय की आवश्यकता एवं साधन

तृतीय योजना में १०४०० करोड़ रुपये के विनियोजन में जो विभिन्न कार्यक्रम सम्मिलित हैं, इनमें लगभग २०३० करोड़ रुपये को विदेशी आयात की आवश्यकता होने का अनुमान है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के विभिन्न विनियोजन की मदद में विदेशी विनिमय की आवश्यकता निम्न प्रकार अनुमानित है—

तालिका सं० ६२—तृतीय योजना के कार्यक्रमों की विदेशी विनिमय की आवश्यकताएँ^१

सरकारी क्षेत्र	समस्त विनियोजन	विदेशी विनिमय की आवश्यकता
कृषि एवं सामुदायिक विकास	६१०	३०
बड़ी एवं मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाएँ,	६५०	५०
शक्ति	१०१२	३२०
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	१००	०
बृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग एवं खनिज (खनिज तेल सहित)	१४७०	६६०

1. Third Five Year Plan, p. 110.

यातायात एवं संचार	१४८६	३२०
समाज-सेवाएँ एवं अन्य	५७०	६०
उत्पादन-कार्य में हवाबट न आने व लिये कच्चा एवं अर्ध-निर्मित माल	२००	—
	-----	-----
सरकारी क्षेत्र का योग	६१००	१५२०
	-----	-----
निजी क्षेत्र		
बृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग, खनिज एवं यातायात	१३५०	४६५
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	३२५	१५
अन्य	२६२५	—
	-----	-----
निजी क्षेत्र का योग	४,३००	५१०
	-----	-----
महा योग	१०,४००	२०३०
	-----	-----

योजना की परियोजनाओं की २०३० करोड़ रुपये की विदेशी विनिमय की आवश्यकता के अनिश्चित अर्थ व्यवस्था की कच्चे माल, प्रतिस्थापन मशीनें तथा अन्य पूरक चीन्तारों की सामान्य आवश्यकता की पूर्ति व लिये ३६६० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। विदेशी विनिमय की इस आवश्यकता की पूर्ति निम्न प्रकार करने का आयोजन है—

तालिका सं० ६३— तृतीय योजना की विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं का प्रवन्धन^१

(करोड़ रुपया म)

मद	द्वितीय योजना काल	तृतीय योजना व्याप
अ प्राप्तिर्था—		
निर्यात	३०५३	३७००
अल्प व्यवहार (शुद्ध)	४००	—

पूर्वजोगन व्यवहार (सर- कारी ऋण एव निजी विदेशी विनियोजन को छोड़ कर)	-१७२	-५५०
विदेशी सहायता	६२७	२६०० ^१
विदेशी विनिमय के संघ का उपयोग	५६८	—
प्राप्तियों का योग	<u>४८०६</u>	<u>५७५०</u>

ब भुगतान—

योजना को परियोजनामा के लिए मशीनों आदि का आयात —		१६००
पूर्वजोगत वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये अर्ध-निर्मित माल आदि	४८२६	२००
निर्वाह सम्बन्धी आयात (Maintenance Imports)		<u>३६५०</u>
भुगतान का योग	<u>४८०६</u>	<u>५७५०</u>

उपर्युक्त तालिका से ज्ञान होता है कि योजना काल की विदेशी विनिमय की आवश्यकतामा को पूर्ण के लिये निर्यात को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करना अत्यन्त आवश्यक होगा। १९६१-६२ में निर्यात की मात्रा ६६७ करोड़ रुपये थी जबकि तृतीय योजना में निर्यात का वार्षिक औसत ७४० करोड़ रुपये बनाये रखना आवश्यक होगा। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अन्तर्गत भारत के मित्र देशों की जो गोष्ठी (Consortium) मई-जून १९६१ में हुई उसमें भारत को १०८६ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता का आश्वासन दिया गया है। यह विदेशी सहायता भारत के विदेशी व्यापार के प्रतिकूल घेय को पूर्ण एवं १९६१-६२ तथा १९६२-६३ वर्षों में आयात के लिये किये गये आदेशों के भुगतान को उपलब्ध होगी। इस राशि में म लगभग आधी राशि ४६८ करोड़ रुपया समुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी जायगी। समुक्त राज्य अमेरिका द्वारा

१. इस राशि में PL 480 के अन्तर्गत ६०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता सम्मिलित नहीं है।

दी गयी इस राशि में PL 480 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली ६०० करोड़ रुपये की सहायता सम्मिलित नहीं है। गोष्ठी के अन्य सदस्यों द्वारा ५६१ करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जायगी। इस गोष्ठी के अन्य सदस्य पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, फ्रांस, अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् (International Development Association) हैं। रूस ने भी तृतीय योजना के कार्यक्रमों को २३८ करोड़ रुपये की सहायता देने का आश्वासन दे दिया है। अन्य मित्र देशों जेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैण्ड तथा स्विटजरलैंड ने लगभग ६७ करोड़ रुपये की सहायता तृतीय योजना की परियोजनाओं को दी है।

संतुलित क्षेत्रीय विकास

देश के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास करने के हेतु आर्थिक विकास के लाभ कम विकसित क्षेत्रों को पहुँचाना तथा उद्योगों का विस्तृत फैलाव करना भारत को नियोजित अर्थ-व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। अर्थ-व्यवस्था में विस्तार एवं शीघ्र विकास द्वारा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास में उचित संतुलन उत्पन्न करना सम्भव होता है। परन्तु विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में साधनों के सीमित होने के कारण आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को ऐसी केन्द्रों पर स्थापित किया जाता है, जहाँ विनियोजन के अनुकूल फल प्राप्त होने हैं। जैसे-जैसे विकास की गति बढ़ती जाती है, विनियोजन अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में होने लगता है और विकास के लाभ विस्तृत क्षेत्रों को प्राप्त होने लगते हैं। तृतीय योजना में विकास की तीव्र गति के साथ-साथ देश के विभिन्न भागों को विस्तृत विकास के अन्तर्गत भी उपलब्ध होंगे। राज्यों के कार्यक्रमों के विस्तृत उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में आय एवं रोजगार में वृद्धि करना, प्रारम्भिक शिक्षा, जल की पूर्ति एवं सफाई का प्रबन्ध करना, स्वास्थ्य-सेवाओं में वृद्धि करना आदि हैं। इन कार्यक्रमों से कम विकसित क्षेत्रों में जीवन-स्तर में वृद्धि होगी। इस प्रकार राज्यों की योजनाओं में उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि तथा निर्बल वर्गों के कल्याण का आयोजन किया गया है। राज्यों की योजनाओं के व्यय का प्रकार एवं कार्यक्रम इस आधार पर निर्दिष्ट किये गये हैं कि विभिन्न राज्यों के विकास की विषमता में कमी को आ सके। कृषि के विकास का विस्तार, सिंचाई का विस्तार, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विकास, शक्ति का विस्तार, सड़क एवं सड़क यातायात का विकास, ६-११ वर्ष के बच्चों को सर्वव्यापी शिक्षा, माध्यमिक, तांत्रिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, रहन-सहन की दशाओं में सुधार एवं जल-सप्लाई, पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण-कार्यक्रम आदि के द्वारा देश भर में शीघ्र

विकास होने के साथ कम विकसित क्षेत्रों का विकास भी होगा। तृतीय योजना में सम्मिलित आधारभूत उद्योगों को तांत्रिक एवं आर्थिक विचारधाराओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया जायगा। निर्यात योग्य सामान बनाने वाले उद्योगों को नवीन इकाइयाँ ऐसे स्थानों पर स्थापित की जायेंगी, जहाँ से विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना सुलभ हो सके। इनके अनिश्चित अन्य समस्त औद्योगिक इकाइयों के स्थान विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत करके निर्धारित किये गये हैं। प्रायः इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ उद्योगों का केन्द्रीयकरण है, नवीन उद्योगों का केन्द्रीयकरण न किया जाय यद्यपि उन क्षेत्रों के वर्तमान उद्योगों के विस्तार को न रोकने का आयोजन है। निचले क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में लाइसेन्स अधि-विकसित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत करके जारी किये जायेंगे। ऐसे क्षेत्र जिनमें शक्ति, जल-सप्लाई, यातायात आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तृतीय योजना में इन सुविधाओं का प्रबन्ध किया जायगा। पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक विकास क्षेत्र स्थापित करने का सुभाव तृतीय योजना में सम्मिलित किया गया है। पिछड़े हुए क्षेत्रों में चुने हुए भागों में शक्ति, जल, यातायात एवं संचार का प्रबन्ध किया जायगा और कारखाने बनाने के स्थानों का विकास करके व्यवसायों को बेचे अथवा पट्टे पर दिये जायेंगे।

बड़ी-बड़ी परियोजनाओं जैसे नवीन सिंचाई योजनाओं, इस्पात के कारखाने तथा बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से सम्बन्धित क्षेत्रों के चतुर्मुखी विकास में सहायता मिलती है। इसी कारण सरकारी क्षेत्रों के बड़े-बड़े कारखानों का स्थापना के स्थान के निर्णय विभिन्न क्षेत्रों की विकास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत करके किये जाते हैं। शक्ति के साधनों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत्तोरण में भी क्षेत्रीय विकास में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार यातायात एवं संचार के साधनों में वृद्धि होने से पिछड़े हुए क्षेत्र विकास-कार्यक्रमों में सक्रिय भाग ले सकेंगे। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के विस्तृत प्रबन्ध हो जाने से क्षेत्रों के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों का शीघ्र विकास सम्भव होगा। प्रशिक्षित श्रमिकों में अधिक गतिशीलता होने के कारण इन्हें अधिक घने आबादी क्षेत्रों से हटा कर दूरस्थ स्थानों में रोजगार दिवाने से भी क्षेत्रीय संतुलित विकास सम्भव होगा।

विभिन्न क्षेत्रों के विकास की गति का ठीक अनुमान लगाना कठिन होता है। विभिन्न राज्यों की आय एवं विभिन्न क्षेत्रों की आय का अनुमान लगा कर इनके विकास का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव होता है। इसके अनिश्चित विभिन्न क्षेत्रों

के सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है।¹ तृतीय योजना की विस्तृत रिपोर्ट में योजना के भौतिक कार्यक्रमों का विस्तृत वर्णन किया गया है परन्तु समाजवादी समाज की स्थापना के लिये की गयी कार्यवाहियाँ का विशेष वर्णन नहीं किया गया है। वास्तव में ग्राम की विपन्नता को दूर करने वाले कार्यक्रमों का ध्यौरा एक प्रथक अध्याय में किया जाना चाहिए था। यद्यपि तृतीय योजना में पूँजीवादी समाज एवं अलोक क्षेत्र पर आधारित व्यवस्था को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार नहीं किया है तथापि केवल इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा ही समाजवादी समाज की स्थापना सम्भव नहीं हो सकती है। तृतीय योजना में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त हुई है। परन्तु मिश्रित अर्थ व्यवस्था ऐसे सस्थनीय परिवर्तनों, जिनके द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियाँ का समतुलित किया जाता है, की अनुपस्थिति में समाजवादी समाज की स्थापना में सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। सस्थनीय परिवर्तनों की अनुपस्थिति के कारण ही हम देखने में कि जन समुदाय में योजना के कार्यक्रमों में बाह्यनीय सहाय्य प्राप्त नहीं होता है।

योजना के उद्देश्यों में यह स्पष्ट है कि विपन्नताओं को कम करने के उद्देश्य, जो कि समाजवादी समाज की स्थापना में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तन्त्र होने चाहिए, को अन्ततम स्थान प्राप्त हुआ है अर्थात् योजना के पाँच उद्देश्यों में अन्तिम उद्देश्य विपन्नताओं की कमी है। इससे अतिरिक्त योजना में प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाय गये कार्यक्रमों को पृथक् पृथक् अध्यायों में स्पष्ट किया गया है। परन्तु विपन्नताओं में कमी करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों का वर्णन प्रथक अध्याय में नहीं किया गया है। समाजवादी समाज की स्थापना के सामाजिक पूँजी (Social Capital) में वृद्धि होना आवश्यक है। परन्तु योजना में सामाजिक पूँजी में वृद्धि करने के लिए किन्हीं ठोस प्रयासों का उल्लेख नहीं है। ग्राम एवं घन का समान वितरण, आर्थिक शक्तियों का वृद्धिकरण पर रोक, भूमि-व्यवस्था में कृषि क्षेत्र के श्रमिक एवं निर्धन कृषकों की दशा सुधारने के लिए परिवर्तन, अक्सर की समानता तथा वर्ग रहित समाज की स्थापना आदि

1. "What is clear however, is that the Draft Third Plan does not contain an assessment of what the first two plans have done for taking the country in the direction of a Socialist Society. Nor does it link up integrately the proposals and programmes of the Third Plan with the transformation of Indian Society on Socialist lines"
Dr V. K. R. V. Rao, 'Ideology of Third Plan'—*Yojna*, 24th July, 1960, p 4.

सामाजिक वृत्ति में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हान है। परन्तु इन सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक दृष्टिकोण में अत्यन्त कम काम हुआ है। यद्यपि गत दस वर्षों में राष्ट्रीय आय का ८२% तथा वृत्ति एवं प्रौद्योगिक उत्पादन में प्रयोग ३०% एवं ५०% वृद्धि हुई तथापि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि अधिकांश जन समुदाय का आय स्थिर ही है अथवा कमी हुई है। प्रथम तथा द्वितीय योजना में राष्ट्रीय आय के नियोजित पुनर्वितरण का आयोजन नहीं किया गया तथा ये सूचना भी उपलब्ध नहीं है कि प्रतिरिक्त राष्ट्रीय आय का वितरण वर्षों में समान या विभिन्न वर्गों में किस प्रकार वितरण हुआ। डॉ० नानचंद्र ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि माधारणतः यह माना जाता है कि मुद्रा फाँट देना में निरंतर वृद्धि हान के कारण गत दो योजनाओं का अर्थिक मंद व्यापारिक उद्योग परिवर्धन एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों (Privileged Classes) का ही नाम हुआ है।¹

तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वयं स्फूर्त अर्थ-व्यवस्था (Self Sustaining Economy) की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इससे लक्ष्य प्राप्त में अर्थ में निरंतरता भारी उद्योगों की स्थापना तथा विकास का गति तीव्र करके वृद्धियोग्य जनसंख्या के जीवन स्तर में वृद्धि के अनिश्चित समाज की उत्पादक सम्पत्तियों में वृद्धि करने के अर्थिक महत्त्व दिया गया है। परन्तु सशान्ति में अर्थ में निरंतरता तीव्र आद्योगिकरण एवं विकास का तीव्र गति तभी सम्भव हो सकता है जबकि जन समुदाय में समाज के नियम कार्य करने का भावना उत्पन्न का जाय। समस्त जन समुदाय का आर्थिक विकास से लाभान्वित किया जाय एवं नवान् अर्थ व्यवस्था के निर्माण में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाय। इन समस्याओं का व्यवस्था करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक समानता के क्षेत्र का विस्तृत कर दिया जाना चाहिए।

राजगार नीति एवं कार्यक्रम

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निरंतर मानमूल का प्रतिकूलता से वृत्ति-उत्पादन में वर्षान्त वृद्धि न हात हुए भी राष्ट्रीय आय में २०% वृद्धि हाने का अनुमान है जो कि लक्ष्य से कबल ५% कम है। विनियोजन के क्षेत्र में भी लक्ष्य की लगभग पूर्ण प्राप्ति का अनुमान है यद्यपि निजी क्षेत्र के विनियोजन की राशि लक्ष्य से अधिक होने की सम्भावना का जाती है। वास्तव में द्वितीय

तालिका न० ६८—कृषि में अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर

(लाख में)

(१) निर्माण	
(क) कृषि एवं सामुदायिक विनाम	६ १०
(ख) मिचार्डी एवं शक्ति	४ ६०
(ग) उद्योग एवं मनिज—गृह एवं लघु उद्योग सहित	८ ६०
(घ) यातायात एवं संचार—रेलगा महित	३ ८०
(च) समाज-सेवाएँ	३ १०
(छ) अन्य	० ५०
	योग २३ ००
(२) मिचार्डी एवं शक्ति	१ ००
(३) रेलें	१ ४०
(४) अन्य यातायात एवं संचार	८ ८०
(५) उद्योग एवं मनिज	७ १०
(६) लघु उद्योग	६ ००
(७) बन्, मछली पकटना तथा अन्य सहायक सेवाएँ	७ ००
(८) शिक्षा	१ ६०
(९) स्वास्थ्य	१ ८०
(१०) अन्य समाज सेवाएँ	० ८०
(११) सरकारी नौकरी	१ १०
(१२) अन्य वाणिज्य एवं व्यापार सहित	३७ ८०
	महायोग १०५ ३०

तृतीय योजना में उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त रोजगार के अनुमान निम्नलिखित तीन मान्यताओं पर आधारित हैं—

(१) वर्तमान उत्पादन एवं रोजगार क्षमता को गिरने नहीं दिया जायगा। नियोजन के अंत में कठिनाइयाँ को दूर किया जायगा जो वर्तमान क्षमता को बनाये रखने में बाधेंगी और वर्तमान इकाइयों में रोजगार का स्तर बनाये रखा जायगा।

इस प्रकार यालायात एवं संचार व निर्माण-कार्यक्रमों से ३४५० अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। अन्य क्षेत्रों के निर्माण-कार्यक्रमों में भी इस प्रकार अतिरिक्त रोजगार के अनुमान लगाये गये हैं।

निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों (कृषि के अतिरिक्त) में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का अनुमान या तो निश्चित मूल्यों पर प्रत्येक व्यक्ति को जारी रहने वाला रोजगार प्रदान करने हेतु आवश्यक पूंजी की राशि के आधार पर लगाये गये हैं अथवा प्रति व्यक्ति उत्पादन (जिसमें उत्पादकता की वृद्धि के लिये आवश्यक समायोजन कर दिया गया है) पर आधारित है। लघु उद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित किये गये वर्किंग ग्रुप के अनुमानानुसार लघु उद्योगों में एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिये लगभग ५००० रुपये के विनियोजन की आवश्यकता होती है। दस्तकारी में १५०० रुपये तथा नारियल के रेशे के उद्योगों (Coir Industry) एवं रेशम (Sericulture) में लगभग १००० रुपये की आवश्यकता होती है। तृतीय योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर सरकारी क्षेत्र में व्यय होने वाली राशि पर ३.५७ लाख रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने का अनुमान है। दूसरी ओर इस मद पर निजी क्षेत्र में विनियोजित होने वाली राशि पर ५ लाख रोजगार के अवसर बढ़ने की सम्भावना है। इस प्रकार ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में तृतीय योजना में ८.५७ अथवा ९ लाख रोजगार के अवसर बढ़ने का अनुमान है। हाथकरघे, शक्ति से चलने वाले करघे, खादी एवं ग्रामीण उद्योगों पर सरकारी क्षेत्र में १३० करोड़ रुपये व्यय होगा जिसके द्वारा आंशिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार की सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

शिक्षा के क्षेत्र में ५.९ लाख रोजगार के अवसर बढ़ने का अनुमान है। इसमें ३.७८ लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता शिक्षा प्राप्त करने वाले ६ से ११ वर्ष के बच्चों की वृद्धि के कारण होगी, १.२३ लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता ११ से १४ वर्ष के बच्चों के लिये, ०.७७ लाख शिक्षकों की आवश्यकता १४ से १७ वर्ष के बच्चों के लिये तथा ०.४० लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लिये होगी। इस प्रकार तृतीय योजना में लगभग ६.१८ लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी। परन्तु उपयुक्त शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धि न होने के कारण शिक्षकों की संख्या में ३०,००० की कमी करके तृतीय योजना में ५.८८ अथवा ५.८० लाख अतिरिक्त शिक्षकों को रोजगार प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है।

के अक्सर बढ सकेंगे । इम प्रकार कृषि के क्षेत्र मे ३५ लाख रोजगार के अक्सर बढने का अनुमान लगाया गया है ।

तृतीय योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन मे रोजगार के अक्सर बढाने हेतु कुछ विशेष विचारधाराओं को दृष्टिगत किया जाना है । उनमे से मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार ह—

(१) तृतीय योजना काल मे अतिरिक्त रोजगार के अक्सरों का समस्त देश मे अधिक समानता क साथ विस्तार करने का प्रयत्न किया जाय जायगा ।

(२) ग्रामीण क्षेत्रों मे औद्योगिकरण के विस्तृत कार्यक्रमों मे संचालन किया जायगा जिनमे ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण औद्योगिक एस्टेट का विकास, ग्रामीण उद्योगों का विस्तार आदि का विशेष महत्व दिया जायगा ।

(३) ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार की वृद्धि ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के साथ-साथ ग्रामीण वन क्षेत्रों को संगठित किया जायगा जिनके द्वारा औसत से २५ लाख व्यक्तियों को वर्ष मे १०० दिन रोजगार उपलब्ध हो सकेगा । ग्रामीण वन (Rural Works) कार्यक्रमों द्वारा रोजगार के अक्सरों की वृद्धि के साथ ग्रामीण जन शक्ति का आर्थिक विकास मे उपयोग भी सम्भव हो सकेगा । ग्रामीण वन मे पांच प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित हैं—

(अ) राज्यों एवं स्थानीय निकायों की योजनाओं मे सम्मिलित किये गये कार्यक्रम जिनमे ग्रामीण क्षेत्रों के कुशल (Skilled) एवं अकुशल श्रमिकों का उपयोग होगा ।

(आ) नमाज द्वारा अथवा लाभ प्राप्त करने वाले नागरिकों द्वारा संचालित वह कार्यक्रम जो विधान (Law) के अन्तर्गत उनके लिये अनिवार्य हैं ।

(ब) एम विकास कार्यक्रम जिनमे स्थानीय जनता श्रम का अनुमान दे और राज्य द्वारा कुछ सहायता प्रदान की जाय ।

(स) ऐसी परियोजनाएँ जिनसे ग्रामीण जन समुदाय आय उपार्जन करने वाली सम्पत्तियों का निर्माण कर सकें ।

(द) ब्राह्मणों के अधिक दबाव वाले क्षेत्रों मे संगठित किये जाने वाले सहायक वन कार्यक्रम ।

प्रयोगात्मक रूप से ३४ पायलट परियोजनाओं (Pilot Projects) का प्रारम्भ किया गया है जिनके द्वारा ग्रामीण जन-शक्ति का उपयोग किया जायगा । प्रत्येक परियोजना पर लगभग २ लाख रुपया व्यय किया जायगा । इन परियोजनाओं मे विचार, वन लगाना, भूमि सुरक्षा, नालियाँ बनाना, भूमि की कृषि

शोधन, सामान्य एवं विजली इन्फ्रान्फ्रिंग, रबड़ के टायर, अलमूनियम आदि की स्थापना देश में हुई और पुराने उद्योगों जैसे सूती वस्त्र, जूट एवं चाय में उत्पादन की नवीन विधियों के उपयोग को महत्व दिया जाने लगा है। इस प्रकार देश के लगभग सभी बड़े उद्योगों में उत्पादन की नवीन विधियों का उपयोग किया जाने लगा है। उत्पादन की नवीन विधियों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और इन उद्योगों के विस्तार के साथ-साथ शिक्षित व्यक्तियों की रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या का ठाक-ठीक अनुमान लगाना तो अत्यन्त कठिन है, परन्तु यह अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय योजना के अन्त में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगभग १० लाख था और तृतीय योजना काल में हाई स्कूल अथवा उससे ऊँची शिक्षा प्राप्त नये रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या ४० लाख होगी। कृषि, उद्योग एवं वातावरण के विकास के साथ-साथ तांत्रिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त लोगों का मांग में वृद्धि होगी। तृतीय योजना में शिक्षा के पुनर्संगठन पर जोर दिया जायगा जिससे इस काल में उपयुक्त शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में नहकरी सड़क, विपणन एवं कृषि संस्थाओं में उत्पादन करने वाले उद्योग (Processing Industries), वैज्ञानिक कृषि के विकास तथा जिला सड़क तथा ग्राम स्तर पर लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना से शिक्षित व्यक्तियों का अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अनिश्चित ग्रामीण केंद्रों में शिक्षित व्यक्तियों को लघु उद्योगों की स्थापना के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

तृतीय योजना के रोजगार के कार्यक्रमों का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् उन पर आलोचनात्मक दृष्टि डालना भी आवश्यक है। रोजगार कार्यक्रमों के सम्बन्ध में हम अपनी आलोचना निम्न प्रकार सूत्रबद्ध कर सकते हैं—

(१) द्वितीय योजना काल के प्रारम्भ में देश में ५३ लाख व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान था। द्वितीय योजना काल में १ करोड़ नवीन श्रमिकों की वृद्धि का अनुमान था जबकि वास्तविक वृद्धि १'१७ करोड़ श्रमिक होने का अनुमान है। इस प्रकार द्वितीय योजना काल में पूर्ण रोजगार प्रदान करने हेतु १'७० करोड़ रोजगार के अवसर देने की आवश्यकता थी, जबकि वास्तव में केवल ८० लाख रोजगार के अवसर ही द्वितीय योजना के बढ़ाये जा सके और इस प्रकार तृतीय योजना ६० लाख बेरोजगार व्यक्तियों से प्रारम्भ हो रही है। तृतीय योजना काल में १९६१ की जनगणना के प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार १७० करोड़ नवीन श्रमिकों की वृद्धि होने का अनुमान है और

वेरोजगार हो जाना स्वाभाविक है। यदि भविष्य में क्रियाविन होने वाली योजनाओं में निरन्तर निर्माण कार्य में वृद्धि होती रहे तो पूर्ण हुए निर्माण कार्य से अलग हुए वेरोजगारों को कुछ सीमा तक एवं नवीन श्रमिकों को सीमित मात्रा में रोजगार उपलब्ध हो सकता है। परन्तु भविष्य की योजनाओं में नवीन निर्माण कार्य बढ़ते ही रहेंगे, यह सम्भावना करना उचित न होगा। ज्यो-ज्यो अर्थव्यवस्था में सुदृढता आती जायगी निर्माण कार्य भी कम होते जायेंगे। इसके अनिश्चित जैसे-जैसे निर्माण कार्यों में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ती जायगी, नवीन निर्माण कार्यों की अनिश्चित रोजगार प्रदान करने की क्षमता भी घटती जायगी। क्योंकि इनमें पूर्ण हुए कार्यों से पूरक हुए श्रमिकों को रोजगार देना आवश्यक हो जायगा।

(४) लघु उद्योगों एवं बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों में अनिश्चित रोजगार के अवसर इन उद्योगों को नवीन विनियोजन की राशि पर आधारित हैं। वर्तमान मूल्यों के आधार पर विभिन्न उद्योगों में एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विनियोजन की राशि अनुमानित कर ली गई है और इसी आधार पर विभिन्न उद्योगों में होने वाले नवीन विनियोजन राशि के आधार पर रोजगार क्षमता ज्ञात का गई है। इन क्षेत्रों में भी रोजगार के अनुमान तभी ठीक हो सकते हैं जब तक मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि न हो। मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने पर विभिन्न उद्योगों की विनियोजन राशि अनुमान के अनुसार रहने हुए भी उनकी रोजगार क्षमता कम हो जायगी।

(५) कृषि के अनिश्चित अर्थ व्यवसायों का विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाला अनिश्चित रोजगार ६७५० लाख है और इनका लगभग ५६% अर्थात् ३७८० लाख अनिश्चित रोजगार के अवसर व्यापार अधिकोषण, बीमा, याता-यात (रेलो एवं मड़कों को छोड़कर), स्टोरेज, गोदाम तथा व्यवसायों एवं व्यक्तिगत सेवाओं आदि से प्राप्त होंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के अनिश्चित रोजगार के अवसरों का प्रतिशत केवल ५२ था। तृतीय योजना में इस प्रतिशत को ५६ अनुमानित करने का कोई आधार स्पष्ट नहीं होता है। इसके अनिश्चित यह प्रतिशत १६५१ की जनगणना पर आधारित है और इसमें १९६१ की जनगणना के घाँकड़े प्रकानित होने पर महत्वपूर्ण अन्तर होना स्वाभाविक होगा क्योंकि पिछले दस वर्षों में देश के व्यावसायिक ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की सम्भावना है।

(६) कृषि के क्षेत्र के अनिश्चित रोजगार के अवसरों का अनुमान उस भूमि

आय का अधिक भाग व्यय होना हो—उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करके ही की जा सकती है। भारत जैसे राष्ट्र में—जहाँ जन-समुदाय का न्यून जीवन स्तर है तथा अधिकतर जनसंख्या अपना व्याक्तगत आय का अधिकांश खाद्यान्नों पर व्यय करती है—नियोजन की नफ़रत एवं मूल्य नियमन नीति द्वारा खाद्यान्नों की पूर्ति पर निर्भर है। खाद्यान्न एवं कृषि उत्पादन में कमी होने पर भारत की अर्थ व्यवस्था खिल्ल भिन्न हो जाता है तथा देश की आंतरिक एवं विदेशी दोनों ही साधना में अनुमान की तलना में अत्यंत कमी हो जाती है। कृषि उत्पादन में कमी होने पर एक ओर खाद्यान्न एवं कच्चे माल की आयात हेतु अधिक विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है तथा दूसरी ओर कृषि उत्पादन में निर्यात में कमी होने से विदेशी विनिमय का उत्पादन कम होता है। इस प्रकार उपलब्ध विदेशी साधना द्वारा योजना की कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं आयात करना असंभव हो जाता है। इसके साथ ही खाद्यान्न एवं कच्चे माल का उत्पादन कम होने से जनसंख्या का एक बड़े भाग की आय कम हो जाती है और औद्योगिक संस्थाओं के लान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे विकास के लिए कर वचत एवं ऋण के रूप में अनुमानित राशियाँ प्राप्त नहीं हो सकती हैं। खाद्यान्न एवं कच्चे माल की उत्पादन में कमी होने से उनके मूल्य में वृद्धि हो जाता है जिनके फलस्वरूप कृषकों की अतिरिक्त आय क्षेपण द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार अर्थ व्यवस्था के सामान्य मूल्य-स्तर में वृद्धि होता है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य नियमन नीति का आधार खाद्यान्न एवं कच्चे माल की पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि करना होना चाहिए।

विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था में मूल्य नियमन नीति द्वारा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करना आवश्यक होता है—

(१) मूल्य नियमन नीति द्वारा योजना की प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों के अनुकूल ही मूल्य में परिवर्तन होने का आवासन प्राप्त करना।

(२) वृद्धि द्वारा कम आय वाले लोगों द्वारा उपभोग का जान वाली आवश्यक वस्तुओं में मूल्य की अधिक वृद्धि का रोकना।

(३) मुद्रा स्थिति की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना जिससे मुद्रा स्थिति के दोषों का बन्धन से रोक जा सके।

उपयुक्त ताना ही उद्देश्य एक दूसरे से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं और मूल्य नियमन नीति द्वारा ताना ही उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ होता रहती है।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में विशेषकर प्रजातांत्रिक ढांचे में मूल्य नियमन नीति

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खाद्य एवं अन्य सामग्रियों के उचित सतुलन बनाये रखने पर विशेष जोर दिया गया। योजना काल मूल्यों को विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के सम्बन्ध में प्रोत्साहन प्रदान करता था। खाद्यान्नों के उत्पादन का पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने हेतु इनके मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखना आवश्यक था जिससे अन्य फसलों की तुलना में उत्पादक को खाद्यान्नों की फसल से अधिक लाभ प्राप्त हो सके और वह अन्य फसलों की ओर अधिक आकर्षित न हो। मूल्यों के अत्यधिक उच्चावचन को रोकने हेतु खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का निर्माण, आयात एवं निर्यात के कोटे (Quota) का मात्रा की समय के पूर्व घोषणा, अग्रिम बाजार (Forward Market Operations) पर नियन्त्रण एवं अन्य वित्तीय तथा साख नियन्त्रण कार्रवाहियाँ का आयोजन द्वितीय योजना में किया गया था। द्वितीय योजना काल में मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही। सामान्य थोक मूल्य निर्देशांक में योजना काल में २००, दान की सामग्रियों के मूल्य निर्देशांक में २७%, औद्योगिक कच्चे मान में ४५% निर्मित वस्तुओं में २५% सभी अधिक वृद्धि हुई। मूल्यों की निरन्तर वृद्धि के दो मुख्य कारण थे— प्रथम जनसंख्या की वृद्धि एवं द्वितीय मालिकी आय की वृद्धि। इन दोनों ही कारणों में उपभोक्ता वस्तुओं की माँग में वृद्धि हुई परन्तु पूर्ति में अधिक वृद्धि न हो सकी। १९५७-५८ में खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ६० लाख टन कम और १९५९-६० में पिछले वर्ष की तुलना में ४० लाख टन कम था। इसी वर्ष में कपास के उत्पादन में १००, जूट के उत्पादन में १२% तथा तिलहन के उत्पादन में १०% की कमी हुई। कृषि उत्पादन की इस कमी की प्रतिक्रिया के कारण मूल्यों में सामान्य वृद्धि होना स्वाभाविक था। द्वितीय योजना काल में भूमिकीय रहने-सहने की लागत का निर्देशांक (१९४२ = १००) योजना के प्रारम्भ में १०० था जो योजना के अन्त में १०४ हो गया।

द्वितीय योजना के अनुभवों से यह स्पष्ट हो गया कि उद्योग, खनिज एवं यातायात में अधिक विनियोजन होने पर मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिए कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक होगा। परन्तु कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर रहता है जो कि एक अनिश्चित घटक है और जिस पर कोई नियन्त्रण सम्भव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इन का शीघ्र औद्योगीकरण यथोचित मूल्य स्तर के साथ करने के लिए कृषि उत्पादन का पर्याप्त सचय राज्य को रखना चाहिए जिससे मूल्यों में मोचमो परिवर्तनों पर राज्य नियन्त्रण रल सके। प्रथम एवं द्वितीय योजना काल में थोक मूल्य निर्देशांक के परिवर्तन निम्नतालिका में दर्शाये गये हैं—

तालिका सं० ६६—प्रथम एवं द्वितीय योजना काल में मूल्या के परिवर्तन
थोक मूल्य निर्देशांक (आधार १९५२-५३ = १००)

वस्तु	१९५०	१९५१	१९५० की तुलना में १९५६ से परिवर्तन का प्रतिशत	१९५१	१९५६ की तुलना में १९६१ से परिवर्तन का प्रतिशत
खाद्य सामग्री	१०८३	१२२४	-१४३	११७६	+२८७
अनाज	९२०	१०००	-६५	१०००	+१६३
दाल	५००	१०२०	-३८	७७०	+२८८
धाराव एवं तम्बाकू	९१६	११२९	-१४१	११४२	+४५१
ईंधन शक्ति प्रकाश आदि	९११	९७५	+६३	१२१३	+२५३
औद्योगिक कच्चे माल	११९१	१५३७	-८१	१५९९	+५२४
कपास	९३०	१४४०	+१५०	१११०	+३८
तिनहन	१३२०	१४९०	-१९७	१५००	+५०९
निर्मित वस्तुएं	९८९	११८७	+४०	१२९४	+२५७
माध्यमिक उत्पाद	१०२१	१३२६	+३०२	१३७२	+२४१
तयार उत्पाद	९८३	११६५	+३४	१२८१	+२६१
समस्त वस्तुएं	१०६४	१२५२	-७८	१२७५	+३००

अर्थ साधन उपलब्ध होने है। साख पर पर्याप्त नियन्त्रण करके एक ओर निजी क्षेत्र के विनियोजन योजना के अनुकूल रखा जा सकेगा और दूसरी ओर विनियोजन के लिए उपलब्ध सीमित साधनों पर भी निजी क्षेत्र का अधिक दबाव नहीं हो सकेगा। सट्टे के सौदों के लिये वस्तुओं का संग्रह तथा अन्य कच्चे एवं निर्मित माल के संग्रह को हतोत्साहित किया जायगा। रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित साख नियन्त्रण नीति के साथ-साथ बैंको द्वारा प्राप्त किये गये ऋणों के निश्चित सीमाओं से अधिक होने पर दण्डनीय ब्याज (Penal Interest) का भी प्रायोजन किया गया है।

(३) व्यापारिक नीति — व्यापारिक नीति द्वारा देश की वस्तुओं की कमी को दूर किया जा सकता है। परन्तु भारत में दीर्घ काल आयात को कम और निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता है। योजना के कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु घरेलू उत्पादन के कुछ भाग निर्यात करना आवश्यक है जिसके कारण देश में वस्तुओं की कमी होने से उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ेगा।

(४) प्रत्यक्ष वितरण एवं प्रत्यक्ष नियन्त्रण—मौद्रिक एवं कर नीति को उचित स्वरूप देने से अर्थव्यवस्था में मूल्यों में स्थिरता लाना सम्भव नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वितरण एवं मूल्य नियन्त्रण जैसी कार्यवाहियाँ करना आवश्यक होगा। मूल्य नियन्त्रण द्वारा कम पूर्ति वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को यथोचित सीमाओं के अन्दर रखा जा सकता है जितने अधिकतम मूल्य देने वाला ही इन वस्तुओं को प्राप्त करने में समर्थ न हो अपितु कम आय वाले लोग भी उक्त वस्तु का उपभोग कर सकें। दूसरी ओर कम पूर्ति वाली वस्तुओं का विभिन्न उपभोगों के लिये प्रथमिकताओं के अनुसार वितरण किया जा सकता है। वान्तव में आयातभूत अनिवार्यताओं के मूल्यों में यथोचित स्थिरता बनाये रखना प्रत्यक्ष आवश्यक है। दूसरी ओर आराम एवं विलासिताओं की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने पर जन-साधारण पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनके मूल्यों का नियन्त्रित करना इतना आवश्यक नहीं होता है।

इंधन, सीमेंट, कपास, चाबकर, कोयला आदि के मूल्यों पर राज्य को नियन्त्रण रखने का अधिकार है। खाद के मूल्यों को सेन्ट्रल फर्टीलाइजर पूल द्वारा नियन्त्रित किया जाना है। आवश्यक वस्तुओं सम्बन्धी विधान एवं औद्योगिक विकास एवं नियमन विधान के अन्तर्गत राज्य को बहुत सी वस्तुओं के मूल्यों एवं वितरण पर नियन्त्रण करने का अधिकार है। इसके अनिश्चित राज्य मूल्यों में समायोजन हेतु उत्पादन कर (Excise Duty) में भी परिवर्तन

गये, जिससे भगडो एवं शिकायतों (Grievances) का निवारण पारस्परिक वार्तालाप, समझौता (Conciliation) एवं ऐच्छिक पंच-फँसला द्वारा किया जा सके। इस नियम-संग्रह के लागू होने से औद्योगिक सम्बन्धों में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसी प्रकार धर्म संघों के पारस्परिक भगडों में भी श्रमिक-संस्थाओं द्वारा स्वीकृत आचार-संहिता (Code of Conduct) के लागू होने से पर्याप्त कमी हो गई है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन कार्यवाहियों से और भी अधिक लाभ उठाया जायगा। तृतीय योजना की अन्य धर्म नीतियाँ निम्न प्रकार हैं—

(१) तृतीय योजना काल में औद्योगिक मतभेदों का निवारण यथासम्भव ऐच्छिक पंच-निर्णय द्वारा किये जाने के लिए विधियाँ निकाली जायेंगी। कार्य-समितियों को टूट बनाया जायगा तथा इन्हे धर्म सम्बन्धी मामलों के स्वीकृत क्षेत्र में लौकिक प्रशासन-संस्थाओं का रूप प्रदान किया जायगा। समस्त औद्योगिक इकाइयों में एक उचित शिकायतें दूर करने की विधि (Grievance Procedure) को लागू करने की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा।

(२) श्रमिकों में यह भावना उत्पन्न करने के लिए कि जिस कारखाने में वे काम करते हैं, वह उनका ही है तथा श्रमिकों की उत्प्रेरणा-धर्मता की वृद्धि हेतु २४ औद्योगिक इकाइयों में सामूहिक प्रबन्ध परिषदें नियुक्त की गईं। उन्हें कारखाने के कार्यों की सूचना प्राप्त करने एवं धर्म कल्याण, प्रशिक्षण एवं अन्य विषयों पर प्रत्यक्ष शासन करने का अधिकार है। इस योजना को अन्य औद्योगिक इकाइयों पर लागू किया जायगा ताकि वह औद्योगिक क्षेत्र का सामान्य लक्ष्य बन जाय।

(३) तृतीय योजना काल में वर्तमान श्रमिकों की शिक्षा-व्यवस्था का विस्तार किया जायगा। इस समय श्रमिकों की शिक्षा का प्रबन्ध नियोजकों एवं कर्मचारियों के सङ्गठनों की सहायता से चलाये जाने वाले एक अर्ध-स्वतन्त्र (Semi-autonomous) बोर्ड द्वारा किया जाता है। दूसरी ओर प्रबन्धकों को श्रमिकों से सम्बन्धित मामलों में शिक्षा प्रदान करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

(४) धर्म संघों को देश के औद्योगिक एवं आर्थिक प्रशासन का मुख्य अंग स्वीकार करना आवश्यक समझा गया है। श्रमिक शिक्षा के विस्तार के फल-स्वरूप श्रमिकों के कर्मठ नेताओं का प्रादुर्भाव होने की सम्भावना है। स्वीकृत आचार-संहिता में माने गये धर्म संघों को मान्यता देने के सिद्धान्तों से देश में

(८) सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ अभी तक केवल भूति पाने वाले सगठित उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों पर ही लागू होती हैं। इनके प्रति-रिक्त श्रमिकों का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसके कल्याण के लिए समाज को कार्यवाही करनी चाहिए। तृतीय योजना में दान करने वाले मगठनों, नगर पालिकाओं, पंचायत समितियों, पंचायतों तथा एचिठक संस्थाओं को दारौरीक दृष्टिकोण से अपाट्रिज, वृद्ध व्यक्तियों, स्त्रियों एवं बच्चों जिनके पास रोजगार के साधन न हों, को सहायता देने के लिए आर्थिक सहायता राज्य द्वारा प्रदान की जायगी।

(९) ऐसे व्यवसायों का चयन किया जायगा जिनमें अनुसूच्य श्रम को हटाना सम्भव नहीं है तथा उनमें अनुसूच्य-श्रम की आजा प्रदान की जायगी। ऐसी कार्य-वाहियों के विषय में निदचय किया जायगा कि जिनके द्वारा अनुसूच्य-श्रम के हितों की रक्षा की जा सके।

(१०) श्रमिकों के लिए आवास गृहों की व्यवस्था की समस्या का पुनः अध्ययन किया जायगा क्योंकि सहायता प्राप्त गृह निर्माण योजनाओं द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सुधार नहीं हुआ है। श्रमिकों की मनोरंजन एवं खेलकूद की व्यवस्था में भी विस्तार किया जायगा।

(११) बीयला-वनिदा को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उनकी सहकारी समितियों का और विस्तार किया जायगा।

(१२) द्वितीय योजना के अन्त में १६६ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ थीं जिनमें ४२,००० श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रबन्ध था। तृतीय योजना में इन संस्थाओं की संख्या ३१८ हो जायगी जिनमें १०,००० श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जायगा। मशीनों पर प्रशिक्षण देना भी उचित प्रबन्ध किया जायगा। प्रबन्ध की तात्रिकताओं में प्रशिक्षण शिक्षित व्यक्तियों को प्रदान करने का अलग से प्रबन्ध किया जायगा। तृतीय योजना में ७,८०० प्रशिक्षण-दाताओं (Craft Instructions) को प्रशिक्षित किया जायगा। अग्रैन्टि-सशिप योजना जो अभी तक एचिठक रूप से चलाई जा रही थी, को अनिवार्य बनाने के लिए विधान बनाया जायगा और योजना काल में १४,००० व्यक्तियों को अग्रैन्टि-सशिप प्रशिक्षण का आयोजन किया जायगा। औद्योगिक श्रमिकों को सघ्याकालीन कक्षाओं में वर्तमान ३,००० स्थानों को १५,००० तक बढ़ा दिया जायगा।

(१४) तृतीय योजना काल में १०० रोजगार के दफ्तर खोले जायेंगे जिससे प्रत्येक जिले में कम से कम एक रोजगार का दफ्तर हो जायगा। योजना काल में रोजगार बाजार सूचना में (Employment Market Infor-

mation) कार्यक्रम का विस्तार दिया जायगा और यह उन सभी क्षेत्रों पर लागू होगी जो रोजगार दफ्तरो के अन्तर्गत आने हों।

(१५) कारखानों के बन्द होने पर निकाले हुए कर्मचारियों को कठिनाइयों से बचाने के लिए एक योजना को नियोजनाओं एवं कर्मचारियों के अनुदान एवं सरकार की सहायता के आधार पर संचालित किया जायगा। इस योजना के अन्तर्गत निकाले हुए कर्मचारियों को सहायता प्रदान की जायगी। इसके अतिरिक्त यह योजना अस्थायी रूप से अधिक कठिनाई में ग्रस्त अर्द्धी ह्याति वाली औद्योगिक इकायों का सहायता प्रदान करेगी। यह अस्थायी रूप से औद्योगिक प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेगी तथा श्रमिका द्वारा सहकारिता पर चलाये जाने वाले कारखानों का (जब वह बन्द होने की अवस्था में है) सहायता प्रदान करेगी।

तृतीय योजना में श्रमिका को उत्पादकता को विशेष महत्व दिया गया है और उद्योगों में विवेकीकरण (Rationalization) एवं नवीनीकरण को उत्पादकता की वृद्धि का मूलधार बनाया गया है। उत्पादकता में वृद्धि तथा प्रति इकाई लागत में कमी विवेकीकरण द्वारा बिना अधिक व्यय किये तथा बिना श्रमिकों के स्वामित्व पर बुरा प्रभाव डाल सम्भव हो सकती है।

विनियोजन का प्रकार

तृतीय योजना के दीर्घकालीन उद्देश्य आधारभूत पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों की स्थापना करना है जिससे अर्थ-व्यवस्था में विनियोजन की राशि बढ़ने से पूंजीगत वस्तुओं की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति की जा सके। दूसरे शब्दों में, तृतीय योजना का अन्तिम लक्ष्य स्वतन्त्र विकास अवस्था के निर्माण को और अग्रसर होना है। इस लक्ष्य को दृष्टिगत करत हुए अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अर्थ साधन निर्धारित किये गये हैं। इसके अनिश्चित मुद्रा-स्कोति के दबाव की सम्भारता को रोकने के लिए खाद्यान्नों एवं कच्चे माल में पर्याप्त वृद्धि करने का लक्ष्य भी तृतीय योजना में रखा गया है। इस प्रकार कृषि एवं उद्योगों को योजना में अधिक प्राथमिकता दी गयी है, और यानायात एवं संचार तथा समाज-सेवाओं पर द्वितीय योजना की योजना में आनुपातिक व्यय कम कर दिया गया है। योजना के विनियोजन का प्रकार निश्चित करने के लिए इनका ही पर्याप्त नहीं है कि कृषि एवं उद्योग में होने वाले विनियोजन का अनुमान लगा लिया जाय। वास्तव में विनियोजन को समस्त राशि को दो भागों में विभाजित करना आवश्यक होगा—प्रथम, वह राशि जो कि विनियोजन वस्तुओं के उद्योग (Investment goods Industries) की स्थापना पर विनियो-

राशि में ६३० करोड़ रुपये की राशि को आच्छादित (Cover) करने के लिए इतनी राशि से ही विनियोजन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होना आवश्यक होगा। यदि हम विनियोजन के क्षेत्र में पूंजी तथा उत्पादन के अनुपात को ३ : १ मान लें तो ६३० करोड़ रुपये की विनियोजन-वस्तुएँ उत्पन्न करने के लिए २७६० करोड़ रुपये के विनियोजन की आवश्यकता होगी। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तृतीय योजना की समस्त विनियोजन राशि १०४०० करोड़ रुपये की राशि में से २७६० करोड़ रुपये अथवा लगभग २७% विनियोजन वस्तुओं के क्षेत्र में तथा ७३% उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में विनियोजित किया जायगा।

तृतीय योजना में शासकीय एवं व्यक्तिगत विनियोजन की राशियों को कृषि सिंचाई, उद्योग, यातायात-शक्ति, समाज सेवाओं आदि में वितरित करके बनाया गया है, परन्तु विनियोजन की राशि को विनियोजन एवं उपभोग के क्षेत्रों के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। कृषिसिंचाई तथा लघु उद्योगों में होने वाले लगभग समस्त विनियोजन उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए है। वृहद् उद्योगों एवं खनिज में विनियोजित होने वाली राशि को उपभोक्ता एवं विनियोजन-वस्तुओं सम्बन्धी उद्योगों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार सभी विनियोजन के क्षेत्रों की राशि दो भागों में वितरित की जा सकती है। इस वितरण से भोटे तौर पर यह प्रतीत होगा कि समस्त विनियोजन की लगभग ३०% राशि अर्थात् ३१२० करोड़ रुपये विनियोजन-वस्तुओं के क्षेत्र में विनियोजित होगा जबकि उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विनियोजन की लगभग २७% राशि ही पर्याप्त होगी। इस प्रकार तृतीय योजना काल के विनियोजन-कार्यक्रम में विनियोजन वस्तुओं के क्षेत्र को अधिक महत्त्व दिया गया है जिससे अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति में कमी हो सकती है। तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष में उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग में ३१७० करोड़ की वृद्धि निम्न प्रकार होगी—

	राष्ट्रीय आय		(करोड़ रुपये में)	
			वचत	उपभोग
१९६०-६१	१४५००	११६०	१३३४०	
१९५५-६६	१६०००	२०६०	१६९१०	

अन्तर ३५७०

३५७० करोड़ रुपये की उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के

लिए (३ १ पूंजी एवं उत्पादन के अनुपात के अनुसार) १०७१० करोड़ रुपये के विनियोजन की आवश्यकता होगी। यदि योजना के पूंजी उत्पादन के अनुपात २५ १ को ही ठीक मान लिया जाय तो भी ३१७० करोड़ रुपये की उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करन के लिए ६६२५ करोड़ रुपये के विनियोजन की आवश्यकता होगी, जबकि तृतीय योजना के कार्यक्रमों के अनुसार केवल ७२८० करोड़ रुपये का उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में विनियोजन करने का अनुमान है। इस आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं का पर्याप्त उपलब्धि सन्देशजनक प्रतीत होती है।

तृतीय योजना की सफलता के आवश्यक परिस्थितियाँ

तृतीय योजना की नीतियाँ एवं लक्ष्य के प्रकाशित रूप का आलोचनात्मक अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। विश्व बैंक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि तृतीय योजना के आयोजन वास्तविक है। कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के मतानुसार योजना के कार्यक्रम अत्यन्त अभिनापी हैं जिनकी पूर्ति होना सम्भव नहीं रहेगा। योजना का कार्यक्रम अभिनापी है अथवा वास्तविक, इस सम्बन्ध में निम्नांकित सम्भावनाओं का गहन अध्ययन करना आवश्यक होगा—

- (१) अन्तर्गत आन्तरिक अर्थ साधना की उपलब्धि ।
- (२) उपलब्ध अर्थ साधना का विकास कार्यक्रमों के लिए उपयोग ।
- (३) विदेशी अर्थ की उपलब्धि एवं इसके द्वारा आवश्यक सामग्री, मन्त्र, उपकरण आदि की समय पर प्राप्ति ।
- (४) शान्त द्वारा अर्थ साधनों का प्रभावशाली उपयोग ।
- (५) मूल्य नियमन नीति की प्रभावशीलता ।
- (६) जन सहयोग की सीमाएँ ।
- (७) मानसून का अनुकूलता ।

उपरोक्त समस्त सम्भावनाएँ पारस्परिक घनिष्ठ रूप से इतनी सम्बद्ध हैं कि एक का प्रभाव अन्य पर निरन्तर पड़ता रहेगा। आन्तरिक साधनों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना उचित होगा कि द्वितीय योजना में आन्तरिक अर्थ प्राप्त करने के साथ साथ शासकीय व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप विकास हेतु वास्तविक अर्थ साधन अनुमानित राशि के समतुल्य प्राप्त नहीं हो सका। हमारे वित्तमन्त्री श्री देसाई ने यह आश्वासन दिया है कि शासकीय व्यय में तृतीय योजना काल में वृद्धि नहीं होगी। आन्तरिक साधनों से अनुमानित अतिरिक्त राशियों का प्राप्त होना ही पर्याप्त नहीं होगा अपितु इन अतिरिक्त उपलब्धियों का उपयोग नियोजन के कार्यक्रमों के लिए होना आवश्यक है। यदि

द्वितीय योजना के समान प्रशासन व्यय में भी वृद्धि होती रही तो अतिरिक्त उप-लब्धियों में सफलता प्राप्त होने हुए भी योजना के कार्यक्रमों को सफल नहीं बनाया जा सकता है। इसके साथ ही प्रस्तावित राशियों का वास्तविक मूल्य (Real Value) भी बनाने रखना अनिवार्य है। यदि योजना काल में मूल्यों के सामान्य स्तर में वृद्धि हो जाती है तो अनुमानिक अर्थ के वास्तविक मूल्य में भी कमी हो जायगी। योजना-कार्यक्रमों को अर्थ द्वारा प्राप्त की गयी वास्तविक वस्तुओं, सामग्री आदि द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। यदि मौद्रिक दृष्टिकोण से प्रस्तावित राशियाँ प्राप्त हो जायें, परन्तु इन उपलब्धियों द्वारा मूल्यों में वृद्धि के कारण केवल 'वस्तुएं' सामग्री आदि जुटाई जा सकें तो योजना के केवल तीन चौथाई भाग की ही पूर्ति की जा सकेगी। ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि मौद्रिक दृष्टिकोण से योजना का समस्त लक्ष्य पूरा हो जायें किन्तु कार्यक्रमों की वास्तविक पूर्ति न हो सके।

उपरोक्त दृष्टिकोण के आधार पर यह अनुमोदन करना कि योजना के लक्ष्यों को हम कर दिया जायें व्याजमान नहीं होगा। केवल इन दृष्टिकोण से योजना के कार्यक्रमों को अंगीकारित करना ही उचित न होगा। वास्तव में योजना के कार्यक्रमों को अंगीकारित करने के स्थान पर यह कहना उचित होगा कि योजना-मंजूर शासन की कार्यक्षमता एवं नीतियों की प्रभावशीलता का अनुमान अंगीकारित है। योजना में शासन की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए निश्चित नीतियों एवं उनके चालू रखन, मंत्री, सचिव, विभागीय अध्यक्षों तथा अन्य स्तरों पर कार्यक्रमों के क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व निश्चय करने, प्रशिक्षण का उचित प्रबन्ध, विधियाँ को साधारण बनाना तथा प्रभावशील निरीक्षण की व्यवस्था, निर्माण-कार्यों में व्यय-अनुसार कार्यों के होने का निश्चय, जनता के साथ सहभागितापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने आदि का आयोजन किया जाय। यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से यह सभी कार्यवाही उचित प्रतीत होती है, परन्तु व्यवहार में इनका उपयोग उत्साह के साथ नहीं किया जाता है। शासन के कर्मचारियों में उत्साह एवं नैतिकता की अत्यन्त कमी रहती है। शासन का ढाँचा इतना दोषपूर्ण है कि कार्यक्रमों के क्रियान्वित करने में बहुत समय लग जाता है तथा निश्चय करने का कार्य एवं अधिकारी से अन्य अधिकारी पर ही धूमता रहता है। वह शासन जो एक साम्राज्यवादी विदेशी सरकार न स्थापित किया था, विकास कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। तद्विषयों के निश्चय करने का भी अधिकार शासन के अधिकारियों के है तथा तांत्रिक विशेषज्ञ केवल एक सलाहकार मात्र है। तांत्रिक विशेष

हो जायगा। मानसून की प्रतिकूलता योजना के समस्त अनुमानों को छिन्न-भिन्न कर सकती है।

तृतीय योजना में २६०० करोड़ रु० विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है। यद्यपि पश्चिमी राष्ट्र एत्र अमेरिका पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए सहायता देने की विधियों में सुधार करने को निरन्तर प्रयत्नशील है, परन्तु इस सुधार से भारत को अधिक विदेशी सहायता मिलने की गुंजाइश नहीं है। भारत को जो विदेशी सहायता प्राप्त होती है उसके आधार में राजनीतिक एवं अशत राजनीतिक विचारधाराओं का विशेष महत्व है। भारत को अधिक विदेशी सहायता प्राप्त होने का सब प्रमुख कारण भारतीय तटस्थता (Neutrality) है। परन्तु एशिया तथा अफ्रीका के अन्य देश भी इसी तटस्थ नीति का अनुसरण कर रहे हैं तथा उनका भी विदेशी सहायता प्राप्त का दावा भारत के समान है। पश्चिमी राष्ट्र इस प्रकार विदेशी सहायता के विषय में तटस्थ देशों में भेद भाव रखने की जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इस प्रकार पश्चिमी राष्ट्रों से प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता का विभिन्न अर्ध-विकसित तटस्थ देशों से विभाजन होना स्वाभाविक है। परन्तु भारत को विभिन्न राष्ट्रों से प्राप्त आश्वासन के आधार पर अनुमानित मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त करने की केवल सम्भावना की जा सकती है।

योजना का सफलता एवं उसके लक्ष्यों की पूर्ति में जन-सहयोग का विशेष स्थान है। अर्ध-विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास के लिए जन-समुदाय द्वारा कुछ न कुछ त्याग अवश्य ही करना पड़ता है। यह त्याग ऐच्छिक एवं विवशता पूर्ण दोनों ही रूप ग्रहण कर सकता है। ऐच्छिक त्याग को जनता का सहयोग कह सकते हैं। शासकीय नीतियों की प्रभावशीलता एवं शासन सम्बन्धी कार्य-क्षमता जनता के सहयोग पर बड़ी सीमा तक निर्भर रहती है। बहुत से विकास कार्यक्रमों को निःशुल्क समाज सेवा द्वारा पूर्ण किया जा सकता है तथा इस प्रकार शासन-व्यय पर नियन्त्रण रखा जा सकता है। यदि देश के नागरिकों में नैतिकता एवं योजना के प्रति जागरूकता का प्रादुर्भाव हो जाय तो बड़े से बड़े अभिलाषी योजना भी सफल हो सकती है। योजना की सफलता के अर्थ के समान ही सामाजिक पूंजी भी आवश्यक है। यदि जनता जनार्दन का योजना के संचालनकर्ताओं एवं सरकार में विश्वास हो तो योजना की सफलता में कोई सन्देह नहीं होता है। यदि देश के नागरिक राष्ट्रीय हितों को अपने व्यक्तिगत हितों से अधिक महत्व दें तो योजना के कार्यक्रमों से इच्छित फल प्राप्त हो सकते हैं। योजना की केवल आर्थिक सफलता ही पर्याप्त नहीं होती

है, बल्कि योजना का अन्तिम उद्देश्य तो सामाजिक उन्नति ही होता है। शासन एवं जन-साधारण के सम्बन्ध अभी दृढ़ने घनिष्ट नहीं हैं कि वे विकास-कार्यक्रमों में सहायक हों।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि तृतीय योजना के लक्ष्यों को अभिलाषी कहना किसी प्रकार भी उचित नहीं है परन्तु योजना के कार्यक्रमों एवं नीतियों की प्रभावशीलता का अनुमान अवश्य ही अभिलाषी है।

भारत में नियोजित अर्थ व्यवस्था के दस वर्ष एवं जन-जीवन

[कृषि, उद्योग, खनिज, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, शक्ति, यातायात एवं संचार; समाज सेवाएँ, रोजगार, भारतीय समाज के जीवन-स्तर के आधार पर वर्गीकरण—

- (अ) ग्रामीण जन-समाज,
(ब) नागरिक समाज ।]

भारत न मात्र १९६१ में अपनी दो पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा करके नियोजित पथ व्यवस्था के दस वर्ष समाप्त कर लिये। इन दस वर्षों में भारत की अर्थ व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार एवं विकास हुआ है और भविष्य के विकास की सुदृढ़ नींव भी डाल दी गयी है। इस काल में सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण सन्वनाय सुधार भी हुए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई एवं शक्ति तथा यातायात को अधिक महत्व दिया गया जिससे देश के औद्योगीकरण के लिए सुदृढ़ आधार प्राप्त हो सके। प्रथम योजना में प्राचीन भूमि प्रबन्ध जो कि कृषि उत्पादन में बाधाये प्रस्तुत करता था, में सुधार किये गये, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारम्भ एवं सहकारिता में जाग्रति उत्पन्न की गयी, सिंचाई एवं शक्ति की सुविधाओं में बड़े पैमाने पर सुधार किये गये, देश के प्रशासन को ढाँचे को सुदृढ़ किया गया एवं उसमें सुधार किये गये कृषि, उद्योग, लघु उद्योगों के विकास तथा पिछड़े वर्गों की वित्तीय सहायता देने के लिये विशेष साहस संस्थाओं की स्थापना की गयी। प्रथम योजना द्वारा जन-समुदाय में विकास की आवश्यकता के प्रति जाग्रति के साथ-साथ पारस्परिक सहयोग तथा स्वानीय साधनों को जुटाने की आवश्यकता के महत्व के आभास करने की शक्ति भी प्रबल का गयी।

द्वितीय योजना में प्रथम योजना की आधारभूत नीतियों का ही अनुसरण किया गया परन्तु बड़े पैमाने पर विनियोजन, उत्पादन एवं रोजगार के लक्ष्य निर्धारित किए गए जिससे अर्थ-व्यवस्था को विकास की अगली अवस्था तक

पहुँचाया जा सके। इस योजना में आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विस्तार एवं विकास को विशेष महत्त्व दिया गया। इस योजना में शीघ्र विकास के उद्देश्य के साथ-साथ देश में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। प्रथम एवं द्वितीय योजना के दस वर्षों में विकास व्यय एवं विनियोजन निम्न प्रकार हुआ है—

तालिका सं० ६७—प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय एवं विनियोजन

(बरोड़ रुपया में)

मद	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	योग
सरकारी क्षेत्र का विनियोजन	११६०	३६५०	५२१०
निजी क्षेत्र का विनियोजन	१८००	३१००	४९००
समस्त विनियोजन	३३६०	६७५०	१०११०
सरकारी क्षेत्र का व्यय—			
कृषि एवं सामुदायिक विकास	२६१	१३०	८२१
बड़ी एवं मध्यम धरोहरों की सिंचाई योजनाएँ	३१०	४२०	७३०
शक्ति	२६०	४४५	७०५
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	४३	१७५	२१८
उद्योग एवं खनिज	७४	६००	६७४
यातायात एवं संचार	५२३	१,३००	१,८२३
समाज सेवाएँ एवं अन्य	४५६	८३०	१,२८६
योग	१६६०	४६००	६५६०

प्रथम योजना में कृषि विकास एवं सिंचाई के लिये सरकारी व्यय का ३१% व्यय किया गया। द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास के महत्त्व को बढ़ा दिया गया और औद्योगिक विकास के लिये योजना के सरकारी व्यय का २०% भाग निर्धारित किया गया जबकि प्रथम योजना के सरकारी व्यय का केवल ४% भाग औद्योगिक विकास पर व्यय किया गया। प्रथम योजना के सरकारी व्यय १६६० करोड़ रुपये में से १७७२ करोड़ रुपया अर्थात् ६०% आन्तरिक साधनों से और १८८ करोड़ रुपया अर्थात् १०% विदेशी सहायता के रूप में

तालिका सं० ६८—विकास के सूचक

मद	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६०-६१ में १९५०-५१ के स्तर पर वृद्धि का प्रतिशत
राष्ट्रीय आय (१९६०-६१ के मूल्यो पर)	करोड ह० में	१०२४०	१२१३०	१४५००	४२
जन संख्या प्रति व्यक्ति	करोड में	३६.१	३९.७	४३.८	२१
आय १९६०- ६१ के मूल्यो पर	रुपयो में	२८४	३०६	३३०	१६
कृषि उत्पादन का निर्देशांक	१९४९- ५०=१००	९६	११७	१३५	४१
खाद्यान्नो का उत्पादन	लाख टन	५२२	६५८	७६०	४६
नाइट्रोजन खाद का उपभोग	N के हजार टन	५५	१०५	२३०	३१८
सिंचित भूमि सहकारी	लाख एकड	५१५	५६२	७००	३६
संस्थाओं द्वारा कृषको को ऋण	करोड रुपयो में	२२.९	४९.६	२००.०	७७३
औद्योगिक उत्पादन का निर्देशांक	१९५०- ५१=१००	१००	१३९	१९४	९४
इस्पात के डेलो का उत्पादन	लाख टन	१४	१७	३५	१५०
एल्युमिनियम	हजार टन	३७	७३	१८५	४००

मशीनो के औजार (graded)	करोड रु० मे मूल्य	० ३४	० ७८	५ ५	१५१८
सलफ्यूरिक एसिड	हजार टन	६६	१६४	३६३	२६७
खनिज तेल के उत्पाद मिल का बना कपडा	लाख टन लाख गज	—	३६	५७	—
खादो, हाथ एवं शक्ति के करघो का उत्पादन	„	८६७०	१७७३०	२३४६०	१६२
समस्त वस्त्र उत्पादन	„	४६१७०	६८७५०	७४७६	६२
कच्चा लोहा	लाख टन	३२	४३	१०७	२३४
कोयला निर्यात	„ करोड रु०मे	३२३ ६२४	३८४ ६०६	५४६ ६४५	६६ ३
शक्ति की उत्पादन क्षमता	लाख किलोवाट	२३	३४	५७	१४८
रेलो द्वारा किराये पर ले जाया गया माल	लाख टन	६१५	११४०	१५४०	६८
सड़कें (राष्ट्रीय मार्ग एवं सतह वाली सड़को सहित)	हजार मील	६७ ५	१२२०	१४५०	४८

सड़कों पर चलने वाली ध्वापारिक मोटर गाड़ियाँ	हजार	११६	१६६	२१०	८१
स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या	लाख	२३५	३१३	४३५	८५
इंजीनियरिंग एवं टेकनोलॉजी में डिग्री स्तर की शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या	हजार	४१	५६	१३६	२३६
अस्पतालों में पलंग प्रोविडस करने वाले डाक्टर	हजार	११३	१२५	१८६	६५
खाद्य सामग्री का उपभोग	प्रति व्यक्ति प्रति दिन कैलोरीज की संख्या	५६	६५	७०	२५
वस्त्रों का उपभोग	प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग गज	१८००	१६५०	२१००	१७
		६२	१५५	१५५	६८

कृषि

उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था के दस वर्षों में सर्वतोमुखी विकास एवं विस्तार हुआ है। कृषि उत्पादन में पिछले दस वर्षों में औसत से ३.५% की वृद्धि प्रति वर्ष हुई है। कृषि उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि भूत काल के दस वर्षों में कभी भी नहीं हुई। इन दस वर्षों में कृषि, सामुदायिक विकास एवं सिंचाई के कार्यक्रमों पर १५५१ करोड़ रुपये व्यय किया गया जिससे ग्रामीण जीवन को सुधारने में पर्याप्त सहायता मिली है। इस काल में ४० लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, ५ लाख एकड़ भूमि पर यंत्रबद्ध कृषि विधियों (Mechanical Cultivation) का विस्तार

किया गया, तथा १५ लाख एकड़ भूमि पर सुधार किये गए। नाइट्रोजिनम खाद का उपभोग ५५ ००० टन (In Terms Of N) से बढ़कर २,३०,००० टन और फास्फोरेट खाद (In Terms Of P₂ O₅) ७,००० से बढ़कर ७०,००० टन हो गया। ११८ लाख एकड़ भूमि पर हरे खाद का उपयोग किया गया तथा २७ लाख एकड़ भूमि पर भूमि सुरक्षा की कार्यवाहियों को संचालित किया गया। दूध का उत्पादन १७० लाख टन से बढ़कर २२० लाख टन और मछली का उत्पादन ७ लाख टन से बढ़कर १४ लाख टन हो गया। वन लगाने के कार्यक्रम ५ लाख एकड़ भूमि पर चलाये गये। जमींदारी एवं आगीरदारी का उन्मूलन, कृषि के अधिकारों की सुरक्षा एवं सुधार का आयोजन, भूमि पर अधिकार रखने की अधिकतम सीमाएँ निर्धारित करने का आयोजन किया गया। कृषि मजदूरों को रिज भूमि पर वनाय का कार्य भी किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लगभग ३,७० ००० ग्रामों में संचालित किये गए और इस प्रकार इन कार्यक्रमों से ग्रामीण जनसंख्या को आच्छादित किया गया। इन काल में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या २,१०,००० हो गई जो कि १९५०-५१ की संख्या की लगभग दुगुनी थी। लगभग १,८७० सहकारी निर्माण समितियों एवं ४१ सहकारी शहर के कारखानों की स्थापना की गई।

उद्योग

निर्दोषित अर्थ-व्यवस्था के पिछले दस वर्षों में औद्योगिक उत्पादन की गति एवं दर में महत्वपूर्ण विनाश हुआ है। औद्योगिक उत्पादन में ७% प्रति वर्ष (मिश्रित दर में At Cumulative Rate) की वृद्धि हुई है। सरकारी क्षेत्र में इन काल में औद्योगिक विकास कार्यक्रमों पर ६७४ करोड़ रुपये का व्यय किया गया। द्वितीय योजना काल में उद्योगों पर सरकारी क्षेत्र ८७० करोड़ रुपये निरियोजित किया गया। सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त उद्योग भारी एवं आयात-भूत प्रकार के हैं। इस कारण में सरकारी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है और औद्योगिक विकास द्रुत गति-से करना सम्भव हो सकता है। इस काल में तीन बड़े उद्योगों के कारखाने मिलान, रुदकेला एवं वर्गापुर की स्थापना सरकारी क्षेत्र में की गयी है। अलूमिनियम, सीमेंट, भारी रसायन, रंग, कोयला, खनिज तेल, शक्ति आदि जैसे औद्योगिक, कच्चे माल की उपलब्धि में पर्याप्त वृद्धि हो गई है। इस काल में मशीनों के बनाने वाले उद्योगों का भी विस्तार हुआ है और देश में घरेलू कृषि, पानायायन, रसायन एवं औद्योगिकों के उद्योगों में बस्त्र, दूध, सीमेंट, चाय, शक्कर, आटे एवं तेल मिल, कागज उद्योगों एवं खनिज निकालने आदि में उपयोग होने वाली

मशीनों का निर्माण होने लगा है। रेलों में उपयोग आने वाली मशीनों एवं सामग्रियों, विद्युत् सामग्रियों तथा वैज्ञानिक औजारों का उत्पादन भी अब देश में होने लगा है। जूट, सूती वस्त्र एवं शक्कर उद्योगों के नवीनीकरण की ओर भी पर्याप्त प्रगति हुई है। देश में औद्योगिक बॉयलर्स, मिलिंग मशीनों, अन्य प्रकार के औजारों, ट्रक्टर, सल्फा तथा एएटोबायटिक औषधियाँ, डी० डी० टी०, अलुमिनियम का कागज, मोटर साइकिलें तथा स्कूटर आदि नवीन भदों का उत्पादन भी देश में होने लगा है।

खनिज

इस काल में खनिज के शोपण एवं उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है। कोयला लोहा एवं चांस्ताइट के शोपण एवं उत्पादन के सम्बन्ध में सफल कार्यवाहियाँ की गयी हैं। खनिज उत्पादन की वृद्धि तृतीय योजना काल में अधिक हुई है। खनिज तेल की खोज करने से पता लगा है कि आसाम में नाहोरकटिया में खनिज तेल का सचय है और गुजरात में कंभे, अक्लेश्वर में भी खनिज तेल बड़ी मात्रा में मिलने का अनुमान है। इससे अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में खनिज तेल की खोज जारी है। खनिज तेल की खोज के लिए आयल तथा नैचुरल गैस कमीशन (Oil And Natural Gas Commission) की स्थापना की गई है। नानमती (Nanmati) एवं बरोनी में दो तेल शोधन के कारखाने सरकार द्वारा क्षत्र में स्थापित किए गए हैं तथा इण्डियन आयल कम्पनी की स्थापना तेल के वितरण के लिए की गयी है।

ग्रामीण एवं लघु उद्योग

पिछले दस वर्षों में राज्य द्वारा २१८ करोड़ रुपये ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास पर व्यय किया गया है। विभिन्न अखिल भारतीय परिषदों की स्थापना, लघु उद्योगों, हाथ करघा उद्योग, खादी एवं ग्रामीण उद्योग, हस्त कला, नारियल के रेश के उद्योग तथा रेशम उद्योग के विकास के लिए समन्वित कार्यक्रम संचालित हेतु की गई। औद्योगिक विस्तार सेवा का विकास किया गया है तथा लघु उद्योग सेवा संस्थानों (Small Scale Industries Service Institutes) की स्थापना प्रत्येक राज्य में की गई है और ५३ विस्तार केन्द्र (Extension Centre) भी स्थापित किए गए हैं। लगभग ६० औद्योगिक एस्टेट जिनमें लगभग १००० लघु कारखाने हैं, की स्थापना की गयी है। साख सुविधाओं, ताजिक सलाह तथा कच्चे माल की उपलब्धि के विशेष प्रबन्ध किए गए हैं तथा निर्यात की हुई एवं देश में उत्पादित मशीनों को किराया क्रय (Hire Purchase) पर देने का भी आयोजन किया गया है।

मशीनों के औजार, सिलाई की मशीनें, बिजली के मोटर, पंखे, साइकिलें, हाथ के औजार आदि के उत्पादन में पिछले पाँच वर्षों में २५% से ५०% की वृद्धि हुई है। अधिकोपण सस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को राज्य की प्रतिभूति (Guarantee) पर साख प्रवल करने, बुनकर सहकारी समितियों को शक्ति के करघे त्रय करने के लिये एसहायता देने तथा अम्बर चरखा के निर्माण एव वितरण का आयोजन किया गया है।

शक्ति

नियोजित अर्थ-व्यवस्था के दस वर्षों में सरकारी क्षेत्र में शक्ति की मद पर ७०५ करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया है। प्रथम योजना के पूर्व प्रारम्भ की गई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं—दामोदर घाटी, भावडा-नगल, तु गभद्रा तथा हीराकुड—के कार्यक्रमों को समन्वित किया गया और इनके कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है। चम्बल, रोहन्द, कोनया, नागाजुन सागर आदि नवीन नदी घाटी योजनाओं का प्रारम्भ किया गया है। इस काल में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण को विशेष महत्व दिया गया और विद्युतीकृत (Electrified) नगरों एव ग्रामों की संख्या १९५०-५१ में ३६८७ से बढ़ कर १९६०-६१ तक २२,००० हो गयी है।

यातायात एव संचार

पिछले दस वर्षों में यातायात के साधनों में पर्याप्त विस्तार हुआ है। सरकारी क्षेत्र में यातायात एव संचार पर १८२३ करोड़ रुपये व्यय किया गया है। इस काल में ८०० मील लम्बी रेल की लाइनें डाली गईं। रेल के इंजनों की संख्या ८५०० से बढ़कर १०,६००, मालगाड़ी के वाहन की संख्या २,२२,४०० से बढ़कर ३,४१,००० हो गयी। यानी मील ४१३ करोड़ में बढ़कर ४८६ करोड़ हो गये तथा किराये पर रेलों द्वारा ले जाया गया माल ९१५ लाख टन से बढ़कर १५४० लाख टन हो गया। इसी प्रकार सतह वाली सड़कें (Surfaced Roads) जिनमें राष्ट्रीय मार्ग भी सम्मिलित हैं ९७,५०० मील से बढ़कर १,४४,००० मील हो गईं। समुद्री जहाज का ग्रास रजिस्टर्ड टनेज ३.९ लाख से बढ़कर ९ लाख हो गया। इस काल में डाकखानों की संख्या ३६,००० से बढ़कर ७७,००० और टेलीफोनो की संख्या १,६८,००० से ४,६०,००० हो गईं। प्रत्येक भाषा के क्षेत्र में एक आकाशवाणी प्रसारण स्टेशन स्थापित किया गया और सन् १९६०-६१ में इन स्टेशनों की संख्या २८ थी।

समाज सेवाएँ

पिछले दस वर्षों में राज्य द्वारा १२८९ करोड़ रुपये समाज सेवाओं पर

रोजगार—पिछले दस वर्षों में जनसंख्या में ७७० लाख की वृद्धि हुई है जिससे बेरोजगार की समस्या और अधिक गम्भीर हो गयी है। द्वितीय योजना काल में ८० लाख अनिश्चित रोजगार के अवसर उत्पन्न किये गये और द्वितीय योजना के अन्त में ६० लाख व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान है।

भारतीय समाज के जीवन स्तर के आधार पर वर्गीकरण

उपर्युक्त आँकड़ों एवं विवरणों में यह स्पष्ट है कि नियोजित अर्थ व्यवस्था के पिछले दस वर्षों में इतना विकास हुआ है जितना कि भूत काल में कभी भी १० वर्षों में नहीं हुआ। परन्तु नियोजित अर्थ व्यवस्था की वास्तविक सफलता समस्त अर्थ-व्यवस्था के सामूहिक आंकड़ों में स्पष्ट नहीं हो सकती है। नियोजित अर्थ व्यवस्था के फलस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन में क्या सुधार हुआ यह देखना भी आवश्यक है। नियोजन के दस वर्षों के पश्चात् आज भी जन साधारण में अज्ञान, अज्ञान निधनता, विपन्नता आदि उपस्थित हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक सफलता का अध्ययन करने हेतु भारत के जन जीवन को निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

(अ) ग्रामीण जन समाज

(१) उच्च श्रेणी का वर्ग—जिसमें बड़े-बड़े कृषकों, जिनके अधिकार में अधिक भूमि एवं पूँजी है, बड़े-बड़े जमींदार एवं जागीरदार, जिनका राज्य से अधिक मुद्रावजा मिलता है और जो अधिक भूमि भी अधिकार में रखते हैं। तथा साहूकार जो कृषकों को अधिक बाज पर नए दता है, छोटे-छोटे उद्योग चलाते हैं एवं व्यापार करते हैं सम्मिलित हैं। ग्रामीण समाज का अध्ययन करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में नियुक्त हुए अध्ययन ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ग में ग्रामीण परिवारों का लगभग २०% परिवार आते हैं और इनकी आय १००० रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है। प्रथम एवं द्वितीय योजना के अन्तर्गत संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे, सामुदायिक विकास सहकारिता पंचायत आदि का अधिकतर लाभ इस वर्ग को ही प्राप्त हुआ है। इस वर्ग में कुछ शिक्षित व्यक्ति हैं जो कि ग्रामीण समाज पर प्रभुत्व रखने में सफल रहे हैं। इन्हें राज द्वारा दी गई सुविधाओं का ज्ञान है और यह उनका पूरा-पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य के ठेके आदि भी इसी वर्ग के लोगों को प्राप्त होते हैं और यह उनका लाभ उठा लेते हैं। पिछले दस वर्षों में इस वर्ग की सम्पन्नता में अवश्य ही सुधार हुआ है। बड़े-बड़े कृषक खाद्यान्न एवं कृषि उत्पादन के मूल्यों की वृद्धि के कारण अधिक लाभ उपार्जन करने में सफल रहे हैं। परन्तु अज्ञान के कारण अतिरिक्त आय का उपयोग जीवन-स्तर में वृद्धि करने

अथवा धन का उत्पादन उपयोग करने हेतु नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये गये विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों में लगे हुए सरकारी अधिकारियों के साथ भी इन्हीं का सम्पर्क घनिष्ठ है।

(२) निम्न श्रेणी का वर्ग—इस वर्ग में कृषि मजदूर, कम भूमि वाले कृषक तथा छोटे-छोटे दस्तकार सम्मिलित है। इस वर्ग में ग्रामीण परिवारों के लगभग ८०% परिवार सम्मिलित हैं और इनकी वार्षिक आय १००० रुपये से कम है। ग्रामीण परिवार के लगभग ५०% परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय ५०० रुपये से भी कम है। २५० रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की संख्या भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। इस वर्ग को नियोजित अर्थ-व्यवस्था द्वारा प्राप्त लाभों का भाग उचित रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। यह वर्ग अर्थ भी विकास कार्यक्रमों से अनभिज्ञ है। इसकी आय एवं जीवन स्तर में पिछले दस वर्षों में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। इन्हे वर्षभरके लिये रोजगार उपलब्ध नहीं होना है और राष्ट्रीय अर्थ प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होने पर भी इनकी आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। अज्ञान एवं लड़्ढिवादी भावनाओं के कारण यह वर्ग न तो राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं का लाभ ही उठाता है और न इसमें नियोजन के प्रति जागरूकता ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये स्कूलों की संख्या तो बहुत अधिक है परन्तु इन स्कूलों की दशा अत्यन्त दयनीय है। बहुत से स्कूलों में दीर्घ काल तक शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होते हैं। इनके पास ग्रामीण समाज में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के साधन नहीं हैं, निम्न वर्ग के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनको अपनी अनिवार्यताओं को पूरा करने हेतु सपरिवार कार्य करना आवश्यक होता है। ग्रामीण समाज ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजना कार्यक्रमों को एक राजकीय कार्यवाही मानता है जिसे संचालित करने का कर्तव्य सरकारी अधिकारियों का है। सहकारी संस्थाओं में सफलता पूर्वक नहीं चलाई जाती है। इनके लिये ईमानदार एवं तत्पर अधिकारियों की आवश्यकता होती है, जिनकी समाज में अत्यन्त कमी है। सहकारिता का लाभ भी उच्च श्रेणी के वर्ग को ही मिलता है।

(ब) नागरिक समाज

(१) उच्च वर्ग—इस वर्ग में बड़े बड़े उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी एवं ठेकेदार सम्मिलित किये जा सकते हैं। इस वर्ग को योजना काल में सब से अधिक लाभ प्राप्त हुआ बनाया जाता है। योजना काल के बड़े पैमाने के विनियोजन के कारण नागरिक क्षेत्र के प्राय सभी वर्गों की आय में कुछ न

बुद्धि हुई है। आय की वृद्धि के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की माँग में अत्यधिक वृद्धि हुई है जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था के दस वर्षों के नवीन विनियोजन में उत्पादक एवं पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन को विशेष महत्व प्रदान किया गया। इसके साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिये गये हैं अथवा आयात कर को इतना अधिक बढ़ा दिया गया है कि आयात की हुई वस्तुएं देश के बाजारों में बिक न सकें। इस प्रकार देश के उपभोक्ता उद्योगों को एक ओर संरक्षण दिया गया है और दूसरी ओर विदेशी विनिमय की वृद्धि करके उत्पादक एवं पूँजीगत वस्तुओं का अधिक आयात करना सम्भव हो सका है। परन्तु इस स्थिति का देश के उद्योगपतियों ने अनुचित लाभ उठाया है। उन्हें प्रतिस्पर्धा का भय नहीं रह गया है और अधिक माँग की उपस्थिति में वे अधिक मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेच कर लाभ उपार्जित करते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगपतियों में अपनी उत्पादन लागत को कम करने के प्रति कोई प्रोत्साहन भी नहीं है क्योंकि न तो उन्हें प्रतिस्पर्धा का भय है और न वस्तुओं के दीर्घकाल तक न बिकने का डर है। राज्य ने इस काल में नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के सम्बन्ध में हर प्रकार से प्रोत्साहन किया है और देश में बहुत से लघु, मध्यम एवं बृहद् औद्योगिक इकाइयाँ की स्थापना की गयी है। इन उद्योगों को मशीनों, पूँजीगत वस्तुओं एवं कच्चे माल की अत्यधिक आवश्यकता थी और बड़े पैमाने के विनियोजन को आच्छादित करने के लिये विनियोजन वस्तुओं की अत्यधिक माँग थी। विनियोजन वस्तुओं के निर्माताओं ने (जिनमें बड़े-बड़े पूँजीपति सम्मिलित हैं) इस परिस्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठाया है। विदेशों से इन पूँजीगत वस्तुओं के आयात करने में राज्य के कठोर नियन्त्रणों का उपयोग किया है जिसके फलस्वरूप नवीन औद्योगिक इकाइयों को देश में बनी हुई पूँजीगत वस्तुओं का अधिकतर उपयोग करना पड़ा है। इस प्रकार पूँजीगत वस्तुओं के निर्माताओं ने इस एकाधिकार के वातावरण का लाभ उठाया और उनके लाभ की दर सामान्य से अधिक रही है। पिछले दस वर्षों में निर्माण कार्य इतना अधिक हुआ है जितना कि सम्भवतः पिछले ५० वर्षों में भी नहीं हुआ होगा। इसमें से ७० से ८०% निर्माण सरकारी एवं अर्ध सरकारी क्षेत्र में किया गया है। सरकारी क्षेत्र एवं अर्ध सरकारी क्षेत्र के निर्माण कार्य ठेके द्वारा कराये जाते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था के दस वर्षों में ठेकेदार वर्ग की समस्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। ठेकेदारों ने योजना काल में अत्यधिक लाभोपार्जन किया है। इस लाभ का कुछ भाग दोषपूर्ण निर्माण कार्य तथा नियन्त्रित मूल्य वाले सामान का दुरुपयोग करके प्राप्त किया गया है।

फिर सामूहिक परिवार का निर्वाह करते हैं। इनके परिवारों में आय उपाजन करने वालों की संख्या कम और आश्रितों की संख्या अधिक है। कुछ-कुछ परिवारों में स्त्रियाँ भी नौकरी आदि करके आय उपाजित करती हैं। यह वर्ग सदैव जीवन स्तर को यथोचित स्तर पर रखने का प्रयत्न करता है जो कि उच्च मूल्य स्तर के कारण इनके साधनों के बाहर रहता है। इस वर्ग के अभिलाषी होने के कारण इनमें अपने जीवन स्तर को बढान की प्रवृत्ति भी उपस्थित है। इस वर्ग में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर भी अधिभार दिया जाता है जिससे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। परन्तु शिक्षा के स्तर में निरन्तर कमी एव शिक्षा की लागत में वृद्धि होने के कारण इनकी कठिनाइयाँ और भी गम्भीर हो गयी हैं। इस वर्ग का जीवन निर्वाह की लागत का अनुमान मूल्य निर्देशक के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। इनके जीवन निर्वाह की लागत में शिक्षा एव सामाजिक उत्तरदायित्वों की लागत भी सम्मिलित रहती है।

बढ़ते हुए मूल्यों का सबसे अधिक प्रभाव इस वर्ग पर पड़ा है। देश में निर्मित वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में इन्हें न्य करना असम्भव है क्योंकि इनके पास साधनों की इतनी कमी रहनी है कि एक नवीन वस्तु खरीदने के लिये इन्हें दूसरी वस्तु के न्य का विचार छोड़ना पड़ता है। देश के उद्योगों का संरक्षण मिलने के कारण इन उद्योगों के उत्पादन का मूल्य निरन्तर बढ़ना जा रहा है। उद्योगपतियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का भय न होने के कारण वे अधिक मूल्य पर अपना सामान बेचने का प्रयत्न करते हैं। मूल्यों की वृद्धि का दूसरा कारण औद्योगिक श्रमिकों को अधिक लाभ उपलब्ध कराना भा है। औद्योगिक श्रमिक संगठित हैं और राज्यों एव केन्द्र दोनों में श्रमिक नेता मन्त्रियों के पद ग्रहण किये हुए हैं जिसके कारण श्रमिकों की माँगों की पूर्ति करना उद्योगपतियों को आवश्यक हो गया है। उद्योगपति श्रमिकों को दिये जाने वाले लाभों को अपनी वस्तुओं के मूल्य में जोड़ देता है और इस प्रकार श्रमिकों का लाभ का बहुत बड़ा भाग मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को बहन करना पड़ता है। सरकारी क्षेत्र के व्यवसाय में भी श्रमिकों को दिये गये लाभों की लागत अन्तिम रूप से उपभोक्ता को ही देनी पड़ती है। जब इन प्रकार उपभोक्ता को उद्योगों एव व्यवसायों के समस्त व्यय, सरकारी कर आदि का भार बहन करना पड़ता है परन्तु निम्न मध्यम वर्ग को यह भार असहनीय हो जाता है क्योंकि इसकी आय स्थिर रहती है और इसे अपने आश्रितों का निर्वाह करना आवश्यक होता है। जब इस वर्ग के लोग अपनी तुलना औद्योगिक श्रमिकों के (परिवारों जिनमें आय उपाजन करने वाले अधिक और आश्रित कम हैं) से करते हैं तो इनमें असंतोष

की भावना जाग्रत होना स्वाभाविक है और इन्हे ऐमा लगता है कि योजना का लाभ इनको तनिक भी प्राप्त नहीं हो रहा है।

इस वर्ग में बेरोजगारी का भार भी अत्यधिक है। यह वर्ग रोजगार प्राप्त करने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान को जान के लिये तटार रहता है परन्तु क्षेत्रीय एवं भाषा-भाषी भावनाओं, जाति भेद, साम्प्रदायिकता आदि के कारण इन्हे आय उपार्जन के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं। अवसर उपलब्ध होने हुए भी जब इन्हे नहीं दिये जाते तो इनमें अनन्योप की भावनाएँ जाग्रत होती हैं परन्तु इन्हे अपने उत्पीडन को प्रस्तुत करने के अवसर भी उपलब्ध नहीं हैं।

इस प्रकार इस वर्ग के सदस्य का नियोजन की कार्यवाहियाँ अधिक रुचि नहीं है। इनको एक ओर निष्ठाओं व शोषण, वहम तथा घृणा को बहन करना पड़ता है और दूसरी ओर बढन हुए मूल्या के दबाव से दबे रहना पड़ता है। यदि यह वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में नगरो में आता है तो निवास गृहा की समस्या उपस्थित होती है। मकानों के किराये नगरो में इतने अधिक हो गए हैं कि इनको अपनी आय का लगभग २०% किराये के रूप में देना पड़ता है। यदि इस वर्ग के लोग ग्रामों में रहते हैं तो बच्चा की शिक्षा का उचित प्रयत्न सम्भव नहीं है। समाज में इनका स्थान ऐसा है कि यह अपने धन का कम करने में असमर्थ है और जिस क्षेत्र में भी यह बचत करते हैं मूल्या की निरन्तर वृद्धि उस बचत के लाभ से इन्हे बचित कर देती है।

प्रो० सी० एन० बकल क शब्दा में "जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र पर आधारित न होने वाले वास्तविक पिछड़े वर्ग—निम्न मध्यम वर्ग—पर कोई विचार नहीं किया जाता है। योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिकारियों को परिस्थितियों के इस पहलू पर विचार करना चाहिए। आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे के द्रुतगति से होने वाले परिवर्तनों के मध्य में इस समस्या का निरन्तर अध्ययन करना आवश्यक है। देश के विभिन्न भागों के इस वर्ग के सदस्यों के जीवन का गहन अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। देश की भविष्य में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक सुदृढता के लिए इस वर्ग की समस्याओं का अध्ययन एवं निवारण आवश्यक है। नियोजन को सबसे अधिक सहयोग देने की क्षमता रखने वाले वर्ग का योजनाओं की सफलता में सक्रिय कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु आश्वासन के अतिरिक्त वास्तविक सुविधाओं की उपलब्धि आवश्यक है।"¹

1 But the real backward class—the lower middle class irrespective of cast, religion, language or region, remains un-
(contd next page)

(ग) निम्न वर्ग—इस वर्ग में नगरो के औद्योगिक श्रमिको, छोटे छोटे व्यापारिया आदि नो सम्मिलित किया जा सकता है । औद्योगिक श्रमिको के कल्याण हेतु प्रथम एवं द्वितीय योजनाओ में विशेष कार्यवाहियाँ की गई हैं । यह श्रमिक संगठित है और अपनी कठिनाइयो एवं माँगो को सामूहिक रूप से प्रस्तुत करने में असमर्थ है । इन दो योजनाओ की नीति से इस वर्ग के जीवन में पर्याप्त सुधार हुआ है । श्रमिको के प्रशिक्षण, चिकित्सा आदि का भी प्रबन्ध किया गया है । इनके पारिश्रमिक में भी वृद्धि हुई है, यद्यपि यह वृद्धि मूल्यो की वृद्धि के अनु-कूल नहीं है । औद्योगिक श्रमिका के निवास-गृहो का निर्माण बड़े बड़े केन्द्रो में राज्य द्वारा किया गया है । परन्तु इनकी वर्तमान अवस्था अन्य उन्नतिशील राष्ट्रों के औद्योगिक श्रमिको की तुलना में अत्यन्त दयनीय है ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था के दस वर्षों में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होन पर भी समाज के समस्त वर्गों को समान लाभ प्राप्त नहीं हुआ है । वास्तव में इन दस वर्षों में उत्पादन की वृद्धि को जितना महत्व दिया गया उतना ही महत्व वितरण को भी देना चाहिए था । सम्पन्नता के वितरण की विषमता के कारण रहे हैं । देश के आर्थिक टाँचे में जो सस्वनीय परिवर्तन किये गये व या तो पर्याप्त नहीं हैं या फिर उनमें प्रभाव-शीलता की कमी है । सरकारी क्षेत्र का विस्तार एवं निजी क्षेत्र पर नियन्त्रण की प्रभावशीलता पर्याप्त नहीं रही है । इसके अतिरिक्त प्रशासन के विभिन्न दोषों के कारण भी वितरण की विषमता अभी भी बनी हुई है । राष्ट्रीय चरित्र की हीनता, कर्तव्य परायणता की कमी, अकुशल संगठन आदि कारणों ने भी निर्बल वर्ग को निबलता के जाल से मुक्त होने से रोक रखा है । वर्तमान परि-

noticed For the sake of many objectives of the Plan, those in charge must come to grips with this aspect of the situation. The rapidly changing economic and social pattern rejoins constant examination. An intensive study of the life of the members of this class in different parts of the country is urgently called for. A careful examination of their problems and timely solution is necessary in the interest of the future economic, political and social stability of the country. The largest potential supporters of the plan require something more tangible than vague words to spur them into working actively for its success."

Prof. C. N. Vakil Plan Impact on Large Sections of People is not Strong, The Economic Times, 15th June, 1961.

स्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि भविष्य की योजनाओं के कार्यक्रमों का प्रकार एवं संचालन विधि इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ वितरण में समानता लायी जा सके और योजना के लाभों का बड़ा भाग निर्बल वर्गों को प्राप्त हो सके ।

अथवा साधनों को जन-समूह के अधिकतम लाभार्थ विवेकपूर्ण उपयोग करने की कला को नियोजन कहते हैं।" बिठ्ठल बाबू की इस परिभाषा का स्पष्टीकरण कीजिये।

(६) आर्थिक नियोजन की उचित परिभाषा दीजिये और इसमें आधार पर आर्थिक नियोजन के मुख्य लक्षणा का वर्णन कीजिये।

(१०) आर्थिक नियोजन के सामान्य उद्देश्य का वर्णन कीजिये। भारत की योजनाओं में इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कौन-कौन से मुख्य कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं ?

(११) यह प्रतिपाद्य है कि आर्थिक विकास की पूर्ण योजना लागू करने में राज्य को समाज के हित के लिये पर्याप्त मात्रा में हस्तक्षेप व नियन्त्रण रखना चाहिये। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं को दृष्टिगत करते हुए इस कथन की व्याख्या कीजिये।

(बी० काम० पाठ १, विक्रम विश्वविद्यालय, १९३०)

(१२) उन घटका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये जिन्होंने प्रथम महायुद्ध के पश्चात् आर्थिक नियोजन के सिद्धान्तों की प्रगति एवं सामान्य स्वीकृति में सहायता प्रदान की।

(एम० काम०, आगरा विश्वविद्यालय, १९५६)

(१३) नियोजित अर्थ व्यवस्था में राज्य के कर्तव्यों का वर्णन कीजिये, विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब कि पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करनी हो।

(एम० काम०, आगरा विश्वविद्यालय, १९५६)

(१४) "नियोजित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत ही राष्ट्र के साधनों का पूर्णतम उपयोग, अधिकतम उत्पादन एवं पूर्ण रोजगार सम्भव हो सकता है।" इसका की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिये।

(१५) किसी भी राष्ट्र में नियोजन का प्रकार किन विचारधाराओं एवं परिस्थितियों पर आधारित होता है ? भारत में प्रजातांत्रिक नियोजन को मान्यता देने के कौन कौन से मुख्य कारण हैं, स्पष्ट कीजिये।

(१६) समाजवादी तथा प्रजातांत्रिक देशों के आर्थिक नियोजन के प्रमुख तथ्यों को समझाकर लिखिये।

(बी० काम० पाठ १, विक्रम विश्वविद्यालय, १९६१)

(१७) "समाजवादी एवं पूँजीवादी नियोजन में आप किस प्रकार भेद करेंगे ? आधुनिक आर्थिक समाज की उत्पादन एवं वितरण की समस्याएँ

जन द्वारा ही सम्भव है—अर्थ विकसित राष्ट्रों की मुख्य मुख्य समस्याओं के सन्दर्भ में इस कथन पर अपने विचार प्रगट कीजिये ।

(२६) पूँजी निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिये । अर्थ-विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण की कमी के कारण स्पष्ट कीजिये ।

(३०) “आर्थिक नियोजन प्राथमिकताओं के विवेकपूर्ण निश्चयीकरण को कहते हैं”—इस कथन के सदर्भ में अर्थ-विकसित राष्ट्रों की प्राथमिकताएँ निर्धारित करने की समस्या की व्याख्या कीजिये ।

(३१) “आर्थिक नियोजन के सफलतायें जहाँ आर्थिक पूँजी की पर्याप्त उपलब्धि आवश्यक है, वहाँ सामाजिक पूँजी का उचित स्तर अनिवार्य है ।” इस कथन को भारतीय योजनाओं के सन्दर्भ में स्पष्ट कीजिये ।

(३२) अर्थ-विकसित राष्ट्रों की बेरोजगारी की समस्या का विस्तृत वर्णन कीजिये और इसके निवारणार्थ की जाने वाली कार्यवाहियों को स्पष्ट कीजिये । तृतीय योजना में इस समस्या का निवारण किस सीमा तक सम्भव होगा ?

(३३) ‘अर्थ विकसित राष्ट्रों के शीघ्र विकास एवं जनसमुदाय के सामान्य हितार्थ सरकारी क्षेत्र का विस्तार अत्यन्त आवश्यक है ।’ इस कथन को स्पष्ट करते हुए भारतीय योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के महत्व पर अपने विचार दीजिये ।

(३४) सरकारी क्षेत्र के संगठन एवं प्रबन्ध व्यवस्था की व्याख्या कीजिये । लोक निगम सरकारी क्षेत्रों के व्यवसायों के लिये अधिक प्रभावशाली क्यों समझे जाते हैं ?

(३५) रूसी अर्थ-व्यवस्था के मुख्य मुख्य लक्षणों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिये ।

(३६) रूसी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण देते हुए यह बताइये कि इन योजनाओं द्वारा रूसी अर्थ-व्यवस्था का आश्चर्यजनक विकास किन कारणों से सम्भव हो सका है ?

(३७) चीनी नियोजित अर्थ-व्यवस्था पर एक निबन्ध लिखिये और भारतीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था से तुलना भी कीजिये ।

(३८) अमरीकी अर्थ व्यवस्था में आर्थिक नियोजन का क्या स्थान है ? अमरीकी अर्थ व्यवस्था की रूसी अर्थ-व्यवस्था से तुलना करते हुए बताइये कि आपके विचार में इनमें कौन सी अर्थ व्यवस्था श्रेष्ठ माननी चाहिये ।

(३९) गाँधीवादी योजना के मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिये । भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में यह तत्व कहाँ तक अपनाये गये हैं ?

(४०) बम्बई योजना की प्रथम विशेषताओं को बतलाइये । देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना इनके द्वारा कहाँ तक प्रभावित हुई है ?

(बी० काम०, विक्रम विश्वविद्यालय)

(४१) जिन राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में भारत में आर्थिक नियोजन को राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, उनको दृष्टिगत करते हुए बम्बई योजना के आधारभूत उद्देश्यों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये ।

(एम० काम०, आगरा विश्वविद्यालय)

(४२) “भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना वास्तव में एक विकास योजना थी । उस समय क्रियान्वित किये जाने वाले विभिन्न केन्द्रीय एवं प्रान्तीय कार्यक्रमों को दृष्टिगत करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना एक राजनीतिक कार्यवाही थी न कि सिद्धान्त रूप से एक आर्थिक आवश्यकता ।” व्याख्या कीजिये ।

(एम० काम०, आगरा विश्वविद्यालय)

(४३) देश की कौन-कौन सी परिस्थितियों ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों को प्रभावित किया ?

(४४) “भारत की पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से एक ग्रामीणविकास की योजना थी ।” इस कथन के सदर्थ में प्रथम योजना के ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की विवेचना कीजिये ।

(४५) “प्रथम योजना की सफलताओं का मुख्य कारण योजना के कार्यक्रम ही नहीं थे अतः कुछ अनुकूल परिस्थितियों ने योजना की सफलता में योगदान दिया ।” इस कथन को स्पष्ट कीजिये और इस सदर्थ में प्रथम योजना की असफलताओं पर प्रकाश डालिये ।

(४६) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिये और योजना की औद्योगिक नीति एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिये ।

(एम० काम०, आगरा विश्वविद्यालय)

(४७) द्वितीय योजना द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना में कहाँ तक सहायता मिली है ? योजना में निजी एवं सरकारी क्षेत्र में किये गये महत्व के आधार पर योजना के समाजवादी कार्यक्रमों की विवेचना कीजिये ।

(४८) भारत की योजनाओं में हीनार्थ प्रवचन को क्या स्थान प्राप्त है ? नियोजित अर्थ-व्यवस्था के दस वर्षों में हीनार्थ प्रवचन द्वारा उत्पादित दोषों को स्पष्ट कीजिये ।

(एम० काम०, विक्रम विश्वविद्यालय)

(४९) निश्चित अर्थ व्यवस्था से आप क्या अर्थ समझते हैं ? भारतीय योजनाओं के संचालन हेतु निश्चित अर्थ व्यवस्था को क्या महत्व दिया गया है ?

(५०) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विदेशी वित्तिय की कठिनाइयों पर एक निबंध लिखिये ।

(५१) प्रथम एवं द्वितीय योजना की तुलना करते हुए यह बताइये कि द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास को अधिक महत्व किन परिस्थितियों के कारण दिया गया ?

(५२) द्वितीय योजना के अर्थ प्रबंधन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिये ।

(५३) देश में फैली हुई बेरोजगारी के क्या कारण हैं ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसको दूर करने में कहाँ तक सफल हुई है ?

(५४) कर्षे समिति की रिपोर्ट को दृष्टिगत करते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुटीर और लघु उद्योगों के स्थान पर प्रकाश डालिये । इनका विकास किस सीमा तक देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सहायक होगा ?

(बी० काम०, विक्रम विश्वविद्यालय)

(५५) एक राष्ट्रीय योजना को समाज में आधारभूत सैद्धान्तिक एकता का प्रतिबिम्ब होना चाहिये इस कथन की व्याख्या कीजिये और बताइये कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ कहाँ तक ऐसी राष्ट्रीय योजनाएँ कही जा सकती हैं जिनको कि जनता का सहयोग प्राप्त हो ।

(५६) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अपने देश की सामाजिक उन्नति की विवेचना कीजिये ।

(बी० काम०, विक्रम विश्वविद्यालय)

(५७) स्वयं स्फूर्त विकास का क्या अर्थ है ? इस अवस्था में प्रवेश करने हेतु किन किन शर्तों की पूर्ति आवश्यक है ? क्या आप के विचार में तृतीय योजना के अन्त तक भारत इस अवस्था में प्रवेश कर लेगा ?

(५८) तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना औद्योगिक प्रगति को विशेष रूप से समझाने हुए कीजिये ।

(५९) तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिये ।

(६०) द्वितीय एवं तृतीय योजना के विनियोजन कार्यक्रमों की तुलना कीजिये और यह बताइये कि तृतीय योजना में विनियोजन का प्रकार वर्तमान परिस्थितियों के कहाँ तक अनुकूल है ?

(६१) तृतीय पंचवर्षीय योजना में धरेलू साधनों को अधिक महत्व दिया

गया और हीनार्थ प्रबन्धन को यथोचित सीमाओं में रखा गया है—इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिये ।

(६२) तृतीय योजना की औद्योगिक नीति एवं कार्यक्रमों का आलोचनात्मक विवरण दीजिये ।

(६३) कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु तृतीय योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये ।

(६४) तृतीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना हेतु कोई विशेष कार्यक्रम सम्मिलित नहीं किये गये हैं, जब कि पिछली दो योजनाओं का अधिकतर लाभ सम्पन्न वर्गों के लोगों को ही प्राप्त हुआ है—इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं ?

(६५) तृतीय योजना में रोजगार नीति एवं कार्यक्रम का आलोचनात्मक विवरण दीजिये ।

(६६) मूल्य नियमन तृतीय योजना का प्रमुख उद्देश्य ही नहीं प्रत्युत इस की सकलतार्थ एक आवश्यक बात भी है—इस वाक्य पर अपने विचार प्रकट कीजिये । तृतीय योजना में मूल्य नियमन हेतु कौन-कौन से कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं और उनकी प्रभावशीलता की क्या सम्भावना है ?

(६७) तृतीय योजना की सफलता के लिये किन-किन परिस्थितियों की उपस्थिति आवश्यक है ।

(६८) भारत में दस वर्षीय नियोजन अर्थ-व्यवस्था में होने वाले विकास का सक्षम विवरण दीजिये और यह बताइये कि इस विकास का लाभ भारतीय जन समुदाय के विभिन्न वर्गों को किस सीमा तक प्राप्त हुआ है ?

(६९) तृतीय योजना में विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं एवं उनके आयोजन का आलोचनात्मक विवरण दीजिये ।

(७०) “भारतीय आर्थिक नियोजन प्रमुख रूप से एक राजकीय कार्यक्रम है । यहाँ की योजनाओं के निर्माण में जन-समुदाय को कोई स्थान प्राप्त नहीं है । इन योजनाओं को जन-सहयोग अर्थात् फाँदा में उपलब्ध नहीं होता है और न इन योजनाओं द्वारा जन साधारण में जागृति ही उत्पन्न हो सकी है । भारतीय योजनाओं की सफलता इन्हीं कारणों से केवल एक भ्रम मात्र है । जन-साधारण आज भी उसी स्थिति में है जिस दयनीय स्थिति में वह योजनाओं के संचालन के पूर्व रहता था ।” इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिये ।

सहायक ग्रन्थ

- | | | |
|-----|-------------------|---|
| 1 | ARTHUR LEWIS | The Principles of Economic Planning |
| 2 | DURBIN | Problems of Economic Planning |
| 3 | DICKINSON | Economics of Socialism |
| 4 | FERDYNAND ZEWEIF | The Planning of Free Societies |
| 5 | BARBARE WOOTON | Freedom Under Planning |
| 6 | G D H COLE | Principles of Economic Planning |
| 7 | HANSON | Public Enterprise and Economic Development |
| 8 | LIPSON | A Planned Economy or Free Enterprise |
| 9 | S E HARRIS | Economic Planning |
| 10. | MAURICE DOBB | Economic Development of Russia since 1917 |
| 11 | JAMES MEVOR | An Economic History of Russia |
| 12 | CLAVIN HOOVER | The Economic Life of Soviet Russia |
| 13 | SAND B WEBB | Soviet Communism |
| 14 | VOZNESENSKY | The Economy of The U S S R. During World War II |
| 15 | STRUMILIN | Planning in The Soviet Union |
| 16 | NICHOLAS SPULBER | Economics of East European Countries |
| 17 | UNITED NATIONS | Economic Survey of Asia and The Far East (1949 1955) |
| 8. | S ADLER | Chinese Economy 1957) |
| 19 | | First Five Year Plan for The Development of National Economy of The People's Republic of China in 1953 57 |
| 20 | A C BINING | The Rise of American Economic Life |
| 21 | GEORGE SOULE | American Economic History |
| 22 | HANSON | American Economy |
| 23 | B C A COOK (1957) | 'BURMA' Overseas Economic Surveys (Issued by Her Majesty's Stationery Office, London) |
| 24 | C N VAKIL | Planning for an Expanding Economy |
| 25 | VITHAL BABU | : Towards Planning |
| 26 | AGARWAL & SINGH | The Economics of Under-Development |

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 27 | NAG | A Study Of Economic Plans for India |
| 28 | AGARWAL | Economic Advancement of Under Developed Countries |
| 29 | BAWER | Economic Analysis and Policy in Under Developed Countries |
| 30 | BALJIT SINGH | Economic Planning in India |
| 31 | WADIA & MERCHANT | The Five Year Plan—A Criticism |
| 32 | T N RAMASWAMI | Economic Analysis of The Draft Plan |
| 33 | KUMARAPPA | Planning for The People by The People |
| 34 | N DAS | • Studies in Indian Economic Problems |
| 35 | R. C SAXENA | Public Economics |
| 36 | VENKATASUBBIAH | Indian Economy since Independence |
| 37 | RANGNEKAR | Poverty and Capital Development in India |
| 38 | ALOK GHOSH | Indian Economy |
| 39 | TANDON | Economic Planning |
| 40 | PALVIA | Econometric Model of Development Planning |
| 41 | V V Bhatt | Employment and Capital Formation |
| 42 | M L SETH | Theory and Practice of Economic Planning |
| 43 | डा० राजकुमार अग्रवाल | रूस का आर्थिक विकास |
| 44 | जय प्रकाश नारायण | समाजवाद से सर्वोदय की ओर |
| 45 | KENNETH E. BOULDING | Principles of Economic policy |
| 46 | G D KARWAL | Economic Freedom and Economic Planning |
| 47 | DR DALTON | Practical Socialism for Great Britain |
| 48 | HERMAN LEVY | New Industrial System |
| 49 | CARL LANDAVER | Theory of National Economic Planning |
| 50 | | First Second and Third Plan Draft Reports |
| 51 | | First Second and Third Plan Detailed Reports |
| 52 | | Report of The National Bureau of Economic Research (New York) on Capital Formation Growth |
| 53 | | U N Committee Report on Measures for The Economic Development of Under Developed Countries |

54. A plan For The Economic Development Of India (Bombay Plan)
- 55 M. N. Roy People's Plan
- 56 Second Five Year Plan—Progress Report
- 57 Appraisal and Prospects of The Second Five Year Plan
58. Progress of Selected Projects During Second Plan Period issued by Planning Commission, March 1961
59. Commerce, Eastern Economist, Economic Review, Economic Times Weekly Yojna, Journal of Trade and Industry—Regular and Special Numbers
60. India—1959-1960-1961
61. V. K. R. V Rao : Deficit Financing, Capital Formation and Price Behaviour in Under Developed Countries
62. सर्वोदय नियोजन—प्रखिल भारतीय सर्व सेवा सघ प्रकाशन
63. ग्रन्थिक समीक्षा—विशेषांक
-